माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश :
संगठन, प्रशासन तथा वित्त–व्यवस्था

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के शिक्षा–संकाय में

पी–एच० डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध – प्रबन्ध

1993

निर्देशक :

डॉ० डी० एस० श्रीवास्तव

विभागाध्यक्ष

शिक्षा विभाग

अतर्रा कालेज, अतर्रा (बांदा) उ०प्र०

शोधकर्ता :

ओमकार चौरसिया

एम०ए०, एम०एड०

डॉ डी० एस० श्रीवास्तव

☎ : 0519 84-204
विभागाध्यक्ष
शिक्षक शिक्षा विभाग
अतर्रा कालेज, अतर्रा
210201 (बाँदा) उ० प्र०
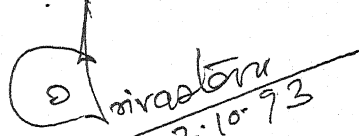
पत्रांक........

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **श्री ओमकार चौरसिया** ने **"माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश : संगठन, प्रशासन तथा वित्त-व्यवस्था"** विषय पर मेरे निर्देशन में बड़े परिश्रम, लगन एवं अध्यवसाय से 200 दिन से अधिक उपस्थित रहकर प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध पूर्ण किया है । इसकी विषय सामग्री मौलिक है और यह सम्पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य परीक्षा के लिये प्रयोग नहीं की गई है ।

यह शोध-प्रबन्ध बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की पी-एच० डी० परीक्षा की नियमावली के सभी उपबन्धों की पूर्ति करता है । मैं संस्तुति करता हूँ कि यह इस योग्य है कि मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाय ।

दिनाँक :-

D Srivastava
2.10.93

(डॉ० डी० एस० श्रीवास्तव)
विभागाध्यक्ष,
शिक्षक शिक्षा विभाग
अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज,
अतर्रा (बाँदा), उ० प्र०

-:: आभारिका ::-

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय है । इसकी स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर कमीशन 1917) की अनुशंसा के आधार पर सन् 1921 में इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अनुसार इस उद्देश्य से की गयी थी कि इस परिषद् द्वारा माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था का गठन किया जा सके जिससे एक ओर तो ऐसे छात्रों को तैयार किया जा सके जो उच्चशिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तथा दूसरी ओर यदि वे आगे अध्ययन न करना चाहें तो उन्हें नौकरियों व व्यवसायों में लगाया जा सके ।

आँकड़ों को यदि विकास का पैमाना माना जाय तो परिषद् ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है । आज यह परिषद् परीक्षा संचालित करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था बन गयी है, अतः इसके संगठन, प्रशासन, वित्तीय-व्यवस्था, परीक्षा-संचालन तथा कार्यप्रणाली की जानकारी की उत्सुकता तथा जिज्ञासा होना स्वाभाविक है । शोधकर्ता भी परिषद् की कार्यप्रणाली जानने के लिये जिज्ञासू था । शोधकर्ता ने उक्त समस्या से अपने गुरुवर डॉ0 डी0 एस0 श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष-शिक्षक शिक्षा विभाग, अतर्रा कालेज, अतर्रा को अवगत कराया तथा इस पर शोध करने की इच्छा प्रकट की । शिष्य को जिज्ञासू जान डॉ0 श्रीवास्तव ने प्रस्तुत शोध हेतु समस्या सुझायी तथा शोध विषय निरूपित कर उसमें अग्रसर होने का पथ-प्रदर्शन किया ।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के विषय चयन से लेकर उसकी समाप्ति तक परम श्रद्धेय गुरुवर डॉ0 डी0 एस0 श्रीवास्तव जी से मुझे जो पितृतुल्य सहानुभूति एवं विद्वतापूर्ण निर्देशन प्राप्त हुआ है उससे मैं जीवन पर्यन्त उऋण नहीं हो सकता हूँ और उसके लिये कृतज्ञता ज्ञापन मात्र औपचारिकता ही होगी । शोधकर्ता उनकी विद्वता, अनुभव एवं गुरुगरिमा के आगे श्रद्धानत है ।

शोध सामग्री के संकलन हेतु विभिन्न पुस्तकालयों में जाना पड़ा । शोधकर्ता सुश्री अमिता राजन, पुस्तकालयाध्यक्षा एवं मुख्य प्रलेखीकरण अधिकारी एवं श्रीमती सुधा, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष-सरकारी प्रकाशन, विधान परिषद् पुस्तकालय, लखनऊ, श्री रामानुज दुबे-सहायक परिषद् अनुभाग, पुस्तकालयाध्यक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, पुस्तकालयाध्यक्ष-केन्द्रीय पुस्तकालय इलाहाबाद, शिक्षा-निदेशालय, इलाहाबाद तथा श्री हीरालाल यादव, पुस्तकालयाध्यक्ष अतर्रा कालेज, अतर्रा का हृदय से आभारी है, जिन्होंने आँकड़ें एवं अन्य शोध सामग्री एकत्र करने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया ।

इस शोधकार्य को पूर्ण करने में माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सचिव श्री प्रकाशचन्द्र श्रीवास्तव का पूर्ण सहयोग रहा है, अतः मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ । शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारीगणों श्री आत्माराम श्रीवास्तव, अपर सचिव-परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद, श्री श्याम नारायण राय, निदेशक - मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद, श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, उपशिक्षा निदेशक - कानपुर मण्डल तथा श्री राम लखन पाठक, उपसचिव (प्रशासन) क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद ने समय-समय पर जो मार्गदर्शन प्रदान किया है उसके लिये मैं उन सभी का आभारी हूँ ।

मैं अपने पूज्य पिता श्री जमुना प्रसाद चौरसिया एवं अग्रज श्री शंकर लाल चौरसिया के आर्शीवाद से ही यह शोधकार्य सम्पन्न कर सका हूँ, अतः शोधकार्य की पूर्ति के पश्चात् उन्हें शत-शत नमन हैं ।
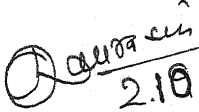
इस शोधकार्य के प्रेरणा स्त्रोत श्री रमाशंकर विद्यार्थी जी का मैं हृदय से चिरऋणी हूँ, जिन्होंने समय-समय पर मुझे स्फूर्ति तथा प्रेरणा प्रदान की है । मैं डॉ० आर० बी० सिंह भदौरिया द्वारा प्रदत्त प्रेरणाओं के प्रति भी आभारी हूँ ।

श्री कमलेश कुमार शर्मा, अधीक्षक-प्रशासन एवं एकेडमिक विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी का भी हृदय से आभारी हैं, जिनका निरन्तर सहयोग इस शोधकार्य की पूर्ति में सहायक रहा है ।

शोध कार्य में सहयोग के लिये प्रिय अनुज कमलेश एवं विवेक धन्यवाद के पात्र हैं ।

अंत में मैं मेसर्स श्री कम्प्यूटर सर्विस, स्टेशन रोड बाँदा का आभारी हूँ जिन्होंने समय के अन्दर इस शोध ग्रन्थ को सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान कर मुझे सहयोग प्रदान किया ।

परीक्षा-व्यवस्थाओं, शिक्षा-नीति-निर्धारकों, शिक्षा-प्रशासकों तथा शिक्षा-निदेशक माध्यमिक शिक्षा के लिये यदि यह शोध किंचित मात्र भी उपयोगी सिद्ध हुआ तो मैं अपना प्रयास सार्थक समझूंगा ।

2.10.93

ओमकार चौरसिया

नागपंचमी

1993

:: अनुक्रमणिका ::

-: तृतीय - अध्याय :-

पृष्ठ संख्या

माध्यमिक शिक्षा परिषद् का संगठन (59-95)

पृष्ठ संख्या

-: चतुर्थ - अध्याय :-

-: पंचम - अध्याय :-

-: षष्ठ - अध्याय :-

परीक्षा की प्रबन्ध-व्यवस्था (202-392)

-: सप्तम-अध्याय :-

निष्कर्ष एवं सुझाव (353-381)

:: सारिणी-सूची ::

पृष्ठ संख्या

:: ग्राफ - सूची ::

..——————..

प्रथम अध्याय

समस्या, शोध-विधि तथा योजना

शिक्षा राष्ट्रीय सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास का एक प्रबल साधन है शिक्षा की प्रक्रिया युग-सापेक्ष होती है । युग की गति और उसके नये-नये परिवर्तनों के आधार पर प्रत्येक युग में शिक्षा की परिभाषा और उद्देश्य के साथ ही उसका स्वरूप भी बदल जाता हैं । यह मानव इतिहास की सच्चाई है । मानव के विकास के लिये खुलते नित नये आयाम शिक्षा और शिक्षाविदों के लिये चुनौती का कार्य करते है, जिसके अनुरूप ही शिक्षा की नयी परिवर्तित-परिवर्धित रूप-रेखा की आवश्यकता होती हैं । शिक्षा की एक बहुत बड़ी भूमिका यह भी है कि वह अपनी जाति, धर्म, संस्कृति और इतिहास को अक्षुण्य बनाये रखे, जिससे कि राष्ट्र का गौरवशाली अतीत भावी पीढ़ी के समक्ष द्योतित हो सके और युवा पीढ़ी अपने अतीत से अपरिचित न रह सके ।

शिक्षा के द्वारा हम वर्तमान में शारीरिक एवं मानसिक विकास के माध्यम से बालकों के भविष्य को इस ढंग से सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे जहां एक ओर अपने वैयक्तिक जीवन का निर्वाह समुचित ढंग से कर सकें वहीं दूसरी ओर सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में भी उन तमाम उत्तरदायित्वों का समुचित ढंग से निर्वाह कर सकने में समर्थ हो सके, जिसकी समाज और राष्ट्र उनसे अपेक्षा करता है और वह शिक्षा प्रक्रिया के अविरल प्रवाह में पीढ़ीगत अनुभवों तथा ज्ञान श्रृंखला में वृद्धि कर सके ।

शिक्षा के उद्देश्यों में छात्रों का सर्वतोन्मुखी विकास करना, उनमें अच्छे समाजसेवी नागरिक की मनोवृत्ति जागृत करना, लोकतांत्रिक समाज में रहन-सहन, सहयोग एवं सुख-शांति की भावना का विकास करना, उन्हें आधुनिकतम तकनीकी से परिचित कराना तथा उन्हें सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु तैयार करना प्रमुख हैं ।

वर्तमान समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने ज्ञान के क्षेत्र में असाधारण प्रगति करके ज्ञान का व्यापक विस्फोट कर दिया है जिससे शिक्षा की प्रक्रिया प्रभावित हुयी है । यह आवश्यक हो गया है कि हम शिक्षा के विविध पहलुओं यथाउद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण-शिक्षार्थी संकल्पना तथा मूल्यांकन आदि का वर्तमान परिस्थितियों में इस उद्देश्य से पुर्नमूल्यांकन करें कि वर्तमान क्षणों में ये हमारी आवश्यकताओं की कसौटी पर किस सीमा तक खरे उतरते हैं । ऐसी स्थिति में यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि हम इस शिक्षा प्रक्रिया द्वारा अपने उद्देश्यों को कहां तक प्राप्त कर पाये हैं । यह सामान्य धारणा है कि दक्षता तभी आती है, जब छात्र शैक्षिक प्रक्रिया से गुजरता है और फिर इस पूर्व ज्ञान के आधार पर आगे के ज्ञान का प्रसारण किया जाता है । इस प्रक्रिया के

मध्य किसी भी समय बिन्दु पर शैक्षिक प्रयास के प्रभाव की जानकारी प्राप्त करने की विधा को परीक्षण, परीक्षा, मापन अथवा मूल्यांकन जैसी शब्दावली से अभिहित किया जाता है । यद्यपि यह शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त है फिर भी मोटे तौर पर सभी का एक ही तात्पर्य है—शैक्षिक प्रभाव ज्ञात करने की विधा ।

जबसे शिक्षा की प्रक्रिया प्रारम्भ हुयी है तभी से उसमें परीक्षा भी किसी न किसी रूप में अवश्य विधमान रही है, वैसे आधुनिक परीक्षाओं का प्रारम्भ वुड के घोषणापत्र की संस्तुतियों के बाद तीन विश्वविधालयों, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास की स्थापना के बाद सन् 1857 से हुआ और अब किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान है । यह भी सम्पूर्ण व्यवस्था की एक उप-व्यवस्था का रूप धारण कर चुकी है । औपचारिक शिक्षा की तो सारी व्यवस्था एक प्रकार से परीक्षाओं की बुनियाद पर खड़ी है, परीक्षाओं को हटा दीजिये तो औपचारिक शिक्षा का केन्द्रीय उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा । परीक्षा सम्पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है — उस मील के पत्थर के समान, जिसको देखकर यह ज्ञात होता है कि कितना रास्ता तय हो चुका है, कितना और तय करना है । छात्र, अभिभावक, अध्यापक, सामान्य जनवर्ग सभी के लिये इसकी उपादेयता इसे अनिवार्यता प्रदान करती है । परीक्षा सामाजिक गतिशीलता और उन्नति का प्रमुख साधन बन गयी है क्योंकि उसमें सफलता मिलने पर उच्च शिक्षा में प्रवेश तथा व्यावसायिक पद की प्रापित संभव होती है । इस प्रकार परीक्षा शिक्षा का अविभाज्य अंग है ।

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्राथमिक आवश्यकता है । प्राथमिक शिक्षा जीवन का मूल है, माध्यमिक शिक्षा तना है तथा उच्च शिक्षा जीवन का विकासात्मक प्रसार है । शिक्षा के तीनों स्तर परस्पर आबद्ध हैं तथा एक दूसरे पर अवलम्बित हैं । इन शैक्षिक सोपानों में माध्यमिक शिक्षा का विशिष्ट स्थान है, क्योंकि यह बहुसंख्यक विद्यार्थियों के लिये अन्तिम स्तर है । अतएव माध्यमिक विद्यालयों की दशा सुधारने तथा उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिये यह आवश्यक है कि हमारे प्रशासक विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं, वित्तीय आवश्यकताओं तथा प्रबन्ध की समस्याओं तक ही अपने दायित्व को सीमित न रखकर उनके शैक्षिक उन्नयन पर भी वांछित ध्यान दें । माध्यमिक शिक्षा पर जहाँ एक ओर विद्यार्थियों को कार्यजगत के लिये तैयार करने का दायित्व है वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति का भी, ताकि जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिये जायें

उनकी आधारशिला मजबूत हो और वे उस ज्ञान को आत्मसात करने में समर्थ हों, जो उन्हें उच्च शिक्षा से प्राप्त होगा ।

किसी भी स्तर की शिक्षा व्यवस्था के लिये उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तम होना अनिवार्य है । प्रशासन द्वारा शैक्षिक आयोजनों के लिये जैसे—जैसे प्रस्ताव पारित किये जाते हैं, उनके क्रियान्वयन के लिये जैसी नीतियां निर्धारित की जाती हैं व जैसी प्रशासनिक संरचना बनायी जाती है, शिक्षा का स्वरूप व उसके परिणाम भी तदनुसार ही होते हैं । प्रशासन किसी भी संगठन या संस्था को उसके आदर्श तक पहुंचाने में सहायक होता है । संस्थाओं का समुचित विकास उनकी गतिशीलता, कार्यकुशलता एवं उत्तम प्रशासन पर ही निर्भर करता है ।

आधुनिक युग में शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है बढ़ती हुयी छात्रसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जहां एक ओर शैक्षिक सुविधाओं एवं संसाधनों को जुटाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक, शिक्षाधिकारी एवं अभिभावकों द्वारा यह अनुभव किया जा रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान की सम्प्राप्ति, योग्यता और कुशलता की समुचित परीक्षा भी होनी चाहिये । इसके द्वारा विद्यार्थियों को अपनी वस्तुस्थिति का पता हो जायेगा, अभिभावकों को अपने बालको की शैक्षिक प्रगति का स्तर मालूम हो जायेगा और शिक्षकों एवं शिक्षा–अधिकारियों को इस बात का ज्ञान हो जायेगा कि छात्रों का स्तर क्या है और भविष्य में उन्हें किस प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी तथा पाठ्यक्रम एवं शिक्षा पद्धति में किन परिवर्तनों को करना आवश्यक होगा । इन सभी दृष्टियों से शिक्षा में परीक्षा की आवश्यकता बनी हुयी है ।

देश को स्वतंत्र हुये चार दशक से अधिक हो चुके हैं फिर भी अभी हमारी परीक्षा-प्रणाली कंठस्थीकरण, संयोग और सापेक्षता पर आधारित हैं । इसकी वस्तुनिष्ठता, वैधता तथा विश्वसनीयता अभी भी कम है । शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को सशक्त बनाने तथा शिक्षार्थी की निष्पत्ति का मूल्यांकन करने की समाकलन की दृष्टि से परीक्षा प्रणाली तथा उसमें दीर्घकालिक सुधार की भी आवश्यकता है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय है । इसकी स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर-कमीशन) की अनुशंसा के आधार पर सन् 1921 में इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अनुसार इस उद्देश्य से की गयी थी कि इस परिषद् द्वारा माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर ऐसी शैक्षिक व्यवस्था का गठन किया

जा सके जिससे एक ओर तो ऐसे छात्रों को तैयार किया जा सके जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तथा दूसरी ओर यदि वे आगे अध्ययन न करना चाहे तो उन्हें नौकरियों व व्यवसायों में लगाया जा सके । अतः यह कहा गया कि परिषद् शिक्षा मंत्री के नियंत्रण में सेन्ट्रल बोर्ड के 'स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा' तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इण्टरमीडिएट व मैट्रीकुलेशन परीक्षा' के समस्त उत्तरदायित्वों की पूर्ति करेगी । यू0 पी0 विधान सभा ने सन् 1921 में एक एक्ट पास किया, एक्ट के प्रथम वाक्य से ही उसका ध्येय स्पष्ट हो जाता है :-

"Whereas it is expodient to establish a Board to take the place of Allahabad University in regulating and Supervising the system of Highschool and Intermediate education in U.P. and to prescribe courses for English Middle classes subject to control of the local government."

सन् 1921 के बाद इस अधिनियम में सन् 1941 के अधिनियम संख्या 5, सन् 1950 के अधिनियम संख्या 4, सन् 1958 के अधिनियम संख्या 35, सन् 1959 के अधिनियम संख्या 6, सन् 1972 के अधिनियम संख्या 29, सन् 1975 के अधिनियम संख्या 26, सन् 1977 के अधिनियम संख्या 5, सन् 1978 के अधिनियम संख्या 12, सन् 1981 के अधिनियम संख्या 1 तथा 9, सन् 1982 के अधिनियम संख्या 5 तथा सन् 1989 के अधिनियम संख्या 18 द्वारा अनेक संशोधन किये गये ।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों द्वारा परीक्षा पद्धति तथा परीक्षा व्यवस्था पर अनके सुझाव दिये गये जिनकी उपलब्धियों पर भी इस शोध में प्रकाश डाला जायेगा ।

यदि आंकड़ों को विकास का पैमाना माना जाय तो माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है । आज यह परिषद् परीक्षा संचालन करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था बन गयी है । सन् 1922-23 में 206 माध्यमिक विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त थी । सन् 1947-48 में मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या बढ़कर 684 हो गयी । इस प्रकार 25 वर्षों में 3.3 गुना वृद्धि हुयी । सन् 1990-91 में यह संख्या बढ़कर 8991 हो गयी जो सन् 1922-23 की तुलना में 43.16 गुना तथा सन् 1947-48 की तुलना में 13.14 गुना है ।

यदि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में सम्मलित परीक्षार्थियों पर दृष्टि डाली जाय तो इसमें भी आशातीत वृद्धि हुयी है । सन् 1925 में कुल 8396 परीक्षार्थी परिषदीय परीक्षाओं में सम्मलित हुये और सन् 1992 में यह संख्या बढ़कर 22,66,415 हो गयी जो सन् 1925 की तुलना में लगभग 270 गुना है ।

इसी प्रकार सन् 1922-23 में परिषद् का व्यय 41,136 रूपये था जो सन् 1990-91 में बढ़कर 18,63,22,000 रूपये हो गया जो सन् 1922-23 की तुलना में 4529.4 गुना है ।

उपर्युक्त आंकड़े माध्यमिक शिक्षा परिषद् की व्यापकता तथा विकास की सत्यता को स्पष्ट करते हैं ।

परिषद् का कार्यभार भी इस अवधि में दो हजार गुना से अधिक बढ़ गया है । इसलिये परिषद् के केन्द्रीय कार्यालय को चार क्षेत्रीय कार्यालयों में विभाजित करना पड़ा है । परिषद् पर परीक्षा संचालन, परीक्षाफल घोषित करना, मान्यता प्रदान करना तथा अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ हैं ।

परिषद् की कार्यप्रणाली सात दशकों के विभिन्न कालखण्डों से गुजरी है । अंग्रेजों के कार्यकाल से लेकर स्वतंत्रोत्तर अद्यावधि तक का इसका अपना इतिहास है । अतएव परिषद् के संगठन, प्रशासन, वित्तीय व्यवस्था तथा परीक्षा संचालन का अध्ययन बड़ा ही उपयोगी, रोचक तथा महत्वपूर्ण होगा ऐसा शोधार्थी का विश्वास है, इसलिये निम्न शोध समस्या का चयन किया गया है -

"माध्यमिक शिक्षा परिषद्,उत्तर प्रदेश : संगठन, प्रशासन तथा वित्त-व्यवस्था"

(क) समस्या का परिभाषीकरण :-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश :-

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से तात्पर्य उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत 10+2 कक्षाओं की परीक्षासंचालित करने, इन्हीं परीक्षाओं के प्रमाण-पत्र प्रदान करने, इसी स्तर की शिक्षा के विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने तथा इसी स्तर की शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं पाठ्यपुस्तिकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने वाले निकाय से है । जिसका संचालन इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम उत्तर प्रदेश, 1921 तथा उसके अद्यावधि संशोधनों तथा विनियमों के अन्तर्गत होता है ।

संगठन :-

संगठन से तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के संगठन से है । प्रस्तुत शोध में संगठन से अभिप्राय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के नियमसंग्रहों में दिये गये विवेचनों से है ।

प्रशासन :-

प्रस्तुत शोध में प्रशासन से अभिप्राय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के प्रशासन से है ।

वित्त व्यवस्था :-

वित्त व्यवस्था से तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की आय के विभिन्न स्त्रोतों तथा व्यय के विभिन्न मदों के विवेचन से है ।

(ख) समस्या का परिसीमन :-

यह शोध भारत के माध्यमिक स्तर के सभी 31 परिषदों[1] के संगठन, प्रशासन तथा वित्त व्यवस्था पर किया जा सकता था, परन्तु वह अध्ययन इस समय सीमा के अन्तर्गत गहनता से करना सम्भव न होता तथा उससे प्राप्त निष्कर्ष इतनी गहराई तक परिणाम देने में विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते थे । निष्कर्षों की वैधता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केवल माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश का ही चयन किया गया, क्योंकि यह भारत की ही नहीं अपितु विश्व की परीक्षा सम्पन्न कराने वाली सबसे बड़ी विश्वसनीय संस्था है तथा इसकी सात दशकों की एक लम्बी अवधि है । यह अध्ययन परिषद् के स्थापना काल अर्थात् सन् 1921 से लेकर सन् 1992 तक प्राप्त होने वाले प्रदत्तों के आधार पर किया गया है ।

शोध उद्देश्य :-

प्रस्तुत शोध के निम्नांकित उद्देश्य हैं :-

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की संगठनात्मक तथा प्रशासनिक व्यवस्था का विवेचनात्मक अध्ययन करना ।
2. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन करना ।
3. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित परीक्षाओं पर प्रकाश डालना तथा उनका मूल्यांकन करना ।
4. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के संगठन, प्रशासन तथा वित्तीय व्यवस्था एवं उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं को अधिक सार्थक, प्रभावकारी तथा सफल बनाने हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करना ।

---

1. एजूकेशन इन इण्डिया (1979-80)
नई दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत सरकार)

उत्तर प्रदेश की शैक्षिक विशेषतायें :-

मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगिराज कृष्ण की अलौकिक लीलाओं की पुण्य-भूमि उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का विकास-स्थल रहा है । यह विन्ध्य तथा हिमाचल के अंचल में स्थिर है । स्वामी महावीर का 'अहिंसा परमोधर्मः' का सिद्धान्त यही पुष्पित और फल्लिवत हुआ है । कवि शिरोमणि वाल्मीकि व गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि होने का श्रेय भी इसे प्राप्त है । यह भारत भू खण्ड का विशालतम राज्य है ।

उत्तर प्रदेश में आबादी प्राचीन काल से ही जन संकुल रही है । प्रत्येक साम्राज्य का, जिसने भारत भूमि पर शासन किया है, उत्तर प्रदेश प्रमुख स्थान रहा है । प्रायः सभी विदेशी आक्रमणकारी इसी की ओर उन्मुख रहे हैं । मुस्लिम आक्रामकों ने दिल्ली या आगरा को ही अपने मध्य युग में राजधानी बनाया था, क्योंकि यही से दक्षिण और पूर्व के मार्ग पर नियंत्रण रखा जा सकता था ।

इस प्रदेश का योगदान राष्ट्रीय अन्दोलनों में अत्यन्त्र महत्वपूर्ण रहा है । सी0 वाई0 चिन्तार्माण, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, गोविन्द बल्लभ पन्त, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहर लाल नेहरू, रफी अहमद किदवई, आचार्य नरेन्द्र देव, सम्पूर्णानन्द तथा पुरुषोत्तमदास टंडन आदि इस राज्य की महानतम विभूतियां हैं । इस राज्य को स्वतन्त्रता के बाद छैः प्रधानमंत्री देने का गौरव प्राप्त है ।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में सन् 1897 में, जब पूरे भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य छा गया था, बंगाल सिविल सर्विसेज के एक अंग्रेज प्रशासक श्री कुर्क ने उस समय के उत्तरी पूर्व प्रदेश (1902 से पहले उत्तर प्रदेश का नाम) के बारे में इसके महत्व को प्रतिपादित करते हुये लिखा था[2] :-

"ब्रिटिश साम्राज्य के किसी प्रान्त का इतना अधिक महत्व नही है, जितना कि इसका । यह भारत का अत्यन्त्र उपजाऊ व विविधतायुक्त उद्यान है, जिसका अधिकांश भाग उत्कृष्ट सिंचाई के साधनों के कारण अकाल के खतरों से सुरक्षित है । यहाँ के निवासियों के कुछ प्रमुख व उत्कृष्ट उद्योग-धंधे भी प्रचलित हैं । सड़कों, रेलों आदि यातायात के साधनों के कारण यह आन्तरिक संचार साधनों से युक्त है । अपनी सीमाओं के अन्तर्गत इसका पश्चमी सीमान्त प्रदेश हिन्दू प्रजाति की निवास स्थली रहा है और यहीं इसकी धार्मिक, कानूनी व सामाजिक व्यवस्था का संगठन हुआ

---

2. विलियम कुर्क, "दि नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया दियर हिस्ट्री एथोलॉजी एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन" लन्दन, 1897, पृष्ठ 2-3

है । यहाँ पर ही बौध धर्म ने हिन्दू धर्म को अपदस्थ किया और फिर स्वयं पुराने धर्म के सामने दब भी गया ।"

आज जो उत्तर प्रदेश है, उसका भारत में अपनी स्थिति, जनसंख्या तथा इतिहास सभी के कारण एक विशेष स्थान है । उत्तर प्रदेश आज जो कुछ है, उसकी जो उपलब्धियां या समस्यायें हैं, वह इसके भूगोल तथा इतिहास का परिणाम हैं ।

उत्तर प्रदेश की विद्यार्जन तथा पठन-पाठन की परम्परा अत्यन्त्र प्राचीन एवं क्रमबद्ध है । वाराणसी, प्रयाग, कन्नौज और मथुरा शताब्दियों से संस्कृत ज्ञान के प्रख्यात केन्द्र रहे हैं । मध्ययुग में देवबन्द व जौनपुर फारसी तथा अरबी शिक्षा के लिये प्रसिद्ध रहे हैं । उनकी प्रसिद्धि अभी तक बनी हुयी है । शासन ने सन् 1988 में जौनपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया है । इस प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा कभी उपेक्षित नहीं रही है । पाठशाला व मकतब जनसाधारण की शिक्षा में लगे रहे हैं । इन शिक्षा संस्थाओं का विकास स्थानीय समुदायों के संरक्षण में उन्नीसवीं शताब्दी तक होता रहा । उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश के अन्य भागों की भाँति उत्तर प्रदेश मे भी अंग्रेजी पद्धति पर वर्तमान शिक्षा-पद्धति का समावेश हुआ ।

वस्तुतः उत्तर प्रदेश में वर्तमान शिक्षा का प्रारम्भ सन् 1818 ईस्वी से माना जाना चाहिये, जब राजा जय नारायण घोषाल की उदारता से वाराणसी में प्रथम अंग्रेजी स्कूल की स्थापना हुयी । इसके पश्चात् अन्य वर्तमान शिक्षा संस्थायें खुलीं ।

उत्तर प्रदेश पहला राज्य था, जिसने सर्वप्रथम प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में कर लगाना आरम्भ किया और हल्काबन्दी स्कूलों की स्थापना की । इन स्कूलों के खुलने से स्वदेशी स्कूल बिल्कुल लुप्त हो गये । इसी बीच हंटर आयोग की संस्तुतियों के अनुसार प्राइमरी शिक्षा का कार्य स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिया गया । इससे प्राइमरी शिक्षा पहले की अपेक्षा तीव्रगति से फैली । ब्रिटिश सरकार के 1904 के संकल्प ने इस गति को और अधिक तीव्रता प्रदान की ।

सन् 1921 में द्वैध शासन की स्थापना से शिक्षा एक हस्तान्तरित विषय बन गयी। सन् 1926 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्राइमरी शिक्षा का शुभारम्भ किया गया । सैडलर कमीशन की एक महत्वपूर्ण संस्तुति के अनुसार सन् 1921 के अधिनियम द्वारा हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की शिक्षा के लिये एक परिषद् की स्थापना की गयी और इसे डिग्री स्तर से नीचे की सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन

का दायित्व सौंपा गया । इस प्रकार इण्टरमीडिएट शिक्षा को विश्वविद्यालय-शिक्षा से पृथक स्कूली शिक्षा का एक अंग बना दिया गया ।

सन् 1937 में प्रान्तीय स्वायत्ता के साथ प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ने एक नये जीवन का अनुभव किया । यह शिक्षा के विविध क्षेत्रों में नयी योजनाओं के समावेश का विशिष्ट वर्ष था, किन्तु जिन योजनाओं का सूत्रपात किया गया, वे 1939 में कांग्रेस मंत्रिमण्डल के त्यागपत्र दे देने के कारण आगे न बढ़ सकीं । यह स्थिति सन् 1947 तक बनी रही और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही इस ओर आवश्यक कदम उठाये गये ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रजातांत्रिक शासन पद्धति में जनता के शिक्षित होने से जहाँ एक ओर प्रजातन्त्र को दृढ़ आधार मिला, वहीं दूसरी ओर लोगों को शिक्षित होने से अपने दायित्व का निर्वाह का सामर्थ्य भी प्राप्त हुआ । इस दृष्टिकोण से शिक्षा को प्रदेश के नियोजित विकास में प्रमुख स्थान दिया गया है । भारत के संविधान के निदेशक तत्वों में 6 से 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं को सार्वभौम, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना लक्ष्य रखा गया है । इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु शिक्षा-सुविधाओं का द्रुत गति से विस्तार एवं प्रसार किया गया । प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक-प्रशिक्षण, शिक्षण-विधियों तथा शिक्षकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उनके उन्नयन हेतु वेतन-वृद्धि आदि सभी पक्षों पर व्यापक सुधार किये गये ।

माध्यमिक शिक्षा तथा उसकी परीक्षा व्यवस्था में समय-समय पर विभिन्न्न समितियों यथा आचार्य नरेन्द्र देव समिति (1953), माध्यमिक शिक्षा समिति (1958), सहायता अनुदान समिति (1961), राधाकृष्ण समिति (1964), कोठारी कमीशन (1964-66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 तथा 1986 तथा हरी प्रसाद शाही समिति (1969) की संस्तुतियों को लागू करते हुये व्यापक सुधार हुये तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् के प्रशासनिक तथा संगठनात्मक स्वरूप में भी परिवर्तन किये गये ।

उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिन्दी है और हिन्दी साहित्य के भंडार को भरने में यहाँ के अनेक विद्वानों और प्रतिभाओं का योगदान रहा है । यहाँ अनेक एतिहासिक इमारतें तथा स्थान हैं । आगरा का ताजमहल विश्वविख्यात हो चुका है और राष्ट्रीय कार्बेट पार्क जंगली जानवरों के संरक्षण के लिये प्रसिद्ध है । खनिज पदार्थों, वस्त्र, चमड़ा तथा अन्य उद्योगों के लिये प्रदेश के कई स्थान विख्यात हैं ।

खनिज सम्पदा, व्यापार, उद्योग आदि में प्रगति करने पर भी यहाँ की अधिकांश जनता गरीब है । रुढ़िवादिता और अंध-विश्वास के कारण वह शिक्षा में प्रगति नही कर पायी है ।

शिक्षा जगत की व्यवस्था के अनुरूप एवं कार्यसम्पादन की सुविधा के दृष्टिकोण से प्रदेश को 13 मण्डलों में विभाजित कर दिया गया है । हर मण्डल में शिक्षा निदेशक का कार्यालय है । बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिये प्रत्येक मण्डल में एक मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका का कार्यालय स्थापित है । बेसिक के क्षेत्र में एक सहायक शिक्षा निदेशक का कार्यालय सन् 1984 से स्थापित किया गया है । जनपदीय स्तर पर शैक्षिक नियंत्रण के लिये प्रत्येक जिले में एक-एक जिला विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों की **व्यवस्था है** ।

प्रादेशिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु बेसिक, माध्यमिक, उच्च तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय स्थापित हैं । इसके अतिरिक्त राज्य शिक्षा संस्थान, पत्राचार शिक्षा संस्थान, मनोविज्ञान-शाला तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् कार्यरत हैं ।

प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 1387.60 लाख है । जो भारत की जनसंख्या 84,39,31 लाख का 16.44 प्रतिशत है । प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व 471 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत में जनसंख्या का घनत्व 257 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है । 1981-91 के दशक में अखिल भारतीय स्तर पर इसमें 23.50 प्रतिशत की वृद्धि हुयी । इसका तुलनात्मक विवरण निम्न सारणी से स्पष्ट है ।

सारणी 1.1

जनसंख्या की दस वर्षीय वृद्धि (1901-1991)

मिलियन में (दस लाख में)

वर्ष	उत्तर प्रदेश		भारत वर्ष	
	जनसंख्या	जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि	जनसंख्या	जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि
1901	48.63	-	238.40	-
1911	48.15	-0.97	252.09	+5.75
1921	46.67	-3.08	251.32	-0.31
1931	49.78	+6.66	278.98	+ 11.00
1941	56.54	+ 13.57	318.66	+ 14.22

क्रमशः सारणी 1.1

1951	63.22	+ 11.82	361.09	+ 13.31
1961	73.75	+ 16.66	439.23	+ 21.51
1971	88.34	+ 19.78	548.16	+ 24.80
1981	110.89	+ 25.52	668.14	+ 25.50
1991	138.76	....	843.93	+ 23.50

स्त्रोत:- (1) उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य नियोजन संस्थान

(2) "उत्तर प्रदेश" 1986-87, लखनऊ; सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 1988-89

(3) आर0 बहादुर, 'सामान्य ज्ञान', इलाहाबाद नालन्दा पब्लिशिंग हाउस, 1993, पृष्ठ 66

(4) उत्तरांचल विकास, आठवी पंचवर्षीय योजना (1992-97), 1992-93 कार्यक्रम उत्तरांचल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, पृष्ठ 3

सारणी 1.2

जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर

(सन् 1921 से 1991)

वर्ष	उत्तर प्रदेश (घनत्व)	भारत वर्ष (घनत्व)
1921	159	82
1931	169	90
1941	192	103
1951	215	117
1961	251	134
1971	300	178
1981	377	216
1991	471	257

स्त्रोत:- (1) उत्तर प्रदेश 1985-86, लखनऊ; सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 1987-88

(2) उत्तरांचल विकास आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97), पूर्वोक्त-पृष्ठ-3

(3) आर0 बहादुर, 'सामान्य ज्ञान' इलाहाबाद, नालन्दा पब्लिशिंग हाउस, 1993, पृष्ठ-66

सारणी 1.3

उत्तर प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत

वर्ष	साक्षरता प्रतिशत
1951	10.8
1961	17.5
1971	21.7
1981	21.6
1986	27.2
1991	41.71

स्त्रोत :- पंचम अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण 1987-88 (संक्षिप्त आख्या) उत्तर प्रदेश, शिक्षा विभाग

विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है और भारत में हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है । शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व अपनी विशेषता रखता है । जनसंख्या के बाहुल्य तथा साधनों के बीच सतत् सामंजस्य की आवश्यकता परिलक्षित होती है । सन् 1991 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या का 58.29 प्रतिशत भाग अशिक्षित था । यहाँ सिर्फ 26.02 प्रतिशत महिलायें ही शिक्षित हैं । शिक्षा एक विशाल उपक्रम है यह प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से साहित्य एवं संस्कृति का प्रेरणा स्त्रोत रहते हुये तथा अपने आर्थिक संकट का बोझ ढोते हुये भारत की सभ्यता का विकास करता आ रहा है ।

शोध विधि :-

प्रस्तुत शोध में अनुसंधान की ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया गया है ।

मानव का जब से पृथ्वी पर जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक उसकी अनेकों उपलब्धियाँ रहीं हैं । इतिहास मानव की इन समस्त विगत उपलब्धियों का सम्पूर्ण एवं सही लेख है[3] । इतिहास के किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में अतीत की घटनाओं का एकीकृत वर्णन होता है, जो सम्पूर्ण सत्य के लिये विषय के अध्ययन का ऐतिहासिक उपागमन, उस विषय के अतीत का वर्णन

3. जे0 डब्लू0 वेस्ट, रिसर्च इन एजूकेशन"
न्यूयार्क, प्रिंटिस हाल, 1939, पृष्ठ-8

करने के प्रयास की ओर संकेत करता है, जिसके प्रकाश में वर्तमान समस्याओं के निराकरण के लिये समाधान प्रस्तुत किये जाते हैं ।

ऐतिहासिक विधि शोध की वह विधि है जिसमें ऐतिहासिक महत्व के तत्वों तथा प्रदत्तों को ढूढ़कर एकत्र किया जाता है और वर्गीकरण करके उनकी व्याख्या तथा आलोचना की जाती है । अन्ततः उसके आधार पर कुछ मान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं । इस प्रकार इसमें अतीत की घटनाओं का किसी विशिष्ट दृष्टिकोंण से अध्ययन किया जाता है और संग्रहीत सामग्री की विश्लेषणात्मक व्याख्या की जाती है ।

यह प्रलेखी प्रमाण (डाकूमेण्टरी) विधि भी कहलाती है, क्योंकि इसमें दस्तावेजों तथा प्रलेखों से प्रदत्त एवं प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हैं । इस विधि में एतिहासिक महत्व के तथ्यों तथा प्रदत्तों को ढूढ़ना, एकत्र करना, उनका विश्लेषण एवं वर्गीकरण करना तथा उनकी व्याख्या और आलोचना के आधार पर कुछ मान्य निष्कर्ष निकालना होता है । इसमें अतीत की घटनाओं का किसी विशिष्ट द्राष्टकोंण से अध्ययन किया जाता है और संग्रहीत सामग्री की व्याख्या एवं विवेचन करके एक संगत, तर्कपूर्ण तथा पठनीय प्रबन्ध तैयार किया जाता है । कौल[4] ने इसे शोध की वह विधि बतलाया है, जिसमें भूतकालीन तथ्यों का अन्वेषण एवं वर्णन किया जाता है ।

करलिंगर[5] के अनुसार :-

"ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, विकासक्रमों तथा अनुभवों का वह सूक्ष्मात्मक अन्वेषण होता है, जिसमें अतीत से सम्बन्धित सूचनाओं के सम्बन्धों तथा प्राप्त संतुलित विवेचना की वैधता का सावधानी पूर्ण परीक्षण सम्मिलित रहता है ।"

बेस्ट[6] के अनुसार :-

"ऐतिहासिक अनुसंधान ऐतिहासिक समस्याओं के अन्वेषण में वैज्ञानिक पद्धति की अनुप्रयुक्ति होती है ।"

शिक्षा-परिभाषा कोष[7] में ऐतिहासिक अनुसंधान की परिभाषा निम्न दी गयी है :-

"ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों का अन्वेषण करने, उनका अभिलेख रखने

---

4. लोकेश कौल, "मेथडोलॉजी आफ इजूकेशनल रिसर्च"
   नई दिल्ली, वानी इजूकेशनल बुक्स, 1987 पृष्ठ-178
5. एफ0 एन0 करलिंगर, "फाउन्डेशन आफ विहेविरियल रिसर्च"
   न्यूयार्क, हाल्ट, रिनेहार्ट एण्ड विन्स्टन 1964, पृष्ठ-698
6. जान् डब्ल्यू बेस्ट, "रिसर्च इन इजुकेशन"
   नयी दिल्ली, प्रेन्टिस [illegible] इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 1963 पृष्ठ-86
7. शिक्षा परिभाषा कोष, नई दिल्ली, केन्द्रीय [illegible] निदेशालय, भारत सरकार शिक्षा [illegible] मंत्रालय, 1977 पृ0-5

तथा उनकी व्याख्या करने की वह प्रक्रिया, जिसमें सम्बन्धित आधार सामग्री को एकत्रित करने, उसे समग्र रूप में रखने और आलोचनात्मक विन्यास करने के उपरान्त उसकी व्याख्या की जाती है, ऐतिहासिक शोध-विधि कहलाती है ।"

ऐतिहासिक अनुसंधान में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन ही नहीं किया जाता बल्कि इस वर्णन के साथ ही साथ तात्कालिक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व बौद्धिक प्रसंगो का इस तरह वर्णन किया जाता है, जिससे वृ तान्त में सजीवता आ जाती है ।

ऐतिहासिक शोध की उपादेयता यह है कि वह वर्तमान की समस्याओं को हल करने के लिये अतीत के **अनुभवों** से लाभ उठाती है । इसके महत्व की चर्चा करते हुये गुड, बार और स्केट्स[8] ने कहा है, कि -

"शिक्षा के वैज्ञानिक अध्ययन में शिक्षा का इतिहास सहायक है, प्रतिद्वन्दी नहीं । इतिहास अतीत के शैक्षिक आदर्शो तथा स्तरों को प्रस्तुत करता है तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को अतीत की त्रुटियों से बचने की सामर्थ्य प्रदान करता है । उसकी सहायता से किसी भी रूप में प्रकट होने वाली सनक व आडम्बरों को ढूढ़कर निकाला जा सकता है, शैक्षिक पूर्वाग्रहों को समाप्त किया जा सकता है, वर्तमान समस्याओं पर **उनकी** उत्पत्ति और वृद्धि के प्रकाश में सहानुभूति व निष्पक्षता पूर्वक विचार किया जा सकता है ।"

ऐतिहासिक अनुसंधान के उद्देश्य :-

ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य अतीत की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि उन विचारधाराओं के क्रमिक विकास का विश्लेषण करना है, जो इतिहास के विभिन्न कालों में उदित तथा विकसित हुयी हैं । ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य भूत के आधार पर वर्तमान को समझना है, जिससे कि भविष्य में सतर्क व सचेष्ट रहा जा सके । ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता अतीत की पृष्ठभूमि में विचारधाराओं की व्याख्या करता है तथा वर्तमान समय की आवश्यकताओं के संदर्भ में उनका मूल्यांकन करता है । इस प्रकार सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में नीति-निर्धारण के मार्ग दर्शन में वह ऐतिहासिक अनुसंधान के तथ्यों से विशेष सहायता व सुविधा प्राप्त करता है इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त विभिन्न तथ्य नीति-निर्धारकों को अतीत की त्रुटियों के प्रति सतर्क रखते हैं तथा भविष्य के लिये भी कुशल प्रशासक सदैव अतीत के अभिलेखों व पूर्व

8- कार्टर वी0 गुड, ए0 एस0वार तथा डी0 ई0 स्केट्स " मैथाडोलाजी आफ एजूकेशनल रिसर्च" न्यूयार्क एप्पिलन सेन्चुरी क्राप्ट्स, 1935, पृष्ठ- 24

अनुभवों के आधार पर ही नीति-निर्धारण, सामाजिक परिवर्तन व शैक्षिक नियोजन के कार्यक्रमों को सम्पन्न करने की सोचता है तथा उसमें वर्तमान की समस्याओं का समाधान ढूंढ़ता है ।

ऐतिहासिक विधि के सोपान :-

ऐतिहासिक विधि के प्रमुख रूप से निम्न पाँच सोपान होते हैं :-

(1) प्रदत्तों का प्राथमिक व गौण स्त्रोतों से संकलन ।

(2) संकलित प्रदत्तों की बाह्य व आन्तरिक आलोचना ।

(3) प्रदत्तों का विश्लेषण, वर्गीकरण तथा सारणीयन

(4) प्रदत्तों की व्याख्या एवं विवेचन ।

(5) समस्याओं तथा निष्कर्षों का पठनीय रूप से प्रस्तुतीकरण ।

प्रदत्त संकलन :-

ऐतिहासिक प्रदत्तों तथा तथ्यों का संकलन प्रायः निम्न दो स्त्रोतों से किया जाता है :-

(1) प्राथमिक स्रोत

(2) गौण स्रोत

(1) प्राथमिक स्त्रोत :-

प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो हमें सीधी और स्पष्ट जानकारी देते हैं । इसका सम्बन्ध मूल व मौलिक साधनों से होता है, जिसके अन्तर्गत किसी एक विशिष्ठ ऐतिहासिक घटना से सम्बन्धित ठोस प्रमाण प्रारम्भिक तथा प्रत्यक्ष सामग्री के रूप में सम्मलित रहते हैं । इन स्त्रोतों से प्राप्त सूचनायें अत्यन्त वस्तुनिष्ठ होती हैं, क्योंकि इन स्त्रोतों पर व्यक्ति के दुराग्रहों का या अन्य कारकों का प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं रहती ।

करलिंगर[9] के अनुसार :-

"प्राथमिक स्त्रोत एक ऐतिहासिक प्रदत्त का मूल भण्डार होता है । यह किसी एक महत्वपूर्ण अवसर का मौलिक अभिलेख होता है या एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा एक घटना का विवरण होता है या फिर एक छाया–चित्र अथवा किसी संगठन की बैठक का विस्तृत विवरण आदि होता है ।"

---

9. एफ0 एन0 करलिंगर, "पूर्वोक्त" पृष्ठ-699

गेल्फो[10] के अनुसार :-

"प्राथमिक स्त्रोत किसी घटना से सम्बन्धित प्रथम साक्षी व **सामग्री** होते हैं ।" **प्राथमिक** स्त्रोत दो प्रकार के होते हैं :-

(1) ज्ञात रूप से संचरित सूचनायें ।

(2) अवशेषों के रूप में अज्ञात प्रमाण ।

प्रस्तुत शोध में प्राथमिक स्त्रोत के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, शिक्षा विभाग, तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अंग्राकित साहित्य का उपयोग किया गया है :-

शिक्षा की प्रगति, उत्तर प्रदेश शासन का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (आय-व्ययक), जनरल रिपोर्ट ऑन पब्लिकइन्इंक्शन इन दि युनाइटेड प्राविन्सिस्, एनुअल रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस ऑफ एजूकेशन, उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, रिपोर्ट ऑन द इन्टरमीडिएट एजूकेशन, पंचवर्षीय योजनायें (उत्तर प्रदेश) एनुअल प्लान (शिक्षा विभाग), माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्राप्त होने वाली सूचनायें, कलेण्डर तथा नियमावलियाँ, एजूकेशन इन इण्डिया, एजूकेशन इन स्टेट्स, एजुकेशनल **स्टेटिस्टिक्स** (शिक्षा विभाग), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तथा 1986, शिक्षा की चुनौती 1985, उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, शिक्षा-आयोग, युनाइटेड प्राविन्सिस् ऑफ आगरा एण्ड अवध तथा युनाइटेड प्राविन्सिस् के शिक्षा विभाग के बजट आदि ।

गौण स्त्रोत :-

यदि किसी ऐतिहासिक घटना के प्रत्यक्ष प्रमाण के स्थान पर एक व्यक्ति द्वारा उस घटना का किया गया वर्णन हमें प्राप्त होता है तो यह गौण स्त्रोत कहलाता है । ये किसी ऐतिहासिक घटना अथवा स्थिति से अपने मूल स्त्रोतों से एक या अधिक चरण हटे हुये होते हैं । इनमें मौलिकता का अभाव रहता है । **गौण** स्त्रोत से प्राप्त सूचनायें अधिक विश्वसनीय नहीं होतीं क्योंकि वे किसी व्यक्ति द्वारा लिखित सूचनायें होतीं हैं और यह स्वाभाविक है कि प्रत्यक्ष घटना और हमारे बीच जितनी अधिक कड़िया होंगीं वास्तविक तथ्यों में परिवर्तन की उतनी ही अधिक सम्भावना होगी ।

करलिंगर[11] के शब्दों में :-

"एक गौण स्त्रोत एक वास्तविक इतिहास से एक या अधिक पद दूर ले जाने वाली

---

10. अरमण्ड जे0 गेल्फो, इण्टरप्रेटिंग इजूकेशनल रिसर्च
डुबुक्यु, लोवा कम्पनी पब्लिशर्स, 1978, **थर्ड** एडीसन, पृष्ठ-14

11. एफ0 एन0 करलिंगर, 'पूर्वोक्त' पृष्ठ-70

एक ऐतिहासिक घटना या परिस्थिति का एक लेखा-जोखा या अभिलेख है ।"

ऐतिहासिक पुस्तकें, ग्रन्थ तथा विश्वकोष गौण स्त्रोत के उदाहरण हैं ।

प्रस्तुत शोध में गौण स्त्रोत के रूप में राघव प्रसाद सिंह, एम0 एल0 भार्गव, डा0 आत्मानन्द मिश्र, डॉ0 आर0 ए0 शर्मा, बी0 एस0 स्याल, माधुरी मिश्रा, आदि द्वारा रचित ग्रन्थों का उपयोग किया गया है ।

बाह्य व आन्तरिक आलोचना :-

ऐतिहासिक अनुसंधान के मूलाधार ऐतिहासिक स्त्रोत हैं । ये स्त्रोत जितने विश्वसनीय व वैध होंगें, उतने ही विश्वसनीय हमारे अनुसंधान के परिणाम होंगें । ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन हेतु प्रदत्तों को संकलित करने के लिये चूंकि दूसरों के ज्ञात व अज्ञात प्रमाणों पर निर्भर रहना पड़ता है इसलिये उसके लिये यह आवश्यक होता है कि वह किसी भी प्रदत्त को अनुसंधान हेतु प्रयोग में लाने से पूर्व उसका सावधानी पूर्वक विश्लेषण करके उसकी वैधता तथा विश्वसनीयता की जांच कर ले तथा निरर्थक तथा भ्रांतिपूर्ण तथ्यों का सार्थक तथ्यों से विभेद कर ले । इस प्रकार ऐतिहासिक प्रमाणों को प्राप्त करने के लिये जो प्रक्रिया अपनायी जाती है उसे ऐतिहासिक आलोचना कहते हैं ।

अतः ऐतिहासिक आलोचना को परिभाषित करते हुये हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन की वह प्रांक्रिया जिसका उपयोग काम में आने वाले तथा विश्वसनीय प्रदत्तों को प्राप्त करने हेतु किया जाता है, जिन्हें ऐतिहासिक प्रमाण कहते हैं, ऐतिहासिक आलोचना के नाम से जानी जाती है

यह दो प्रकार की होती है :-

(1) बाह्य आलोचना

(2) आंतरिक आलोचना :-

बाह्य आलोचना :-

इसका उद्देश्य प्रदत्तों की सत्यता अथवा यथार्थता को स्थापित करना है ताकि शोधकर्ता का श्रम मिथ्यापूर्ण प्रलेखों पर नष्ट न हो । बाह्य आलोचना के अन्तर्गत स्त्रोत के ग्रन्थ या आलेख के वास्तविक, असली और मौलिक होने की जाँच की जाती है जिससे यह पता लग जाता है कि वह कहीं कूट रचना, जाली दस्तावेज, कृत्रित या नकली ग्रन्थ तो नहीं है । इसमें प्रलेखों के लेखक और

काल की सत्यता स्थापित करने हेतु भाषा, हस्त लेखन, अक्षर विन्यास आदि का गहन परीक्षण तथा प्रकाशक की विश्वसनीयता आदि प्रमाणित की जाती है ।

प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त सामग्री भारत सरकार के मंत्रालय से प्रकाशित एजूकेशन इन इण्डिया तथा शिक्षा निदेशालय से प्रकाशित शिक्षा की प्रगति तथा उत्तर प्रदेश शासन के अन्य प्रकाशनों से एकत्र की गयी है । 'शिक्षा की प्रगति' शिक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार के प्रेस से मुद्रित करवाकर सम्बन्धित वर्ष के एक दो वर्ष बाद प्रकाशित होती है । यह समय प्रदत्तों के एकत्र करने, लिखने तथा मुद्रण करने में लगता है । राज्य सरकार द्वारा आय-व्ययक प्रतिवर्ष सदन के पटल पर रखा जाता है, जिसमें पिछले दो वर्षों तक की वास्तविक आय और वास्तविक व्यय दर्शाया जाता है । आय-व्ययक हेतु वास्तविक आय व वास्तविक व्यय ज्ञात करने, उसे लिखने तथा छपने में प्रायः दो वर्ष का समय लग जाता है । उत्तर प्रदेश शासन के व्यय के ब्यौरेवार अनुमान, कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (शिक्षा विभाग) आय -व्ययक भी राजकीय प्रेस से प्रकाशित कराया जाता है इसमें दो वर्ष पहले की वास्तविक व्यय की धनराशि दी जाती है । भारत सरकार के प्रतिवेदनों में एजूकेशन इन इण्डिया प्रबन्धक भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित करायी जाती है जिसमें प्रायः 4-5 वर्ष की समय पश्चता (टाइम लैग) अवश्य लग जाती है, जो प्रायः उसके आंकड़े एकत्र करने, उन्हें समायोजित करने तथा मुद्रण में लगता है । प्रदेशों में शिक्षा के आंकड़े सम्बन्धित वर्षों के बाद ही उपलब्ध हो पाते हैं । अतएव इन सरकारी प्रतिवेदनों की वैधता एवं विश्वसनीयता स्वयं सिद्ध है ।

आंतरिक आलोचना :-

इसका उद्देश्य तथ्यों तथा प्रदत्तों की वैधता का मूल्यांकन करना है । जब यह सिद्ध हो जाये कि स्त्रोत वास्तविक है तब फिर हम उसकी विषय सामग्री की समालोचना कर यह पता लगाने का प्रयत्न करते हैं कि यह कितनी सही है । कभी-कभी स्त्रोत वास्तविक होते हुये भी उसमें लिखित सामग्री में कई अशुद्धियाँ हो सकती हैं । स्त्रोत की विषय वस्तु के विश्लेषण द्वारा उसकी यथार्थता के ज्ञात करने की प्रक्रिया को आन्तरिक आलोचना कहते हैं ।

एक लेखक ईमानदार, पक्षपातहीन व पर्याप्त सक्षम हो सकता है, किन्तु यह सम्भव है कि उसके लेखन का उद्देश्य किसी तथ्य को खंडित व मंडित करना रहा हो । यह भी हो सकता

है कि घटना के काफी समय बाद उसने उसका वर्णन किया हो, जिससे उसमें बहुत से तथ्यों का समावेश न हो सका हो । आलेख में विरोधी या असंगत कथन हो, शाब्दिक अर्थ वही न हो जो उसका वास्तविक अर्थ हो । इन सब त्रुटियों पर विचार कर पुष्ट सामग्री को ग्रहण करना होता है ।

जिन सरकारी रिपोर्टो का इस शोध में प्रयोग किया गया है, उसमें ऐसी असंगतियां बहुत कम हैं यदि कही आंकड़ों का योग गलत है या कुछ अंक ठीक से मुद्रित नहीं हुये हैं तो उनका समाधान दूसरे भाग के अंको या दूसरे वर्ष की रिपोर्टो से हो जाता है क्योंकि उसमें तुलना के लिये पिछले वर्ष के आंकड़े भी दिये रहते हैं । इस शोध में शोधकर्ता ने शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 इलाहाबाद से जिन आंकड़ों को प्राप्त किया है उनका मिलान भी सम्बन्धित ग्रन्थों और प्रतिवेदनों से कर लिया है । इस प्रकार जिन ग्रन्थों प्रतिवेदनों तथा रिपोर्टो से इस शोध में सामग्री ली गयी है, वह प्रमाणिक तथा वैध है । गौण स्त्रोतों का प्रयोग करते समय यह देख लिया गया है, कि उनमें वर्णित तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों आदि में विरोधाभाष नहीं है

शोध प्रबन्ध की योजना :-

इस शोध प्रबन्ध को सात अध्यायों में विभक्त किया गया है :-

प्रथम अध्याय में शोध समस्या का महत्व स्पष्ट करते हुये समस्या का परिभाषीकरण, परिसीमन, शोध के उद्देश्यों का निरूपण तथा शोधविधि का वर्णन किया गया है ।

द्वितीय अध्याय में समस्या से सम्बन्धित साहित्य का विधिवत विवेचन तथा भारत एवं उत्तर प्रदेश में की गयी शोधों की समीक्षा करते हुये प्रस्तुत शोध से उनकी तुलना की गयी है ।

तृतीय अध्याय में माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संगठनात्मक संरचना पर प्रकाश डाला गया है । इसके अन्तर्गत परिषद् के विभिन्न अनुभागों तथा समितियों के गठन एवं उनके कार्यों का वर्णन प्रस्तुत करते हुये परिषद् के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना एवं उनके कार्यक्षेत्र का वर्णन किया गया है

चतुर्थ अध्याय में परिषद् की प्रशासनिक व्यवस्था का विश्लेषण किया गया है । इसमें परिषद् तथा उसके विभिन्न अधिकारियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन किया गया है ।

पंचम अध्याय में परिषद् की वित्तीय-व्यवस्था का वर्णन किया गया है इसके अन्तर्गत परिषद् की स्थापना से वर्तमान तक विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय तथा उसके विभिन्न मदों पर किये गये व्यय का विश्लेषण स्वतन्त्रता के पूर्व तथा स्वतन्त्रता के पश्चात् अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है । इसमें परिषद् के व्यय की वर्तमान प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुये परिषद् की आय बढ़ाने के लिये विभिन्न उपाय सुझाये गये हैं ।

छठवें अध्याय में परिषद् द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं, उनके लिये निर्धारित पाठ्यक्रम, पात्रता तथा परीक्षा संचालन में सहायक विभिन्न क्षेत्रीय अधिकारी एवं उनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है । परिषदीय परीक्षाओं के परीक्षाफल का विशद विश्लेषण तथा विवेचन स्वतन्त्रता के पूर्व तथा स्वतन्त्रता के पश्चात् अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है ।

सातवें अध्याय में निष्कर्ष तथा सुझाव दिये गये हैं सम्पूर्ण अध्ययन में जो निष्कर्ष प्राप्त हुये हैं, उन्हें अध्यायों के क्रमानुसार संकलित किया गया है तथा उनके आधार पर परिषद् के संगठन, प्रशासन, वित्त-व्यवस्था तथा परीक्षा व्यवस्था को अधिक सक्षम, युक्तिपूर्ण तथा प्रभावोत्पादक बनाने हेतु सुझाव दिये गये हैं ।

अन्त में प्रस्तुत शोध की उपयोगिता तथा भावी शोध कार्य हेतु सुझावों पर भी प्रकाश डाला गया है ।

परिशिष्ट के अन्तर्गत संदर्भ ग्रन्थ सूची तथा संख्यात्मक एवं वित्तीय आंकड़े काल क्रमानुसार सारणी बनाकर संलग्न किये गये हैं ।

..——————..

द्वितीय अध्याय

समस्या से सम्बद्ध साहित्य

शोध विषय से सम्बन्धित ऐसा साहित्य जिसमें विषय के किसी पक्ष अथवा सम्पूर्ण विषय पर विचार व्यक्त किये गये हों, सम्बद्ध साहित्य कहलाता है ।

समस्या से सम्बन्धित सम्पूर्ण साहित्य का पुनरावलोकन अनुसंधान का प्राथमिक आधार है तथा अनुसंधान के गुणात्मक स्तर के निर्धारित में एक महत्वपूर्ण कारक है । सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के बिना अनसंधान कार्य करना श्रम तथा समय को नष्ट करना है ।

इसके सम्बन्ध में गुड, बार तथा स्केट्स[1] ने लिखा है -

"एक कुशल चिकित्सक के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रहे औषधि सम्बन्धी आधुनिकतम खोजों से परिचित रहे । इसी प्रकार शिक्षा के जिज्ञासु छात्र, अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा अनुसंधानकर्ता के लिये भी उस क्षेत्र से सम्बन्धित सूचनाओं एवं खोजों से परिचित होना आवश्यक है ।"

मानव ही एक ऐसा प्राणी है, जो इस संसार में आकर सभी कार्य नये सिरे से प्रारम्भ नहीं करता, वरन् वह अपने प्रत्येक कार्य सम्पादन में सदियों से संचित ज्ञान भंडार से लाभान्वित होता है । जैसा कि जॉन विलियम वेस्ट[2] ने लिखा है :-

"वास्तव में समस्त ज्ञान पुस्तकों व पुस्तकालयों में उपलब्ध हो सकता है । अन्य जीव धारियों से भिन्न, जो प्रत्येक नयी पीढ़ी के साथ पुनः-पुनः नये सिरे से कार्य प्रारम्भ करते हैं, मनुष्य अतीत के संचित एवं आलेखित ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का सृजन करता है ।"

सम्बन्धित साहित्य द्वारा अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या से सम्बन्धित किये गये पूर्व कार्यो का विस्तृत सर्वेक्षण करने का अवसर मिलता है, जिससे उसे सम्बन्धित क्षेत्र में नयी विज्ञप्ति उत्पन्न करने, निष्कर्षो को वैधत प्रदान करने, अनावश्यक पुनरावृत्ति का परिहार करने तथा तुलनात्मक ऑकड़े उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है । समस्या को परिभाषित तथा परिसीमन करने में मदद मिलती है । प्रदत्तों का विश्लेषण तथा व्याख्या करके निष्कर्षों तक पहुंचा जा सकता है । इन निष्कर्षों को सम्बन्धित अनुसंधानों के निष्कर्षो से तुलना की जा सकती है, जिससे उनकी प्रमाणिकता में वृद्धि हो जाती है । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सम्बन्धित साहित्य के आधार पर ही उस क्षेत्र में भविष्य में किये जाने वाले कार्य की नींव डाली जा सकती है ।

सम्बद्ध साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता तथा उपयोगिता :-

किसी भी शोध कार्य में समस्या से सम्बन्धित साहित्य के पुनरावलोकन का अत्यधिक महत्व है । इससे समस्या के सीमांकन तथा अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती

---

1. कार्टर बी0 गुड, ए0 एस0 बार एण्ड डी0 ई0 स्केट्स, "मेथडालॉजी ऑफ इजूकेशनल रिसर्च" न्यूयार्क आप्लिटन सेंच्युरी क्राफ्ट्स, 1941, पृष्ठ 165
2. जॉन डब्ल्यु0 बेस्ट, "रिसर्च इन एजूकेशन", नई दिल्ली : प्रिन्ट्रिस हाल ऑफ इण्डिया, 1977, पृष्ठ 3।

है । अनुसंधान के लिये सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करना, विभिन्न सिद्धान्तों तथा निहित धारणाओं को समझने में सहायता करना पुनरावलोकन का ही कार्य है । साहित्य के पुनरावलोकन के महत्व को स्पष्ट करते हुये कार्टर वी गुड[3] ने कहा है -

"मुद्रित साहित्य के अपार भण्डार की कुंजी अर्थपूर्ण समस्या और विश्लेषणीय परिकल्पना के स्त्रोत का द्वार खोल देती है तथा समस्या के परिभाषीकरण, अध्ययन विधि के चुनाव तथा प्राप्त सामग्री के तुलनात्मक विश्लेषण में सहायता करती है ।"

ब्रूस० डब्ल्यू० टक्मैन[4] ने पुनर्निरीक्षण के निम्न लिखित उद्देश्य बतलाये हैं-

1. महत्वपूर्ण चरों को खोजना
2. जो हो चुका है, उससे जो करने की आवश्यकता है, उसे प्रथक करना ।
3. शोध कार्य का स्वरूप बनाने के लिये प्राप्त अध्यनों का संकलन करना ।
4. समस्या का अर्थ, इसकी उपयुक्तता, समस्या से इसका सम्बन्ध और प्राप्त अध्ययनों में इसके अन्तर निर्धारित करना ।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति सम्बन्धित साहित्य के पुनरावलोकन से होती है अरी डोनाल्ड तथा अन्य[5] ने सम्बन्धित साहित्य की निम्न उपयोगिता बतलायी है -

1. सम्बन्धित शोध कार्य का ज्ञान शोधकर्ताओं को अपने क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित करने में समर्थ बनाता है ।
2. सम्बन्धित क्षेत्र में सिद्धांत का ज्ञान शोधकर्ता को अपने प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में समर्थ बनाता है ।
3. सम्बन्धित शोध द्वारा पूर्ण खोज विगत अध्ययनों के अंजान पुनरावृत्ति से वंचित रखता है ।
4. सम्बन्धित शोध के अध्ययन द्वारा शोधकर्ता को यह सीखने का अवसर प्राप्त होता है कि कौन सा उपकरण तथा कार्यविधि लाभदायक सिद्ध हुये हैं और कौन से कम आशाजनक ।
5. सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन शोधकर्ता को एक अच्छी स्थिति में रख देता है, जिससे वह स्वयं के परिणामों के महत्व को समझ सके ।

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के उद्देश्यों तथा उपयोगिता को ध्यानमें रखते हुये इस अध्याय में प्रस्तुत समस्या से सम्बन्धित ऐसे साहित्य का विशद विवेचन किया है, जो कि विभिन्न

---

3. कार्टर वी० गुड, [illegible] बार एण्ड डी० ई० स्केट्स, "पूर्व संदर्भित", पृष्ठ 165
4. ब्रूस० डब्ल्यू० ट[illegible], "कन्डक्टिंग एजूकेशनल रिसर्च" न्यूयार्क, हरकोर्ट ब्रेस जोनवोविच, 1972
5. अरी डोलेन्ड [illegible] अन्य, "इन्ट्रोडक्शन टु रिसर्च इन एजूकेशन" न्यूयार्क, होल्ट रिनेहार्ट एण्ड संस विन्स्टन 1978, पृष्ठ 58-59

माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ों से सम्बन्धित जितने भी शोध अध्ययन अभी तक हुये हैं, उनमें से अधिकांश-अध्ययनों का सम्बन्ध किसी न किसी रूप में परिषदीय परीक्षाओं से है । कुछ अध्ययन ही ऐसे हैं, जिनमें परिषद् के पाठ्यक्रम, प्रशासन तथा अन्य पहलुओं को शामिल किया गया है ।

परिषद्‌ों से सम्बन्धित उपरोक्त प्रकार के सभी शोध अध्ययनों को निम्न दो श्रेणियों में रखा जा सकता है ।

प्रथम श्रेणी में उन शोध अध्ययनों को रखा गया है, जिनका सम्बन्ध माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं (जिनके अन्तर्गत परीक्षा सुधार, मूल्यांकन पद्धति, परीक्षा प्रशासन, परीक्षाफल तथा उनका विवेचन आदि से सम्बन्धित शोध अध्ययन सम्मलित हैं ।) से है । इनमें प्रमुख हैं -

एस0 दत्त (1954), एस0 आर0 बोकिल (1956, 1958, 1959), एस0 बी0 अदावल ए0 कक्कर, एम0 अग्रवाल तथा बी0 एस0 गुप्ता (1961), एस0 आर0 बोकिल (1963), एम0 बी0 बुच (1963), डेम्से (1964), जी0 सी0 पी0 आई0 (1964), एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 (1965), आर0एच0 दवे एवं पी0 एम0 पटेल (1966), एन0आर0 शर्मा (1966), एम0वी0 देशपाण्डे (1972), एम0 जे0 मस्करेंहस् (1977), एम0 पी0 छाया (1978), वी0 जेड0 साली एवं वी0 टी0 उमाथे (1979), जी0 सी0 पी0आई0 (1981) के0 एम0 गोयल (1982), सी0 तिवारी (1982), एस0 एम0 गुप्ता तथा एल0 के0 वर्मा (1985) तथा जे0 सी0 दास (1987) ।

द्वितीय श्रेणी में उन शोध अध्ययनों को रखा गया है, जिनका सम्बन्ध परिषद्‌ों के पाठ्यक्रम, प्रशासन तथा वित्त आदि से है । इनमें प्रमुख हैं -

एस0 पी0 त्रिवेदी (1976), एम0 के0 दत्ता (1981), ओ0 एस0 देवाल (1982), जगदीश सिंह (1983) तथा बी0 बासु (1983) ।

उपरोक्त शोध अध्ययनों में कुछ अध्ययन पी-एच0 डी0 उपाधि स्तर के हैं जबकि अधिकांश अध्ययन पी-एच0 डी0 से भिन्न स्तर के हैं ।

प्रस्तुत शोध से सीधा सम्बन्ध रखने वाली कोई भी शोध सम्पन्न नहीं हुयी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ों से सम्बन्धित 12 पी-एच0 डी0 शोध प्रबन्धों तथा 7 अन्य प्रमुख शोध अध्ययनों का उल्लेख, जिनमें अध्ययन के उद्देश्य, उसमें अपनायी गयी शोध विधि एवं

उपकरण या स्त्रोत तथा उसके निष्कर्षों का संक्षिप्त वर्णन है, नीचे किया जा रहा है । अंत में इन अध्ययनों का समग्र विवेचन किया जायेगा तथा प्रस्तुत शोध से इनकी तुलना करके भिन्नता तथा समानता बतलाने का प्रयास किया जायेगा ।

इन शोध अध्ययनों का विवरण काल क्रमानुसार व्यवस्थित करके नीचे दिया जा रहा है -

पी-एच0 डी0 स्तर पर किये गये शोध-अध्ययन :-

दत्त (1954)[6] ने दिल्ली की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के भविष्य सूचक महत्व का अध्ययन किया ।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के भविष्य सूचक महत्व की खोज करने के साथ ही ऐसे सुधार प्रस्तावित करना है, जिससे ये परीक्षायें महाविद्यालयीय सफलता की कुछ और अच्छी भविष्यसूचक हो सकें ।

दूसरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उच्चतरमाध्यमिक परीक्षाओं के समय दिये गये आश्वासन डिग्रीस्तर पर किये गये प्रदर्शन द्वारा किस सीमा तक पूरे किये ।

इस अध्ययन के लिये सम्बन्धित कार्यालयों से विविध अभिलेखों के संकलन तथा छानबीन द्वारा उन छात्रों के नाम तथा अनुक्रमांक संकलित किये गये जो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के तुंरत बाद ही तीन वर्ष का संस्थागत अध्ययन कर डिग्री परीक्षाओं में बैठे । इस अध्ययन के विषयी 1642 वे छात्र थे, जिन्होंने अपनी उच्चतर माध्यमिक परीक्षा सन् 1944 से 1949 के बीच उत्तीर्ण की और 986 वे छात्र थे, जो इस अवधि में क्वालीफाइंग परीक्षा उत्तीर्ण कर तीन वर्ष तक कालेज में पढ़े और डिग्री परीक्षाओं में सम्मलित हुये । ये दोनों वर्ग परिणामों के विश्लेषण हेतु बनाये गये । उच्चतर माध्यमिक स्तर तथा डिग्रीस्तर की निष्पत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिये विषयवार प्राप्तांकों को एकत्र किया गया । इसके साथ ही साथ कक्षा श्रेणी तथा छात्रों की कालानुक्रमिक आयु आदि के आकड़े भी प्राप्त किये गये ।

एक दस पदों वाली प्रश्नावली बनाकर शिक्षकों को दी गयी ताकि वे छात्रों को पंच बिन्दु मापक पर श्रेणीगत कर सकें । इन पदों के अन्तर्गत मानसिक क्षमता, सतत् परिश्रम, स्वतंत्र कार्य करने तथा उत्तरदायित्व लेने की क्षमता, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, नोट्स अंकित करने में दक्षता तथा परीक्षा तैयारी की विधि आदि सम्मलित थे । पूर्णरूप से भरी हुयी 204 प्रश्नावलियाँ प्राप्त

---

6. एस0 दत्त, "प्रोगनास्टिक वैल्यु ऑफ हायर सेकेण्डरी एक्जामिनेशन ऑफ देलही
   पी-एच0 डी0 एजुकेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1954

हुयी । विश्लेषण के उद्देश्य से बहुत से चरों की संख्या के आधार पर भविष्यवाणी की प्रक्रिया के लिये रेखीय प्रतिगमन तथा द्विचर या बहुचर तकनीकी का प्रयोग किया गया ।

अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये -

1. विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में विषय विशेष या सम्पूर्ण योग में 45 प्रतिशत से कम प्राप्तांक पाने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर पर विषय चयन में अत्यधिक सतर्कता बरतनी चाहिये तथा उन्हें यह सलाह दी जानी चाहिये कि वे विद्यालयीय विषयों से मिलते जुलते विषयों का ही चयन करें । ऐसे छात्रों को विशेष अनुशिक्षण एवं निर्देशन की आवश्यकता है ।
2. यद्यपि विश्वविद्यालय ने प्रवेश हेतु कुछ सीमायें निश्चित कर रखी हैं फिर भी प्रत्येक मामले को मेरिट के आधार पर ही हल करना चाहिये ।
3. गणित, हिन्दी तथा संस्कृत के मामलों में प्रवेश के समय, चुने गये विषय के प्राप्तांक के साथ ही अंग्रेजी विषय के प्राप्तांकों को एक अतिरिक्त चयन कारक के रूप में प्रयोग में लाना चाहिये ।
4. विज्ञान के ऑनर्स डिग्री पाठ्यक्रम में चयन के लिये विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में विज्ञान विषय के प्राप्तांक को प्राथमिकता के आधार पर महत्व दिया जाय ।
5. यद्यपि वर्तमान अध्ययन आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्राप्तांकों के महत्व को डिग्री परीक्षाओं के अन्य विषयों की भविष्यात्मकता के संदर्भ में विशेषता प्रदान नहीं करता फिर भी हिन्दी तथा संस्कृत जैसे विषयों में ऑनर्स डिग्री पाठ्यक्रम हेतु विद्यार्थियों के चयन के लिये लाभदायक ढंग से प्रयुक्त किया जा सकता है ।
6. कालानुक्रमिक आयु भविष्यकथन की विधियों के लिये एक अतिरिक्त लाभदायक कारक है ।
7. यद्यपि विद्यालय स्तर पर अर्जित प्राप्तांक डिग्री परीक्षा में सफलता के संदर्भ में कोई भविष्य सूचना नहीं देते तथापि विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु, विशेष रूप से न्यूनतम सीमा के समीप छात्रों हेतु, विद्यालयस्तर के तीन वर्षों के प्राप्तांकों का औसत मुख्य मानक होना चाहिये ।
8. विद्यालय स्तर पर सामूहिक अध्यापकों द्वारा किया गया आकलन भविष्य कथन हेतु अति महत्वपूर्ण है ।
9. उच्चतरमाध्यमिक स्तर पर विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांकों के सूक्ष्म परीक्षण, उनके द्वारा चयनित विषय तथा डिग्रीस्तर के परीक्षा परिणाम आदि इंगित करते हैं कि विद्यालय तथा

महाविद्यालय स्तर पर निर्देशन सेवाओं की अति आवश्यकता है ।

देशपाण्डे (1972)[7] ने माध्यमिक शिक्षा परिषद्, विदर्भ की परीक्षा के बाह्य एवं आंतरिक अंकों की विश्वसनीयता का अध्ययन किया है ।

यह अध्ययन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया गया ।

1. उस तरीके का पता लगाना जिसमें सम्पूर्ण परीक्षा के परीक्षाफलों की विश्वसनीयता आंतरिक मूल्यांकन पद्धति के लागू करने से प्रभावित होती है ।
2. सांख्यकीय पद्धति से मूल्यांकन के इन दो रूपों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना ।
3. परीक्षा की सफलता के लिये और अधिक स्वीकार्य समन्वय उत्पन्न करने के लिये भिन्न-भिन्न मूल्यांकनों के एक साथ उपयोग की संभावना पर विचार करना ।

इस अध्ययन के भिन्न-भिन्न विद्यालयी विषयों में वस्तुनिष्ठ प्रकार के उपलब्धि परीक्षणों की रचना प्रत्येक विषय के लिये संयोग से चुने गये 600 छात्रों के अन्तिम न्यादर्श का प्रयोग करके की गई । इन परीक्षणों का उपयोग बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकनों में वस्तुनिष्ठता, तुलनात्मकता एवं स्थिरता की परीक्षा के लिये किया गया । बाह्य परीक्षा के अंकों, आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों, समयबद्ध परीक्षा के प्राप्तांकों तथा उपलब्धि परीक्षा के प्राप्तांकों के आँकड़ों के संग्रह हेतु 20 विद्यालयों का चुनाव विदर्भ संभाग से यादृच्छिक विधि से किया गया । तुलना के लिये सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग किया गया । बाह्य प्राप्तांक, आंतरिक प्राप्तांक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्राप्तांकों के मध्य परस्पर सहसम्बन्ध ज्ञात करने के लिये अलग-अलग विषयों के लिये माध्य, मानक विचलन, सहसम्बन्ध का गुणनखण्डीय विश्लेषण तथा आंशिक सहसम्बन्ध आदि की गणना की गई ।

इस अध्ययन से प्रमुख रूप से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुये -

1. बाह्यपरीक्षा के प्राप्तांकों और आंतरिक मूल्यांकन के बीच सह-सम्बन्ध, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्राप्तांकों और दोनों प्रकार की परम्परागत परीक्षाओं में से एक परीक्षा के बीच सह-सम्बन्ध की अपेक्षा स्थिर रूप से अधिक उच्च था ।
2. गणित, विज्ञान, भूगोल तथा मराठी में बाह्य मूल्यांकन तथा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में अधिक निकटता है। हिन्दी तथा अंग्रेजी में आंतरिक मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों के मूल्यांकन के अधिक नजदीक था ।

---

7. एम0 वी0 देशपाण्डे, " रिलायबिलिटी ऑफ एक्सटरनलएण्ड इन्टरनल मार्कस ऑफ विदर्भ बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन एक्जामिनेशन" पी-एच0 डी0 एजूकेशन, नागपुर विश्वविद्यालय-1972

3. एक ही विषय में बाह्य परीक्षा तथा आंतरिक मूल्यांकन के बीच सह–सम्बन्ध में एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में काफी भिन्नता थी ।

4. बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकनों के समन्वय प्राप्तांक से बाह्य प्राप्तांकों अथवा आंतरिक प्राप्तांकों पर इनके वस्तुनिष्ठ परीक्षण के सम्बन्ध में अलग-2 कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नजर नहीं आयी ।

5. हिन्दी, अंग्रेजी तथा गणित के मामलों में आंतरिक मूल्यांकन अधिक उदार था । आंतरिक मूल्यांकन तथा बाह्य परीक्षा के प्राप्तांकों के बीच काफी विचलन था ।

6. सामान्य विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन के मामले में, जहाँ पर कि मूल्यांकन पूर्णरूपेण विद्यालयों के हाथों में था, मूल्यांकन में अत्यधिक उदारता बरती गयी । गृह परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक से परे सामान्य विज्ञान में लगभग 98.29% तथा सामाजिक अध्ययन में लगभग 97.75% अंक दिये गये ।

7. बोर्ड परीक्षा के मामले में एक ही विषय में मूल्यांकन करने में आंतरिक परीक्षक द्वारा दिये गये अंकों में अत्यधिक विषमता थी । आश्चर्य की बात है कि गणित जैसे विषय में भी यही हुआ ।

8. तृतीय गृह परीक्षा तथा उसके बाद दूसरी गृह परीक्षाओं ने बाह्य परीक्षा के साथ निरन्तर उच्चतर सहसम्बन्ध प्रदर्शित किया ।

9. कोई भी छात्र बाह्य परीक्षाओं की ही तरह विद्यालय स्तर के आंतरिक मूल्यांकन में अन्तर पा सकता था । एक विषय विशेष में उसी मेरिट के लिये छात्र को विभिन्न विद्यालयों में अलग-अलग अंक प्राप्त करना संभव था ।

10. प्रत्येक विषय के लिये बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन की तुलना करने पर यह स्पष्ट हुआ कि आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम अंक गणित तथा मराठी को छोड़कर बाह्य मूल्यांकन के न्यूनतम अंकों से कहीं ज्यादा रहे ।

11. वस्तुनिष्ठ परीक्षणों, आंतरिक परीक्षा तथा आवधिक परीक्षा के लिये सह–सम्बन्ध मेट्रिक्स के गुणनखण्डीय विश्लेषण ने एक ऐसा संकेत दिया (मराठी तथा गणित दोनों में) कि छात्र उन परीक्षाओं की ओर अग्रसर हुये, जिनके परीक्षा परिणाम उनके लिये कुछ व्यवहारिक महत्व के थे ।

त्रिवेदी (1976)[8] ने भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्ों का अध्ययन उनकी मूल्यांकन पद्धति के विशेष संदर्भ में किया है ।

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य थे -

1. एक ऐसी आदर्श संस्था की रूपरेखा तैयार करना जो देश की माध्यमिक शिक्षा पर नियंत्रण रखे तथा फाइनल परीक्षाओं की योजना तैयार करे ।
2. पाठ्यक्रम पर वैज्ञानिक ढंग से तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों के विभाजन के ऐसे व्यवहारिक तरीकों को निश्चित करना जो समाज की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करें।
3. माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन प्रणाली तथा इसके गुण एवं दोष का अध्ययन करना तथा एक वस्तुनिष्ठ एवं वैध मूल्यांकन प्रणालीकी स्थापना करना ।

अध्ययनकर्ता ने उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रश्नावलियों, साक्षात्कारों तथा विभिन्न परिषद्ों में स्वयं जाकर आँकड़ों को एकत्रित किया । इसके उपरान्त आँकड़ों का परिमाणात्मक तथा गुणात्मक आधार पर विश्लेषण किया ।

निष्कर्ष के तौर पर यह पाया गया कि प्रत्येक परिषद् ने एक उद्देश्य विशेष पर जोर दिया जिसके कारण एक परिषद यदि एक क्षेत्र में सफल हुयी तो दूसरी किसी दूसरे क्षेत्र में । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् की जिम्मेदारियाँ उसके दिल्ली में अवस्थित होने के कारण अन्य माध्यमिक शिक्षा परिषद्ों से भिन्न हैं । यह परिषद् भिन्न-भिन्न ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये योजना बनाती है जो उस क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें । संस्थायें अपने छात्रों को मार्च अथवा नवम्बर की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने के लिये स्वतंत्र हैं । दिल्ली की आई0 एस0 सी0 परीक्षा के परीक्षाफल परिषद् की परीक्षा प्रणाली अधिक वैज्ञानिक होने के कारण अधिक विश्वसनीय होते हैं । इसमें पहले नौ बिन्दु स्केल पर लेटरग्रेड प्रदान किये जाते हैं, जिन्हें पुन: श्रेणी निर्धारण के लिये संख्या ग्रेड में बदल दिया जाता है ।

बिहार में परिषद् के परीक्षा केन्द्रों की संख्या सीमित है तथा उनका परीक्षा में अनुचित साधन के प्रयोग पर कड़ा नियंत्रण हैं । एक विषय अथवा एक प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक ही केन्द्र में किये जाने के कारण परीक्षा की वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता में वृद्धि होती हैं ।

---

8. एस0 पी0 त्रिवेदी, "ए स्टडी ऑफ इण्डियन सेकेण्डरी एजूकेशन बोर्ड्स विद् स्पेशल रिफरेन्स टु देयर इवेल्युएशन सिस्टम", पी-एच0 डी0 एजूकेशन, ए0 पी0 एस0 यु0 - 1976

मध्य प्रदेश की परीक्षा परिषद् ने परीक्षण के पदों तथा प्रश्नपत्रों को निर्मित करने के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था की है । इसी प्रकार कुछ दूसरीं अन्य परिषदें भी मूल्यांकन पद्धति को और अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर रहीं हैं ।

मस्करेंहस (1977)[9] ने उच्चस्तरीय अंग्रेजी तथा भूगोल (विशेष भूगोल तथा सामाजिक अध्ययन में भूगोल) में बनाये गये प्रश्नपत्रों के विशेष संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, महाराष्ट्र राज्य द्वारा प्रारम्भ किये गये परीक्षा सुधारों का समालोचनात्मक सर्वेक्षण पर अनुसंधान किया ।

अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य थे -

1. महाराष्ट्र स्टेट माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रारम्भ किये गये परीक्षा सुधारों का सर्वेक्षण करना ।
2. उच्चतर स्तर की अंग्रेजी और भूगोल में उनकी शक्ति एवं शक्तिहीनता देखने के उद्देश्य से प्रश्नपत्रों का विश्लेषण करना ।

शोध में जिन उपकरणों एवं प्राविधियों का प्रयोग किया गया उनमें प्रश्नावलियाँ, विचार-विमर्श, साक्षात्कार और प्रश्नपत्रों एवं उत्तरपुस्तिकाओं की संन्निरीक्षा प्रमुख हैं । आँकड़ों का संकलन महाराष्ट्र के प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्यों, उच्च स्तर के अंग्रेजी व भूगोल के अध्यापकों, महाराष्ट्र, गुजरात एवं आंध्र प्रदेश के एस0 एस0 सी0 ई0 परिषदों के अधिकारियों तथा आंध्रप्रदेश के स्टेट इन्सटीट्यूट ऑफ एजूकेशन के अधिकारियों से किये गये । संनिरीक्षा किये गये प्रश्नपत्रों के न्यादर्श में उच्चस्तर की अंग्रेजी तथा भूगोल के लिये 10 प्रश्नपत्र और सामाजिक अध्ययन के लिये 5 प्रश्नपत्र थे । इसके अतिरिक्त उच्च अंग्रेजी में 510 उत्तर पुस्तिकाओं तथा भूगोल में 454 उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन किया गया ।

इस अनुसंधान की मुख्य उपलब्धियां निम्न थी -

1. सन् 1963 और 1965 के मध्य महाराष्ट्र में 6 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिन्होंने प्रश्नपत्र निर्माताओं, परीक्षकों तथा परिमार्जकों के मध्य मूल्यांकन प्रस्ताव प्रसारित करने में सहायता की । सन् 1965 के बाद ये विचार संभागीय परिषदों द्वारा निर्मित प्रश्नपत्रों में स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आये ।
2. सन् 1966 के पूर्व एस0 एस0 एल0 सी0 परीक्षा में औसत उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग 30 था, यह सन् 1966 से 1975 के बीच बढ़कर 42 हो गया । सन् 1975 के बाद नये पाठ्यक्रम

---

9. एम0 जे0 मस्करेंहस, "ए क्रिटिकल सर्वे ऑफ एक्जामिनेशन रिफॉर्मस् अन्डरटेकन बाई दि महाराष्ट्र स्टेट स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन विद् स्पेशल रिफेरेन्स टु दि क्युश्चन् पेपर्स सेट इन हायर लेविल इग्लिंश एण्ड इन ज्योगरफी (स्पेशनल ज्योगरफीएण्ड ज्योगरफी इन सोशल स्टडीज)" पी-एच0डी0 एजूकेशन, पूना विश्वविद्यालय - 1977

की चार परीक्षाओं में उत्तीर्ण प्रतिशत 40 एवं 50 के मध्य रहा, जिसमें अक्टूबर 1976 की परीक्षा अपवाद रही इसमें उत्तीर्ण प्रतिशत गिरकर 15 रह गया ।

3. पुराने तथा नये कोर्स में उच्चस्तर की अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ । आर्थिक भूगोल में कतिपय तथ्यों एवं आँकड़ों को सम्मलित कर देने से भूगोल में कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ । भूगोल का पाठ्यक्रम छात्रों की स्मृति को थका देने वाली तथ्यात्मक सूचनाओं से भरा हुआ था ।
4. अंग्रेजी और भूगोल में गत 10 वर्षों के प्रश्नपत्रों की संन्निरीक्षा ने प्रयोग एवं रूचि का परीक्षण करने वाले केवल कुछ पदों के साथ ज्ञानपक्षों के प्रभुत्व को उद्धृत् किया । कठिनाई स्तर अपरिवर्तित रहा । भूगोल में अधिकांश प्रश्न उसी प्रकार के थे । एक बड़ी संख्या में वस्तुनिष्ठ प्रकार के पदों का निर्माण किया गया । फिर भी ऐसा प्रतीत होता था कि प्रश्नपत्र का निर्माण औसत स्तर से नीचे वाले छात्रों के लिये ही किया गया है ।
5. अंग्रेजी में स्तर पर्याप्त नहीं था । कुछ विद्यार्थी विवेकशील होने, परिणाम निकालने तथा निष्कर्ष पर पहुँचने की योग्यता दर्शाते थे । लगभग सभी प्रश्नों में प्रयोग की अपेक्षा स्मृति की ही आवश्यकता थी ।
6. केवल संज्ञान सम्बन्धी क्षेत्र का ही परीक्षण किया जा रहा था ।
7. आन्तिरिक मूल्यांकन के लिये कोई विस्तृत योजना नहीं थी ।

— छाया (1978)[10] ने (अ) केन्द्रीय विद्यालयों (ब) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पब्लिक विद्यालयों (स) बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास के शिक्षा की आई0 एस0 सी0 परिषद् के विद्यालयों के कक्षा 8 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों की भौतिक विज्ञान में उपलब्धि पर अपना शोध प्रबन्ध बम्बई विश्वविद्यालय में सन् 1978 में प्रस्तुत किया ।

शोध के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे -

1. तीन व्यवस्थाओं के विद्यालयों के कक्षा 8 एवं कक्षा 10 के लिये शैक्षिक कार्यक्रमों में भौतिक विज्ञान की विषय वस्तु का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना ।
2. कक्षा 8 तथा कक्षा 10 के लिये भौतिक विज्ञान के उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करना तथा उसे स्तरानुकूल बनाना ।

---

10. एम0 पी0 छाया, "एचीवमेंट इन फिजिक्स ऑफ दि स्टूडेन्ट्स ऑफ क्लास 8 एण्ड 10 ऑफ (I) दि सेन्ट्रल स्कूल (II) पब्लिक स्कूल ऑफ सेट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन (III) स्कूल ऑफ दि काउन्सिल ऑफ इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट ऑफ एजूकेशन ऑफ बाम्बे, देल्ही, केलकटा एण्ड मद्रास"
पी-एच0 डी0 एजूकेशन, बम्बई विश्वविद्यालय, 1978

3. तीन व्यवस्थाओं के विद्यालयों के भौतिक विज्ञान में बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना ।

न्यादर्श के रूप में चार महान नगरों बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में स्थित तीन व्यवस्थाओं के सभी विद्यालयों केकक्षा 8 एवं कक्षा 10 के 1200 छात्रों का चुनाव यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया । इसमें इसी शोध के उद्देश्य से बनाये गये प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया गया । कक्षा 8 तथा कक्षा 10 के परीक्षणों का विश्वसनीयता गुणांक क्रमशः 0.903 तथा 0.897 था । विभिन्न समूहों के बीच विभिन्नताओं के अध्ययन के लिये 'टी-परीक्षण' का उपयोग किया गया ।

शोध से निम्न-लिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुये -

1. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध पब्लिक स्कूलों तथा केन्द्रीय विद्यालयों के कक्षा 8 तथा कक्षा 10 के छात्रों की भौतिक विज्ञान में औसत उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं था ।
2. केन्द्रीय विद्यालयों के कक्षा 8 तथा कक्षा 10 के छात्रों की भौतिक विज्ञान में औसत उपलब्धि आई0 एस0 सी0 परीक्षा की काउन्सिल से सम्बद्ध विद्यालयों के छात्रों से अधिक थी । दोनों के मध्य 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर था ।
3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध पब्लिक स्कूलों के कक्षा 8 तथा कक्षा 10 के छात्रों की भौतिक विज्ञान में औसत उपलब्धि आई0 एस0 सी0 परीक्षा की काउन्सिल से सम्बद्ध विद्यालयों के छात्रों की अपेक्षा बहुत अधिक थी ।

दत्ता (1981)[11] ने पश्चिम बंगाल की माध्यमिक शिक्षा परिषद् का अध्ययन किया ।

उनके अध्ययन का लक्ष्य पश्चिम बंगाल की माध्यमिक शिक्षा परिषद् के उद्गम से लेकर अद्यावधि तक उसके विकास का गहराई के साथ विश्लेषण करना था । विशिष्टतः इस अध्ययन के निम्न उद्देश्य थे -

1. परिषद् के ऐतिहासिक क्रम विकास की खोज करना ।
2. परिषद् की संवैधानिक स्थिति तथा उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का परीक्षण करना ।
3. शासकीय, न्यायिक तथा वित्तीय नियंत्रण की समस्याओं का मूल्यांकन करना । और
4. पाठ्यक्रम तथा परीक्षा व्यवस्था का अध्ययन करना ।

---

11. एम0 के0 दत्ता "दि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन" पी-एच0 डी0 राजनीति विज्ञान, रवीन्द्र भारतीय विश्वविद्यालय-1981

इस अध्ययन हेतु सामग्री का संकलन प्राथमिक स्त्रोतों जैसे-विभिन्न राजकीय दस्तावेजों, सरकारी अधिकारियों से पत्राचार, न्यायिक कार्यवाहियों के विवरणों एवं शासकीय रिपोर्टो से तथा द्वितीयक स्त्रोतों जैसे - माध्यमिक शिक्षा के जनरल्स एवं भारत एवं विदेशों के माध्यमिक शिक्षा पर मानक प्रकाशनों से किया गया । परिषद् के सेवानिवृत्त अधिकारियों से साक्षात्कार किया गया तथा माध्यमिक शिक्षा से किसी भी प्रकार से सम्बन्धित लोगों पर प्रश्नावली प्रशासित की गयी यह अध्ययन ऐतिहासिक विधि द्वारा सम्पन्न किया गया है, जो यदा–कदा सांख्यिकीय सारणियों के साथ वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक भाषा में लिखा गया है । शोध का स्थान कलकत्ता शहर था ।

अध्ययन से निम्न महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुये :-

1. यद्यपि माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना का विचार सन् 1902 में बहस का मुद्दा बना लेकिन माध्यमिक शिक्षा की विशिष्ट तथा उचित पहचान देने हेतु इसका सृजन सन् 1951 में हो सका ।
2. प्रारम्भ से ही परिषद् प्रयोगों पर ही कार्य करता रहा, जो पूर्णरूपेण अनिश्चितता पैदा करते रहे हैं ।
3. बोर्ड का नियंत्रण नौकरशाह व्यवस्था के नियंत्रण में है तथा उसके अधिकांश सदस्य नामित होते हैं, जो माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं तथा विशिष्टताओं से अनभिज्ञ होते हैं ।
4. प्रबन्ध समिति के निर्णय, कार्यविधि तथा उसकी अवधि के सम्बन्ध में राजनैतिक हस्तक्षेप के विरोध हेतु कोई उचित तंत्र नही है ।
5. सन् 1974 में अनावश्यक जल्दबाजी तथा बिना तैयारी के बालकों की आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा सामाजिक आवश्यकताओं को महत्व दिये बिना संरचना, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा पद्धति का संशोधन कर दिया गया ।
6. शिक्षा की वास्तविक कार्यप्रणाली तथा उसके अन्तः संगठन के क्रियात्मक पक्ष के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम नहीं उठाये गये हैं ।
7. परिषद् में पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सुधार की एक इकाई स्थापित है ।
8. नियंत्रण रखने वाले तंत्र को सुधारने के लिये अन्य परितर्वन किये जाने चाहिये, अपीलाविभाग का पुनर्गठन तथा गड़बड़ियों एवं भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिये ।

9. जनतंत्रीय ढांचे पर आधारित कार्यप्रणाली के निश्चयन की दिशा में पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा परिषद् (संशोधन) बिल, 1979 एक उचित कदम था ।

10. इसके पूर्व परिषद् की नीतियाँ तथा कार्यपद्धति समाजवादी समाज के अनुरूप नहीं थीं, जैसा कि भारत अपेक्षा करता है ।

गोयल (1982)[12] ने माध्यमिक शिक्षा परिषद् राजस्थान तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विज्ञान पाठ्यक्रम का तुलनात्मक अध्ययन किया है ।

अध्ययन के उद्देश्य निम्न थे :-

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, राजस्थान तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के माध्यमिक विद्यालयों के विज्ञान पाठ्यक्रम का विभिन्न वर्गों के छात्रों तथा अध्यापकों के मध्य विज्ञान की प्रकृति की समझ का मापन, विज्ञान एवं वैज्ञानिकों के बारे में अभिवृत्ति का मापन, विज्ञान के सामाजिक पक्ष के सम्बन्ध में ज्ञान का आकलन तथा विज्ञान शिक्षण के सम्बन्ध में अभिवृत्ति का आकलन करना ।

2. ऊपर वर्णित चरों के परिप्रेक्ष्य में दोनों परिषदों के पाठ्यक्रम की तुलना करना ।

3. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, राजस्थान तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का सैद्धान्तिक अध्ययन करना ।

अध्ययन के लिये न्यादर्श के तौर पर 500 विज्ञान छात्र, 200 अविज्ञान छात्र तथा 100 विज्ञान अध्यापकों का चयन किया । उपरोक्त न्यादर्श में आधे विज्ञान छात्र, आधे अविज्ञान छात्र तथा आधे विज्ञान अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परिषद्, राजस्थान के थे तथा शेष आधे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के थे । न्यादर्श में लिये गये छात्र दोनों परिषदों के 11 वीं स्तर के थे । न्यादर्श विषयी की उपलब्धि का निम्न पर परीक्षण किया गया -

(अ) विज्ञान की प्रकृति,

(ब) विज्ञान तथा वैज्ञानिकों के प्रति अभिवृत्ति,

(स) विज्ञान का सामाजिक पहलू तथा

(द) विज्ञान शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति ।

अध्ययन में उपरोक्त उद्देश्यों के लिये निम्न लिखित उपकरणों का प्रयोग किया गया -

---

12. के0 एम0 गोयल : "ए0 कम्परेटिव स्टडी ऑफ सम्मेटिव इवेल्युएशन ऑफ साइंस करीकुलम : बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन राजस्थान एण्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन" पी-एच0 डी0 एजुकेशन, , राजस्थान विश्वविद्यालय - 1982

1. किम्बल विज्ञान प्रकृति मापनी (1967)- इस मापनी की भारतीय पद्धति में अर्द्ध-विच्छेद विश्वसनीयता 0.76 थी । इसमें तीन बिन्दु पैमाने से अंक प्राप्त किये गये ।
2. द सूद एट्टीट्यूड टुवर्ड साइंस एण्ड साइंसटिस्ट (1975)- इस उपकरण में निम्न चार क्षेत्र थे- (क) विज्ञान की प्रकृति (ख) वैज्ञानिक (ग) वैज्ञानिक कार्य और (घ) विज्ञान तथा समाज। मापनी की अर्द्ध-विच्छेद विश्वसनीयता 0.76 थी तथा यह मापनी विज्ञान समझ परीक्षण की दृष्टि से वैध थी, इसका वैधता गुणाँक 0.98 था । इस मापनी में पूर्ण सहमत तथा पूर्ण असहमत के बीच पाँच बिन्दु पैमाने पर अंक प्राप्त किये गये ।
3. गोयल तथा सूद की विज्ञान शिक्षण अभिवृत्ति मापनी (1978)- इस मापिनी में 22 पद 4 क्षेत्रों में निरूपित थे-भाषण विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि तथा खोज विधि । मापनी की अर्द्ध-विच्छेद विश्वसनीयता 0.76 थी । विज्ञान प्रकृति मापनी परीक्षण की दृष्टि से इस मापनी का वैधता गुणाँक 0.36 था ।
4. विज्ञान के सामाजिक पक्ष की जानकारी के मापन के लिये "विज्ञान का सामजिक पक्ष मापनी" विकसित की गयी । मापनी में 30 पद निम्न चार क्षेत्रों से सम्बद्ध थे (अ) विज्ञान, समाज और राजनीति (ब) विज्ञान सामाजिक वरदान के रूप में, (स) विज्ञान सामाजिक अभिशाप के रूप में तथा (द) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं समाज । मापनी की अर्द्धविच्छेद विश्वसनीयता 0.76 थी । विज्ञान अभिवृत्ति परीक्षण की दृष्टि से मापनी वैध थी, इसका वैधता गुणाँक 0.21 था ।

अध्ययन से निम्न लिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये -

1. विज्ञान की प्रकृति की जानकारी से सम्बन्धित प्राप्तांकों की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि विज्ञान की प्रकृति की समझ के सम्बन्ध में निम्नलिखित के मध्य सार्थक अन्तर नहीं था-
   (अ) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, राजस्थान के विज्ञानपरक छात्रों तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विज्ञान परक छात्रों के मध्य ।
   (ब) दोनों परिषदों के अविज्ञान परक छात्रों के मध्य ।
   (स) दोनों परिषदों के विज्ञान अध्यापकों के मध्य ।
   (द) दोनो परिषदों के विज्ञान परक तथा अविज्ञान परक छात्रों के मध्य ।
   (य) दोनों परिषदों के विज्ञान परक छात्रों तथा विज्ञान अध्यापकों के मध्य ।

2. विज्ञान तथा वैज्ञानिकों के बारे में अभिवृत्ति के मापन से सम्बन्धित प्राप्तांकों के आधार पर जब समूहों की तुलना की गयी तो ज्ञात हुआ कि निम्न के मध्य सार्थक अन्तर था ।

   (अ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विज्ञानपरक छात्रों तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, राजस्थान के विज्ञान परक छात्रों के मध्य ।

   (ब) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अविज्ञानपरक छात्रों तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, राजस्थान के अविज्ञानपरक छात्रों के मध्य ।

3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विज्ञान अध्यापकों तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, राजस्थान के विज्ञान अध्यापकों के मध्य विज्ञान तथा वैज्ञानिकों के बारे में अभिवृत्ति के सम्बन्ध में सार्थक अन्तर नहीं था ।

4. विभिन्न समूहों के मध्य "विज्ञान का सामाजिक पक्ष" के सम्बन्ध में समझ का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि -

   (अ) दोनों परिषद्ों के विज्ञान परक छात्रों के मध्य सार्थक अन्तर था ।

   (ब) दोनों परिषद्ों के अविज्ञान परक छात्रों के मध्य सार्थक अन्तर नहीं था ।

   (स) दोनों परिषद्ों के अध्यापकों के मध्य सार्थक अन्तर नहीं था ।

   (द) कुल विज्ञानपरक छात्रों तथा कुल अविज्ञानपरक छात्रों के मध्य सार्थक अन्तर नहीं था ।

   (य) विज्ञानपरक छात्रों तथा विज्ञान अध्यापकों के मध्य भी सार्थक अन्तर नहीं था ।

5. विभिन्न समूहों के मध्य विज्ञान शिक्षण की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि -

   (अ) दोनों परिषद्ों के विज्ञानपरक छात्रों के मध्य सार्थक अन्तर था ।

   (ब) दोनों परिषद्ों के अविज्ञान परक छात्रों के मध्य सार्थक अन्तर नहीं था ।

   (स) दोनों परिषद्ों के विज्ञान अध्यापकों के मध्य सार्थक अन्तर नहीं था ।

   (द) कुल विज्ञानपरक छात्रों तथा कुल अविज्ञान परक छात्रों के मध्य सार्थक अन्तर था ।

   (य) कुल विज्ञान परक छात्रों तथा कुल अध्यापकों के मध्य सार्थक अन्तर नहीं था ।

यह अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माताओं तथा अध्यापकों दोनों के लिये उपयोगी है । समाज पर पड़ने वाले ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता है । द्रुतगामी प्रौद्योगिक विकास से उत्पन्न हुयी सामाजिक आवश्यकताओं

की माँगों को दोनों परिषद्रों के विज्ञान पाठ्यक्रम में सम्मलित किया जाना चाहिये । कुल मिलाकर अनुसंधानकर्ताओं को एक ऐसे उपकरण को विकसित करने की आवश्यकता है जो पाठ्यक्रम की विषयवस्तु की साधारण जाँच करने के बजाय विज्ञान पाठ्यक्रम का उचित ढ़ंग से मूल्यांकन कर सके ।

तिवारी(1982)[13] ने विभिन्न माध्यमिक शिक्षा परिषद्रों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नागरिक-शास्त्र में उपलब्धि मापन की प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है ।

अध्ययन के उद्देश्य थे -

1. विभिन्न माध्यमिक शिक्षा परिषद्रों में मूल्यांकन की दृष्टि से नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्यों की तुलना करना ।
2. नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम की तुलना करना ।
3. नागरिक शास्त्र के प्रश्नपत्रों की विभेदक क्षमता और कठिनाई स्तरों की तुलना करना ।
4. विभिन्न माध्यमिक शिक्षा परिषद्रों के नागरिक शास्त्र के प्रश्नपत्रों की विश्वसनीयता एवं वैधता की तुलना करना ।

अध्ययन के लिये कुल पाँच माध्यमिक शिक्षा परिषद्रों का चयन किया गया । ये थीं - राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, दिल्ली माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा हरियाणा माध्यमिक शिक्षा परिषद् । इन परिषद्रों के कक्षा 11 के भाग-ए एवं भाग-बी के लिये पिछले पाँच वर्षों (1973-77) के नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम एवं प्रश्नपत्रों को न्यादर्श के लिये चुना गया । इसके अलावा प्रत्येक परिषद् से 300-300 ऐसे छात्रों को भी न्यादर्श के लिये चुना गया, जिन्होंने इन परिषद्रों द्वारा ली गयी परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी प्राप्त की । इस प्रकार कुल 1500 ऐसे छात्रों, जो इन परिषद्रों द्वारा आयोजित नागरिक शास्त्र की परीक्षा में सम्मलित हुये, की उत्तर पुस्तिकाओं को विश्लेषण के लिये लिया गया । इनको ज्ञान, बोध तथा अनुप्रयोग के ज्ञान क्षेत्र के संदर्भ में 'चेक-लिस्ट" द्वारा विश्लेषित किया गया ।

अध्ययन से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुये -

1. पाँच वर्षों के प्रश्नपत्रों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि अधिकतर प्रश्न बोध-स्तर की अपेक्षा ज्ञान-स्तर के थे । राजस्थान तथा दिल्ली बोर्डों में प्रथम वर्ष बोधस्तर की अपेक्षा ज्ञान-स्तर के

---

13. सी०तिवारी "ए कम्परेटिव स्टडी ऑफ ट्रेन्ड्स ऑफ एचीवमेंट मीजरमेंट इन सिविक्स इन हायर सेकेण्डरी इन डिफरेन्ट बोर्ड्स ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन "
पी-एच0 डी0 एजुकेशन, राजस्थान विश्वविद्यालय- 1982

प्रश्न अधिक थे, लेकिन बाद के वर्षों में बोध स्तर के प्रश्नों में वृद्धि हुयी । लेकिन मध्य प्रदेश बोर्ड में ज्ञान-स्तर के प्रश्नों की अपेक्षा बोध-स्तर के प्रश्न अधिक थे । हरियाणा बोर्ड में ज्ञान-स्तर के प्रश्नों तथा बोध-स्तर के प्रश्नों में संतुलन था, यही स्थिति केन्द्रीय बोर्ड में थी । लेकिन अनुप्रयोग स्तर के प्रश्न इन पाँचों बोर्डों में नहीं थे ।

2. प्रश्नपत्रों में पाठ्यक्रम के विभिन्न अध्यायों के प्रतिनिधित्व के विषय में यह पाया गया कि पाँचों परिषदों के पाठ्यक्रम में जिन इकाईयों को निर्धारित किया गया, उनको प्रश्नपत्रों में पूर्ण प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया । राजस्थान बोर्ड में 52% प्रतिनिधित्व था, दिल्ली बोर्ड में यह 64% तथा अन्य बोर्डों में 50% से कम था । यही स्थिति पाठ्यक्रम के द्वितीय प्रश्नपत्र की थी, विभिन्न बोर्डों में प्रतिनिधित्व 38% से 71% के मध्य था ।
3. माध्यमिक शिक्षा परिषदों के लगभग सभी प्रश्नपत्रों की विभेद क्षमता निम्न स्तर की थी । ये प्रश्नपत्र विशेष योग्यता स्तर एवं उच्च स्तर में अन्तर स्पष्ट करने के लिये अनुपयुक्त थे सभी प्रश्नपत्रों छात्रों के सफलता स्तर के अन्तर को 33 प्रतिशत तक ही निकाल पाये ।
4. पाँचों बोर्डों के प्रश्नपत्रों का आंतरिक विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि विभिन्न बोर्डों के प्रश्नों के कठिनाई स्तर में सार्थक अन्तर था । विभिन्न बोर्डों के प्रश्नपत्रों में कुछ ही ऐसे प्रश्न थे, जिनका कठिनाई स्तर 50 प्रतिशत था ।
5. इन सभी बोर्डों का आदर्श प्राप्तांक प्रतिशत (आइडियल स्कोर परसेंटेज) भी भिन्न-भिन्न था यह राजस्थान बोर्ड में 82.31 प्रतिशत, केन्द्रीय बोर्ड में 96 प्रतिशत, दिल्ली बोर्ड में 95 प्रतिशत, मध्य प्रदेश बोर्ड में 87 प्रतिशत तथा हरियाणा बोर्ड में 100 प्रतिशत था ।
6. इन बोर्डों के प्रश्नपत्रों का विश्वसनीयता गुणाँक भी भिन्न-भिन्न था । यह राजस्थान बोर्ड में 0.75, केन्द्रीय बोर्ड में 0.88, दिल्ली बोर्ड में 0.75, मध्य प्रदेश बोर्ड में 0.46 तथा हरियाणा बोर्ड में 0.52 था ।
7. प्रश्नपत्रों की त्रुटि प्रसरण विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि विभिन्न बोर्डों की वर्गीकरण पद्धति में सार्थक अन्तर था । इस कारण विभिन्न वर्गों में आये विभिन्न बोर्डों के छात्रों की उपलब्धि समान नहीं रही।
8. इन बोर्डों का प्रभेद स्तर भी भिन्न-भिन्न था ।

बासु(1983)[14] ने हाईस्कूल स्तर के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित किये गये पाठ्यक्रम

---

14. बी0 बासु "करीकुला प्रेस्क्राइब्ड बाई दि बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन फॉर दि हाईस्कूल लेविल, एन एनॅलिसिस इन रिलेशन टु दि प्रोमोशन ऑफ नेशनल इन्टेगरेशन" पी-एच0 डी0 एजुकेशन, ओसमानिया विश्वविद्यालय-1983

का राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के सम्बन्ध में विश्लेषण का अध्ययन किया ।

अध्ययन का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना था । इसके लिये निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया -

1. जब राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक गुणवत्ता एवं स्तर को नियंत्रित रखा जाये तब विभिन्न माध्यमिक शिक्षा परिषदें भी राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य को पाठ्यक्रम निर्माण में महत्व प्रदान करेंगीं ।
2. जब अध्यापक शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का विचार रखेंगे तो निश्चय ही इसका प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ेगा ।
3. जब विद्यालय राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के लिये एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में कार्य करेंगे तो विद्यार्थी भी समान उपलब्धि हासिल करेंगे ।
4. यदि विद्यमान प्रशासनिक सुविधायें शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रभाव रखती हैं तो विभिन्न प्रबन्धतंत्रों के अधीन विद्यालयों की राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के उद्देश्य की प्राप्ति में अन्तर होगा ।
5. यदि एकता की भावना के प्रोत्साहन में सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का कोई प्रभाव पड़ता है तब ग्रामीण तथा शहरी विद्यालयों के लक्ष्य प्राप्त करने में असंगति होगी ।
6. जब सभी विद्यालयों में सर्वमान्य पाठ्यक्रम अनिवार्यरूप से दिया जाय, लेकिन विभिन्न विद्यालयों में इसके परिपालन में भिन्नता हो तब विद्यार्थियों को प्रभावशाली-स्तर की अपेक्षा संज्ञान-स्तर पर भावनात्मक एकता की उपलब्धि प्राप्त होगी ।

अध्ययन के लिये जो न्यादर्श लिया गया, उसमें 100 उत्कृष्ट शिक्षा-विद, 20 न्यायकर्ता पाठ्यक्रम की जाँच के लिये, विद्यालयों के 100 अध्यापक तथा 100 छात्र रखे गये ।

अध्ययन में निम्न उपकरण प्रयुक्त किये गये -

(क) शिक्षाविदों के लिये एक 'विचारमाला'- इसमें ज्ञान, समझ तथा उद्देश्यों के प्रयोग सम्बन्धी पद थे । संज्ञानात्मक-स्तर के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को जाँचने के लिये यह विचारमाला तीन बिन्दु मापनी थी ।

(ख) पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय एकता के तत्वों के बारे में न्याय के विचार जानने के लिये 'पाठ्यक्रम विश्लेषण अनुसूची' का प्रयोग किया गया ।

(ग) राष्ट्रीय एकता पर आधारित दस तत्वों से निर्मित एक सिचुएशनल – टेस्ट' विद्यार्थियों के लिये प्रयुक्त किया गया । इसकी अर्द्ध-विच्छेद विश्वसनीयता 0.88 थी तथा अध्यापक अभिवृत्ति की कसौटी पर वैधता 0.66 थी ।

अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये -

1. विभिन्न बोर्डों द्वारा निर्धारित सभी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित सभी तत्वों को शामिल करने पर बल दिया गया ।
2. न्यादर्श में एक साथ लिये गये सभी अध्यापकों ने सूचित किया कि वे राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन की दिशा में अपनी सकारात्मक तथा उच्च सकारात्मक अभिवृत्ति के कारण बराबर-2 बट गये
3. 35 वर्ष से नीचे तथा 35 वर्ष से ऊपर के पुरुष एवं महिला टीचरों की सकारात्मक अभिवृत्ति के प्रतिशत में कोई सार्थक अन्तर नहीं था । सभी अध्यापक (महिला/पुरुष) राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन की दिशा में स्वीकारात्मक अभिवृत्ति रखते थे ।
4. विद्यालय में चलने वाली विभिन्न क्रियाकलापों से प्राप्त प्राप्तांकों में अन्तर पाया गया । इससे यह संकेत मिलता है कि अलग-अलग विद्यालयों में प्रबन्धतंत्र के कारण विभिन्न क्रियाकलापों को भिन्न-भिन्न तरीके से आयोजित किया जाता है ।
5. एकता की भावना के संदर्भ में लड़के तथा लड़कियों के प्राप्तांकों में सार्थक अन्तर नहीं हैं ।
6. विद्यार्थियों में भावकता-पूर्ण एकता की भावना की अपेक्षा संज्ञानपूर्ण एकता की भावना अधिक पायी गयी ।
7. जो छात्र केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् का पाठ्यक्रम पढ़ते थे उन्होंने राज्य माध्यमिक शिक्षा परिषद् का पाठ्यक्रम पढ़ने वाले छात्रों से 'सिचुएशनल टेस्ट' में अधिक अंक प्राप्त किये ।
8. एकता की भावना के संदर्भ में शहरी छात्रों ने ग्रामीण छात्रों की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त किये ।
9. विद्यालयों में पाठ्यक्रमेत्तर क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करने तथा विद्यार्थियों के मध्य एकता की भावना का विकास होने के संदर्भ में अध्यापकों की अभिवृत्ति में सकारात्मक सह-सम्बन्ध नहीं था ।

उपाध्याय (1986)[15] ने पिछले पाँच वर्षों के हाईस्कूल बोर्ड परीक्षाओं में स्थिर रूप से अच्छे तथा बुरे परीक्षाफलों को दर्शाने वाले कुछ चुने हुये विद्यालयों के संदर्भ में पृष्ठभूमीय कारकों का अध्ययन किया ।

---

15. पी0 उपाध्याय, "इन डेप्ट स्टडी ऑफ दि बैकग्राउण्ड फेक्टर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेलेक्टेड स्कूलस् शोइंग कान्सिसटेन्टली गुड एवं पुअर रिजल्ट्स एट दि हाईस्कूल बोर्ड एक्जामिनेशन फॉर दि लास्ट फाइव इयर "
डी0 फिल0 एजुकेशन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय-1986

अध्ययन के निम्न उद्देश्य थे -

1. चुने हुए विद्यालयों में छात्रों के शिक्षा सम्बन्धी कार्यों को प्रभावित करने वाले पृष्ठभूमीय कारकों को निश्चित करना ।
2. पृष्ठभूमीय कारकों, जो छात्रों के शिक्षा सम्बन्धी कार्यों को प्रभावित करते हैं, के अनियमित प्रवाह को निश्चित करना ।
3. पृष्ठभूमीय कारकों, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से छात्रों के शिक्षा सम्बन्धी कार्यों को प्रभावित करते हैं, के सम्पूर्ण प्रभावों का आकलन करना ।

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु व्यूह रचना के रूप में "पथविश्लेषण ढांचा" का उपयोग किया गया । यह अध्ययन मूलरूप से ऐसे "पथमॉडल" स्थापित करने का एक प्रयास था, जिसका अनुभव जन्य आँकड़ों पर परीक्षण करना था । एक "पथमॉडल' को विकसित करने के लिये परिवर्ती घटकों का स्वरूप निर्धारण तथा मापन किया गया । प्रासंगिक परिकल्पनाओं का निरूपण तथा मॉडल में निहित चरों के संदर्भ में उनका परीक्षण किया गया । गहन अध्ययन हेतु 8 विद्यालय (निरन्तर अच्छे परीक्षाफल तथा निरन्तर खराब परीक्षाफल प्रदर्शित करने वाले), 1260 उत्तरदायी छात्रों एवं 119 उत्तरदायी अध्यापकों का चयन किया गया । इस अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण थे- रावेन की विकासात्मक मैट्रिक्स, एस० ई० एस० स्केल, विद्यालय वातावरण इन्वेन्टरी, होम ऑरगनाईजेशनल क्लाइमेट क्वश्चनायर, टीचर स्ड्यूल्ड क्वश्चनायर, मिनसोटा टीचर एट्टीयूड इन्वेन्टरी (हिन्दी रूपान्तर) तथा स्कूल स्ड्यूल्ड प्रोफार्मा ।

जब वर्तमान अध्ययन के मॉडल-1 व मॉडल-2 को वास्तव में अनुभवजन्य उपलब्धियों के पोस्ट फैक्टो निरीक्षण के आधार पर आँकड़ों पर अनुप्रयुक्त किया गया तब निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये -

1. स्थिर रूप से अच्छे परीक्षाफल वाले बालिकाओं के विद्यालयों तथा स्थिर रूप से अच्छे परीक्षाफल वाले बालकों के विद्यालयों के अधिक अच्छे परीक्षाफल, विद्यार्थियों की शैक्षिक निष्पत्ति को निश्चित रूप से प्रभावित करने वाले चरों के कारण थे ।
2. दोनों प्रकार के विद्यालयों में एस० ई० एस० चर शैक्षिक निष्पत्ति को सीधे प्रभावित करते थे । बालकों के विद्यालयों में इसका प्रभाव घर की दखलन्दाजी तथा विद्यालय के वातावरण के कारकों से कम कर दिया गया जबकि बालिकाओं के विद्यालयों में एस० ई० एस० चरों

के धनात्मक प्रभावों में मातापिता के मूल्यों, मातापिता की शिक्षा तथा विद्यालय में ज्ञानात्मक प्रोत्साहन के माध्यम से वृद्धि हुयी । अच्छे परीक्षाफलों में नियंत्रण की कोई सार्थक भूमिका नहीं थी । बालकों के विद्यालयों में रचनात्मक प्रेरणा तथा बालिकाओं के विद्यालयों में ज्ञानात्मक प्रोत्साहन ने शैक्षिक निष्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

3. स्थिर रूप से गिरे हुये परीक्षाफल लड़कियों के विद्यालयों तथा ऐसे ही लड़कों के विद्यालयों के गिरे हुये परीक्षाफलों का कारण बहुत बड़ी संख्या में विद्यमान तथा कार्यरत चरों का जाल था, जो छात्रों के खराब एस0 ई0 एस0 स्तर के प्रबल सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाता था । गिरे हुये परीक्षाफल, खराब गृह वातावरण तथा अनुपयुक्त विद्यालयीय परिस्थितियों से उत्पन्न निम्नकोटि के एस0 ई0 एस0 के प्रबल प्रभाव के कारण थे ।

4. मॉडल I के लूप I में निहित चरों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निष्कर्षों को ग्रहण करने पर यह अन्तिम रूप से कहा जा सकता था कि चरों के चक्करदार प्रभाव स्थिर यप से अच्छे परीक्षाफलों वाले विद्यालयों के अध्यापकों तथा स्थिर रूप से गिरे हुये परीक्षाफलों वाले विद्यालयों के अध्यापकों में स्पष्ट तथा विपरीत पाया गया ।

5. स्थिर रूप से अच्छे परीक्षाफल वाले बालिकाओं के विद्यालयों में उच्च एस0 ई0 एस0 के प्रभाव घर के वातावरण तथा विद्यालय के वातावरण सम्बन्धी कारकों के कारण बढ़ गये जबकि स्थिर रूप से अच्छे परीक्षाफल वाले बालकों के विद्यालयों में उच्च एस0 ई0 एस0 के प्रभाव घर की दखलन्दाजी एवं विद्यालयीय वातावरण सम्बन्धी कारकों के कारण घट गये । अपघटन की दर इतनी कम थी कि उसे उच्च सामाजिक आर्थिक स्टेटस के प्रबल प्रभाव द्वारा नियन्त्रित किया जा सकता था । कुल मिलाकर इन विद्यालयों में सकारात्मक प्रभाव पाये गये ।

6. स्थिर रूप से गिरे हुये परीक्षाफल वाले लड़कों एवं लड़कियों दोनों के विद्यालयों में खराब गृहवातावरण तथा विद्यालय वातावरण सम्बन्धी कारणों से उत्पन्न खराब एस0 ई0 एस0 के प्रभाव में बढ़ोत्तरी हुयी जिस कारण खराब शैक्षिक निष्पत्ति प्राप्त हुयी । स्थिति से स्पष्ट हुआ कि वृद्धि नकारात्मक दिशा में हुयी। इस प्रकार कमजोर शैक्षिक निष्पत्ति वाले विद्यालयों में निषेधात्मक प्रभाव पाये गये ।

7. स्थिर रूप से अच्छे परीक्षाफलों वाले विद्यालयों के अधिक अच्छे परीक्षाफल अध्यापकों की अधिक अच्छी शैक्षिक योग्यता एवं विचारधारा से विद्यालय के संगठनात्मक वातावरण में मानवीय दबाव एवं नियंत्रण के कार्यों के कारण थे । विद्यालय का अच्छा होने में अध्यापक की आयु की

कोई भूमिका नहीं थी । स्थिर रूप से गिरे हुये परीक्षाफलों वाले विद्यालयों के गिरे हुये परीक्षाफले अध्यापकों में सही शिक्षण सम्बन्धी विचारधाराओं की कमी तथा मानवीकृत दबाव एवं नियंत्रण के कार्य की कमी के कारण थे ।

8. मॉडल के लूप I (स्टूडेन्ट पॉपुलेशन) तथा लूप II (टीचर पॉपुलेशन) में विद्यमान एवं कार्यरत चरों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण उपलब्धियों का निरीक्षण करने पर यह निष्कर्ष निकला कि अध्ययन के सामान्य मॉडल के दोनों लूपों की सम्पूर्ण उपाय रचना में प्राथमिक उपाय के प्राप्तांकों ने यह स्पष्ट किया कि लूप II (अध्यापक एवं विद्यालय के संगठनात्मक वातावरण) ने लूप I (छात्रों को प्रतीत होने वाले निम्न एस0 ई0 एस0, खराब गृह वातावारण एवं खराबविद्यालयीय वातावरण) द्वारा उत्पन्न कमियों का सामाधान न कर उन्हें और तीव्र कर दिया ।

9. स्थिर रूप से अच्छे परीक्षाफलों वाले विद्यालय एवं स्थिर रूप से गिरे हुये परीक्षाफलों वाले विद्यालयों के लिये मॉडल के लूप II का निरीक्षण करने पर यह निष्कर्ष निकला कि स्थिर रूप से अच्छे परीक्षाफलों वाले विद्यालयों में लूप II ने सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित किया जबकि स्थिर रूप से गिरे हुये परीक्षाफलों वाले विद्यालयों में इसने नकारात्मक प्रभाव दर्शाया ।

10. अन्तिम रूप से यह निष्कर्ष निकला कि लूप I तथा लूप II ने अलग-अलग तथा एक साथ स्थिर रूप से अच्छे परीक्षाफलों वाले विद्यालयों में सकारात्मक प्रभाव तथा स्थिर रूप से गिरे हुये परीक्षाफलों वाले विद्यालयों में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किये ।

शर्मा(1987)[16] ने भारत की विभिन्न माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ों के प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन किया ।

अध्यन का मूल उद्‌देश्य निम्न लिखित की जाँच करना था -

1. भारत के विभिन्न माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ों की प्रशासन व्यवस्था और कार्यों का अध्ययन ।
2. प्रशासनिक ढांचे की सफलताओं एवं विफलताओं का अध्ययन ।
3. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, हिमाचल प्रदेश के विशेष संदर्भ में तथा तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में इन परिषद्‌ों की कार्यशैली हेतु उपचारात्मक साधनों का सुझाव देना ।

इस अध्ययन में ऐतिहासिक शोध-विधि तथा मानकीय सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया ।

---

16. ओ0 पी0 शर्मा, "ए कम्परेटिव स्टॅडी ऑफ दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजूकेशन इन इण्डिया "
पी-एच0 डी0 एजुकेशन, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय-1987

विभिन्न शिक्षा परिषदों से सम्बन्धित अधिनियम, नियम एवं परिनियम तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा इन स्कूल शिक्षा परिषदों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में दिये गये निर्णयों की जानकारी प्राथमिक तथा द्वितीयक स्त्रोतों के अभिलेखीय विश्लेषण द्वारा प्राप्त की गयीं। विभिन्न आंकड़ें प्राप्त करने हेतु एक प्रश्नावली तथा एक मत-तालिका (विचार माला) विकसित एवं प्रयुक्त की गयी ।

इस अध्ययन के निष्कर्ष थे -

1. कुछ स्कूल शिक्षा परिषदों के लक्ष्य तथा उद्देश्य दुविधापूर्ण थे तथा उन्हें स्पष्ट तथा परिभाषित नहीं किया गया था । कुछ दशाओं में एक प्रान्त में एक से अधिक दूसरा नाम लिये हुये परिषदें थीं । इन परिषदों की संरचना एक समान तथा प्रजातांत्रिक नहीं थी । इन परिषदों के सभापतियों (अध्यक्षों) की नियुक्ति में भिन्न-भिन्न मानक प्रयुक्त किये गये । कुछ परिषदों में तो सभापति (अध्यक्ष) शिक्षाशास्त्री थे तथा कुछ परिषदों के सभापति शिक्षा से असम्बन्धित पाये गये । परिषद् का सचिव, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, प्रान्तीय सरकारों द्वारा नियुक्त पाया गया, फिर भी नियुक्तियों के मानक अलग-अलग परिषदों में अलग-अलग पाये गये ।
2. इन परिषदों की कार्यशैली में सबसे महत्वपूर्ण त्रुटि यह थी कि निजी प्रशासन में सुसंगठन का अभाव था । अलग-अलग परिषदों में कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा वेतनमान भिन्न-भिन्न पाये गये । सामान्यतया सभी शिक्षा परिषदों ने अपने कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान दिये ।
3. कुछ परिषदें शिक्षकों एवं छात्रों के शैक्षिक विकास के लिये अन्य परिषदों की तुलना में अधिक सजग प्रतीत हुयीं । सभी शिक्षा परिषदों ने स्कूल शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों हेतु कक्षा 1 से कक्षा 12 तक पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें निर्धारित कीं । कुछ परिषदें पत्राचार पाठ्यक्रम भी चला रहीं थीं तथा साथ ही पत्रिकायें और वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित कर रहीं थीं । राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की परिषदों के अतिरिक्त शेष सभी परिषदें किराये के भवनों में अवस्थित थीं । भारत की विभिन्न स्कूल शिक्षा परिषदों के समन्वयन हेतु "भारतवर्ष में स्कूल शिक्षा परिषदों का मण्डल" नाम का एक संयुक्त मंच बनाया गया है ।

दास(1987)[17] ने एच0 एस0 एल0 सी0 परीक्षा संचालन हेतु वर्ष 1976 से किये गये सुधारों के प्रभाव के विशेष संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, आसाम की परीक्षाओं के प्रशासन का अध्ययन किया ।

---

17. जे0 सी0 दास, "ए स्टॅडी ऑफ दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्जॉमिनेशन ऑफ दि बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, आसाम विद स्पेशल रिफरेन्स टु दि इम्पेक्ट ऑफ दि रिफॉर्म इन्ट्रोड्यूजडसिन्स 1976 ऑन दि कन्डक्ट ऑफ एच0 एस0 एल0 सी0 एक्जॉमिनेशन" पी-एच0 डी0 राजनीति विज्ञान, गौवाहाटी विश्वविद्यालय-1987

इस अनुसंधान का मूल उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा परिषद्, आसाम की परीक्षाओं का अध्ययन एवं सर्वांगीण चित्रण है । यह अध्ययन एच0 एस0 एल0 सी0 परीक्षा के संचालन हेतु वर्ष 1976 से किये गये सुधारों के प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में किया गया है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, आसाम द्वारा वर्ष 1980 में संचालित एच0 एस0 एल0 सी0 की हाईस्कूल परीक्षा के चार विषयों की 20,000 उत्तर पुस्तिकाओं का पुर्नमूल्यांकन किया गया तथा प्रयोग हेतु दशाओं के अन्तर्गत 45 शिक्षकों द्वारा, जो इन विषयों को स्कूल में पढ़ाते थे, अंक प्रदान किये गये। परिषद्‌ीय परीक्षाओं का संचालन करने वाले 'की-परसोनल' के साथ एक प्रश्नावली प्रयुक्त की गयी । शासकीय प्रपत्रों एवं साहित्य से शिक्षा प्रशासन के संदर्भ में वांछित सूचनायें एकत्र की गई । सम्बन्धित अधिकारियों से व्यक्तिगत विचार विमर्श भी किया गया । इस अध्ययन में "एक परीक्षा- दो परीक्षक" वाले मॉडल का आवश्यक संशोधन सहित अनुसरण किया गया । अध्ययन में माध्य, मानक विचलन, सह सम्बन्ध, मापन की मानकत्रुटि आदि का प्रयोग किया गया ।

अध्ययन से प्राप्त मुख्य निष्कर्ष निम्न थे -

1. परीक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधारों के क्रियान्वयन हेतु परिषद् की प्रशासकीय व्यवस्था यथेष्ट रूप से सुसज्जित नहीं थी ।
2. परीक्षा सुधार कार्यक्रम एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 की विचारधारा पर आधारित था ।
3. सुधारों को विभिन्न चरणों में लागू करते समय परिषद् प्रशासकीय ढांचे में तदानुसार परिवर्तन करने में असमर्थ रही । इसमें आंशिक रूप से यह स्पष्ट हुआ कि प्रस्तावित सुधार अपना स्पष्ट प्रभाव क्यों नहीं छोड़ सके ।
4. ऐसा अनुभव किया गया कि परिषद् एक ऐसा शासकीय माध्यम है, जिसके द्वारा शैक्षिक हितों के मूल्य पर गैर-शैक्षिक हितों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है ।
5. शासन ने आसाम माध्यमिक शिक्षा अधिनियम (1961)" के अन्तर्गत परिषद् के कार्यकलापों को सुचारूरूप से चलाने के लिए कोई नियम नहीं बनाया । परिषद् ने ऐसा कोई नियम अथवा परिनियम बनाने की आवश्यकता अनुभव नहीं की जिसके द्वारा अधिनियम के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की कार्यवाही की जाय ।
6. वांछित प्रभाव पेश करने वाले सुधारों के समुचित क्रियान्वयन के संदर्भ में परिषद् की 'परीक्षा प्रशासन व्यवस्था' में कमी थी । संनिरीक्षा बहुत मँहगी और एक ढोंग (तमाशा) थी और इसमें

निरीक्षण एवं अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) का अभाव स्पष्ट था ।

7. परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त पैमानों में गम्भीर दोष दृष्टिगत हुये । परिषद् की 'परीक्षा प्रशासन व्यवस्था' में तत्काल आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की गई ।

पी-एच0 डी0 स्तर से भिन्न शोध-अध्ययन :-

अदावल, कक्कर, अग्रवाल तथा गुप्ता (1961)[18] ने हाईस्कूल परीक्षा में अनुत्तीण होने के कारणों का अध्ययन किया ।

प्रस्तुत शोध परियोजना (प्रोजेक्ट) हाईस्कूल परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने के कारणों की जाँच और उन्हें दूर करने के उपायों तथा साधनों के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करने का एक प्रयास है ।

इस अध्ययन का उद्देश्य परीक्षार्थियों की अन्तर्निहित कमजोरियों के साथ ही साथ अन्य वातावरणीय कमजोरियों का विश्लेषण करना है ।

यह एक फॉलोअप केस-स्टडी है । इसके लिये जो विधियाँ प्रयोग में लायी गयीं, उनमें अनुत्तीण छात्रों पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रशासन तथा संस्थाओं के प्रधानों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से साक्षात्कार प्रमुख हैं ।

इस अध्ययन में न्यादर्श के लिये हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की परीक्षा में अनुत्तीर्ण 196 परीक्षार्थी, जिसमें 80 लड़कियां तथा 116 लड़के थे, का चयन किया गया । उपर्युक्त इकाईयों का चयन उत्तर प्रदेश के चार जिलों - इलाहाबाद, मेरठ, बरेली तथा मुरादाबाद के 14 लड़कियों के विद्यालयों तथा 16 लड़कों के विद्यालयों से किया गया । इकाईयों की आयु 12 वर्ष से 21 वर्ष के मध्य थी । न्यादर्श में जिन इकाईयों का चयन किया गया वे विभिन्न आय-वर्ग में से थीं ।

अध्ययन में निम्न यंत्रों का उपयोग किया गया -

1. दि भाटियाज् बैटरी ऑफ परफारमेंस टेस्ट ऑफ इन्टेलीजेन्स
2. दि अस्थानाज् एडजेस्टमेंट इन्वेन्टरी
3. दि रोर्शा इंक ब्लाक टेस्ट
4. ए स्टूडेन्ट इन्वेन्टरी
5. ए टीचर्स इन्वेन्टरी
6. ए प्रिंसिपलस् इन्वेन्टरी
7. ए पेरेन्ट्स इन्वेन्टरी

---

18. एस0 बी0 अदावल, ए0 कक्कर, एम0 अग्रवाल एण्ड बी0 एस0 गुप्ता, "कॉजिज ऑफ फेलर इन हाईस्कूल एक्जामिनेशन" शिक्षा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1961 (एम0 ओ0 ई0 फाइनेन्सड़)

बुद्धि प्राप्तांकों को मेनुअल के आधार पर वर्गीकृत किया गया । लेकिन एक नया वर्ग 'रेदर एवरेज' उन विद्यार्थियों को संदेह का लाभ देने के लिये बनाया गया, जिनकी बुद्धिलब्धि सामान्य स्तर से एक या दो प्वाइंट नीचे थी । अन्य वर्गों के लिये टरमैन द्वारा दिये गये वर्गीकरण का अनुसरण किया गया ।

अध्ययन से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुये -

1. अधिकांश छात्रों की बुद्धि औसत से कम थी ।
2. अधिकांश छात्र अन्तर्मुखी थे, जिनका कारण वातावरण की दबावपूर्ण तथा अप्रसन्नतापूर्ण स्थिति थी । उनका अहं का भाव भी संतोषजनक नहीं था । उनका भावनात्मक स्वरूप भी सामान्य समायोजन के लिये प्रमुख रूप से बाधक था । छात्र व्यक्तित्व सम्बन्धी अनेक समस्याओं के कारण अपनी योग्यताओं का उचित प्रयोग करने में असमर्थ थे ।
3. बालकों का अवरूद्ध मानसिक विकास, शारीरिक विकलांगता तथा भावनात्मक बाधायें व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याओं का ही परिणाम थीं ।
4. प्रधानाचार्यों के मतानुसार ऊँचीदर से अनुत्तीर्ण होने के निम्नलिखित कारण थे -
    1. दोहरी प्रोन्नति,
    2. हाईस्कूल स्तर पर गणित को निकालना तथा उसे पुनः सम्मलित करना,
    3. पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना तथा पाठ्यचर्या का भ्रमित होना,
    4. परीक्षाओं की दोषपूर्ण प्रणाली, तथा
    5. स्थिति की माँगों के अनुरूप अध्यापकों की योग्यता का न होना, जिसका कारण सेवाशर्तों से असंतुष्टि, अक्षमता, कार्य के प्रति निष्ठाकी कमी, अभिभावकों की अपने आश्रितों के लिये उचित शिक्षा के प्रति उदासीनता, असुसज्जित पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं एवं शिक्षण सामग्री की कमी, निर्धनता, गृह-वातावरण, अनेक प्रकार के व्यवधान, राजनैतिक पार्टियों का गलत प्रभाव, सामाजिक परिस्थितियाँ तथा अध्ययन में वास्तवि रूचि की कमी ।
5. अध्यापकों के मतानुसार सभी विषयों में अनुत्तीर्ण होने के निम्नलिखित उभयनिष्ठ कारक जिम्मेदार थे -
    1. कक्षाओं में अनियंत्रित भीड़,
    2. *बुद्धि का सामान्य से नीचा होना,*
    3. छात्रों की निर्धनता,

4. गिरा हुआ बोध स्तर तथा कमजोर अभिव्यक्ति शक्ति,
5. उपस्थिति की अनियमितता तथा लापरवाही,
6. कक्षाओं में रूचि तथा ध्यान की कमी,
7. विषय के प्रति उदासीन तथा लापरवाह रूख,
8. छात्रों का गिरा हुआ स्वास्थ्य,
9. छात्रों की लिखित कार्य के प्रति अरूचि,
10. कमजोर छात्रों की कक्षा-दर-कक्षा प्रोन्नति,
11. बुरी लिखावट,
12. विषयवस्तु का व्यवहारिक जीवन से सीधा सम्बन्ध न होना, तथा
13. असुसज्जित पुस्तकालय एवं प्रयोगशालायें ।

6. अभिभावकों ने निम्न दो सहयोगी कारण बतलाये -
   1. उनकी आर्थिक कठिनाई
   2. अपने आश्रितों के अध्ययन के निरीक्षण की कमी ।

7. छात्रों ने अपने अनुत्तीर्ण होने के लिये निम्न चार क्षेत्रों घर, स्कूल, स्वास्थ्य तथा भावनात्मक क्षेत्रों को बहुत हद तक जिम्मेदार ठहराया । छात्रों ने घर के असुविधापूर्ण वातावरण, पारिवारिक सदस्यों के साथ द्वन्द (संघर्ष), पारिवारिक सदस्यों एवं गृहकार्य की अधिकता के कारण उनमें शिक्षा के प्रति अरूचि होना, गिरा हुआ स्वास्थ्य, शारीरिक विकलांगता, चिंता एवं दुष्चिंता के अन्दर कार्य करना, विषय चयन के समय उचित निर्देशन का अभाव आदि अन्य कारण थे, जिनको विद्यार्थियों ने उनके अनुत्तीर्ण होने में जिम्मेदार ठहराया ।

बुच (1963)[19] ने परिषद् की परीक्षा के भविष्यसूचक महत्व का अध्ययन किया ।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना था -

1. कि किस सीमा तक एस0 एस0 सी0 परीक्षा में सफलता विश्वविद्यालय स्तर की सफलता का पूर्वकथन करती है ।
2. अनुत्तीर्ण और परीक्षा छोड़ देने वालों की सीमा ज्ञात करना तथा
3. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त एस0 एस0 सी0 परीक्षा की सीमारेखा के मामलों में क्या होता है ?

---

19. बी0 बुच, "प्रोगनॉस्टिक वैल्यु ऑफ बोर्ड्स एक्जामिनेशन" एन0 सी0 ई0 आर0 टी0, नई दिल्ली-1963

अध्ययन केवल उन्हीं छात्रों तक सीमित रहा जिन्होंने वर्ष 1958 में एस0 एस0 सी0 की परीक्षा उत्तीर्ण कर विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था । न्यादर्श के लिये 254 छात्र वाणिज्य-संकाय के, 177 कला-संकाय के तथा 501 विज्ञान-संकाय के छात्रों का चयन किया गया । एस0 एस0 सी0 परीक्षा में प्राप्त प्राप्ताँकों को भविष्य सूचक माना गया और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के उपलब्धि प्राप्तांकों को मानदण्ड का पैमाना माना गया ।

निष्कर्ष के रूप में यह पाया गया कि एस0 एस0 सी0 परीक्षा के समन्वित प्राप्तांकों तथा पूर्व विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं के प्राप्तांकों के मध्य सह-सम्बन्ध 0.49, एस0 एस0 सी0 परीक्षा के समन्वित प्राप्तांकों तथा स्नातक प्रथम वर्ष परीक्षा के प्राप्तांकों के मध्य सह-सम्बन्ध 0.59, एस0 एस0 सी0 परीक्षा प्राप्तांकों तथा स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा के प्राप्तांकों के मध्य सह-सम्बन्ध 0.53 तथा एस0 एस0 सी0 परीक्षा के समन्वित प्राप्तांकों तथा स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के मध्य सहसम्बन्ध 0.59 था ।

जी0सी0पी0आई0 (1964)[20] द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों के उच्च आपतन के कारणों की खोज पर एक अध्ययन सन् 1964 में किया गया।

यह अध्ययन माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के उच्च आयतन के कारणों की खोज तथा इनमें सुधार लाने के लिय उपायों का सुझाव देने के लिये किया गया ।

इस उद्देश्य के लिये जिन 200 संस्थाओं का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया, उनमें से 105 सरकारी संस्थायें थीं तथा शेष 95 गैर सरकारी संस्थायें थीं । 155 विद्यालय बालकों के तथा 45 विद्यालय बालिकाओं के थे । इनमें 55 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 145 शहरी क्षेत्रों में थे। असफलता के आपतन पर विचारों का संग्रह करने के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के सचिव के साथ ही साथ संस्थाओं के अध्यापकों तथा प्रधानों का साक्षात्कार किया गया ।

अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि हाईस्कूल के संस्थागत अभ्यर्थियों के परीक्षाफल व्यक्तिगत अभ्यर्थियों से हमेशा अच्छे थे । संस्थागत एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार की बालिकाओं के परीक्षाफल बालकों की अपेक्षा अधिक अच्छे थे । बालिकाओं की अपेक्षा बालकों के मामले में उत्तीर्ण प्रतिशत के रूप में अपव्यय कहीं अधिक था । माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा

---

20. जी0 सी0 पी0 आई0, "एन इन्वेस्टीगेशन इन टु दि कॉजज् ऑफ हाई इन्डीकेट ऑफ फेलर एट दि हाईस्कूल एक्जॉमिनेशन ऑफ दि यू0 पी0 बोर्ड" इलाहाबाद, 1964

का पिछले पाँच वर्ष का परीक्षाफल दखने से स्पष्ट हुआ कि संस्थागत छात्रों का परीक्षाफल भी कभी 50 प्रतिशत से ऊपर नहीं रहा । जब संस्थागत अभ्यर्थियों के संदर्भ में सम्पूर्ण राज्य के विद्यालयों का उत्तीर्ण प्रतिशत मात्र 48.55 था, तब 127 संस्थाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 60 से ऊपर था । यह भी स्पष्ट हुआ कि 50 ऐसी संस्थायें थीं जिनका उत्तीर्ण प्रतिशत 50 से नीचे था तथा 30 ऐसी संस्थायें थी जिनका उत्तीर्ण प्रतिशत 10 और 40 के मध्य था, जो परिषद् के सम्पूर्ण परीक्षाफल को नीचे गिराने के लिये मुख्यरूप से जिम्मेदार थीं । विषयवार विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि गणित, विज्ञान, अंग्रेजी तथा नागरिक शास्त्र में असंतोषजनक निष्पत्ति, जो कि असफलता के उच्च आपतन की ओर अग्रसर थी, के निम्न कारण थे -

1. पाठ्यक्रम में अत्यधिक अव्यवहारिक संकल्पनायें (धारणायें) थीं ।
2. शिक्षण की दोषपूर्ण विधियों का प्रयोग किया जा रहा था ।
3. शिक्षण विधियाँ व्यवहारिक अधिगम अनुभवों पर आधारित नहीं थीं ।

12 शहरी एवं ग्रामीण संस्थाओं के भ्रमण करने के उपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि इन विद्यालयों में पर्याप्त स्थान नहीं है, अन्धकार पूर्ण गंदे तथा टपकने वाले अध्ययनकक्ष हैं। अपर्याप्त साजसज्जा, पुस्तकालय तथा सहायक सामग्री भी अपर्याप्त है । दोषपूर्ण साजसज्जा तथा कम वेतन पाने वाले एवं उदासीन अध्यापक वृन्द हैं । यहाँ मनोरंजन की सुविधाओं का अभाव है । यहाँ विवेकशून्य प्रवेश, सरल कक्षोन्नति, निर्धनता, अभिभावकों की अज्ञानता और उदासीनता पायी गयी। अभिभावक अपने आश्रितों की शैक्षिक उपलब्धि के प्रति रूचि नहीं रखते । एक ही स्थान पर विद्यालयों के बीच विद्यमान अस्वस्थ प्रतिद्वन्दिता तथा उपरोक्त सभी से ऊपर संस्थाओं पर अपर्याप्त नियंत्रण एवं निरीक्षण मुख्य रूप से देखने को मिला ।

अन्य दूसरे कारक जो इन कारणों के लिये जिम्मेदार हैं, वे हैं - शिक्षकों के गुण, उनकी अपनी रूचियाँ एवं अस्वस्थ प्रतिद्वन्दिता, विद्यालय की देख-रेख एवं निरीक्षण, कक्षाशिक्षण, कक्षा-शिक्षण में विश्वास की कमी, विद्यालय प्लांट, प्रभावपूर्ण शिक्षण दिवस, विवेक शून्य प्रवेश, गृह परीक्षा एवं कक्षोन्नति के नियम, अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभाव, अध्यापकों में कार्य का दोषपूर्ण विभाजन इत्यादि ।

अध्ययन के आधार पर जो सुझाव प्रस्तुत किये गये वे विभागीय प्रशासन, विद्यालय प्लांट, निरीक्षण, शिक्षक-वर्ग, छात्र, प्रवेश, अध्ययन और परीक्षा पाठ्यक्रम से सम्बन्धित थे । यह भी

सुझाव दिया गया कि अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के मध्य प्रजातांत्रिक सहानुभूति और सहयोग की भावना के प्रबल बन्धन अधिक अच्छे शैक्षिक परिणामों की गारन्टी दे सकते हैं ।

डेम्से(1964)[21] द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषदों की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का न्यादर्श अध्ययन किया गया ।

इस अध्ययन का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिये कठिनाई के क्षेत्रों का पता लगाना तथा घोषित किये जाने वाले परीक्षाफलों की उन्नत विधि पर प्रकाश डालना है, ताकि मानदण्डों को गम्भीरतापूर्वक गिराये बिना बहुत बड़ी संख्या में अनुत्तीर्ण छात्रों की असफलताओं को समाप्त किया जा सके ।

अध्ययन के लिये 8 परीक्षापरिषदों तथा विश्वविद्यालय के एक विभाग के सन् 1963 में प्रकाशित परीक्षाफलों को लिया गया । सूचनाओं का एकत्रीकरण अधिकतर परिषदों के कार्यालयों में स्वयं जाकर तथा कुछ मामलों में पत्राचार द्वारा किया गया । सफल परीक्षार्थियों का श्रेणीवार विभाजन एवं कुल अनुत्तीर्ण छात्रों के आँकड़े एकत्र किये गये, उन विषयों की संख्या जिनमें छात्र अनुत्तीर्ण हुये तथा 14 मुख्य विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या भी एकत्र की गयी।

अध्ययन से पता चला कि प्रथम श्रेणी वाले छात्रों का प्रतिशत लगभग 50 तथा द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी वाले छात्रों में प्रत्येक का प्रतिशत लगभग 20 था । अधिकांश परिषदों में दो विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अधिक पायी गयी । जो छात्र एक विषय के कारण अनुत्तीर्ण हुये उनका प्रतिशत 11 से 20 के मध्य था । सबसे अधिक छात्र अंग्रेजी तथा गणित विषयों में अनुत्तीर्ण हुये, यद्यपि क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अधिक थी । फिर भी वे छात्र जो इन विषयों में अनुत्तीर्ण हुये दूसरे विषयों में भी अनुत्तीर्ण थे । अध्ययन से व्यक्तिगत एवं संस्थागत छात्रों के परीक्षाफलों के बीच अन्तर तथा उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि में कम्पार्टमेन्टल परीक्षाओं की भूमिका भी स्पष्ट हुयी । चूंकि कम्पार्टमेंटल परीक्षा केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों के लिये थी, इसलिये बहुत से अनुत्तीर्ण छात्र इस नियम से लाभ प्राप्त न कर पाये ।

दवे एवं पटेल(1966)[22] ने परिषदीय परीक्षाओं के परीक्षाफलों के विश्लेषण पर अध्ययन किया ।

इस अध्ययन का उद्देश्य सन् 1960 से 1964 की अवधि के बीच भारत में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा संचालित सर्वाजनिक परीक्षाओं में छात्रों की निष्पत्ति को सम्पूर्ण भारत में निश्चित सूचकांक तक पहुँचाना है ।

21. डेम्से, "सैम्पॅल स्टडीज ऑफ फेलर्स इन बोर्ड्स ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन" एन0 सी0 ई0 आर0 टी0, नई दिल्ली, 1964

22. आर0 एच0 दवे एण्ड पी0 एम0 पटेल, "एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स एट बोर्ड एक्जामिनेशनस्" एस0 सी0 ई0 आर0 टी0, नई दिल्ली, 1966

प्राथमिक आँकड़ों के रूप में उन संस्थागत एवं व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के अंकों को लिया गया जो सन् 1960 से सन् 1964 के मध्य 20 एजेन्सियों द्वारा संचालित 32 उच्च तथा 25 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षाओं में सम्मलित हुये तथा उत्तीर्ण घोषित किये गये । प्रत्येक श्रेणी में विविध प्रकार की तुलना के लिये उत्तीर्ण प्रतिशत को आधार बनाया गया ।

परीक्षाफलों ने यह दर्शाया कि दिये गये वर्ष में विभिन्न उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रतिशत में भारी असंगति थी । पाँच वर्षों की अवधि में उत्तीर्ण प्रतिशत की असंगति में भारी वृद्धि हुयी । पूरे देश में हॉयर सेकेण्डरी परीक्षाओं के संस्थागत अभ्यर्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत सन् 1960 में 57.3 था, जो सन् 1964 में बढ़कर 63.4 हो गया तथा हाईस्कूल परीक्षाओं के संस्थागत अभ्यर्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत सन् 1960 में 48.5 था, जो सन् 1964 में बढ़कर 52.0 हो गया । पूरे देश में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में व्यक्तिगत अभ्यर्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत सन् 1960 में 38.1 था जो भारी मात्रा में घटकर सन् 1964 में 24.3 रह गया, जबकि यह (उत्तीर्ण प्रतिशत) हाईस्कूल परीक्षा में 30 के आसपास केन्द्रित रहा ।

शर्मा(1966)[23] ने 'परीक्षा सुधार - माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक परीक्षा के परीक्षाफलों का एक विश्लेषण' का अध्ययन किया ।

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य थे-

1. हाईस्कूल की परीक्षा में संस्थागत छात्रों द्वारा अंग्रेजी, गणित, हिन्दी और विज्ञान में प्राप्त अंकों के विभाजन की प्रमुख विशेषताओं का पता लगाना ।
2. छात्रों के कार्य पर पाठ्यक्रम के परिवर्तन का पता लगाना ।

न्यादर्श यादृच्छिक विधि से लिया गया । लिंग एवं स्थान (शहरी एवं ग्रामीण) दोनों चर परिवर्तनशील रखे गये । तीन अनिवार्य विषयों हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित का भिन्न-भिन्न वर्षों के लिये 5000 छात्रों के प्राप्तांकों का न्यादर्श लिया गया । प्राप्तांकों के आधार पर माध्य, माध्यिका एवं मानक विचलन की गणना की गई । काई-स्क्वॉयर परीक्षण का प्रयोग किया गया तथा मध्यमानों के बीच अन्तर की सार्थकता की जाँच की गई ।

अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि,

1. हिन्दी, गणित और विज्ञान में औसत कार्य में प्रतिवर्ष निरन्तर वृद्धि हुयी किन्तु अंग्रेजी में

---

23. एन0 आर0 शर्मा, "एक्जॉमिनेशन रिफॉर्म- एन एनॉलिसिस ऑफ पब्लिक एक्जॉमिनेशन रिजल्ट्स ऑफ यू0 पी0 बोर्ड, गवर्नमेंट हॉयर सेकेण्डरी स्कूल, अलीगंज, नई दिल्ली, 1966 (एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 फाइनेन्सड़)

सन् 1961 से सन् 1965 तक एक विपरीत प्रवृत्ति ही देखी गयी ।

2. सन् 1964 में पाठ्यक्रम के बोझे में कमी हो जाने से अध्ययन हेतु चुने गये प्रत्येक विषयों में छात्रों की औसत उपलब्धि अधिक अच्छी रही ।
3. औसतन एक ग्रामीण अभ्यर्थी ने प्रत्येक विषय में अपने प्रतिद्वन्दी शहरी छात्र की तुलना में 5 या इससे अधिक अंक कम प्राप्त किये ।
4. सार्वजनिक एवं गृह परीक्षाओं के बीच सहसम्बन्ध गुणाँक 0.05 स्तर पर धनात्मक तथा महत्वपूर्ण पाया गया ।

जी0सी0पी0आई0 (1981)[24] द्वारा अच्छे परीक्षा परिणामों केलिये उत्तरदायी कारकों का अध्ययन किया गया ।

अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य थे -

1. परीक्षापरिणामों की प्रतिशत वृद्धि के लिये उत्तरदायी कारणों का पता लगाना ।
2. परीक्षा परिणामों की प्रतिशत गिरावट के लिये उत्तरदायी कारणों का पता लगाना ।
3. परीक्षा परिणामों को प्रभावित करने में पाठ्यसहगामी क्रियाओं के योगदान का अध्ययन ।
4. परीक्षा परिणामों को उन्नत बनाने के लिये सम्भावित उपायों को प्रस्तावित करना ।

इलाहाबाद शहर तथा उसके आस-पास के क्षेत्र के 10 विद्यालयों को उनके लगातार तीन वर्षों-1977, 1978 तथा 1979 के परीक्षा परिणामों के आधार पर अध्ययन के लिये चुना गया। इसमें पाँच विद्यालय अच्छे प्रतिशत के परीक्षा परिणाम वाले तथा शेष पाँच विद्यालय गिरे हुये प्रतिशत के परीक्षा परिणाम वाले थे । इनमें 8 विद्यालय लड़कों के तथा 2 विद्यालय लड़कियों के थे तथा इनमें 7 विद्यालय शहरी क्षेत्र में तथा 3 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित थे । उपरोक्त विद्यालयों के 10 प्रधानाचार्यों तथा 50 अध्यापकों से सूचना एकत्र की गयी / जानकारी हासिल की गयी । आँकड़े एकत्र करने के लिये अनेक उपकरण प्रयुक्त किये गये, जिनमें एक स्कूलस्टडी प्रोफार्मा, एक प्रश्नावली प्रधानाचार्यों के लिये, एक प्रश्नावली अध्यापकों के लिये थी । प्रतिशतों तथा आवृत्तियों की गणना द्वारा आँकड़ों का विश्लेषण किया गया ।

---

24. जी0 सी0 पी0 आई0, "ए स्टडी ऑफ दि फेक्टर्स रिस्पान्सिबिल फॉर गुड एक्जॉमिनेशन रिजल्ट्स" इलाहाबाद-1981

अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये -

1. एक अच्छा विद्यालय भवन, एक अच्छी प्रयोगशाला, अच्छा फर्नीचर, उचित पुस्तकालय एवं वाचनालय सुविधा, खेल का मैदान, खेलकूद, स्कूल की उचित स्थिति एवं वातावरण परीक्षा परिणामों को उन्नत बनाने में सहायता करते हैं ।
2. प्रधानाचार्य का शिक्षण अनुभव, योग्य एवं अनुभवी स्टॉफ, अच्छी शिक्षण विधियाँ, गृह कार्य का नियमित संशोधन, नियमित मूल्यॉंकन, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की ओर ध्यान देना, छात्रों का उचित शैक्षिक मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन, विद्यालय प्रवेश के समय छात्रों की अच्छी शैक्षिक उपलब्धि, छात्रों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, प्रधानाचार्य एवं अन्य स्टॉफ के बीच स्वस्थ, सम्बन्ध अध्यापकों तथा अभिभावकों के मध्य उचित सहयोग अच्छा प्रबन्ध-तंत्र तथा अच्छा अनुशासन ऐसे अन्य कारक हैं, जो परीक्षा परिणामों में सुधार को निश्चिततौर पर प्रभावित करते हैं ।
3. परीक्षा परिणामों में सुधार के लिये एक प्रमुख कारक था-अध्यापकों के साथ उस सत्र के दौरान आयोजित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के सम्बन्ध में बात करना ।
4. जिन विद्यालयों के परीक्षा परिणाम अच्छे थे तथा जिन विद्यालयों के परीक्षा परिणाम गिरे हुये थे, के बीच विद्यालय में कार्यदिवसों की संख्या, अध्यापकों का कार्यभार, अध्यापक-छात्र अनुपात तथा छात्रों के प्रवेश एवं प्रोन्नति के नियम एवं विनियमों के सम्बन्ध में सार्थक अन्तर नहीं है ।
5. दोनों प्रकार के विद्यालय अपने अध्यापकों की शैक्षिक एवं व्यवसायिक उन्नति के प्रति उदासीन पाये गये ।
6. गिरे हुये परीक्षा परिणामों के लिये जो कारक जिम्मेदार हैं, वो हैं—कार्य समर्पित अध्यापकों की कमी, छात्रों में अध्ययन के प्रति रूचि की कमी एवं अनुशासनहीनता, अभिभावकों की अपने आश्रितों की शिक्षा के प्रति उदासीनता, गृह कार्यमें उचित संशोधन का अभाव/कमी, छात्र-संघ के सदस्यों का विद्यालय के क्रिया कलापों में अनावश्यक व्यवधान, विद्यालयों में भौतिक साधनों की कमी, छात्रों की नकल तथा अनुमान की प्रवृत्ति, छोटी तथा घटिया पुस्तकों का पाठन, छात्रों में पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रूचि का अभाव तथा अध्यापकों का प्राईवेट ट्यूशन में जुड़ा होना ।

परिषद् की परीक्षाओं के परिणामों को उन्नत बनाने के लिये जो उपाय सुझाये गये, वो हैं - कार्यदिवसों की संख्या में वृद्धि, उपचारात्मक शिक्षण का प्रबन्ध, गृह कार्य का नियमित

संशोधन, सीमित प्रवेश, पाठ्यसहगामी क्रियाओं का प्रबन्ध, पाठ्यक्रम का समय से पूरा होना तथा उसकी पुनरावृत्ति, घटिया किस्म की पुस्तकों तथा गैस पेपरों के प्रकाशन पर रोक, छात्रों एवं अभिभावकों का अनुशासन बनाये रखने में सहयोग तथा अच्छे परीक्षा परिणामों को लाने के लिये अध्यापकों को प्रोत्साहित करना ।

विवेचन एवं तुलना :-

देश की विभिन्न माध्यमिक शिक्षा परिषदों से सम्बन्धित पी-एच0 डी0 स्तर पर किये शोध अध्ययनों में अधिकांश अध्ययन परिषदों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं से सम्बन्धित हैं ।

दत्त (1954) ने दिल्ली की माध्यमिक परीक्षाओं के भविष्य सूचक महत्व पर शोध किया है । देशपाण्डे (1972) ने माध्यमिक शिक्षा परिषद्, विदर्भ की परीक्षाओं के बाह्य तथा आंतरिक अंकों की विश्वसनीयता तथा त्रिवेदी (1976) ने विभिन्न माध्यमिक शिक्षा परिषदों की मूल्यांकन व्यवस्था का अध्ययन किया है ।

मस्करेंहस (1977) ने महाराष्ट्र राज्य की माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं के सुधार पर शोध किया है तथा ऐसा ही एक अध्ययन दास (1987) द्वारा किया गया । इन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद्, आसाम की परीक्षाओं के प्रशासन पर, परिषद् द्वारा सन् 1976 में परीक्षा संचालन में किये गये सुधारों के विशेष संदर्भ में अध्ययन किया ।

छाया (1978) ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कक्षा 8 तथा कक्षा 10 के छात्रों की भौतिक विज्ञान में उपलब्धि का अध्ययन किया तथा तिवारी (1982) ने राजस्थान, दिल्ली मध्यप्रदेश, हरियाणा की माध्यमिक शिक्षा परिषदों तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के उच्च माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र में उपलब्धि मापन की प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है ।

उपाध्याय (1986) ने परिषदीय परीक्षाओं के अच्छे तथा बुरे परीक्षाफलों के लिये उत्तरदायी कारकों का अध्ययन किया है ।

परीक्षा व्यवस्था से हटकर दत्ता (1981) तथा वासु (1983) ने माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पाठ्यक्रम पर अध्ययन किये हैं । दत्ता ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विज्ञान पाठ्यक्रम का तुलनात्मक अध्ययन किया है जबकि वासु ने माध्यमिक

शिक्षा परिषद् द्वारा हाईस्कूल स्तर के लिये निर्धारित किये गये पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है ।

उपर्युक्त शोधों से अलग शर्मा (1987) ने विभिन्न माध्यमिक शिक्षा परिषदों के प्रशासन का अध्ययन किया तथा दत्ता (1981) ने अपने शोध का विषय "पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा परिषद्" रखा ।

पी-एच0 डी0 स्तर से भिन्न परिषदों से सम्बन्धित अध्ययनों में बोकिल ने सन् 1956 से सन् 1963 के मध्य महाराष्ट्र राज्य की माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं पर आठ अध्ययन किये हैं, जिनमें उन्होंने छात्रों की निष्पत्ति, परीक्षाओं के परिणाम तथा उनका तुलनात्मक अध्ययन, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों एवं गैर-अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के विभिन्न विषयों के परीक्षाफलों आदि पर अध्ययन किया है ।

बुच (1963) ने माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं के भविष्यसूचक महत्व का अध्ययन किया है ।

अदावल, कक्कर, अग्रवाल तथा गुप्ता (1961) ने माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारणों का अध्ययन किया। इसी तरह का एक अध्ययन जी0 सी0 पी0 आई0 (1964) द्वारा भी किया गया, जिसमें इसी परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों के उच्च आपतन के कारणों का अध्ययन किया गया । एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 (1965) द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण छात्रों का तथा डेप्से (1964) द्वारा आठ माध्यमिक शिक्षा परिषदों के अनुत्तीर्ण छात्रों का अध्ययन किया गया ।

दवे तथा पटेल (1966) ने माध्यमिक शिक्षा परिषदों के परीक्षाफलों का विश्लेषण तथा शर्मा (1966) ने माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के परीक्षाफलों का विश्लेषण तथा परीक्षा सुधार पर एक अध्ययन किया ।

साली तथा उमाथे (1979) ने महाराष्ट्र राज्य की माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा अन्य माध्यमिक शिक्षा परिषदों में विज्ञान विषय के सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक अंकों के मध्य सह सम्बन्ध का अध्ययन किया । सिंह (1983) ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पत्राचार पाठ्यक्रम का अध्ययन किया तथा जी00 सी0 पी0 आई0 (1981) द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के अच्छे परीक्षाफलों के लिये उत्तरदायी कारकों का अध्ययन किया ।

दत्त (1954) ने प्रदत्त संकलन विभिन्न कार्यालयों के अभिलेखों तथा प्रश्नावली के माध्यम से किया । देशपाण्डे (1972) ने आँकड़ों के एकत्रीकरण के लिये विभिन्न उपलब्धि

परीक्षणों का उपयोग किया । त्रिवेदी (1976) ने अपने अध्ययन में आँकड़ों का संकलन परिषद् के कार्यालय से तथा सम्बन्धित लोगों से साक्षात्कार तथा प्रश्नावली के माध्यम से किया । मस्करेंहस (1977) ने अपने अनुसंधान में प्रश्नावली, साक्षात्कार, विचार विमर्श तथा उत्तरपुस्तकाओं की संनिरीक्षा के द्वारा आँकड़े एकत्र किये । छाया (1978) ने प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया ।

दत्ता (1981) ने अपने शोध में अनुसंधान की ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया है । प्रदत्तों का संकलन प्राथमिक स्त्रोत के रूप में विभिन्न राजकीय दस्तावेज, सरकारी अधिकारियों से पत्राचार, न्यायिक कार्यवाहियों के विवरण एवं शासकीय रिपोर्ट तथा द्वितीय स्त्रोत के रूप में माध्यमिक शिक्षा के जनरल्स तथा भारत एवं विदेशों के माध्यमिक शिक्षा पर मानक प्रकाशनों द्वारा, सेवानिवृत्ति अधिकारियों से साक्षात्कार तथा माध्यमिकशिक्षा से सम्बन्धित लोगों से प्रश्नावली भरवा कर किया गया ।

गोयल (1982) ने अपने अनुसंधान में विभिन्न मापनियों का प्रयोग किया । तिवारी (1982) ने चेकलिस्ट के माध्यम से आँकड़े एकत्र किये । वासु (1983) ने विचारमाला, अनुसूची तथा सिचुऐशनल परीक्षण का प्रयोग किया । उपाध्याय (1986) ने प्रदत्त संकलन के लिये विकासात्मक मैट्रिक्स, एस0 ई0 एस0 स्केल, इन्वेन्टरी एवं प्रश्नावली का उपयोग किया है ।

शर्मा (1987) ने अपने शोध में ऐतिहासिक विधि तथा मानकीय सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया । प्रदत्तों का संकलन प्राथमिक स्त्रोत एवं द्वितीय स्त्रोत, जैसे—परिषद् के नियम, अधिनियम एवं परिनियम, सरकारी प्रकाशनों तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा सम्बन्धित स्कूल शिक्षा परिषदों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में दिये गये निर्णयों के माध्यम से किया । इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने शोध में प्रश्नावली तथा विचारमाला का भी उपयोग किया ।

अदावल, कक्कर, अग्रवाल तथा गुप्ता (1961) ने अपने अध्ययन में मनोवैज्ञानिक परीक्षण तथा साक्षात्कार के माध्यम से प्रदत्त संकलन किया । बुच (1963) ने अपने अध्ययन का आधार परिषद् कार्यालय से एकत्र आँकड़ों को बनाया जबकि जी0 सी0 पी0 आई0 (1964) द्वारा साक्षात्कार प्रविधि तथा प्राप्तांक प्रतिशत के माध्यम से प्रदत्त एकत्र किये गये । डेम्प्से द्वारा किये गये अध्ययन में प्रदत्तों का संकलन परिषद् कार्यालयों में स्वयं जाकर, पत्राचार से तथा प्रकाशित परीक्षाफलों के माध्यम से किया गया । दबे तथा पटेल (1966) ने सम्बन्धित विद्यालयों से प्रदत्तों का संकलन किया तथा जी0 सी0 पी0 आई0 (1981) ने अपने अध्ययन के आँकड़ें विभिन्न प्रश्नावलियों तथा

स्कूल स्टॅडी प्रोफार्मा के माध्यम से एकत्र किये ।

उपर्युक्त अध्ययनों में गोयल (1982), दत्ता (1981), वासु (1983) तथा शर्मा (1987) के अध्ययनों को छोड़कर शेष सभी में अध्ययन का विषय विभिन्न परिषदों द्वारा आयोजित परीक्षाओं से ही सम्बन्धित है । गोयल तथा वासु ने परिषद् के पाठ्यक्रम पर अध्ययन किया । शर्मा ने विभिन्न परिषदों के प्रशासन को अपने अध्ययन का शोध विषय बनाया तथा दत्ता ने अपने शोध का विषय 'पशिचमी बंगाल की माध्यमिक शिक्षा परिषद्' रखा । दत्ता ने अपने अध्ययन में परिषद् के प्रशासन, परीक्षा व्यवस्था, ऐतिहासिक विकास के साथ ही साथ परिषद् के वित्त के नियंत्रण पर भी प्रकाश डाला है ।

उपर्युक्त शोधों के उद्देश्यों तथा काल में प्रस्तुत शोध से भिन्नता है । उद्देश्यों में भिन्नता होने के कारण उनके निष्कर्षों में भी विभिन्नता है । प्रस्तुत शोध में उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद् के संगठन, प्रशासन तथा वित्त-व्यवस्था का अध्ययन किया जायेगा । ऊपर वर्णित जिन शोधों का विषय परिषद् की परीक्षाओं तथा पाठ्यक्रम से सम्बन्धित है, उनकी प्रस्तुत शोध से भिन्नता उद्देश्यों की भिन्नता के कारण स्वतः स्पष्ट है । शर्मा (1987) ने हिमाचल प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विशेष संदर्भ में विभिन्न माध्यमिक शिक्षा परिषदों के प्रशासन का अध्ययन किया है । दत्ता (1981) ने पश्चिम बंगाल की माध्यमिक शिक्षा परिषद् को अपना शोध विषय बनाया है, जिसमें उन्होंने परिषद् के प्रशासन, ऐतिहासिक विकास, परीक्षा व्यवस्था तथा वित्तीय नियंत्रण का अध्ययन किया है । इसमें अनुसंधान की ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया है तथा प्रदत्तों का संकलन विभिन्न प्राथमिक तथा द्वितीयक स्त्रोत, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली के माध्यम से किया है, जबकि प्रस्तुत शोध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के संगठन, प्रशासन तथा वित्त-व्यवस्था का अध्ययन किया जायेगा । दत्ता की शोध में तथा प्रस्तुत शोध में लगभग समान पहलुओं एवं आयामों पर अध्ययन किया गया है, लेकिन चूंकि दोनों अध्ययन भिन्न-भिन्न माध्यमिक शिक्षा परिषदों के हैं इसलिये इनमें परस्पर विभिन्नता है । दत्ता की शोध विधि तथा प्रस्तुत शोध अध्ययन की शोध विधि में समानता है । दोनों में ऐतिहासिक शोध विधि का प्रयोग किया है । प्रस्तुत शोध में प्रदत्त संकलन के लिये प्राथमिक स्त्रोत के रूप में सरकारी दस्तावेज, परिषद् नियम-संग्रह, सरकारी बजट आदि तथा द्वितीयक स्त्रोत के रूप में विभिन्न विद्वानों की विषय से सम्बन्धित पुस्तकों का उपयोग किया गया है । प्रस्तुत अध्ययन एक लॉगीट्यूडनल स्टॅडी

है । इसमें परिषद् की स्थापना (1921) से अद्यावधि तक का अध्ययन किया गया है । इतने लम्बे अन्तराल का उपरोक्त में से कोई भी अध्ययन नहीं है ।

अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत शोध अध्ययन अनुसंधानकर्ता का सर्वथा नवीन तथा प्रथम प्रयास है ।

तृतीय अध्याय

माध्यमिक शिक्षा परिषद् का संगठन

संगठन एक ढांचा है, जिसके माध्यम से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है । उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इसके अन्तर्गत मानवीय तथा भौतिक साधनों का समावेश किया जाता है तथा उनके उचित उपयोग के लिये नियम बनाये जाते हैं । संगठन के अभाव में किसी भी संस्था अथवा जनसमूह के लिये अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना सम्भव नहीं है । इसके द्वारा उद्देश्यों, कार्यक्रमों तथा मानवीय एवं भौतिक साधनों में सक्रिय सम्बन्ध स्थापित किया जाता है तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के उत्तरदायित्व एवं अधिकार निश्चित किये जाते हैं, जिससे वे अपने कार्य को परस्पर सहयोग से सरलतापूर्वक सम्पन्न कर सकें ।

संगठन एक सामाजिक विधि है जिसमें कुछ क्रिया–कलाप होते हैं और वे सामाजिक नियमों से ठीक उसी प्रकार नियंत्रित होते हैं, जैसे कि लोगों की कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकतायें होतीं हैं, उनकी समाज में कुछ भूमिकायें होतीं हैं तथा उनका समाज में कुछ स्तर होता है । सामाजिक विधि की ही तरह सामाजिक परिवेश होता है, जिसको हम स्थिर सम्बन्धों की अपेक्षा गतिशील परितर्वन कहते हैं । इस प्रकार की समाज तकनीकी विधि परिवेश में अन्तर क्रियाओं को सम्प्रति करती है, इसमें सुग्राहशीलता और मशीनरी की समुचित परिचर्या दोनों तरह की स्थितियाँ होतीं हैं । ये ढांचे के स्वरूप एवं क्रियाकलापों की परिस्थितियों के अनुसार बदलतीं रहतीं हैं, क्योंकि परिवेशिक स्थितियाँ भी परिवर्तनशील हैं । प्रत्येक संगठन में ढांचा एवं परिवेश ही ऐसे दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कार्य के बीच में विवाद, अवरोध एवं तनाव को जन्म देतें हैं तथा कार्यकर्ताओं की सहभागिता को भी प्रभावित करते हैं । नेजर तथा ऑई ने संगठन में उत्तेजना एवं सबलता की इस प्रक्रिया को आवश्यकता के रूप में माना है, क्योंकि यही दोनों तत्व किसी संगठन में सहजभाव संतुलन भी स्थापित करते हैं । आधुनिक समाज में प्रत्येक संगठन को दुर्दान्त परिवेश की चुनौती का सामना करना पड़ता है । संगठन की प्रभावी एवं नवाचरित क्रियाकौशल को सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि कार्यकर्ताओं के आचरणात्मक वातावरण तथा उनको गतिशीलता बनाये रखने के लिये निर्धारित की गयी रणनीति तथा प्रशासन का स्वरूप भी कुछ उसी प्रकार का हो ।

बेबर ने संगठनों के अध्ययन के क्षेत्र में कुछ अधिक अग्रणी कार्य किये हैं, लेकिन बहुत से लेखकों ने उस क्षेत्र में अपनी भी छाप छोड़ी है । बरनाई, पारसन्स, मार्श एवं साइम, बॉक, हॉपकिन्स और एसिऑनी ने आधुनिक संगठनों में प्रत्याशित जटिलताओं की प्रवृत्ति की व्याख्या एवं विवेचना करने का प्रयास किया है तथा उसे अपने ढंग से परिभाषित भी किया है ।

फ्रेजर ने संगठन की परिभाषा निम्नवत् दी है :-

"लोगों के समूह द्वारा सामान्य रूप से किये गये कुछ प्रयासों - क्रियाकलापों का समन्वयन, समूह की सामूहिकता की परिस्थितियाँ, लक्ष्यपूर्ति हेतु किये गये प्रयास तथा अधिकृत रूप से एवं व्यवस्थित ढंग से समन्वित प्रतिफल, जो योजनाबद्ध ढंग से संचालित हों, को सामान्यतः संगठन कहते हैं[1] ।"

कॉरविन के शब्दों में,

" हम किसी भी संगठन को, अन्तर-क्रियाओं में स्थिरता, सामूहिकता (नाम व अवस्थिति), हित साधन एवं दायित्व निर्वाह तथा अधिकृत रूप से समन्वयन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं[2] ।"

संगठन की ये परिभाषायें निम्न बिन्दुओं की ओर इंगित करतीं हैं :-

(1) सामूहिक पहचान,

(2) समूह में परस्पर सामंजस्य,

(3) लक्ष्य

(4) व्यवस्था में समन्वयन, तथा

(5) अन्तर्क्रियाओं का स्थायित्व ।

जे0 बी0 सीयर्स ने अपनी पुस्तक , "द नेचर आफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसिस" में संगठन की निम्न परिभाषा दी है :-

"संगठन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विभिन्न स्वतन्त्र तत्वों का चयन एवं उनकी व्यवस्था इस प्रकार करते हैं कि वे एक रूप होकर तकपूर्ण रीति से कार्यशील हो सकें । उसका सम्बन्ध मुख्यता ऐसी व्यवस्था करने से है, जिससे सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सरलतापूर्वक व्यवहारतः सम्पन्न हो सकें ।"[3]

स्कॉट के अनुसार :-

"निरन्तरता एवं क्रमिकता से आबद्ध किये गये ऐसे प्रयासों का सामूहिक एवं भौतिक स्वरूप जो उद्देश्य पूर्ति में सहायक हो, संगठन कहा जाता है । संगठन में कुछ निर्धारित सीमायें, कुछ व्यवस्थायें कुछ अधिकृत पद, संचारकी एक निश्चित व्यवस्था तथा सहभागियों को कार्य हेतु

---

1. जी0 वाई0 फ्रेजर, ऑरगनाइजेशनल प्रापर्टीज एण्ड टीचर रिएक्शन, अनपब्लिशड पी-एच0 डी0 थिसिस, युनीवर्सिटी ऑफ मिसौरी 1967
2. आर0 जी0 कॉरविन, "स्टॉफ कान्फ्लिक्ट इन पब्लिक स्कूल' को रेज0 प्रोजेक्ट नं0 2637 ऑफिस ऑफ एजूकेशन, यु0 एस0 डिपार्टमेंट ऑफ एच0 ई0 डब्ल्यु0 1966
3. जे0 बी0 सीयर्स, 'दि नेचर आफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसिस' । कोटेड इन किशन चन्द्र जैन, "शैक्षिक संगठन" प्रशासन एवं पर्यवेक्षण " जयपुर राजस्थान दिन्दी ग्रन्थ अकादमी 1976, पृष्ठ 2

अनुप्रेरित करके सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की रणनीति शामिल है ।[4]

संगठन के अन्तर्गत अनेक व्यक्ति एक निश्चित कार्य विधि के अनुसार तथा प्रदत्त साधनों के आधार पर उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से कार्य करते है । संगठन एकतंत्रात्मक अथवा प्रजातांत्रिक सिद्धांत पर आधारित हो सकता है । एकतन्त्रात्मक व्यवस्था में सगठन के संचालन का अधिकार एक व्यक्ति में केन्द्रित होता है, जबकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह अधिकार एकात्मक होते हुये भी स्त्रोत एवं उपयोग की दृष्टि से संगठन के सब भागों में वितरित होता है ।

संगठन केकार्य में दूरदर्शिता, उच्चस्तरीय ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता होती है संगठन एक कार्यात्मक प्रवृत्ति नहीं है ,उसका कार्य केवल मानवीय एवं भौतिक साधनों को जुटाना और उनको व्यवस्थित रूप देना है । इसको क्रिया का रूप देना प्रशासन का कार्य है ।

संगठन वह माध्यम है जिसके द्वारा सुव्यवस्थित प्रशासन,प्रबन्धन द्वारा निर्धारित उद्देश्य पूरे करता है । इस प्रकार प्रबंधन, प्रशासन तथा संगठन परस्पर अन्तरबद्ध होते हैं । इनके परस्पर सम्बंध में निम्न प्रकार समझा जा सकता है ।

प्रबंधन (नीति-निर्धारण, निर्देशन एवं मार्ग दर्शन)
↓
प्रशासन (नीति-क्रियान्वयन, निरन्तरता एवं वर्चस्व)
↓
संगठन (वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन)

उपरोक्त चार्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रबंधन समुचित नीति का निर्धारण करता है तथा प्रशासन, सुसंगठन के माध्यम से उस नीति का क्रियान्वयन करता है ।

किसी भी संगठन का अध्ययन निम्न तीन दृष्टियों से किया जा सकता है -

1. उसकी संरचना की दृष्टि से ,
2. उसके अर्न्तगत कार्यरत व्यक्तियों के परस्पर सम्बंधों की दृष्टि से ,
3. उसकी प्रक्रिया की दृष्टि से ,

4- पीटर एम0 व्लू एण्ड डब्ल्यु रिर्चाड स्कॉट "फारमल ऑर्गेनाईजेशन -ए कम्परेटिव एप्रोच" सैन फ्रान्सिको, चन्दर पब्लिकेशिंग कम्पनी - 1962

संरचना की दृष्टि से संगठन के तत्व, व्यक्ति, बस्तु आदि होते हैं, जो उसे एक भिन्न इकाई का रूप प्रदान करते हैं , उसके मानवीय एवं भौतिक तत्वों के मध्य निश्चित सम्बंधों के कारण संगठन की स्थिर संरचनाओं को एक कार्यकारी रूप प्राप्त होता है और प्रक्रिया के रूप में हम संगठन को उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में उसके विभिन्न अंगों के समयोजित प्रयास के रूप में देखते हैं ।

किसी संगठिन के निर्माण में निम्न तीन बातो पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है-

1. उद्देश्यों का निर्धारण
2. उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठन के कार्यों का निश्चयन
3. इन कार्यों को सम्पन्न करने के लिये उचित संरचनात्मक व्यवस्था करते समय विभिन्न पदों एवं उनके उत्तर दायित्व का निर्णय करना ।

संगठन के प्रकार -

सामान्यतया संगठन के दो प्रकार होते है ।

1. औपचारिक संगठन
2. अनौपचारिक संगठन

(1) औपचारिक संगठन -

पीटर एम0 ब्लू और डब्ल्यू रिचार्ड स्कॉट[5] के अनुसार "औपचारिक रूप से प्रतिस्थापित संगठनों का प्रमुख उद्देश्य विशेष लक्ष्यों की पूर्ति करना होता है ।"

उदाहरण के लिये, एक सार्वजनिक चिकित्सालय का केन्द्रीय उद्देश्य प्रत्येक जरूरतमन्द व्यक्ति को चिकित्सकीय सहयोग प्रदान करना होता है ।

एडगर एल0 मारफेट के अनुसार- 6

औपचारिक संगठनों की महत्वपूर्ण विशेषतायें निम्नलिखित हैं -

1. समूह द्वारा अधिकार प्राप्त औपचारिक संगठन का एक व्यवस्थित ढांचा होता है
2. समूह का प्रत्येक सदस्य पारस्परिक अन्तर्क्रियाओं में अपने को समूह के अन्य सदस्यों से नहीं जोड़ पाता है ।

---------- स्कॉट ----------

5- पीटर एम0 ब्लू एण्ड डब्ल्यू रिर्चाड "फारमल ऑरगनाईजेशन -ए कम्परेटिव एप्रोच" सेन फ्रान्सिसको, चन्दर पब्लिशिंग कम्पनी, 1962 पृष्ठ- 10

6- एडगर एल0 मारफेट तथा अन्य "एजूकेशनल ऑरगनाईजेशन एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन" न्यूजर्सी, प्रिंटिस हाल, 1967, पृष्ठ-128

2. पदाधिकारी अपने अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति सचेष्ट होते हैं ।

4. समूह के कार्य, लक्ष्य तथा उद्देश्य औपचारिक रूप से निर्धारित होते हैं।

5. इसका पूरा स्वरूप विधि द्वारा नियंत्रित होता है ।

(2) **अनौपचारिक संगठन -**

कोई भी अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के लोगों के साथ परस्पर अन्तर सम्बंधों के आधार पर विकसित होता है तथा उद्देश्य एवं अधिकारों की अपेक्षा व्यक्तित्व आबद्ध होता है ।

अनौपचारिक संगठन किसी भी विधिक व्यवस्था से प्रतिबन्धित न होकर पारस्परिक सम्बंधों एवं व्यक्तियों के स्वयं के सोच से बंधे होते हैं ।

उदाहरणार्थ-

कुछ व्यक्ति यदि टैगोर के साहित्य में आस्था या रूचि रखते हैं, तो टैगोर सोसाइटी का गठन नितांत सामान्य बात है ।

ये लोग आपस में अनौपचारिक रूप से मिलते हैं, कुछ कार्यक्रम निर्धारित करते हैं और उनका क्रियान्वयन करते हैं । इस प्रकार के अनौपचारिक संगठनों का विकास उसके सदस्यों के आचरण, रूचि, निष्ठा, योगदान एवं प्रयासों पर निर्भर करता है । ये सभी अन्तर शक्तियाँ एक सामूहिक दृष्टिकोंण को जन्म देतीं हैं, जिनमें कुछ आचरणात्मक उत्कृष्टतायें विशेष रूप से उभरतीं हैं और यही एक प्रकार से अनौपचारिक समूह के सदस्यों की सोच का मूल्यांकन होता है । अनौपचारिक संगठन सदस्यों में स्वत्व के भाव को भी जन्म देता है ।

अनौपचारिक संगठन की महत्वपूर्ण विशेषतायें निम्न लिखित हैं -

1. समूह का प्रत्येक सदस्य अपने सहधर्मी सदस्य के साथ अन्तर-क्रिया में सक्षम होता है ।

2. समूह का स्वयं का ढांचा विकसित होता है ।

3. समूह स्वयं ही अपना नेतृत्व निर्धारण करता है ।

4. समूह का गठन विशुद्ध शैक्षिक रूप से होता है, जिसका उद्देश्य सामूहिक रूप से निर्धारित किये गये किसी लक्ष्य विशेष को प्राप्त करना या क्रिया विशेष को सम्पादित करना होता है ।

5. इसका स्वरूप विधिबद्ध अथवा पद प्रेरित नहीं होता है ।

अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के क्रियाकलापों एवं लक्ष्य पूर्ति में बड़ा महत्व पूर्ण योगदान करते हैं । इसको निम्न तीन रूपों में वर्गीक्रत किया जा सकता है ।

1. अनौपचारिक संगठन, औपचारिक संगठनों की पृष्ठभूमि में केन्द्रित होते हैं ।

2. अनौपचारिक संगठन, औपचारिक संगठनों की पृष्ठभूमि को सुदृढ़ करते हैं ।

3. अनौपचारिक संगठन अपने सदस्यों के मनोवैज्ञानिक हित साधन का माध्यम होते हैं ।

औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन के बीच महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि औपचारिक संगठन स्वाभावतः आंशिक रूप से स्थाई होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन नितांत लघुजीवी तथा समूह के उद्‌देश्य विशेष तक सीमित होते हैं ।

बर्नार्ड[7] महोदय का मत है कि अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठनों के भीतर बिना सचेतनता के जन्म लेते हैं तथा अस्थिर, अनिश्चित एवं अस्थायी होते हैं, इनका स्वयं का न तो कोई ढांचा होता है और न ही कोई निश्चित एकांश होते हैं । इनकी उपस्थिति भूल समूह के लक्ष्यों को पाने में कभी-कभी अद्‌भुत योगदान करती है और कभी-कभी विघटन का कारण भी बनती है ।

संगठन के अभिलक्षण-

आज के संगठन क्षेत्र विशेष में कुछ अधिक जटिल परन्तु विशेषता पूर्ण होते हैं। संगठनों का इस रूप में विकास पिछली शताब्दी में हुआ है । प्राचीन काल में मनुष्यों की सामाजिक संस्थायें मौलिक रूप से अनौपचारिक एवं आमने-सामने वाले आधार पर गठित होतीं थीं। मध्य युग एवं राजशाही में मौलिक समाज विधि में व्यक्ति की इकाई के स्थान पर सामूहिकता को अधिक महत्वपूर्ण माना गया । धीर-धीरे औद्योगिक क्रांति ने मनुष्यों को संसाधनों एवं अर्थबद्ध प्रयासों की दृष्टि से व्यक्तियों के संगठन (एक व्यक्ति का नहीं) के रूप में संगठित होने हेतु अग्रसर किया । आज की सामाजिक, शैक्षिक एवं व्यवसायिक संस्थानों में व्यवस्थाओं की विविधता के साथ जटिलता में भी बहुलता आयी है । सभी मानव समाजों में इस प्रकार का चुनौती भरा परिवर्तन और जटिलतायें नितांत सहज हैं, जो मानव समाज की संस्कृतियों के प्रतिफल स्वरूप उभर रहीं हैं और इसका प्रमुख कारण,

---

7- चेस्टर आई0 बर्नार्ड, "दि फंक्शनस् आफ दि एक्जीक्यूटिव "
कैम्ब्रिज, मास हार्वाड युनीवर्सिटी प्रेस,
1938, चेप्टर-1.

मनुष्य का तार्किक आधार पर बौद्धिक विकास है । संस्थायें स्थिर नहीं होतीं, उनमें सतत् परिवर्तन उनका स्वभाव होता है । पुराने स्वरूप बदलते रहते हैं तथा नये स्वरूपों का उदय होता है । पारम्परिक क्रियाकलापों में परिवर्तन आते हैं तथा नये अर्थों एवं मूल्यों का प्रार्दुभाव होता है । बड़े पैमाने पर गठित संगठनों में इस प्रकार की परिबर्तनशील प्रवृत्ति का ही प्रतिफल है कि संगठनात्मक वातावरण में परिवर्तनशीलता आयी है और यह परिवर्तनशीलता संगठनों की उत्पादकता एवं प्रभावीपन में वृद्धि कारक है ।

जटिल संगठनों के प्रादुर्भाव ने प्रबन्धकीय एवं प्रशासकीय कार्य विधि में एक क्रांति ला दी है । प्राचीन काल के परम्परागत अनौपचारिक सामाजिक संगठनों की प्रशासनिक व्यवस्था साधारण थी । संगठनों में जटिलता के समावेश ने प्रशासनिक कार्यविधि को कुछ अधिक महत्व दे दिया है। यह विकास विशेष रूप से बीसवीं शताब्दी में हुआ और इसी के साथ संगठनों की नयी परिभाषायें एवं संगठनों के प्रशासन में नयी अवधारणायें विकसित हुयी हैं । फेडरिक डब्लू टेलर की विज्ञान परख प्रबंधन - सिद्धांत, मेक्स बेबर की नौकरशाही स्वरूप वाली मान्यता और पॉयोल का प्रशासनिक प्रबंधन-सिद्धांत तथा गुलिक एवं उर्विक, मॉनी और बैली ने जो कुछ भी कहा वह सब संगठनों के परम्परागत सिद्धांतों वाले स्वरूप के काफी कुछ नजदीक था । इन सभी समाज बैज्ञानियों ने जन सहभागिता के ऊपर नियंत्रण, क्षमता आधारित ढांचे का गठन, सहभागियों का सतत् पर्यवेक्षण एवं गहन समन्वयन पर अधिक बल दिया परन्तु ये सभी सिद्धांत परिवेश जनित प्रभावों से काफी दूर पाये गये, साथ ही इनमें सगठनों के अन्तर्स्वरूप को अवस्थित करने हेतु वांछित कई महत्वपूर्ण आंतरिक पहलू छूट गये ।

आन्तरिक एवं बाहय प्रभाववश प्रबन्धन एवं प्रशासन के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक स्वरूप में पिछले दिनों गहन परिवर्तन हुये । तकनीकी परिवर्तनों ने अनेक अप्रत्याशित परिवर्तन मुखर किये । जहाँ तक अन्तर निग्रह जनित योगदानों की बात है आधुनिक मान्यताओं/ चिन्तन ने अपेक्षाकृत अधिक विकसित रूप संवारा है । संगठन का मुद्दा आज समाज वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों एवं मनोविश्लेषकों के लिये केन्द्रण का सहज विषय बना हुआ है जब कि यह क्षेत्र स्वतः नया है । अभी कुछ दिन पहले तक व्यवहार विज्ञानों तथा प्रबंध विज्ञानों ने संगठन के अध्ययन को बिल्कुल नये दृष्टिकोंण से देखा है । प्रबंधन विज्ञानों ने संगठनों को एक ऐसी आर्थिक तकनीकी तंत्र" के रूप में देखा है

जो किसी निश्चित/लक्षित उद्दश्यों को प्राप्त करने हेतु किये गये प्रयासों को अधिक प्रभावी एवं अधिक क्षमतावान बनाने का पक्षधर है । इसकी तुलना में व्यवहार विज्ञानों ने मनोवैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर मानव तत्व की उपस्थिति को अधिक महत्व दिया है । इन दोनों विधाओं ने पूर्ण विश्लेषित विधियों को, जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया था, पुनः अपने में समाहित करने का भी उपक्रम किया है । संगठन की दो व्याख्याओं (प्रशासन एवं प्रबंधन) ने संगठनात्मक परिवेश की दो पूर्णता भिन्न विधाओं का निष्पादन किया है, जो संगठन के कार्यकर्ताओं को अलग-अलग प्रकार से प्रमाणित करतीं हैं तथा उसके प्रतिफल को भी प्रभावित करतीं हैं । इस प्रकार के संगठन में अधिकारों एवं सत्ता के स्थान पर लोकतांत्रिक तत्व अधिक होते हैं । पद और ओहदों की अपेक्षा कार्यकताओं का संगठन में व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण होता है ।

तुलनात्मक दृष्टि से संगठन के विश्लेषण और समझ के आधार पर एक आधुनातन संगठन-सिद्धांत और विकसित हुआ है, जो मुक्त-तंत्र पर अधिक बल देता है । इनका मत है कि संगठन को अधिक मुखर समझने के लिये संगठन को एक तंत्र के रूप में देखा जाना चाहिये । तंत्र दो प्रकार के होते हैं - मुक्त तंत्र और शूक्ष्म तंत्र । मुक्त तंत्र परिवेश में अन्तर्क्रिया से सम्बंधित है । सामाजिक तंत्र मानव के चिंतन का प्रतिफल है, जो मानव प्रवृत्ति, अवधारणा, विश्वास, प्रेरणा, स्वभाव और अपेक्षाओं से सम्बद्ध है । इनको जोड़ने वाला तत्व जैविक की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक अधिक हे । पारसन्स ने संगठन को ऐसा सामजिक तंत्र माना है, जो कि एक निश्चित प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु गठित किया जाता है । इसके गठन, प्रशासन एवं समन्वय में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि संगठन में एक ऐसा उत्कृष्ट प्रकार का वातावरण बने, जो प्रभावोत्पादक हो । संगठन के आंतरिक नियंत्रण में परिवेशपरक दबाब, कार्य निर्धारण, साझामूल्य एवं अपेक्षायें तथा विभिन्न नियम और कानून अधिक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किये गये हैं । इन्हीं के कारण संगठन का सास्वत एवं लोकप्रिय स्वरूप मिलता है । संगठन में व्यक्तिशः भूमिकायें, मूल्य एवं आत्म स्वीकारोक्ति, ये तीन ऐसे अन्तरबद्ध आधार हैं, जो किसी भी सामाजिक तंत्र के समन्वित स्वरूप की पृष्ठभूमि में संगठन के मनोवैज्ञानिक परिवेश को निर्धारित करते हैं ।

संगठनों को मुख्य एवं गौण कार्यों के आधार पर समझा जाना चाहिये, साथ ही उसके नेतृत्व, व्यवस्था, संगठनात्मक स्वरूप, संगठनात्मक संस्कृति, एवं तंत्र गतिशीलता को अध्ययन में पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिये । पिछले वर्षों में इस क्षेत्र में हुये शोध कार्यों ने संगठनों की विशिष्ठताओं,

विविधताओं, ढांचों एवं क्रियाकलापों को अधिक महत्व के साथ देखा है । सामान्य से कुछ आगे बढ़ कर कार्यकर्ताओं के मनोबल, प्रशासन विधि, प्रशासनिक आकार, ओपचारिकतायें, केन्द्रीयकरण, संगठनात्मक नियंत्रण, स्वायत्तता की अवस्थिति, अन्तरसम्बद्धता, संचार, जटिलता, समन्वयता,प्रभावीपन, नवाचरण, उत्प्रेरण, शक्ति - विकेन्द्रण, संगठनात्मक - नेतृत्व, संगठनात्मक - वातावरण तथा कार्यकर्ताओं की अन्यत्र-वासिता आदि ऐसे विन्दु हैं, जो अतिशय मानवीय एवं समाजोपयोगी हैं तथा संगठन के विकास के हित में इनको चर्चा का विषय बनाया जाना चाहिये । अतीत में किये गये अधिकांश शोध कार्यो में संगठनात्मक वातावरण को कुछ अधिक महत्व दिया गया है और शायद इसका एक मात्र कारण संगठन को दीर्घजीवी देखने की परिकल्पना है । संगठनात्मक वातावरण को संगठन के जीवन का नितांत शूक्ष्म परन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,उ0 प्र0 की स्थापना-

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय है। परिषद् की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर कमीशन) की अनुशंसा के आधार पर इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 जो कि 1 अप्रैल 1922 को लागू हुआ, द्वारा इस उद्देश्य से की गयी थी कि इस परिषद् द्वारा माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर ऐसी शैक्षिक व्यवस्था का गठन किया जाये जिससे एक ओर तो ऐसे छात्रों को तैयार किया जा सके, जो कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सकें तथा दूसरी ओर यदि वे आगे अध्ययन न करना चाहें तो उन्हें व्यवसायों या नौकरियों में लगाया जा सके । अतः कहा गया कि यह बोर्ड शिक्षामंत्री के नियंत्रण में हाई स्कूल शिक्षा के सम्बंध में सेन्ट्रल बोर्ड के 'स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा' तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 'इण्टरमीडिएट व मेट्रीकुलेशन परीक्षा' के समस्त उत्तरदायित्व की पूर्ति करेगा । परिषद् की बैठक साधारणतः नवम्बर तथा फरबरी मासों में होती है । नवम्बर मास में हुयी बैठक परिषद् की वार्षिक बैठक कहलाती है ।

सन् 1921 के बाद इस अधिनियम में 1941 के उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1950 के अधिनियम संख्या 4, 1958 के अधिनियम संख्या 35, 1959 के अधिनियम संख्या 6, 1972 के अधिनियम संख्या 29, 1975 के अधिनियम संख्या 26, 1977 के अधिनियम संख्या 5, 1978 के अधिनियम संख्या 12, 1981 के अधिनियम संख्या 1 तथा 9, 1982 के अधिनियम संख्या 5,

एवं 1989 के अधिनियम संख्या 18, द्वारा अनेक संशोधन किये गये हैं ।

परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति -

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये सदस्यों की नियुक्ति की जाती है । ये सदस्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बंधित होते हैं ।

प्रदेश का शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा परिषद् का पदेन अध्यक्ष होता है । सन् 1921 में जब परिषद् की स्थापना हुई थी, उस समय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष श्री ए0 एच0 मैकेंजी (डॉयरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्सन, युनाइट्रेड प्राविन्सस्) थे तथा परिषद् के सचिव श्री राय बहादुर ए0 सी0 मुकर्जी थे । इन दो सदस्यों के अतिरिक्त परिषद् में 34 अन्य सदस्य थे, जिनकी नियुक्ति निम्न तरह हुयी थी -

1. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत मंत्री द्वारा निर्वाचित दो सदस्य ।
2. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत अशासकीय इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रधानाचार्यों द्वारा अपने से निर्वाचित 4 सदस्य ।
3. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत मंत्री द्वारा निर्वाचित एक सदस्य ।
4. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अन्तर्गत अशासकीय हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापकों द्वारा अपने से निर्वाचित 2 सदस्य ।
5. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अन्तर्गत मंत्री द्वारा निर्वाचित एक सदस्य ।
6. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अन्तर्गत मंत्री द्वारा निर्वाचित एक सदस्य ।
7. इण्टमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अन्तर्गत निर्वाचित संयुक्त प्रान्त चिकित्सापरिषद् का एक सदस्य ।

8- "कलेन्डर " फॉर दि ईयर (1923-24)
इलाहाबाद, अण्डर दि अर्थॉरिटी ऑफ दि बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट, एजूकेशन युनाइटेड प्राविन्सिस्, 1924

8. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (झ) के अन्तर्गत मंत्री द्वारा निर्वाचित एक सदस्य ।

9. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ञ) के अन्तर्गत मंत्री द्वारा निर्वाचित एक सदस्य ।

10. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के अन्तर्गत मंत्री द्वारा निर्वाचित एक सदस्य ।

11. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ठ) के अन्तर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तीन प्रतिनिधि ।

12. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ठ) के अन्तर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधि ।

13. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ठ) के अन्तर्गत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि ।

14. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ठ) के अन्तर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि ।

15. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अन्तर्गत संयुक्त प्रान्त की विधान परिषद् के नॉन आफीसियल 3 सदस्य ।

16. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ढ़) के अन्तर्गत अपर इण्डिया चेम्बर ऑफ कॉमर्स का एक सदस्य ।

17. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ढ़) के अन्तर्गत युनाइटेड प्राविन्सस् चेम्बर ऑफ कॉमर्स का एक सदस्य ।

18. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत ब्रिटिश इण्डिया एशोसियेशन का एक सदस्य ।

19. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (त) के अन्तर्गत आगरा लेन्ड होल्डर्स एसोशियेशन का एक सदस्य ।

20. इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंत्री द्वारा निर्वाचित 5 सदस्य ।

परिषद् की स्थापना से लेकर सन् 1977 के माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम के लागू होने के पहले तक परिषद् की कुल सदस्य संख्या लगभग समान रही है । लेकिन इस अधिनियम के पारित होने के साथ ही प्रत्येक सम्भाग से एक प्रधानाचार्य तथा एक अध्यापक को परिषद् की सदस्यता प्राप्त हो जाने के कारण परिषद् की कुल सदस्य संख्या में काफी वृद्धि हो गयी है । इस अधिनियम के पारित होने से पहली बार अध्यापकों को परिषद् की सदस्यता प्राप्त हुयी है । वर्तमान में परिषद् में[9] कुल 73 सदस्य हैं, जिनकी नियुक्ति निम्न तरह हुयी है -

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम -1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसार[10] बोर्ड में एक सभापति (जिस पद को शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 पदेन धारण करेगा) और निम्नलिखित सदस्य होंगे -

खण्ड (क) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो प्रधान

(ख) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो अध्यापक,

(ग) [11]प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचित राज्य सरकार द्वारा अननुरक्षित संस्थाओं के बारह प्रधान और ऐसी संस्थाओं के बारह अध्यापक;[12]

प्रतिबंध यह है कि इस खण्ड के अधीन निर्वाचन के लिये कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा जब तक कि वह संस्था का स्थाई प्रधान या यथास्थिति ऐसा स्थाई अध्यापक न हो जो उक्त सूची में विनिर्दिष्ट अनुभव रखता हो-

(घ) विलोपित -

(ङ) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित (कृषि या अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) विश्वविद्यालय से भिन्न) विश्वविद्यालयों या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय (कालेज) के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, पाँच अध्यापक,

(च) कृषि में शिक्षा देने वाला और विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में सेवा करने वाला राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यापक,

---

9- माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 "नियम-संग्रह" (सन् 1983-88) इलाहाबाद, अधीक्षक राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 (भारत) 1991, पृष्ठ-3

10- माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम-1975 द्वारा धारा (3) संशोधित । कोटेड इन 'नियम-संग्रह' (1983-88) पृष्ठ - 3

11- उ0 प्र0 शिक्षा विधि अधिनियम 1978 द्वारा धारा -3 की उपधारा (1) का खण्ड (ग) पुन: संशोधित तथा (घ) विघटित, कोटेड इन "नियम-संग्रह" 1983-88, पृष्ठ-3

12- इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1981 द्वारा संशोधित, कोटिड इन "नियम-संग्रह" (1983-88) पृष्ठ 3

खण्ड (छ) अभियंत्रण में शिक्षा देने वाला और विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में सेवा करने वाला, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यापक,

(ज) मेडिकल कालेज का राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक आचार्य. (प्रोफेसर),

(झ) राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित पाँच सदस्य,

(ञ) राज्य विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित तीन सदस्य,

(ट) शिक्षा से सम्बद्ध, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट पाँच व्यक्ति,

(ठ) महिला शिक्षा से सम्बद्ध, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन महिला.

(ड) प्राविधिक शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 पदेन,

(ढ) उद्योग के राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन प्रतिनिधि,

(ण) प्राचार्य (प्रिंसपल), महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहबाद पदेन,

(त) निदेशक, राजकीय विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, पदेन,

(थ) प्राचार्य, राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद, पदेन,

(द) प्राचार्य, राजकीय शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, पदेन,

(ध) प्राचार्य, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ, पदेन,

(न) निदेशक, मनोविज्ञान केन्द्र, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, पदेन,

(य) आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली, पदेन,

(फ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक जिला विद्यालय निरीक्षक,

(ब) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षका,

(भ) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, का नाम निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि,

(म) बोर्ड का सचिव, पदेन, जो बोर्ड का सदस्य सचिव होगा ।

उपधारा (2)

राज्य सरकार अल्पसंख्यकों (चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हों), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का, जिसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से अन्यथा नहीं हुआ है, प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिये पाँच व्यक्तियों से अनाधिक को बोर्ड का सदस्य नाम निर्दिष्ट कर सकती है

बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन और नाम निर्देशन पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र

राज्य सरकार यह अधिसूचित करेगा कि बोर्ड का सम्यक रूप से गठन कर दिया गया है । प्रतिबंध यह है कि राज्य विधान सभा तथा राज्य विधान परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन होने के पूर्व भी अधिसूचना जारी की जा सकती है ।

सदस्य का हटाया जाना -

राज्य सरकार बोर्ड से किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकती है, जिसने उसके मतानुसार ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा घोर दुरूपयोग किया हो कि जिससे बोर्ड के सदस्य के रूप में उस का बने रहना जनहित के लिये हानिकर हो ,

प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को पूर्वोक्त प्रकार से हटाने के पूर्व उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगी और उसे हटाये जाने के कारणों कोअभिलिखित करेगी

सदस्यों की पदावधि -

अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) के अनुसार - पदेन सदस्य के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की पदावधि राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के सम्यक रूप से गठन से सम्बन्धित प्रकाशित विज्ञप्ति के दिनॉक से तीन वर्ष होगी, [13]

इसमें प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे सदस्यों की पद की अवधि एक बार में 6 माह से अधिक समय के लिये इस प्रकार बढ़ा सकती है कि जिससे इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक न हो ।

बोर्ड का कोई सदस्य जिस हैसियत से वह निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया गया हो,उसकी समाप्ति पर ऐसा सदस्य न रहेगा और उसका स्थान तदुपरान्त रिक्त हो जायेगा ।

पदावधि की समाप्ति पर रिक्तियों की पूर्ति-

अधिनियम की धारा 5 के अनुसार राज्य सरकार अधिनियम की धारा 4 के अधीन सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के पूर्व बोर्ड की पुर्नगठन के लिये कार्यवाही करेगी ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की समितियाँ- [14]

अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत बोर्ड निम्न- लिखित समितियों को नियुक्ति करेगा और राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रो के लिए ऐसी भिन्न भिन्न समितियाँ नियुक्ति की जा सकती हैं अर्थात् :-

13- उ0 प्र0 शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम 1975 द्वारा संशोधित, कोटिड इन " नियम-संग्रह" (1983-88) पृष्ठ-5

14- माध्यमिक शिक्षा परिषद्,उ0 प्र0 "नियम-संग्रह" (सन् 1983-88) इलाहाबाद, अधीक्षक , राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 (भारत) 1991, पृष्ठ-178

(क) पाठ्यक्रम समिति,

(ख) परीक्षा समिति,

(ग) परीक्षाफल समिति,

(घ) मान्यता समिति और

(ड.) वित्त समिति

ऐसी समितियों में केवल बोर्ड के सदस्य ही सम्मिलित होंगे और इन समितियों का गठन इस प्रकार किया जायेगा ताकि प्रत्येक सतिति में यथा सम्भव जिन–जिन वर्गों से परिषद् के सदस्य नियुक्त हुये हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग सेकम से कम एक - एक सदस्य को, प्रतिनिधित्व दिया जा सके ।

अनिधनियम की धारा 13 की उपधारा (3) तथा (4) के अनुसार परिषद् उपरोक्त समितियों के अतिरिक्त अन्य समितियाँ भी नियुक्ति कर सकेगी तथा ऐसी समितियाँ राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न - भिन्न नियुक्त की जा सकतीं हैं । इन समितियों का गठन ऐसी रीति से होगा जो अधिनियम के विनियमों द्वारा विहित की जाये तथा इन समितियों के सदस्यों का कार्यकाल भी ऐसी अवधि के लिये होगा जो अधिनियम के विनियमों द्वारा विहित किया जाये । कोई समिति उस समिति में कार्य करने के लिये अपने सदस्यों की कुल संख्या के अधिक से अधिक एक तिहाई तक व्यक्ति आमेलित कर सकती है । आमेलित सदस्यों की पदावधि एक वर्ष तथा शेष सदस्यों की पदावधि सामान्यत: तीन वर्ष होती है ।

अब हम उपरोक्त समितियों का विस्तार से वर्णन करेंगे ।

पाठ्यक्रम समिति - [15]

परिषद् सामान्यतया प्रत्येक विषय के लिये अलग पाठ्यक्रम समिति का गठन करती है । परिषद् द्वारा नियुक्त पाठ्यक्रम समितियों (कृषि, प्राविधिक विषय तथा रचनात्मक विषयों को छोड़कर) में कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक सात सदस्य होते हैं । कृषि विषय की पाठ्यक्रम समिति में कम से कम सात या अधिकतम नौ सदस्य, प्राविधिक विषय की समिति में न्यूनतम 9 तथा अधिकतम 11 सदस्य तथा रचनात्मक विषय की समिति में 11 सदस्य होते हैं ।

15- माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 "नियम - संग्रह" (1983-88) इलाहाबाद, अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0 प्र0 (भारत) -1991, पृष्ठ- 180

समस्त समितियों के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मत पत्र द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है । बशर्ते परिषद् द्वारा कोई विशेष प्राविधान न किया गया हो ।

परिषद् के ऐसे सदस्यों को जो किसी विषय विशेष में विशेषज्ञ होते हैं, पाठ्यक्रम समिति में सदस्यता प्रदान की जाती है । लेकिन यदि परिषद् के सदस्यों में से सभी विशेषज्ञ उपलब्ध न हो पायें तो उस स्थिति में परिषद् निश्चित शर्तों के अधीन उ0 प्र0 में निवास करने वाले किसी व्यक्ति को जो आवश्यक विषय विशेषज्ञ हो, को समिति का सदस्य नियुक्त कर सकती है ।

पाठ्यक्रम समितियों की बैठकें प्रतिवर्ष साधारणतया सितम्बर व दिसम्बर मास के बीच होतीं हैं । जिनमें आगामी वर्ष में परिषद् द्वारा जारी किये जाने वाले प्रालेख, तथा पाठ्यक्रम के लिये पुस्तकों के प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं । प्रत्येक पाठ्यक्रम समिति परिषद् के विचारार्थ सम्बन्धित विषय का पाठ्यक्रम विवरण तैयार करती है तथा पाठ्य विवरण के अनुरूप परिषद् द्वारा संस्तुति अथवा नियत किये जाने हेतु जितनी समिति समझती है, उतनी पुस्तकों की संख्या भी प्रस्तावित करती है । समितियों द्वारा किये गये प्रस्तावों को यथाशीघ्र पाठ्यचर्या समिति के पास भेजा जाता है । पाठ्यचर्या समिति इन प्रस्तावों पर विचार करती है और उनके सम्बंध में अपनी समीक्षा प्रस्तुत करती है । पुनः पाठ्यक्रम समितियों के प्रस्ताव पाठ्यचर्या समिति की समीक्षा के साथ परिषद् के समक्ष उसकी आगामी बैठक में निर्णय हेतु रखे जाते हैं । परिषद् द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित तथा स्वीकृत पाठ्यक्रम विवरण-पत्रिका में प्रकाशित किये जाते हैं और सचिव द्वारा उस परीक्षा तिथि से जिसके लिये वे पाठ्यक्रम निर्धारित किये जाते हैं, लगभग 2 वर्ष पूर्व निर्गत किये जाते हैं ।

परिषद् के गठन के समय कुल 21 पाठ्यक्रम समितियाँ थीं तथा वर्तमान में 39 पाठ्यक्रम समितियाँ हैं, जिनका वर्णन क्रमशः नीचे किया जा रहा है ।

परिषद् के गठन के समय निम्न विषयों की पाठ्यक्रम समितियों का गठन किया गया था-[16]

1. अंग्रेजी
2. संस्कृत
3. अरबी और फारसी

16- "कलेंडर फार दि इयर (1923-24)" इलाहाबाद, अन्डर दि अथॉरिटीऑफ दि बोर्ड ऑफ हाईस्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन, युनाइटिड प्राविंसस् - 1924

4. इतिहास
5. भूगोल
6. भारतीय भाषा
7. ग्रीक, लेटिन और इब्रानी या यहूदी भाषा
8. यूरोप की आधुनिक भाषा
9. गणित
10. भौतिक विज्ञान
11. रसायन विज्ञान
12. जीव विज्ञान
13. कृषि
14. कला, सफाई - धुलाई तथा हस्तशिल्प
15. गृह विज्ञान
16. वाणिज्य
17. तर्कशास्त्र
18. अर्थशास्त्र
19. भारतीय संगीत
20. नागरिकशास्त्र
21. शिक्षाशास्त्र

वर्तमान में निम्न पाठ्यक्रम समितियाँ हैं [17]

क्रमांक	पाठ्यक्रम समिति का नाम	सदस्य संख्या
1.	हिन्दी पाठ्यक्रम समिति	7
2.	गणित पाठ्यक्रम समिति	7
3.	गृहविज्ञान पाठ्यक्रम समिति	7
4.	अरबी तथा फारसी पाठ्यक्रम समिति	7
5.	उर्दू पाठ्यक्रम समिति	7

17 - माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 "नियम-संग्रह" (1983-88) इलाहाबाद, अधीक्षक राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 (भारत) 1991 पृष्ठ 310 से 334

क्रमांक	पाठ्यक्रम समिति का नाम	सदस्य संख्या
6.	इतिहास पाठ्यक्रम समिति	7
7.	नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम समिति	7
8.	भूगोल पाठ्यक्रम समिति	7
9.	मराठी तथा गुजराती तदर्थ पाठ्यक्रम समिति	7
10.	लेटिन एवं फ्रांसीसी पाठ्यक्रम समिति	7
11.	अंग्रेजी पाठ्यक्रम समिति	7
12.	भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम समिति	7
13.	रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम समिति	7
14.	जीव विज्ञान पाठ्यक्रम समिति	7
15.	कृषि पाठ्यक्रम समिति	9
16.	चित्रकला, रंजनकला, मूर्तिकला पाठ्यक्रम समिति	7
17.	वाणिज्य पाठ्यक्रम समिति	7
18.	अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम समिति	7
19.	संस्कृत पाठ्यक्रम समिति	7
20.	सैन्य विज्ञान पाठ्यक्रम समिति	7
21.	भूगर्भशास्त्र पाठ्यक्रम समिति	7
22.	प्राविधिक विषय पाठ्यक्रम समिति	10
23.	समाजशास्त्र पाठ्यक्रम समिति	7
24.	रचनात्मक विषय पाठ्यक्रम समिति	11
25.	बंगला, उड़िया और आसामी पाठ्यक्रम समिति	7
26.	शिक्षा, तर्क, तथा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम समिति	7
27.	संगीत एवं नृत्य पाठ्यक्रम समिति	7
28.	नेपाली एवं पाली पाठ्यक्रम समिति	7
29.	काश्मीरी, पंजाबी एवं सिंधी पाठ्यक्रम समिति	7

क्रमांक	पाठ्यक्रम समिति का नाम	सदस्य संख्या
30.	कन्नड़ और तेलगू पाठ्यक्रम समिति	4
31.	मलयालम और तमिल पाठ्यक्रम समिति	7
32.	जर्मन एवं रूसी पाठ्यक्रम समिति	6
33.	चीनी एवं तिब्बती पाठ्यक्रम समिति	4
34.	बेसिक विषय पाठ्यक्रम समिति	7
35.	शारीरिक एवं नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम समिति	6
36.	सांख्यिकी पाठ्यक्रम समिति	7
37.	सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम समिति	7
38.	औद्यौगिक रसायन पाठ्यक्रम समिति	6
39.	कुलाल विज्ञान पाठ्यक्रम समिति	6

परीक्षा समिति -

परिषदीय परीक्षाओं के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिये परिषद् द्वारा परीक्षा समिति का गठन किया जाता है । इसका विस्तृत वर्णन "परीक्षा की प्रबन्ध व्यवस्था " नामक अध्याय में किया गया है ।

परीक्षाफल समिति -[18]

परिषद् की विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षाफल तैयार करना एवं नियमों का निर्धारण आदि करना परीक्षाफल समिति के कार्य क्षेत्र में आता है । परीक्षाफल समिति का अध्यक्ष परिषद् का अध्यक्ष या सभापति (पदेन) होता है । परिषद् का सचिव परीक्षाफल समिति का पदेन सचिव होता है । इसके अतिरिक्त परीक्षाफल समिति में परिषद् के ही 6 सदस्य होते हैं । जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से किया जाता है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 13 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट 6 श्रेणियाँ (जिनमें उन क्षेत्रों का वर्णन है, जिनसे परिषद् के सदस्य चुने जाते हैं) में से प्रत्येक श्रेणी से कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व हो जाये । परिषद् की स्वीकृति एवं नियंत्रण के अधीन परीक्षाफल समिति के निम्नलिखित कर्तव्य हैं -

---

18- परिषद् "नियम-संग्रह" (1983-88) "पूर्वोक्त" पृष्ठ-187-188

1. अपने को आश्वस्त करने के पश्चात् कि परीक्षाफल सब मिलाकर तथा विभिन्न विषयों में सामान्य मापदण्डों के अनुरूप है, परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के परीक्षाफल की संनिरीक्षा एवं उन्हें पारित करना तथा जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ विषयों के न्यूनतम उत्तीर्णांक कम करना ।

2. प्रश्न–पत्रों के विरूद्ध आरोपों की संनिरीक्षा करना, जहाँ तक की उनसे परीक्षाफल पर प्रभाव पड़ता है ।

3. उन परीक्षार्थियों के सम्बंध में निर्णय करना, जो क्रियात्मक अथवा लिखित परीक्षा में एक अथवा दो प्रश्नपत्रों में अथवा एक पूरे विषय में नहीं बैठ सके ।

4. उन परीक्षार्थियों के मामले में निर्णय करना जिन्होंने गलत प्रश्नपत्रों के उत्तर दिये हों ।

5. उन परीक्षार्थियों के सम्बंध में निर्णय करना जिन्हें केन्द्र अधीक्षकों द्वारा परीक्षा आरम्भ होने के आधा घंटा पश्चात् प्रविष्टि की अनुमति दी गयी है ।

6. किसी विशिष्ठ परीक्षार्थी की परीक्षा के लिये की गयी विशेष व्यवस्था के सम्बंध में निर्णय करना ।

7. उन मामलों में निर्णय करना जिन्हें कुछ पर्याप्त कारणों वश परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय दिया गया था ।

8. उन मामलों में निर्णय करना जहाँ प्रश्न-पत्र निर्धारित समय से पूर्व खोले गये थे ।

9. उन उम्मीदवारों के सम्बंध में निर्णय करना जिनकी उत्तर पुस्तकें खो गई हों या जो सम्बद्ध परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किये जाने की तिथि से दो मास की अवधि के पश्चात् भी न मिल रहीं हों ।

10.[19] उन मामलों में परीक्षाफल को रोकना, जिनमें परीक्षार्थियों ने किसी तथ्य को छिपाया हो या अपने आवेदन–पत्र में मिथ्या कथन किया हो या परीक्षा में अनुचित रूप में प्रवेश पाने के उद्देश्य से नियमों या विनियमों का उल्लंघन किया हो या परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो या परीक्षा के दौरान कपट या प्रतिरूपण किया हो या जो नैतिक पतन समन्वित अपराध या अनुशासन हीनता के दोषी पाये गये हों, जो परीक्षा केन्द्र पर घातक

19- दिनाँक 13 मार्च, 1982 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संस्या परिषद् 9/870/पाँच-8 (बोर्ड दिसम्बर, 8) दिनाँक 4 फरबरी, 1982 द्वारा संशोधित कोटेड इन "नियम-संग्रह" (1983-88) पृष्ठ-188

शस्त्र या चाकू लाये हों, जिन्होंने परीक्षा संचालन के सम्बंध में नियुक्त किसी व्यक्ति पर, परीक्षाकक्ष/विद्यालय परिसर के अन्दर अथवा बाहर हमला किया हो, या हमला करने की धमकी दी हो या जिन्होंने अपभाषा का प्रयोग किया हो या जिन्होंने दोषपूर्ण मिथ्या आधारों पर नियमों के उल्लंघन में श्रुत लेखक की सुविधा प्राप्त की हो और ऐसी ही अन्य आकस्मिकताओं में जहाँ ऐसा करना आवश्यक समझा जाये ।

11. ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जिन्हें परिषद् समय-समय पर उसे प्रतिनिहित करे ।

इस समय एक परीक्षाफल समिति है जो पूरे प्रदेश में परिषद् की परीक्षाओं के परीक्षा फल से सम्बंधित ऊपर वर्णित कर्तव्यों का पालन कर रही है ।

मान्यता समिति -[20]

विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने तथा मान्यता के लिये समुचित मानक या नियम आदि निर्धारित करने के लिये मान्यता समिति या मान्यता समितियों का परिषद् द्वारा गठन किया जाता है । मान्यता समिति में[21] परिषद् का सचिव या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट क्षेत्रीय सचिव समिति का पदेन सचिव होता है तथा इसके अतिरिक्त इसमें परिषद् के 6 अन्य सदस्य होते हैं । जिनका निर्वाचन परिषद् द्वारा ऐसी रीति से किया जाता है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा (1) की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट 6 वर्गों (जिनमें उन क्षेत्रों का वर्णन है, जिनसे परिषद् के सदस्य चुने जाते हैं) में से प्रत्येक वर्ग से कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व हो जाये । इसमें यह प्रतिबंध है कि परिषद् के सम्बंधित क्षेत्रीय सचिव चाहे उनका नाम परिषद् सचित द्वारा नाम निर्दिष्ट न भी हो और सम्बंधित संम्भाग के शिक्षा उपनिदेशक निरपराद रूप से समितियों की बैठक में सम्मलित होंगे, जब उनकी अधिकारिता के क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया जा रहा हो ।

परिषद् की मान्यता समिति की बैठक सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के इलाहाबाद स्थित मुख्य कार्यालय में अथवा क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्यालय में होगी तथा परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के आधीन रहते हुये मान्यता समिति के निम्न लिखित कर्तब्य हैं -

1. संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिये मानदण्ड और नियम विहित करना परन्तु ये मानदण्ड और नियम राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात ही प्रभावी होंगे।

---

20. परिषद् नियम-संग्रह (1983-88) "पूर्वोक्त". पृष्ठ-19।
21. दिनांक 8 फरवरी, 1986 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्-9/600, दिनांक 15 नवम्बर, 1986 द्वारा संशोधित, कोटेड इन "नियमसंग्रह" (1983-88), "पूर्वोक्त" पृष्ठ-190.

2. संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिये आवेदन–पत्रों पर विचार करना तथा उनके सम्बंध में संस्तुति करना ।

3. संस्थाओं के प्रधान और अध्यापकों के पद के लिये विहित न्यूनतम अहर्ताओं से छूट देने के आवेदन पत्रों पर परिषद् द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार विचार करना और उनके सम्बंध में संस्तुति करना, और

4. ऐसे मामलों पर विचार करना जो उसे परिषद् द्वारा प्रतिनिहित किये जाये ।

यहाँ पर मान्यता प्रदान करना का तात्पर्य परिषद् की परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिये प्रथमबार संस्था को मान्यता प्रदान करने या तत्पश्चात् ऐसी परीक्षा के किसी अतिरिक्त वर्ग या विषय में मान्यता प्रदान करने से है ।

– वर्तमान[22] समय में पूरे प्रदेश में चार मान्यता समितियाँ कार्य कर रहीं हैं । एक मान्यता समिति इलाहाबाद तथा झांसी शिक्षा सम्भागों के लिये तथा दूसरी मान्यता समिति वाराणसी, फैजाबाद तथा गोरखपुर शिक्षा सम्भागों के लिये, तीसरी मान्यता समिति बरेली, नैनीताल तथा लखनऊ शिक्षा सम्भागों के लिये तथा चौथी मान्यता समिति मेरठ, आगरा, तथा पौड़ी गढ़वाल शिक्षा सम्भागों के लिये कार्य कर रही है । प्रत्येक समिति में सचिव के अतिरिक्त 6-6 सदस्य हैं ।

वित्त समिति - 23

वित्त समिति परिषद् के वित्त सम्बंधी समस्त मामलों में परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करती है । इस समिति का संयोजक, परिषद् का ही एक ऐसा सदस्य होता है, जो कि राज्य विधान सभा का सदस्य हो तथा परिषद् का सचिव इस समिति के सचिव पद को पदेन धारण करता है । इनके अतिरिक्त समिति में परिषद् के 6 अन्य सदस्य भी होते हैं, जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से किया जाता है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 13 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट 6 श्रेणियों (जिनमें उन क्षेत्रों का वर्णन है, जिनसे परिषद् के सदस्य चुने जाते हैं) में से प्रत्येक श्रेणी के कम से कम एक सदस्य को समिति में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाये ।

वित्त समिति के निम्न लिखित कर्तब्य हैं -

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विचारार्थ, विभिन्न परीक्षाओं और परीक्षाओं से सम्बंधित अन्य बातों के लिये बसूल किये जाने वाले शुल्क के लिये संस्तुति करना ।

22-परिषद् "नियम-संग्रह" (1983-88) 'पूर्वोक्त' -पृष्ठ - 284-285

23 -परिषद् "नियम-संग्रह" (1983-88) 'पूर्वोक्त' पृष्ठ -204

2. माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विचारार्थ परिषद् के विभिन्न लाभकारी कार्यों के लिये पारिश्रमिक दर की भी संस्तुति करना ।

3. माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गये परिषद् सम्बंधी किसी अन्य वित्तीय मामले के सम्बंध में विचार करना और अपनी संस्तुति देना ।

वर्तमान समय मे सम्पूर्ण प्रदेश के लिये इस तरह की एक वित्त समिति कार्य कर रही है, जिसमें सचिव तथा समिति संयोजक के अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य हैं ।

परिषद् द्वारा उपरोक्त वर्णित समितियों के अतिरिक्त निम्न समितियों का भी गठन किया जाता है -

1. महिला शिक्षा समिति
2. पाठ्यचर्या समिति
3. अनुचित साधनों के निस्तारण के लिये समिति

अब हम उपरोक्त समितियों का वर्णन करेंगे ।

महिला शिक्षा समिति - 24

महिला शिक्षा समिति की सभी सदस्य परिषद् की महिला सदस्य ही होंगी। इस समिति की संयोजिका राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका होता है । इस समिति की बैठकों में संयुक्त शिक्षा निदेशिका (महिला) उ0 प्र0 विशेष रूप से आमंत्रित की जाती है । यह समिति महिलाओं की शिक्षा से सम्बंधित विषयों या ऐसे मामलों में परिषद् को परामर्श देती हैं जो परिषद् या परिषद् की किसी समिति द्वारा उसे निर्दिष्ट किये जाते हैं ।

वर्तमान समय में एक महिला शिक्षा समिति कार्य कर रही है जिसमें समिति संयोजिका तथा संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) जो कि विशेष आमंत्रित होती है, के अतिरिक्त सात अन्य महिला सदस्य हैं ।

पाठ्यचर्या समिति - 25

परिषद् द्वारा पाठ्यचर्या से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार करने के लिये पाठ्यचर्या समिति का गठन किया जाता है । परिषद् का सचिव (पदेन) पाठ्यचर्या समिति का सदस्य सचिव होता

24- "परिषद् नियम-संग्रह" (1983-88) "पूर्वोक्त"- पृष्ठ -205- 206

25- "परिषद् नियम-संग्रह" (1983-88) 'पूर्वोक्त' पृष्ठ-204-205,

है । इसके अतिरिक्त पाठ्यचर्या समिति में निम्न व्यक्ति होते हैं ।। -

1. परिषद् के 6 सदस्य, जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से किया जाता है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनिम, 1921 की धारा 13 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट 6 श्रेणियों (जिनमें उन क्षेत्रों का वर्णन है, जिनसे परिषद् के सदस्य चुने जाते हैं) में से प्रत्येक श्रेणी से कम से कम एक सदस्य का इस समिति में प्रतिनिधित्व हो जाये ।
2. विभाग के विशेषज्ञीय संस्थाओं के निदेशक/प्रधानाचार्य, और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रतिनिधि जो परिषद् के सदस्य होते हैं ।
3. उन[20] विषयों से भिन्न जिनमें निर्वाचन के पूर्ववर्ती वर्ष में रजिस्ट्रीयकृत उम्मीदवारों की संख्या में पचास हजार से कम हो, विभिन्न पाठ्यक्रम समितियों के संयोजक, परन्तु वे परिषद् के सदस्य हों ।

परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन रहते हुये पाठ्यचर्या समिति के निम्नलिखित कर्तव्य हैं -

1. परिषद् की प्रत्येक परीक्षा के लिये अनिवार्य और वैकल्पिक विषयों की कुल संख्या पर विचार करना ।
2. हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट सोपानों के पाठ्यक्रम के स्तर को सुनियोजित क्रम में व्यवस्थित करना ।
3. इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये ऐसी पाठ्यचर्या की संस्तुति करना जिससे कि विश्वविद्यालय और व्यावसायिक दोनों का मार्ग प्रदर्शन हो सके ।
4. नये विषयों को सम्मलित करने और विद्यमान विषयों को निकालने के प्रस्तावों पर विचार करना ।
5. विषयों का वर्ग बनाने और एक वर्ग को दूसरे में परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार करना।
6. सम्बद्ध पाठ्यक्रम समितियों से संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक विषय में बनाये जाने वाले प्रश्नपत्रों की संख्या निश्चित करना और प्रत्येक पशनपत्र के लिये समयावधि निश्चित करना ।
7. सम्बद्ध पाठ्यक्रम समितियों से संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक विषय और किसी

26- दिनाँक 14 मई, 1983 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद् 9/10 दिनाँक 4 मई, 1983 द्वारा संशोधित । कोटेड इन "नियम-संग्रह" (19[illegible] पृष्ठ-204

विषय के प्रत्येक भाग के लिये अधिकतम और न्यूनतम अंक प्रस्तावित करना ।

8. सम्बद्ध पाठ्यक्रम समितियों से संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् विभिन्न विषयों में लिखित परीक्षा के विस्तार की सीमा की संस्तुति करना ।

9. शिक्षा पाठ्यक्रम के सम्बंध में पाठ्यक्रम समितियों की संस्तुति पर विचार करना ।

10. संस्था के अध्यापकों, संस्था के प्रधानों और अन्य कर्मचारियों के लिये न्यूनतम अर्हतायें विहित करना ।

वर्तमान समय[27] में सम्पूर्ण प्रदेश के लिये एक पाठ्यचर्या समिति कार्य कर रही है। जिसमें सचिव और संयोजक के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य हैं ।

अनुचित साधनों के मामलों के निस्तारण के लिये समिति -[28]

परिषद् की परीक्षाओं में अनुचित[29] साधनों के प्रयोग सम्बंधित मामलों के निस्तारण के लिये समितियों का गठन किया जाता है इन समितियों की संख्या, अनुचित साधन प्रयोग के मामलों की संख्या के आधार पर आधारित होती है। इन समितियों का गठन परिषद् के अध्यक्ष (जिसे शिक्षा निदेशक पदेन धारण करता है) द्वारा किया जाता है । इस समिति का संयोजक परिषद् का एक सदस्य होता है । इन समितियों में पाठ्यक्रम समितियों का एक विषय विशेषज्ञ, समिति का सदस्य होता है तथा परिषद् के सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट परिषद् का सहायक सचिव से अनिम्न पद का कोई पदाधिकारी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक समिति द्वारा निस्तारत किये जाने वाले कार्य का आवंटन यथा समय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा किया जाता है ।

परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन रहते हुये इस समिति के निम्न लिखित कर्तव्य हैं:-

1. मामलों पर जिसमें परीक्षार्थी ने किसी तथ्य को छिपाया हो या अपने आवेदन-पत्र में मिथ्या कथन किया हो या किसी परीक्षा में अनुचित रूप से प्रवेश पाने के निमित्त नियमों या विनियमों का उल्लंघन किया हो, या अनुदानित परीक्षाकेन्द्र से परीक्षा में सम्मलित होने के बजाय अनाधिकृत ढंग से अथवा जालसाजी से केन्द्र परिवर्तित कराकर किसी अन्य परीक्षा

27- परिषद् "नियम-संग्रह" (1983-88) 'पूर्वोक्त' पृष्ठ-285

28- परिषद् "नियम-संग्रह" (1983-88) 'पूर्वोक्त' पृष्ठ-189

29- दिनांक 8 अक्टूबर, 1988 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद् - 9/446, दिनांक 29 सितम्बर, 1988 द्वारा संशोधित । कोटेड इन "नियम-संग्रह" (1983-88) पृष्ठ-189

30- दिनांक 13 मार्च, 1982 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद् - 9/870/पाँच -8 (बोर्ड दिसम्बर 80) दिनांक 4 फरवरी, 1982 द्वारा संशोधित । कोटेड इन "नियम-संग्रह" 1983-88 पृष्ठ-189

केन्द्र से परीक्षा में सम्मलित हुआ हो या संस्थागत छात्र के रूप में आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् प्रतिधानों के प्रतिकूल विद्यालय परिवर्तन किया हो अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो या जिन के द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने का संदेह हो या परीक्षा के दौरान कपट या प्रतिरूपण किया हो या नैतिक पतन समन्वित किसी अपराध या अनुशासन-हीनता का दोषी पाया गया हो या जो परीक्षा केन्द्र पर घातक शस्त्र या चाकू लायें हों या जिन्होंने परीक्षा संचालन के सम्बंध में नियुक्त किसी व्यक्ति पर परीक्षा-कक्ष, विद्यालय परिसर के अन्दर अथवा बाहर हमला किया हो या हमला करने की धमकी दी हो या अपभाषा का प्रयोग किया हो या दोष पूर्ण अथवा मिथ्या आधारों पर नियमों का उल्लंघन कर किसी श्रुत लेखक की सहायता से परीक्षा में सम्मलित हुये हों या उत्तर पुस्तिका नष्ट कर दी हो, विचार करना और शास्ति देना जो निम्न लिखित में से कोई एक या अधिक हो सकता है -

(अ) परीक्षार्थी की सम्बन्धित परीक्षा को निरसित करना ।

(ब) सम्बंधित परीक्षा एवं उत्तरवर्ती परीक्षा से, जिनमें परिषद् की उच्चतर परीक्षा भी सम्मलित है, परीक्षार्थी को अपवर्जित करना।

(स) परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र परीक्षार्थी से वापस लेना ।

2. केन्द्र अधीक्षक संस्था के प्रधान, अन्तरीक्षक, अध्यापक या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध परिषद् की परीक्षा में की गयी उनकी किसी चूक, उपेक्षा या अनियमितता पर विचार करना और उनमें से किसी को दिये जाने वाले दण्ड के सम्बंध में संस्तुति करना ।

3. ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जो पूर्ववर्ती ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं हैं, किन्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे सम्बंधित हैं ।

4. ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जिसे परिषद् समय-समय पर उसे प्रतिनिहित करे ।

उपर्युक्त मामलों में व्यवहार की जाने वाली प्रक्रिया परिषद् बिहित करेगी लेकिन किसी परीक्षार्थी या व्यक्ति को शास्ति या दण्ड किये जाने के पूर्व, जब तक कि उन करणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, परीक्षार्थी या सम्बद्ध व्यक्ति से सम्पर्क स्थापित करना असाध्य न हो, उसे अभिकथित आरोप के सम्बंध में अपने आचरण के सम्बंध में स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जायेगा ।

यदि प्रथम बिन्दु पर दिये गये आरोपों का कोई मामला यदि ऐसी परीक्षा के अनुवर्ती दिसम्बर की समाप्ति तक यह समिति न कर पायी हो तो उस का निस्तारण परीक्षा समिति द्वारा किया जायेगा तथा जहाँ पर सरकार के शिक्षा विभाग के किसी कर्मचारी या राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था के किसी कर्मचारी या किसी डिग्री कालेज या विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करना अपेक्षित हो, वहाँ परिषद् सम्बद्ध कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये उस मामले को शिक्षा विभाग के अध्यक्ष या संस्था या डिग्री कालेज के प्रधान या सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुल सचिव को निर्दिष्ट करेगी ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कार्यालय का संगठन-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् का मुख्य कार्यालय इलाहाबाद में स्थित है । यह कार्यालय विभिन्न अनुभागों में बंटा हुआ है । इन अनुभागों व उनके कार्यों का उल्लेख निम्नवत् है -

1. गोपनीय वर्ग - 1 — प्रश्न-पत्रों के रखरखावएवं प्रेषण की व्यवस्था तथा परीक्षाफल का प्रकाशन ।
2. गोपनीय वर्ग -2 — परीक्षा सम्बंधी समस्त पारिश्रमिक कार्यों हेतु नियुक्ति सम्बंधी कार्य ।
3. गोपनीय वर्ग -3 — हाई स्कूल परीक्षाफल सम्बंधी समस्त कार्य ।
4. गोपनीय वर्ग -4 — इण्टरमीडिएट परीक्षाफल सम्बंधी समस्त कार्य ।
5. गोपनीय वर्ग -5 — परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग सम्बंधी प्रकरणों पर कार्यवाही ।
6. गोपनीय वर्ग -6 — प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बंधी समस्त कार्य ।
7. परिषद अनुभाग - — परिषद् नियम-संग्रह, विवरण पत्रिका का निमाण एवं प्रकाशन, परिषद् एवं उसकी समितियों की बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवाही का निश्चय, परिषद् के गठन सम्बंधी कार्य, विभिन्न परिषदों व विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की समकक्षता का निर्धारण, अनिवार्य हिन्दी से छूट।
8. नियोजन एवं सांख्यिकीय अनुभाग - — आयोजनागत परिषद् की नई माँगों के प्रस्ताव, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं की सांख्यिकी का निर्माण, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट मेरिट लिस्ट का निमार्ण, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, एवं वार्षिक प्रगति आख्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आंकड़ों का प्रेषण

पारिश्रमिक की दरों का निर्धारण ।

9. शोध अनुभाग - पाठ्यक्रम का विश्लेषण एवं नये पाठ्यक्रम के निमार्ण हेतु सुझाव एवं मॉडल प्रश्न-पत्रों का निर्माण आदि ।

10. पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण अनुभाग - राष्ट्रीयकृत पुस्तकों का प्रशायन एवं उनके प्रकाशन की व्यवस्था, पुनरीक्षण, रियायती दर के कागज का आवंटन रॉयल्टी की व्यवस्था करना । शासनादेश सं0 आर टी /4982/15-7-1609(91) 1971 के अर्न्तगत हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियेट परीक्षाओं के लिये अब तक कुल 42 राष्ट्रीयकृत पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है जिनका नाम तथा प्रणयन वर्ष अग्रांकित सारणी में दिया गया है-

सारणी -3.1

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 के पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीय करण अनुभाग द्वारा वर्ष 1990-91 तक प्रकाशित हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की पाठ्य पुस्तकों का विवरण -

क्रमांक	पुस्तक का नाम	प्रणयन वर्ष
	हाईस्कूल —	
1.	गद्य संकलन	1975
2.	काव्य संकलन	1975
3.	रंग भारती	1975
4.	संस्कृत परिचायिका	1975
5.	इंग्लिश रीडर	1976
6.	सप्लीमेंट्री रीडर	1976
7.	इंग्लिश रीडर एण्ड कम्पोजीशन	1976
8.	गणित एक भाग -1	1981
9.	गणित एक भाग-2	1981
10.	गणित दो भाग -1	1981
11.	गणित दो भाग -2	1981

12.	विज्ञान एक भाग -1	1983
13.	विज्ञान एक भाग -2	1983
14.	विज्ञान दो भाग -1	1983
15.	विज्ञान दो भाग -2	1983
16.	सामाजिक विज्ञान भाग -1	1983
17.	सामाजिक विज्ञान भाग -2	1983
18.	जीव विज्ञान भाग -1	1985
19	जीव विज्ञान भाग -2	1985
20.	इतिहास भाग -1	1985
21.	इतिहास भाग -2	1985
22.	संस्कृत नव भारती	1986
23.	संस्कृत परिचायिका	1986
24.	कथा नाट्य कौमदी	
25.	संसकृत व्याकरण	
	इण्टरमीडिएट -	
26.	गद्य गरिमा	1975
27.	काव्यांजलि	[illegible]75
28.	कथा भारती	1975
29.	संस्कृत दिग्दर्शिका	1975
30.	इंग्लिश प्रोज	1985
31.	इंग्लिश प्रोइट्री	1985
32.	इंग्लिश शार्ट स्टोरीज	1985
33.	जूलियस सीजर	1985
34.	जनरल इंग्लिश	1985
35.	अर्थशास्त्र-1	1985

36.	अर्थशास्त्र -2	1985
37.	बीज गणित	1986
38.	कैलकुलस	1986
39.	त्रिकोणमिती	1986
40.	स्थिति विज्ञान एवं सदिश	1986
41.	गति विज्ञान	1986
42.	निर्देशांक ज्यामिती	1986

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि हाई स्कूल की 25 तथा इण्टरमीडिएट की 17 पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है । परिषद् की अन्य विषयों की पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की भी योजना है ।

11. पुस्तक अनुभाग - प्रकाशकों को कागज का आवंटन, आवंटन सम्बंधी समस्त कार्यवाही व पुस्तकों की समीक्षा करना ।

12. केन्द्र स्थापना अनुभाग- परिषद् की परीक्षाओं के लिये परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण केन्द्र व्यवस्थापकों /केन्द्र निरीक्षकों की नियुक्ति, परीक्षा केन्द्रों पर सचल दल एवं उसके लिये गाड़ी तथा प्रेट्रोल की व्यवस्था ।

13. कोष अनुभाग- परिषद् कार्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों, दैनिक वेतन भोगी एवं नियमित श्रमकों आदि के वेतन एवं अन्य बिलों का भुगतान, आकस्मिक बिलों का भुगतान ।

14. बेतन बिल अनुभाग- परिषद् कार्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन देयकों का निर्माण एंव कटौतियों की पोस्टिंग, सर्विस बुक का लेखा जोखा ।

15. यात्रा भत्ता बिल अनुभाग- परिषद् की परीक्षाओं एवं अन्य कार्यों हेतु परीक्षकों, परिषद् के सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा परिषद् सम्बंधी की गयी यात्राओं के यात्रा – भत्ता बिल का पारण ।

16.	सिस्टमसेल अनुभाग-	कम्प्युटर द्वारा परीक्षाफल तैयार कराने हेतु समस्त कार्यवाही ।
17.	समन्वय अनुभाग-	परिषद् कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले समस्त प्रपत्रों का मुद्रण एवं उनकी सम्पूर्ति,परीक्षोपरान्त अवशेष पश्न के फैले तथा केन्द्र व्यवस्थापकों के लिये निर्देश – पुस्तका का मुद्रण, क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रपत्रों की आपूर्ति की व्यवस्था ।
18.	अभिलेख अनुभाग-	परिषद् के स्थाई अभिलेख, टी0 आर0 प्रमाण – पत्रों के काउन्टर फाइल सुरक्षित रखना, द्वितीय प्रमाण – पत्र, अस्वाभाविक प्रमाण – पत्र, प्रमाण – पत्रों के जन्म तिथि संशोधन, परिषद् की स्थापना से लेकर अद्यावधि तक के सादे अवशेष एवं द्वितीय प्रमाण-पत्रों का लेखा-जोखा रखना ।
19.	माइक्रोफिल्मिंग अनुभाग-	परिषदीय पुराने अभिलेखों की माइक्रो फिल्मिंग एवं उससे सम्बद्ध समस्त कार्य ।
20.	हाई स्कूल प्रमाण-पत्र अनुभाग –	हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के प्रमाण – पत्र सम्बंधी समस्त कार्यवाही।
21.	इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र अनुभाग-	इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के प्रमाण – पत्र सम्बंधी समस्त कार्यवाही ।
22.	प्राप्तांक अनुभाग-	परिषद् की परीक्षाओं के आवेदित अभ्यर्थियों के अंक-पत्रों की द्वितीय प्रति, प्रवजन एवं अस्थाई प्रमाण – पत्रों का निमार्ण एवं प्रेषण ।
23.	नियुक्ति अनुभाग-	परिषद् के अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवा सम्बंधी समस्त कार्यवाही ।
24.	प्रबंधक अनुभाग-	भवन निमार्ण सम्बंधी व्यवस्था, श्रमिक एवं नामावली लेखकों की व्यवस्था, कार्यालयी प्रबन्धात्मक सम्पूर्ण व्यवस्था ।
25.	समादेश अनुभाग-	परिषद् के विरूद्ध अथवा परिषद् द्वारा दायर किये गये समस्त वादों, समादेश याचिकाओं पर समस्त सम्बंधित कार्यवाही ।

26.	आक्षेप अनुभाग-	तथ्यगोपन, प्रतिरूपण, केन्द्रों पर अनुशासनहीनता एवं मारपीट, अग्निकांड तथा अनियमित केन्द्र परिवर्तन आदि के समस्त मामलों पर कार्यवाही ।
27.	क्रय अनुभाग-	परिषद् कार्यालय की स्टेशनरी आदि का क्रय सम्बंधी समस्त कार्य ।
28.	सत्यापन अनुभाग-	पुराने अभिलेखों से परीक्षार्थियों के प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र का सत्यापन ।
29.	सादी उत्तर पुस्तक अनुभाग-	परिषद् की परीक्षाओं हेतु उत्तर पुस्तकायें राजकीय मुद्रणालय से तैयार कराना तथा उनको परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यकता अनुसार प्रेषित करना, परीक्षोपरान्त सादी उत्तर पुस्तकों को वापिस मंगाकर उनका लेखा–जोखा रखना, अवशेष उत्तर पुस्तकों को मुद्रणालय में पुनः भेजना एवं रद्दी का विक्रय करना ।
30.	पुस्तकालय अनुभाग-	परिषद् के प्रयोग हेतू पुस्तकों का क्रय एवं रखरखाव।
31.	पारिश्रमिक अनुभाग-	केन्द्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केन्द्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षकों, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, प्रयोगात्मक परीक्षकों, परिषद् कार्यालय द्वारा मूल्यांकन करायीं गयीं उत्तर पुस्तकों, नियंत्रक, उपनियंत्रक, सहउपनियंत्रक, कक्ष सहायक, प्रश्न–पत्र निर्माता, मार्जक, लेखक, सम्पादक, परमार्शदाता, समीक्षक, तुलनात्मक सन्निरीक्षा एवं अन्य परिश्रमिक कार्यों के बिलों का पारण ।
32.	मूल्यांकन एवं निरीक्षण अनुभाग-	मूल्यांकन केन्द्र के व्ययादि पर नियंत्रण, परिषद् की परीक्षाओं से सम्बंधित सभी प्रकार के अग्रिमों का समायोजन, परिषद् निर्वाचन सम्बंधी अग्रिम का समायोजन कर बिल पारित करना, प्रश्न-पत्र मुद्रण के बिलों का भुगतान ।

33. हाई स्कूल स्कूटनी अनुभाग - हाई स्कूल परीक्षा से सम्बन्धित सन्निरीक्षा सम्बंधी कार्यवाही।

34. इण्टरमीडिएट स्कूटनी अनुभाग- इण्टरमीडिएट परीक्षा से सम्बंधित सन्निरीक्षा सम्बंधी कार्यवाही ।

35. मान्यता अनुभाग- हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं हेतु विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, अध्यापकों को न्यूनतम योग्यता से मुक्ति, निरीक्षकों के पेनल , द्वारा कालेजों का निरीक्षण गैर मान्यता प्राप्त विषयों में प्रवेश की विशेष अनुमति देना, मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची पुस्तकालयों के लिये पुस्तकों की सूची एवं न्यूनतम शिक्षण सामग्री की सूची का प्रकाशन, विषय परिवर्तन की कार्यवाही, करना अब तक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची निम्नवत् है -

सारणी -3.2

स्वतंत्रता के पूर्व परिषद् द्वारा मान्य शिक्षा संस्थायें (सन् 1922 से 1949-50)

क्रमांक	वर्ष	हाई स्कूल	इण्टरमीडिएट	योग
1.	1922-23	178	28	206
2.	1925-26	189	32	221
3.	1930-31	205	35	340
4.	1935-36	251	40	291
5.	1941-42	328	66	394
6.	1949-50	570	167	737

स्रोत- राघव प्रसाद सिंह, " भारत वर्ष तथा उत्तर प्रदेश में प्रजातांत्रिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की ऐतिहासिक भूमिका " लखनऊ, हिन्दी साहित्य भंडार ।

परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

(सन् 1922-23 से 1949-50 तक)

हाईस्कूल

इण्टरमीडिएट

संख्या (सैकड़ों में)

6
5
4
3
2
1
0

1922-23
1925-26
1930-31
1935-36
1941-42
1949-50

वर्ष

चित्र 3.1

सारणी - 3.3

स्वतंत्रता के पश्चात् परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (सन् 1947-48 से 1990-91)

क्रमांक	वर्ष	हाईस्कूल			इण्टरमीडिएट			कुल विद्यालय संख्या
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1.	1947-48	428	73	501	168	15	183	684
2.	1950-51	749	130	879	344	41	385	1264
3.	1955-56	1175	197	1372	652	111	763	2135
4.	1960-61	1404	257	1661	786	148	934	2595
5.	1965-66	1837	354	2191	1002	214	216	3407
6.	1970-71	2625	539	3164	1460	303	1763	4927
7.	1975-76	3636	625	4261	1920	363	2283	6544
8.	1980-81	4150	692	4842	2386	416	2802	7644
9.	1985-86	4499	739	5238	2610	445	3055	8293
10.	1990-91	4827	762	5589	2912	490	3402	8991

स्रोत - " शिक्षा की प्रगति " (सम्बंधित वर्षों की) इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश

36. टंकण अनुभाग - परिषद् का टंकण से सम्बंधित समस्त कार्य इसी अनुभाग द्वारा देखा जाता है ।

37. स्टोर अनुभाग - यह परिषद् की साम[illegible] के रख रखाव का कार्य देखता है ।

38. केन्द्रीय र[illegible] [illegible]नु[illegible] - यह रसीद सम्बंधी कार्य के लिये उत्तरदायी है ।

39. बिक्री अनुभाग - परिषदीय प्रकाशन तथा विक्रय की जाने वाली बस्तुओं के विक्रय सम्बंधी कार्य की कार्यवाही ।

40. भवन चिन्तक अनुभाग - यह भवन सम्बंधी कार्य के लिये उत्तरदायी है ।

41. सतर्कता अनुभाग -

परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त उच्चतर
माध्यमिक विद्यालय
(सन् 1947-48 से 1990-91)
बालकों के हाईस्कूल विद्यालय
बालिकाओं के हाईस्कूल विद्यालय
बालकों के इण्टरमीडिएट विद्यालय
बलिकाओं के इण्टरमीडिएट विद्यालय
संख्या (हजारों में)
5
4
3
2
1
0
1947-48
1950-51
1955-56
1960-61
1965-66
1970-71
1975-76
1980-81
1985-86
1990-91
वर्ष

चित्र 3.2

42. वित्त एवं लेखा

संगठन अनुभाग - यह परिषद् के वित्त एवं लेखा सम्बंधी समस्त कार्य के लिये उत्तर दायी है ।

उपरोक्त सभी अनुभागों में अनुभाग अधीक्षक होता है जिसकी सहायता के लिये सहायक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय -

परिषद् की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की निरन्तर वृद्धि के कारण परिषद् को अनेक प्रशासनिक व व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अतः सन् 1964 में श्री राधा कृष्ण कमेटी द्वारा इसके ढांचे में परिवर्तन हेतु सुझाव दिये गये किन्तु कुछ प्रशासनिक व संसाधनात्मक कठिनाइयों के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी अनुसंशाओं को अमान्य कर दिया । सन् 1969 में श्री हरी प्रसाद शाही समिति ने पुनः इसके ढांचे में परिवर्तन हेतु सुझाव दिये जिसके आधार पर सन् 1972 में इसके विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुयी और सन् 1972 में मेरठ में[31] परिषद् का प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया, जिसने मेरठ तथा आगरा सम्भाग का कार्य देखना प्रारम्भ किया । इसके बाद सन् 1978 में[32] परिषद् का दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में खोला गया । सन् 1981 में[33] परिषद् के तीसरे क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना बरेली में की गयी तथा परिषद् का चौथा क्षेत्रीय कार्यालय सन् 1986 में[34] इलाहाबाद में स्थापित किया गया । इस प्रकार वर्तमान में परिषद् के चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं । इन कार्यालयों में प्रथम तीन क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तर्गत इस समय तीन-तीन मंडलों के तथा चौथे क्षेत्रीय कार्यालय पर चार मण्डलों के कार्य का उत्तरदायित्व है । इन क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तर्गत आने वाले मण्डलों की जनपद वार सूची अग्रांकित है -

---

31 - मेरठ कार्यालय - मा/ 510/ 4-3-7-1607, 29/ 71 दिनांक 22.2.1972
32 - वाराणसी कार्यालय - मा/ 5461/ 15-7-12, 24/ 78, दिनाँक 16.10.1978
33 - बरेली कार्यालय - मा/ 2329-15-7-1, 87/ 80 दिनाँक 24.4.1981
34 - इलाहाबाद कार्यालय - राजाज्ञा संख्या 36/ 15 (2)/ 86-27(107)/85 दिनाँक 29.3.1986

क्रमांक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	सम्बद्ध मंडल	सम्बद्ध जिले
1.	मेरठ	1972	मेरठ	मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर सहारनपुर,तथा हरिद्वार ।
			आगरा	आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, मथुरा, तथा अलीगढ़ ।
			पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी, देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, तथा टेहरी ।
2.	वाराणसी	1978	वाराणसी	वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, तथा सोनभद्र ।
			गोरखपुर,	गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, आजमगढ़, तथा मऊ ।
			फैजाबाद	फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, तथा गोंडा ।
3.	बरेली	1981	बरेली	बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, तथा पीलीभीत ।
			नैनीताल	नैनीताल, पिथौरागढ़, तथा अल्मोड़ा ।
			मुरादाबाद	मुरादाबाद, विजनौर, तथा रामपुर ।
4.	इलाहाबाद	1986	इलाहाबाद	इलाहाबाद, प्रतापगढ़, तथा फतेहपुर
			कानपुर	कानपुर, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद तथा इटावा ।
			लखनऊ	लखनऊ, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव तथा रायबरेली ।
			झाँसी	झाँसी, हमीरपुर, बाँदा, जालौन, तथा ललितपुर ।

परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालयों में सबसे बड़ा अधिकारी अपर सचिव होता है जिसकी सहायता के लिये उपसचिव, सहायक सचिव, लेखाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी होते हैं । ये सभी मिल

कर अपने-अपने सम्भागों में परीक्षा, मान्यता इत्यादि का कार्य देखते हैं । क्षेत्रीय कार्यालयों का परीक्षा सम्बंधी कार्यक्षेत्र है - परीक्षार्थी का पंजीकरण, अनुक्रमांक आवंटन, परिक्षार्थियों की अर्हता की जाँच परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण, केन्द्र व्यवस्थापकों की नियुक्ति, प्रधान परीक्षकों एवं उप प्रधान परीक्षकों की नियुक्ति, परीक्षा सामग्री का वितरण, उत्तर पुस्तकाओं की वापिसी, केन्द्रीय मूल्यांकन की व्यवस्था और परीक्षाफल तैयार करना । क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना से परिषद् के कार्य का विकेन्द्रीकरण होने के साथ ही साथ क्षेत्रीय लोगों को इससे काफी सुविधायें मिली हैं। उनकी समस्याओं का अधिकांश समाधान इन कार्यालयों की मदद से हो जाता है । संक्षेप में क्षेत्रीय कार्यालियों के कार्यों का विवरण इस प्रकार है -

1. परीक्षा पूर्व का समस्त परीक्षा सम्बंधी कार्य अर्थात परीक्षा के आवेदन पत्रों की प्राप्ति, जाँच, तथा परीक्षा में अनुमति प्रदान करने सम्बंधी समस्त कार्यवाही ।
2. आवेदन-पत्रों में प्रतिबंधों की पूर्ति के अभाव में रूके परीक्षाफल की घोषणा का समस्त कार्य
3. विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने सम्बंधी समस्त कार्यवाही ।
4. प्रयोगात्मक परीक्षकों, केन्द्र निरीक्षकों के अपने-अपने क्षेत्र से सम्बद्ध जिलों का यात्रा-भत्ता देयकों का पारण ।
5. व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के अग्रसारण शल्क के बिलों का पारण ।
6. केन्द्र व्यवस्थापक/ कक्षनिरीक्षक, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बिलों एवं केन्द्र व्यय के अग्रिम का समायोजन कर बिलों का पारण ।
7. सादी उत्तर पुस्तकों का समायोजन एवं माँग ।
8. केन्द्र स्थापना सम्बंधी समस्त कार्यवाही ।

चतुर्थ अध्याय

माध्यमिक शिक्षा परिषद् का प्रशासन

प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन) शब्द की व्युत्पत्ति लेटिन शब्द "एडमिनिस्टियर" से हुयी है जिसका तात्पर्य है - सेवा कार्य करना अर्थात ऐसा कार्य करना जिससे दूसरों का कल्याण हो । अतः प्रशासन का तात्पर्य ऐसे वातावरण तैयार करने से है, जिससे व्यक्ति, समाज, व राष्ट्र, अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर सके । परिवार से लेकर राज्य तक के सभी कार्य किसी न किसी प्रशासन के माध्यम से चला करते है । किसी भी संस्था, समिति अथवा संगठन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिये प्रशासन ही उत्तरदायी होता है । कोई भी प्रशासन किसी भी संगठन अथवा संस्था को उसके आदर्शों एवं उद्देश्यों तक पहुँचाने में सहायक होता है । जिस स्तर का प्रशासन होताहै, संगठन, समिति अथवा संस्था भी उसी स्तर पर कुशलता से कार्य करती है । उत्तम प्रशासन श्रेष्ठ एवं व्यवस्थित कार्य के लिये उत्तरदायी होता है । प्रशासन द्वारा ही संगठन के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखते हुये संगठन विशेष की समस्याओं के हल प्रस्तुत किये जाते हैं और तदनुरूप वांछित मानवीय व्यवहार की उत्पत्ति की जाती है । इस प्रकार प्रशासन का सम्बंध ऐसे तन्त्र से होता है जिसके द्वारा किसी संगठन की व्यवस्था की जाती है । अतः कहा जा सकता है कि,

"प्रशासन का तात्पर्य किसी संगठन की व्यवस्था से होता है ।"

इस कथन के अनुसार "प्रशासन"के अन्तर्गत दो अवधारणायें आतीं हैं -

1. व्यवस्था
2. संगठन ।

1. व्यवस्था-

वैसे तो व्यवस्था का तात्पर्य किसी कार्य को करने उसके उत्तर दायित्व को सम्भालने व उसके नियंत्रण से रहता है, किन्तु प्रशासन का अर्थ स्पष्ट करते हुये जिस प्रकार इस शब्द का अर्थ लिया जाता है, उससे इसका तात्पर्य किसी संस्था या संगठन के कार्यों की व्यवस्था से है ।

2. संगठन -

संगठन की अवधारणा आर्ड वे टीड के शब्दों में स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है -

"एक संगठन में व्यक्ति किसी कार्य को सम्मलित रूप से करने की इच्छा से, कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्रप्ति के लिये विचार पूर्वक एकत्रित होते हैं, जिन्हें कि वे अकेले प्राप्त नहीं कर सकते हैं या उत्तमता से प्राप्त नही कर सकते हैं ।"

1. आर्ड वे टीड - " दि आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन" लन्दन, मैग्रेहिल कम्पनी, 1957,पृष्ठ - 7

इस प्रकार संगठन में व्यक्ति किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये एकत्रित होकर सम्मलित रूप से प्रयास करते हैं । जब हम यह कहते हैं कि प्रशासन का तात्पर्य किसी संगठन की व्यवस्था से है तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन का सम्बंध मनुष्यों से भी है और ऐसे मनुष्यों के समूह से है, जिन्होंने अपने आपको किन्हीं निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये संगठित किया है । जिन्हें कि वे प्रशासनिक ढंग से प्राप्त करना चाहते है ।

अतः हम एल0 एस0 चन्द्रकान्त के शब्दों में कह सकते हैं -

"यद्यपि प्रशासन की कोई एक स्वीकृत परिभाषा नहीं है, तथापि सामान्य रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि इसका सम्बंध किसी व्यक्ति समूह की क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने तथा उनके साथ कार्य करने से होता है ।"[2]

किन्हीं निश्चित उद्देश्यों के लिये संगठित होने वाले मानवीय समूह के कार्यो की व्यवस्था से सम्बंधित होने के कारण प्रशासन को आई वे टीड के शब्दों में निम्न तरह कहा जा सकता है -

"प्रशासन एक संगठन के उन व्यक्तियों की ऐसी कार्यविधि है जो उन व्यक्ति समूहों के समवेत प्रयासों को आदेश देने, आगे बढ़ाने तथा सुविधा प्रदान करने के दायित्व से मुक्त होते हैं, जिन्होंने कि अपने को किन्हीं सुनिश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये एकत्रित किया हो ।"[3]

अतः स्पष्ट है कि प्रशासन में सम्मलित प्रयास द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है । एक संगठन के लक्ष्य ही उसे दूसरे संगठनों से प्रथकता तथा विशिष्ठता प्रदान करते हैं और प्रत्येक संगठन की सफलता उसके अनुरूप सुदृढ़ व सुन्दर प्रशासनिक भूमिका पर निर्भर करती है । इस प्रकार प्रशासन किसी संगठन पर बलात् लादी हुयी प्रक्रिया न होकर संगठन की स्वानुभूत आवश्यकता के आधार पर ही प्रकट हुयी प्रक्रिया है जैसा कि डी0 ई0 ग्रिफित ने लिखा है -

"प्रशासन वह प्रक्रिया "घटनाक्रम" है, जिसमें किसी सामाजिक संगठन के सदस्य, सदस्यों की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करते हैं ।"[4]

'प्रशासन' को, एक गतिविधि मानते हुये ओम प्रकाश गाबा ने 'समाज विज्ञान कोष" में निम्न प्रकार परिभाषित किया है -

---

2- एल0 एस0 चन्द्रकांत, 'दि एजूकेशन क्वार्टली' नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, सितम्बर, 1957, पृष्ठ-254
3- आई वे टीड "पूर्वोक्त" पृष्ठ-4
4- डी0 ई0 ग्रिफिथ, "एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी" पृष्ठ -73

"प्रशासन वह विधि है, जिसके अन्तर्गत निर्दिष्ट लक्ष्यों की सिद्धि के लिये उपयुक्त नीतियाँ बनाई जाती हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये मानवीय और भौतिक संसाधनों का निदशन, प्रबंध और प्रयोग किया जाता है ।"

शैक्षिक प्रशासन -

प्रशासन की उपर्युक्त अवधारणा के विश्लेषण के आधार पर शैक्षिक प्रशासन के सम्बंध में विचार करते हुये हम कह सकते है कि शैक्षिक प्रशासन से तात्पर्य उस संगठन की व्यवस्था से है जो अधिकतम कुशलताओं से परिपूर्ण निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार अपने समूह के व्यक्तियों की शिक्षा की व्यवस्था करता है । इस प्रकार शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र अपने समूह के व्यक्तियों को सीखने तथा शिक्षण की समस्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने तक विस्तृत है, क्योंकि इन सुविधाओं को प्रदान करके ही शैक्षिक प्रशासन द्वारा शिक्षा के उद्देश्य " मानव के व्यक्तित्व का विकास" की प्राप्ति की जा सकती है । रसेल टी0 ग्रेग के शब्दों में-

"शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त संसाधनों को इस ढंग से प्रयुक्त करने की प्रक्रिया है, जिससे मानवीय गुणों के विकास की गति प्रभावशाली ढंग से बढ़ाई जा सके । यह केवल बच्चों तथा युवावर्ग के विकास से सम्बंधित न होकर प्रोढ़ों विशेषकर शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारी वर्ग के विकास से भी सम्बंधित है ।"[5]

मानव व्यक्तित्व के विकास को लक्षित कर जब हम सीखने और शिक्षण की सुविधाओं की उपलब्धि का विश्लेषण करते हैं, तो देखते हैं कि यह कार्य विभिन्न प्रकार केसंगठनों एवं संस्थाओं द्वारा किया जाता है । एक ओर जहाँ चर्च आदि धार्मिक समूह इस कार्य को करते हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य या समुदाय द्वारा भी इस कार्य को किया जाता है । अतः इन संगठनों व संस्थाओं के शैक्षिक कार्य की व्यवस्था शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्रके अन्तर्गत आती है, जैसा कि सी0 एन0 वटवर्धन ने लिखा है, -

" शैक्षिक प्रशासन का तात्पर्य मानवीय अधिकारों की प्रगति में सरकारी नीतियों के अनुसार गठित संरचना, कार्यरत कर्मचारी, अर्थव्यवस्था, संगठन तथा ऐसी कार्य प्रणाली से है, जो कि दूसरे ऐसे संगठनों से भी सम्बंधित है, जो सरकार के साथ सहयोगात्मक ढंग से या उससे प्रथक रहकर कार्य करते हैं ।"[6]

5- रसेल टी0 ग्रेग -" एडमिनिस्ट्रेशन " आर्टिकल इन इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजूकेशन रिसर्च, एडिटिड चेस्टर डब्लू हैरि, न्यूयार्क, मैकमिलन - 1960, पृष्ठ-19

6- सी0 एन0 वटवर्धन -"इन इन्ट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया " पूना-2, आर्य संस्कृति मुद्रणालय, पृष्ठ-17

इस प्रकार शैक्षिक प्रशासन के अन्तर्गत शिक्षा की संरचना,कर्मचारी गण, वित्त, संगठन तथा वे सभी कार्य व तौर तरीके आते हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षानीति के अनुरूप किये जाते हैं, जो मानव के मौलिक अधिकार -शिक्षा प्राप्ति के लिये सरकार के साथ रहकर या उससे अलग रहकर कार्य करते हैं ।

शैक्षिक प्रशासन में मानवीय सम्बंधों का महत्व अन्य प्रकार के प्रशासनों की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि शैक्षिक कार्य में कार्यरत व्यक्तियों के कार्य परस्पर इस प्रकार सम्बंधित होते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रथक रूप से कार्य नहीं कर सकता । प्रत्येक व्यक्ति का कार्य अनिवार्य रूप से अन्य व्यक्तियों से सम्बंधित रहता है । इसीलिये शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का सुन्दर मानवीय सम्बंधों पर आधारित होना परमावश्यक है । अतः प्रशासक के लिये तकनीकि ज्ञान के साथ- साथ मानव व्यवहार का ज्ञान भी अत्यावश्यक है । प्रशासन का यह मनोवैज्ञानिक आधार संगठन की सफलता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

जब हम यह कहते हैं कि शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य शिक्षण व सीखने की सुविधाओं की व्यवस्था करना है, तो इस व्यवस्था को कायम रखने के सम्बंध में शिक्षाविदों के विचारों में मतभेद प्रतीत होता है । कुछ विचारकों के अनुसार, शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य संगठनों व संस्थाओं को इस योग्य बनाना है, जिससे वे उन उद्देश्यों को कुशलता पूर्वक पूरा कर सकें, जिनके लिये उनका निमार्ण किया गया है । कुछ अन्य विचारकों का मत है कि शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया सहयोगात्मक व प्रजातन्त्रात्मक होनी चाहिये तथा शिक्षा जगत के सभी कार्यकर्ताओं को अपने कार्यों के लिये पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिये । उक्त सभी विचार इस बात को प्रमाणित करते है कि शैक्षिक प्रशासन एक जीवंत व गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसका केन्द्र बिन्दु बालक होता है । सर ग्राहम बलफोर के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य -

"राज्य के साधनों के अन्तर्गत उपयुक्त छात्र को, उपयुक्त शिक्षक द्वारा ऐसी उपयुक्त शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना है, जिसमें छात्र अपने ज्ञान का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के योग्य बन सके ।"[7]

अतः यह स्पष्ट है कि शैक्षिक प्रशासन का अर्थ शिक्षा की संरचना, कर्मचारियों व उनके वर्गीकरण, वित्त, कर्मचारियों की शक्ति, अधिकार व कर्तव्यों से होता है । यह सरकार की शैक्षिक नीति का क्रियान्वयन है । शिक्षा नीति के निर्धारण का दायित्व जब सरकार पर होता है तो प्रशासनिक सत्ता जिस पार्टी के हाथ में होती है, शिक्षा नीति उसी के अनुसार निर्मित होती है ।

7-सरग्राहम बलफोर 'दि एमीनेन्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर' कोटेड बाई एस0एन0मुखर्जी इन "एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजूकेशन इन इण्डिया " बड़ौदा, आचार्य बुक डिपो , 1962, पृष्ठ -15

यह शिक्षा नीति सत्ता अधिकार के अनुसार समाजवादी, एकतन्त्रवादी या प्रजातन्त्रवादी किसी भी प्रकार की हो सकती है । एक प्रजातन्त्र देश में यह शैक्षिक नीति विभिन्न पार्टियों द्वारा समय-समय पर सत्ता प्राप्त किये जाने पर तदनुकूल परिवर्तित भी हो सकती है ।

उक्त विवेचना के आधार पर शैक्षिक प्रशासन का अवलोकन करने पर उसका स्वरूप निम्नवत् त्रिकोणात्मक प्रतीत होता है -

इस प्रकार शैक्षिक प्रशासन की तुलना शरीर रचना विज्ञान से की जा सकती है, जिस प्रकार मानव शरीर का संतुलन शरीर के विभिन्न अंगों के सुचारू संचालन पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार शैक्षिक प्रशासन के सम्पूर्ण अध्ययन के लिये हम उक्त तीनों पक्षों का विवेचन करेंगे । यदि शैक्षिक प्रशासन का कोई भी पक्ष शिथिल होगा, तो उससे शिक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रभावित होगी और अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकेगी ।

शैक्षिक प्रशासन के उक्त तीनों पक्षों का विवरण निम्नांकित है -

(अ) प्रशासक गण - (व्यक्ति)

इसके अन्तर्गत शिक्षा के विभिन्न स्तरों के प्रशासनिक अधिकारी, उनकी नियुक्तियाँ, शक्तियाँ, अधिकार तथा उनके कर्तव्यों का उल्लेख किया जाता है तथा यह भी ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह किस सीमा तक कर सके और जिन उत्तरदायित्वों का निर्वाह वे नहीं कर सके, उसके लिये कौन से कारण जिम्मेदार रहे ।

(ब) प्रशासन (प्रशासनिक प्रक्रिया) -

सर्वप्रथम हेनरी फायल नामक फ्रेन्च व्यक्ति ने, जो कि एक कोयले की खान का जनरल मैनेजर था, प्रशासनिक प्रक्रिया का विश्लेषण अपने अनुभव के आधार पर करते हुये इस प्रक्रिया के पाँच तत्वों का उल्लेख किया था -

1. आयोजना तैयार करना,
2. व्यवस्था करना,

3. आज्ञा करना,

4. सामंजस्य स्थापित करना, तथा

5. नियंत्रण करना ।[8]

इसके उपरान्त अमेरिका के जन प्रशासन के विद्वान लूथर एच0 गुलिक ने फायल के तत्वों में विस्तार करते हुये प्रशासनिक प्रक्रिया का नया फार्मूला तैयार किया जिसे POSDCORB के नाम से जाना जाता है , जो कि निम्न क्रियाओं के प्रारम्भिक अक्षरों के आधार पर रखा गया है -

1. आयोजना तैयार करना (प्लानिंग)

2. व्यवस्था करना (ऑरगिनाइजिंग),

3. कर्मचारी युक्ति (स्टाफिंग)

4. निर्देशन प्रदान करना (डायरेक्टिंग)

5. सामंजस्य स्थापना करना (कोऑरडिनेटिंग)

6. आख्या तैयार करना (रिपोर्टिंग) तथा

7. बजट तैयार करना (बजटिंग) ।[9]

लूथर गुलिक के प्रशासनिक प्रक्रिया के उक्त विश्लेषण ने बहुत से शिक्षाविदों व लेखकों को प्रशासनिक प्रक्रिया को समझने के लिये प्रारम्भिक ज्ञान के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और आज भी ये तत्व काफी प्रभावशाली माने जाते हैं ।

अमेरिकन एशीसियेशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स "ए0 ए0 एस0 ए0" की वार्षिकी, 1955 में प्रशासनिक प्रक्रिया के अग्रांकित पाँच महत्वपूर्ण अंग माने गये -

1. आयोजन,

2. विनियोजन,

3. प्रोत्साहन,

4. सामंजस्यीकरण तथा

5. मूल्यांकन ।[10]

प्रशासनिक प्रक्रिया से सम्बंधित उपर्युक्त विचारों के आधार प्रशासनिक प्रक्रिया के

8- एच0 फायल, जनरल एण्ड इन्डस्ट्रियल मेनेजमेंट (ट्रांसलेट बाई कोन्सटेंस स्टोर्स विद एन इट्रोडक्शन बाई एल0 उर्विक) लंदन पिटमैन एण्ड सन्स - 1949, पृष्ठ- 9

9- एल0एच0गुलिक एण्ड एल0उविर्क" पेपर्स आन साइस आफ एडमिनिस्ट्रेटर्स .." न्यूयार्क इंस्टीस्यूट आफपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 193

10- अमेरिकन एशोसियेशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रिशनर्स इयर बुक 1955, स्टॉफ रिलेशन्स इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वाशिंगटन 1955 पृष्ठ 17

निम्नलिखित सात सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व निरूपित किये गये हैं -

1. आयोजन -

आयोजन के अन्तर्गत शैक्षिक उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किये जाने वाले कार्यो , उनकी प्रणाली "नीति", सहयोगी व्यक्तियों एवं परिस्थितियों और सहायक सामग्री व वस्तुओं की एक सारगर्भित रूपरेखा तैयार कर ली जाती है, क्योंकि इसके बिना लक्ष्य तक पहुँचना कठिन होता है । इसके द्वारा भविष्य की आवश्यकतायें निश्चित की जातीं हैं तथा उनकी पूर्ति के लिये कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं । आयोजना में अवधि का उल्लेख भी किया जाता है , जिसके द्वारा संतुलित ढंग से नियंत्रित होकर उस निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा जाता है ।

शैक्षिक आयोजन का तात्पर्य शिक्षा की आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उसके विकास की दिशा को निर्धारित करने और उसके साधनों के इष्टतम् उपयोग से सभी के लिये शैक्षिक अवशरों की व्याख्या करना होता है । सी0 ई0 बी0 वाई0 के अनुसार शैक्षिक अयोजन की परिभाषा निम्न है -

"शक्षिक आयोजन शिक्षा प्रणाली की नीति, प्राथमिकताओं तथा लागतों को निर्धारित करने में ऐसी दूरदर्शिता का प्रयोग करना है , जिसमें अर्थिक व राजनैतिक वास्तविकता , प्रणाली के विकास की सम्भावना तथा देश व छात्र, जिसकी सेवा करने के लिये प्रणाली बनाई गयी है, का समुचित ध्यान रखा जाता है ।"[11]

2. व्यवस्था -

इसका उद्देश्य निश्चित योजना की क्रियान्विति हेतु आवश्यक साधनों की उपलब्धि करना , नियम बनाना , कार्य विधि निश्चित करना आदि है । एक संगठन का उचित स्वरूप तभी उभर कर सामने आता है, जबकि संगठन के अन्तर्गत व्यक्ति निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सहयोगात्मक ढंग से कार्य करते हुये सम्मिलित रूप से अपनी उत्तमताओं से उस संगठन को लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं । जे0 बी0 सीयर्स के शब्दों में-

" व्यवस्था का तात्पर्य करणीय कार्य के प्रबन्ध पारस्परिक अर्न्तसम्बंधों, व्यक्तियों, व्यवस्था साधनों, कार्य पद्धति तथा ज्ञान से है ।"[12]

11- सी0 ई0 बी0 वाई0," स्टर्निंग एण्ड एजूकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर" पेरिस , युनेस्को -1967 पृष्ठ-13
12- जे0 बी0 सीयर्स, "दि नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस विद् स्पेशल रिफरेंस टू स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन" एन0 वाई0 मैग्राहिल - 1950, पृष्ठ- 59

3. निर्णयन (निर्णय लेना) -

यह प्रशासनिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण तत्व है। जेम्स एल0 मैकेली के शब्दों में -

" प्रशासनिक प्रक्रिया के सभी गुण निर्णय लेने की प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं तथा निर्णय के द्वारा ही सम्भव होते हैं ।"[13]

स्टीफन जे0 नीजेबिज के शब्दों में -

"निर्णय लेना ,भलीभांति परिभाषित समुच्चयों के प्रतिस्पर्धात्मक विकल्पों में से सचेतन चुनाव है ।"[14]

इस प्रकार निर्णय के कार्य द्वारा ही किसी संगठन की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है तथा उसे गति प्रदान की जाती है। इसके द्वारा संगठन के उद्देश्यों तथा नीतियों के सम्बंध में निर्णय लिया जाता है तथा उन नीतियों के क्रियान्वयन के सम्बंध में भी अंतिम निर्णय लिया जाता है ।

4. प्रोत्साहन -

प्रभुतावादी व वैज्ञानिक प्रशासन में इस को क्रमशः निर्देशन व नियंत्रण का नाम दिया जाता है , जिसका तात्पर्य होता है - 'प्राधिकार का संचालन' । इसका अर्थ यह है कि जो भी कार्यक्रम या नीतियाँ बनायीं जातीं हैं, उनको क्रियान्वित करना प्रशासन का काम है, किन्तु वर्तमान समय में इस अवधारणा में परिवर्तन हुआ है और अब प्रशासकों को उन नीतियों या कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये अपने संगठन के कर्मचारियों से इस प्रकार कहने पर विश्वास किया जाने लगा है , जिससे वे उनके क्रियान्वयन के लिये प्रोत्साहित होकर अपने दायित्व का निर्वाह करें, क्योंकि एक अच्छे प्रशासक द्वारा अपने संगठन के सदस्यों का स्वतः स्फूर्त योगदान पाने के लिये उन्हें उत्साहित या प्रेरित करना आवश्यक होता है । इस हेतु प्रशासक को अपने अधिकार का प्रयोग कम से कम करते हुये सदस्यों को विशिष्ट दिशा की ओर कार्य करने के लिये कहने के बजाय सदस्यों की रचनात्मक प्रवृत्ति का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिये उनकी मदद करने का प्रयास करना चाहिये ।

5. सामंजस्यी करण -

सामंजस्य के अन्तर्गत साध्य की प्रप्ति के लिये विभिन्न तत्वों में इस प्रकार तालमेल करना निहित है, जिससे वे कुशलतापूर्वक एक साथ मिलकर कार्य कर सकें । सामंजस्य के द्वारा श्रम

13- जेम्स एल0 मैकेली, कोटेड बाई जे0 बी0 अग्रवाल इन "एजूकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन, प्लानिंग एण्ड फाइनेंसिंग इन इण्डिया" नई दिल्ली, आर्य बुक डिपो -1972 पृष्ठ-39

14- स्टीफन जे0 नीजेबिज, कोटेड इन "उपर्युक्त"

व शक्ति का अपव्यय तथा उनके मध्य पारस्परिक संघर्ष को रोका जाता है । सामंजस्य की प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्न दो प्रक्रियायें सम्मलित हैं -

अ. संगठन के सदस्यों के लिये उनके कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना ।

ब. उन सभी सदस्यों की क्रियाओं को संगठित करना ।

6. सूचनाओं की सम्प्रेषणीयता -

इस के द्वारा निर्देशन , सूचनायें , विचार , व्याख्यायें व प्रश्न व्यक्ति से व्यक्ति के पास व समूह द्वारा समूह के पास उनकी जानकारी हेतु प्रेषित किये जाते हैं, जिससे प्रशासनिक कार्य भलीभांति संचालित रह सके ।

7. मूल्यांकन -

मूल्यांकन प्रशासनिक प्रक्रिया का अंतिम तत्व है । मूल्यांकन द्वारा कमियों को दूर कर भविष्य में भी उन कमियों के परिहार के लिये प्रयत्न किया जाता है, जिसे आधुनिक भाषा में प्रतिपुष्टि करना कहा जाता है । मूल्यांकन कार्य सर्वेक्षण द्वारा, सहयोगात्मक अध्ययन द्वारा, परीक्षण कार्यक्रम द्वारा व मतावलियों के मतों की प्राप्ति द्वारा किया जाता है ।

(स) प्रशासित (शैक्षिक उद्देश्य) -

उद्देश्यों के अभाव में किसी भी स्तर का शैक्षिक प्रशासन अपने कार्य को भली-भांति नहीं कर सकता है, क्योंकि शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की व्यवस्था करना है । किसी भी शिक्षा योजना में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के साथ ही साथ समाज निमार्ण का भी प्रमुख उद्देश्य निहित होता है, क्योंकि एक ओर जहाँ व्यक्ति के विकास के बिना समाज का विकास नहीं होता वहीं दूसरी ओर समाज के बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता है । मनुष्य अपनी विकास प्रक्रिया में समाज को बदलता है और बदलता हुआ समाज मनुष्य का विकास करता है । यही कारण है कि देश काल व परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं और तदनुरूप ही शैक्षिक उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में ही प्रशासन सीखने व शिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था करता है । जैसा कि कम्बेल व कारबेली ने लिखा है -

"शैक्षिक प्रशासन, शिक्षण व सीखने की अधारभूत नीतियों व विकासकारी उद्देश्यों, शिक्षण व सीखने के उपयुक्त कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षण व सीखने को कार्यान्वित करने के लिये कर्मचारियों व साधनों की उपलब्धि को सुविधाजनक बनाने में निहित रहा है ।[15]

15- रोनाल्ड एफ0 कम्बेल, जी0 ई0 कारबेली व जे0 राम सेयर , इन्ट्रोडक्सन टू एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन" एलेन एण्ड बेकन - 1959, पृष्ठ- 179

उपरोक्त विवेचना के आधार पर शैक्षिक प्रशासन के निम्नलिखित उद्देश्य कहे जा सकते हैं -

1. शिक्षा सम्बंधी नीतियों का निर्धारण करना, शिक्षा योजनायें बनाना तथा उन्हें कार्यान्वित करना ताकि बालक के शिक्षण व सीखने की दिशा स्पष्ट हो सके ।
2. शिक्षा के माध्यम से जनतंत्रीय व्यवस्था को सफलीभूत बनाने के लिये योग्य तथा कुशल नागरिक तैयार करना ।
3. शैक्षिक संगठनों की क्रियाओं व कार्यक्रमों को गत्यात्मक रूप देना जिससे वे अपने लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें ।
4. बालक तथा वयस्क-दोनों के ही विकास को सम्भव बनाना ।
5. उन कर्मचारियों का भी विकास करना जो कि संगठन की व्यवस्था में संलग्न हैं ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर जो निष्कर्ष निकलते है, उनका स्पष्टीकरण डा0 आत्माराम मिश्र के शैक्षिक प्रशासन से सम्बंधित विचार में हो जाता है साथ ही डा0 मिश्र ने शैक्षिक प्रशासन के प्रकारों का वर्णन भी किया है । डा0 मिश्र के अनुसार -

"किसी शैक्षिक संगठन को क्रियान्वित करने के लिये प्रयुक्त वे सभी प्रणालियाँ व पद्धतियाँ, जो निर्धारित योजना के अनुसार होती हैं, शैक्षिक प्रशासन कहलातीं हैं । शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये समस्त मानवीय एवं भौतिक तत्वों का नियोजन , संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वयन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया इसमें आती है । यह साध्य की प्राप्ति का साधन है, स्वयं साध्य नहीं यह प्रायः दो प्रकार का होता है, केन्द्रीकृत प्रशासन - ऐसा प्रशासन, जिसमें निर्देशन व नियंत्रण का उत्तरदायित्व प्रायः केन्द्रीय , राष्ट्रीय या प्रादेशिक स्तर पर ही रहता है और स्थानीय स्तर पर अपेक्षाकृत बहुत कम स्वतंत्रता होती है । विकेन्द्रीकृत प्रशासन - ऐसा प्रशासन जिसमें शिक्षा के निर्देशन व नियंत्रण का उत्तरदायित्व उच्चस्तर से लेकर निम्न स्तर तक समुचित ढंग से वितरित होता है और स्थानीय पहल कदमी एवं सक्रियता का पर्याप्त महत्व रहता है, जिससे शिक्षा के कार्यक्रमों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की स्वतंत्रता रहे ।"[16]

शैक्षिक प्रशासन किसी भी स्तर का क्यों न हो वह शून्य सृजित नहीं होता , उस पर देश ,

---

16- डा0 आत्मानन्द मिश्र, "शिक्षा कोश" कानपुर, ग्रन्थम - 1977

राज्य व समुदाय के विभिन्न तत्वों का प्रभाव पड़ता ही हैं । इन विभिन्न तत्वो का उल्लेख निम्नवत् है

1. **सामाजिक तत्व :-**

प्रत्येक शिक्षा में व्यक्ति निर्माण के साथ समाज निर्माण का भी उद्देश्य निहित होता है । यही कारण है कि समाज द्वारा शिक्षा की मांग सार्वभौमिक रूप से की जाती है । प्रत्येक समाज की स्थिति, आवश्यकतायें, परम्परा, मूल्य एवं विकास की प्रक्रिया परस्पर सर्वथा भिन्न होती हैं । यही कारण है कि एक समाज में प्रचलित शिक्षा प्रणाली दूसरे समाज के लिये अनुपयुक्त होती है । चूंकि शिक्षा व्यवस्था का दायित्व शैक्षिक प्रशासन पर होता है अतः सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था के लिये आवश्यक होता है कि शैक्षिक प्रशासन के स्वरूप व उसकी कार्य प्रणाली में भी परिवर्तन आये ।

2. **आर्थिक तत्व :-**

किसी भी सम्यक व्यवस्था के लिये धन उपलब्धि उसकी अनिवार्य आवश्यकता है । इसीलिये प्रशासन द्वारा इसके लिये विभिन्न स्त्रोतों से धन उपलब्ध किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार उसका वितरण भी विभिन्न शैक्षिक मदों के लिये, विभिन्न स्तरों पर किया जाता है । धन के अभाव में शिक्षा योजना कितनी ही अच्छी क्यों न बना ली जाये तथा शिक्षक कितना ही कुशल क्यों न हो, शिक्षा योजना का क्रियान्वयन शिक्षक व प्रशासक दोनों के लिये कठिन होता है । इस प्रकार शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था आर्थिक तत्व से अनुबंधित सी रहती हैं ।

देश की आर्थिक समृद्धि व कार्यकुशलता उत्तम शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है और उत्तम शिक्षा व्यवस्था उत्तम शैक्षिक प्रशासन पर तथा प्रशासन की उत्तम कार्य प्रणाली बहुत कुछ उसकी अर्थ कुशलता पर निर्भर करती है । अतः शैक्षिक प्रशासन की विवेचना करते समय हमें आर्थिक तत्व के उन पक्षों का भी विश्लेषण करना चाहिये जिससे शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था नियंत्रित होती हैं ।

3. **सांस्कृतिक तत्व :-**

संस्कृति का अर्थ है - सम्यक कृति और कृति का अर्थ है निर्माण । अतः किसी समाज की संस्कृति को परिभाषित करते हुये हम कह सकते है कि मानव कल्याण एवं प्रगति में सहायक हुये सम्पूर्ण ज्ञानात्मक, विचारात्मक, और क्रियात्मक अनुभव, जो किसी जन समुदाय में लगातार प्रयोग द्वारा संस्कारों का रूप धारण कर लेते हैं, उसकी संस्कृति कहलाते हैं । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाज द्वारा सहस्त्रों वर्षों के जीवन में जो अच्छी कृतियां कर्म या निर्माण कार्य की गई हैं और जिन्हें परम्परा से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपनाते आये हैं, वे समस्त कृतियाँ सामूहिक रूप से संस्कृति की संज्ञा ग्रहण करती हैं ।

शिक्षा द्वारा मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का निमार्ण किया जाता है , दूसरे शब्दों में मनुष्य के ज्ञानात्मक , विचारात्मक , व रचनात्मक तीनों ही पक्षों के सम्यक विकास का प्रयास किया जाता है । अतः किसी भी समाज की शिक्षा और संस्कृति परस्पर सापेक्ष होती है । संस्कृति शिक्षा की रूप रेखा निधारित करती है और शिक्षा द्वारा संस्कृति के आदर्श समाज में प्रतिष्ठित होते हैं । शिक्षा संस्कृति के इस महत्वपूर्ण कार्य के लिये सक्षम शिक्षा व्यवस्था के प्रबंध का दायित्व शैक्षिक प्रशासन पर होता है । प्रत्येक देश अथवा राज्य की शैक्षिक प्रशासनिक परम्परायें वहाँ की संस्कृति के आधार पर जन्म लेतीं हैं और जैसे-जैसे उनका सांस्कृतिक परिवेश बदलता है वहाँ की शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होता जाता है । यही कारण है कि प्रत्येक देश अथवा समाज की अपनी शैक्षिणिक प्रशासनिक व्यवस्था पृथक पृथक होती है अतः शैक्षिक प्रशासन के अध्ययन के लिए अध्ययन के लिए इस तत्व का भी अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है ।

4. **राजनैतिक तत्व :-**

किसी भी देश अथवा प्रदेश के शैक्षिक प्रशासन पर वहाँ की राजनीति का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। शैक्षिक व्यवस्था शासकों की आकांक्षाओं से प्रभावित होती है और तदनुसार ही उनके प्रशासन की परिपाटी भी प्रभावित होती है ।

यदि हम भारत के राजनैतिक विकास पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि अंग्रेज वाणिज्यवाद से प्रभावित होकर हमारे देश में आये थे, जिस कारण भारत में राजनैतिक प्रभुत्व स्थापना के बाद भी व्यापारिक दृष्टिकोण रहने के कारण उन्होंने भारत को एक उपनिवेश के रूप में ही अपनाया और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर कोई भी ध्यान नहीं दिया । इस तथ्य की पुष्टि 1854 के बुड के प्रेषण से होती है - इस प्रेषण में कहा गया है कि हम भारत में ऐसी वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दें, जिनका कि प्रयोग हमारी जनता द्वारा बहुतायत में किया जाता है। इसके लिये हम भारतीय श्रम का उपयोग तो करें किन्तु उत्पादन के तकनीकि विकास का प्रयास हम भारत में न करें ।

1857 के स्वतंत्रता संग्राम के उपरान्त भारत की प्रशासनिक सत्ता ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चली गयी और कालांतर में 19 वीं शताब्दी तक जब उन्होंने अपने को इस देश में सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया था, तब भी उन्होंने भारत वर्ष में शिक्षा कार्य अपनी सामंतवादी वृत्ति को बनाये रखने के ही लिये किया और जो शिक्षा व्यवस्था की उसका लक्ष्य ऐसे भारतीय तैयार करना रखा जो मन व मस्तिष्क से पूरे अंग्रेज हों ,

जिससे वे अंग्रेजी शासन के प्रति पूर्ण रूप से वफादार रहें । अतः शैक्षिक प्रशासन में भी एकतंत्रीकरण को अपनाया गया ।

भारत के स्वतंत्र होने पर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना जब शासन द्वारा अपेक्षित समझा गया तो शिक्षा में भी लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण की बात उठी । अतः शैक्षिक प्रशासन का अध्ययन राजनैतिक सत्ता की प्रशासनिक प्रणाली पर भी निर्भर करता है ।

5. **दार्शनिक तत्व :-**

प्रशासनिक प्रणाली पर प्रशासकों की विचारधाराओं का भी बहुत प्रभाव पड़ता है और प्रशासकों के विचार किसी न किसी दर्शन से अवश्य प्रभावि रहते हैं । स्वतंत्र भारत के लगभग सभी प्रशासक-गण राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ सम्बद्ध रहे थे । राष्ट्रीय आंदोलन एक बहुवर्गीय आंदोलन था । अतः विभिन्न विचार धाराओं वाले व्यक्तियों का प्रशासन में हस्तक्षेप का प्रकार भी भिन्न भिन्न होना स्वाभाविक था । अतः शिक्षा प्रशासन का अध्ययन इस तथ्य के अध्ययन की अपेक्षा करता है ।

6. **ऐतिहासिक तत्व :-**

किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था को उसके ऐतिहासिक सन्दर्भ से अलग करके नहीं समझा जा सकता है । प्रत्येक प्रशासनिक व्यवस्था किसी न किसी रूप में अपने अतीत से प्रभावित रहती है अतः किसी भी देश या समाज के शैक्षिक प्रशासन का उसकी ऐतिहासिक परम्परा के संदर्भ में अध्ययन करके ही भली भाँति समझा जा सकता है । अतः शिक्षा प्रशासन का अध्ययन इस तत्व के अध्ययन की भी अपेक्षा करता है ।

शैक्षिक प्रशासन और सामान्य प्रशासन में अन्तर :-

प्रशासन चाहे शैक्षिक हो अथवा एक गतिशील प्रक्रिया है । प्रत्येक प्रकार के प्रशासन का लक्ष्य अपने-अपने क्षेत्र में अपनायी जाने वाली क्रियाओं का चयन करना, उनमें प्रगति करना तथा उनके माध्यम से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना है ।

जब हम शिक्षा का तात्पर्य मानव के व्यक्तित्व के विकास से लेते हैं, तो शैक्षिक प्रशासन का भी सम्बन्ध मानव व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास से रहता है, जिसकी व्यवस्था करना उसका दायित्व होता है । वास्तव में यह कार्य बड़ा ही नाजुक है जिसका दायित्व शैक्षिक प्रशासन अपने ऊपर लेता है । दूसरे प्रकार के प्रशासन मनुष्य के बाह्य विकास के साधन उपलब्ध कराने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि शैक्षिक प्रशासन मनुष्य के आंतरिक विकास का भी उत्तरदायित्व

अपने ऊपर लेकर मानव के सर्वांगीण विकास के लिये प्रयत्नशील रहता है । इसलिये शैक्षिक प्रशासन का रूप कभी भी रूढ़वादी व स्थिर नहीं रह सकता है । यह सतत् गतिशील रहता है, इसमें प्रयोगों तथा अनुभव के लिये हमेशा स्थान रहता है, जबकि दूसरे प्रकार के प्रशासनों में सदैव ऐसा होना सम्भव नहीं है ।

शैक्षिक प्रशासन का संचालन सहानुभूति, प्रेम एवं सहयोग की भावना पर अधिक अवलम्बित है, जब कि सामान्य प्रशासन दूसरों के ऊपर कठोरता से लादा जाता है । शैक्षिक प्रशासन में मानव अथवा बालक को प्रधानता दी जाती है, जबकि सामान्य प्रशासन में नियम, कानूनों तथा परिस्थितियों को अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है ।

शैक्षिक प्रशासन एक एसी मानवीय प्रक्रिया है, जो कि सामाजिक , आर्थिक, राजनैतिक सांस्कृतिक, दार्शनिक तथा ऐतिहासिक आदि अनेक तत्वों से प्रभावित व नियंत्रित होती है। यही कारण है कि किसी काल विशेष की शैक्षिक प्रशासनिक प्रक्रिया के अध्ययन के लिये तत्कालीन उक्त तत्वों का विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है, जबकि सामान्य प्रशासन केवल राजनीति से अधिकांशतः प्रभावित रहते हैं ।

शैक्षिक प्रशासन का उत्तरदायित्व मानव व्यक्तित्व के विकास की सुविधायें प्रदान करना व उनकी व्यवस्था करना है । अतः इनकी कार्य प्रणाली मानवीय व सुधार-वादी होती हैं, किन्तु अन्य प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थायें कानूनों एवं नियमों से बंधी रहती हैं और कानूनों व नियमों के पालन द्वारा ही व्यवस्था बनाये रखने में विश्वास करती हैं और जो व्यक्ति उक्त कानूनों का उल्लंघन करता है, उसे प्रताड़ित व दण्डित किया जाता है ।

शैक्षिक प्रशासन में विकास की इकाई व्यक्ति को माना जाता है इसलिये इसके द्वारा वही कार्य किये जाते है जिससे व्यक्ति का विकास पहले हो लेकिन सामान्य प्रकार में विकास की इकाई समूह को मानकर चला जाता है तथा उसके द्वारा वही कार्य किये जाते है, जिनसे सामूहिक लाभ की उपलब्धि हो सके ।

शैक्षिक प्रशासन द्वारा व्यक्ति का नैतिक विकास कर उसे सुसंस्कृत बनाने का प्रयास किया जाता है, जबकि अन्य प्रकार के प्रशासन व्यक्ति को केवल कानूनों का पालन करने वाला नागरिक बनाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं ।

शैक्षिक प्रशासन लचीला होता है, जबकि सामान्य प्रशासन में जटिलता तथा स्थायित्व

अधिक पाया जाता है ।

शैक्षिक प्रशासन का सम्बंध शिक्षा योजनाओं, क्रियाओं, तथा गतिविधियों से , शिक्षक और शिक्षार्थियों से तथा शैक्षिक संस्थाओं की व्यवस्था से रहता है, जबकि सामान्य प्रशासन का सम्बंध देश की आवाश्यकताओं मूल्यों तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से रहता है ।

शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करना ही है, जबकि सामान्य प्रशासन का लक्ष्य समाज में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सभी प्रकार की प्रगति करना है अतः सामान्य प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और शैक्षिक प्रशासन उसकी परिधि में आ जाता है ।

इस प्रकार उक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते है कि सामान्य प्रशासन मनुष्य के बाह्य विकास के साधन उपलब्ध कराने मात्र से संतुष्ट हो जाता है , जिस कारण इसका स्वरूप पूर्णतया गत्यात्मक न रहकर स्थिरता की ओर अधिक अग्रसर रहता है । यह मुख्यतः राजनैतिक तत्वों से अधिक प्रभावित होता है । इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कानूनों व नियमों से बंधी रहती है और नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दण्डित किया जाता है । इसका लक्ष्य सामूहिक विकास होता है अतः इसके द्वारा वही कार्य किये जाते है, जिससे सामूहिक लाभ की उपलब्धि की जा सके लेकिन शैक्षिक प्रशासन द्वारा बालक के व्यक्तित्व का विकास उसकी देशकालिक परिस्थितियों की सापेक्षता में किये जाने का प्रयास किया जाता है। यह देश कालिक परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित भी होता है, वहीं दूसरी ओर इसका सम्बंध मानवीय समूहों सेभी होता है और सरकारी क्रिया के रूप में यह सरकार की शिक्षा नीतियों पर आधारित होता है , जो कि समयानुसार परिवर्तित होती रहती है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधिकार तथा कर्तव्य :-

परिषद् के अधिकार -[17]

परिषद् को इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं -

(1) हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कक्षाओं के लिये शिक्षा की ऐसी शाखाओं में जिन्हें,

17- माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 "नियम-संग्रह" (1983 - 88,) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के प्राधिकार के अधीन प्रकाशित, इलाहाबाद, निदेशक राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 इलाहाबाद - 1991, पृष्ठ - 6-7

वह उचित समझे पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, अन्य पुस्तक और शिक्षण सामग्री, यदि कोई हो, विहित करना तथा ऐसी पाठ्य पुस्तक, अन्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री में सब या किसी का, दूसरों का पूर्णतः या अंशतः अपवर्जन करके या अन्यथा प्रकाशन या निमार्ण करना ।[18]

(2) ऐसे व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना -

अ. जिन्होंने ऐसी संस्था से किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, जिसे बोर्ड द्वारा मान्यता के विशेषाधिकार प्रदान किये गये हों, या

ब. जो अध्यापक हो, या

स. जिन्होंने विनियमों में निर्धारित की गयीं शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया हो, और उन्हीं शर्तों के अधीन बोर्ड की परीक्षायें उत्तीर्ण कीं हों ।

(3) हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर परीक्षाओं का संचालन करना ।

(4) अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिये संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना ।

(5) अपनी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रवेश देना ।

(6) ऐसे शुल्क मांगना और प्राप्त करना, जो विनियमों में विहित किये जायें ।

(7) अपनी परीक्षाओं के परिणाम का पूर्णतः या अंशतः प्रकाशन करना या रोकना ।[19]

(8) अन्य प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहयोग करना, जो बोर्ड अवधारित करे ।

(9) मान्यता प्राप्त संस्थाओं या मान्यता के लिये आवेदन करने वाली संस्थाओं की स्थिति के बारे में निदेशक से रिपोर्ट मांगना ।

(10) ऐसे किसी विषय के सम्बंध मे राज्य सरकार को अपने विचार भेजना, जिससे वह सम्बंधित हो ।

(11) बजट में सम्मलित किये जाने के लिये प्रस्तावित ऐसी संस्थाओं से सम्बंधित नई मांगों

18- माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा बढ़ाया गया ।

19- माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन)अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित । कोटिड इन " नियम-संग्रह " (1983-88) "पूर्वोक्त" पृष्ठ-6

की अनुसूचियों को देखना, जिन्हें उसने मान्यता प्रदान की हो और यदि वह उचित समझे तो उन पर अभिव्यक्त अपने विचारों को राज्य सरकार के विचारार्थ भेजना ।

(12) ऐसे अन्य समस्त कार्यों और बातों को करना, जो हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा के विनियम और पर्यवेक्षण के लिये एक निकाय के रूप में संगठित किये गये बोर्ड के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये अपेक्षित हों ।

उपरोक्त अधिकारों के साथ ही साथ परिषद् को विनियम बनाने तथा उपविधियाँ बनाने का भी अधिकार है । इनका विवरण निम्न प्रकार है -

परिषद् का विनियमबनाने का अधिकार -[20]

परिषद्, इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये विशेषतया और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था करने के लिये विनियम बना सकती है -

1. समितियों का संगठन, उनके अधिकार और कर्तव्य ।
2. डिप्लोमा या प्रमाण-पत्रों का प्रदान करना ।
3. बोर्ड की परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिये संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने की शर्तें ।
4. समस्त प्रमाण-पत्रों तथा डिप्लोमाओं के लिये निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ।
5. वे शर्तें जिनके अधीन अभ्यर्थी बोर्ड की परीक्षाओं में प्रविष्ट किये जायेंगे और डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्रों के पाने के पात्र होंगे ।
6. बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश के लिये शुल्क ।
7. परीक्षाओं का संचालन ।
8. परीक्षकों की नियुक्ति तथा बोर्ड की परीक्षाओं के सम्बंध में उनके कर्तव्य और अधिकार ।
9. अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) (जिसमें कि राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के 12 प्रधान तथा 12 अध्यापक चुने जाने का प्राविधान है) के अधीन परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन ।

20- "नियम-संग्रह" (1983-88) "पूर्वोक्त" पृष्ठ-12

10. मान्यता के विशेषाधिकारों के लिये संस्थाओं का प्रविष्ट किया जाना तथा मान्यता का वापस लेना ।

11. ऐसे समस्त विषय जिनकी इस अधिनियम के अनुसार विनियमों द्वारा व्यवस्था की जानी हो या की जा सके ।

12. वेशर्तें जिनके अधीन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायक अनुदान दिये जायेंगे ।

13. अभिभावक - अध्यापक एशोसियेसन की रचना ।[21]

परिषद् तथा परिषद् की समितियों का उपविधियाँ बनाने का अधिकार -[22]

(क) परिषद् तथा उसकी समितियां इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 तथा विनियमों से संगत उपविधियां बना सकती है, जिनमें

1. उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिये सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाये ।
2. ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाये, जो इस अधिनियम तथा विनियमों से संगत रहते हुये उपविधियों द्वारा विहित किये जाने हैं, और
3. केवल परिषद् ओर उनकी समितियों से सम्बंधित ऐसे अन्य समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय, जिनकी इस अधिनियम तथा विनियमों द्वारा व्यवस्था न की गयी हो ।

(ख) परिषद् तथा उसकी समितियाँ, परिषद् या समिति के सदस्यों की बैठकों के दिनाँक और उनमें संपादित किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा बैठक की कार्यवाही का अभिलेख रखने की व्यवस्था करने के लिये उपविधियाँ बनायेंगीं ।

(ग) परिषद्, समिति द्वारा इस धारा के अधीन बनाई गई किसी उपविधि में संशोधन या विखण्डन का निर्देश दे सकती है, और समिति ऐसे किसी निर्देश को कार्यान्वित करेगी ।

परिषद् के कर्तव्य -

माध्यमिक शिक्षा के लिये परिषद् निम्न लिखित कार्यों के लिये उत्तरदायी है -

---

21- माध्यमिक शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा संशोधित । कोटिड इन "नियम- संग्रह (1983-88) पृष्ठ -13

22- "नियम-संग्रह" (1983-88) "पूर्वोक्त", पृष्ठ-30

1. हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना ।
2. हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की कक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित करना ।
3. हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षायें लेना ।
4. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं की उन्नति के लिये कार्य करना ।

परिषद् के प्रमुख अधिकारी तथा उनके कर्तव्य -[23]

परिषद् के विभिन्न अनुभागों की देखरेख के लिये परिषद् के निम्न लिखित पदाधिकारी होंगे -

अ. सभापति

ब. सचिव

स. ऐसे अन्य पदाधिकारी, जिन्हें विनियमों द्वारा परिषद् के पदाधिकारी घोषित किया जाय ।

इनका विवरण नीचे दिया जा रहा है ।

(अ) सभापति - नियुक्ति, अधिकार एवं कर्तव्य -

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सभापति (अध्यक्ष) का पद राज्य का शिक्षा निदेशक "पदेन" धारण करता है । सभापति के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नांकित है -

(1) सभापति का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि अधिनियम और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है और उसे तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे ।

(2) सभापति को परिषद् की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और वह यथोचित सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे अधियाचन पर, जिस पर परिषद् की कुल सदस्यता के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हो तथा जिसमें बैठक में सम्पादित किये जाने वाले कार्य का उल्लेख हो, बैठक बुलायेगा ।[24]

(3) परिषद् के प्रशासनिक कार्य के सम्बंध में पैदा होने वाली किसी ऐसी आपातिक स्थिति में जिसमें सभापति के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो,

---

23-नियम-संग्रह (1983-88) "पूर्वोक्त" पृष्ठ- 9,10, तथा 176,177

24- माध्यमिक शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित, कोटिड इन "नियम-संग्रह" (1983-88) "पूर्वोक्त," पृष्ठ - 10

सभापति ऐसी कार्यवाही करेगा, जो वह आवश्यक समझे, और उसके पश्चात् परिषद् को उसकी अगली बैठक में अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना देगा ।

(4) सभापति ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें ।

इसके अलावा इस परिषद् के समस्त कार्य संचालन के लिये परिषद् का सचिव उत्तरदायी होता है । वह परिषद् का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है । सचिव के कार्यों में सहायता के लिये अपर सचिव, उपसचिव व सहायक सचिव आदि होते हैं ।

(ब) सचिव - नियुक्ति, अधिकार तथा कर्तव्य -

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों और ऐसी अवधि के लिये की जाती है, जिसे राज्य सरकार उचित समझती है ।[25] परिषद् के नियंत्रण में रहते हुये सचिव परिषद् का प्रशासनिक अधिकारी होता है । सचिव के निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य हैं -

(1) परिषद् की समस्त बैठकें सचिव द्वारा बुलाई जायेंगी ।

(2) सचिव वार्षिक अनुमान तथा लेखा विवरण प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(3) वह यह देखने के लिये उत्तरदायी होगा कि समस्त धनराशियां उन्हीं प्रयोजनों के लिये व्यय की जाती हैं, जिनके लिये वे स्वीकृत व प्रदिष्ट की गयी हों ।

(4) वह परीक्षाओं के संचालन के लिये ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हों ।[25]

(5) सचिव, सभापति के प्राधिकार से परिषद् के सरकारी पत्र व्यवहार का संचालन करेगा ।

(6) परिषद् के लिये देय समस्त शुल्क एवं पावना तथा सचिव के रूप में प्राप्त समस्त धनराशियाँ अविलम्ब सरकारी कोषागार में जमा कर दी जायेंगीं ।

(7) सचिव विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुये परिषद् की परीक्षाओं का संचालन, जिसके अन्तर्गत परीक्षाकेन्द्रों और मूल्यांकन केन्द्रों का नियंत्रण भी है और परीक्षाफल का प्रकाशन, उसकी घोषणा करने या उन्हें रोकने के लिये प्रबंध करेगा, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो उसके किये आवश्यक हों ।

(8) सचिव परिषद् की परीक्षाओं में प्रविष्ट होने वाले उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करेगा और परिषद् या परीक्षा समिति के निर्देशों या अनुदेशों के, यदि

25- माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम 1975 द्वारा संशोधित कोटेड इन 'नियम-संग्रह' (1983-88) "पूर्वोक्त", पृष्ठ-10

कोई हो, अधीन रहते हुये, उन पर कार्यवाही करेगा ।

(9) सचिव को परीक्षाफल समिति द्वारा पारित ऐसे परीक्षाफल में मिली किसी गलती या लोप या भिन्नता को युक्ति-युक्त समय के भीतर, जो साधारणतया परिषद् की मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के प्रकाशित होने के दिनाँक से 6 मास से अनधिक होगा, दूर करने की शक्ति होगी ।

(10) सचिव, परिषद् की ओर से सफल उम्मीदवारों को परिषद् की परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में देगा और बाद में उसकी गलत प्रविष्टियों में कोई शुद्धि करेगा, बशर्ते कि प्रमाण-पत्र में किसी ऐसी गलत प्रवृष्टि, किसी अविचरित लिपिकीय भूल या लोप के कारण या किसी ऐसी लिपिकीय भूल के कारण की गई हो, जो असावधानी से परिषद् के स्तर के या उस संस्था के, जहाँ से अन्तिम बार शिक्षा प्राप्त की हो, स्तर पर अभिलेख में हो गयी हो । यह शुद्धि सचिव द्वारा उसी स्थिति में की जा सकेगी, जब अभ्यर्थी ने सम्बंधित परीक्षा के प्रमाण-पत्र को परिषद् द्वारा निर्गमन करने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही लिपिकीय त्रुटि की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये सम्बंधित प्रधानाचार्य/ केन्द्र व्यवस्थापक की त्रुटि के संशोधन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया हो और उसकी प्रति पंजीकृत डांक से सचिव, परिषद् को भी प्रेषित की हो ।[26]

(11) यदि सचिव को यह सुनिश्चत हो जाय कि किसी उम्मीदवार का मूल प्रमाण पत्र खो गया है या नष्ट हो गया है या अनुपयोगी हो गया है तो वह परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विहित शुल्क लेकर उसकी द्वितीय प्रति दे सकता है । वह विहित शुल्क लेकर परिषद् की परीक्षा के अंक-पत्र की द्वितीय प्रति भी दे सकता है ।

(12) परिषद् का पुस्तकालय, सचिव की देखरेख में होगा और वह समय-समय पर परिषद् द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पाठ्यपुस्तकों इत्यादि के लिये विचारार्थ पाठ्यपुस्तकों को सम्बंधित समितियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

26- दिनाँक 14 मई, 1983 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद् - 9/104 दिनाँक 4 मई, 1983 द्वारा संशोधित । कोटेड इन "नियम-संग्रह" (1983-88) पूर्वोक्त, पृष्ठ- 177

(13) सचिव, प्रतिवर्ष 31 मई, तक विभाग को परिषद् की परीक्षाओं के लिये मान्यता प्राप्त स्कूलों और कालेजों की सूची, वैकल्पिक विषय अथवा विषयों को निर्दिष्ट करते हुये, जिनमें मान्यता प्राप्त हुई है, देगा ।

(14) सचिव ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे परिषद् द्वारा सौंपे जायें अथवा उसके निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों ।

(15) सचिव को परिषद् की किसी समिति और उसकी उपसमिति की किसी बैठक में पदेन सदस्य सचिव के रूप में उपस्थित होने, भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा ।

प्रतिबंध यह है कि विभिन्न विषयों की पाठ्यक्रम समितियों, अनुचित साधनों के मामले के निस्तारण के लिये समितियों और महिला शिक्षा समिति की स्थिति में वह अपनी ओर से, उनकी किसी बैठक में भाग लेने और बोलने के लिये अपर सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रति नियुक्त कर सकता है ।

(16) सचिव को अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से, परिषद् की किसी समिति या उसकी किसी उपसमिति की बैठक बुलाने की शक्ति होगी, जब कभी उसकी राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है ।

(17) उपर्युक्त के अतिरिक्त सचिव ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा, जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें ।

परिषद् से सम्बंधित राज्य सरकार के अधिकार -

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सम्बंध में राज्य सरकार कुछ अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है, जो निम्नांकित हैं -

1. राज्य सरकार को परिषद् द्वारा संचालित अथवा किये गये किसी भी कार्य के सम्बंध में परिषद् को सम्बोधित करने तथा किसी भी ऐसे विषय के सम्बंध में जिससे परिषद् सम्बंधित हो, परिषद् को अपने विचार सूचित करने का अधिकार होगा ।

2. परिषद् राज्य सरकार को उनके पत्र पर की गयी अथवा की जाने के निमित्त

प्रस्तावित कार्यवाही की, यदि कोई हो सूचना देगा ।

3. यदि परिषद् उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही न करे, तो परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार इस अधिनियम के संगत ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जो वह उचित समझे और परिषद् ऐसे निदेशों का पालन करेगी ।

4. जब कभी राज्य सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समाचीन हो, वह परिषद् को पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन कोई निर्देश किये बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे और विशिष्टतः ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बंधित किसी विनियम का परिष्कार, विखण्डन या रचना कर सकती है और तदनुसार परिषद् को तत्काल सूचना देगी । राज्य सरकार द्वारा की गयी इस कार्यवाही पर आपत्ति नहीं की जायेगी ।[27]

परिषद् की प्रशासनिक व्यवस्था -

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या में स्थापना काल से वर्तमान तक समय-समय पर आवश्यकतानुसार वृद्धि होती आ रही है । परिषद् पर कार्य का भार स्थापना काल से ही बढ़ता चला आ रहा है, जिससे उसे अपने स्टाफ में लगातार वृद्धि करनी पड़ रही है । सन् 1923-24 में परिषद् में एक सचिव (400-1250), एक सहायक सचिव (200-450), 11 क्लर्कस (50-300) तथा 6 सरवेंट्स (12-20) थे। यह स्थिति सन् 1925 - 26 तक रही । सन् 1926-27 में एक सचिव (490-1250), सरवेंट्स की संख्या 6 तथा क्लर्क्स तथा सहायक सचिव (50-450) की संख्या 16 हो गयी । सन् 1928-29 में एक सचिव (400-1250), एक लाइब्रेरियन (75), सहायक सचिव और क्लर्क्स संख्या 20 (50-325) तथा 8 सर्वेंट्स थे । इस प्रकार इस वर्ष लाइब्रेरियन पद का सृजन हुआ । यह स्थिति सन् 1930-31 तक रही । सन् 1931-32 में एक सचिव (400-1650), सहायक सचिव और क्लर्क्स संख्या 21 (50-375), एक लाइब्रेरियन (75-100) तथा 8 सर्वेंट्स (11-20) थे । सन् 1933-

---

27- माध्यमिक शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित कोटिड इन "नियम-संग्रह"(1983-88) "पूर्वोक्त," पृष्ठ- 9

-34 में सहायक सचिव तथा क्लर्क्स् (35-450) की संख्या घटाकर 16 कर दी गयी । सन् 1938-39 में यह संख्या पुनः 20 कर दी गयी । सन् 1945-46 में सचिव के अतिरिक्त सहायक सचिव तथा क्लर्क्स संख्या 31 तथा 10 सर्वेंट्स थे । सन् 1946-47 में सहायक सचिव तथा क्लर्क्स की संख्या 33 तथा सर्वेंटस की संख्या 14 हो गयी । सन् 1947-48 में डिप्टी सेक्रेटरी (उप सचिव) नामक पद का सृजन किया गया । इस वर्ष असिस्टेण्ट सेक्रेटरी तथा क्लर्क्स की संख्या 33 तथा सेवकगणों की संख्या 14 थी । सन् 1948-49 में एक सचिव, एक उप सचिव, सहायक सचिव और क्लर्क्स संख्या 40 तथा 40 सेवक गण थे।[28]

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या तथा उनके वेतनमान समय-समय पर परिवर्तित होते रहे हैं । परिषद् पर लगातार बढ़ते भार को देखकर सन् 1972 से इसके विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुयी और वर्तमान में परिषद् के चार क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हो चुके है। इन क्षेत्रीय कार्यालयों में अनेक अधिकारी तथा कर्मचारी हैं, जिनके माध्यम से ये कार्यालय अपने-अपने उत्तरदायित्वों का वहन कर रहे हैं । सन् 1989-89 तथा 1991-92 में परिषद् के मुख्यालय तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में पदों की संख्या निम्नवत् थी ।[29]

वर्ष	पद का नाम	परिषद् मुख्यालय में पद संख्या	क्षेत्रीय कार्यालयों में पद संख्या				कुल योग
			मेरठ	बरेली	वाराणसी	इलाहाबाद	
1988-89	अधिकारी एवं कर्मचारी	403	273	212	315	337	1540
1991-92	अधिकारी एवं कर्मचारी	421	308	242	358	371	1700

वर्ष 1988-89 में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय इलाहाबाद तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न पदों पर निम्न अधिकारी तथा कर्मचारी कार्यरत थे ।[30]

28- युनाईटिड प्राविंसस् ऑफ आगरा व अवध तथा युनाईटिड प्राविंसस् के शिक्षा विभाग के बजट (सम्बंधित वर्षों के) लखनऊ, प्रिंटिंग एट दि गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस ।

29- उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग (वर्ष 1988-89 तथा वर्ष 1992-93) का कार्य पूर्ति दिग्दर्शक परफारमेंस बजट (आय-व्ययक) इलाहाबाद, निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत) 1988तथा 1992

30- उत्तर प्रदेश **शासन** शिक्षा विभाग (वर्ष 1988-89) का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक परफारमेंस बजट (आय-व्ययक) इलाहाबाद, निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत) 1988 पृष्ठ -51-53

क्रमांक	पद का नाम	मुख्यालय इलाहाबाद मे पद संख्या	क्षेत्रीय कार्यालयों में पदों की संख्या				योग
			मेरठ	बाराणसी	बरेली	इलाहाबाद	
1.	सचिव	1	-	-	-	-	1
2.	अपर सचिव	3	1	1	1	1	7
3.	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी	1	-	-	-	-	1
4.	लेखाधिकारी	1	1	1	-	-	3
5.	उप सचिव	12	2	2	1	3	20
6.	रिपोग्राफी आफीसर	-	-	-	-	-	1
7.	सहायक सचिव (राजपत्रित)	2	3	2	1	2	10
8.	सहायक (तकनीकी)	1	-	-	-	-	1
9.	सहायक लेखाधिकारी	1	-	-	-	-	1
10.	सहायक सचिव (मिनिस्ट्रियल)	4	3	3	1	2	13
11.	अधीक्षक -1	3	3	4	2	2	14
12.	अधीक्षक -1 (गोपनीय)	1	-	-	-	-	1
13.	अधीक्षक 2	16	14	19	9	8	66
14.	अधीक्षक - 2 (गोपनीय)	-	2	2	2	5	11
15.	ज्येष्ठ सहायक (गोपनीय)से0ग्रे0	10	-	-	-	-	10
16.	ज्येष्ठ सहायक (गोपनीय)	20	28	26	16	50	140
17.	वरिष्ठ सहायक	51	42	55	42	40	230
18.	कनिष्ठ सहायक (गोपनीय)	-	2	4	4	10	20
19.	वरिष्ठ लिपिक	54	25	35	25	24	163
20.	कनिष्ठ लिपिक	44	67	79	45	90	325
21.	वैतनिक उम्मीदवार	24	10	4	10	-	48

22.	स्टोनो ग्राफर	4	1	2	1	2	10
23.	आशुलिपिक	2	-	-	1	-	3
24.	साहित्यक सहायक	6	-	-	-	-	6
25.	शोध सहायक	7	-	-	-	-	7
26.	रिपोग्राफी सहायक	1	-	-	-	-	1
27.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	-	-	-	-	1
28.	आर्टिस्ट	1	-	-	-	-	1
29.	ज्येष्ठ लेखानिरीक्षक	1	-	-	-	-	1
30.	ज्येष्ठ अनुसंधान कर्ता	2	-	-	-	-	2
31.	कनिष्ठ अनुसंधान कर्ता	2	-	-	-	-	2
32.	इन्वेस्टिगेटर-कम-कम्प्युटर	4	-	-	-	-	4
33.	कनिष्ठ लेखा निरीक्षक	3	-	-	-	-	3
34.	लाईब्रेरियन	1	-	-	-	-	1
35.	डार्करूम सहायक	1	-	-	-	-	1
36.	रिपोग्राफी रीडर	1	-	-	-	-	1
37.	कैट लागर	1	-	-	-	-	1
38.	टेलीफोन आपरेटर	2	-	-	-	-	2
39.	जनरेटर आपरेटर	1	1	1	-	-	3
40.	ट्रक ड्राईवर	1	-	-	-	-	1
41.	पिकअप ड्राईवर	1	-	-	-	-	1
42.	ड्राईवर	1	1	1	1	1	5
43.	फार्म कीपर	1	1	-	-	-	2
44.	भवन चिंतक	1	1	1	-	-	3
45.	बण्डल वाहक	1	-	-	-	-	1
46.	दफतरी	3	2	2	2	2	11
47.	चपरासी, परार्शतथा अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	18	14	14	13	20	79

48.	नियमित श्रमिक	95	42	52	35	75	299
49.	कुर्सी बुनकर	2	-	-	-	-	2
	योग (अधिकारी/कर्म0)						1540

उपरोक्त सूची से स्पष्ट है कि परिषद् के मुख्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या उसके क्षेत्रीय कार्यालयों की तुलना में अधिक है। इसका कारण मुख्यालय पर क्षेत्रीय कार्यालयों की तुलना में कार्य की अधिकता का होना है । क्षेत्रीय कार्यालयों में सबसे अधिक स्टाफ इलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालय में है तथा बरेली कार्यालय में सबसे कम स्टाफ है ।

सन् 1991 के परिषद् के प्रशासनिक ढांचे को अग्रांकित चार्ट के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है -

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 का प्रशासनिक ढाँचा

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि परिषद् का अध्यक्ष प्रदेश का शिक्षा निदेशक (पदेन) होता है । परिषद् का सचिव परिषद् का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है । वर्तमान समय में परिषद् के मुख्यालय में तीन अपर सचिव हैं, जो क्रमशः अपर सचिव (प्रशासन), अपर सचिव (पाठ्य पुस्तक) तथा अपर सचिव (अनुसंधान) कहलाते हैं । परिषद् के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक-एक अपर सचिव हैं, जो क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासन के लिये उत्तरदायी होते हैं । परिषद् में एक वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी है, जो परिषद् मुख्यालय में रहता है । वर्तमान में परिषद् में तीन लेखाधिकारी हैं, जिनमें से एक मुख्यालय में, दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ में तथा तीसरा क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में है । परिषद् में इस समय 20 उपसचिव हैं, जिनमें से 12 मुख्यालय में, 2 मेरठ, 2 वाराणसी, 1 बरेली तथा 3 इलाहाबाद के क्षेत्रीय कार्यालयों में हैं । परिषद् में कुल 23 सहायक सचिव हैं जिनमें से 6 मुख्यालय में, 6 मेरठ, 5 वाराणसी, 2 बरेली तथा 4 इलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत हैं । परिषद् के मुख्यालय में एक रिपोग्राफी आफीसर, एक तकनीकी सहायक, एक सहायक लेखाधिकारी है । वर्तमान में लिपिक वर्गीय कर्मचारी (मिनिस्ट्रियल स्टॉफ) संख्या 1171 है, जिनमें मुख्यालय में 240, मेरठ कार्यालय में 219, वाराणसी कार्यालय में 270, बरेली कार्यालय में 177, तथा इलाहाबाद कार्यालय में 265 हैं ।

परिषद् के उपरोक्त अधिकारी तथा कर्मचारी परिषद् के समस्त उत्तरदायित्वों को पूरा करते हैं । परिषद् द्वारा माध्यमिक शिक्षा में सुधार तथा उसके उन्नयन हेतु पिछले दो दशकों में किये गये महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं -

1. सन् 1970 की परीक्षाओं से इण्टरमीडिएट स्तर पर 4 के स्थान पर 5 विषय किये गये ।[31]
2. सन् 1972 में मेरठ में परिषद् का प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया ।[32]
3. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 के अन्तर्गत पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन इकाई की स्थापना की गयी । इस इकाई ने मार्च, 1975 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया ।[33]

31- "शिक्षा की प्रगति" (1969-70), इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 1970, पृष्ठ-24

32- " शिक्षा की प्रगति" (1972-73) "पूर्वोक्त", 1973 पृष्ठ- 10

33- शिक्षा की प्रगति 1976-77 पूर्वोक्त 1977 पृष्ठ 5

4. सन् 1975 में हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की हिन्दी की राष्ट्रीय पुस्तकों का प्रकाशन किया गया । इस तरह पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुयी ।[34]

5. सन् 1975 की परीक्षा से हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को विशेष सुविधा की योजना प्रारम्भ की गयी[35]

6. वर्ष 1979 की परीक्षा से वाराणसी तथा गोरखपुर मण्डल का समस्त परीक्षाकार्य वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा देखा जा रहा है । इस क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना सन् 1978 में हुयी ।[36]

7. सन् 1976 में हाई स्कूल की अंग्रेजी विषय की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा इसी वर्ष कम्प्युटर द्वारा परीक्षाफल तैयार कराने की अग्रगामी योजना प्रारम्भ की गयी ।[37]

8. सन् 1978 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इलाहाबाद तथा मेरठ मण्डल के हाई स्कूल के परीक्षाफल कम्प्युटर से तैयार किये गये ।[38]

9. सन् 1978 की इलाहाबाद तथा मेरठ मण्डलों का कम्प्युटर से परीक्षाफल तैयार करने की सफलता को देखकर सन् 1979 में मेरठ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, तथा गोरखपुर मण्डलों के 31 जिलों के हाई स्कूल परीक्षाफल कम्प्युटर से तैयार किये गये ।[39]

10. सन् 1980 की परीक्षायें 3024 परीक्षा केन्द्रों के माध्यम से सम्पन्न की गईं । केन्द्रीय मूल्यांकन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 में मूल्यांकन केन्द्रों की संख्या 114 हो गयी ।[40]

11. सन् 1981 की परीक्षाओं से सम्पूर्ण प्रदेश में हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल सम्बंधी कार्य प्रथम बार कम्प्युटर द्वारा कराया गया ।[41]

---

34 एवं 35- "शिक्षा की प्रगति" (1976-77) पूर्वोक्त 197, पृष्ठ-5-7

36 एवं 37- उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग (1981-82) का कार्य पूर्ति दिग्दर्शक, आय-व्ययक इलाहाबाद, निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 शासन (भारत) 1981, पृष्ठ44-

38- " शिक्षा की प्रगति " (1978-79) पूर्वोक्त, 1979, पृष्ठ- 8

39- " शिक्षा की प्रगति " (1979-80) पूर्वोक्त, 1980, पृष्ठ - 9

40- -उ0प्र0 शासन,शिक्षा विभाग,1981-82,का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (आय-व्ययक) पूर्वोक्त"-1981,पृष्ठ-44-45

41- शिक्षा की प्रगति, (1981-82) , पूर्वोक्त, 1982 , पृष्ठ-9

12. सन् 1981 से संस्थागत तथा व्यक्तिगत परीक्षायें पृथक – पृथक कराये जाने का निर्णय लिया गया है । सन् 1981 की संस्थागत परीक्षार्थियों की परीक्षा मार्च 1981 में तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की परीक्षा मई, 1981 में कराने का निश्चय किया गया ।[42]

13. सन् 1981 से परिषद् के निर्णयानुसार समस्त भाषाओं (हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियेट) के प्रश्नपत्र 3 के स्थान पर 2 कर दिये गये । इनमें विषय वस्तु वही रहेगी । तीसरे प्रश्नपत्र की सामग्री प्रथम तथा द्वितीय प्रश्नपत्र में समाहित कर दी गयी है ।[43]

14. सन् 1981 की परीक्षा से हाई स्कूल की गणित तथा सामान्य गणित के प्रश्नपत्रों की अवधि 3 घंटे के स्थान पर 2.30 घंटे कर दी गयी ।[44]

15. परिषद् की विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत परिषद् का तीसरा कार्यालय सन् 1981 में बरेली में स्थापित किया गया ।[45]

16. वर्ष 1980-81 में परिषद् की परीक्षाओं के महत्वपूर्ण अभिलेख तथा सारणीयन पंजिका एवं प्रमाणपत्र के प्रतिपर्णों को सुरक्षित रखने हेतु तथा स्थानाभाव की समस्या सुलझाने के लिये अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग हेतु एक इकाई की स्थापना की गयी, जिसमें सन् 1923 से 1948 तक के हाई स्कूल सारणीयन खण्डों की माइक्रोफिल्मिंग कर ली गयी ।[46]

17. सन् 1981 हाई स्कूल की गणित एक तथा गणित दो की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर प्रकाशन कराकर जुलाई, 1981 में उपलब्ध करा दी गयीं ।

18. वर्ष 1980-81 में परिषद् कार्यालय की विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी के संकलन तथा नई योजनाओं की तैयारी और उनकी प्रगति के सफलता पूर्वक संचालन हेतु नियोजन एवं सांख्यिकी अनुभाग की स्थापना की गयी ।[47]

42,43,44,एवं46 - उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ' 1981-82 ' का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (आय-व्ययक) "पूर्वोक्त" - 1981 पृष्ठ - 44 - 45

45 - " शिक्षा की प्रगति " (1981-82) "पूर्वोक्त" - 1982 पृष्ठ - 9-10

47 - उ0 प्र0 शासन, शिक्षा विभाग (1981-82) कार्यपूर्ति दिग्दर्शक(आय-व्ययक) "पूर्वोक्त" 1981 पृष्ठ - 45

19. सन् 1981 में परिषद् की संस्थागत तथा व्यक्तिगत परीक्षाओं को अलग-अलग सम्पादित करने की योजना से इस वर्ष परीक्षा केन्द्रों की संख्या 3114 हो गयी, जबकि 1980 में यह 3024 थी । इस व्यवस्था से नकल सम्बंधी समस्या में पर्याप्त सुधार हुआ। केन्द्रीय मूल्यांकन के अन्तर्गत वर्ष 1981 में मूल्यांकन केन्द्रों की संख्या वर्ष 1980 के मूल्यांकन केन्द्रों की ही भांति 114 ही रखी गयी लेकिन इसके अतिरिक्त 55 संकूलन केन्द्र भी बनाये गये ।[48]

20. वर्ष 1981 की व्यक्तिगत परीक्षाओं को क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ तथा वाराणसी द्वारा अलग से संचालित किया गया ।[49]

21. वर्ष 1982 की परीक्षाओं से हिन्दी विषय में पुनः तीन प्रश्नपत्र ।[50]

22. वर्ष 1981-82 में कक्ष निरीक्षक, केन्द्र व्यवस्थापक आदि के पारिश्रमिक पावना पत्रों का पारण क्षेत्रीय कार्यालयों मेरठ, वाराणसी, के अन्तर्गत आनेवाले जनपदों का क्षेत्रीय कार्यालय से किया गया ।[51]

23. वर्ष 1981-82 में मूल्यांकन केन्द्र के व्ययादि पर नियंत्रण रखने के लिये मूल्यांकन एवं निरीक्षण अनुभाग तथा परिषद् कार्यालय की स्टेशनरी आदि का क्रय सुचारू रूप से करने के लिये क्रय अनुभाग की स्थापना की गयी ।[52]

24. वर्ष 1981-82 तक परिषद् के माइक्रोफिल्मिंग अनुभाग द्वारा परिषद् के सन् 1950 तक के सारणीयन खण्डों की माइक्रोफिलिंमग की कार्यवाही पूर्ण करली गयी ।[53]

25. वर्ष 1981-82 में हाई स्कूल स्तर के भाषा विषयों यथा हिन्दी तथा अंग्रेजी एवं सामाजिक विषयों यथा नागरिक शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, एवं भूगोल में आदर्श प्रश्नपत्रों का निमार्ण कराकर विद्यालयों को प्रेषित किया गया तथा इन पर शिक्षकों की प्रतिक्रिया ज्ञात की गयी ।[54]

26. वर्ष 1982 में केन्द्रीय मूल्यांकन के अन्तर्गत मूल्यांकन केन्द्रों की संख्या 132 हो गयी, इसके अतिरिक्त 55 संकलन केन्द्र भी बनाये गये ।[55]

---

48 से 53 - उ0 प्र0 शासन, शिक्षा विभाग (1982-83 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (आय-व्ययक), "पूर्वोक्त" 1982, पृष्ठ - 47

54 एवं 55 - उ0 प्र0 शासन, शिक्षा विभाग (1983-84) का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (आय-व्ययक), "पूर्वोक्त" 1983 पृष्ठ - 59-60

27. वर्ष 1982 की व्यक्तिगत परीक्षाओं को क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ तथा वाराणसी द्वारा अलग से संचालित किया गया।[56]

28. वर्ष 1982-83 में कक्ष निरीक्षकों एवं अतिरिक्त केन्द्र व्यवस्थापकों के पारिश्रमिक देयकों के भुगतान हेतु जिला विद्यालय निरीक्षकों को शासन द्वारा अधिकार प्रतिनिहित कर दिया गया। इससे जनपदीय लोगों को सुविधा हुयी।[57]

29. परिषद् की वर्ष 1983 की पूरक परीक्षाओं का परीक्षाफल प्रथम बार कम्प्युटर से तैयार कराया गया।[58]

30. वर्ष 1984 की परीक्षाओं से प्रथम बार हाई स्कूल परीक्षाओं का आयोजन दस वर्षीय अनिवार्य पाठ्यक्रम पद्धति से किया गया, लेकिन वर्ष 1983 की हाई स्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को पुराने पाठ्यक्रम से परीक्षा देने की सुविधा प्रदान की गयी। इस वर्ष 1984 की परीक्षा से हाई स्कूल स्तर पर 7 विषय हो गये, जिनमें विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान अनिवार्य विषय के रूप में तथा नैतिक व शारीरिक शिक्षा व समाज सेवा को भी एक विषय के रूप में सम्मलित किया गया।[59]

31. वर्ष 1983 में इण्टरमीडिएट साहित्यिक वर्ग के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की परीक्षा का आयोजन सीधे न कर पत्राचार पाठ्यक्रम पद्धति से किया गया। परीक्षार्थियों की सुविधा एवं परीक्षकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर इस वर्ष 6 विषयों की विश्लेषण पुस्तकों का प्रकाशन किया गया।[60]

32. वर्ष 1985 में श्रेष्ठता क्रम में (परीक्षाओं में) प्रथम दस स्थान पाने वाले छात्र/छात्राओं की उत्तर पुस्तकों से उत्तरों का चयन कर एवं उन्हें सम्पादित कर "प्रेरणा पुष्प 1982" नामक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया गया।[61]

33. वर्ष 1983 की परीक्षाओं में 56 संकलन केन्द्र, 43 उपकेन्द्र, 132 मुख्य परीक्षा तथा 16 पूरक परीक्षा मूल्यांकन केन्द्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य कराया गया

56,57, तथा 59- उ0 प्र0 शासन, शिक्षा विभाग (1983-84) का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (आय-व्ययक) "पूर्वोक्त" 1983 पृष्ठ - 59-60

58- उत्तर प्रदेश शासन,शिक्षा विभाग, 1984-85, का कार्यपर्ति दिग्दर्शक (आय-व्ययक) "पूर्वोक्त" 1984 पृष्ठ - 54

61- शिक्षा की प्रगति" (1985-86) "पूर्वोक्त" - 1986 पृष्ठ - 9

60एवं 62- उ0प्र0 शासन,शिक्षा विभाग 84-85,का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक,आय-व्ययक,"पूर्वोक्त,"84,पृष्ठ-54

34. वर्ष 1983 की परीक्षायें संस्थागत 1984 परीक्षाकेन्द्रों तथा व्यक्तिगत 899 परीक्षा केन्द्रों के माध्यम से आयोजित की गयीं ।[63]

35. वर्ष 1983 में हाई स्कूल की विज्ञान एक, विज्ञान दो तथा सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ।

36. वर्ष 1984 में परिषद् की विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ द्वारा हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट पूरक परीक्षा का आयोजन किया गया।[64]

37. वर्ष 1985 की परीक्षाओं से पूरक परीक्षा की व्यवस्था समाप्त की गयी । इसके स्थान पर यह व्यवस्था की गयी कि परीक्षा में प्रविष्ट परीक्षार्थी यदि केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण रहें और उस विषय में उसे 25 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त हों तथा उसके सम्पूर्ण प्राप्तांक का योग 40 प्रतिशत हो, तो ऐसी स्थिति में अनुत्तीर्ण हुये विषय में 33 प्रतिशत तक अंक पाने के लिये आवश्यक अंक कृपांक के रूप में देकर उसे उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा तथा श्रेणी भी प्रदान की जायेगी ।[65]

38. सन् 1985 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का विकेन्द्रीकरण एवं पुर्नगठन हेतु राजाज्ञा सं0 3268/15-7-(91)-85 दिनाँक 27 जून, 1985 द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है ।[66]

39. वर्ष 1986 की परीक्षाओं से परिषद् द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षाओं का समस्त परीक्षोत्तर कार्य क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कराया गया ।[67]

40. वर्ष 1986 की परीक्षाओं से इण्टरमीडिएट (संस्थागत एवं व्यक्तिगत एक साथ) परीक्षा प्रथम चरण में तथा हाईस्कूल (संस्थागत एवं व्यक्तिगत एक साथ) परीक्षा द्वितीय चरण में अयोजित की गयी ।[69]

---

63 - उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग (1984-85) का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक ,आय-व्ययक,"पूर्वोक्त" 1984, पृष्ठ - 54

64 - उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग (1985-86) का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (आय-व्ययक) "पूर्वोक्त" - 1985, पृष्ठ - 62

65 - उ0 प्र0 शासन, शिक्षा विभाग (1987-88) का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक 'पूर्वोक्त' 1985,पृष्ठ-62

66 से 69 - उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग (1986-87) का कार्यपूर्नि दिग्दर्शक (आय-व्ययक) "पूर्वोक्त" - 1986, पृष्ठ - 57

41. वर्ष 1986 में मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इससे सम्बंधित मण्डलों का इण्टरमीडिएट परीक्षा का परीक्षोत्तर कार्य किया गया ।[68]

42. वर्ष 1986 में[70]

अ) क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ एवं इलाहाबाद द्वारा हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं का परीक्षा पूर्व एवं परीक्षोत्तर समस्त कार्य सम्पादितकिया गया ।

ब) क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी एवं बरेली द्वारा हाईस्कूल का परीक्षा पूर्व तथा परीक्षोत्तर तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा का परीक्षा पूर्व का कार्य सम्पादित किया गया ।

स) मुख्य कार्यालय इलाहाबाद द्वारा वाराणसी तथा बरेली क्षेत्रीय कार्यालयों के अर्न्तगत आने वाले मण्डलों का इण्टरमीडिएट परीक्षा का परीक्षोत्तर कार्य सम्पादन किया गया ।

द) विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के अर्न्तगत आने वाले मण्डलों की स्थिति निम्नवत् है - (1) मेरठ- मेरठ, आगरा, पौड़ी गढ़वाल (2) वाराणसी- वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद (3) बरेली- बरेली, मुरादाबाद, कुमायुं(नैनीताल) तथा (4) इलाहाबाद- इलाहाबाद, लखनऊ, झाँसी ।

43. सन् 1986 में परिषद् के मुख्य कार्यालय इलाहाबाद की जनशक्ति का भी विकेन्द्रीकरण किया गया । सम्प्रति मुख्य कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में स्टॉफ की स्थिति निम्नलिखित है -[71]

क्रमांक	पद का नाम	संख्या मुख्यालय	संख्या क्षेत्रीय कार्यालय				योग
			मेरठ	वाराणसी	बरेली	इलाहाबाद	
1.	अधिकारी	27	10	9	4	8	58
2.	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	229	194	230	157	231	1041
3.	लिपिक वर्गीयतर कर्मचारी	35	1	1			37
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	124	61	69	50	97	401
	योग	425	266	309	211	336	1537

68- उ0 प्र0 शासन,शिक्षा विभाग (1986-86) का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक, आय-व्ययक, "पूर्वोक्त" 1986,पृष्ठ-57

70- उ0 प्र0 शासन, शिक्षा विभाग (1987-88) का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक, आय-व्ययक, "पूर्वोक्त" 1987 पृष्ठ-53

71- उ0 प्र0 शासन, शिक्षा विभाग (1987-88) का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक, आय-व्ययक, "पूर्वोक्त" 1987,पृष्ठ-53

44. वर्ष 1987 से हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षायें एक साथ आयोजित की गयीं।[72]

45. शैक्षिक सत्र 1 मई से प्रारम्भ तथा 30 अप्रैल को समाप्त करने का वर्ष 1986 में निर्णय, जिससे विद्यालयों एवं विद्यार्थियों की सुविधा के लिये इस वर्ष प्रकाशित राष्ट्रीयकृत पुस्तकें 1 मई 1987 तक उपलब्ध करायी गयी।[73]

46. सन् 1985 में परिषद् द्वारा हाईस्कूल की जीव विज्ञान, इतिहास तथा इण्टरमीडिएट की अंग्रेजी तथा अर्थशास्त्र की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर प्रकाशन किया गया।

47. वर्ष 1986 में हाईस्कूल की संस्कृत तथा इण्टरमीडिएट की गणित की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर प्रकाशन किया गया, 1986 में ही इलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना हुयीं।

48. वर्ष 1987-88 तक परिषद् के पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण अनुभाग द्वारा 42 राष्ट्रीयकृत पुस्तकों का प्रकाशन किया गया।[74]

49. वर्ष 1987-88 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट स्तर पर व्यवसायीकरण की दिशा में पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया गया।[75]

50. वर्ष 1987-88 में अध्यापक/अभिभावक एसोशियेशन का गठन किया गया।[76]

51. वर्ष 1987-88 में गृह परीक्षाओं के संचालानार्थ जनपदीय परीक्षा समितियों काक गठन किया गया।[77]

52. वर्ष 1987-88 मे प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था दो चरणों में फरवरी माह में की गयी।[78]

53. वर्ष 1987-88 में जनपद स्तर पर विषय समितियों का गठन किया गया।[79]

54. वर्ष 1987-88 में तुलनात्मक परीनिरीक्षण कार्य मूल्यांकन केन्द्र पर ही सम्पादित करने की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी।[80]

55. विगत दस वर्षों में रूके 36 लाख में से 32 लाख प्रमाण-पत्रों का प्रेषण सत्र 1987-88 में युद्ध स्तर पर किया गया।[81]

---

72 एवं 73 -उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग (1987-88) का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (आय-व्ययक) "पूर्वोक्त" - 1987, पृष्ठ - 53

74 से 81 - उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग (1988-89) का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (आय-व्ययक) "पूर्वोक्त" - 1988, पृष्ठ - 51-53

56. वर्ष 1987 की परीक्षाओं के प्रमाण-पत्र परीक्षाफल घोषणा के एक माह के अन्दर सम्बंधित विद्यालयों/केन्द्रों को प्रेषित किये गये ।[82]

57. वर्ष 1987-88 से कक्षा 9 में सपुस्तकीय परीक्षा प्रणाली को लागू किया गया।[83] सपुस्तक परीक्षा प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम परिषद् द्वारा सन् 1985-86 की कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा में किया गया ।

58. वर्ष 1988-89 में परिषद् द्वारा राष्ट्रीय शिक्षानीति के अनुसरण में वाणिज्य -3 में 8 ट्रेड्स, गृहविज्ञान में 4 ट्रेड्स, कृषि वर्ग - 2 में 8 ट्रेड्स का व्यवसायीकरण की दिशा में पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया गया तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ।[84]

59. वर्ष 1988-89 से कक्षा 9 की सपुस्तक परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गयी ।[85]

60. वर्ष 1988-89 तक विगत दस वर्षों से रुके 36 लाख में से 34 लाख प्रमाण-पत्रों का प्रेषण युद्ध स्तर पर किया गया ।[86]

62. सत्र 1989-90 में स्थानीय जनता के हित को दृष्टि में रखकर परिषद् के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एक-एक लेखा इकाई, जो परीक्षकों के पारिश्रमिक बिलों को पारित करता है, की स्थापना कर दी गयी है ।[87]

63. सत्र 1989-90 में परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि, वर्ष 1990 की परीक्षाओं हेतु केन्द्र निर्धारण के सम्बंध में सामान्यतः गत वर्ष की नीति ही अपनायी जाय । विगत तीन वर्षों (1987,1988 तथा 1989) की परीक्षाओं में सामूहिक अनुचित साधन प्रयोग के लिये दोषी अथवा आरोपित विद्यालय/केन्द्रों को सामान्यतः परीक्षा केन्द्र बनाने पर विचार नहीं किया जा सकेगा । केवल विषय विशेष परिस्थितियों में ऐसे विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाने पर विचार किया जा सकेगा । प्रतिबंध यह है कि ऐसे विद्यालयों को केन्द बनाये जाने पर बाह्य केन्द्र व्यवस्थापक एवं 75% बाह्य कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था अनिवार्य

---

82 से 86 - उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग (1988-89) का कार्य पूर्ति दिग्दर्शक (आय-व्ययक) "पूर्वोक्त" - 1988, पृष्ठ - 51-53

87 - उ0 प्र0 शासन का शिक्षा विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक, 1990-91, (आय-व्ययक) "पूर्वोक्त" - 1990, पृष्ठ - 60

होगी, साथ ही साथ परीक्षा आरम्भ होने के डेढ़ माह की पूर्व की तिथि के पश्चात् परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बंधी किसी स्तर से प्राप्त संस्तुतियों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा ।[88]

64. वर्ष 1953 के पश्चात् 1989 में पहली बार विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था में लगभग 23 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा मात्र एक माह में सम्पादित कर 54 दिनों की अल्पावधि में इण्टरमीडिएट के परीक्षाफल दिनाँक 31 मई 1989 को घोषित किया गया जो कि पिछले दशकों में एक उल्लेखनीय सफलता है। वर्ष 1953 में परीक्षार्थियों की संख्या केवल 1,70,000 थी । हाईस्कूल परीक्षाफल 15 जून, 1989 को घोषित किया गया ।[89]

65. शैक्षिक सत्र 1989-90 से शिक्षा सत्र् एक जुलाई से 30 जून तक किया गया ।[90]

66. व्यवसायिक शिक्षा को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये वर्ष 1991 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से परिषद् विनियमों में एक नवीन अध्याय चौदह (क) जोड़ा गया है । केन्द्र पुरोनिधानित इण्टरमीडिएट व्यवसायिक परीक्षा हेतु पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है । इसमें 23 व्यवसायिक ट्रेड्स निर्धारित किये गयें हैं ।[91]

67. वर्ष 1991 की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को स्वकेन्द्र की सुविधा प्रदान की गयी ।[92]

68. वर्ष 1992 की परीक्षाओं से हाईस्कूल तथा इण्टरपरीक्षाओं में स्वकेन्द्र सुविधा समाप्त कर, संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को अपने संस्था/पंजीकृत केन्द्र से अन्यत्र परीक्षा केन्द्रों पर भेजा गया ।[93]

69. शासन द्वारा "उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 1992" द्वारा नकल आदि को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया ।[94]

---

88 - उ0 प्र0 शासन, का शिक्षा विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (1990-91) आय-व्ययक, "पूर्वोक्त" -1990, पृष्ठ - 60

89 तथा 90- शिक्षा की प्रगति (1989-90) "पूर्वोक्त" 1990, पृष्ठ-14

91- शिक्षा की प्रगति (1991-92) "पूर्वोक्त" 1992, पृष्ठ - 18

92, 93, 94 - उ0 प्र0 शासन, शिक्षा विभाग (1992-93) का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक(आय-व्ययक)'पूर्वोक्त' -1992

70. सन् 1992-93 से इण्टरमीडिएट स्तर पर वैज्ञानिक वर्ग के अन्तर्गत रसायन विज्ञान विषय के विकल्प के रूप में कम्प्युटर विज्ञान का समावेश किया गया तथा इसका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया ।[95]

71. वर्ष 1992 में कक्षा 9 से 12 तक की विविध विषयों की राष्ट्रीयकृत पुस्तकों में से 22 राष्ट्रीयकृत पुस्तकों को अद्यतन परिस्थिति के अनुकूल परिमार्जित स्वरूप प्रदान किया गया ।[96]

स्वतंत्रता के समय भारतवर्ष में कुल 6 माध्यमिक शिक्षा परिषदें थी, जो सन् 1967 में बढ़कर 17 हो गयी तथा सन् 1979-80 में इनकी संख्या बढ़कर 31 हो गयी । सन् 1967 तक विभिन्न राज्यों की माध्यमिक शिक्षा परिषदों के नाम, उनका स्थापना वर्ष तथा उनके द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं का विवरण अग्रांकित है -[97]

क्रमांक	माध्यमिक शिक्षा परिषद् का नाम	स्थापना वर्ष	परिषद् द्वारा ली जाने वाली परीक्षायें
1.	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मद्रास	1911	सेकेण्डरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट।
2.	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मैसूर राज्य, बंगलौर	1913	सेकेण्डरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट तथा बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक सर्टिफिकेट ।
3.	विदर्भ माध्यमिक शिक्षा परिषद्, नागपुर	1922	सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट(टैक्नीकल) व्यवसायिक हाईस्कूल, सार्टिफिकेट
4.	हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद	1922	हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, हाईस्कूल टेक्नीकल तथा इण्टरमीडिएट टैक्नीकल।
5.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, दिल्ली	1926	अखिल भारतीय सेकेण्डरी परीक्षा ।
6.	गुजरात माध्यमिक स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, प्रशस्थ मार्ग, नई दिल्ली -1	1926	क्षेत्र सम्पूर्ण भारत, हायर सेकेण्डरी टेक्नीकल, हायर सेकेण्डरी परीक्षा ।

95 तथा 96 - उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग (1992-93) का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (आय-व्ययक) "पूर्वोक्त" - 1992

97 - मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन, " डाईरेक्टरी ऑफ इन्सटीट्यूशनस् फॉर हॉयर एजूकेशन मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन्स्, 1967 पृष्ठ - 247-49

7.	सार्वजनिक परीक्षा परिषद्,त्रिवेन्द्रम	1949	सेकेण्डरी स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट, टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट,पोस्ट डिप्लोमा, इन बेसिक एजूकेशन ।
8.	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, पश्चमी बंगाल, कलकत्ता,	1951	सेकेण्डरी स्कूल फाइनल तथा हायर सेकेण्डरी फायनल ।
9.	बिहार विद्यालय परीक्षा परिषद्, पटना	1952	सेकेण्डरी स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल डिप्लोमा ।
10.	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उड़ीसा, कटक	1956	शारीरिक शिक्षा का सर्टीफिकेट तथा सामाजिक शिक्षा का डिप्लोमा ।
11.	माध्यमिक शिक्षा परिषद् राजस्थान, अजमेर	1957	हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी ।
12.	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, आन्ध्र प्रदेश,हैदराबाद	1957	सेकेण्डरी स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट, हायर सेकेण्डरी सार्टिफिकेट तथा बहुउद्देशीय तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल लीविंग सर्टीफिकिट ।
13.	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मध्य प्रदेश, भोपाल	1959	हाई स्कूल सर्टीफिकेट, हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चर कोर्स इण्टरमीडिएट प्री-यूनीवर्सिटी, हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट टेक्नीकल ।
14.	गुजरात माध्यमिक सर्टीफिकेट परीक्षा परिषद्, बड़ौदा	1960	सेकेण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट ।
15.	माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा परिषद् महाराष्ट्र राज्य, पूना	1960	महाराष्ट्र सेकेण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट
16.	माध्यमिक शिक्षा परिषद् आसाम, गोहाटी	1962	हाई स्कूल मदरसा, हायर सेकेण्डरी तथा हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ।
17.	जम्मू व काश्मीर माध्यमिक शिक्षा परिषद्,श्रीनगर	1965	हायर सेकेण्डरी परीक्षा, मैट्रीकुलेशन ।

सन् 1979-80 में देश में निम्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में माध्यमिक शिक्षा परिषदें थी -[98]

1. आंध्र प्रदेश
2. आसाम
3. बिहार
4. गुजरात
5. हरियाणा
6. हिमांचल प्रदेश
7. जम्मू काश्मीर
8. कर्नाटक
9. केरल
10. मध्य प्रदेश
11. महाराष्ट्र
12. मणिपुर
13. मेघालय
14. नागालैण्ड
15. उड़ीसा
16. पंजाब
17. राजस्थान
18. सिक्किम
19. तमिलनाडु
20. त्रिपुरा
21. उत्तर प्रदेश

98- " एजूकेशन इन इण्डिया " (1979-80)
नयी दिल्ली,, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पृष्ठ - 60

22.	पश्चिम बंगाल
23.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
24.	अरूणांचल प्रदेश
25.	चण्डीगढ़
26.	दादर व नागर हवेली
27.	दिल्ली
28.	गोवा, दमन व दीव
29.	लक्ष्यद्वीप
30.	मिजोरम
31.	पांडिचेरी

..————————..

पंचम अध्याय

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वित्त-व्यवस्था

वित्त सम्पूर्ण क्रिया कलापों का जीवन रक्त है । जिस प्रकार शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिये शुद्ध रक्त की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य की समस्त कल्याणकारी योजनाओं को सुचारूरूप से चलाने के लिये पर्याप्त वित्त आवश्यक है । बिना पर्याप्त वित्त के कोई भी इकाई सुचारू रूप से नहीं चल सकती है, इसलिये एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में एक सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था अपने आप में एक आवश्यकता है । कृषि, उद्योग, व्यवसाय एवं सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वित्त का महत्वपूर्ण स्थान है । वित्तीय व्यवस्था धन का विवेकपूर्ण प्रयोग है, जिससे न्यूनतम वित्तीय साधनों द्वारा वांछित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है । इस प्रकार वित्तीय व्यवस्था न केवल वित्त की प्राप्ति से सम्बन्धित है, अपितु वित्त के कुशलतम प्रयोग से भी सम्बन्धित है । वास्तव में वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय–आयोजन, वित्तीय–पूर्वानुमान, वित्तीय–प्रशासन, वित्तीय-नियंत्रण, वित्तीय-विश्लेषण तथा मूल्यांकन आदि कार्य सम्मलित हैं ।

लार्ड बटलर[1] का कथन है कि "मेरा विश्वास है कि कोई भी आधुनिक देश भोजन, प्रतिरक्षा अथवा बड़े उद्योगों पर पूंजी विनियोग करके दुनिया की प्रगतिधारा से नहीं जुड़ सकता है इसके लिये शिक्षा विनियोग ही एक मात्र साधन है । गरीब देश शिक्षा के निमित्त प्रायः बहुत कम धनराशि व्यय कर पाते हैं । शिक्षा के निमित्त व्यय किये गये धन को मानव-पूँजी तथा अन्य मदों पर व्यय किये गये व्यय को मानवेतर पूँजी कहा जाना चाहिये । गरीब देश प्रायः नये प्रकार के उपकरणों तथा नये प्रकार के उत्पादन साधनों पर व्यय करते तो हैं, परन्तु इसके बदले में आर्थिक-विकास हेतु लाभदायी ज्ञान एवं दक्षता की उपेक्षा भी कर डालते हैं । आर्थिक प्रगति के लिये हमें नवीनतम यांत्रिकी पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये, बल्कि मानव के विषय में भी सोचना होगा । हमें जन समुदाय को भी देखना होगा ।"

राष्ट्र की समृद्धि हेतु शिक्षा पर किये जाने वाले निवेश का विचार कोई नया नहीं है । सन् 1919 में रूस के महान अर्थशास्त्री स्ट्रियुमिलिन ने लेनिन को आगाह किया था कि उसके विशाल जल-विद्युत प्रतिष्ठान, औद्योगिक केन्द्र, इस्पात कारखाने, संयन्त्र निर्माण– शालायें तथा मशीनीकृत कृषि आदि दस वर्ष के अन्दर ही घोर ठहराव का शिकार बन जायेंगी, यदि उसने शिक्षा के स्वरूप को भी समान महत्व देते हुये कदम न उठाया ।

---

1. लार्ड बटलर, "सरवाइवल डिपेन्ड्स ऑन हायर एजूकेशन" देहली; विकास पब्लिकेशन, 1971

शिक्षा एक प्रकार का मानव-गुणवत्ता एवं मानव-संसाधन में पूँजी विनियोग जैसी भूमिका वाला तत्व है । इसे सर्वोच्च वरीयता प्रदान की जानी चाहिये, परन्तु बजट निर्धारण करते समय यह किन्तु सर्वाधिक उपेक्षित जैसा रह जाता है, जबकि केन्द्र व राज्य सरकारों के लिये यह विशेष रूप से मानक के रूप में स्वीकार्य होना चाहिये । प्रतिरक्षा के बाद शिक्षा ही वह विषय है, जिसके लिये कोई भी कल्याणकारी राज्य कृतबद्ध होता है । यद्यपि शिक्षा के परिणाम तत्काल नहीं मिलते हैं, परन्तु शिक्षा के दूरगामी परिणाम सर्वाधिक सुखद एवं लाभदायी होते हैं । अच्छा चरित्र, उत्तरदायित्व की भावना, राष्ट्रबोध और सामाजिक जागरूकता जैसे सद्भाव शिक्षा से ही मिलते हैं, और इनका आर्थिक मूल्य भी होता है । उद्यम, उद्योग, प्रशासन यह सब उस समय क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाते हैं, जब चरित्र का अवमूल्यन होने लगता है । शिक्षा ही ऐसा तत्व है जो चरित्र के अवमूल्यन को रोककर आत्मबोध का भाव जगाता है । सतही प्रकार की शिक्षा व्यक्ति विशेष के लिये घातक होती है, समाज तथा राष्ट्र के लिये भी विकराल समस्या बनती है । अतः यह आवश्यक है कि शैक्षिक स्तर के उन्नयन-हेतु पर्याप्त वित्त का प्राविधान किया जाना चाहिये ।

आत्मानन्द मिश्र[2] ने आगाह किया था, कि "विश्व के विकसित राष्ट्रों की तुलना में यदि भारत को अपना अपेक्षित स्थान पाना है तो शिक्षा के निमित्त वित्त-राशि के आवंटन को महत्व देना होगा । अतः जो प्रक्रिया शिक्षा में वित्त-आवंटन हेतु अब तक प्रयोग में लायी जा रही रही थी, यथा संसाधनों की खोज, निधि आवंटन, प्राथिमिकताओं का निर्धारण तथा प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर वित्तीय दायित्व का अंशदान आदि, इन सबको तथा पुराने अनुभवों को नये आयामों के साथ जोड़कर विश्लेषण करना होगा । इस विश्लेषण के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भारतीय शिक्षा को समुचित वित्तीय सम्पोषण के माध्यम से एक स्वयं का मार्ग निर्धारण करना होगा ।"

इस प्रकार शिक्षा की सुविधाओं एव शिक्षा सेवाओं में विस्तार किये जाने की संभावनायें वित्त की उपलब्धता पर निर्भर करतीं हैं । वास्तव में प्रत्येक शैक्षिक क्रिया-कलाप शैक्षिक वित्त एवं शैक्षिक सम्पोषण से सीधे जुड़ा हुआ है । शैक्षिक वित्त ही सम्पूर्ण राष्ट्र के सुव्यवस्थित गठन को निर्धारित करता है । शैक्षिक वित्त को शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता । पर्याप्त निधि के अभाव में किसी भी प्रकार के शैक्षिक क्रिया-कलाप का सुनिश्चितीकरण संभव नहीं है । शैक्षिक कार्यक्रमों एवं शैक्षिक नीतियों में वित्त की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है ।

---

2. आत्मानन्द मिश्र "एजूकेशनल फाइनेन्स इन इण्डिया"
बम्बई, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1962, पृष्ठ 6

सीधे शब्दों में शिक्षा में निम्न उद्देश्यों हेतु शैक्षिक वित्त की प्रत्यक्ष आवश्यकता है -

(1) सामान्य शैक्षणिक सेवाओं के अनुरक्षण हेतु ।

(2) शैक्षिक सुविधाओं के विस्तारण हेतु ।

(3) शैक्षिक सेवाओं के विस्तारण हेतु

(4) शैक्षिक उपलब्धताओं में व्याप्त असमानताओं को दूर करने हेतु ।

शैक्षिक विकास एवं आर्थिक विकास की सम्बद्धता और महत्ता ने यह आवश्यक कर दिया है कि दोनों के विकास की व्यवस्था समन्वित और क्रमबद्ध ढंग से की जाये । इसने शिक्षा के समवेत आयोजन की कल्पना को जन्म दिया है । इससे शैक्षिक एवं सामाजिक विकास की कल्पना को समेकित एवं समायोजित बनाने में बल मिला है, अतएव शैक्षिक व्यय नितांत अनन्य एवं निरपेक्ष नहीं रह गया है, अपितु उसका घनिष्ठ सम्बन्ध राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास से स्थापित कर दिया गया है । शिक्षा देश की वित्त-व्यवस्था पर निर्भर करती है, वित्त-व्यवस्था आर्थिक विकास पर निर्भर करती है, आर्थिक विकास मानवीय साधनों की निपुणता पर निर्भर करता है और मानवीय साधनों की निपुणता शिक्षा पर निर्भर करती है । यह एक ऐसा अकाट्य वृत्त बन गया है, जो शिक्षा और वित्त के पारस्परिक सम्बन्धों को स्पष्ट करता है । शिक्षा के लिये भारतीय शैक्षिक वित्तीय नीति मौन नहीं रही है, परन्तु यह स्वाभाविक है कि स्वतंत्रता के पश्चात् कुछ सुस्पष्ट नीति निर्देश उभरने शुरू हुये हैं, विशेष कर जब से "विश्व बैंक शिक्षा क्षेत्र दस्तावेज" ने इस पर बल दिया है, तब से शैक्षिक वित्त-व्यवस्था के पक्ष में एक बदलाव सा है ।

शैक्षिक वित्त के इतिहास की आरे नजर डालें तो अनेक रोचक एवं महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आयेंगें तथा वर्तमान समय में शैक्षिक वित्त की स्थिति जो है, उसकी भी पूर्व की स्थिति से तुलना हो जायेगी ।

ब्रिटिशकाल में शिक्षा वित्त का केन्द्रीयकरण (सन् 1833-1870)

सन् 1833 में लागू किये गये चार्टर एक्ट के अनुसार ब्रिटिश इण्डिया में आने वाले मद्रास, बम्बई, आगरा, उत्तर पश्चमी सूबे, पंजाब, *बंगाल*, सागर, नर्बदा और नागपुर आदि प्रेसीडेन्सी क्षेत्रों के सभी प्रशासनिक कार्य "नियंत्रण, निर्देशन एवं *व्यवस्थापन* के सिद्धान्त पर गवर्नर जनरल

के आधीन सीमित कर दिये गये । गर्वनर जनरल के पद पर सन् 1853 में प्रथम विधि सदस्य थामसन वैबिग्टन मैकाले को नियुक्त किया गया तथा सन् 1858 में इस बात की घोषणा की गयी कि कम्पनी राज्य के अन्तर्गत आने वाले सभी सूबे ब्रिटेन की साम्राग्री की राजसत्ता के आधीन होंगे तथा गवर्नर जनरल राजमुकुट के अधीन वाइसराय के रूप में काम करेगा । वाइसराय की सहायता एवं सहयोग हेतु एक परिषद् का गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य मनोनीत किये गये । वित्तीय व्यवस्था को सम्भालने के लिये सन् 1857 के गदर (स्वतंत्रता संग्राम) से प्राप्त अनुभवों के आधार पर इग्लैण्ड से एक वित्त विशेषज्ञ पाँचवें सदस्य के रूप में सन् 1861 में लाया गया । स्थानीय संसाधनों एवं क्षमताओं का दोहन करने के उद्देश्य से स्थानीय स्वायत्त सरकार का गठन किया गया । सन् 1870 में लार्ड मेयो की इच्छा पर नगर परिषदों एवं अन्य प्रशासन को चलाने का नाम लेकर कुछ करों की वसूली प्रारम्भ की गयी । सन् 1833 से 1870 की यह अवधि एक प्रकार से प्रशासकीय केन्द्रीकरण की अवधि कही जानी चाहिये । इसमें शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से मतभेद उभरे क्योंकि सन् 1854 से 1870 के बीच आधुनिक शिक्षा प्रणाली को भी स्वरूप दिया गया ।

चार्टर एक्ट सन् 1833 द्वारा समस्त वैधानिक अधिकार एवं वित्तीय नियंत्रण गर्वनर जनरल में निहित कर दिये गये थे । सड़क, स्कूल तथा स्थानीय आवश्यकताओं के मदों को छोड़कर शेष पूरी वसूल की हुयी धनराशि सरकारी खजाने में जमा होने लगी । स्ट्रेची[3] ने लिखा है कि,

"एक ओर स्थानीय सरकारें व्यवहारिक दृष्टि से पूरे प्रशासन हेतु उत्तरदायी थीं, परन्तु दूसरी आरे वित्तीय नियंत्रण उनकी सीमाओं से परे था विभिन्न संसाधनों द्वारा अर्जित धनराशि व्यय कर सकना उनके अधिकार सीमाओं से बाहर था ।"

इस प्रशासनिक कमी को हाउस ऑफ कामन्स में सन् 1852 में रखा गया, परन्तु सन् 1870 तक इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो सका । सन् 1853 में चार्ल्स ट्रेबेलियान ने इग्लैण्ड की ही भाँति हिन्दुस्तान में भी बजट-प्रणाली प्रस्तावित की, जो सन् 1860 में लागू हुयी । पहले सभी प्रकार के वित्तीय लेखों जोखों को बंद करने की वार्षिक तिथि 30 अप्रैल होती थी, परन्तु सन् 1867 में इसे 31 मार्च किया गया । सन् 1838 में 1844 के मध्य अफगान, सिन्धु तथा ग्वालियर के युद्ध, 1854 का सिख युद्ध तथा सन् 1852 के द्वितीय वर्मा युद्ध ने इस केन्द्रीकृत

---

3. आत्मानन्द मिश्र, "एजूकेशनल फाइनेन्स ऑफ इण्डिया"
बम्बई; एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1962, पृष्ठ-7

प्रशासन के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था सरकार को समय-समय पर ऋण लेने की नौबत पड़ने लगी ।

सन् 1854 में नीतिपत्र के फलस्वरूप इस देश में एक नवीन शिक्षा नीति का आरम्भ हुआ । राजकीय शिक्षा व्यय में वृद्धि की गयी । सन् 1857 में 21.6 लाख रूपये तथा सन् 1870 में 65.71 लाख रूपये शिक्षा पर व्यय किये गये । सरकार की वित्त नीति अतिशय केन्द्रीभूत होने के कारण सम्पूर्ण भारत का केवल एक ही राजस्व गत आय-व्ययक होता था और राजस्व भारत सरकार के नाम पर उगाहा जाता था । खर्च भी इसी सरकार के नाम पर होता था । इस प्रकार प्रान्तीय सरकारों का राजस्व पर कोई अधिकार नहीं था, वे न कोई कर उगाह सकते थे और न मितव्ययिता ही कर सकते थे । बचत की रकम भारत सरकार को सौंप देनी पड़ती थी और आगामी वर्षो में आर्थिक बंटवारे में कमी की आशंका रहती थी । इसके फलस्वरूप प्रत्येक प्रान्तीय सरकार का सिद्धांत था "मत कमाओ, खर्च करो"[4]। भारत सरकार का आय-व्ययक प्रतिवर्ष घाटे का रहता था।

विकेन्द्रीकृत प्रशासन में वित्त (सन् 1871 से सन् 1921)

कम्पनी सरकार का ब्रिटेन की राजगद्दी में विलयन होने के साथ ही हिन्दुस्तान की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति इतनी अनिश्चित और परिवर्तनशील हो गयी कि केन्द्रीय प्रशासन का सामान्य ढंग से चलपाना सम्भव नही रह सका । इस स्थिति की गम्भीरता को स्वीकार करते हुये लार्ड मेयो ने अपने एक आदेश द्वारा दिनाँक 14 दिसम्बर 1870 को वित्त एवं प्रशासन के विकेन्द्रीकरण हेतु निश्चय किया । इस प्रकार सन् 1870 में लार्ड मेयो द्वारा विकेन्द्रीकरण की नीति प्रारम्भ की गयी । इस नीति के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को कुछ विभाग जैसे- जेल, पुलिस, शिक्षा तथा सड़क का प्रशासन सौंप दिया गया[5]। सूबों को हस्तांतरित किये गये इन विभागों को अतिरिक्त स्थानीय कर द्वारा केन्द्र से मिली अनुदान राशि की कमी पूरा करने का अधिकार दिया गया । सूबों की सरकारों को अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार स्वयं के बजट बनाने तथा अपनी प्रशासन की नीति निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया । इस प्रकार शिक्षा का खर्च प्रान्तीय सरकारों को निम्न तीन स्त्रोंतो से निकालना पड़ता था :-

1. शिक्षा विभाग की आय,
2. केन्द्रीय अनुदान, तथा

---

4. श्रीधरनाथ मुखोपाध्याय, "भारतीय शिक्षा का इतिहास"
   बड़ौदा, आचार्य बुक डिपो, 1961 पृष्ठ - 113
5. एस0 एन0 मुखर्जी, "हिस्ट्री ऑफ एजूकेशन इन इण्डिया", बड़ौदा, आचार्य बुक डिपो, 1974 पृष्ठ-123

3. कतिपय निर्धारित करों के द्वारा ।

सन् 1877 में सूबों के साथ नये बन्दोबस्त निर्धारित किये गये । लायर्ड रिपिन ने स्थानयी स्वायत्तशासी संस्थाओं जैसे जिला परिषदों, एवं नगर पालिकाओं को शिक्षा का प्रमुख दायित्व सौंपा दिया । जिला-परिषदों को शिक्षा के साथ ही स्थानीय यातायात व्यवस्था सौंपी गयी । बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर मैकेन्जी ने सन् 1896 के एक दस्तावेज में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में इस कार्य का आलोचनानात्मक विश्लेषण किया । सन् 1909 में विकेन्द्रीकरण आयोग के गठन के साथ ही सन् 1912 में लार्ड हार्डिन्ज ने इस विकेन्द्रीकरण को स्थायी, निश्चित तथा अपरिवर्तनशील घोषित कर दिया । इसके तहत ग्राम पंचायतों को प्राइमरी स्कूल चलाने का कार्य सौंपा गया तथा स्थानयी संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया । यह स्थिति सन् 1919 में प्रस्तावित सुधार कार्यक्रम तक चलती रही ।

सन् 1883 में पंचवर्षीय आर्थिक प्रबन्ध स्थिर किया, जिसके अनुसार राजस्व को निम्न तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया था ।

1. इम्पीरियल,
2. प्राविन्सियल, तथा
3. डिवाइडेड ।

दिसम्बर 1870 में पारित लार्ड मेयो के आदेश से यद्यपि शिक्षा को स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा सूबों के दायित्व क्षेत्र में निहित कर दिया गया, परन्तु अनुदान प्रणाली, शैक्षिक प्रशासन तथा पंचवर्षीय आर्थिक नीतियां बहुत ही अस्पष्ट रखी गयी । सन् 1871 की वित्तयी व्यवस्था की दृष्टि से राजस्व में वृद्धि तो की गयी परन्तु गुणात्मक क्षमता वृद्धि की ओर ध्यान नहीं दिया गया । उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार सन् 1871 में भारत सरकार के कुल राजस्व की आय 50 करोड़ रूपये थी तथा व्यय 46.9 करोड़ रूपये था, जबकि सन् 1921 में पाँच दशों में यह राशि क्रमशः 206.9 करोड़ आय तथा 232.1 करोड़ रूपये व्यय हो गयी । इस प्रकार सन् 1871 की तुलना में आय 4 गुना तथा व्यय 5 गुना से अधिक हो गया ।

उस समय की वित्त नीति पर विचार करते हुये दो बिन्दु प्रमुख रूप से उभरते हैं :-

1. शिक्षा के निमित्त सरकार कितना व्यय करें ।
2. प्राप्त राशि में किस मद पर कितना व्यय किया जाय ।

हिन्दुस्तान सरकार के अलग अलग डिस्पैचों में जो कुछ भी उल्लेख उपलब्ध हैं वे समय, परिस्थिति एवं पृथक मानसिकता के नीति नियामकों के कारण सदैव परिवर्तनशील रहे हैं सन् 1854, सन् 1882, सन् 1884 और सन् 1892 के दस्तावेजों में जो कुछ भी था वह सन् 1902 के दस्तावेज में लगभग पूरी तौर से परितवर्तित जैसा हो गया ।

सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले का प्रयास विशेष रूप से प्रकाश में आया । बिलग्रामी एवं सी0 वाई0 चिन्तामणि ने सामूहिक रूप से लार्ड कर्जन को इस बात के लिये तैयार करने का प्रयास किया कि हिन्दुस्तान में शिक्षा के ऊपर व्यय की जाने वाली राशि का आंकलन इग्लैण्ड, फ्रांस, रूस, जर्मनी और संयुक्तराज्य अमेरिका की ही तुलना में होना चाहिये किन्तु केन्द्रीय सकरार विभिन्न आपदाओं, स्वयं की भारत के प्रति उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण कोई ठोस कार्यक्रम नहीं दे सकती ।

सन् 1901 से लेकर 1921 के दो दशकों की अवधि में सूबों के स्तर पर विधायिका परिषदों का गठन होने के साथ ही शिक्षा के प्रति भारतीय प्रतिनिधि सदस्यों के मन में सामूहिक प्रयासोन्मुख भाव जाग्रत हुआ । इधर ब्रिटिश सरकार भी प्रथम विश्वयुद्ध की घटना से इतना भयभीत हो गयी थी कि उसे विवश होकर शिक्षा का हिन्दुस्तानीकरण करना पड़ा । शिक्षा के हिन्दुस्तानीकरण का जो रूप प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान उत्तरी भारत के विभिन्न सूबों में था, उसमें विशेष परिवर्तन आये तथा संयुक्त प्रान्त, वर्मा, बरार, बिहार और उड़ीसा जैसे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े सूबें भी मद्रास, बंगाल, बम्बई और पंजाब राज्यों की तुलना में अग्रसर हुये । इस प्रकार सन् 1920 में प्रति-छात्र प्रति-वर्ष शिक्षा पर होने वाले व्यय में 8.5 से लेकर 21 प्रतिशत तक की वृद्धि हुयी ।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुयी तथा स्कूलों की संख्या में 63.5 प्रतिशत तथा छात्रों की संख्या में 98.8 प्रतिशत वृद्धि हुयी । माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं कि हिन्दुस्तानी आन्दोलन के ही परिणामस्वरूप संयुक्त प्रान्त की सरकार ने सन् 1921 में 'इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम' का चार्टर तैयार किया, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में नमूने के तौर पर एक माध्यमिक विद्यालय चलाने की जिम्मेदारी, अनुदान राशि में वृद्धि तथा व्यावसायिक शिक्षा में विकास का सीधा दायित्व सूबाई सरकारों के ऊपर आ गया ।

द्वैध शासन तथा प्रान्तीय स्वायत्तता में वित्त-व्यवस्था

सन् 1919 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों से शासन में दूसरा परिवर्तन हुआ । शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय मंत्रियों को सौंपा दिया गया । लेकिन नये कर वसूल करने तथा वित्त मंजूर करने में प्राथमिकता के निश्चियन में वे शक्तिहीन थे, क्योंकि द्वैध-शासन में यह सुरक्षित विषय था । द्वैध एक तरफ तो प्रान्तों को केन्द्र के प्रति अनुदान देने पड़ते थे, दूसरी तरफ शिक्षा के लिये केन्द्रीय अनुदान पूर्णतया बन्द हो गये । प्रथम विश्वयुद्ध के उत्तरवर्ती प्रभावों के कारण वित्तीय कठिनाईयों और तृतीय दशक की आर्थिक मन्दी से शिक्षा व्यय में कटौती आवश्यक हो गयी । सन् 1936-37 में सरकारी अंशदान केवल 1236 लाख रूपये था । इस प्रकार तीन वर्ष की अवधि में सरकारी आनुपातिक हिस्से में 49.2 प्रतिशत से 43.1 प्रतिशत कमी हो गयी । बढ़ोत्तरी की दर भी घटकर 22 लाख रूपये प्रतिवर्ष हो गयी ।

सन् 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा प्रशासकीय स्वरूप में अंतिम परिवर्तन हुआ । प्रान्तीय स्वयत्ता ने भारतीय मंत्रियों को कोष पर भी अधिकार दे दिया । केन्द्र ने भी शिक्षा के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया । प्रान्तों की नयी मंत्रिपरिषद्रों ने शैक्षिक कार्यक्रम तेजी से प्रारम्भ किया लेकिर शीघ्र ही द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया और अंग्रेज अधिकारियों से मंत्री-परिषद्रों का विरोध हो गया और उन्होंने त्यागपत्र दे दिये । कामचलाऊ सरकार ने शिक्षा में यथास्थिति बनाये रखने का प्रयास किया लेकिन युद्ध के संकट ने उनके प्रयासों को अवरूद्ध कर दिया । युद्ध के बाद जब लोकप्रिय मंत्र-परिषदों ने कार्यभार सम्भाला तो उन्होंने पुनः प्रयास करने आरम्भ किये लेकिन बढ़ती हुयी कीमतों और राजनीतिक विप्लवों ने प्रगति को धीमा कर दिया । सन् 1946-47 में शिक्षा के लिये सरकारी अंशदान में कुल व्यय का 45 प्रतिशत अथवा 25.96 करोड़ रूपये अंशदान था । इससे 136 लाख रूपये प्रतिवर्ष की बढ़ोत्तरी स्पष्ट थी और यह अंग्रेजी काल के अभिलेख में उच्चतम दर थी[6] । युद्ध के फलस्वरूप जीवन यापन की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के कारण यह पूराधन शिक्षा प्रसार में नहीं लगाया जा सका ।

शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था का ऐतिहासिक विवेचन प्रस्तुत करने के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वित्तीय व्यवस्था पर प्रकाश डाला जायगा । परिषद् की वित्तीय व्यवस्था का विशद वर्णन परिषद् को विभिन्न स्त्रोतों से होने वाली आय तथा परिषद् पर विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय के विश्लेषण पर किया जायेगा ।

(क)आय :-

किसी संगठन या संस्था को चलाने के लिये अनेक प्रकार के साधन काम में लाये जाते हैं । इन साधनों को मुख्यतया तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है । पहला मानवीय साधन जिसमें संस्था में काम करने वाले लोग जैसे- अधिकारी, लिपिक, निरीक्षक तथा भृत्य आदि आते हैं दूसरा भौतिक साधन, जिसमें भवन, क्रीड़ागन, उपकरण तथा साज-सज्जा आदि आते हैं । तीसरा वित्तीय साधन, जिसमें संस्था पर व्यय की जाने वाली धनराशि आती हैं । किन्तु मानवीय तथा भौतिक साधन भी धन व्यय करने पर ही उपलब्ध होते हैं । अतः यह कहा जा सकता है कि किसी संस्था या संगठन के संचालन का प्रमुख साधन वित्त हैं । वित्तीय साधनों की प्राप्ति पर ही किसी संस्था की प्रगति सम्भव हैं ।

किसी संस्था अथवा निकाय के लिये जो धन एकत्र किया जाता है या उस संस्था की जो आर्थिक प्राप्तियाँ होती हैं, वह उस संस्था की आय कहलाती हैं ।

लेखांकन में पूँजीगत साधनों से प्राप्त धन को व्यय के विपरीत, जो कि संगठन में किये जाने वाले व्यय का निर्देश करता हैं "प्राप्तियाँ" कहते हैं । "प्राप्तियाँ" संस्था की उन सब आमदनियों का उल्लेख करती हैं, जो उन्हें अनुदानों, आवंटनों, शुल्कों दानों तथा उपहार स्वरूप

---

6. प्रोग्रेस ऑफ एजूकेशन इन इण्डिया डेसीनियल रिव्यु, वाल्यूम - 2

प्राप्त सम्पत्ति के रोकड़ मूल्य के रूप में प्राप्त होतीं हैं या उपलब्ध करायीं जातीं हैं ।

आय का सीधा अर्थ संस्था की प्राप्तियों से है । डॉ0 आत्मानन्द मिश्र ने आय को अंग्राकित शब्दों में परिभाषित किया है[7]।

"किसी व्यापार, कार्य, सेवा या निवेश से मिलने वाली नियत कालिक प्रायः वार्षिक, अर्थ प्राप्ति, धनागम या आमदनी कहलाती है । विद्यालयों के अध्यापन कार्य तथा अन्य सेवाओं के उपलक्ष्य में जो धन एक वर्ष भर में छात्र, समुदाय, सरकार, सामग्री विक्रय तथा ब्याज आदि से प्राप्त होता है, वह शिक्षा की आय कहलाती है ।"

इस प्रकार आय का तात्पर्य ऐसी धनराशि से है, जो सरकार (केन्द्र और राज्य), विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय, शुल्क, वृत्ति, दान तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होती है । इस आय की गणना प्रायः एक वर्ष के लिये हाती है । यह वर्ष पहली अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है । इसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है तथा यह प्रायः दोनों वर्ष के संकेत से व्यक्त किया जाता है ।

आय के प्रकार :-

संस्था की आय को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है -

1. आवर्ती आय
2. अनावर्ती आय

आवर्ती आय (रिकरिंग इनकम):-

इस आय को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है -

"वह आय जो विभिन्न स्त्रोतों से प्रत्येक वर्ष प्राप्त होती है, आवर्ती आय कही जाती है ।"

अनावर्ती आय (नान रिकरिंग इनकम) :-

आय का वह भाग जो आवर्ती आय के अतिरिक्त होता है, अनावर्ती आय कहा जाता है । अनावर्ती आय विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त होती है लेकिन इसमें यह विशेषता है कि इस आय के स्त्रोतों से यह निश्चित नहीं रहता कि इनसे प्रत्येक वर्ष आय प्राप्त हो ।

---

7. आत्मानन्द मिश्र, "शिक्षा का वित्त प्रबन्धन"
कानपुर, ग्रन्थम प्रकाशन, 1976, पृष्ठ-2

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की आय :-

वर्तमान उत्तर प्रदेश मूलतः बंगाल महाप्रान्त का एक भाग था[8] । प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सन् 1833 में अधिकार पत्र अधिनियम (चार्टर एक्ट) के अन्तर्गत बंगाल महाप्रान्त का विभाजन किया गया और आगरा प्रान्त बनाने का निर्णय लिया गया, किन्तु विधान कार्यान्वित न करके आगरा नाम का नवीन नामकरण " पश्चिमोत्तर प्रदेश" किया गया । इसका प्रशासन सन् 1836 में उपराज्यपाल के अधीन सौंप दिया गया । इस प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं का प्रशासनिक नियंत्रण सन् 1840 में स्थानीय शासन को स्थानान्तरित कर दिया गया । सन् 1858 में इस प्रान्त में पाँच रेवेन्यु डिवीजन यथा मेरठ, रुहेलखण्ड, आगरा, इलाहाबाद और बनारस थे[9] । इनके साथ दिल्ली, जबलपुर, सागर और अजमेर प्रखण्ड भी अन्तर्भूत थे । उनमें से अन्तिम चार अलग कर दिये गये, जो अब वर्तमान उत्तर प्रदेश में सम्मिलित नहीं हैं ।

सन् 1857 की क्रान्ति के उपरान्त अवध, जो एक पृथक प्रान्त था, सन् 1877 में पश्चमोत्तर प्रान्त में सम्मलित कर दिया गया तथा "पश्चिमोत्तर" प्रदेश के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर का पद और अवध के चीफ कमिश्नर का पद एक में मिला दिया गया । इसी समय से इस ब्रहत्त क्षेत्र को पश्चिमोत्तर प्रान्त आगरा और अवध कहा जाने लगा"[10] ।

सन् 1902 में इस प्रदेश का नाम बदलकर संयुक्त प्रान्त आगरा और अवध" कर दिया गया । सन् 1921 से यहाँ गवर्नर नियुक्त होने लगा और कुछ समय बाद राजधानी लखनऊ स्थानान्तरित कर दी गयी । सन् 1937 में इसका नाम छोटा करके 'संयुक्त प्रान्त' कर दिया गया। स्वतन्त्रता मिलने के लगभग ढाई वर्ष बात 12 जनवरी 1950 को इस प्रान्त का नाम "उत्तर प्रदेश" पड़ा ।[11]

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की जब सन् 1921 में स्थापना की गयी तब इस प्रान्त का नाम 'संयुक्त प्रान्त आगरा और अवध" था । अब हम स्वतन्त्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के पश्चात् परिषद् की आय का उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वर्णन करेंगे ।

---

8. माधवी मिश्रा, "उत्तर प्रदेश में शिक्षा' (सन् 1858 से 1900) लखनऊ, मनोहर प्रकाशन- 1972, पृष्ठ ।
9. मोतीलाल भार्गव, 'हिस्ट्रीऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश' लखनऊ, सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, 1958 पृष्ठ - ।
10. इण्डियन एजूकेशन कमीशन (1882-83) प्राविन्सियल रिपोर्ट 'ए शार्ट स्केच ऑफ एजूकेशन' नई दिल्ली मैनेजर पब्लिकेशन, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ।
11. "उत्तर प्रदेश" 1976 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) पृष्ठ 2

सारणी 5.1

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की आय

(स्वतंत्रता के पूर्व)

(सन् 1926-27 से सन् 1946-47 तक)

(रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	परिषद् की कुल आय	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर	वृद्धि सूचकांक
1.	1926-27	1,96,929	1	...	100
2.	1931-32	2,39,818	1.2	4.36%	122
3.	1936-37	3,27,066	1.6	7.28%	166
4.	1941-42	4,50,061	2.2	7.52%	228
5.	1946-47	8,62,881	4.3	18.34%	438
				16.91%*	

नोट : * यह सन् 1926-27 से 1946-47 के मध्य औसत वार्षिक **वृद्धि दर है** ।

स्त्रोत : 'फाइनेन्स कमेटी' स्टेटमेण्ट II

इण्टरमीडिएट एजूकेशन बोर्ड, इलाहाबाद

सारणी देखने पर ज्ञात होता है कि परिषद् की सन् 1926-27 में कुल आय 1,96,929 रूपये थी जो लगातार बढ़ते-बढ़ते सन् 1946-47 में 8,62,881 रूपये हो गयी । यह सन् 1926-27 की तुलना में 4.3 गुना है । माध्यमिक शिक्षा परिषद् की आय की सन् 1926-27 से 1931-32 के बीच औसत वार्षिक वृद्धि-दर 4.36 प्रतिशत रही । सन् 1931-32 से 1936-37 तक वृद्धि दर 7.28% रही । लगभग इतनी ही यह अगले पाँच वर्षों में रही । स्वतंत्रता के पूर्व परिषद् की औसत वार्षिक वृद्धि-दर सबसे अधिक 18.34% सन् 1941-42 से 1946-47 के मध्य रही । सन् 1926-27 से लेकर सन् 1946-47 के 20 वर्षों में औसत वार्षिक वृद्धि-दर 16.91 प्रतिशत रही । सन् 1926-27 में परिषद् की आय का सूचकांक 100 था जो सन् 1946-47 में 4 38 हो गया

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की आय
(स्वतंत्रता के पूर्व)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
आय (लाख रुपये में)
1926-27
1931-32
1936-37
1941-42
1946-47
वर्ष

चित्र 5.1

सारणी 5.2

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की आय

स्वतंत्रता के पश्चात्

(सन् 1947-48 से 1990-91 तक)

(रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	परिषद् की कुल आय	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर	वृद्धि- सूचकांक
1.	1947-48	10,43,916	1	—	100
2.	1950-57	28,45,098	2.7	57.51%	273
3.	1955-56	56,72,700	5.4	19.88%	543
4.	1960-61	71,95,125	6.8	5.37%	689
5.	1965-66	अनुपलब्ध			
6.	1970-71	अनुपलब्ध			
7.	1976-77	5,27,28,428	50.5	39.55%	5051
8.	1980-81	6,66,31,835	63.8	5.27%	6383
9.	1985-86	8,31,68,267	79.6	4.96%	7967
10.	1990-91	अनुपलब्ध		207.02%*	

नोट :*=यह सन् 1947-48 से 1985-86 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर है ।

स्त्रोत :- 1. फाइनेन्स कमेटी स्टेटमेण्ट II, इण्टरमीडिएट एजूकेशन बोर्ड, इलाहाबाद

2. 'एजूकेशन इन इण्डिया' नई दिल्ली मानव संसाधन विकास मंत्रालय (सम्बद्ध वर्षों की)

3. राज्यों में शिक्षा के आंकड़े 1985-86 (वित्तीय आंकड़े) इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय

स्वतन्त्रोपरान्त परिषद् की आय उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है । सन् 1947-48 में परिषद् की आय 10,43,916 रूपये थी । इसमें लगातार वृद्धि होती रही है । सन् 1985-86 में परिषद् की कुल आय बढ़कर 8,31,68,267 रूपये हो गयी जोकि सन् 1947-48 की तुलना में लगभग 80 गुना है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की आय

(स्वतंत्रता के पश्चात)

आय (करोड़ रुपये में)

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1947-48
1950-51
1955-56
1960-61
1976-77
1980-81
1985-86

वर्ष

चित्र 5-2

सारणी से स्पष्ट है कि परिषद् की आयमें सर्वाधिक औसत वार्षिक वृद्धि–दर सन् 1947-48 से 1950-51 के मध्य रही । इन तीन वर्षो में यह 57.51 प्रतिशत रही । सन् 1950-51 से 1955-56 के मध्य यह दर 19.88 प्रतिशत, सन् 1955-56 से 1960-61 के मध्य 5.37 प्रतिशत सन् 1960-61 से 1976-77 के मध्य 39.55 प्रतिशत, सन् 1976-77 से 1980-81 के मध्य 5.27 प्रतिशत तथा सन् 1980-81 से 1985-86 के मध्य 4.96 प्रतिशत रही । इस प्रकार स्पष्ट है कि परिषद् की आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर स्वतन्त्रोपरान्त सबसे कम सन् 1980-81 से 1985-86 के मध्य के पाँच वर्षों में रही है । यदि सन् 1947-48 से लेकर 1985-86 के मध्य के 38 वर्षों में औसत वार्षिक वृद्धि–दर देखें तो यह 207.02 प्रतिशत रही है । सन् 1947-48 में परिषद् की आय का सूचकांक 100 था जो सन् 1985-86 में बढ़कर 7967 हो गया ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की आय के स्त्रोत :-

स्त्रोत का अभिप्राय उस साधन या आधार से है जिससे धन बराबर मिलता रहे । अतः किसी संस्था की आय के स्त्रोत वे साधन या अभिकरण हैं, जिनसे संस्था को बराबर आर्थिक प्राप्तियाँ होतीं रहतीं हैं ।

परिषद् की आय के निम्न तीन प्रमुख स्त्रोत हैं :-

1. राज्य सरकार,
2. शुल्क, तथा
3. अक्षय निधि एवं अन्य स्त्रोत

1. राज्य सरकार :-

प्रत्येक राज्य अपने राजस्व से, जिसमें केन्द्र से प्राप्त धनराशियाँ भी सम्मलित रहतीं हैं, शिक्षा के लिये निधि निर्धारित करता है, जो राज्य निधि कही जाती है । परिषद् को राज्य सरकार से जो आय होती है तथा उसका परिषद् की कुल आय में जो योगदान रहता है । इसका वर्णन निम्न सारणी के माध्यम से करेंगे :- (सारणी अगले पृष्ठ पर)

सारणी 5.3

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से आय

(सन् 1953-54 से 1985-86 तक)

(रूपयों में)

वर्ष	परिषद् की कुल आय	राज्य सरकार से आय		गुणावृद्धि	वृद्धि सूचकांक	औसत वार्षिक वृद्धि-दर
		राशि	कुल आय में प्रतिशत			
1953-54	48,01,299	......				
1956-57	60,43,013	6,39,156	10.6	1	100	
1959-60	70,07,989	1,49,720	2.1	0.2	23	
1962-63	92,53,500	10,51,418	11.36	1.6	164	
1976-77	5,27,28,428	1,07,38,563	20.37	16.8	1680	
1979-80	6,01,63,913	83,90,793	13.95	13.1	1313	
1982-83	6,61,26,315	61,19,788	9.26	9.5	957	
1985-86	8,31,68,267	80,06,778	9.63	12.5	1253	39.75%

स्त्रोत :- 1 एनुअल रिपोर्ट ऑन दि प्रोग्रेस ऑफ एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश (सम्बन्धित वर्षों की)
इलाहाबाद - सुपिरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, उ0प्र0

2. एजूकेशन इन इण्डिया (सम्बन्धित वर्षों की)
नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

3. राज्य में शिक्षा के आँकड़े (वित्तीय आँकड़ें) इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश

सारणी से स्पष्ट है कि परिषद् को सन् 1953-54 में राज्य सरकार से कोई आय प्राप्त नहीं हुयी । सन् 1956-57 में राज्य सरकार से 6,39,156 रूपये प्राप्त हुये जो परिषद् की कुल आय का 10.6 प्रतिशत था । इसके बाद सन् 1959-60 में राज्य सरकार से जो धनराशि परिषद् को प्राप्त हुयी वह उस वर्ष की कुल आय का मात्र 2.1 प्रतिशत थी । सन् 1976-77 में राज्य सरकार द्वारा परिषद् को जो धन दिया गया वह इस वर्ष की परिषद् की आय का 20.37 प्रतिशत

था । इसके बाद से सन् 1985-86 तक राज्य सरकार से हमेशा कुल आय का लगभग 10 प्रतिशत ही प्राप्त होता रहा है, परिषद् को अपनी आय का जितना भाग सन् 1956-57 में राज्य सरकार से प्राप्त हुआ लगभग वही भाग सन् 1985-86 में भी प्राप्त हुआ ।

राज्य सरकार से सन् 1956-57 में परिषद् को कुल 6,39,156 रुपये प्राप्त हुये यह राशि घटते बढ़ते सन् 1985-86 में 80,06,778 रुपये हो गयी जो सन् 1956-57 की तुलना में लगभग साढ़े बारह गुनी है । सन् 1956 -57 से 1985-86 के बीच राज्य सरकार से प्राप्त राशि की औसत वार्षिक वृद्धि-दर 39.75 प्रतिशत रही ।

2. **शुल्क :-**

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की आय का मुख्य स्त्रोत शुल्क ही है । परिषद् अपनी परीक्षाओं में पंजीकृत छात्रों से शुल्क वसूल करती है जिसे सामान्यता परीक्षा शुल्क के नाम से जाना जाता है । परिषद् अंकपत्र, प्रमाणपत्र आदि का भी शुल्क परीक्षार्थियों से प्राप्त करती है । परिषद् को शुल्क से प्राप्त आय तथा उसका कुल आय में अंश का अग्राकित सारणी में विवरण प्रस्तुत करेंगे :-

सारणी 5.4

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की शुल्क से प्राप्त आय

(सन् 1953-54 से 1985-86 तक)

(रूपयों में)

वर्ष	परिषद् की कुल आय	शुल्क से प्राप्त आय		गुणावृद्धि	वृद्धि-सूचकांक	औसत वार्षिक वृद्धि-दर
		राशि	कुल आय में प्रतिशत			
1953-54	48,01,299	48,01,299	100	1	100	
1956-57	60,43,013	53,51,571	88.5	1.1	111	
1959-60	70,07,989	67,42,328	96.2	1.4	140	
1962-63	92,53,500	82,02,082	88.64	1.7	171	
1976-77	5,27,28,428	4,03,95,792	76.61	8.4	841	
1979-80	6,01,63,913	3,89,11,000	64.67	8.1	810	
1982-83	6,61,26,315	4,37,85,527	66.21	9.1	912	
1985-8[illegible]	[illegible],68,267	4,59,97,878	66.13	11.4	1[illegible]45	

स्त्रोत – 1. "एनुअल रिपोर्ट ऑन दि प्रोग्रेस ऑफ एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश"
(सम्बन्धित वर्षो की)
इलाहाबाद, सुपिरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी उ0 प्र0

2. एजूकेशन इन इण्डिया, (सम्बद्ध वर्षो की)
नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय.

3. राज्य में शिक्षा के आंकड़े (वित्तीय आंकड़े)
इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश

सारणी से स्पष्ट है कि परिषद् को सन् 1953-54 में जितनी आय हुयी वह पूरी की पूरी शुल्क से ही प्राप्त हुयी । सन् 1953-54 से 1976-77 तक परिषद् की कुल आय में तीन चौथाई भाग शुल्क का ही रहा है । इसके बाद शुल्क से प्राप्त आय का प्रतिशत कुछ कम हुआ है । सन् 1985-86 में परिषद् की कुल आय में शुल्क से प्राप्त आय का प्रतिशत 66.13 रह गया ।

परिषद् की परीक्षाओं में लगातार परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ने तथा समय समय पर परिषद् द्वारा शुल्क की दरों में वृद्धि से परिषद् की शुल्क से प्राप्त आय की राशि में हमेशा वृद्धि होती रही है । सन् 1953-54 में परिषद् की शुल्क से प्राप्त कुल राशि 48,01,299 रूपये थी, यह सन् 1985-86 में बढ़कर 5,49,97,878 रूपये हो गयी जो कि सन् 1953-54 की तुलना में लगभग साढ़े ग्यारह गुना है । इसी बीच परिषद् की शुल्क की राशि की औसत वार्षिक वृद्धि दर 36.05 प्रतिशत रही तथा वृद्धि सूचकांक जो सन् 1953-54 में 100 था सन् 1985-86 में बढ़कर 1145 हो गया ।

3. अक्षय निधि तथा अन्य स्त्रोत :-

अक्षय निधि या धर्मादा उस धनराशि को निर्दिष्ट करती है जिसका मूल्य अक्षुण्ण बनाये रखना होता है । इसका अभिप्राय स्वयं इसके नाम से ही प्रगट होता है । इसकी आमदनी को ही प्रयोग में लाया जाता है । धर्मस्वों की आमदनी सामान्यतया स्थिर तथा प्रायः निश्चित होती है, जब तक कि मूल धन में परिवर्तन न किया जाय ।

कार्टर वी0 गुड[12] ने अक्षय निधि/धर्मस्व को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है :-

"धर्मस्व राशि विधि सम्मत मान्यताओं के आधार पर शैक्षिक उद्देश्य से समाहरित

---

12. कार्टर वी गुड, "डिक्शनरी ऑफ एजूकेशन"
मैक ग्रा, हिल बुक कम्पनी-1973 पृष्ठ 237

की गयी वह सम्पदा है, जो प्रत्येक उद्देश्य से अलग-अलग दर पर संकलित की गयी हो तथा आवश्यकतानुसार ऋणपत्र अथवा ऋणाधार और अवधान द्रव्य की भी भूमिका निर्वाह करे ।"

परिषद् को राज्य सरकार, शुल्क तथा अक्षयनिधि से प्राप्त आय के अतिरिक्त और जिन साधनों या स्त्रोतों से आय प्राप्त होती है, उन्हें अन्य स्त्रोत कहा गया है । परिषद् की आय में अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय को अक्षय निधि के साथ दर्शाया जाता है । अब हम परिषद् को अक्षय निधि तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होने वाली आय का वर्णन करेंगे :-

सारणी 5.5

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,उ0 प्र0 की अक्षय निधि तथा अन्य स्त्रोतों से आय

(सन् 1953-54 से 1985-86 तक) रूपयों में

वर्ष	परिषद् की कुल आय	अक्षय निधि तथा अन्य स्त्रोतों से आय		गुणावृद्धि	वृद्धि-सूचकांक	औसत वार्षिक वृद्धि-दर
		राशि	कुल आय में प्रतिशत			
1953-54	48,01,299	...	...	...	...	
1956-57	60,43,013	52,286	0.9	1	100	
1959-60	70,07,989	1,15,941	1.7	2.2	222	
1962-63	92,53,500	..	..	..	..	
1976-77	5,27,28,428	15,94,073	3.02	30.4	3049	
1979-80	6,01,63,913	1,28,62,120	21.38	246.0	24600	
1982-83	6,61,26,315	1,62,21,000	24.53	310.2	31024	
1985-86	8,31,68,267	2,01,63,611	24.24	385.6	38564	1326.35%

स्त्रोत — 1. "एनुअल रिपोर्ट ऑन दि प्रोग्रेस ऑफ एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश" (सम्बन्धित वर्षों की) इलाहाबाद, सुपिरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी,उ0 प्र0

2. "एजूकेशन इन इण्डिया"
नयी दिल्ली मानव संसाधन विकास मंत्रालय

3. राज्य में शिक्षा के आंकड़े
(वित्तीय आंकड़े) इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश

सारणी देखने पर पता चलता है कि परिषद् की कुल आय में अक्षय निधि एवं अन्य स्त्रोतों का योगदान सन् 1953-54 में कुछ भी नहीं था । सन् 1956-57 में इस स्त्रोत से 52,286 रूपये प्राप्त हुये जो परिषद् की कुल आय का 0.9 प्रतिशत था । इस स्त्रोत से प्राप्त आय का कुल आय में प्रतिशत सन् 1979-80 से बढ़ना प्रारम्भ हुआ इस वर्ष इस स्त्रोत से 1,28,62,120 रूपये प्राप्त हुये जो कुल आय का 21.38 प्रतिशत था । सन् 1982-83 तथा सन् 1985-86 में इस स्त्रोत से कुल आय का क्रमशः 24.53 प्रतिशत था 24.24 प्रतिशत प्राप्त हुआ ।

1956-57 की तुलना में 1985-86 में इस स्त्रोत से काफी अधिक धनराशि प्राप्त हुयी । सन् 1956-57 में इस स्त्रोत से लगभग 52 हजार रूपये प्राप्त हुये थे और 1985-65 में लगभग 2 करोड़ रूपया प्राप्त हुआ जो 1956-57 की तुलना में लगभग 385 गुना है । सन् 1956-57 से 1985-86 के मध्य इस स्त्रोत से प्राप्त आय की औसत वार्षिक वृद्धि–दर 1326.35 प्रतिशत रही । इससे यह बात स्पष्ट है कि इस स्त्रोत से परिषद् को होने वाली आय में तुलनात्मक दृष्टि से काफी वृद्धि हो रही है ।

विभिन्न स्त्रोतों का कुल आय में आनुपातिक योगदान :-

परिषद् की आय के विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय का अलग अलग विश्लेषण के बाद अब हम परिषद् की कुल आय में उनके आनुपातिक योगदान का वर्णन करेंगे ।

स्वतंत्रता पूर्व परिषद् की आय में विभिन्न स्त्रोतों का योगदान हम परिषद् पर होने वाले व्यय के रूप में करेंगे । नीचे की तालिका यह वर्णित करती है कि परिषद् पर होने वाले व्यय की अमुक राशि इस स्त्रोत से प्राप्त हुयी और अमुक दूसरे स्त्रोत से । अतएव दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि परिषद् की आय भी इसी अनुपात में प्राप्त हुयी होगी ।

सारणी 5.6

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 का व्यय

(सन् 1936-37 से 1948-49)

(रूपयों में)

वर्ष	परिषद् पर कुल व्यय	राज्य निधि से व्यय	शुल्क से व्यय		अन्य स्त्रोतों से व्यय	
			राशि	कुल व्यय में प्रतिशत	राशि	कुल व्यय में प्रतिशत
1936-37	2,83,752	..	2,82,574	99.6	1178	0.4
1937-38	2,69,192	..	2,68,015	99.6	1177	0.4

क्रमशः सारणी 5.6

1938-39	2,76,667	..	2,76,220	99.8	447	0.2
1939-40	2,65,566	..	2,64,295	99.5	1271	0.5
1940-41	2,97,833	..	2,97,352	99.8	481	0.2
1942-43	3,48,879	..	3,43,731	98.5	5148	1.5
1943-44	3,77,337	..	3,74,049	99.10	3288	0.9
1944-45	4,66,160	..	4,65,880	99.94	280	0.06
1947-48	9,27,368	..	9,72,368	100.00	..	..
1948-49	11,83,054	..	11,83,054	100.00	..	..

स्त्रोत :- "जनरल रिपोर्ट ऑन पब्लिक इन्सट्रक्शन इन दि युनाईटिड प्राविन्स्स" (सम्बन्धित वर्षों की)

इलाहाबाद, सुपरिन्टेन्ट गवर्नमेन्ट प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट हो रहा है कि सन् 1936-37 से लेकर सन् 1948-49 तक परिषद् पर होने वाला कुल व्यय शुल्क से प्राप्त धनराशि से ही होता रहा है । इसमें अन्य स्त्रोतों से प्राप्त धनराशि का प्रतिशत सन् 1942-43 को छोड़कर कभी भी एक प्रतिशत भी नही रहा है राज्य निधि से कोई व्यय नही किया गया । इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि राज्य सरकार से कुछ भी आय न होती रही हो । सन् 1947-48 एवं 1948-49 में परिषद् का पूरा खर्चा शुल्क से प्राप्त धनराशि से ही चलाया गया ।

अब हम सन् 1953-54 के बाद से सन् 1985-86 तक विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त परिषद् की आय का वर्णन करेंगे । जिसमें विभिन्न स्त्रोतों के आनुपातिक योगदान का भी उल्लेख किया जायेगा ।

सारणी 5.7

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,उ0 प्र0 की स्त्रोतवार आय

(सन् 1953-54 से 1985-86 तक)
(रूपयों में)

वर्ष	राज्य सरकार से प्राप्त आय	शुल्क से प्राप्त आय	अक्षय निधि तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय	परिषद् की कुल आय
1953-54	..	48,01,299 (100)		48,01,299 (100)

1956-57	6,39,156	53,51,571	52,286	60,43,013
	(10.6)	(88.5)	(0.9)	(100)
1959-60	1,49,720	67,42,328	1,15,941	70,07,989
	(2.1)	(96.2)	(1.7)	(100)
1962-63	10,51,418	82,02,082	..	92,53,500
	(11.36)	(88.64)		(100)
1976-77	1,07,38,563	4,03,95,792	15,94,073	5,27,28,428
	(20.37)	(76.61)	(3.02)	(100)
1979-80	83,90,793	3,89,11,000	1,28,62,120	6,01,63,913
	(13.95)	(64.67)	(21.38)	(100)
1982-83	61,19,788	4,37,85,527	1,62,21,000	6,61,26,315
	(9.26)	(66.21)	(24.53)	(100)
1985-86	80,06,778	5,49,97,878	2,01,63,611	8,31,68,267
	(9.63)	(66.13)	(24.24)	(100)

नोट :- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित राशि का कुल आय में प्रतिशत दर्शाया गयाहै ।

स्त्रोत:-सारणी क्रमांक 5.3, 5.4 एवं 5.5

उपरोक्त सारणी क्रमांक 5.7 से माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की आय का विश्लेषण तथा आय की प्रवृत्तियों का वर्णन करेंगे ।

सारणी से स्पष्ट है कि परिषद् की आय में शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का भाग सबसे अधिक रहा है । दूसरा स्थान सन् 1976-77 तक राज्य सरकार से प्राप्त आय का रहा जबकि सन् 1979-80 से 1985-86 तक अक्षय निधि तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होने वाली आय का रहा ।

सन् 1953-54 में परिषद् की समस्त आय शुल्क से प्राप्त धनराशि ही थी । इस वर्ष राज्य सरकार तथा अक्षय निधि एवं अन्य स्त्रोत से कुछ भी धन प्राप्त नहीं हुआ। सन् 1956-57

में राज्य सरकार से कुल आय का 10.6 प्रतिशत, अक्षय निधि तथा अन्य स्त्रोत से 0.9 प्रतिशत तथा शेष 44.5 प्रतिशत शुल्क से प्राप्त हुआ । इस के बाद सन् 1959-60 में राज्य सरकार से कुल आय का सिर्फ 2.1 प्रतिशत ही प्राप्त हो सका ।

सन् 1976-77 में राज्य सरकार से प्राप्त आय का प्रतिशत 20 हो गया लेकिन सन् 1979-80 में यह पुनः घटकर 13.95 प्रतिशत रह गया । लेकिन इस वर्ष अक्षय निधि तथा अन्य स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत बढ़कर 21.38 हो गया । सन् 1985-86 में परिषद् की कुल आय में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आय का प्रतिशत 9.63, अक्षय निधि एवं अन्य स्त्रोतों का प्रतिशत 24.24 था तथा शुल्क से प्राप्त आय का प्रतिशत 66.13 था ।

परिषद् की शुल्क से प्राप्त आय पर नजर डालने से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता बाद भी कुछ वर्षों तक शुल्क ही परिषद् की कुल आय का प्रमुख स्त्रोत रही है । राज्यसरकार द्वारा परिषद् के लिये बहुत ही कम धनराशि उपलब्ध करायी गयी । अक्षय निधि एवं अन्य स्त्रोतों का योगदान अब धीरे धीरे बढ़ रहा है । इससे परिक्षार्थियों पर शुल्क का अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा क्योंकि परिषद् को अपने सफल संचालन के लिये एक निश्चित व्यय तो हर हाल में करना ही करना है । यदि परिषद् को राज्य सरकार तथा अन्य स्त्रोतों से पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होगी तो वह मजबूरी में शुल्क में वृद्धि करके अपने लिये धन एकत्र करेगी ।

विभिन्न स्त्रोतों से आय बढ़ाने की विवेचना :-

देश की आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है । अतः प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था स्वाभाविक रूप से बड़ी ही व्यय साध्य है । प्रदेश की महत्वपूर्ण संस्था माध्यमिक शिक्षा परिषद् विश्व की परीक्षा संचालन की सबसे बड़ी संस्था है । अतएव वैधानिक तथा स्वायत्तशासी निकाय होने के कारण प्रदेश एवं देश में इसका महत्वपूर्ण स्थान है । प्रत्येक निकाय का कुशल संचालन उसकी आय पर निर्भर करता है । माध्यमिक शिक्षा परिषद् की आय के मुख्य स्त्रोत शुल्क, राज्य सरकार से प्राप्त निधि, अक्षय निधि तथा अन्य साधन है । माध्यमिक शिक्षा परिषद् की आय का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि परिषद् की सर्वाधिक आय का साधन शुल्क ही है । किसी भी शिक्षा की सफलता का वास्तविक मूल्यांकन परीक्षा द्वारा ही होता है । अतएव राज्य सरकार को अधिक से अधिक धन प्रदान करना चाहिये तथा शिक्षा बजट में परिषद् को एक निश्चित अनुपात निर्धारित कर देना चाहिये ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् को केन्द्र सरकार द्वारा भी अनुदान दिया जाना चाहिये । अक्षय निधि की दर बढ़ा दी जाय जिससे परिषद् की आय में बढ़ोत्तरी होगी ।

दोबारा अंक – पत्र तथा प्रमाण – पत्र बनवाने की शुल्क में दो गुनी वृद्धि करके भी परिषद् की आय में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिये । परीक्षा शुल्क को एक निश्चित अनुपात में प्रति पाँच वर्षों के अन्तराल के बाद वृद्धि करके परिषद् की आय में वृद्धि की जा सकती है ।

प्रत्येक विद्यालय तथा प्रत्येक परीक्षार्थी के सामानुपातिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषदों की सहायता की जानी चाहिये ताकि उनकी आय में बढ़ोत्तरी हो सके । परीक्षार्थी के अभिभावक पर परीक्षा कर लगाकर उसकी आय में वृद्धि की जा सकती है । शिक्षक-अभिभावक संघ को प्राप्त होने वाली धनराशि का एक प्रतिशत धन माध्यमिक शिक्षा परिषद् को प्रदान कराया जाय ताकि परिषद् का कुशल संचालन हो सके ।

(ख) व्यय :-

शिक्षा व्यय से तात्पर्य ऐसे व्यय से है, जो शिक्षा संस्थायें अथवा निकाय शिक्षा व्यवस्था के निमित्त मानवीय साधनों तथा भौतिक साधनों की पूर्ति के लिये करती हैं । साधारणतया इसका अभिप्राय चालू वर्षों के प्रभारों से होता है तथा इसमें गतवर्ष की सेवाओं हेतु किये गये भुगतान तथा भविष्य में की जाने वाली सेवाओं के लिये अग्रिम अदायगी सम्मिलित नहीं होती है ।

"एजूकेशन इन इण्डिया" में व्यय की निम्नवत् व्याख्या की गयी है[13]:-

"वित्तीय वर्ष के दौरान संस्था द्वारा की गयी अदायगियाँ खर्च है ।"

व्यय की पूर्ण धनराशि, आय की पूर्ण धनराशि के बराबर हो सकती है और नहीं भी । यदि आय व्यय से अधिक है तो अन्तर बचत कहलाता है, परन्तु यदि आय व्यय से कम है तो अन्तर घाटा कहलाता है[14] ।

भारत में शिक्षा की आय और व्यय का जो विवरण सरकारी रिपोर्ट्स में दिया जाता है, उसमें बचत या घाटा नही दर्शाया जाता, वरन बजट संतुलित होता है, जिसमें शेष या बैलेन्स नही रहता है । इसी कारण शिक्षा आय के आंकड़े वही होते हैं जो व्यय के होते हैं । अतएव आय व व्यय के पदों को अदल बदल कर प्रयोग किया जा सकता है, उससे कोई अन्तर नही पड़ता। भारतीय शिक्षा–वित्त सांख्यिकी की यह एक विशेषता है ।

---

13. "एजूकेशन इन इण्डिया" वाल्यूम-2, 1979-80 (स्पष्टीकरण-8), नई दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 1987
14. आत्मानन्द मिश्र, " दि फाइनेन्सिंग ऑफ इण्डियन एजूकेशन", बाम्बे, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1967 पृष्ठ-17

व्यय का वर्गीकरण :-

मोटे तौर पर व्यय का वर्गीकरण निम्न तीन प्रकार से किया जा सकता है :-

(1) आवर्ती व्यय (रिकरिंग इक्सपेन्डीचर) या चालू व्यय (करेन्ट इक्सपेंडीचर)

(2) अनावर्ती व्यय (नानरिकरिंग इक्सपेन्डीचर) या पूंजीगत व्यय (कैपिटल इक्सपेन्डीचर)

(3) ऋण प्रभार (डेट चार्जेज)

आवर्ती व्यय :-

इसका सम्बन्ध उस व्यय से है, जिसमें विद्यालय के प्रशासन, सामान्य नियंत्रण, उसके ढांचे की संक्रिया और संरक्षण, अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन सहित शिक्षण कार्य, पुस्तकालय, शिक्षण सामग्री तथा चालू वर्ष में सेवायें प्राप्त करने के लिये उठाये गये खर्च सम्मलित हैं । इसे परिचालन लागत (आपरेटिंग कास्ट) भी कहते हैं । एजूकेशन इन इण्डिया में इस व्यय की व्याख्या अग्रांकित शब्दों में की गयी है[15]:-

"आवर्ती खर्च वह है, जिसे किसी संस्था को चलाने के लिये प्रत्येक वर्ष वहन किया जाता है । मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें कर्मचारी वर्ग के वेतन, फुटकर खर्च, उपस्कर, फर्नीचर के अनुरक्षण, छात्र-वृत्तियों, वजीफों तथा अन्य वित्तीय रियायतों, छात्रावास (भोजन के अलावा), खेलकूद, निर्देशन, निरीक्षण आदि पर होने वाला खर्च सम्मिलित है।"

अनावर्ती व्यय :-

अनावर्ती व्यय वह है, जो स्थिर सम्पत्ति प्राप्त करने में या भूमि, क्रीड़ागन, भवन तथा उपकरणों आदि की वृद्धि हेतु किया जाता है । यह विद्यालय के संयंत्र की संक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से या छात्रावासों, जलपान ग्रहों, सरकारी भंडारों आदि के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हो सकता है ।

'एजूकेशन इन इण्डिया'[16] में इस व्यय की व्याख्या निम्नवत् की गयी है :-

"यह शैक्षिक खर्च का वह भाग है, जो आवर्ती खर्च के अतिरिक्त है । मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इसमें भवनों (अनुरक्षण के अलावा), उपस्करों, पुस्तकालयों आदि पर होने वाला खर्च शामिल है ।"

---

15. 'एजूकेशन इन इण्डिया', 1979-80 (स्पष्टीकरण 8)
नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
16. 'एजूकेशन इन इण्डिया' 1979-80 (स्पष्टीकरण 8)
नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

इस प्रकार का व्यय प्रतिवर्ष नहीं किया जाता है । एक बार व्यय करने के उपरान्त इन मदों पर व्यय करना बहुत समय तक आवश्यक नहीं रहता हैं ।

ऋण प्रभार :-

इसका अभिप्राय ऋणों पर ब्याज की अदायगी तथा ऋणों की मूलधनराशि की वापिसी से है । यदि ऋण उसी वित्तीय वर्ष में, जिसमें कि वह उधार लिया गया था, अदा कर दिया जाता है, तो व्यय को चालू या प्रत्यावर्ती की संज्ञा दी जाती है[17]। वैसे भारत में सामान्यतः कर्ज आदि की प्रथा नहीं है ।

व्यय के प्रभार :-

भारत में शिक्षा-व्यय अग्रांकित दो प्रकार का माना गया है :-

(1) प्रत्यक्ष व्यय (डायरेक्ट एक्पेन्डीचर)

(2) अप्रत्यक्ष व्यय (इनडायरेक्ट एक्सपेन्डीचर)

प्रत्यक्ष व्यय :-

शिक्षा संस्था को चालू रखने के लिये साक्षात् रूप से किये जाने वाले खर्च को प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं । इसमें निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत किये जाने वाले खर्च सम्मलित होते हैं :-

1. वेतन, भत्ते, भविष्य निधि (प्राविडेन्ट फन्ड), यात्रा भत्ते, पोशाक, तमगे तथा पुरस्कार ।
2. परीक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कला कौशल के विषय में लगने वाला कच्चा माल, विज्ञान विषयों के अध्ययन में प्रयोग में आने वाली सम्भरण सामग्री ।
3. स्काउटिंग, पर्यटन, खेलकूद तथा अन्य सहपाठ्य क्रियायें ।
4. फर्नीचर, उपकरण तथा भवनों की मरम्मत ।

'एजूकेशन इन इण्डिया' में प्रत्यक्ष व्यय को निम्न तरह स्पष्ट किया गया है :-

"प्रत्यक्ष खर्च वह है जिसे शैक्षिक संस्थाओं के संचालन के लिये प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है । मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इसमें उपस्कर, भवन, अनुरक्षण आदि का खर्च शामिल है ।"

अप्रत्यक्ष व्यय :-

कुछ ऐसे व्यय होते हैं, जिनको ऐसी मदों या कार्यों में खर्च किया जाता है, जिसका विशिष्ट कार्यों से तादात्म्य ठीक-ठीक और सरलता से नहीं किया जा सकता है । इनका स्वरूप ही ऐसा होता है कि उन्हें विभिन्न प्रकार की संस्थाओं पर बाँटना सम्भव नही होता है । ऐसी मदें निम्न है :-

---

17. आत्मानन्द मिश्र "शिक्षा का वित्त प्रबन्धन" 6 कानपुर, ग्रन्थम, 1976 पृष्ठ 93

1. निरीक्षण तथा निर्देशन आदि पर किया जाने वाला आवर्ती व्यय ।
2. भवनों, उपकरणों और फर्नीचर पर किया जाने वाला अनावर्ती व्यय ।
3. छात्र वृत्तियाँ, छात्रावासों तथा अन्य विविध मदों पर होने वाला खर्च आदि ।

'एजूकेशन इन इण्डिया" में इस व्यय का स्पष्टीकरण अंग्राकित तरीके से किया गया है-

"शैक्षिक खर्च का वह भाग जो प्रत्यक्ष व्यय के अलावा होता है । मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इसमें निर्देशन, निरीक्षण, भवनों (अनुरक्षण के अलावा), अनवर्ती उपस्करों, छात्रवृत्तियों, वजीफों तथा अन्य वित्तीय रियायतों, छात्रावासों (भोजन खर्च के अलावा) पर होने वाला खर्च आदि शामिल है ।"

जब कभी-कभी हम शिक्षा संस्थाओं के व्यय की चर्चा करते हैं तो उनके प्रत्यक्ष व्यय के संदर्भ में करते है, क्योंकि उनके अप्रत्यक्ष व्यय के प्रत्येक स्तर के शिक्षा व्यय का ज्ञान हमें स्पष्ट नहीं हो पाता है । शिक्षा व्यय की इन दो प्रमुख मदों के अतिरिक्त और कई प्रकार के व्यय इन्ही के अन्तर्गत किये जाते हैं, जिनको विशिष्ठ नाम दिये गये हैं, जिनका स्पष्टीकरण अंग्राकित हैं :-

(क) फुटकर व्यय (मिसलेनियस इक्सपेंडीचर) :-

ऐसा व्यय, जो ऊपर के किसी व्यय में सम्मलित नहीं किया जा सकता है, वह प्रकीर्ण, मुत्तफर्रिक, विविध या फुटकर व्यय कहलाता है । जैसे-स्काउटिंग, एन0 सी0 सी0, मध्याह्न भोजन, वृक्षारोपण आदि । फुटकर व्यय में पहले छात्रावास अधिभार भी सम्मलित था, जिससे उसका परिमाण बहुत बढ़ गया था । अब छात्रावास-अधिभार को एक अलग से मद बना दिया गया है ।

(ख) नैमित्तिक व्यय या आकस्मिकी (कन्टिन्जेन्ट इक्सपेन्डीचर या कन्टेन्जेन्जीस) :-

छोटे-छोटे कार्यों को कराने या छोटी-छोटी वस्तुओं के क्रय पर किया जाने वाला आवर्ती व्यय, जिसका पहले से अनुमान नही किया जा सकता और आपाती तौर पर आकस्मात् करना पड़ता है, आकस्मिक या नैमित्तिक व्यय कहलाता है जैसे लेखन सामग्री, तार, टेलीफोन, बिजली, पानी आदि का खर्च, बाइसिकिल या टाइपराइटर की मरम्मत, डाक खर्च, कुछ अवधि के लिये रखे कर्मचारियों के वेतन आदि ।

(ग) विकास व्यय (डेवलपमेन्ट इक्सपेन्डीचर) या योजना व्यय (प्लान इक्सपेन्डीचर) :-

जो खर्च शिक्षा को वर्तमान से आगे बढ़ाने के लिये नये विद्यालय तथा कक्षायें खोलने, नये शिक्षक रखने, नये भवन बनाने या नये उपस्कर खरीदने में किया जाता है, वह विकास व्यय कहलाता है । ऐसा व्यय प्रायः देश तथा प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं में किया जाता है ।

(घ) गैर योजना व्यय (नान प्लान इक्सपेन्डीचर) या प्रतिबद्ध व्यय (कमिटेड इक्सपेन्डीचर) :-

शिक्षा का जो कार्यक्रम विकास योजना के पूर्व से चला आ रहा है, उस पर किया गया व्यय प्रतिशत व्यय कहलाता है। एक पंचवर्षीय योजना समाप्त होने पर उसमें जो कुछ शिक्षा का विकास होता है, उस पर किया जाने वाला व्यय आगामी योजना के लिये प्रतिबद्ध व्यय हो जाता है । उसकी व्यवस्था राज्य के साधारण बजट में की जाती है । यह व्यय योजना व्यय से बाहर होता है, अतएव इसे गैर योजना व्यय या योजनेत्तर व्यय (नान प्लान इक्सपेन्डीचर) की संज्ञा दी जाती है । यह व्यय प्रत्येक योजना के बाद बढ़ता ही रहता है ।

(ड) भारित व्यय :-

"आय-व्ययक" शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में कहीं भी नही किया गया है उसमें "वार्षिक वित्त-विवरण" शब्द का प्रयोग किया गया है ।

"आय-व्ययक" (बजट) शब्द का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है और वह आसानी से समझ में आ जाता है । इसलिये पूरे आय-व्ययक साहित्य में इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है । संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार यह अपेक्षित है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य के विधानमंडलों के सदनों के समक्ष, राज्यपाल उस राज्य की उस वर्ष के लिये, अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवायेंगे । इसे "वार्षिक वित्त वितरण" के नाम से निर्दिष्ट किया गया है और इसे आमतौर पर "आय-व्ययक" समझा जाता है । उस वित्त-वितरण के दिये हुये व्यय के अनुमानों में उन धनराशियों को पृथक-पृथक दिखाया जायेगा, जो राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय तथा उस निधि से किये जाने वाले अन्य प्रस्तावित व्यय की पूर्ति के लिये आपेक्षित हों और उनमें राजस्व लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया गया हो ।

भारित व्यय में निम्नलिखित प्रकार के व्यय सम्मलित होते हैं :-

1. राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते तथा उनके पद से सम्बनिधत अन्य व्यय ।

2. विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते ।
3. ऐसे ऋणभार, जिनका दायित्व राज्य पर है, जिनके अन्तर्गत ब्याज, ऋण शोधन, निधि- भार और मोचन-भार, उधार लेने और ऋण-व्यवस्था तथा ऋण-मोचन सम्बन्धी अन्य व्यय सम्मलित हैं ।
4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों, भत्तों या पेंशनों से सम्बद्ध व्यय और उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों के समस्त वेतन, भत्ते और पेंशनें सम्मलित हैं ।
5. किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्याधिकरण के निर्णय, आज्ञप्ति या पंचाट के भुगतान के लिये अपेक्षित धनराशियाँ ।
6. संविधान के अनुच्छेद 290 के अधीन न्यायालयों या आयोगों के व्यय तथा पेंशनों के व्यय के विषय में समायोजन ।
7. राज्य के लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनमें आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारियों को अथवा उनके विषय में देय वेतनों, भत्तों तथा पेंशनों के व्यय सम्मलित हैं ।
8. संविधान या राज्य के विधान मंडल से विधि द्वारा संचित निधि पर भारित घोषित किया गया अन्य व्यय ।

शिक्षा के विभिन्न स्तरों के बजट में भातिर व्यय तिरछे अंकों में दर्शाया जाता है इसके अन्तर्गत कभी-कभी उच्चतम न्यायालय के आदेशों के फलस्वरूप शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जाता है ।

(च) लागत (कास्ट) :-

किसी कार्य के करने या वस्तु के खरीदने में व्यय हुआ वास्तविक धन 'लागत' कहलाता है । किसी संस्था के परिचालन और संरक्षण में जो धन लगता है, उसे पोषण लागत (मेन्टेनेन्स कास्ट) कहते हैं । उसके भवन, साज-सज्जा, उपकरण आदि पर जो व्यय होता है, उसे पूंजीगत लागत (केपिटल कास्ट) कहते हैं ।

(छ) इकाई लागत (युनिट कास्ट) :-

किसी उत्पादन या सेवा की इकाई पर होने वाले व्यय को "इकाई या एकक लागत"

कहते हैं । विद्यालय को चलाने में वार्षिक व्यय, जिसकी गणना छात्र को इकाई मानकर की जाती है, छात्र की इकाई लागत कहलाती है । इसे निकालने के लिये विद्यालय के वर्ष भर के प्रत्यक्ष व्यय को छात्रों की दर्ज संख्या से भाग दिया जाता है । इसी प्रकार शिक्षा के लिये एक भवन बनाने में जो वास्तविक व्यय होता है, उसे भवन की इकाई लागत कहते हैं । एक विद्यालय को वर्षभर चलाने में जो खर्च होता है, उसे विद्यालय की इकाई लागत कहते हैं ।

अब हम माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 पर स्वतन्त्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के पश्चात् होने वाले व्यय का विश्लेषण करेंगे :-

सारणी 5.8

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 पर कुल वास्तविक व्यय

स्वतन्त्रता के पूर्व (सन् 1922-23 से 1946-47 तक)

(रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	परिषद् पर कुल व्यय	गुणा वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर	वृद्धि-सूचकांक
1.	1922-23	41,136	1		100
2.	1927-28	1,94,523	4.7	74.58%	473
3.	1932-33	2,20,768	5.3	2.70%	537
4.	1937-38	2,67,516	6.5	4.23%	650
5.	1941-42	3,32,728	8.0	6.09%	809
6.	1946-47	6,96,209	16.9	21.84%	1692
				66.35*	

नोट :- *-यह सन् 1922-23 से 1946-47 के मध्य 24 वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दर है ।

स्त्रोत :-

1. 'युनाईटिड प्राविन्सस् आफ आगरा और अवध' के शिक्षा विभाग के बजट (सम्बद्ध वर्षों के) लखनऊ, प्रिंटिंग एट दि गवर्नमेंट, ब्रांच प्रेस,
2. युनाईटेड प्राविन्सस् के शिक्षा विभाग के बजट (सम्बन्धित वर्षों के) लखनऊ प्रिंटिड एट दि गर्वनमेंट ब्रांच प्रेस.

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश पर व्यय
(स्वतंत्रता के पूर्व)
व्यय (लाख रुपये में)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1922-23
1927-28
1932-33
1937-38
1941-42
1946-47
वर्ष

चित्र 5.3

सारणी से स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 पर उसके स्थापना वर्ष में कुल 41,136 रूपये व्यय किये गये । पाँच वर्ष पश्चात् यह व्यय 1,94,523 रूपये हो गया जो कि 1922-23 की तुलना में 4.7 गुना था । इसके बाद यह व्यय लगातार बढ़ता ही गया तथा सन् 1946-47 तक पहुँचते—पहुँचते यह व्यय 6,96,209 रूपये हो गया जो सन् 1922-23 की तुलना में 16.9 गुना था । सन् 1922-23 से सन् 1946-47 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर 66.35 प्रतिशत रही ।

सारणी देखने से यह भी ज्ञात होता है कि परिषद् का व्यय स्थापना के बाद पाँच वर्षो में सबसे अधिक गति से बढ़ा है । क्योंकि सन् 1922-23 से 1927-28 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर 74.58 प्रतिशत रही है जोकि स्वतन्त्रतापूर्व तक किसी भी समय नहीं रही । सन् 1922-23 में व्यय का सूचकांक 100 था जो सन् 1946-46 में 1692 हो गया । सारणी से पता चलता है कि सन् 1927-28 से 1932-33 के मध्य के पाँच वर्षो में व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि दर सबसे कम मात्र 2.7 प्रतिशत रही । इसका कारण 1931 की विश्वव्यापी मंदी हो सकता है ।

सारणी 5.9

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 पर कुल वास्तविक व्यय

(स्वतन्त्रता के पश्चात् (सन् 1947-48 से 1990-91 तक)

(रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	परिषद् पर कुल व्यय	गुणा वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर	वृद्धि-सूचकांक
1.	1947-48	9,67,766	1		100
2.	1950-51	21,63,057	2.2	41.17%	224
3.	1955-56	56,71,344	5.8	32.44%	586
4.	1960-61	71,63,131	7.4	5.26%	740
5.	1965-66	1,08,41,398	11.2	10.27%	1120
6.	1970-71	1,32,28,500	13.6	4.40%	1367
7.	1975-76	4,40,19,590	45.4	46.55%	4548
8.	1980-81	6,56,81,000	67.8	9.84%	6786

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश पर व्यय
(स्वतंत्रता के पश्चात्)
व्यय (करोड़ रुपये में)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1947-48
1950-51
1955-56
1960-61
1965-66
1970-71
1975-76
1980-81
1985-86
1990-91
वर्ष

चित्र 5.4

9.	1985-86	8,68,30,000	89.7	6.44%	8972
10.	1990-91	16,92,17,000	174.8	18.98%	17485
				404 .31%x	

नोट :-xयह 1947-48 से लेकर 1990-91 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर है ।

स्त्रोत :- 1. युनाइटेड प्राविन्स से शिक्षा विभाग के बजट (सम्बन्धित वर्षों के)
लखनऊ, प्रिंटिंग एट दि गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस

2. उत्तर प्रदेश के व्यय के व्योरेवार अनुमान (शिक्षा विभाग) (सम्बन्धित वर्षों के)
निदेशक - मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ उत्तर प्रदेश (भारत)

सारणी से स्पष्ट है कि परिषद् के व्यय में स्वतन्त्रता के बाद से सन् 1970-71 तक धीरे-धीरे वृद्धि हुयी लेकिन सन् 1970-71 से 1975-76 के बीच व्यय में काफी वृद्धि हुयी सन् 1947-48 में परिषद् पर कुल व्यय लगभग साढ़े नौ लाख रूपये था जो लगातार बढ़ते-बढ़ते सन् 1990-91 में लगभग 17 करोड़ हो गया । यह सन् 1947-48 की तुलना में लगभग 175 गुना है ।

परिषद् के व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि-दर सन् 1970-71 से 1975-76 के मध्य सबसे अधिक रही इस बीच यह 46.55 प्रतिशत थी । सन् 1955-56 से 1960-61 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर सबसे कम 5.26 प्रतिशत रही । सन् 1947-48 से 1990-91 के मध्य के 43 वर्षों में यह वृद्धि-दर 404.31 प्रतिशत वार्षिक रही । इसी प्रकार परिषद् पर व्यय का सूचकांक जो सन् 1947-48 में 100 था वह सन् 1990-91 में बढ़कर 17485 हो गया ।

परिषद् के कुल वास्तविक व्यय के विश्लेषण से ज्ञात हो रहा है कि परिषद् का व्यय लगातार बढ़ रहा है । स्थापना काल से लेकर स्वतन्त्रता पूर्व तक परिषद् के व्यय की औसत वार्षिक वृद्धिदर 66.35 प्रतिशत थी जबकि स्वतन्त्रता के पश्चात् से लेकर सन् 1990-91 के बीच यह औसत वार्षिक वृद्धि-दर 404.31 प्रतिशत हो गयी । इससे साफ जाहिर है कि परिषद् पर स्वतंत्रता के बाद व्यय में काफी वृद्धि की जा रही है ।

हमनें उपरोक्त सारणी क्रमांक 5.8 तथा 5.9 में परिषद् पर होने वाले वास्तविक व्यय का विवेचन किया है । यह व्यय किन-किन मदों पर किया गया तथा वह कहाँ तक उचित था अब इसका विश्लेषण किया जायेगा । परिषद् की स्थापना से लेकर सन् 1990-91 तक जिन मुख्य

मदों का विवरण शिक्षा-बजटों तथा अन्य शैक्षिक रिपोर्टों में दिया गया है वे मदें निम्न हैं :-

1. वेतन

   (अ) अधिकारियों का वेतन

   (2) कर्मचारियों का वेतन

2. भत्ते एवं मानदेय

3. अन्य मद

व्ययके विश्लेषण में इन्हीं मदों पर हुये खर्च का विवेचन किया जायेगा । जिसके सम्बन्ध में सांख्यकी उपलब्ध है । अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन का अलग-अलग सन् 1922-23 से 1965-66 तक उपलब्ध है इसके बाद वेतन पर व्यय का कुल योग प्राप्त हुआ है । इसको इसी तरह प्रस्तुत किया जायेगा ।

1. अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन

परिषद् की स्थापना के समय इस मद पर सबसे अधिक खर्च होता था लेकिन धीरे-धीरे इस मद पर खर्च कम होता गया है । जिसका स्पष्टीकरण नीचे दी गयीं सारणियों से हो जायेगा-

सारणी 5.10

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन पर व्यय

स्वतन्त्रता के पूर्व (सन् 1922-23 से 1946-47 तक)

(रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	परिषद् पर कुल व्यय	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन पर व्यय				व्यय	
			अधिकारियों का वेतन	कर्मचारियों का वेतन	योग	कुल व्यय में प्रतिशत	गुणा वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर
1.	1922-23	41,136 1,94,523	10,492 (55.31)	8,479 (44.69)	18,972 (100)	46.12	1	
2.	1927-28	1,94,438 2,20,768	14,910 (35.54)	27,043 (64.46)	41,953 (100)	21.57	2.21	24.23%
3.	1932-33	2,20,769	18,440 (38.42)	29,560 (61.58)	48,000 (100)	21.74	2.53	2.88%
4.	1937-38	2,67,516	3,717 (10.87)	30,472 (89.13)	34,189 (100)	12.78	1.80	-5.75%
5.	1941-42	3,32,728	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	...	...	...
6.	1946-47	6,96,209	11,107 (19.77)	45,065 (80.23)	56,172 (100)	8.07	2.96	7.14%
								8.17 x

नोट :- 1. कोष्ठक केअन्दर सम्बन्धित राशि का योग में प्रतिशत दर्शाया गया है ।

2. x=यह सन् 1922-23 से 1946-47 के मध्य औसत वार्षिकवृद्धि-दर है ।

स्त्रोत :- 1. युनाइटेड प्राविन्सस् आफ आगरा एण्ड अवध के शिक्षा विभाग के बजट (सम्बन्धित वर्षों के) लखनऊ, प्रिंटिड एट दि गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस

2. युनाइटेड प्राविन्सिस् के शिक्षा विभाग के बजट (सम्बन्धित वर्षों के) लखनऊ, प्रिंटिड एट दि गवर्नमेन्ट ब्रांच प्रेस

सारणी देखने पर स्पष्ट होता है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन पर व्यय 1922-23 में 18,479 रूपये था जो परिषद् पर कुल व्यय का 46.12 प्रतिशत था लेकिन पाँच वर्ष बाद सन् 1927-28 में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन में किया गया व्यय परिषद् के कुल व्यय का मात्र 21.57 प्रतिशत रह गया यानी परिषद् के व्यय में वेतन के अतिरिक्त अन्य मदों पर व्यय का प्रतिशत बढ़ गया । वेतन पर व्यय के प्रतिशत में इसके बाद भी लगातार कमी आती गयी और स्वतन्त्रता के ठीक पूर्व सन् 1946-47 में वेतन पर किये जानेवाला व्यय कुल परिषद् के व्यय का मात्र 8.07 प्रतिशत रह गया ।

सारणी से स्पष्ट है कि अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन पर सन् 1922-23 में 18,979 रूपये खर्च किये गये और सन् 1932-33 में यह बढ़कर 48,000 रूपये हो गये जो 1922-23 की तुलना में लगभग ढाई गुना है । इसके बाद सन् 1937-38 में इस व्यय में वृद्धि के स्थान पर कटौती कर ली गयी और इस मद में सिर्फ 34,189 रूपये व्यय किये गये । सन् 1946-47 में इस पर पर 56,172 रूपये व्यय हुये जो 1922-23 की तुलना में 2.96 गुना है । इस प्रकार 24 वर्षों में यह मात्र लगभग तीन गुना हो सका यानी इस मद पर काफी धीमी गति से वृद्धि हुयी । इस समयावधि (24 वर्षों में) इस मद पर व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि-दर 8.17 प्रतिशत रही ।

सारणी से यह भी स्पष्ट है कि परिषद् के वेतन व्यय में सन् 1922-23 में अधिकारियों के वेतन पर लगभग 55 प्रतिशत तथा कर्मचारियों के वेतन पर लगभग 45 प्रतिशत खर्च हुआ । लेकिन इसके बाद के वर्षों 1927-28, 1932-33, 1937-38, 1946-47 में कर्मचारियों के वेतन का प्रतिशत अधिकारियों के वेतन के प्रतिशत से अधिक रहा । इसका कारण यह रहा कि अधिकारियों की तुलना में कर्मचारियों की संख्या में अधिक वृद्धि करनी पड़ी क्योंकि कार्यालीय कार्य की अधिकता होती गयी । एक दूसरा कारण यह भी रहा कि पहले सहायक सचिव का वेतन अधिकारियों के वेतन में शामिल होता था फिर यह कर्मचारियों के वेतन के साथ जोड़ा जाने लगा । सन् 1937-38 में कर्मचारियों के वेतन पर कुल वेतन व्यय का सर्वाधिक लगभग 90 प्रतिशत खर्च किया गया । लेकिन 1946-47 में यह प्रतिशत घटकर 80.23 रह गया ।

सारणी 5.11

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन पर व्यय

स्वतन्त्रता के पश्चात् (सन् 1947-48 से 1990-91 तक)

(रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	परिषद् पर कुल व्यय	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन पर व्यय				व्यय	
			अधिकारियों का वेतन	कर्मचारियों का वेतन	योग	कुल व्यय में प्रतिशत	गुणा वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर
1.	1947-48	9,67,766	19,012 (28.18)	48,460 (71.82)	67,472 (100)	6.97	1	
2.	1950-57	21,63,057	21,027 (14.54)	1,23,596 (85.46)	1,44,623 (100)	6.69	2.14	38.12%
3.	1955-56	56,71,344	29,169 (9.43)	2,80,199 (90.57)	3,09,368 (100)	5.45	4.59	10.65%
4.	1960-61	71,63,131	47,027 (10.78)	3,89,647 (89.22)	4,36,674 (100)	6.10	6.47	8.23%
5.	1965-66	1,08,41,398	58,269 (8.95)	5,92,864 (91.05)	6,51,133 (100)	6.01	9.65	9.82%
6.	1970-71	1,32,28,500	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	...	...	...
7.	1975-76	4,40,19,590	...	...	29,12,543	6.62	43.17	34.73%
8.	1980-81	6,56,81,000	...	...	...	...	...	...
9.	1985-86	8,68,30,000	...	...	73,90,000	8.51	109.53	15.37%
10.	1990-91	16,92,17,000	...	...	1,79,90,000	10.63	266.63	28.69%
								617.74%×

नोट :- 1. कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित राशि का योग में प्रतिशत दर्शाया गया है ।

2. ×=यह सन् 1947-48 से 1990-91 के मध्य 43 वर्षो में औसत वार्षिक वृद्धि-दर है ।

स्त्रोत :- 1. युनाइटेड प्राविन्सस् के शिक्षा विभाग के बजट (सम्बन्धित वर्षों के) लखनऊ, प्रिंटेड एट दि गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस

2. उत्तर प्रदेश शासन के व्यय के ब्यौरेवार अनुमान (शिक्षा विभाग) सम्बन्धित वर्षों के, लखनऊ, निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

सारणी देखने पर यह स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता के बाद से लेकर सन् 1990-91 तक की अवधि में परिषद् के कुल व्यय में से वेतन नामक मद पर कुल व्यय का 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के मध्य व्यय किया गया । इस मद पर सन् 1955-56 में कुल व्यय का सबसे कम प्रतिशत मात्र 5.45 प्रतिशत ही खर्च किया गया । सन् 1947-48 में इस मद (अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन) पर कुल 67,472 रूपये व्यय किये गये । इसके बाद इस राशि में लगातार वृद्धि होती रही । सन् 1990-91 में इस मद पर व्यय राशि 1,79,90,000 रूपये थी जो सन् 1947-48 की तुलना में लगभग 267 गुना है । जिसका कारण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि तथा उनके वेतनमानों में वृद्धि है ।

सन् 1947-48 से 1950-51 के मध्य इस मद पर व्यय राशि की औसत वार्षिक वृद्धि-दर 38.12 प्रतिशत रही । इसके बाद सन् 1950-51 से 1955-56, 1955-56 से 1960-61, 1960-61 से 1965-66, 1965-66 से 1975-76, 1975-76 से 1985-86 और 1985-86 से 1990-91 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर क्रमशः 10.65 प्रतिशत, 8.23 प्रतिशत, 9.82 प्रतिशत, 34.73 प्रतिशत 15.37 प्रतिशत तथा 28.69 प्रतिशत रही है । सन् 1947-48 से सन् 1990-91 के मध्य 43 वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 617.74 प्रतिशत रही ।

सारणी से यह भी स्पष्ट है कि स्वतन्त्ता के बाद से वेतनों पर किये जाने वाले व्यय में अधिकारियों के वेतन पर व्यय का प्रतिशत लगातार घटता गया है और कर्मचारियों के वेतन पर व्यय का प्रतिशत लगातार बढ़ता गया है । इसका कारण कर्मचारियों की संख्या में लगातार अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि है तथा इसका दूसरा कारण कुछ अधिकारियों के वेतनों को कर्मचारियों के वेतन में शामिल कर लिया जाना रहा है । सन् 1947 - 48 में वेतन पर व्यय में अधिकारियों के वेतन पर व्यय का प्रतिशत 28.18 तथा कर्मचारियों के वेतन पर व्यय का प्रतिशत 71.82 था और सन् 1965-66 में अधिकारियों के वेतन पर व्यय का प्रतिशत मात्र 8.95 प्रतिशत रह गया और कर्मचारियों के वेतन पर व्यय का प्रतिशत बढ़कर 90.05 प्रतिशत हो गया ।

2. भत्ते एवं मानदेय :-

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 के व्यय में भत्ते एवं मानदेय नामक मद पर जो व्यय किया जाता है, उनमें यात्रा भत्ता, मकान भत्ता, मँहगाई भत्ता आदि शामिल रहता है । इस मद पर व्यय का विवरण स्वतन्त्रता के पूर्व एवं स्वतन्त्रता के पश्चात् अलग-अलग सारणियों के माध्यम

से प्रस्तुत करेंगे तथा इस मद पर व्यय का परिषद् के कुल व्यय में क्या प्रतिशत रहा है, इसका भी विवेचन करेंगे ।

सारणी 5.12

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,उ0 प्र0 के व्यय में भत्ते एवं मानदेय पर व्यय

स्वतन्त्रता के पूर्व (सन् 1922-23 से 1946-47 तक)

(रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	परिषद् पर कुल व्यय	भत्ते एवं मानदेय पर व्यय		गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर
			राशि	कुल व्यय में प्रतिशत		
1.	1922-23	41,136	6,716	16.33	1	...
2.	1927-28	1,94,523	18,068	9.29	2.69	33.81%
3.	1932-33	2,20,768	15,009	6.80	2.23	-3.39%
4.	1937-38	2,67,516	16,064	6.00	2.39	1.41%
5.	1941-42	3,32,728	अनुपलब्ध	...	...	...
6.	1946-47	6,96,209	49,183	7.06	7.32	22.91%
						26.35%x

नोट :- x=यह सन् 1922-23 से 1946-47 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर है ।

स्त्रोत :—

1. युनाइटेड प्राविन्सिस् ऑफ आगरा एण्ड अवध के शिक्षा विभाग के बजट (सम्बन्धित वर्षों के) लखनऊ, प्रिंटेड एट दि गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस
2. युनाइटेड प्राविन्सिस् के शिक्षा विभाग के बजट (सम्बन्धित वर्षों के) लखनऊ, प्रिंटेड एट दि गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस

सारणी से स्पष्ट है कि परिषद् के कुल व्यय से भत्ते एवं मानदेय पर सन् 1922-23 में 6,716 रूपये व्यय किये गये जिसका कुल व्यय में प्रतिशत 16.33 रहा । लेकिन सन् 1922-23 से लेकर सन् 1937-38 तक भत्ते एवं मानदेय नामक मद पर जो व्यय किया गया उसका परिषद् के कुल व्यय में प्रतिशत लगातार कम होता गया । सन् 1937-38 में यह प्रतिशत 6.00 था । सन् 1922-23 में इस मद पर 6,716 रूपये व्यय किये गये है सन् 1946-47 में इस मद पर व्यय

राशि बढ़कर 49,183 रूपये हो गयी जो सन् 1922-23 की तुलना में लगभग 7 गुना है ।

सारणी से यह भी ज्ञात होता है कि इस मद पर सन् 1922-23 में जो व्यय हुआ, वह सन् 1927-28 तक तीव्र गति से बढ़ा। इस अवधि में इसकी औसत वार्षिक वृद्धि-दर 33.81 प्रतिशत रही । सन् 1927-28 से लेकर सन् 1932-33 तक इस मद की राशि में 3.39 प्रतिशत औसत वार्षिक की दर से कटौती की गयी । इसके बाद इस मद पर व्यय राशि में पुनः वृद्धि की गयी । सन् 1922-23 से लेकर सन् 1946-47 के मध्य इस की औसत वार्षिक वृद्धी-दर 26.35 प्रतिशत रही ।

सारणी 5.13

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 के व्यय में भत्ते एवं मानदेय पर व्यय

स्वतन्त्रता के पश्चात् (सन् 1947-48 से 1990-91)

(रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	परिषद् पर कुल व्यय	भत्ते एवं मानदेय पर व्यय		गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर
			राशि	कुल व्यय में प्रतिशत		
1.	1947-48	9,67,766	71,755	7.41	1	...
2.	1950-51	21,63,057	1,25,600	5.80	1.75	25.01%
3.	1955-56	56,71,344	2,39,921	4.23	3.34	18.20%
4.	1960-61	71,63,131	4,61,079	6.44	6.43	18.43%
5.	1965-66	1,08,41,398	5,24,969	4.84	7.32	2.77%
6.	1970-71	1,32,28,500	अनुपलब्ध	...	...	...
7.	1975-76	4,40,19,590	37,33,592	8.48	52.03	61.12%
8.	1980-81	6,56,81,000	अनुपलब्ध	...	...	...
9.	1985-86	8,68,30,000	1,44,24,000	16.61	201.02	28.63%
10.	1990-91	16,92,17,000	1,79,75,000	10.62	250.51	4.92%
						580.24%×

नोट :- ×=यह सन् 1947-48 से 1990-91 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर है ।

स्त्रोत :-

1. युनाइटेड प्राविन्सस् के शिक्षा विभाग के बजट (सम्बन्धित वर्षो के)
   लखनऊ, प्रिंटिड एट दि गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस
2. उत्तर प्रदेश शासन के व्यय के ब्योरेवार अनुमान (शिक्षा विभाग), (सम्बन्धित वर्षो के)
   निदेशक-मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ उत्तर प्रदेश (भारत)

सारणी देखने से ज्ञात होता है कि सन् 1947-48 में भत्ते एवं मानदेय नामक मद पर जो धनराशि व्यय की गयी वह परिषद् पर व्यय कुल धनराशि की 7.41 प्रतिशत थी । इस मद पर व्यय राशि का कुल परिषद् व्यय में प्रतिशत घटता बढ़ता रहा है । यह प्रतिशत सन् 1990-91 में 10.62 प्रतिशत था । भत्ते एवं मानदेय में व्यय राशि का परिषद् के व्यय में सर्वाधिक प्रतिशत 16.61 सन् 1985-86 में रहा जबकि सबसे कम प्रतिशत 4.23 सन् 1955-56 में रहा । सन् 1947-48 में इस मद पर कुल 71,755 रूपये व्यय किये गये । यह राशि लगातार बढ़ते-बढ़ते सन् 1990-91 है 1,79,75,000 रूपये हो गयी, जो सन् 1947-48 में व्यय राशि की लगभग ढाई सौ गुना है ।

सन् 1947-48 से 1990-91 के बीच इस मद पर व्यय राशि की औसत वार्षिक वृद्धि दर 580.24 प्रतिशत रही । सारणी से स्पष्ट है कि इस मद पर व्यय राशि की औसत वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक 61.12 प्रतिशत सन् 1965-66 से 1975-76 के मध्य रही जबकि सबसे कम औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.77 प्रतिशत सन 1960-61 से 1965-66 के मध्य रही ।

3. अन्य मदें :-

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के अन्य मदों के अन्तर्गत निम्न मदें आती हैं :-

(अ) परीक्षकों को पारिश्रमिक ।

(ब) केन्द्र व्यवस्थापकों, कक्ष निरीक्षकों, लिपकों तथा गैर सरकारी निरीक्षकों का पारिश्रमिक

(स) प्रश्नपत्रों की छपाई तथा परीक्षा की कापियों आदि की छपाई के व्यय ।

(द) मजदूरी व्यय ।

(य) कार्यालय व्यय

(र) टेलीफोन पर व्यय

(ल) मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद पर व्यय ।

(व) मशीने, साज सज्जा, उपकरण एवं संयत्र पर व्यय ।

(स) अन्तिरिम सहायता में व्यय ।

(ष) लघु निर्माण कार्य में व्यय

(स) किराया, उपशुल्क एवं कर/स्वामित्व पर व्यय ।

(ह) अनुरक्षण पर व्यय ।

(क्ष) प्रकाशन पर व्यय

(त्र) अन्य व्यय

स्वतन्त्रता के पूर्व इसके अन्तर्गत जो मदें आती थी उनमें स्वतंत्रता के बाद से और वृद्धि हो गयी तथा कुछ मदों का नाम परिवर्तित किया गया है एवं कुछ मदों को समाप्त कर उन्हें किसी नयी मदों में जोड़ दिया गया है । संक्षेप में उपरोक्त सभी मदों को अन्य मद के अन्तर्गत दर्शाया जा रहा है । यहाँ पर इस मद पर व्यय का विश्लेषण स्वतन्त्रता पूर्व तथा स्वतंत्रता पश्चात् अलग अलग सारणियों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे :-

सारणी 5.14

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 के व्यय में अन्य मदों पर व्यय

स्वतंत्रता के पूर्व (सन् 1922-23 से 1946-47 तक)

(रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	परिषद् पर कुल व्यय	अन्य मदों पर व्यय		गुणा-वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर
			राशि	कुल व्यय में प्रतिशत		
1.	1922-23	41,136	15,448	37.55	1	...
2.	1927-28	1,94,523	1,34,502	69.14	8.71	154.13%
3.	1932-33	2,20,768	1,57,759	71.46	10.21	3.46%
3.	1937-38	2,67,516	2,17,263	81.22	14.06	7.54%
5.	1941-42	3,32,728	अनुपलब्ध ...	...	...	
6.	1946-47	6,96,209	5,90,854	84.87	38.25	19.11% 155.20%×

नोट :- ×=यह सन् 1922-23 से 1946-47 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर है ।

स्त्रोत :-

1. युनाइटेड प्राविन्सिस् ऑफ आगरा एण्ड अवध के शिक्षा विभाग के बजट (सम्बन्धित वर्षों के)
   लखनऊ, प्रिटिंड एट दि गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस
2. युनाइटेड प्राविन्सिस् के शिक्षा विभाग के बजट (सम्बन्धित वर्षों के)
   लखनऊ, प्रिटिंड एट दि गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस

सारणी से स्पष्ट है कि सन् 1922-23 में अन्य मदों पर कुल व्यय का 37.55 प्रतिशत खर्च किया गया । लेकिन सन् 1927-28 से लेकर सन् 1990-91 तक इस मद पर व्यय राशि का परिषद् पर व्यय कुल राशि में प्रतिशत हमेशा आधे से अधिक रहा है । साथ ही यह क्रमागत 5 वर्षो में बढ़ता ही गया है । सन् 1990-91 में इस मद पर कुल परिषद् व्यय का 84.87 प्रतिशत व्यय किया गया । इससे स्पष्ट है कि परिषद् के कुल व्यय में वेतन एवं भत्तों पर सिर्फ 15 प्रतिशत ही व्यय किया गया । सन् 1947-48 में अन्य मदों पर व्यय राशि 15,448 रूपये थी यह सन् 1990-91 में बढ़कर 5,90,854 रूपये हो गयी जो 1947-48 की तुलना में लगभग 38 गुना है ।

सारणी से यह भी स्पष्ट होता है कि इस मद पर व्यय धनराशि की औसत वार्षिक वृद्धि-दर शुरू के पाँच वर्षों में बहुत ही अधिक रही है । यह सन् 1922-23 से 1927-28 के मध्य 154.13 प्रतिशत थी । इससे साफ जाहिर है कि शुरू के इन वर्षों में इस मद पर व्यय राशि में काफी तीव्र गति से बढ़ोत्तरी की गयी । लेकिन ठीक इसके अगले पाँच वर्षों में यह वृद्धि यकायक काफी कम हो गयी और सन् 1927-28 से 1932-33 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर सिर्फ 3.46% प्रतिशत ही रही । इससे अगल पाँच-पाँच वर्षों के अन्तराल में भी इस मद पर व्यय राशि की औसत वार्षिक वृद्धि-दर कभी भी 20% नहीं हो पायी । सन् 1922-23 से 1946-47 के मध्य के 24 वर्षों में अन्य मदों पर व्यय राशि की औसत वार्षिक वृद्धि-दर 155.20 प्रतिशत रही ।

सारणी 5.15

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,उ0 प्र0 के व्यय में अन्य मदों पर व्यय

(स्वतंत्रता के पश्चात्)

(सन् 1947-48 से 1990-91 तक)

(रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	परिषद् पर कुल व्यय	अन्य मदों पर व्यय			
			राशि	कुल व्यय में प्रतिशत	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि दर
1.	1947-48	9,67,766	8,28,539	85.61	1	...
2.	1950-51	21,63,057	18,92,834	87.51	2.28	42.82%
3.	1955-56	56,71,344	51,22,055	90.32	6.18	34.12%
4.	1960-61	71,63,131	62,65,378	87.15	7.56	4.46%
5.	1965-66	1,08,41,398	96,65,296	89.15	11.66	10.85%
6.	1970-71	1,32,28,500	अनुपलब्ध	...	...	...
7.	1975-76	4,40,19,590	3,73,73,455	84.90	45.11	28.67%
8.	1980-81	6,56,81,000	...	...	...	...
9.	1985-86	8,68,30,000	6,50,16,000	74.88	78.47	7.40%
10.	1990-91	16,92,17,000	13,32,50,000	78.75	160.83	20.99%
						371.69%$^{\times}$

नोट :- x=यह सन् 1947-48 से 1990-91 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर है ।

स्रोत:—

1. युनाइटेड प्राविन्सिस् के शिक्षा विभाग के बजट (सम्बन्धित वर्षों के) लखनऊ, प्रिंटिड एट दि गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस
2. उत्तर प्रदेश शासन व्यय के ब्योरेवार अनुमान (शिक्षा विभाग) (सम्बन्धित वर्षों के) निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

सारणी देखने पर ज्ञात होता है कि सन् 1947-48 से लेकर सन् 1990-91 तक अन्य मद नामक मद पर परिषद् के कुल व्यय का तीन चौथाई से अधिक व्यय किया जाता रहा है । इस मद पर व्यय धनराशि का परिषद् के कुल व्यय में सर्वाधिक प्रतिशत 90.32 सन् 1955-56 में रहा तथा सबसे कम प्रतिशत 74.88 सन् 1985-86 में रहा । सन् 1947-48 में अन्य मदों पर कुल आठ लाख अट्ठाईस हजार पाँच सौ उन्तालीस रूपये खर्च किये गये। इस व्यय में लगातार वृद्धि हुयी तथा सन् 1990-91 में इस मद पर 13,32,50,000 रूपये व्यय हुये जो सन् 1947-48 की तुलना में लगभग 160 गुना है ।

इस मद पर व्यय राशि स्वतन्त्रता के बाद तीन वर्षों तक तीव्र गति से बढ़ी । सन् 1947-48 से 1950-51 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर 42.82 प्रतिशत रही । इसके बाद यह दर प्रत्येक पाँच वर्षों के अन्तराल में घटती बढ़ती रही है लेकिन कभी भी 35 प्रतिशत नहीं हो पायी । सबसे कम औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.46 प्रतिशत सन् 1955-56 से 1960-61 के मध्य रही है । स्वतन्त्रता के बाद से 1990-91 तक देखा जाय तो इस बीच के 43 वर्षों में यह औसत वार्षिक वृद्धि-दर 371.69 प्रतिशत रही है ।

अभी हमने वास्तविक व्यय की प्रमुख मदों पर विस्तारपूर्वक विचार किया है तथा व्यय का विश्लेषण एवं व्याख्या की है । अब हम परिषद् के वास्तविक व्यय में विभिन्न मदों के वितरण का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तथा प्रत्येक मद का कुल व्यय में प्रतिशत का विवेचन करते हुये उसकी समीक्षा प्रस्तुत करेंगे ।

सारणी 5.16

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 पर मदवार वास्तविक व्यय

स्वतंत्रता के पूर्व (सन् 1922-23 से 1946-47 तक)

रूपयों में

क्रमांक	वर्ष	वेतन पर व्यय		भत्ते एवं मानदेय पर व्यय		अन्य मदों पर व्यय		परिषद् पर कुल व्यय	
		राशि	कुल व्यय में %	राशि	कुल व्यय में %	राशि	कुल व्यय में %	राशि	कुल व्यय में %
1.	1922-23	18,972	16.12	6,716	16.53	15,448	37.55	41,136	100.00
2.	1927-28	41,953	21.57	18,068	2.29	1,34,502	39.14	1,94,523	100.00

माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश पर
मदवार वास्तविक व्यय
(स्वतंत्रता के पूर्व)
(रूपयों में)
6716
18972
15448
16.33%
37.55%
46.12%
वेतन
भत्ते एवं मान देय
अन्य मद
(सन् 1922-23)
590854
84.87%
7.06%
8.07%
49183
56172
(सन् 1916-47)

चित्र 5.5

क्रमशः सारणी 5.16

3. 1932-33	48,000	21.74	15,009	6.80	1,57,759	71.46	2,20,768	100.0
4. 1937-38	34,189	12.78	16,064	6.00	2,17,263	81.22	2,67,516	100.0
5. 1941-42	अनुपलब्ध	...	अनुपलब्ध	...	अनुपलब्ध	...	3,32,728	100.0
6. 1946-47	56,172	8.07	49,183	7.06	5,90,854	84.87	6,96,209	100.0

स्त्रोत:— सारणी क्रमांक 5.10, 5.12 एवं 5.14

सारणी देखने से ज्ञात होता है कि सन् 1922-23 में परिषद् का वास्तविक व्यय 41,136 रूपये था । इसमें से 46.12 प्रतिशत परिषद् के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन पर व्यय हुये, 16.33 प्रतिशत भत्ते एवं मानदेय पर व्यय हुये तथा 37.55 प्रतिशत अन्य मदों पर व्यय हुये । सन् 1927-28 से 1946-47 तक वेतन पर होने वाले व्यय के प्रतिशत तथा भत्ते एवं मानदेय पर होने वाले व्यय के प्रतिशत में गिरावट आयी जबकि इस बीच अन्य मदों में व्यय राशि का कुल व्यय में प्रतिशत बढ़ता गया । जहाँ सन् 1922-23 में अन्य मदों पर कुल व्यय का मात्र 37.55 प्रतिशत खर्च किया गया वहीं सन् 1990-91 में यह बढ़कर 84.87 प्रतिशत हो गया । इस प्रकार स्पष्ट है कि आनुपातिक दृष्टि से वेतन एवं भत्तों पर व्यय में कमी आयी तथा अन्य मदों में व्यय में वृद्धि हुयी । इसका कारण परीक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि होने पर परीक्षा सम्बन्धी व्यय में वृद्धि हो सकती है जो कि अन्य मदों में शामिल है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के व्यय में वेतन पर होने वाले व्यय का सर्वाधिक प्रतिशत 46.12 सन् 1932-33 में तथा सबसे कम प्रतिशत 8.07 सन् 1946-47 में रहा है । भत्ते एवं मानदेय पर होने वाले व्यय का कुल व्यय में सर्वाधिक प्रतिशत 16.33 सन् 1922-23 में तथा सबसे कम प्रतिशत 6.00 सन् 1937-38 में रहा है । इसी प्रकार अन्य मदों पर व्यय राशि का कुल व्यय राशि में सर्वाधिक प्रतिशत 84.87 सन् 1946-47 में तथा सबसे कम प्रतिशत 37.55 सन् 1922-23 में रहा है ।

सारणी 5.17

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 पर मदवार वास्तविक व्यय

स्वतंत्रता के पश्चात्

सन् (1947-48 से 1990-91 तक)

(रूपयों में)

क्रम	वर्ष	वेतन पर व्यय		भत्ते एवं मानदेय पर व्यय		अन्य मदों पर व्यय		परिषद् पर कुल व्यय	
		राशि	कुल व्यय में प्रतिशत	राशि	कुल व्यय में प्रतिशत	राशि	कुलव्यय में प्रतिशत	राशि	कुलव्यय में प्रतिशत
1.	1947-48	67,472	6.98	71,755	7.41	8,28,539	85.61	9,67,766	100.0
2.	1950-51	1,44,623	6.69	1,25,600	5.80	18,92,834	87.51	21,63,057	100.0
3.	1955-56	3,09,368	5.45	2,39,921	4.23	51,22,055	90.32	56,71,344	100.0
4.	1960-61	4,36,674	6.10	4,61,079	6.44	62,65,378	87.46	71,63,131	100.0
5.	1965-66	6,51,133	6.01	5,24,969	4.84	96,65,296	89.15	1,08,41,398	100.0
6.	1970-71	अनुपलब्ध	...	अनुपलब्ध	...	अनुपलब्ध	...	1,32,28,500	100.0
7.	1975-76	29,12,543	6.62	37,33,592	8.48	3,73,73,455	84.90	4,40,19,590	100.0
8.	1980-81	अनुपलब्ध	...	अनुपलब्ध	...	अनुपलब्ध	...	6,56,81,000	100.0
9.	1985-86	73,90,000	8.51	1,44,24,000	16.61	6,50,16,000	74.88	8,68,30,000	100.0
10.	1990-91	1,79,90,000	10.63	1,79,75,000	10.62	13,32,52,000	78.75	16,92,17,000	100.0
11.×	1991-92	1,77,45,000	12.56	2,04,21,000	14.45	10,31,25,000	72.99	14,12,91,000	100.0

नोटः— ×=यह वास्तविक व्यय न होकर आय-व्ययक अनुमान है ।

स्त्रोतः-सारणी क्रमांक 5.11, 5.13 एवं 5.15

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश पर
मदवार वास्तविक व्यय
(स्वतंत्रता के पश्चात्)
(रूपयों में)
828539
85.61%
71755
67472
7.41%
6.98%
वेतन
भत्ते एवं मान देय
अन्य मद
सन् (1947-48)
133252000
78.75%
17975000
17990000
10.62%
10.63%
(सन् 1990-91)

चित्र 5.6

सारणी से स्पष्ट है कि परिषद् के वास्तविक व्यय में अन्द मदों पर होने वाले व्यय का प्रतिशत सर्वाधिक है । इस मद पर कुल व्यय का 75 प्रतिशत से अधिक खर्च किया जाता रहा है । वेतन पर किया जाने वाला व्यय और भत्ते एवं मानदेय पर किया जाने वाला व्यय लगभग लगभग बराबर ही रहे हैं । सन् 1947-48 में वेतन पर किये जाने वाले व्यय का प्रतिशत कुल व्यय में 6.97 था जबकि भत्ते एवं मानदेय पर किये जाने वाले व्यय का प्रतिशत 7.41 था । वेतन पर व्यय का कुल व्यय में सर्वाधिक प्रतिशत 10.63 सन् 1990-91 में रहा है जबकि सबसे कम प्रतिशत 6.01 सन् 1965-66 में रहा है ।

भत्ते एवं मानदेय पर होने वाले व्यय का परिषद् पर कुल व्यय में प्रतिशत सर्वाधिक 16.61 सन् 1985-86 में तथा सबसे कम प्रतिशत 4.23 सन् 1955-56 में रहा है । इसी प्रकार अन्य मदों पर होने वाले व्यय का कुल व्यय में सर्वाधिक प्रतिशत 90.32 सन् 1955-56 में तथा सबसे कम प्रतिशत 74.88 सन् 1985-86 में रहा है ।

सारणी से ज्ञात होता है कि परिषद् के व्यय में वेतन पर स्वतन्त्रता के समय से ही काफी कम प्रतिशत में व्यय किया जाता रहा है इसका कारण परिषद् के कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में कमी है । परिषद् पर परीक्षार्थियों की संख्या में निरन्तर होने वाली वृद्धि से काफी कार्य का भार बढ़ गया है इसलिये परिषद् को कर्मचारियों की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि करते रहना चाहिये ।

अब हम सन् 1976-77 से सन् 1990-91 के मध्य के 15 वर्षों में परिषद् के वास्तविक व्यय का मदवार विश्लेषण तथा विवेचन प्रस्तुत करेंगे ।

सारणी 5.18

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,उ0 प्र0 के वास्तविक व्यय का मदवार विवरण

(सन् 1976-77 से सन् 1990-91 तक)

(रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	वेतन एवं भत्ते	भवनों का अनुरक्षण	अन्य मद	परिषद् पर कुल व्यय
1.	1976-77	70,86,873	17,789	4,56,23,766	5,27,28,428
		(13.44)	(0.03)	(86.53)	(100)
2.	1977-78	85,61,452	15,876	4,49,39,614	5,35,16,942
		(16.90)	(0.03)	(83.97)	(100)

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश का
मदवार वास्तविक व्यय
(रूपये हजार में)
59190
13900
7695
7152
5777
2735
5740
2511
3252
1333
प्रकाशन
वेतन
यात्रा भत्ता
कार्यालय
अन्य भत्ते
महंगाई भत्ता
मजदूरी
अन्य व्यय
टेलीफोन, मोटर गाड़ियाँ
पेट्रोल, किराया,
उपशुल्क,
स्वामित्व
76509
96
414
2282
6908
2686
8640
45325
17990
8381
(सन् 1990-91)

चित्र 5.7

क्रमशः सारणी 5.18

3.	1978-79	89,79,508 (16.81)	19,400 (0.04)	4,44,04,120 (83.15)	5,34,03,028 (100)
4.	1979-80	93,95,850 (15.62)	20,000 (0.03)	5,07,44,063 (84.35)	6,01,63,913 (100)
5.	1980-81	1,03,45,068 (15.52)	23,973 (0.04)	5,62,62,812 (84.44)	6,66,31,853 (100)
6.	1981-82	1,10,89,670 (17.23)	25,955 (0.04)	5,32,42,346 (82.73)	6,43,57,971 (100)
7.	1982-83	1,23,97,945 (18.75)	29,994 (0.05)	5,36,98,376 (81.20)	6,61,26,315 (100)
8.	1983-84	1,36,37,740 (18.75)	32,993 (0.05)	5,90,68,213 (81.20)	7,27,38,946 (100)
9.	1984-85	1,50,01,506 (18.75)	....	6,50,11,326 (81.25)	8,00,12,832 (100)
10.	1985-86	1,51,35,655 (18.20)	....	6,80,32,612 (81.80)	8,31,68,267 (100)
11.	1986-87	2,31,22,000 (21.20)	....	8,59,63,000 (78.80)	10,90,85,000 (100)
12.	1987-88	2,05,01,000 (19.87)	....	8,26,85,000 (80.13)	10,31,86,000 (100)
13.	1988-89	2,53,42,000 (16.85)	....	12,50,18,000 (83.15)	15,03,60,000 (100)
14.	1989-90	3,49,73,000 (25.03)	....	10,47,77,000 (74.97)	13,97,50,000 (100)
15.	1990-91	3,59,65,000 (21.25)	....	13,32,52,000 (78.75)	16,92,17,000 (100)
	गुणावृद्धि	5.07		2.92	3.21

नोट :- 1. कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित राशि का कुल व्यय में प्रतिशत दर्शाया गया है ।

2. सन् 1983-84 के बाद से भवनों के अनुरक्षण का व्यय अन्य व्यय में शामिल है ।

स्त्रोत :- 1. 'एजूकेशन इन इण्डिया' सम्बन्धित वर्षों की,

नई दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

2. राज्य में शिक्षा के आंकड़े (वित्तीय आंकड़े)

इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय

3. उत्तर प्रदेश शासन के व्यय के ब्योरेवार अनुमान (शिक्षा विभाग)

(सम्बन्धित वर्षो के सन् 1985-86 से 1990-91 तक)

निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ

उत्तर प्रदेश (भारत)

उपरोक्त सारणी का विश्लेषण निम्न मदों के अन्तर्गत करेंगे :-

1. वेतन एवं भत्ते :-

परिषद् में वेतन एवं भत्तों पर सन् 1976-77 को छोड़कर सन् 1990-91 तक हमेशा 15 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया है । यह व्यय 1976-77 से 1986-87 तक लगातार बढ़ा है लेकिन 1987-88 में यह 1986-87 की तुलना में थोड़ा कम गया था । लेकिन पुनः 1990-91 तक लगातार बढ़ता रहा है । इन पन्द्रह वर्षो में इस मद पर परिषद् के कुल व्यय में से सर्वाधिक व्यय 25.03 प्रतिशत सन् 1989-90 में रहा है तथा सबसे कम प्रतिशत 13.44 सन् 1976-77 में रहा है । सन् 1976-77 में वेतन एवं भत्तों पर कुल 70,83,873 रूपये व्यय किये गये जो सन् 1990-91 में बढ़कर 35965000 रूपये हो गये इस प्रकार 15 वर्षो में यह व्यय लगभग 5 गुना हो गया ।

2. भवनों का अनुरक्षण :-

भवनों के अनुरक्षण पर नाम मात्र का व्यय किया जाता रहा है । सन् 1976-77 में इस मद पर जो व्यय किया गया उसका कुल व्यय में प्रतिशत मात्र 0.03 प्रतिशत था । इसी प्रकार सन् 1983-84 में इसका प्रतिशत 0.05 था ।

3. अन्य मद :-

अन्य मदों पर सदैव ही कुल व्यय का एक बड़ा भाग खर्च किया जाता रहा है सन् 1976-77 से लेकर 1988-89 तक इस मद पर लगातार कुल व्यय का 80 प्रतिशत से अधिक व्यय किया जाता रहा है । इस मद पर सन् 1989-90 तथा 1990-91 में कुल व्यय का क्रमशः 74.97 प्रतिशत तथा 78.75 प्रतिशत व्यय किया गया । इस मद पर व्यय राशि का कुल व्यय में सर्वाधिक प्रतिशत 86.53 सन् 1976-77 में तथा सबसे कम प्रतिशत 74.97 सन् 1989-90

में रहा । इस मद पर सन् 1976-77 में कुल 4,56,23,766 रूपये खर्च किये गये यह सन् 1990-91 में बढ़कर 13,32,52,000 रूपये हो गये तो सन् 1976-77 की तुलना में लगभग तीन गुना है ।

सारणी से स्पष्ट होता है कि इन पन्द्रह वर्षों में परिषद् के कुल व्यय में वृद्धि जिस गति से हुयी लगभग उसी गति से अन्य मद की राशि भी बढ़ी, लेकिन वेतन एवं भत्ते पर व्यय राशि कुछ तीव्रगति से बढ़ी । यह इस बात से स्पष्ट होता है क्योंकि इन पन्द्रह वर्षो में वेतन एवं भत्ते में व्यय राशि लगभग 5 गुना हो गयी जबकि अन्य मद तथा परिषद् पर कुल व्यय राशि मात्र तीन गुना हुयी ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या में निरन्तर होती वृद्धि के परिणाम स्वरूप सन् 1972 से इसके विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुयी और सन् 1972 में मेरठ में परिषद् का प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया । जिसका वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं । इसके बाद वाराणसी, बरेली तथा इलाहाबाद में परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं । इन क्षेत्रीय कार्यालयों पर किये जाने वाले व्यय का विवरण राजकीय बजट में अलग दर्शाया जाता है अब हम इन क्षेत्रीय कार्यालयों पर होने वाले व्यय का विवरण उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत करेंगे :-

सारणी 5.19

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 के क्षेत्रीय कार्यालयों पर वास्तविक व्यय

(सन् 1978-79 से 1990-91 तक)

(रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	आयोजनागत		आयोजनेत्तर	योग	
1.	1978-79	5,53,000	(100)	...	5,53,000	(100)
2.	1979-80	1,89,000	(100)	...	1,89,000	(100)
3.	1980-81	अनुपलब्ध		अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	
4.	1981-82	5,31,000	(100)	...	5,31,000	(100)
5.	1982-83	8,26,000	(100)	...	8,26,000	(100)
6.	1983-84	9,95,000	(100)	...	9,95,000	(100)
7.	1984-85	अनुपलब्ध		अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	

8.	1985-86	12,83,000	(32.46)	26,69,000	(67.54)	39,52,000	(100)
9.	1986-87	2,50,000	(06.97)	33,36,000	(93.03)	35,86,000	(100)
10.	1987-88	42,02,000	(46.94)	47,50,000	(53.06)	89,52,000	(100)
11.	1988-89	28,76,000	(30.49)	65,55,000	(69.15)	94,31,000	(100)
12.	1989-90	86,41,000	(43.33)	1,13,01,000	(56.67)	1,99,42,000	(100)
13.	1990-91	.....		1,71,05,000	(100.00)	1,71,05,000	(100)
				गुणा वृद्धि		30.93	

नोट :- कोष्ठक केअन्दर सम्बन्धित राशि का कुल व्यय में प्रतिशत दर्शाया गया है ।

स्त्रोत :- उत्तर प्रदेश शासन के व्यय के ब्योरेवार अनुमान (शिक्षा विभाग) (सम्बन्धित वर्षों के)

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

उपरोक्त सारिणी से ज्ञात होता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालयों पर सन् 1978-79 से लेकर सन् 1990-91 तक जो व्यय किया गया वह आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर दोनों प्रकार का था ।

सन् 1979-80 से लेकर सन् 1983-84 तक इन पर जो व्यय हुआ वह आयोजनागत व्यय था । सन् 1990-91 में इस पर जो व्यय हुआ वह आयोजनेत्तर व्यय के अन्तर्गत किया गया ।

सन् 1985-86 से लेकर 1989-90 तक प्रत्येक वर्ष इन कार्यालयों पर आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर दोनों तरह का व्यय किया गया । सन् 1985-86 से 1989-90 तक कुल व्यय में इनका प्रतिशत क्रमशः 32.46 एवं 67.54, 6.97 एवं 93.03, 46.94 एवं 53.06, 30.49 एवं 69.51 तथा 43.33 एवं 56.67 रहा है ।

सन् 1978-79 में क्षेत्रीय कार्यालयों पर कुल 5,53,000 रूपये व्यय किये गये जबकि सन् 1991 में इन पर कुल 1,71,05,000 रूपये व्यय हुये जो सन् 1978-79 की तुलना में लगभग 30 गुना है ।

सारणी 5.20

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 के क्षेत्रीय कार्यालयों पर मदवार वास्तविक व्यय

(सन् 1985-86 से सन् 1990-91) (हजार रूपयों में)

	मदें	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1.	वेतन	(29.12) 1151	(42.75) 1533	(33.22) 2974	(31.07) 2930	(40.50) 8076	(56.07) 9591
2.	मजदूरी	(2.97) 117	(23.51) 843	(1.9) 170	(4.78) 451	(3.46) 691	(1.07) 183
3.	मंहगाई भत्ता	(44.78) 1770	(3.60) 129	(29.42) 2634	(30.24) 2852	(21.22) 4232	(21.15) 3617
4.	यात्रा भत्ता	(3.31) 131	(7.19) 258	(4.26) 381	(4.29) 405	(1.78) 354	(2.33) 398
5.	अन्य भत्ते	(4.68) 185	(7.81) 280	(4.78) 428	(8.56) 807	(18.49) 3688	(9.75) 1668
6.	कार्यालय व्यय	(7.08) 280	(2.37) 85	(9.68) 866	(5.26) 496	(8.52) 1699	(5.93) 1015
7.	टेलीफोन पर व्यय	(0.46) 18	...	(0.41) 37	(0.49) 46	(0.39) 77	(0.56) 95
8.	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	...	...	(0.21) 19	(0.07) 7	(0.12) 24	(0.18) 30
9.	लघुनिर्माण कार्य	...	...	...	...	(0.01) 1	... ...
10.	मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	(4.56) 180	...	(2.66) 238	(2.28) 215	(0.94) 187	(1.16) 200
11.	अनुरक्षण	...	...	...	...	...	...
12.	अन्तिरिम सहायता	...	(5.02) 180	(10.14) 908	(10.47) 987	(3.07) 612	...
13.	अन्य व्यय	(3.04) 120	(7.75) 278	(3.32) 297	(2.49) 235	(1.50) 301	(1.80) 308
14.	योग	(100) 3952	(100) 3586	(100) 8952	(100) 9431	(100) 1,99,42	(100) 1,71,05

स्त्रोत :— उत्तर प्रदेश शासन के व्यय के ब्योरेवार अनुमान (शिक्षा विभाग)

(सम्बन्धित वर्षों के)

निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

नोट :— कोष्ठक के अन्दर सम्बंधित राशि का कुल व्यय में प्रतिशत दर्शाया गया है ।

सारणी देखने पर यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय कार्यालयों पर किये जानेवाले व्यय का लगभग 50 प्रतिशत वेतन एवं महँगाई भत्ते में खर्च होता है । सन् 1985-86 में वेतन पर कुल व्यय का 29.12 प्रतिशत व्यय कियागया और सन् 1990-91 में यह बढ़कर 56.07 प्रतिशत हो गया । इस प्रतिशत में बढ़ोत्तरी या कमी का कोई एक निश्चित मापदण्ड नहीं दिख रहा है न ही कोई एक क्रम नजर आता है ।

मंहगाई भत्ता पर सन् 1985-86 में कुल व्यय का 44.78 प्रतिशत व्यय हुआ और सन् 1990-91 में घटते बढ़ते यह प्रतिशत 21.15 रह गया । सन् 1986-87 में तो मात्र 3.6 प्रतिशत ही इस मद पर व्यय किया गया । इस मद पर व्यय राशि में भी कोई क्रम नही हैं ।

कार्यालय व्यय जो सन् 1985-86 में कुल व्यय का 7.0 8 प्रतिशत था वह सन् 1987-88 में बढ़कर 9.68 प्रतिशत हो गया इसके बाद सन् 1990-91 में यह सिर्फ 5.93 प्रतिशत रह गया ।

टेलीफोन व्यय तथा मोटरगाड़ियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद नामक मदों पर सन् 1985-86 से 1990-91 के मध्य कभी भी कुल व्यय का एक प्रतिशत भी व्यय नहीं हुआ है ।

सारणी से यह भी स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय कार्यालयों पर होने वाले व्यय का विभिन्न मदों में विभाजन अनिश्चित सा रहा है कभी किसी एक मद को अधिक राशि दी गयी तो कभी दूसरे मद को । इसमें कोई एक निश्चित क्रम नहीं हैं ।

अब हम माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 के सुदृढ़ीकरण पर किये जाने वाले व्यय का उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विवरण प्रस्तुत करेंगे ।

सारणी 5.21

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के सुदृढ़ीकरण पर वास्तविक व्यय

(सन् 1975-76 से 1983-84 तक) (रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1.	1975-76	19,69,089	..	19,69,089
2.	1976-77	7,19,275	..	7,19,275

क्रमशः सारणी 5.21

3.	1977-78	7,94,527	..	7,94,527
4.	1978-79	8,13,000	..	8,13,000
5.	1979-80	1,56,000	..	1,56,000
6.	1980-81	1,18,000	..	1,18,000
7.	1981-82	2,82,000	..	2,82,000
8.	1982-83	4,92,000	..	4,92,000
9.	1983-84	4,15,000	..	4,15,000

स्त्रोत :- उत्तर प्रदेश शासन के व्यय के ब्योरेवार अनुमान

(शिक्षा विभाग) सम्बन्धित वर्षों के

निदेशक :- मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ उत्तर प्रदेश (भारत)

सारणी देखने पर ज्ञात होता है कि परिषद् के सुदृढ़ीकरण पर सन् 1975-76 में कुल 19,69,089 रूपये व्यय हुये । इन मदों पर व्यय राशि विभिन्न वर्षों में घटती बढ़ती रही है । सन् 1980-81 में इस पर सिर्फ 1,18,000 रूपये व्यय हुये जो 1975-76 से 1983-84 के बीच सबसे कम है । इसी बीच सुदृढ़ीकरण पर सर्वाधिक व्यय 1975-76 में किया गया । सारणी से यह भी स्पष्ट है कि सुदृढ़ीकरण पर किया गया उपरोक्त व्यय आयोजनागत है । आयोजनेत्तर व्यय के रूप में इनमें से किसी भी वर्ष व्यय नहीं हुआ ।

प्रतिपरीक्षार्थी औसत-व्यय :-

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में सम्मलित परीक्षार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि होती आयी है और अभी भी हो रही है । परिषद् पर जितना व्यय किया जाता है उसमें से एक परीक्षार्थी पर औसतन कितना भाग खर्च होता है इसकी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है । इस तथ्य से परिषद् पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी । इससे यह पता चलेगा कि परिषदीय परीक्षाओं में जिस अनुपात से परीक्षार्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुयी है उसी अनुपात में परिषद् पर व्यय बढ़ाया गया है या नहीं ? हम परिषद् की स्थापना से लेकर सन् 1990-91 तक की इकाई लागत स्वतन्त्रता के पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात् दो भागों में ज्ञात करेंगे :-

सारणी 5.22

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 का प्रति-परीक्षार्थी औसत-व्यय

स्वतंत्रता के पूर्व (सन् 1925-26 से 1946-47 तक)

(रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	परिषद् पर कुल व्यय	परिषदीय परीक्षाओं में सम्मिलित कुल परीक्षार्थी	प्रति परीक्षार्थी औसत व्यय
1.	1925-26	1,68,832	8,396	20.11
2.	1930-31	2,17,046	10,972	19.78
3.	1935-36	2,72,075	16,718	16.27
4.	1941-42	3,32,728	23,623	14.08
5.	1945-46	6,14,973	33,508	18.35
6.	1946-47	6,96,209	37,664	18.48
	गुणावृद्धि	4.12	4.49	0.92
	औसत वार्षिक वृद्धि दर	14.87%	16.60%	0.39%

स्त्रोत 1. युनाईटेड प्राविन्सिस् ऑफ आगरा एण्ड अवध के शिक्षा विभाग के बजट (सम्बद्ध वर्षों के)

2. युनाईटेड प्राविन्सिस् के शिक्षा विभाग के बजट (सम्बद्ध वर्षों के)

लखनऊ; प्रिंटिंग एट दि गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस

3. शिक्षा की प्रगति (सम्बन्धित वर्षों की)

इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0

सारणी से स्पष्ट है कि सन् 1925-26 में प्रति परीक्षार्थी औसत व्यय 20.11 रूपये था यह सन् 1941-42 तक लगातार घटता गया और 1941-42 में मात्र 14.00 रूपये रह गया इसके बाद यह सन् 1945-46 में बढ़कर 18.35 रूपये तक पहुँच गया । इससे स्पष्ट है कि परिषद पर प्रति परीक्षार्थी जितना व्यय स्थापना काल में होता था स्वतंत्रता पूर्व तक उसे ही कायम नहीं रखा जा सका जबकि इस अवधि में महँगाई भी काफी बढ़ गयी होगी ।

सारणी से यह तो स्पष्ट होता है कि सन् 1925-26 की तुलना में परिषद् का व्यय सन् 1946-47 में बढ़कर लगभग 4 गुना हो गया लेकिन चूंकि इस अवधि में परीक्षार्थियों की संख्या भी चाढ़े गुना हो गयी । इससे प्रति परीक्षार्थी औसत व्यय में कमी आ गयी ।

में औसत वार्षिक वृद्धि दर 14.87 प्रतिशत रही जबकि इसी बीच परीक्षार्थियों की संख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 16.60 प्रतिशत रही जिससे इस अवधि में प्रति परीक्षार्थी औसत व्यय बढ़ने के वजाय0.39% की वार्षिक दर से गिरता गया ।

अब हम स्वतन्त्रोपरान्त प्रति परीक्षार्थी औसत व्यय का विवेचन करेंगे ।

सारणी 5.23

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,उ0 प्र0 का प्रति-परीक्षार्थी औसत-व्यय

स्वतंत्रता के पश्चात् (सन् 1947-48 से सन् 1990-91 तक)

(रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	परिषद् पर कुल व्यय	परिषदीय परीक्षाओं में सम्मलित कुल परीक्षार्थी	प्रति परीक्षार्थी औसत व्यय
1.	1947-48	9,67,766	45,632	21.21
2.	1950-51	21,63,057	88,665	24.40
3.	1955-56	56,71,344	2,77,547	20.43
4.	1960-61	71,63,131	3,11,913	22.97
5.	1965-66	1,08,41,398	4,27,634	25.35
6.	1970-71	1,32,28,500	7,50,923	17.62
7.	1975-76	4,40,19,590	9,94,196	44.28
8.	1980-81	6,56,81,000	13,50,496	48.63
9.	1985-86	8,68,30,000	16,36,272	53.07
10.	1990-91	16,92,17,000	23,54,617	71.87
	गुणावृद्धि	174.85	51.60	3.39
	औसत वार्षिक वृद्धिदर	404.31%	117.67%	5.55%

स्त्रोत:—

1. सारणी क्रमांक 5.9
2. 'शिक्षा की प्रगति' (सम्बन्धित वर्षो की)

   इलाहाबाद - शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश

सारणी से स्पष्ट है कि सन् 1947-48 में परिषद् पर जितना व्यय किया गया उससे प्रति परीक्षार्थी औसत व्यय 21 रूपये 21 पैसे पड़ा । सन् 1950-51 में प्रति परीक्षार्थी औसत व्यय बढ़कर 24 रूपये 40 पैसे हो गया लेकिन सन् 1955-56 में यह पुनः घटकर 20 रूपये 43 पैसे हो गया । इसका कारण सन् 1950-51 की तुलना में 1955-56 में परीक्षार्थियों की संख्या में हुयी काफी अधिक वृद्धि रही जिससे परिषद् पर सन् 1950-51 की तुलना में 1955-56 में अधिक व्यय करने के बाद भी प्रति परीक्षार्थी औसत व्यय घट गया । सन् 1965-66 में प्रति परीक्षार्थी औसत व्यय बढ़कर 25 रूपये तक पहुँच गया लेकिन सन् 1970-71 में पुनः यह एकदम घटकर 17.62 रूपये हो गया इस बार भी इसका मुख्य कारण 1970-71 में 1965-66 की तुलना में परीक्षार्थियों की भारी वृद्धि रही । सन् 1975-76 में परिषद् पर तुलनात्मक दृष्टि से काफी अधिक व्यय किये गये जिससे प्रति परीक्षार्थी औसत व्यय बढ़कर 44 रूपये 28 पैसे हो गया । सन् 1976-77 के बाद से यह लगातार बढ़ता रहा और सन् 1990-91 में यह 71 रूपये 87 पैसे हो गया । यह सन् 1947-48 की तुलना में 3.39 गुना है ।

परिषद् के कुल व्यय में सन् 1947-48 से 1990-91 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर 40[illegible].31 प्रतिशत रही और परीक्षार्थियों की संख्या में इस अवधि में यह दर 117.67 प्रतिशत रही । इस अवधि में प्रति परीक्षार्थी औसत व्यय में 5.55 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि-दर रही ।

अब हम माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश पर होने वाले व्यय की तुलना, प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा पर व्यय तथा प्रदेश में शिक्षा पर कुल व्यय से करेंगे ।

सारणी 5.24

उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर व्यय, माध्यमिक शिक्षा पर व्यय तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् पर व्यय

स्वतंत्रता के पश्चात् (सन् 1947-48 से 1985-86 तक)

(रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	माध्यमिक शिक्षा पर व्यय	शिक्षा पर कुल व्यय	माध्यमिक शिक्षा परिषद् पर व्यय		
				राशि	शिक्षा पर कुल व्यय में प्रतिशत	माध्यमिक शिक्षा पर व्यय में प्रतिशत
1.	1947-48	2,20,11,000	9,05,39,000	9,67,766	1.07	4.40
2.	1950-51	4,00,26,000	16,33,24,000	21,63,057	1.32	5.40
3.	1955-56	6,48,09,000	25,55,85,000	56,71,344	2.22	8.75

क्रमशः सारणी 5.24

4.	1960-61	9,47,84,000	39,89,24,000	71,63,131	1.80	7.56
5.	1965-66	16,51,77,000	72,16,10,000	1,08,41,398	1.50	6.56
6.	1970-71	29,18,22,000	1,15,33,21,000	1,32,28,500	1.15	4.53
7.	1975-76	63,08,05,000	2,54,86,20,000	4,40,19,590	1.73	7.00
8.	1980-81	1,30,55,69,000	4,43,38,79,000	6,56,81,000	1.48	5.03
9.	1985-86	2,32,70,60,000	8,09,98,44,000	8,68,30,000	1.07	3.73

स्रोत :— 1. "एनुअल रिपोर्ट आन दि प्रोग्रेस ऑफ एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश"(सम्बन्धित वर्षों की)
इलाहाबाद, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस

2. आय-व्ययक(सम्बन्धित वर्षों के)
उत्तर प्रदेश शासन

3. सारणी क्रमांक 5.9

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि परिषद् पर सन् 1947-48 में जो व्यय किया गया । वह इसी वर्ष माध्यमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय का 4.4 प्रतिशत तथा कुल शिक्षा पर होने वाले व्यय का 1.07 प्रतिशत था । सारणी से स्पष्ट है कि परिषद् पर जो व्यय किया जाता रहा है उसका उ0 प्र0 में शिक्षा पर होने वाले में प्रतिशत 1% और 2% के मध्य ही रहा है, केवल सन् 1955-56 में यह प्रतिशत 2.22 रहा । माध्यमिक शिक्षा परिषद पर होने वाले व्ययका माध्यमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय में प्रतिशत 4% से 9% के मध्य रहा है ।

माध्यमिक शिक्षा के व्यय में परिषद् के व्यय का प्रतिशत सर्वाधिक 8.75 प्रतिशत सन् 1955-56 में तथा सबसे कम प्रतिशत 3.73 प्रतिशत सन् 1985-86 में रहा है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 में व्यय की प्रवृत्तियाँ :-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् प्रदेश व देश की ही नहीं बल्कि संसार की परीक्षा लेने वाली सबसे बड़ी वैधानिक संस्था है । इसे अधिक सफल एवं सक्षम बनाने के लिये आवश्यक है कि इस पर होने वाले व्यय को आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष बढ़ाया जाय ।

इसकी स्थापना काल से ही लगातार इस परिषद् पर परीक्षार्थियों की संख्या का भार

दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । परिषद् पर होने वाले व्यय से स्पष्ट होता है कि स्वतन्त्रता के पूर्व तथा स्वतन्त्रता के पश्चात् अन्य मदों पर सर्वाधिक व्यय होता रहा है । शुरू के दस वर्षों तक परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनों पर कुल परिषद् व्यय का लगभग 20 प्रतिशत या इससे अधिक व्यय किया गया लेकिन बाद के वर्षों में इस मद पर होने वाला व्यय कुल व्यय का दस प्रतिशत तक ही सीमित रहा है । परिषद् की स्थापना के समय सन् 1922-23 में वेतन पर कुल व्यय का 46.12 प्रतिशत व्यय हुये इसके बाद कभी भी इस मद पर होने वाले व्यय का प्रतिशत 22 प्रतिशत भी नहीं हो पाया ।

परिषद् में व्यय की वर्तमान प्रवृत्तियों के स्पष्टीकरण के लिये हम यहाँ परिषद् पर होने वाले वास्तविक व्यय का पिछले पाँच वर्षों का मदवार विश्लेषण करेंगे, जिससे परिषद् के व्यय की प्रवृत्तियों का विवेचन प्रस्तुत हो सकेगा ।

सारणी 5.25

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश का मदवार वास्तविक व्यय

(सन् 1986-87 से सन् 1990-91 तक)

(हजार रूपयों में)

	मदें	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1.	वेतन	7695	7091	7322	1,18,98	1,79,90
		(7.05)	(6.87)	(4.88)	(8.51)	(10.63)
2.	मजदूरी	2511	2286	2906	4877	2282
		(2.30)	(2.22)	(1.93)	(3.49)	(1.35)
3.	मंहगाई भत्ता	5740	5957	7752	8750	6908
		(5.26)	(5.77)	(5.16)	(6.26)	(4.08)
4.	यात्रा भत्ता	7152	6559	8303	1,00,63	8381
		(6.56)	(6.36)	(5.53)	(7.20)	(4.95)
5.	अन्य भत्ते	(2735)	894	1965	4262	2686
		(2.51)	(0.87)	(1.31)	(3.05)	(1.59)
6.	कार्यालय व्यय	(5777)	(5811)	7002	4167	8460
		(5.30)	(5.63)	(4.66)	(2.98)	(5.00)
7.	टेलीफोन पर व्यय	1,83	1,46	1,27	70	2,48
		(0.17)	(0.14)	(0.08)	(0.05)	(0.15)

क्रमशः सारणी- 2.25

8.	मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	2,00 (0.18)	1,06 (0.10)	1,35 (0.09)	1,17 (0.08)	1,38 (0.08)
9.	किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	28,69 (2.63)	63 (0.06)	65 (0.04)	38 (0.03)	28 (0.02)
10.	प्रकाशन	1,39,00 (12.74)	1,44,61 (14.01)	4,00,00 (26.60)	1,16,56 (8.34)	4,53,25 (26.78)
11.	लघु निर्माण कार्य	9,93 (0.91)	49 (0.05)	53 (0.03)	53 (0.04)	60 (0.03)
12.	अनुरक्षण	20 (0.02)	24 (0.03)	23 (0.01)	2,38 (0.17)	36 (0.02)
13.	अन्तिरिम सहायता	3,20 (0.29)	18,39 (1.78)	23,94 (1.59)	1,34,51 (9.62)	...
14.	कार्यालय के प्रयोग के लिये स्टाफकारों की खरीद तथा अन्य गाड़ियों का क्रय	...	...	...	...	1,66 (0.10)
15.	अन्य व्यय	5,91,90 (54.26)	5,79,00 (56.11)	7,23,13 (48.09)	7,01,10 (50.18)	7,65,09 (45.22)
	योग माध्यमिक शिक्षा परिषद्	10,90,85 (100)	10,31,86 (100)	15,03,60 (100)	13,97,50 (100)	16,92,17 (100)

नोट :- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित राशि का कुल व्यय में प्रतिशत दर्शाया गया है ।

स्त्रोत :- 1. उत्तर प्रदेश शासन के व्यय के ब्योरेवार अनुमान (शिक्षा विभाग)
(सम्बद्ध वर्षों के)
निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ
उत्तर प्रदेश (भारत)

उपरोक्त सारणी देखने से विदित होता है कि परिषद् के कुल व्यय में अन्य व्यय नामक मद पर सन् 1986-87 से 1989-90 तक प्रत्येक वर्ष लगभग 50 प्रतिशत व्यय होता रहा है सन् 1990-91 में यह घटकर 45 प्रतिशत के आस पास आ गया । वेतन पर होने वाले व्यय को देखने से मालूम चलता है कि सन् 1986-87 में इस मद पर कुल व्यय का 7.05 प्रतिशत व्यय किया गया जो 1988-89 में घटकर 4.88 प्रतिशत रह गया । इसके बाद 1989-90 में यह प्रतिशत बढ़कर 8.51 तथा सन् 1990-91 में 10.63 प्रतिशत हो गया । फिर भी इस मद के सम्बन्ध

में यह कहा जा सकता है कि इस पर कुल व्यय का 10 प्रतिशत के नीचे या आस पास ही व्यय किया जा रहा है । इस मद पर और अधिक व्यय करने की जरुरत है क्योंकि परिषद् के कार्यालय में कर्मचारियों की कमी से परिषद् सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती है ।

भत्तों पर जो व्यय किया जाता है उसमें यात्रा भत्ता, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते सम्मलित होते हैं इनका अलग अलग विवरण उपरोक्त सारणी से प्राप्त हो रहा है । भत्तों पर व्यय की जाने वाली धनराशि का कुल व्यय में प्रतिशत इन पाँच वर्षों में 10 प्रतिशत से अधिक ही रहा है । वेतन पर होने वाले खर्च के प्रतिशत से भत्तों पर खर्च का प्रतिशत अधिक हैं इससे स्पष्ट हैं कि परिषद् में कर्मचारियों को भत्तों के रूप में पर्याप्त धनराशि प्रदान की जा रही है ।

कार्यालयीय व्यय पर नजर डालने से स्पष्ट है कि इस मद पर सन् 1989-90 को छोड़ इन पांच वर्षो में कुल व्यय का लगभग 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष खर्च किया गया है ।

प्रशासन पर सन् 1986-87 से 1990-91 के बीच सन् 1989-90 को छोड़कर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत से अधिक व्यय किये गये । इस मद पर व्यय राशि का कुल परिषदीय व्यय में सर्वाधिक प्रतिशत 26.78 सन् 1990-91 में रहा तथा सबसे कम प्रतिशत 8.34 सन् 1989-90 में रहा है ।

सारणी से यह भी स्पष्ट है कि अनुरक्षण, लघु निर्माण कार्य एवं मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण पेट्रोल आदि की खरीद नामक मदों पर इन वर्षो में कभी भी कुल परिषदीय व्यय का 1 प्रतिशत भी खर्च नहीं किया गया । हमेशा 1% से कम खर्च किया गया ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इन पिछले पाँच वर्षों में परिषद् पर जो व्यय हुआ उसमें से लगभग पचास प्रतिशत प्रतिवर्ष ऐसी मदों पर खर्च हुआ जिनका विवरण उपरोक्त वर्णित मदों से भिन्न हैं । इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि इस व्यय की मदें प्रतिवर्ष लगभग परिवर्तित स्वरूप वाली होगी जिस कारण उसे स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया जा सकता है ।

(ग) आय-व्यय की विवेचना :-

माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय तथा उसका विभिन्न मदों पर किये गये व्यय का विवरण सारणी क्रमांक 5.1 से 5.7 के मध्य प्रस्तुत किया गया है । परिषद् की आय स्वतन्त्रता के पहले तथा स्वतंत्रता के बाद उपलब्ध आंकड़ो के आधार पर दिखाई गयी है । सारणी क्रमांक 5.1 से ज्ञात होता है कि परिषद् की आय सन् 1926-27

में 1,96,929 रूपये थी जो सन 1946-47 में बढ़कर 8,62,881 रूपये हो गयी । इस प्रकार यह 20 वर्षों में 4.3 गुना हो गयी । इस समयावधि में आय की औसत वार्षिक वृद्धि-दर 16.91 प्रतिशत रही ।

स्वतन्त्रता के ठीक बाद सन् 1947-48 में परिषद् की कुल आय 10,43,916 रूपये थी । यह सन् 1985-86 में बढ़कर 8,31,68,267 रूपये हो गयी जो सन् 1947-48 की तुलना में लगभग 80 गुना है । इस प्रकार हम देखते है कि स्वतन्त्रता के पूर्व की अपेक्षा स्वतन्त्रता के पश्चात् आय में वृद्धि तीव्र गति से हुयी है । इसका कारण स्वतन्त्रता के बाद सरकार द्वारा शिक्षा पर विशेषध्यान दिये जाने से परिषद् की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुयी, जिससे परिषद् को शुल्क से प्राप्त धनराशि से काफी आय प्राप्त होने लगी ।

सन् 1936-37 में परिषद् को जो आय प्राप्त हुयी उसमें 99.6 प्रतिशत भाग शुल्क से तथा 0.4 प्रतिशत भाग अन्य स्त्रोतों से प्राप्त हुआ । राज्य सरकार से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुयी । सन् 1947-48 में परिषद् की सम्पूर्ण आय शुल्क से ही प्राप्त हुयी । इससे स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता पूर्व तथा स्वतन्त्रता के कुछ वर्षों बाद भी परिषद् को अपनी आय का लगभग पूरा का पूरा भाग शुल्क से ही प्राप्त होता था । सारणी 5.7 से यह स्पष्ट होता है कि सन् 1979-80 में परिषद् की आय में 21.38 प्रतिशत भाग अक्षय निधि तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त हुआ तथा 64.67 प्रतिशत भाग शुल्क से एवं 13.95 प्रतिशत भाग राज्य सरकार से प्राप्त हुआ । सन् 1985-86 में राज्य सरकार से परिषद् की आय का 9.63 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ ।

परिषद् के व्यय का विवरण सारणी क्रमांक 5.8 से लेकर सारणी क्रमांक 5.25 तक प्रस्तुत किया गया है । परिषद् का व्यय स्वतन्त्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के पश्चात् अलग अलग दिखाया गया है । स्वतन्त्रता के पूर्व परिषद् का व्यय सन् 1922-23 (परिषद् की स्थापना का वर्ष) में 41,136 रूपये था जो लगातार बढ़ते-बढ़ते सन् 1946-47 में 6,96,209 रूपये हो गया यह सन् 1922-23 की तुलना में 16.9 गुना है । इस बीच परिषद् के व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि-दर 66.35 प्रतिशत रही । इसी प्रकार स्वतन्त्रता के पश्चात् सन् 1947-48 में परिषद् पर कुल 9,67,766 रूपये व्यय किये गये यह व्यय सन् 1990-91 में लगातार बढ़ते-बढ़ते 16,92,17,000 रूपये हो गया जो सन् 1947-48 की तुलना में लगभग 175 गुना है । सन् 1947-48 से 1990-91

के मध्य व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि-दर 404.31 प्रतिशत रही ।

सारणी क्रमांक 5.16 तथा 5.17 से स्पष्ट है कि परिषद् के व्यय में वेतन पर व्यय का हिस्सा सन् 1922-23 में 46.12 प्रतिशत था जो सन् 1965-66 में घटकर मात्र 6.01 प्रतिशत रह गया । इसके बाद यह बढ़ना प्रारम्भ हुआ और सन् 1990-91 में 10.63 प्रतिशत हो गया । उपरोक्त सारणियों से स्पष्ट है कि अन्य मदों में खर्च सर्वाधिक रहा है । सन् 1947-48 में यह कुल व्यय का 86.61 प्रतिशत था और सन् 1990-91 में 78.75 प्रतिशत ।

सारणी क्रमांक 5.22 तथा 5.23 से स्पष्ट है कि परिषद की स्थापना के समय सन् 1925-26 में प्रति-परीक्षार्थी औसत-व्यय 20 रूपये के लगभग था जो सन् 1970-71 तक लगभग इतना ही बना रहा इसके बाद यह बढ़ना शुरू हुआ और सन् 1990-91 में प्रति परीक्षार्थी परिषद् द्वारा औसतन 70 रूपये व्यय किया जाने लगा । परिषद् को मँहगाई में ध्यान रखते हुये अपने इस इकाई व्यय में बढ़ोत्तरी करना चाहिये इसके लिये आय की व्यवस्था राज्य सरकार को भी करना हिये तथा परिषद् को अपनी शुल्क में वृद्धि करना चाहिये ।

उपरोक्त विवरण के पश्चात् अब हम परिषद् की स्थापना से लेकर वर्तमान तक के उपलब्ध आकड़ों के आधार पर आय व्यय की अलग अलग समितियां बनाकर परिषद के आय व्यय की विवेचना प्रस्तुत करेंगे :-

सारणी 5.26

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की आय

सन् 1926-27 से 1985-86 तक

(रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	परिषद् की कुल आय	गुणावृद्धि	वृद्धि-सूचकांक	औसत वार्षिक वृद्धि-दर
1.	1926-27	1,96,929	1	100	
2.	1930-31	2,22,020	1.1	113	3.19%
3.	1940-41	4,15,338	2.1	211	8.71%
4.	1950-51	28,45,098	14.4	1445	58.50%
5.	1960-61	71,95,125	36.5	3654	15.29%

क्रमशः सारणी 5.26

6.	1976-77	5,27,28,428	267.7	26775	39.55%
7.	1980-81	6,66,31,835	338.3	33835	6.59%
8.	1985-86	8,31,68,267	422.3	42233	4.96%
					714.11%[x]

नोट :- x=यह सन् 1926-27 से सन् 1985-86 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि दर है ।

स्त्रोत :-1. स्टेमेण्ट II फाइनेन्सकमेटी,

इण्टरमीडिएट बोर्ड उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

2. "एनुअल रिपोर्ट ऑन दि प्रोग्रेस ऑफ एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश"(सम्बन्धित वर्षो की)

इलाहाबाद, सुपिरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, उ0 प्र0

3. "एजूकेशन इन इण्डिया" (सम्बद्ध वर्षो की)

नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

सारणी से पता चलता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की सन् 1926-27 में कुल आय 1,96,929 रूपये थी जो सन् 1985-86 में बढ़कर, 8,31,68,267 रूपये हो गयी यह सन् 1926-27 की तुलना में 422 गुना से भी अधिक है । परिषद् की आय की औसत वार्षिक वृद्धि-दर सबसे अधिक सन् 1940-41 से 1950-51 के मध्य के दशक में रही । इस अवधि में यह दर 58.50 प्रतिशत रही । इससे स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परिषद् की आय में आशातीत वृद्धि हुयी । यदि हम सन् 1926-27 से लेकर सन् 1985-86 के मध्य के 59 वर्षो के बीच परिषद् की आय की औसत वार्षिक वृद्धि-दर देखें तो सारणी से ज्ञात होता है कि इस बीच यह 714.11 प्रतिशत रही है ।

इसी प्रकार अब हम परिषद् पर स्थापना काल से लेकर वर्तमान समय (1990-91) तक किये जाने वाले कुल व्यय का विवेचन प्रस्तुत करेंगे ।

सारणी 5.27

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश पर व्यय

(सन् 1922-23 से 1990-91 तक)

(रुपयों में)

क्रमांक	वर्ष	परिषद् पर कुल व्यय	गुणा वृद्धि	वृद्धि-सूचकांक	औसत वार्षिक वृद्धि-दर
1.	1922-23	41,136	1	100	—
2.	1930-31	2,16,946	5.2	527	53.44%
3.	1940-41	2,97,833	7.2	724	3.73%
4.	1950-51	21,63,057	52.5	5258	62.63%
5.	1960-61	71,63,131	174.1	17413	23.12%
6.	1970-71	1,32,28,500	321.5	32158	8.47%
7.	1980-81	6,56,81,000	1596.6	159668	39.65%
8.	1990-91	16,92,17,000	4113.6	411360	15.76%
					6047.94%×

नोट :- ×=यह सन् 1922-23 से सन् 1990-91 के मध्य औसत वार्षिकवृद्धि-दर है ।

स्त्रोतः-सारणी क्रमांक 5.8, 5.9 तथा 5.22

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि परिषद् पर सन् 1922-23 में कुल 41,136 रूपये व्यय किये गये । यह वर्ष परिषद् की स्थापना वर्ष था । स्थापना के 8 साल पश्चात् ही सन् 1930-31 में यह बढ़कर 2,16,946 रूपये हो गया । इस प्रकार प्रथम आठ वर्षो में यह 5 गुना से भी अधिक हो गया । परिषद् पर सन्1940-41 में 2,97,833 रूपये व्यय किया गया जबकि स्वतन्त्रता के पश्चात् सन् 1950-51 में यह बढ़कर 21,63,057 रूपये हो गया । इस प्रकार जो व्यय सन् 1940-41 में स्थापना काल के व्यय से मात्र 7 गुना के लगभग था वह सन् 1950-51 में लगभग 53 गुना हो गया । इसके बाद व्यय की राशि में लगातार वृद्धि होती गयी क्योंकि परिषद् की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ते रहने से उसका लगातार विस्तार होता रहा । सन् 1990-91 में परिषद् पर कुल सोलह करोड़ बनावे लाख सत्रह हजार रूपये व्यय किये गये जो सन् 1922-23 की तुलना में 4113.6 गना है ।

परिषद् के व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि दर सन् 1922-23 से सन् 1930-31 के मध्य 53.44 प्रतिशत रही इससे साफ नजर आता है कि शुरू के वर्षों में परिषद् के व्यय में प्रतिवर्ष काफी अधिक गति से वृद्धि हुयी । सन् 1940-41 से 1950-51 के दशक में परिषद् के व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि दर सबसे अधिक 62.63 प्रतिशत रही । परिषद् के व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि दर सबसे कम 3.73 प्रतिशत सन् 1930-31 से सन् 1940-41 के दशक में रही । परिषद् की स्थापना से लेकर सन् 1990-91 तक परिषद् के व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6047.94 प्रतिशत रही है ।

उक्त विवेचन के पश्चात् यह अनुमान सहज ही लग जाता है कि परिषद् का स्थापना काल से ही विस्तार होता चला आ रहा है । इसकी आय के आँकड़े बताते हैं कि परीक्षार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष तीव्रगति से वृद्धि हो रही है , जिससे परिषद् को शुल्क से प्राप्त होने वाली धनराशि लगातार बढ़ रही है । परिषद् पर व्यय भी तीव्रगति से बढ़ रहा है ।

..——————..

षष्ठ अध्याय

परीक्षा की प्रबन्ध-व्यवस्था

शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है । आधुनिक युग में शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है । बढ़ती हुई छात्र संख्या की शैक्षिकआवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जहाँ एक ओर शैक्षिक सुविधाओं और संसाधनों को जुटाया जा रहा है, वहीं शिक्षक, शिक्षा-अधिकारी एवं अभिभावकों द्वारा यह अनुभव किया जा रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान की सम्प्राप्ति, योग्यता तथा कुशलता की समुचित परीक्षा भी होनी चाहिये इसके द्वारा विद्यार्थियों को अपनी वस्तुस्थिति का पता चल जायेगा, अभिभावकों को अपने बालकों की शैक्षिक प्रगति का स्तर मालूम हो जायेगा और शिक्षकों एवं शिक्षा अधिकारियों को इस बात का ज्ञान हो जायेगा कि छात्रों का स्तर क्या है और भविष्य में उन्हें किस तरह के मार्गदर्शन की जरुरत होगी, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों में किन परिवर्तनों को करना आवश्यक होगा । अभी हाल में ही मूल्यांकन पद्धति पर प्रकाशित प्रतिवेदन में मूल्यांकन के सम्बन्ध में निम्न प्रकाश डाला गया है -

"स्वस्थ मूल्यांकन और परीक्षण यदि सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में सावधानी से नियोजित कर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किये जायें तो इसमें अधिगम स्तर की गुणवत्ता में वृद्धि करने तथा उस स्तर को बनाये रखने में अपेक्षित सहायता मिल सकती है । दूसरी ओर यदि छात्र के मूल्यांकन की अवहेलना की गयी या मूल्यांकन विधा उबाऊ, कठोर, औपचारिक तथा दोषपूर्ण हो तो यह शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले मूल उद्देश्य के लिये हानिकारक एवं घातक सिद्ध हो सकती है[1]।

परीक्षा का अर्थ :-

परीक्षा[2] शब्द प्राचीन समय से ही ज्ञान की परख करने के संदर्भ में प्रयुक्त होता आया है अतएव इसका साहचर्य बौद्धिक सम्पन्नता या उपलब्धियों के जानने के साथ हो गया है इस परम्परागत प्रचलन के कारण इसका अर्थ सीमित सा हो गया है । यह मूल्यांकन तो है किन्तु केवल ज्ञानात्मक क्षेत्र का । इस संकुचित अर्थ के कारण ही अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के परीक्षण एवं मूल्यांकन विभाग के अध्यक्ष डॉ0 बी0 एस0 ब्लूम तथा अन्य शिक्षाविदों का मत है कि 'परीक्षा' या 'परीक्षण' शब्दों से केवल ज्ञान की मात्रा और उसके परिणाम को जानने का ही बोध होता है अतएव उसके स्थान पर मूल्यांकन जैसा व्यापक शब्द का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त होगा । मूल्यांकन न केवल शिक्षा की उपलब्धियों को जाँचने की एक प्रक्रिया है उसमें उन उपलब्धियों की न्यूनता

---

1. डा0 आर0 एच0 दबे, 'मिनिमम लेवेल्स ऑफ लर्निंग'
   नई दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 1991
2. आत्मानन्द मिश्र, 'नव्य शिक्षण कला'
   कानपुर, ग्रन्थम 1979, पृष्ठ 419

और उनके कारण जानने तथा उसको उन्नत बनाने के भाव भी सन्निहित हैं । इस प्रकार परीक्षा या परीक्षण विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति में केन्द्रीभूत होती है जबकि मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों का विश्लेषण कर उनकी प्राप्ति पर पर्यावरण की शक्तियों का प्रभाव भी आंकता है ।

वर्तमान समय में हमारे देश में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की जानकारी के लिये जो साधन अपनाये जाते हैं, उन्हें परीक्षा के नाम से सम्बोधित किया जाता है । परीक्षा के अर्थ के सम्बन्ध में डा0 आत्मानन्द मिश्र के निम्न तीन बिन्दु[3] महत्वपूर्ण हैं :-

(1) यह एक प्रकार का नियत कार्य है जिसे परीक्षार्थियों को भविष्य की किसी निश्चित तिथि पर यथासम्भव अच्छी तरह करना होता है ।

(2) यह योग्यता तथा उपलब्धि के स्तर का किसी विशिष्ट पद्धति, प्रक्रिया या रीति से मूल्यांकन है ।

(3) यह किसी व्यक्ति के वास्तविक गुण, योग्यता, शक्ति, उपलब्धि आदि जानने का कार्य है ।

परीक्षा का अर्थ स्पष्ट करने के बाद अब हम उसके महत्व एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालेंगे ।

परीक्षा का महत्व एवं आवश्यकता :-

आधुनिक शिक्षा जगत में परीक्षाओं का महत्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है । विद्यालयीय जीवन के प्रत्येक स्तर पर परीक्षाओं से सहायता मिलती है । परीक्षाओं द्वारा ही विद्यालयों की उन्नति या अवनति का पता लगाया जाता है । परीक्षा शिक्षा के तीन पक्षों शिक्षार्थी, शिक्षक तथा पाठ्यवस्तु की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं । शिक्षार्थी को परीक्षा के माध्यम से इस बात की जानकारी मिल जाती हैं कि उसने कितना अर्जन किया है तथा कितना अर्जित करना शेष है, शिक्षक को अपने शिक्षण की सफलता या असफलता का ज्ञान हो जाता है । पाठ्यक्रम की दृष्टि से परीक्षाओं का महत्व इस लिये हैं कि परीक्षाओं के माध्यम से ही यह पता लगता है कि किसी कक्षा या समूह विशेष के लिये जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, वह उसके अनुरूप है या उनके स्तर से अत्यधिक कठिन या अत्यधिक सरल हैं । छात्रों को कक्षोन्नति देने में परीक्षाओं का विशेष महत्व रहता है । परीक्षायें, पठनपाठन और सीखने की प्रक्रिया को आवश्यक प्रेरणा प्रदान करतीं हैं । शैक्षिक पाठ्यक्रम एवं विद्यालय की समय सारणी

---

3. डॉ0 आत्मानन्द मिश्र, 'शिक्षा कोश'
   कानपुर, ग्रन्थम 1977

आदि परीक्षाओं के अनुकूल ही निर्मित की जाती है ताकि विद्यार्थी परीक्षा के विभिन्न विषयों में अपने को अच्छी तरह तैयार कर सकें । वर्तमान सभय में परीक्षाओं का शैक्षिक महत्व के साथ ही साथ सामाजिक महत्व भी बढ़ता जा रहा है । कार्यरूप में एक व्यक्ति जितनी परीक्षायें उत्तीर्ण कर लेता है सामाजिक दृष्टि से वह उतना ही शिक्षित समझा जाता है । परीक्षा परिणाम या उपलब्ध अंकों का प्रतिशत सामाजिक सम्मान प्राप्त करने का एक प्रबल साधन बन गया है । परीक्षा प्रमाणपत्रों के आधार पर ही उच्च कक्षा में प्रवेश, व्यवसायिक पद की प्राप्ति तथा समाज में आदर प्राप्त होने लगा है । परीक्षाओं के उक्त महत्व के कारण ही शिक्षा में परीक्षाओं की आवश्यकता उपलब्ध मानक व्यक्तियों का चयन करने, प्रेरणा प्रदान करने तथा उपचार, पूर्वानुमान या भविष्य कथन करने में पड़ती है ।

उपर्युक्त विवेचन से परीक्षा का महत्व एवं आवश्यकता स्वयं स्पष्ट हो जाती है परन्तु वर्तमान परीक्षा प्रणाली में इतने अधिक दोष पैदा हो गये हैं कि उसका महत्व निरन्तर घटता जा रहा है । उनकी विश्वसनीयता तथा वैधता पर संदेह होने लगा है । प्रचलित परीक्षा प्रणाली में व्यापकता, विभेदकारिता एवं व्यावसायिकता का नितांत अभाव दिखाई पड़ता है । सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था परीक्षकों के हाथ की कठपुलती बन गयी है । अध्ययन अध्यापन की सारी प्रक्रिया परीक्षाओं के अनुकूल बनती जा रही है ।

आजकल विषय का ज्ञान प्राप्त करना विद्यार्थी के लिये उतना आवश्यक नहीं है जितना की उस विषय में परीक्षा उत्तीर्ण करना । परिणामस्वरूप आज का विद्यार्थी समुदाय येन-केन प्रकारेण उत्तीर्ण करना अपना ध्येय समझते लगा है, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा नकल विरोधी अध्यादेश जारी कर देने से जहाँ एक ओर अधिकांश परीक्षार्थी परीक्षा में असफल हुये हैं वहीं दूसरी ओर इससे निकट भविष्य में परीक्षा का वास्तविक वातावरण तैयार होगा । आज परीक्षा उत्तीर्ण कर नौकरी प्राप्त करना हमारा उद्देश्य बन गया हैं ।

परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना विद्यार्थियों के लिये आघातकारी अभिभावकों के लिये निराशाप्रद तथा अध्यापकों को सामान्य व्यापक अध्यापन का ढंग त्याग कर निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिये बाध्य कर देता है । आत्मानन्द मिश्र[4] के शब्दों, "आज परीक्षाओं की स्थिति बड़ी भ्रमपूर्ण हो गयी है और सांख्यिकी ने उसके कोढ़ में खाज पैदा कर दी है । सभी मानते हैं कि यह परिस्थिति सुधर

---

4. आत्मानन्द मिश्र, "शिक्षा की समस्यायें"
भोपाल, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी मध्य प्रदेश, 1978 पृष्ठ-45

सकती है और सुधारना भी चाहिये किन्तु कोई भी निश्चित रूप से नहीं बता पाता कि क्या करना चाहिये"।

वर्तमान में अनेक प्रकार की परीक्षायें प्रचलित हैं। यहाँ पर परीक्षाओं के मुख्य प्रकारों का वर्णन किया जा रहा है।

परीक्षा के प्रकार :-

परीक्षाओं का उपयोग विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि की जानकारी के लिये, नौकरी के लिये, उच्च कक्षा में प्रवेश के लिये आदि में किया जाता है। सामान्यता यह परीक्षायें तीन प्रकार की होती है[5] :-

1. मौखिक परीक्षा
2. लिखित परीक्षा और
3. प्रायोगात्मक परीक्षा।

इनका वर्णन निम्न प्रकार है।

1. मौखिक परीक्षा :-

मौखिक परीक्षाओं का प्रवर्तक ग्लेडाइट्स को माना जाता है। उसके बाद युनानी दार्शनिक सुकरात ने मौखिक परीक्षाओं का प्रयोग किया। मौखिक परीक्षाओं में जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्न या उत्तर लिखे न जाकर केवल मुँह से बोले जाते हैं। इन परीक्षाओं का उद्देश्य बालकों की तुरन्त अभिव्यक्ति तथा क्रियाशीलता की जाँच करना होता है। इसमें प्रत्युत्पन्न मति, तीव्र स्मरण-शक्ति और ज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग की परख होती है। परीक्षार्थी को बिना घबराये साहसपूर्वक अपनी समस्त योग्यताओं का तुरन्त प्रयोग करना पड़ता है। प्रश्नों के उत्तर मिलने पर परीक्षक, परीक्षार्थी के सम्बन्ध में अपना मत स्थिर कर लेता है तदनुसार उसका मूल्यांकन करता है। आजकल इन परीक्षाओं का प्रयोग उच्चकक्षाओं में प्रवेश देने, साक्षात्कार तथा शास्त्रार्थ आदि में होता है। इन परीक्षाओं द्वारा बालकों के व्यक्तिगत गुणों तथा अवगुणों की जाँच होती है परन्तु मौखिक परीक्षाओं में शर्मीले बालक अपनी योग्यता का खुलकर प्रदर्शन नहीं कर पाते। इन परीक्षाओं में वैयक्तिकता की मात्रा अधिक होती है, अतएव इस परीक्षा पर विश्वास कम होता जा रहा है।

---

5. आत्मानन्द मिश्र, "ए पेपर एबाउट एग्जामिनेशन"

2. लिखित परीक्षा :-

लिखित परीक्षायें, मौखिक परीक्षाओं के बाद प्रारम्भ हुयी । इन परीक्षाओं का जन्म चीन में हुआ था । तद्उपरान्त विश्व के अन्य देशों में इसका प्रसार हुआ । इन परीक्षाओं के प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी लिखित रूप में देता है । रचना के आधार पर यह परीक्षा तीन प्रकार की होती है -

(अ) निबन्धात्मक,

(ब) लघु उत्तर और

(स) वस्तुनिष्ठ ।

इन तीनों का वर्णन निम्न प्रकार है ।

(अ) निबन्धात्मक :-

इन परीक्षाओं में परीक्षार्थियों से प्रश्नों के उत्तर निबन्ध रूप में लिखवाये जाते हैं इन परीक्षाओं का प्रयोग बालक के ज्ञान, अभिव्यक्ति, सामग्री संकलन, तार्किक शक्ति आदि की जाँच करने के लिये किया जाता है ।

इन परीक्षाओं को अधिक विश्वसनीय नही माना जाता क्योंकि परीक्षायें परीक्षकों की मनः स्थिति, योग्यता एवं दर्शन, पाठ्य सामग्री का न्यादर्श, अंक देने की विधि आदि तत्वों से अधिक प्रभावित होतीं हैं । लेकिन यदि बालक की सृजनात्मक योग्यता का आकलन करना है तो ये परीक्षायें बड़ी ही महत्वपूर्ण होतीं हैं । इसीकारण इनका प्रचलन बना हुआ है ।

(ब) लघु उत्तर परीक्षा :-

इन परीक्षाओं में कई छोटे-छोटे प्रश्न होते हैं और उनके लगभग निश्चित उत्तर होते हैं । इनके उत्तर लिखित रूप में दिये जाते हैं । लघु उत्तर परीक्षा में कम समय में अधिक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किये जाते हैं । इन में बालक की तर्कशक्ति तथा स्मरण शक्ति का प्रयोग होता है । इसमें नकल की सम्भावना कम रहती है । आज कल इन परीक्षाओं को निबन्धात्मक परीक्षाओं के साथ-साथ सम्मलित करने का प्रचलन है ।

(स) वस्तुनिष्ठ परीक्षा :-

इन परीक्षाओं में एक प्रश्न के कई सम्भावित उत्तर दिये रहते हैं उनमें से सिर्फ

एक उत्तर सही होता है परीक्षार्थी को उक्त उत्तर को चिन्हित करना होता है । इन परीक्षणों की एक उत्तर कुंजी होती है । इन परीक्षाओं की उत्तर पुस्तक चाहें जितने परीक्षकों को अलग-अलग जाँचने के लिये दी जाये सभी द्वारा प्राप्त अंक एक समान ही होते हैं । इन परीक्षाओं की विश्वसनीयता तथा वैधता अधिक होती है । इस तरह की परीक्षाओं के प्रश्न पुर्नस्मरण, पहिचान, बहुविकल्प, युगलीकरण, पूर्तिकरण आदि तरह के होते हैं । इन परीक्षाओं का उपयोग विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नौकरी में प्रवेश आदि में अधिक होता है ।

3. प्रायोगिक परीक्षा :-

इन परीक्षाओं में ज्ञान के प्रयोगात्मक पक्ष कौशल, हस्तादि प्रयोग तथा कार्य चातुर्य का परीक्षण किया जाता है । इस तरह की परीक्षाओं का उपयोग रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल तथा शिक्षण कला आदि में किया जाता है । प्रयोग के समय मौखिक परीक्षा भी ली जा सकती है जिससे क्रियायों के सैद्धान्तिक पक्ष को समझने की भी जाँच होती है ।

इस तरह वर्तमान परीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत उपर्युक्त तीन प्रकार की परीक्षायें ही अधिक प्रचलित हैं । इन परीक्षाओं का उपयोग सभी विद्यालयों में त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं में होता है । कुछ कक्षाओं की परीक्षायें तो विद्यालय के शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक द्वारा ही सम्पन्न की जाती हैं, जिन्हें आन्तरिक या गृह परीक्षायें कहा जाता है।

परीक्षाओं के प्रकारों का वर्णन करने के बाद अब हम प्रचलित परीक्षा प्रणाली के इतिहास का संक्षेप में वर्णन करेंगे ।

परीक्षा प्रणाली का इतिहास :-

वर्तमान समय में भारत वर्ष में जो परीक्षायें प्रचलित हैं उन्हें निबन्धात्मक परीक्षायें कहा जाता है । सर्वप्रथम ईसा से 2,200 वर्ष पूर्व चीन[6] में राज्य के अफसरों का चयन करने के लिये लिखित परीक्षाओं की व्यवस्था की गयी थी । इससे चीनी संस्कृति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा क्योंकि एक ओर तो सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में एक ही प्रकार की व्यवस्थां होने से एकता बनाये रखने में सहायता मिली थी, दूसरे सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिये सबको समान अवसर प्राप्त हुये । चीन के बाद इन परीक्षाओं का प्रयोग इग्लैण्ड में हुआ । तदुपरान्त इसका प्रसार सम्पूर्ण विश्व में धीरे-धीरे हो गया ।

---

6. पी0 एफ0 क्रॅसे, "इन्फ्ल्युएंस ऑफ दि लिट्ट्री एक्जामिनेशन सिस्टम् ऑन दि डिवलपमेंट ऑफ दि चाइनीज सिवलीजेशन"
अमेरिकन जनरल ऑफ सोसलॉजी, 35 सितम्बर, 1929 पेज-259-67

भारत वर्ष में लिखित परीक्षाओं का वृहत प्रयोग सन् 1857 में हुआ जब कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास विश्वविद्यालयों ने, विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के चयन के लिये इन्ट्रेन्स (प्रवेश) परीक्षा प्रारम्भ की थी । पश्चिमोत्तर प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में माध्यमिक स्तर पर परीक्षाओं की शुरूआत कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा सर्वप्रथम 1857 में की गयी । सन् 1883 में हण्टर कमीशन की संस्तुतियाँ आने के बाद इन्ट्रेन्स परीक्षा के स्थान पर स्कूल फाइनल परीक्षा का सुझाव दिया गया । सर्वप्रथम 1894 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा स्कूल फाइनल परीक्षा ली गयी पुनः सन् 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर कमीशन) की अनुसंशाओं के आधार पर सन् 1921 में इस प्रदेश में "इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट" पास किया गया । तदुपरान्त "इलाहाबाद बोर्ड ऑफ हाईस्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन" की स्थापना की गयी । इस बोर्ड को माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम तैयार करने, विद्यालयों को मान्यता देने तथा परीक्षा संचालन का कार्य सौंप दिया गया इस प्रकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय को माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा व्यवस्था के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया । बोर्ड द्वारा मेट्रीकुलेशन तथा सकूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा के स्थान पर हाईस्कूल परीक्षा प्रारम्भ की गयी । यह व्यवस्था वर्तमान में भी चल रही है ।

माध्यमिक स्तर पर परीक्षा व्यवस्था :-

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर परीक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व माध्यमिक शिक्षा परिषद् का है । परिषद् माध्यमिक स्तर के लिये पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है, विद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है तथा परीक्षाओं का आयोजन करती है । परिषद् ही हाईस्कूल परीक्षा तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिये मानक निर्धारित करती है । परीक्षा के लिये शुल्क का निर्धारण करती है । हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिये अलग शुल्क तथा नियम निर्धारित करती है । जिसका विवरण आगे दिया जायेगा । परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय अपने-अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले संभागों में परीक्षा संचालित करते हैं । परीक्षा के सम्बन्ध में निर्णय लेने तथा नियम इत्यादि बनाने के लिये परीक्षा समिति उत्तरदायी होती है, इसका संगठन तथा इसके कर्तव्यों का वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं ।

परीक्षा समिति तथा उसके कर्तव्य[7] :-

परिषद् द्वारा हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं के क्रियान्वयन एवं सफल संचालन के लिये एक परीक्षा समिति का गठन किया जाता है । इस समिति में परिषद के छः सदस्यों का निर्वाचन ऐसी रीति से किया जाता है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 13 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट छः श्रेणियों (जिनमें उन क्षेत्रों का वर्णन है जिनसे परिषद् के सदस्य चुने जाते हैं) में से प्रत्येक श्रेणी का कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व अवश्य हो जाये । परिषद् का सचिव इस समिति का संयोजक होता है ।

परिषद् की स्वीकृति एवं नियंत्रण के अधीन रहते हुये परीक्षा समिति के निम्न लिखित कर्तव्य हैं :-

1. परिषद् की परीक्षाओं का आयोजन करने के लिये तिथियों की संस्तुति करना । लेकिन किसी अप्रत्यासित परिस्थिति या घटना की स्थिति में परीक्षा की किसी तिथि में परिवर्तन करने या किसी विषय या प्रश्नपत्र में फिर से परीक्षा का आयोजन करने का अधिकार परिषद् के अध्यक्ष को है ।
2. परीक्षकों और परिमार्जक बोर्डों की नियुक्ति के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम समिति की संस्तुतियों पर विचार करना तथा परिषद् के अनुमोदन के लिये परीक्षकों और परिमार्जिकों की सूची तैयार करना ।
3. परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिये सारणीयक (टेबुलेटर) और परितुलनकर्ता (कोलेटरों) के रूप में नियुक्ति के लिये व्यक्तियों के नाम की संस्तुति करना ।
4. ऐसे उम्मीदवारों की, जिन पर परिषद् की परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का संदेह या रिपोर्ट हो, उत्तर पुस्तकों के मार्जन के लिये मार्जक के रूप में नियुक्ति के लिये व्यक्तियों के नाम की संस्तुति करना ।
5. परिषद् की परीक्षाओं में प्रवेश की अनुमति के लिये आवेदन करने वाले उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले आवेदन-पत्रों का प्रपत्र विहित करना ।
6. परिषद् की परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों को दिये जाने वाले प्रमाणपत्रों का प्रपत्र विहित करना ।
7. मौखिक एंव क्रियात्मक परीक्षाओं में यदि कोई हों, लिये जाने का ढंग निर्धारित करना ।

---

7. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश "नियम-संग्रह" (1983-88) इलाहाबाद, निदेशक राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0 प्र0 1991 पृष्ठ 185-187

8. परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों और संकलन केन्द्रों को स्थापित करने और तोड़ने के लिये अपनायी जाने वाली नीति के सम्बन्ध में संस्तुति करना । इसमें यह प्रतिबन्ध है कि परीक्षा समिति द्वारा संस्तुत नीति के अनुसार क्षेत्रीय सचिव परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों और संकलन केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक से प्रस्ताव मंगाकर परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों और और संकलन केन्द्रों को स्थापित करेंगे । साथ ही सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों, संकलन केन्द्रों को स्थापित करने के प्रस्ताव, अपने द्वारा निम्नांकित रूप में, अपनी अध्यक्षता में गठित उपसमिति के माध्यम से करेंगे-

(1) सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक,

(2) सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट दो वरिष्ठ प्रधानाचार्य,

(3) मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका ।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह भी है कि सम्भागीय शिक्षा निदेशक द्वारा गठित उपर्युक्त उप समिति द्वारा उपयोग में लाये जाने हेतु जनपद स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक अपने द्वारा निम्नांकित रूप में गठित उप समिति की सहायता से निर्मित करेंगे :

(अ) जिला विद्यालय निरीक्षक - अध्यक्ष

(ब) जिले के दो वरिष्ठतम प्रधानाचार्य - सदस्य

(प्रधानाचार्यों की संस्तुति चक्रानुक्रम से की जायेगी)

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि सचिव को यह शक्ति होगी कि वह किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा एवं परीक्षा कार्यों के सुव्यवस्थित संचालन हेतु किसी परीक्षा केन्द्र, मूल्यांकन केन्द्र तथा संकलन केन्द्र अथवा किन्हीं परीक्षा केन्द्रों, मूल्यांकन केन्द्रों तथा संकलन केन्द्रों में परिवर्तन कर सकता है अथवा उसे/उन्हें तोड़ अथवा नवीन रूप में स्थापित कर सकता है ।

9. परीक्षा समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अनुग्रहांक देने के लिये नियम बनाये ।

10. यह भी कर्तव्य होगा कि उम्मीदवारों को श्रुतिलेखक देने के लिये नियम बनाये ।

11. परिषद् की परीक्षाओं के परीक्षाफल को प्रकाशित करने के लिये प्रबन्ध करना ।

12. किसी दुराचरण या उपेक्षा के लिये दोषी पाये गये परीक्षकों, परिमार्जकों, परितुलन कर्ताओं और मार्जकों को दिये जाने वाले दण्ड के सम्बन्ध में संस्तुति करना ।

---

8. दिनाँक 8 फरवरी 1986 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद् 9/600, दिनाँक 15 जनवरी 1986 द्वारा संशोधित कोटेड इन परिषद् 'नियम-संग्रह' (1983-88), पूर्वोक्त, पृ

13. परीक्षा संचालन से सम्बन्धित अन्य मामलों पर विचार करना और उनपर संस्तुति देना, जो परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किये जायें ।

इन कर्तव्यों के साथ-साथ परीक्षा समिति, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परिषद् की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति के प्रार्थना-पत्र की छानबीन के लिये एक उपसमिति नियुक्त करती हैं ।

वर्तमान में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में चार परीक्षा समितियाँ गठित हैं, जो विभिन्न संभागों का कार्यभार देखरही हैं । एक परीक्षा समिति का गठन इलाहाबाद तथा झाँसी शिक्षा संभागों के लिये दूसरी परीक्षा समिति का गठन वाराणसी, गोरखपुर तथा फैजाबाद शिक्षा संभागों के लिये, तीसरी परीक्षा समिति का गठन बरेली, नैनीताल तथा लखनऊ शिक्षा संभागों के लिये तथा चौथी परीक्षा समिति का गठन मेरठ, आगरा तथा पौढ़ीगढ़वाल शिक्षा संभागों के लिये किया गया है । इन सभी परीक्षा समितियों का संयोजक माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 का सचिव है, जो समितियों का सदस्य सचिव भी है । सचिव के अतिरिक्त प्रत्येक समिति में छः-छः अन्य सदस्य हैं ।

परिषद् द्वारा संचालित परीक्षायें :-

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 स्थापना के समय निम्न लिखित परीक्षायें आयोजित करती थी[9] ।

1. हाई स्कूल परीक्षा,
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा, तथा
3. कॉमर्सियल डिप्लोमा परीक्षा ।

प्रत्येक परीक्षा के लिये निर्धारित विषय निम्न प्रकार थे ।

1. हाईस्कूल परीक्षा :-

परिषद् द्वारा संचालित हाईस्कूल की परीक्षा पाँच विषयों में ली जाती थी, इनमें से चार अनिवार्य विषय तथा एक वैकल्पिक विषय होता था ।

अनविार्य विषय निम्न लिखित थे -

(क) अंग्रेजी

(ख) गणित

(ग) (1) भारत इतिहास तथा अंग्रेजी इतिहास (1485 से)

(2) भूगोल

---

9. कलैण्डर 'वर्ष 1923-24 के लिये'
इलाहाबाद, हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रान्त के प्राधिकार के आधीन प्रकाशित, 1924

(घ) एक भारतीय देशी भाषा

उपरोक्त अनिवार्य विषयों के साथ-साथ निम्न लिखित वैकल्पिक विषयों में से सामान्यता किसी एक का चयन करना पड़ता था :-

(क) निम्न शास्त्रीय भाषाओं में से एक

(1) संस्कृत (2) अरबी (3) पारसी और (4) लैटिन ।

(ख) वाणिज्य

(ग) भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान,

(घ) कृषि,

(ड) कला

(च) मेनुअल ट्रेनिंग,

(छ) एक आधुनिक यूरोपीय भाषा,

(ज) गृह विज्ञान और

(झ) मेटल वर्क ।

2. इण्टरमीडिएट परीक्षा :-

हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा दी जा सकती थी । इण्टरमीडिएट की परीक्षा में कुल चार विषयों में परीक्षा ली जाती थी । अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी विषय की परीक्षा होती थी तथा निम्नलिखित वैकल्पिक विषयों में से कोई भी तीन विषय चुनने की छूट थी :-

(क) गणित

(ख) रसायन विज्ञान

(ग) भौतिक विज्ञान

(घ) जीव विज्ञान

(ड) कला

(च) अर्थशास्त्र

(छ) नागरिक शास्त्र

(ज) आधुनिक इतिहास

(झ) प्राचीन इतिहास

(ण) भूगोल

(ट) तर्कशास्त्र

(थ) एक आधुनिक भारतीय भाषा (उर्दू या हिन्दी या बंगाली या मराठी) या एक आधुनिक यूरोपीय भाषा (जर्मन या फ्रेंच)

(द) निम्न में से एक शास्त्रीय भाषा (संस्कृत, अरबी, पारसी, लेटिन, ग्रीक और यहूदी भाषा)

3. कॉमर्सियल डिप्लोमा परीक्षा :-

हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् कॉमर्सियल डिप्लोमा परीक्षा में परीक्षार्थी बैठ सकते थे ।

कॉमर्सियल डिप्लोमा परीक्षा के निम्न विषय थे । यह विकल्प समूहों में व्यवस्थित किये जा सकते थे, जैसा परिषद् समय-समय पर इनमें वृद्धि और परिवर्तन निश्चित करती थी ।

(क) बुक कीपिंग एण्ड एकाउन्टेन्सी,

(ख) करस्पोन्डेन्स एण्ड विजनेस मेथेड,

(ग) द युज ऑफ दि टाइपराइटर,

(घ) कॉमर्सियल हिस्ट्री,

(ड) कॉमर्सियल ज्योगरफी,

(च) शार्टहैण्ड, एण्ड

(छ) इलीमेन्ट्स ऑफ इकॉनोमिक्स ।

परिषद् के स्थापना काल से लेकर वर्तमान के बीच के सात दशकों में परीक्षा व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुआ है । सन् 1970 की परीक्षाओं से[10] इण्टरमीडिएट स्तर पर चार के स्थान पर पाँच विषयों में परीक्षा ली जाने लगी । इसी प्रकार सन् 1984 की परीक्षाओं से[11] हाईस्कूल स्तर पर पाँच के स्थान पर सात विषयों में परीक्षा ली जाने लगी । इन सात विषयों में शामिल नैतिक शिक्षा विषय का विद्यालयस्तर पर आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है । वर्तमान में परिषद् निम्नलिखित परीक्षाओं का संचालन करती है[12] ।

---

10. 'शिक्षा की प्रगति' इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0
11. 'शिक्षा की प्रगति,' इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0
12. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, नियम- संग्रह (1983-88), पूर्वोक्त, पृष्ठ-206

1. हाईस्कूल परीक्षा
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा
3. हाईस्कूल प्राविधिक परीक्षा तथा
4. इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा ।

परिषद् तथा संचालित उक्त परीक्षायें ऐसे केन्द्रों पर तथा उन तिथियों पर तथा ऐसे समय पर होती हैं, जो परिषद् समय-समय पर निश्चित करती है । इन परीक्षाओं के परीक्षण अंशतः मौखिक, अंशतः क्रियात्मक तथा अंशतः लिखित होते हैं । मौखिक तथा क्रियात्मक परीक्षण परीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित ढंग से परिषद् द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा संचालित किये जाते हैं । लिखित परीक्षण प्रश्नपत्रों द्वारा होते हैं तथा प्रश्नपत्र केन्द्र पर, जहाँ परीक्षा हो रही हो एक साथ दिये जाते हैं । परिषद् द्वारा संचालित किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र अथवा डिप्लोमा परीक्षार्थी को उस समय तक नहीं दिया जाता है जबतक कि वह उक्त परीक्षा के लिये उससे सम्बन्धित विनियमों के अनुसार प्रत्येक विषय में योग्यता प्राप्त नहीं कर लेता। कोई परीक्षार्थी परीक्षा में प्रवेश पाने के पश्चात् यदि अपात्र समझा जाता है, तो उसकी परीक्षा रद्द कर दी जाती है और/या उसका परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र भी वापिस ले लिया जाता है/रद्द कर दिया जाता है ।

परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम को समयानुकूल उन्नत बनाने के लिये परिषद् के अन्तर्गत पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन इकाई की स्थापना की गयी है जिसने मार्च, 1975 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है । परिषद् ने अपनी परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करना प्रारम्भ किया है । 1987-88 तक परिषद् द्वारा 42 राष्ट्रीयकृत पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है । 1981 में परिषद् ने समस्तभाषाओं के प्रश्नपत्र 3 के स्थान पर 2 कर दिये तथा हाईस्कूल की गणित तथा सामान्य गणित का प्रश्न पत्र 3 घण्टे के स्थान पर 2 घण्टे 30 मिनट किया है । परिषद् ने 1985-86 में कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा में सपुस्तक परीक्षा प्रणाली का प्रयोग किया तथा असफल रहने पर इसे 1988-89 से समाप्त कर दिया ।

1. हाईस्कूल परीक्षा :-

हाईस्कूल परीक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित प्रथम दो वर्षीय पाठ्यक्रम (कक्षा 9-10) पूरा कर लेने के बाद ली जाती है, इस परीक्षा में निम्न विषय वर्गों के परीक्षार्थी सम्मलित होते हैं

(क) साहित्यिक वर्ग,

(ख) वैज्ञानिक वर्ग,

(ग) वाणिज्य वर्ग

(घ) रचनात्मक वर्ग

(ङ) ललित कला वर्ग

(च) कृषि वर्ग

(छ) उत्तर बेसिक वर्ग तथा

(ज) प्राविधिक वर्ग

हाईस्कूल परीक्षा के लिये प्रत्येक वर्ग के परीक्षार्थी को निम्न लिखित अनुसार सात विषयों में परीक्षा देनी होती है जिसमें से छैः विषय अनिवार्य तथा एक वैकल्पिक विषय होता हैं ।

(अ) अनिवार्य विषय

1. हिन्दी

2. एक आधुनिक भारतीय भाषा

(उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलगू, अथवा मलयालम)

(अथवा)

एक आधुनिक विदेशी भाषा

(अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, नेपाली, तिब्बती, अथवा चीनी)

(अथवा)

एक शास्त्रीय भाषा

(संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी, अथवा लेटिन)

इस सम्बंध में यह उल्लखित है कि -

- जब तक कश्मीरी के पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं हो जाते परीक्षार्थी इन्हें उपहृत नहीं कर सकते ।

3. गणित एक अथवा गणित दो अथवा गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिये)

इस सम्बंध में नीचे लिखे बिन्दु (क) तथा (ख) परीक्षा समिति के प्रस्ताव संख्या 26, दिनाँक 6 अगस्त, 1985 तथा (ग) परीक्षा समिति के प्रस्ताव संख्या 51, दिनाँक 12 मार्च 1987 द्वारा सम्मिलित गये हैं. ।

(क) वह परीक्षार्थी, जो किसी विकलांगता, पूर्ण नेत्र हीनता अथवा विकलांग हाथ से पीड़ित हों, जिससे वह अनिवार्य विषयों गणित में ज्यामितीय आकृतियाँ न खीच पाते हों अथवा विज्ञान/गृह विज्ञान में निर्धारित क्रियात्मक कार्य न कर पाते हों, इन विषयों के स्थान पर साहित्यक वर्ग में निर्धारित कोई अन्य विषय ले सकते हैं, इस प्रतिबंध के साथ कि वे अपनी विकलांगता के समर्थन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें तथा साथ ही अग्रसारित अधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से ऐसी विकलांगता से पूर्णतः संतुष्ट हो ।

(ख) नेत्र हीन परीक्षार्थियों के लिये प्रत्येक प्रश्नपत्र तीन घंटे के स्थान पर साढ़े तीन घंटे का होगा ।

(ग) सह शिक्षा लेने वाले विद्यालयों की बालिकाओं के लिये कक्षा 9 में गृह विज्ञान के शिक्षण का प्राविधान करना चाहिये । यदि ऐसा प्राविधान करना शीघ्र सम्भव न हो तो ऐसी बालिकाओं को यह विषय घर पर व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करने की आज्ञा केवल 1992 की हाई स्कूल परीक्षा तक ही दी जा सकती है ।

4. विज्ञान एक अथवा विज्ञान दो

5. सामाजिक विज्ञान

6. नैतिक, शारीरिक, समाजोपयोगी उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य ।

(इस विषय की बाहय परीक्षा नहीं होगी बल्कि विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन होगा ।)

इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को "नैतिक, शारीरिक, समाजोपयोगी उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य" विषय को नैतिक शिक्षा में उत्तीण होने का प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र अग्रसारित कराते समय फार्म के साथ संलग्न करना अथवा प्रवेश पत्र प्राप्त करते समय सम्बान्धित पंजीकरण केन्द्र पर जमा करना आवश्यक नहीं होगा ।

(ब) वैकल्पिक विषय

वैकल्पिक विषय के रूप में परीक्षार्थी निम्न लिखित वर्गों में से कोई एक विषय का चुनाव कर सकते हैं । लेकिन यदि किसी परीक्षार्थी ने अनिवार्य विषय के रूप में विज्ञान दो का चयन किया है तो ऐसे परीक्षार्थी वैकल्पिक विषय के रूप में निम्न लिखित में से कोई एक विषय का चुनाव कर सकते है[13] -

1. जीव विज्ञान

---

13. दिनाँक 18 मार्च 1989 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद् 9/812, दिनाँक 7 मार्च 1989 द्वारा संशोधित । कोटेड इन परिषद् 'नियम-संग्रह' (1983-88), पूर्वोक्त-पृष्ठ 232

2. सामान्य अभियंत्रण के तत्व

3. चित्रकला (क्रमांक । से 4 केवल वर्ष ।990 की परीक्षा के लिये ।)

4. संस्कृत (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में नही लिया गया हो)

5. अरबी
6. फारसी
7. उर्दू

} यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में नही लिया गया है ।[14]

(क) **साहित्यिक वर्ग :-**

1. इतिहास
2. भूगोल
3. वाणिज्य भूगोल
4. नागरिक शास्त्र
5. एक शास्त्रीय भाषा (संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी तथा लेटिन)
   (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया गया है)
6. एक आधुनिक भारतीय भाषा
   (उर्दू, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगला, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी तमिल, तेलगू, या मलयालम)
   (यदि इस अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया गया है ।)
7. एक आधुनिक विदेशी भाषा
   (अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, नेपाली, तिब्बती, चीनी)
   (यदि इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया गया है)

भाषाओं के सम्बन्ध में यह प्राविधान किया गया है कि परीक्षार्थी वैकल्पिक विषय के रूप में एक से अधिक भाषा नहीं ले सकेंगे तथा जब तक कश्मीरी भाषा के पाठ्यक्रम निर्धारित नही होते तब तक परीक्षार्थी उसे नहीं चुन सकते हैं ।

8. चित्रकला
9. अर्थशास्त्र

---

14. दिनाँक 25 नवम्बर, 1989 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद् 9/419, दिनाँक 23 अक्टूबर, 1989 द्वारा सम्मलित तथा वर्ष 1991 की परीक्षा से प्रभावी । कोटेड इन परिषद्,नियमसंग्रह 1983-88 'पूर्वोक्त' पृष्ठ 232

10. संगीत गायन अथवा वादन
11. गृह कला (बालकों के लिये तथा उन बालिकाओं के लिये जिन्होंने अनिवार्य विषय के रूप में गृह विज्ञान नहीं लिया है ।)

(ख) वैज्ञानिक वर्ग:-

1. औद्योगिक रसायन
2. कुलाल विज्ञान
3. जीव विज्ञान ।

(ग) वाणिज्य वर्ग :-

1. वाणिज्य

(घ) रचनात्मक वर्ग :-

1. काष्ठ शिल्प
2. ग्रन्थ शिल्प
3. सिलाई शिल्प
4. कताई-बुनाई
5. चमड़े का कार्य
6. धुलाई, रफू, बखिया तथा रंगाई
7. रंगाई और छपाई
8. धातु शिल्प

(च) ललित कला वर्ग :-

1. संगीत गायन
2. संगीत वादन
3. रंजन कला
4. व्यवसायिक कला
5. मूर्ति कला
6. चित्रकला
7. नृत्य कला ।

(छ) कृषि वर्ग :-

1. कृषि

(ज) उत्तरबेसिक वर्ग :-

1. कृषि गोपालन
2. गृह शिल्प (यदि अनिवार्य विषय में गृह विज्ञान नहीं लिया है)
3. बस्त्रोद्योग
4. धातु शिल्प
5. बढ़ईगीरी
6. हाथ से बने कागज का निर्माण
7. मत्स्य पालन
8. चर्म कार्य
9. शाक तथा फल संरक्षण
10. मुर्गीपालन
11. सिलाई
12. उद्यान कर्म बागवानी
13. धुलाई, रंगाई और छपाई ।

(झ) प्राविधिक वर्ग :-

1. सामान्य अभियन्त्रण के तत्व

उपरोक्त के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि जिन विद्यालयों[15] में हाईस्कूल परीक्षा के लिये वैज्ञानिक वर्ग की मान्यता नहीं है, वहाँ के छात्र विज्ञान एक अथवा विज्ञान दो के स्थान पर द्वितीय वैकल्पिक विषय उपहृत करेंगे जो साहित्यक वर्ग के अन्तर्गत दिये गये वैकल्पिक विषयों की सूची में से होंगे । यह सुविधा परिषद् की 1992 की परीक्षा तक संस्थागत तथा व्यक्तिगत दोंनों प्रकार के परीक्षार्थियों के लिये उपलब्ध रहेगी । कोई भी परीक्षार्थी तीन से अधिक भाषाओं का चयन नहीं कर सकता है । हाईस्कूल परीक्षा के संदर्भ में परिषद् द्वारा निम्न व्यवस्था भी की गई है :-

1. समस्त अध्यापकों द्वारा जो हाईस्कूल परीक्षा के लिये तैयार कराने वाली कक्षाओं के शिक्षण में नियुक्त हैं, डायरिया रखीं जायेगीं, जिनमें उनके द्वारा पढ़ाये गये प्रत्येक विषय में हुआ कार्य

---

15. दिनाँक 24 अक्टूबर, 1987 के राजकीय गजट में प्रकाशित प्रज्ञप्ति सं0 परिषद् 9/547, दिनाँक 15 अक्टूबर 1987 द्वारा संशोधित । कोटेड इन परिषद्, 'नियम-संग्रह' 1983-88 'पूर्वाक्त' पृष्ठ 234

दिखाया जायेगा और इन डायरियों का मौखिक अथवा क्रियात्मक परीक्षकों अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारियों द्वारा जो परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्त किये जायें निरीक्षण किया जायेगा ।

2. उपसत्रिक परीक्षाओं के लिये बनाये गये प्रश्न-पत्रों तथा समस्त परीक्षार्थियों की लिखित उत्तर पुस्तकों का भी परीक्षण इस ढंग से तथा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा किया जायेगा जैसा कि परिषद् निर्देश दे ।

3. संस्था का प्रधान मौखिक अथवा क्रियात्मक परीक्षक को अथवा ऐसे प्राधिकारी को, जिसे परिषद् नियुक्त करे, विषय अथवा विषयों में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की सूची देगा, जिससे वह सम्बन्धित है और प्रत्येक नाम के आगे परीक्षार्थी की प्रवीणता के सम्बन्ध में जो परीक्षा के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम के दौरान उसके अभिलेख में निर्णीत होगी, प्रविष्ट करेगा ।

4. समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में भाषा के अतिरिक्त समस्त विषयों के शिक्षण का माध्यम हिन्दी होगा । हाईस्कूल परीक्षा के समस्त प्रश्नपत्र भाषाओं को छोड़कर हिन्दी में बनाये जायेंगे । लेकिन परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त तथा उत्तर प्रदेश के आंग्ल भारतीय विद्यालयों के नियम संहिता द्वारा अनुशासित संस्थाओं को शिक्षण में अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करने की अनुमति परिषद् दे सकती है । आवेदन-पत्र देते समय संस्थाओं के प्रधानों द्वारा परिषद् सचिव से प्रार्थना करने पर ऐसे परीक्षार्थियों के लिये प्रश्नपत्रों के अंग्रेजी रूपान्तर की व्यवस्था की जा सकती है । हाईस्कूल परीक्षा में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों के प्रश्नों के उत्तर निम्नवर्गों के परीक्षार्थियों को छोड़कर, (जिनको कि परिषद् के सभापति ने संस्थाओं के प्रधानों तथा केन्द्र अधीक्षकों को परीक्षाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में अंग्रेजी में प्रश्नपत्रों का उत्तर देने का अधिकार दे दिया है) समस्त परीक्षार्थी हिन्दी में देंगे :-

(क) वे परीक्षार्थी, जिनकी मातृ भाषा हिन्दी न होकर एक अन्य भाषा है ।

(ख) वे परीक्षार्थी, जिन्होंने वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषय (गणित सहित) लिये हैं ।

(ग) आंग्ल भारतीय संस्थाओं से आने वाले परीक्षार्थी ।

(घ) ऐसे वर्गों के परीक्षार्थी जिनको परिषद् द्वारा नियमानुसार अनिवार्य हिन्दी से छूट मिल गयी है । परिषद् द्वारा अनिवार्य हिन्दी से छूट निम्न वर्गों के परीक्षार्थियों को दी जा सकती है :-

(।) विदेशी राष्ट्रकों तथा

(11) भारतीय राष्ट्रिक को जो पूर्व शिक्षण तथा/अथवा निवास के कारण हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं थे, जिससे कि वे हाईस्कूल परीक्षा में अनिवार्य हिन्दी को ले सकें, लेकिन ऐसे परीक्षार्थियों को हिन्दी का निम्नस्तरीय पाठ्यक्रम प्रारम्भिक हिन्दी अथवा अन्य वैकल्पिक विषय जो नियमानुकूल हो, अनिवार्य हिन्दी के स्थान पर लेना होगा ।

इस सम्बन्ध में यह उल्लखित है कि उपरोक्त प्रकार की छूट परिषद् के सभापति द्वारा अथवा विभाग के ऐसे अधिकारियों द्वारा दी जा सकती है जिसे वह इस सम्बन्ध में अधिकार दे। हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोंनों ही परीक्षाओं के लिये प्रारम्भिक हिन्दी का पाठ्यक्रम एकही है ।

इसके अतिरिक्त ,

भाषाओं में परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर भाषाओं तथा तत्सम्बन्धी लिपि में देंगे, जिससे प्रश्नपत्र का सम्बन्ध है, जब तक कि प्रश्नपत्र में ही उसके प्रतिकूल उल्लेख न हों ।

परिषद् के सभापति ने उत्तर प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षकों को ऐसे परीक्षार्थियों को, जिनकी मात्रभाषा उर्दू है, परिषद् की परीक्षाओं में उर्दू माध्यम का प्रयोग करने की अनुमति देने का अधिकार दे दिया है ।

ऐसे समस्त मामले, जिनमें संस्थाओं के प्रधानों, केन्द्र अधीक्षकों अथवा जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा अनुमति दी जाती है, परिषद् को सूचित किये जाते हैं ।

2. इण्टरमीडिएट परीक्षा :-

इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्रवेश के लिये या परीक्षा के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन प्रारम्भ करने से पूर्व प्रत्येक परीक्षार्थी को परिषद् द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा अथवा हाईस्कूल प्राविधिक परीक्षा अथवा परिषद् द्वारा उसके (हाईस्कूल परीक्षा) समकक्ष घोषित परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

इण्टरमीडिएट परीक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये परीक्षार्थियों को प्रवेश का पात्र बनाने के लिये, परिषद् द्वारा निम्नलिखित परीक्षायें हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष घोषित की गयीं हैं :-

(1) भारत में विधिवत स्थापित जिन विश्वविद्यालयों की मेट्रीक्यूलेशन परीक्षा, परिषद् द्वारा इस उद्देश्य से मान्य है, वे विश्वविद्यालय निम्न हैं :-

इलाहाबाद, पंजाब, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पटना, बनारस और अलीगढ़ ।

यहाँ बम्बई विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय में 35 प्रतिशत अंकों से अथवा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिये तथा बनारस और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मैट्रीक्युलेशन परीक्षा का तात्पर्य प्रथम की प्रवेश परीक्षा तथा द्वितीय की हाईस्कूल परीक्षा से है ।

(2) उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य राज्य की हाईस्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा, लेकिन इसके लिये यह प्रतिबन्ध है कि यह परीक्षा उस राज्य में विधिवत् स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रीक्यूलेशन के समकक्ष स्वीकार की जाती हो ।

(3) कैम्ब्रिज स्कूल सर्टीफिकेट (जो पहले सीनियर लोकल कहलाती थी) परीक्षायें

(4) चीफ कालेजों का डिप्लोमा

(5) मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में यूरोपीय स्कूलों की हाईस्कूल परीक्षा

(6) मध्य प्रदेश की हाईस्कूल शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा

(7) हाईस्कूल फाइनल तथा मेट्रीक्यूलेशन परीक्षा परिषद्, वर्मा द्वारा संचालित हाईस्कूल फाइनल तथा मेट्रीक्यूलेशन परीक्षा, जो पहले बर्मा ऐंग्लोवर्नाक्यूलर हाईस्कूल तथा इंगलिश हाईस्कूल परीक्षा कहलाती थी,

इस सम्बन्ध में उन भारतीय विद्यार्थियों के सम्बन्ध में जो बर्मा से निस्क्रान्त हैं, रंगून विश्वविद्यालय की मेट्रीक्यूलेशन परीक्षा में बर्मा के अतिरिक्त अन्य विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों, जिन्होंने अलग-अलग विषयों में न्यूनतम अंक तथा बर्मा के अतिरिक्त समस्त विषयों में योगांक प्राप्त किये हैं - इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्रवेश के पात्र समझे जाते हैं ।

(8) लन्दन विश्वविद्यालय की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा

(9) ट्रावनकोर राज्य की इंग्लिश स्कूल लीविंग परीक्षा

(10) हैदराबाद (दक्खिन) की हाईस्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी प्रथम या द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है ,

(11) मैसूर का सेकेण्डरी स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र घोषित हुआ हो,

(12) राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालेज, देहरादून (जो पहले सैनिक स्कूल देहरादून तथा मौलिक रूप से रायल इंडियन मिलिटरी कालेज कहलाता था) की डिप्लोमा परीक्षा,

(13) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, दिल्ली की हाईस्कूल परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी ने परीक्षा ऐसे पाँच विषयों में उत्तीर्ण की है, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा के लिये स्वीकृत हैं,

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा निम्नलिखित विषय उत्तर प्रदेश की समान परीक्षा के लिये स्वीकृत विषय समझे जाने चाहिये-

(क) शरीर क्रिया विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान

(ख) दो स्वीकृत विषयों के संगठित अंगो से युक्त विषय जैसे प्रारम्भिक नागरिक शास्त्र तथा प्रारम्भिक अर्थशास्त्र, प्रारम्भिक अर्थशास्त्र तथा भारतीय इतिहास इत्यादि । (उन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने 1937 ई0 तक दिल्ली परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है, पाँच स्वीकृत विषयों की गणना उस समय लागू नियमों के आधार पर की जानी चाहिये ।)

(14) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, अजमेर (जो पहले बोर्ड ऑफ हाईस्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन, राजपूताना (जिसमें अजमेर, मारवाड़ भी सम्मलित थे), मध्य भारत और ग्वालियर, अजमेर कहलाता था तथा बाद में जिसका नाम बोर्ड ऑफ हाईस्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन, अजमेर, भोपाल और विन्ध्यप्रदेश, अजमेर रखा गया) की हाईस्कूल परीक्षा ।

(15) भारतीय नौसेना का हायर एजूकेशनल टेस्ट, जो पहले इण्डियन मर्केन्टाइल मेरीन ट्रेनिंग शिप "डफरिन" का 'डफरिन' फाइनल पासिंग आउट इक्जामिनेशन अधिशासी अथवा अभियंत्रण कैडेटों के लिये कहलाता था,

(16) कोचीन राज्य की सेकेन्डरी स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि सर्टीफिकेट प्राप्तकर्ता मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र घोषित हुआ है ।

(17) नेशनल यूनिवर्सिटी, आयरलेण्ड की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा

(18) उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (दक्खिन) की मेट्रीक्यूलेशन परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है,

(19) बोर्ड ऑफ इण्टरमीडिएट एण्ड सेकेण्डरी एजूकेशन, ढाका की हाईस्कूल परीक्षा,

(20) नेपाल शासन द्वारा संचालित स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा,

(21) मैनचेस्टर, लिवरपूल, लीड्स, शेफील्ड तथा बरमिघंम विश्वविद्यालय के संयुक्त बोर्ड की स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी ने परीक्षा अंग्रेजी, गणित, इतिहास अथवा भूगोल तथा दो अन्य विषयों में उत्तीर्ण की है, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा हाईस्कूल परीक्षा के लिये स्वीकृत हैं,

(22) संयुक्त मेट्रीक्यूलेशन बोर्ड, प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा,

(23) बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजूकेशन, हैदराबाद की हायर सेकेण्डरी सर्टीफिकेट परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि परीक्षार्थी एक प्रयत्न में उत्तीर्ण हुआ है और उसने परीक्षा में सम्पूर्ण योगांक के कम से कम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं तथा वह उस्मानिया विश्वविद्यालय की पूर्व विश्वविद्यालय कक्षा में प्रवेश का पात्र है ।

(24) उत्कल विश्वविद्यालय की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा

(25) प्रमुख एअर क्रेफ्टसमैन के लिये पुनर्वर्गीकरण हेतु आई0 ए0 एफ0 एजूकेशन टेस्ट

(26) भारतीय सेना का स्पेशल सर्टीफिकेट आफ एजूकेशन

(27) सन् 1946 ई0 से मई 1964 ई0 तक की प्रयाग महिला विद्यापीठ द्वारा संचालित विद्याविनोदनी (मेट्रीक्यूलेशन) परीक्षा, इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह एडवांस अंग्रेजी वैकल्पिक विषय के साथ उत्तीर्ण की गई हो तथा पूर्ण परीक्षा एक साथ अथवा एक दूसरे से दो वर्षों के बीच (दो से अधिक खण्डों में नहीं) उत्तीर्ण की गयी हो,

इस संदर्भ में प्रयाग महिला विद्यापीठ के 556, दारागंज इलाहाबाद तथा 106 हीवेट रोड इलाहाबाद स्थिति कार्यालयों से प्रदत्त प्रमाण-पत्र स्वीकार किये जायेंगे ।

(28) लंका की सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, जिसका बाद में नाम जनरल सर्टीफिकेट ऑफ एजूकेशन (आर्डिनरीलेविल) परीक्षा लंका रखा गया है,

(29) बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, दिल्ली की हायर सेकेण्डरी परीक्षा (एक वर्षीय अथवा

तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) ,

(30) गुरूकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन द्वारा संचालित अंग्रेजी के साथ अधिकारी परीक्षा जो एक से अधिक वर्ष में खण्डों में उत्तीर्ण न की गयी हो । यहाँ पर खण्डों से तात्पर्य पूरक परीक्षा से है,

(31) सन् 1946 से मई, 1964 तक की प्रयाग महिला विद्यापीठ द्वारा संचालित विद्या विनोदनी (मैट्रीक्यूलेशन) परीक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश का केवल हाईस्कूल परीक्षा (जैसा कि 1955 की विवरण पत्रिका में दिया है ।)

इस संदर्भ में प्रयाग महिला विद्यापीठ के 556, दारागंज, इलाहाबाद या 106 हीवेट रोड, इलाहाबाद स्थित कार्यालयों से प्रदत्त प्रमाण-पत्र स्वीकार किये जायेंगे ।)

(32) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, राजस्थान, अजमेर द्वारा संचालित सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा (जो पहले हाईस्कूल परीक्षा कहलाती थी और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा संचालित होती थी),

(33) गुरूकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी (हरिद्वार) द्वारा संचालित विद्याधिकारी परीक्षा बशर्ते वह खंडों में उत्तीर्ण नहीं की गयी है । यहाँ खण्डों से तात्पर्य पूरक परीक्षा से है,

(34) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली द्वारा संचालित जामिया उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (जो पहले जूनियर परीक्षा कहलाती थी) बशर्ते वह खण्डों में उत्तीर्ण न की गयी हो,

(35) पूर्व पंजाब विश्वविद्यालय की मेट्रीक्यूलेशन परीक्षा,

(36) गौहाटी विश्वविद्यालय की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा,

(37) पूना, महाराष्ट्र राज्य के सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा संचालित (जो पहले बम्बई के सेकेण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा संचालित होती थी) सेकेण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा,

(39) जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर विश्वविद्यालय की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा,

(40) बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन मध्य भारत (ग्वालियर) द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा,

(41) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उन परीक्षार्थियों के लिये, जिन्होंने मैट्रीक्यूलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, एडमीशन अथवा क्वालीफाइंग परीक्षा,

(42) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित (पहले वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय

वाराणसी द्वारा संचालित) पूर्व मध्यमा परीक्षा अथवा कोई अन्य उच्चतर परीक्षा,

(43) बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, पश्चिमी बंगाल द्वारा संचालित स्कूल फाइनल परीक्षा,

(44) आन्ध्र विश्वविद्यालय की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा ,

(45) बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड, पटना द्वारा संचालित सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा,

(46) विश्वभारती विश्वविद्यालय, पश्चमी बंगाल द्वारा संचालित मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा,

(47) बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, उड़ीसा द्वारा संचालित हाईस्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा,

(48) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित (पहले वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा संचालित) पुरानी खण्ड मध्यमा (प्रथम दो वर्षीय पाठ्यक्रम) तथा अतिरिक्त विषयों में विशेष परीक्षा,

(49) मध्य प्रदेश जबलपुर के महाकौशल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन द्वारा संचालित सेकेण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा,

(50) विदर्भ नागपुर के बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन द्वारा संचालित सेकेण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा,

(51) समाज सेवा विनियम के अन्तर्गत पंजाब विश्वविद्यालय, सोलन द्वारा निर्गत मैट्रीक्यूलेशन सर्टीफिकेट ,

(52) पांडिचेरी शासन की निम्नलिखित फ्रेंच परीक्षायें :-

(क) ब्रेवेट एलिमेटर (फ्रेन्च)

(ख) ब्रेवेड दि एट यूड्स डलर साइकिल (फ्रेन्च)

(ग) ब्रेवेट डिएन्साइनमेन्ट प्राइमरी सुपीरियर दि लैग्वे इंडियने (तमिल)

(घ) डि ब्रेवेट डि लैग्वेड्डियने (तेलगू, मलयालम)

(53) केरल राज्य, त्रिवेन्द्रम के बोर्ड ऑफ पब्लिक एक्जामिनेशन द्वारा संचालित एस0 एस0 एल0 सी0 परीक्षा,

(54) बंग्लादेश सेकेण्डरी एजूकेशन बोर्ड, ढाका (बंग्लादेश) की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा

(55) बड़ौदा के गुजरात सेकेण्डरी स्कूल, सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा संचालित सेकेण्डरी स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा ,

(56) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एजूकेशन, अजमेर, नई दिल्ली द्वारा संचालित अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा,

(57) काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा संचालित विशारद परीक्षा,

(58) सिन्ध विश्वविद्यालय, पाकिस्तान की मैट्रीक्यूलेशन परीक्षा,

(59) भारत में विधिवत स्थापित विश्वविद्यालय अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हायर सेकेण्डरी प्रथम भाग अथवा अन्य अनुरूप परीक्षा बशर्ते कि उसकी परीक्षायें परिषद् द्वारा मान्य हैं तथा परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र दिया जाता है,

यह अनुरूपता छात्र द्वारा उस राज्य की बी0 ए0 परीक्षा के लिये आवश्यक बाद के अध्ययन की वर्ष की संख्या से अवधारित होगी ,

(60) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित सेकेण्डरी टेक्निकल परीक्षा,

(61) काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित पाँच विषयों के साथ एक बार में उत्तीर्ण इंडियन सर्टीफिकेट ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन एक्जामिनेशन (स्टैन्डर्ड टैन्थ एक्जामिनेशन)

(62) पंजाब स्कूल एजूकेशनल बोर्ड, चण्डीगढ़ की मैट्रीकुलेशन परीक्षा,

(63) बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, नागालैण्ड की हाईस्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा,

(64) बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, हरियाणा, चण्डीगढ़ की मैट्रीक्यूलेशन हायर सेकेण्डरी, भाग एक तथा भाग दो परीक्षा

(65)[16] हिमांचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन (शिमला) द्वारा संचालित मेट्रीक्यूलेशन, हायर सेकेण्डरी भाग एक तथा भाग दो परीक्षा,

(66)[17] गुरूकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर, सहारनपुर की विद्यारत्न परीक्षा

(67)[18] बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन मणिपुर, इम्फाल द्वारा संचालित हाईस्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा ,

(69)[18] त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, अगरतला की क्रमशः माध्यमिक स्कूल फाइनल परीक्षा तथा हायर सेकेण्डरी परीक्षा (कक्षा 11)

---

16. राजाज्ञा संख्या मा-683/-15-7-2 (9)-79, दिनाँक 25 अप्रैल, 1980 द्वारा संशोधित । कोटेड इन परिषद् 'नियम-संग्रह' (1983-88) 'पूर्वोक्त' पृष्ठ-242

17. राजकीय गजट, भाग-4 दिनाँक 13 मार्च, 1982 में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद 9/870/पाँच-8 (बोर्ड) दिसम्बर 1980 दिनाँक 4 फरवरी 1982 द्वारा संशोधित कोटेड इन परिषद् 'नियम-संगह' (1983-88) 'पूर्वोक्त' पृष्ठ-242

18. दिनाँक 14 मई के राजकीय गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद् 9/104 दिनाँक 4 मई 1983 द्वारा सम्मलित

इण्टरमीडिएट परीक्षा के संदर्भ में नीचे लिखी गयीं शर्तें उन व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थित संस्थाओं पर लागू होंगीं, जो किन्हीं अधिनियम अथवा चार्टर के अन्तर्गत अनिवार्य शर्त के रूप में नही चल रहीं हैं । ये शर्तें उनके द्वारा संचालित परीक्षाओं को परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्यता देने के उद्देश्य से लागू होंगीं :-

(1) परिषद् का एक प्रतिनिधि उन प्राधिकार में होगा, जो परीक्षा के लिये अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन करता है,

(2) वह संस्था अपने परीक्षा केन्द्रों की परिषद् के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षित किये जाने की अनुमति देगी,

(3) वह संस्था परिषद् के प्रतिनिधियों को परिषद् के नियमों के अनुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ता देगी ।

ये शर्तें उन समस्त संस्थाओं पर लागू होंगीं जो परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र देती हैं तथा उन निकायों के लिये भी जिनकी परीक्षायें परिषद् द्वारा उसकी हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं ।

कोई परीक्षार्थी उस समय तक इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि उसके द्वारा हाईस्कूल अथवा एक समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किये हुये दो शैक्षिक वर्ष न बीत गये हों, लेकिन जिन परीक्षार्थियों ने कैम्ब्रिज स्कूल सर्टीफिकेट (जो पहले सीनियर लोकल) कहलाती थी, परीक्षा अथवा इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा नई दिल्ली की काउनिसल द्वारा संचालित इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (केवल दिसम्बर 1974 तक) अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा (एक वर्षीय अथवा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) अथवा बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, दिल्ली की हायर सेकेण्डरी स्कूल टेक्नीकल सर्टीफिकेट परीक्षा (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी इजूकेशन, अजमेर, नई दिल्ली द्वारा संचालित अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा डिमांस्ट्रेशन हायर सेकेण्डरी परीक्षा अथवा भारत में विधिवत स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा प्रवेश अथवा अर्हता अथवा पूर्व विश्वविद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जिसके तुरन्त बाद में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम होता है, इण्टरमीडिएट परीक्षा में पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करने के अगले शैक्षिक वर्ष में प्रविष्ट हो सकते हैं । इस प्रकार के परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में भी वांछित शर्तें पूरी होने पर प्रविष्ट होने के पात्र हैं ।

यदि किसी परीक्षार्थी ने परिषद् की इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा अथवा एक समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वह वैज्ञानिक वर्ग के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा में, उस शैक्षिक वर्ग के बाद

के वर्ष में बैठ सकता है, जिसमें वह पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करता है तथा ऐसे परीक्षार्थी को हिन्दी में पुनः परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी तथा हिन्दी में प्राप्त अंकों को इन विषयों के साथ सम्मिलित कर लिया जायेगा ।

किसी छात्र को, जो एक शैक्षिक वर्ष भारत में विधिवत् स्थापित ऐसे विश्वविद्यालय अथवा भारत में ऐसे माध्यमिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध विद्यालय में रहा है, जिसकी मैट्रीक्युलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा परिषद् द्वारा मान्य है अथवा जिसने हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की उत्तर मध्यमा कक्षा जो पहले राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी द्वारा संचालित होती थी में उत्तर मध्यमा परीक्षा (अंग्रेजी के साथ) की तैयारी में प्रवेश किया है, एक वर्ष की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें वह इस प्रकार रहा है, बशर्ते कि वह समुचित प्राधिकारी से यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि तत्सम्बन्धी वर्ष का लेखा उस विश्वविद्यालय अथवा निकाय में जहाँ उसने प्रबजन किया है, विधिवत् रखा गया है तथा कथित आयार्च को उसके स्थानान्तरण में कोई आपत्ति नहीं है । कोई भी छात्र जो उक्त निकाय से सम्बद्ध अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय में सत्र के किसी भाग में रहा है, परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रविष्ट हो सकता है और उस विद्यालय के व्याख्यानों की उपस्थिति की गणना उत्तर प्रदेश के विद्यालय की उपस्थिति के साथ पाठ्यक्रम के नियमित अध्ययन के उद्देश्य से की जायेगी बशर्ते कि निर्धारित शर्तें पूरी की जाती हैं । इसके अनुसार गोहाटी तथा राजस्थान विश्वविद्यालय की इण्टरमीडिएट परीक्षायें भी मान्य हैं ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में परीक्षार्थियों को (कृषि वर्ग तथा वाणिज्य तृतीय व्यवसायिक शिक्षा वर्ग के परीक्षार्थियों को छोड़कर) पाँच विषयों में परीक्षा देना होती है । इन पाँच विषयों के अतिरिक्त शारीरिक, व्यायाम तथा नैतिक शिक्षा का शिक्षण सभी छात्रों के लिये अनिवार्य होता है । इण्टरमीडिएट परीक्षा में निम्न विषयवर्गो के परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं :-

(क) साहित्यिक वर्ग,

(ख) वैज्ञानिक वर्ग (प्रथम)

(ख) वैज्ञानिक वर्ग (द्वितीय)

(ग) वाणिज्य वर्ग (प्रथम)

(ग) वाणिज्य वर्ग (द्वितीय)

(ग) वाणिज्य वर्ग (तृतीय)

(घ) रचनात्मक वर्ग

(च) ललित कला वर्ग

(छ) कृषि वर्ग

(ज) उत्तर बेसिक वर्ग

इण्टरमीडिएट की परीक्षा के लिये (कृषि तथा वाणिज्य (तृतीय) (व्यावसायिक) वर्ग को छोड़कर) प्रत्येक वर्ग के परीक्षार्थी को एक विषय साहित्यिक हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी का चुनाव अनिवार्य रूप से करना पड़ता है । शेष अन्य चार विषय लेना पड़ते हैं । साहित्यिक हिन्दी साहित्यक वर्ग, रचनात्मक वर्ग, ललित कला वर्ग तथा उत्तर बेसिक वर्ग के परीक्षार्थियों को लेना अनिवार्य है तथा सामान्य हिन्दी वैज्ञानिक वर्ग (प्रथम), वैज्ञानिक वर्ग (द्वितीय), वाणिज्य वर्ग (प्रथम), वाणिज्य वर्ग (द्वितीय) तथा प्राविधिक वर्ग के परीक्षार्थियों को लेना अनिवार्य होता है ।

प्रत्येक वर्ग के परीक्षार्थियों के लिये निश्चित किये गये विषयों का विवरण निम्न लिखित है :-

क - साहित्यिक वर्ग :-

साहित्यिक वर्ग के परीक्षार्थियों को अनिवार्य विषय साहित्यिक हिन्दी के साथ नीचे दिये गये विषयों में से कोई चार विषय लेना पड़ते हैं :-

1. भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गयी भाषाओं में से हिन्दी के अतिरिक्त कोई, एक भारतीय भाषा,

   (संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू अथवा मलयालम)

2. एक आधुनिक विदेशी भाषा :-

   (अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, नेपाली, तिब्बती अथवा चीनी)

3. एक शास्त्रीय भाषा

   (संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी अथवा लेटिन)

   उपरोक्त भाषाओं के चयन के सम्बन्ध में निम्न बातों का ध्यान रखा जायेगा ।

(अ) परीक्षार्थी वैकल्पिक विषय के रूप में दो से अधिक भाषायें न ले सकेंगे ।

(ब) कश्मीरी तथा चीनी के पाठ्यक्रम पारित होने तक परीक्षार्थी इनका चयन नहीं कर सकेंगे ।

(स) संस्कृत या तो भारतीय भाषा के रूप में या फिर शास्त्रीय भाषा के रूप में चयनित की जा सकेगी दोनों रूपों में नहीं ।

4. इतिहास अथवा भूगोल अथवा वाणिज्य भूगोल
5. नागरिक शास्त्र
6. गणित अथवा सैन्य विज्ञान अथवा मनोविज्ञान अथवा शिक्षा-शास्त्र,
7. अर्थशास्त्र
8. तर्कशास्त्र अथवा संगीत (गायन) अथवा संगीत (वादन),
9. चित्रकला,
10. समाजशास्त्र,
11. सांख्यकी,
12. गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिये),
13. खाद्य संरक्षण (केवल बालिकाओं के लिये)
14. धुलाई तथा रंगाई (केवल बालिकाओं के लिये),
15. पाक शास्त्र (केवल बालिकाओं के लिये),
16. परिधान रचना एवं सज्जा (केवल बालिकाओं के लिये)

इस सम्बन्ध में निम्न बातें उल्लेखनीय हैं :-

(अ) क्रम 13 से 16 तक के विषय सन् 1988 की परीक्षाओं से प्रभावी हैं ।

(ब) क्रम 12 से 16 तक के विषय केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही चुन सकते हैं परन्तु इन विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मलित हो सकते हैं ।

(स) क्रम 12 के विषय लेने वाली छात्राओं को क्रम 13, 14, 15 तथा 16 में से कोई एक विषय (ट्रेड) उपहृत करना अनिवार्य होगा ।

ख - वैज्ञानिक वर्ग (प्रथम) :-

इस वर्ग के परीक्षार्थियों को अनिवार्य विषय सामान्य हिन्दी तथा खण्ड अ से कोई तीन विषय एवं खण्ड ब के अनुसार कोई एक विषय का चयन करना पड़ता है :- खण्ड 'अ' में निम्न विषय रखे गये हैं :-

1. भौतिक विज्ञान
2. रसायन विज्ञान,
3. जीव विज्ञान
4. गणित अथवा सैन्य विज्ञान अथवा गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिये),
5. भू-विज्ञान,
6. कुलाल विज्ञान (केवल संस्थागत परीक्षार्थियों के लिये) अथवा औद्योगिक रसायन,
7. सांख्यिकी ।

खण्ड 'ब' - उपर्युक्त विषयों की सूची में से कोई एक विषय जिसका चयन खण्ड 'अ' के अधीन न किया गया हो । इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जायेगा कि क्रमांक (4) के विषयों का चयन दुबारा नहीं किया जा सकेगा ।

अथवा

साहित्यिक वर्ग के क्रम 1, 2, 4, 7 तथा 9 में दिये गये विषयों की सूची में से कोई एक विषय ।

ख - वैज्ञानिक वर्ग (द्वितीय):-

यह आयुर्वेदिक तथा युनानी वर्ग कहलाता है । इस वर्ग के परीक्षार्थियों को अनिवार्य विषय के रूप में सामान्य हिन्दी तथा निम्न चार विषयों में परीक्षा देनी होती है :-

1. संस्कृत अथवा अरबी अथवा फारसी,
2. भौतिक विज्ञान,
3. रसायन विज्ञान,
4. जीव विज्ञान

ग - वाणिज्य वर्ग (प्रथम):-

वाणिज्य वर्ग (प्रथम) के परीक्षार्थियों को अनिवाय विषय सामान्य हिन्दी के अलावा चार विषय निम्न तरीके से चुनना पड़ते हैं :-

1. बही खाता तथा लेखा शास्त्र
2. व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार[19]

तथा अन्य दो विषयों का चयन निम्न विषयों में से करना होगा :-

1. अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल,
2. अधिकोषण तत्व,
3. औद्योगिक संगठन,
4. गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी,
5. टंकण हिन्दी तथा अंग्रेजी

(अथवा)

आशुलिपि तथा टंकण अंग्रेजी

(अथवा)

आशुलिपि तथा टंकण हिन्दी ।

6. संविधान की आंठवी अनुसूची में दी गयी भाषाओं में से हिन्दी के अतिरिक्त कोई एक भारतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिन्धी, तमिल, तेलगू अथवा मलयालम)

(अथवा)

कोई एक विदेश भाषा (अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, नेपाली, तिब्बती अथवा चीनी)

7. बीमा सिद्धान्त एवं व्यवहार[20]

ग.- वाणिज्य वर्ग (द्वितीय):-

वाणिज्य वर्ग (द्वितीय) के परीक्षार्थियों को अनिवार्य विषय के रूप में सामान्य हिन्दी में तथा नीचे दिये गये अन्य चार विषयों में परीक्षा देनी होती है :-

---

19. दिनांक 1 अक्टूबर, 1988 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या/परिषद्/9/224, दिनाँक 26 सितम्बर 1988 द्वारा संशोधित तथा वर्ष 1991 की परीक्षा से प्रभावी । कोटेड इन परिषद् "नियम संग्रह" (1983-88) 'पूर्वोक्त' पृष्ठ 246
20. दिनांक 28 जुलाई, 1984 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद्/9/224 दिनाँक 17 जुलाई 1984 द्वारा सम्मलित कोटेड इन परिषद नियम संग्रह (1983-88) 'पूर्वोक्त पृष्ठ 246

1. बही खाता तथा वाणिज्य प्रणाली
2. उच्च आशुलिपि तथा टंकण हिन्दी अथवा अंग्रेजी
   (यह विषय दो विषयों के बराबर है)
3. संविधान की आंठवी अनुसूची में दी गयी भाषाओं में से हिन्दी के अतिरिक्त कोई एक भारतीय भाषा
   (संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगला, मराठी, गुजराती, आसामी, तमिल उड़िया, कन्नड़, तेलगू, मलयालम, कश्मीरी अथवा सिन्धी)

(अथवा)

कोई एक विदेशी भाषा
(अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, नेपाली, तिब्बती अथवा चीनी)

ग[21] वाणिज्य वर्ग (तृतीय)(व्यावसायिक शिक्षा) :-

वाणिज्य वर्ग (तृतीय) (व्यवसायिक शिक्षा) को लेने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी को नीचे दिये गये विषयों में परीक्षा देना होती है :-

1. भाषा
   (अ) व्यावसायिक हिन्दी
   (ब) व्यावसायिक अंग्रेजी
2. सामान्य आधारित विषय
3. (क) वाणिज्य विषय सैद्धातिक निम्नलिखित आठ धाराओं में से कोई एक धारा -
   (1) एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण,
   (2) बैकिंग,
   (3) आशुलिपि एवं टकंण,
   (4) विपणन तथा विक्रय कला,
   (5) सचिवीय पद्धति,
   (6) बीमा,
   (7) सहकारिता
   (8) टंकण हिन्दी तथा अंग्रेजी ।

---

21. दिनाँक 23 **नवम्बर,** 1985 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद/9/413, दिनाँक 15 नवम्बर 1985 द्वारा सम्मलित तथा वर्ष 1987 की परीक्षा से प्रभावी ।
    कोटेड इन परिषद् 'नियम-संग्रह'(1983-88)'पूर्वोक्त' पृष्ठ-247

(ख) रोजगार परक प्रशिक्षण (वाणिज्य विषय की सम्बन्धित धारा में दिये गये प्रायोगिक कार्य के अनुसार)।

यहाँ पर निम्न बातें उल्लेखनीय हैं :-

1. रोजगार परक प्रशिक्षण प्रयोगशाला तथा कार्यस्थल पर होगा ।
2. वाणिज्य वर्ग (तृतीय)(व्यवसासियक शिक्षा) में केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही सम्मलित हो सकते हैं लेकिन इसी वर्ग के अनुतीर्ण परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मलित हो सकते हैं ।
3. वाणिज्य (तृतीय) (व्यावसायिक शिक्षा) के परीक्षार्थियों को हिन्दी में छूट नहीं प्रदान की जायेगी ।

घ- रचात्मक वर्ग :-

इस वर्ग के परीक्षाथीयों को अनिवार्य विषय के रूप में साहित्यिक हिन्दी तथा शेष चार विषयों का चुनाव खण्ड 'अ' से कोई दो विषय तथा खण्ड 'ब' के अनुसार कोई दो विषय चुन कर करना पड़ता है :-

खण्ड अ :- इसमें निम्नलिखित विषय रखे गये हैं जिनसें कोई दो विषय का चुनाव परीक्षार्थी को करना पड़ता है —

1. काष्ठ शिल्प,
2. ग्रन्थ शिल्प
3. सिलाई
4. धातु शिल्प
5. कताई और बुनाई
6. चमड़े का काम ।

खण्ड ब :- इसके अनुसार साहित्यिक वर्ग के अन्तर्गत दिये गये वैकल्पिक विषयों की सूची में से क्रम आठ (जिसमें तर्कशास्त्र, संगीत गायन तथा संगीत वादन दिये गये हैं) को छोड़कर कोई दो विषय का चयन परीक्षार्थी कर सकता है ।

च- ललित कला वर्ग:-

इस वर्ग का चयन करने वाले परीक्षार्थियों को अनिवार्य विषय के रूप में 'साहित्यिक हिन्दी' में परीक्षा देनी होती है तथा शेष चार विषयों का चयन निम्नतरीके से करना पड़ता है ।

1. खण्ड 'अ' से कोई दो विषय तथा

2. खण्ड 'ब' के अनुसार कोई दो विषय ।

खण्ड 'अ'-इसमें निम्न लिखित विषय दिये गये हैं :-

1. संगीत (गायन)

2. संगीत वादन अथवा रंजनकला,

3. मूर्तिकला अथवा व्यावसायिक कला,

4. चित्रकला अथवा नृत्य कला ।

खण्ड ब :-

इसके अनुसार परीक्षार्थी साहित्यिक वर्ग के वैकल्पिक विषयों की सूची में सम्मलित विषयों में से क्रम आठ में दिये गये विषयों को छोड़कर कोई दो विषयों को ले सकते हैं । लेकिन यदि किसी परीक्षार्थी ने मूर्तिकला अथवा व्यावसायिक कला ली है तो वह इसी सूची के क्रम छः में दिये गये विषय नही ले सकता है साथ ही यदि किसी परीक्षार्थी ने संगीत (गायन अथवा वादन) तथा चित्रकला विषयों को इस वर्ग के अन्तर्गत लिया है, तो उन्हें साहित्यिक वर्ग के इन वैकल्पिक विषयों के रूप में वह नहीं ले सकता है ।

छ- कृषि वर्ग :-

इण्टरमीडिएट स्तर पर कृषि लेने पर प्रत्येक परीक्षार्थी को दोनों वर्ष (कक्षा 11 तथा कक्षा 12) परिषद् द्वारा संचालित बाह्य परीक्षायें देनी पड़ती हैं तथा दोनों वर्षों के अंकों को जोड़कर ही इण्टरमीडिएट का अंक-पत्र तैयार होता है तथा श्रेणी दी जाती है । कृषि वर्ग लेने वाले परीक्षार्थी की परीक्षा नीचे लिखे विषयों में ली जाती है :-

भाग एक (प्रथम वर्ष) परीक्षा :-

प्रथम वर्ष निम्न विषयों एंव प्रश्नपत्रों में परीक्षा ली जाती है :-

1. हिन्दी (इसमें दो प्रश्नपत्र होते हैं)

2. कृषि

   (क) प्रथम प्रश्न पत्र- शस्य विज्ञान (सामान्य कृषि क्षेत्र की फसलें, भूमि एवं खाद्य तथा क्रियात्मक)

   (ख) द्वितीय प्रश्न पत्र-वनस्पति विज्ञान तथा क्रियात्मक

   (ग) तृतीय प्रश्न पत्र-भौतिक विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान तथा क्रियात्मक

(घ) चतुर्थ प्रश्न पत्र—कृषि अभियंत्रण तथा क्रियात्मक

(ङ) पंचम प्रश्न पत्र— गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी

इनमें से हिन्दी के 100 अंक (50-50 अंकों के दोनों प्रश्न पत्र) कृषि के प्रथम चार पेपर 100-100 अंक के, जिनमें 50 सिद्धात तथा 50 क्रियात्मक के लिये एवं कृषि का पाँचवा पेपर 50 अंक का होता है । कुल योग, सिद्धान्त 350 अंक तथा क्रियात्मक 200 अंक का होता है । हिन्दी तथा कृषि के प्रश्नपत्रों में अलग—अलग 33 प्रतिशत अंक न्यूनतम उत्तीर्णांक होते हैं, लेकिन कृषि के प्रथम चार प्रश्नपत्रों में सिद्धान्त तथा क्रियात्मक में अलग अलग 13-13 अंक न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित हैं लेकिन शर्त ये है कि प्रश्न—पत्र में सिद्धान्त तथा क्रियात्मक दोनों का योग 33 प्रतिशत अवश्य हो ।

भाग दो (द्वितीय वर्ष) परीक्षा[22] :-

द्वितीय वर्ष निम्न विषयों एवं प्रश्नपत्रों में परीक्षा ली जाती है :-

1. कृषि

(क) षष्ठम प्रश्न पत्र :- शस्य विज्ञान (सिंचाई, जल निकास तथा वनस्पति उत्पादन) तथा क्रियात्मक

(ख) सप्तम् प्रश्न पत्र :- अर्थशास्त्र

(ग) अष्टम् प्रश्न पत्र :- जन्तु विज्ञान तथा क्रियात्मक

(घ) नवम् प्रश्न पत्र :- पशुपालन तथा पशुचिकित्सा विज्ञान तथा क्रियात्मक

(ङ) दशम् प्रश्न पत्र:- रसायन विज्ञान तथा क्रियात्मक

(च) एकादश प्रश्न पत्र:-

निम्न लिखित में से कोई एक व्यवसाय (ट्रेड्स)

1. मधुमक्खी पालन
2. डेरी प्रौद्योगिकी
3. रेशम कीट पालन
4. फल संरक्षण प्रौद्योगिकी
5. विजोत्पादन प्रौद्योगिकी

---

22. 27 अगस्त, 1988 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद् /9/298 दिनाँक 16, अगस्त 1988 द्वारा संशोधित तथा वर्ष 1989 की परीक्षा से प्रभावी/कोडेट इन परिषद् 'नियम-संग्रह 1983-88' पूर्वोक्त पृष्ठ-250

5. परीक्षा के भाग दो में निर्धारित एकादश प्रश्नपत्र-व्यवसाय (ट्रेड्स) अनिवार्य रूप से 1989 की परीक्षा से चयनित विद्यालयों में लागू होगा । जिन विद्यालयों को व्यवसाय (ट्रेड्स) के लिये चयनित नहीं किया गया है उनमें एकादश प्रश्न पत्र लागू नहीं होगा ।
6. एकादश प्रश्नपत्र व्यवसाय (ट्रेड्स) में केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही सम्मलित हो सकते हैं लेकिन जो परीक्षार्थी इसमें अनुतीर्ण होते हैं वे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में इसका चयन कर सकते हैं ।

ज- उत्तर बेसिक वर्ग :-

इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तर बेसिक वर्ग का चुनाव केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही कर सकते हैं लेकिन इसमें अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से भी परीक्षा देने के हकदार हैं । इस वर्ग के परीक्षार्थियों को अनिवार्य विषय के रूप में "साहित्यिक हिन्दी" तथा शेष अन्य चार विषयों का चयन निम्न तरीके से करना पड़ता है :-

1. एक विषय का चुनाव निम्न लिखित विषयों में से करना होगा,

   (अ) भारतीय संविधान की आंठवी सूची में दी हुयी भाषाओं में से हिन्दी के अतिरिक्त कोई एक भारतीय भाषा
   (संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कश्मीरी, कन्नड़, सिन्धी, तमिल, तेलगू अथवा मलयालम)
   इसमें कश्मीरी भाषा का चुनाव उसके पाठ्यक्रम पारित होने के बाद ही किया जा सकता है ।

   (ब) एक आधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, नेपाली, तिब्बती अथवा चीनी)।

   (स) इतिहास अथवा भूगोल अथवा वाणिज्य भूगोल,

   (द) चित्रकला ।

2. दूसरा विषय - सामुदायिक रहन सहन तथा सम्बन्धित विज्ञान ।
3. दो विषय निम्न तरीके से चुनना पड़ेगा :-

   निम्न लिखित तालिका के 'क' 'ख' 'ग' तथा 'घ' में से कोई एक शिल्प तथा उस मुख्य शिल्प के सम्मुख अंकित गौण शिल्पों में से एक गौण शिल्प :-

मुख्य शिल्प	गौण शिल्प
(क) कृषि गोपालन	1. सामान्य वस्त्रोद्योग
	2. मधुमक्खी पालन
	3. शाक तथा फल संरक्षण
	4. कुक्कुट पालन
	5. मस्त्य पालन
	6. दुग्ध व्यवसाय
अथवा	
(ख) गृहशिल्प	1. सिलाई
	2. शाक तथा फलसंरक्षण
	3. तेल तथा अंगराग
	4. कुक्कुट पालन
	5. उद्यान कर्म बागवानी
	6. धुलाई, रंगाई और छपाई
	7. दुग्ध व्यवसाय
अथवा	
(ग) वस्त्रोद्योग	1. सिलाई
	2. धुलाई, रंगाई तथा छपाई
	3. रासायनिक प्रौद्योग
	4. उद्यान कर्म-बागवानी
	5. बढ़ई गीरी
	6. धातु शिल्प
अथवा	
(घ) निम्न लिखित में से कोई एक व्यवसाय	1. धातुशिल्प
	2. बढ़ई गीरी

मुख्य शिल्प	गौण शिल्प
1. यांत्रिक शिक्षा, अथवा	3. हाथ से कागज का निर्माण
2. टंकण तथा आशुलिपि, अथवा	4. मत्स्य पालन
3. ग्रन्थशिल्प तथा छपाई प्रोद्योग	5. तेल तथा अंगराग
	6. चर्म कार्य

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह उल्लखित है कि जबतक मुख्य शिल्प के अन्तर्गत यांत्रिक शिक्षा, टंकण तथा आशुलिपि और ग्रन्थ शिल्प तथा छपाई उद्योग एवं गौण शिल्पों के अन्तर्गत रासायनिक प्रौद्योग, मधुमक्खी पालन, दुग्ध व्यवसाय, और तेल एवं अंगराग के पाठ्यक्रम निर्मित नही हो जाते तब तक परीक्षार्थी इनका चुनाव नही कर सकते हैं ।

यहाँ पर निम्न लिखित बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय है :-

1. समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में शिक्षण का माध्यम हिन्दी होगा । इण्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थी भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में प्रश्नों के उत्तर हिन्दी माध्यम से देंगे लेकिन परिषद् के सभापति तथा ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें वे इस सम्बन्ध में अधिकार दे दें, स्वविवेक से उन परीक्षार्थियों को जिनकी मातृभाषा हिन्दी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा है और जिन्होंने हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा तक हिन्दी का अध्ययन नहीं किया है या जिन्होंने वैज्ञानिक या प्राविधिक विषय लिये हैं, अंग्रेजी द्वारा प्रश्नों का उत्तर देने की आज्ञा दे सकते हैं ।

   भाषाओं के अतिरिक्त समस्त विषयों में प्रश्नपत्र हिन्दी में बनाये जायेंगे तथापि परिषद्, परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त तथा उत्तर प्रदेश के आंग्ल भारतीय विद्यालयों की विनियम संहिता से शासित संस्थाओं के शिक्षण में अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करने की अनुमति दे सकती है । आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय संस्थाओं के प्रधानों द्वारा सचिव को प्रार्थनापत्र देने पर ऐसे परीक्षार्थियों के लिये प्रश्नपत्रों के अंग्रेजी रूपान्तर की व्यवस्था की जा सकती है ।

2. भाषाओं में परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर भाषाओं तथा तत्सम्बन्धी लिपि में देगें, यदि प्रश्नपत्र में ही उसके विपरीत उल्लेख नही है ।

3. परिषद् के सभापति ने संस्थाओं के प्रधानों तथा केन्द्र के अधीक्षकों को यह अधिकार दे दिया है कि वे पूर्वोक्त वर्गों के परीक्षार्थियों की तथा आंग्ल भारतीय संस्थाओं से आने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षाओं में भाषाओं को छोड़कर अन्य विषयों में अंग्रेजी में प्रश्नों का उत्तर देने की अनुमति दे दें ।

4. परिषद् के सभापति ने उत्तर प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षकों को ऐसे परीक्षार्थियों को जिनकी मातृभाषा उर्दू है परन्तु जिन्होंने हिन्दी (प्रारम्भिक पाठ्यक्रम) पढ़ी है, परिषद् की परीक्षा में उर्दू माध्यम का प्रयोग करने की अनुमति देने के सम्बन्ध में अधिकार दे दिया है ।

5. परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा से सम्बन्धित विनियमों के होते हुये भी वे परीक्षार्थी जो 1953 ई0 या उससे पूर्व के वर्ष की इण्टरमीडिएट परीक्षा में 'विशेष युद्ध विनियमों' शरणार्थी परीक्षार्थियों के लिये 'विशेष संक्रमणकालीन विनियमों' (जैसे कि 1951 ई0 की विवरण-पत्रिका में दिये हैं) तथा राजनीतिक पीड़ितों के लिये विशेष संक्रमणकालीन विनियमों' के अन्तर्गत बैठे तथा अनुत्तीर्ण हुये, बाद के किसी वर्ग की इण्टरमीडिएट परीक्षा में संस्थागत अथवा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में, उस वर्ष के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार बैठ सकते हैं बशर्ते वे परिषद् की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिये विनियमों में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करते हैं ।

6. परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा से सम्बन्धित विनियमों की शर्तों के होते हुये भी इण्टरमीडिएट परीक्षा में निम्नलिखित वर्गों के परीक्षार्थियों को अनिवार्य हिन्दी से छूट परिषद् द्वारा निर्धारित नियमानुसार दी जा सकती है :-

   (1) विदेशी राष्ट्रकों, तथा
   (2) भारतीय राष्ट्रिक, जो पूर्व शिक्षण तथा/अथवा निवास के कारण हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ न हो सके, जिससे कि वे इण्टरमीडिएट परीक्षा में अनिवार्य हिन्दी को एक विषय के रूप में ले सकें ।

लेकिन यहाँ यह प्रतिबन्ध है कि,

   (क) कृषि के अतिरिक्त अन्य विषय वर्गों को लेने वाले परीक्षार्थियों को अनिवार्य हिन्दी के निम्न स्तरीय पाठ्यक्रम प्रारम्भिक हिन्दी अथवा एक अन्य वैकल्पिक

विषय लेना होगा ।

(ख) कृषि वर्ग के परीक्षार्थियों को हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी विषय लेने वाले परीक्षार्थियों के लिये निर्धारित अंग्रेजी तृतीय प्रश्न-पत्र लेना होगा । कृषि वर्ग के ऐसे परीक्षार्थियों के लिये यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा ।

यहाँ पर उल्लखित छूट सभापति द्वारा स्वयं अथवा विभाग के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा दी जा सकती है जिसे वह इस सम्बन्ध में अधिकार दे दे । हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोंनों ही परीक्षाओं के लिये प्रारम्भिक हिन्दी का पाठ्यक्रम एक ही होगा ।

7. कोई परीक्षार्थी जिसने इण्टरमीडिएट परीक्षा के विनियम के अन्तर्गत परिषद् द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा केवल अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण कर ली है शेष विषयों सहित इण्टरमीडिएट की आगामी परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में बैठ सकता है तथा उसको उत्तीर्ण होने पर उक्त विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण-पत्र दिया जाता है तथा ऐसे परीक्षार्थी को सम्पूर्ण इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण माना जाता है लेकिन उसे कोई श्रेणी प्रदान नहीं की जाती है ।

3. **हाईस्कूल प्राविधिक परीक्षा :-**

(प्रथम दो वर्षीय पाठ्यक्रम कक्षा 9 एवं 10)

परिषद् 'नियम-संग्रह' (1983-88) के अनुसार दिनाँक 14 नवम्बर 1981 में राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद् 9/527, दिनाँक 29 अक्टूबर, 1981 द्वारा यह अध्याय विखंडित कर दिया गया है । क्योंकि हाईस्कूल परीक्षा में एक वर्ग प्राविधिक वर्ग कर दिया गया है ।

इसके पहले के परिषद् के 'नियम-संग्रह' (1972-78) के अनुसार इस परीक्षा के लिये जो व्यवस्था थी उसका वर्णन नीचे दिया गया है । क्योंकि उस समय हाईस्कूल प्राविधिक परीक्षा के नाम से परीक्षा ली जाती थी :-

हाईस्कूल प्राविधिक परीक्षा के लिये प्रत्येक परीक्षार्थी को 6 विषयों में परीक्षा देना होगी :-

इन विषयों के अतिरिक्त शारीरिक व्यायाम तथा नैतिक शिक्षा में शिक्षण अनिवार्य होगा ।

इस परीक्षा के लिये दो विषय अनिवार्य हैं तथा शेष चार विषयों का चयन दिये गये नियमानुसार करना होगा :-

1. हिन्दी } अनिवार्य विषय
2. गणित }

3. इसके अलावा निम्न लिखित सूची में से एक विषय जो दो विषयों के समकक्ष माना जायेगा :-

(अ) काष्ठ कला

(ब) चमड़े का काम

(स) बुनाई

(द) वैद्युत वायरिंग

(य) हलके यांत्रिक

(र) लोहारी

(ल) शीट धातु शिल्प,

(व) ढलाई तथा जुड़ाई,

(श) सामान्य अभियन्त्रण के तत्व,

(स) मुद्रण कार्य ।

(काष्ठकला, चमड़े का काम और बुनाई का पाठ्यक्रम बनने तक परीक्षार्थी इन विषयों का चयन न कर सकेंगे)

4. सामान्य विज्ञान (उन छात्रों के लिये जिन्होंने काष्ठकला, चमड़े का काम, अथवा बुनाई में से एक वैकल्पिक विषय का चयन किया हो ।)

अथवा

विज्ञान (उन छात्रों के लिये जिन्होंने क्रमांक 3 में दिये गये विषयों में से क्रमांक द से स तक में से किसी एक वैकल्पिक विषय का चुनाव किया हो)

5. हाईस्कूल "साहित्यिक वर्ग" के अन्तर्गत दी गयी वैकल्पिक विषयों की सूची में सम्मलित वैकल्पिक विषयों में से कोई एक विषय ।

हाईस्कूल प्राविधिक परीक्षा के सम्बन्ध में अन्य महत्वपूर्ण बातें निम्न लिखित हैं :-

1. इस परीक्षा के लिये केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही पात्र होंगे, लेकिन जो परीक्षार्थी इस परीक्षा

में अनुत्तीर्ण हो गया है और परीक्षा में पुनः प्रविष्ट होना चाहता है एक व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उसे परीक्षा से पूर्व की जनवरी के अन्त तक उस मान्यता प्रप्त संस्था के प्रधान से, जहाँ वह व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट होना चाहता है, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा कि उसने उसकी प्राविधिक संस्था में उसके द्वारा लिये हुये मुख्य प्राविधिक विषय में तीन मास का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

2. शिक्षण तथा प्रश्नपत्रों के उत्तर देने का माध्यम पारिभाषिक शब्दावली को छोड़कर, जो अंग्रेजी में दी जानी चाहिये, हिन्दी होगा। यदि कोई विद्यार्थी अंग्रेजी में प्रश्नपत्रों का उत्तर देना चाहता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।

3. इस परीक्षा के पूर्णांकों के 25 प्रतिशत अंक दिन प्रतिदिन के क्रियात्मक कार्य के लिये नियत रहेंगे। परीक्षा संचालित करते समय बाह्य क्रियात्मक परीक्षक दिन प्रतिदिन के कार्य पर अंक प्रदान करेगें।

4. इस परीक्षा के लिये भी परिषद् के विनियमों के होते हुये निम्नलिखित वर्गों के परीक्षार्थियों को परिषद् द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनिवार्य हिन्दी में छूट दी जा सकती है :-

   (अ) विदेशी राष्ट्रिकों तथा

   (ब) भारतीय राष्ट्रिक, जो पूर्व शिक्षण तथा/अथवा निवास के कारण हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं थे, जिससे कि वे हाईस्कूल प्राविधिक परीक्षा में अनिवार्य हिन्दी को ले सकें लेकिन ऐसे परीक्षार्थियों को हिन्दी के निम्नस्तरीय पाठ्यक्रम, प्रारम्भिक अथवा विशेष प्रारम्भिक हिन्दी अथवा अन्य वैकल्पिक विषय जो नियमानुकूल हो, अनिवार्य हिन्दी के स्थान पर लेना पड़ेगा।

इस सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि उपरोक्त उल्लखित छूट परिषद् के सभापति द्वारा अथवा विभाग के ऐसे अधिकारियों द्वारा दी जा सकती है जिन्हें वे इस सम्बन्ध में अधिकृत करें। हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं के लिये प्रारम्भिक तथा विशेष प्रारम्भिक हिन्दी का पाठ्यक्रम एक ही है तथा प्रारम्भिक हिन्दी का पाठ्यक्रम कक्षा 6 के पाठ्यक्रम के समकक्ष होगा। परिषद् की परीक्षाओं सम्बन्धी सभी विनियम यहाँ भी लागू होंगे, जहाँ तक कि वे इस परीक्षा से सम्बन्धित विनियमों के प्रतिकूल न हों।

4. **इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा :-**

(अन्तिम दो वर्षीय पाठ्यक्रम, कक्षा 11 एवं 12)

इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा के लिये केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही पात्र होते हैं लेकिन जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हैं, वे यदि चाहें तो व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे सकते हैं लेकिन उनके लिये यह आवश्यक होगा कि वे परीक्षा से पूर्व की जनवरी के अन्त तक उस मान्यता प्राप्त संस्था के प्रधान से, जहाँ से वे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मलित होना चाहते हैं, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि उन्होंने उसकी प्राविधिक संस्था में उनके द्वारा लिये हुये मुख्य प्राविधिक विषय में तीन मास का प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा के लिये परीक्षार्थी को नीचे लिखें पाँच विषयों में परीक्षा देनी होती है, साथ ही शारीरिक व्यायाम तथा नैतिक शिक्षा में शिक्षण अनिवार्य है[23] ।

1. सामान्य हिन्दी
2. गणित
3. भौतिक विज्ञान
4. रसायन विज्ञान तथा
5. वैद्युत अभियन्त्रण के तत्व अथवा यांत्रिक अभियंत्रण के तत्व ।

उपर्युक्त पाँच विषयों के साथ यदि परीक्षार्थी चाहे तो अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी ले सकता है । उत्तीर्ण होने पर इसका उल्लेख प्रमाण पत्र में किया जाता है । इससे परीक्षाफल में या श्रेणी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा में प्रवेश के लिये प्रत्येक परीक्षार्थी को परिषद् की हाईस्कूल प्राविधिक परीक्षा (यथोचितपाठ्यक्रम सहित) अथवा कोई ऐसी परीक्षा जो विनियम द्वारा उसके समकक्ष घोषित की गयी है, इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा के लिये निर्धारित अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा ।

निम्न लिखित परीक्षा परिषद् की हाईस्कूल प्राविधिक परीक्षा के समकक्ष घोषित की गयी है :-

सेकेण्डरी एजूकेशन बोर्ड, उड़ीसा कटक द्वारा संचालित हाईस्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा (प्राविधिक) ।

---

23. दिनांक 22 जनवरी, 1983 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद् 9/958, दिनांक 14 जनवरी 1983, द्वारा संशोधित तथा 1985 की परीक्षा से प्रभावी ।
कोटेड इन परिषद्, "नियम-संग्रह" (1983-88) 'पूर्वोक्त' पृष्ठ-258

इस परीक्षा के लिये शिक्षण एवं प्रश्नपत्रों के उत्तर का माध्यम, पारिभाषिक शब्दावली को छोड़कर जो अंग्रेजी में दी जानी चाहिये हिन्दी होगा । यदि कोई परीक्षार्थी अंग्रेजी में प्रश्नपत्रों का उत्तर देना चाहता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है ।

दिन प्रतिदिन के क्रियात्मक कार्य के लिये पूर्णांकों के 25 प्रतिशत अंक नियत रहते हैं तथा परीक्षा संचालित करते समय बाह्य क्रियात्मक परीक्षक दिन प्रतिदिन के कार्य के आधार पर अंक प्रदान करते हैं ।

इस परीक्षा के लिये परिषद् के परीक्षा सम्बन्धी सभी विनियम लागू होते हैं, जहाँ तक कि वे इस परीक्षा के विनियमों के प्रतिकूल न हों ।

इन विनियमों की शर्तों के होते हुये भी इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा में निम्न लिखित वर्गों के परीक्षार्थियों को परिषद् द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनिवार्य हिन्दी में छूट दी जा सकती है :-

(अ) विदेशी राष्ट्रिकों, तथा

(ब) भारतीय राष्ट्रिक, जो पूर्व शिक्षण तथा/अथवा निवास के कारण हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ न हो सके जिससे कि वे इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा में अनिवार्य हिन्दी को ले सकें ।

लेकिन ऐसे परीक्षार्थियों को सामान्य हिन्दी के स्थान पर हिन्दी का निम्नस्तरीय पाठ्यक्रम प्रारम्भिक हिन्दी अथवा एक अन्य वैकल्पिक विषय लेना पड़ता है ।

इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा के विनियमों के तहत छूट परिषद् के सभापति द्वारा अथवा विभाग के ऐसे अधिकारियों द्वारा दी जा सकती है, जिन्हें वह इस सम्बन्ध में अधिकार दे दें।

इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा[24]

(अन्तिम दो वर्षीय कक्षा 11 एवं 12 के पाठ्यक्रम)—

इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा के लिये प्रत्येक परीक्षार्थी की निम्न लिखित विषयों तथा ट्रेड में परीक्षा ली जाती है :-

(अ) सामान्य हिन्दी (100 अंक)

---

24. दिनाँक 1.10.88 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद् 9/405, दिनाँक 21 सितम्बर, 1988 द्वारा सम्मलित तथा दिनाँक 26.5.90 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद् 9/74, दिनाँक 5.5.90 द्वारा संशोधित एवं वर्ष 1991 की परीक्षा से प्रभावी, कोटेड इन परिषद् नियम-संग्रह" (1983-88) "पूर्वोक्त", पृष्ठ-254

(ब) निम्न में से कोई एक विषय (100 अंक)

1. अरबी
2. अर्थशास्त्र
3. आसामी
4. इतिहास
5. उर्दू
6. उड़िया
7. अंग्रेजी
8. कन्नड़
9. गणित
10. गृहविज्ञान
11. गुजराती
12. चित्रकला
13. जर्मन
14. तर्कशास्त्र
15. तमिल
16. तेलगू
17. नागरिक शास्त्र
18. नेपाली
19. पाली
20. पंजाबी (गुरूमुखी)
21. फारसी
22. बंगला
24. भूगोल
25. मनोविज्ञान
26. मराठी

27. मलयालम

28. रूसी

29. लेटिन

30. वाणिज्य भूगोल

31. समाजशास्त्र

32. संगीत वादन

33. संगीत गायन

34. सांख्यिकी

35. संस्कृत

36. सिन्धी

37. सैन्य विज्ञान

38. शिक्षा शास्त्र

39. जीव विज्ञान

40. भू विज्ञान

41. भौतिक विज्ञान

42. रसायन विज्ञान

43. औद्योगिक रसायन

44. व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार

45. औद्योगिक संगठन

46. अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल

47. गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी

48. शस्य विज्ञान

(स) सामान्य आधारित विषय 50-50 अंकों के दो प्रश्न-पत्र

(छ) निम्न लिखित व्यावसायिक धाराओं (ट्रेडस्) में से कोई एक -

(1) सैद्धान्तिक (5×60) पाँच प्रश्न पत्र प्रत्येक 60 अंक कुल 300 अंक

(2) प्रयोगात्मक आंतरिक — 200 अंक
बाह्य — 200 अंक } 400 अंक

1. खाद्य संरक्षण
2. पाक शास्त्र
3. परिधान रचना एवं सज्जा
4. धुलाई तथा रंगाई
5. बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी
6. टेक्सटाइल डिजाइन
7. बुनाई तकनीक
8. नर्सरी शिक्षण प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध
9. पुस्तकालय विज्ञान
10. बुनियादी स्वास्थ्य कामिक (पुरूष)
11. फोटोग्राफी
12. रेडिया एवं टेलीविजन तकनीक
13. आटोमोबाइल्स
14. मुद्रण
15. कुलाल विज्ञान
16. मधुमक्खी पालन
17. डेरी प्रौद्योगिकी
18 रेशम कीट पालन
19. फलसरंक्षण प्रौद्योगिकी
20. बीजोत्पादन सुरक्षा प्रौद्योगिकी
21. फसलसुरक्षा प्रौद्योगिकी
22. पौधशाला
23. भूमि संरक्षण
24. एकाउन्टेंसी एवं अंकेक्षण
25. बैंकिंग

26. आशुलिपि एवं टंकण

27. विपणन तथा विक्रय कला

28. सचिवीय पद्धति

29. बीमा

30. सहकारिता

37. टंकण हिन्दी तथा अंग्रेजी ।

इण्टरमीडिएट व्यावसायिक परीक्षा के सम्बन्ध में यहाँ निम्न लिखित बातें उल्लेखनीय हैं :-

1. व्यावसायिक शिक्षा के विभिन्न ट्रेड्स में रोजगारपरक परीक्षण कराया जायेगा जो सम्बन्धित ट्रेड में दिये गये प्रौद्योगिकी कार्य के अनुसार होगा । रोजगार परक शिक्षण प्रयोगशाला तथा कार्यस्थल दोंनों स्थानों पर होगा ।
2. इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा में केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही सम्मलित हो सकते हैं, लेकिन इसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मलित हो सकते हैं ।
3. इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा के परीक्षार्थियों को हिन्दी से छूट नहीं प्रदान की जायेगी ।
4. इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिये प्रत्येक परीक्षार्थी को परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा अथवा अन्य कोई परीक्षा जो परिषद् के विनियमों द्वारा उसके समकक्ष घोषित की गई है, उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा ।
5. शिक्षण एवं प्रश्नपत्रों का उत्तर देने का माध्यम हिन्दी होगा, यदि कोई परीक्षार्थी प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में देना चाहता है तो उसे ऐसी अनुमति होगी ।
6. परिषद् के परीक्षा सम्बन्धी सभी विनियम यहाँ भी लागू होंगे, जहाँ तक कि वे इस परीक्षा के विनियमों के प्रतिकूल नहीं हैं ।
7. व्यवसायिक शिक्षा के परीक्षार्थियों की परीक्षा अन्तिम वर्ष में होगी ।

अब हम परिषद् की परीक्षाओं सम्बन्धी विनियमों का वर्णन करेंगे :-

परिषद् की परीक्षाओं सम्बन्धी सामान्य विनियम[25] :-

इसके अन्तर्गत परिषद् की परीक्षाओं में संस्थागत परीक्षार्थियों के प्रवेश, व्यक्तिगत परीक्षार्थी के लिये अनिवार्य योग्यता, आयु, शुल्क, उपस्थिति, श्रेणी-निर्धारण, संनिरीक्षा इत्यादि से सम्बन्धित जो नियम या प्राविधान परिषद् द्वारा किये गये हैं उनका वर्णन किया जा रहा है :-

संस्थागत परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिये नियम :-

संस्थागत परीक्षार्थियों के प्रवेश सम्बन्धी परिषद् द्वारा जो नियम निर्धारित किये गये हैं वो इस प्रकार हैं :-

1. परिषद् द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा में प्रवेश हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले मान्यताप्राप्त संस्था के परीक्षार्थी जिसमें पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पत्राचार सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना के छात्र भी सम्मलित माने जायेंगे, संस्था के प्रधान को अधिक से अधिक प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक परीक्षा के लिये निर्धारित शुल्क देंगे तथा विषय अथवा विषयों को जो वह परीक्षा के लिये ले रहे हैं व्यक्त करते हुये सचिव द्वारा विहित प्रपत्र पर तथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा का आवेदन-पत्र भरेंगे । निर्धारित अवधि में शुल्क जमा न करने पर संस्था के प्रधान को सम्बन्धित छात्र का नाम संस्था से काटने का अधिकार होगा । किसी संस्था में अपना आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् किसी संस्थागत छात्र को केवल उस दशा को छोड़कर जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उसे उसके अभिभावक के उस स्थान से जहाँ वह शिक्षा ग्रहण कर रहा था किसी दूसरे स्थान को किये गये स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर प्रमाण-पत्र पर अपनी संस्तुति के उपरान्त ऐसा करने की अनुमति दी गयी हो, विधालय परिवर्तन का अधिकार न होगा ।
2. संस्था का प्रधान परीक्षार्थियों का आवेदन-पत्र शुल्क के ट्रेजरी चालान सहित अधिक से अधिक 14 अगस्त तक सचिव को भेजेगा । 14 अगस्त के बाद आवेदन-पत्र भेजने पर संस्था का प्रधान 20 रूपये प्रति आवेदन-पत्र की दर से विलम्ब शुल्क देगा । संस्था का प्रधान विलम्ब शुल्क के साथ अधिक से अधिक 31 अगस्त तक आवेदन-पत्र भेजेगा ।
3. ऐसे छात्र जो इस परिषद् की पूरक परीक्षा उत्तीर्ण कर उसी वर्ष की मुख्य परीक्षा में प्रवेश चाहते हैं, आवेदन-पत्र पूरक परीक्षा का परीक्षा फल घोषित होने की तिथि से दस दिनों की अवधि के अन्दर भरेंगें । संस्था का प्रधान ऐसे समस्त आवेदन-पत्र पूरक परीक्षा का

---

25. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0, "नियम-संग्रह" (1983-88) इलाहाबाद, निदेशक राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0 प्र0 - 1991

परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के अन्दर सचिव को भेजेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों से अपना स्थानान्तरण के कारण वर्ष के 15 अगस्त के पश्चात् आने वाले परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में परिषद् की परीक्षाओं में संस्थागत परीक्षार्थियों के रूप में प्रवेश की अन्तिम तिथि परीक्षाओं की तिथि से पूर्व 13 दिसम्बर होगी ।

4. सचिव संस्थागत परीक्षार्थियों के उपयोग हेतु आवेदन-पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा तथा सामान्य प्रक्रिया से विलम्ब होने की स्थिति में वह ऐसी कार्यवाही करेगा जो तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुय उचित समझे ।

5. संस्था का प्रधान आवेदन-पत्रों एवं सचिव द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्रों के स्थान सचिव को यह देखते हुये निम्नलिखित प्रमाण-पत्र भेजेगा ।

   (क) कि संस्था में बालक/बालिका का प्रवेश शिक्षा संस्था के नियमों तथा परिषद् के विनियमों के अनुसार है ।

   (ख) कि उसने एक मान्यता प्राप्त संस्था के अध्ययन का एक नियमित पाठ्यक्रम पूर्ण किया हैं ।

   (ग) कि उसने पाठ्य विवरण में निर्धारित प्रयोग वास्तविक रूप से किये हैं ।

6. ऐसे छात्रों को जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से संस्थागत-परीक्षार्थियों के रूप में दो बार अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, पुनः किसी संस्था में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

उपस्थिति :-

उपस्थिति के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा निम्न प्राविधान किया गया है :-

1. मान्यता प्राप्त संस्था प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में कम से कम 220 कार्य दिवसों में खुली रहेगी, जिनमें परीक्षाओं तथा पाठ्यानुवर्ती कार्य-कलाप के दिवस भी सम्मिलित हैं, प्रतिबन्ध यह है कि 'पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना" के अन्तर्गत पंजीकृत छात्र के सम्बन्ध में कार्य दिवसों की उपर्युक्त संख्या 75 कार्य दिवस होगी तथा इसके साथ सम्बन्धित छात्र को पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा प्रेषित पाठ्य सामग्री को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अध्ययन करना होगा ।

2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा कोई छात्र हाईस्कूल परीक्षा के लिये प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, जब तक वह दो शैक्षिक वर्षों के दरम्यान प्रत्येक विषय में जिसमें उसे परीक्षा में सम्मिलित होना है वादनों की निर्धारित/आवंटित कुल संख्या के जिसमें क्रियात्मक कार्य के वादन भी सम्मलित होंगे कम से कम 75 प्रतिशत वादनों में उपस्थित न रहा हो ।

यहाँ पर आंग्ल भारतीय विधालयों से आने वाले छात्रों के सम्बन्ध में 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा से पूर्व के वर्ष की प्रथम जनवरी से परिगणित की जायेगी ।

3. मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा कोई भी छात्र इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जब तक कि वह दो शैक्षिक वर्षों में प्रत्येक विषय में जिसमें उसकी परीक्षा होनी है, दिये जाने वाले व्याख्यानों में से (जिसमें क्रियात्मक कार्य, यदि कोई हो, के घंटे भी सम्मलित हैं) कम से कम 75 प्रतिशत में सम्मलित न हुआ हो ।

4. यहाँ कृषि वर्ग के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में उपस्थिति का प्रतिशत भाग एक तथा भाग दो के लिये अलग-अलग परिगणित किया जायेगा तथा काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकण्डरी एजुकेशन परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों की उपस्थिति की गणना परीक्षा के पूर्व के वर्ष की पहली जनवरी से परिगणित की जायेगी ।

(राजाज्ञा सं0 मा0/5190/15.7.12(249),76दिनाँक 28 अक्टूबर 1977)

4. परिगणन के लिये एक घंटे के व्याख्यान को एक व्याख्यान, दो घंटे के व्याख्यान को दो व्याख्यान और इसी प्रकार परिगणित किया जायेगा । क्रियात्मक कार्य में लगा एक घंटा एक व्याख्यान के रूप में परिगणित होगा । घंटे का तात्पर्य स्कूल अथवा कालेज के समय चक्र में शिक्षण के घंटे से है ।

5. ऊपर के खण्ड (2) तथा (3) में संदर्भित दो शैक्षिक वर्षों का क्रमिक होना आवश्यक नहीं है । यह संस्थाओं के प्रधानों के विवेकाधिकार पर छोड़ा जाता है कि वे उन छात्रों की उपस्थिति, जिन्होंने कक्षा 9 अथवा 11 में एक से अधिक वर्ष पढ़ा है, कक्षा 10 अथवा 12 की उपस्थिति के साथ किसी एक वर्ष की उपस्थिति को परिगणित कर लें । उन छात्रों को जिन्हें एन0 सी0 सी0, पी0 एस0 डी0 अथवा प्रादेशिक सेना के शिविर अथवा क्रीड़ा

दल, बालचर रैलियाँ अथवा सेन्ट जान एम्बलेन्स शिविर और प्रतियोगितायें अथवा ग्रामों में कृषि विस्तार सेवा अथवा शैक्षिक परिभ्रमण, में जाने की अनुमति दी जाती है, कक्षा में उपस्थिति के लिये वांछित लाभ दिया जायेगा ।

इसके लिये कक्षा के उपस्थिति का समस्त लाभ उपस्थिति अथवा व्याख्यान पंजिका में इस सम्बन्ध को टिप्पणी सहित दिखाना चाहिये । इस प्रकार के लाभ के समस्त लेखे भलीभाँति रखे जाने चाहिए तथा चुने हुये छात्रों के वर्ग के लिये तथा पूरी कक्षा के लिये नही लगाई गयी विशेष कक्षा की उपस्थिति के लाभ की अनुमति नहीं होगी ।

6. परिषद् की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा निरूद्ध छात्रों के सम्बन्ध में केवल एक शैक्षिक वर्ष का प्रतिशत परिगणित किया जायेगा उस शैक्षिक वर्ष की उपस्थिति जिसके अंत में छात्र परीक्षा में बैठना चाहता है, परिगणित की जायेगी ।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उन छात्रों की दशा में जिन्होंने परिषद् की हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मलित होने की अनुमति के लिये आवेदन न किया हो, परन्तु जिनके नाम संस्था की उपस्थिति पंजी में हों अथवा प्रार्थना-पत्रों के प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात् [illegible] परिषद् की परीक्षा में सम्मलित न हुये हों, दो शैक्षिक-वर्षों का प्रतिशत परिगणित किया जायेगा ।

यहाँ पर निरूद्ध से तात्पर्य किसी भी कारण से हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में रोके जाने से है ।

7. छात्र द्वारा इस परिषद् के अधि क्षेत्र से बाहर किसी संस्था में परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा की तैयारी में अर्जित उपस्थिति हाईस्कूल परीक्षा के लिये उपस्थिति के प्रतिशत की गणना में परिगणित कर ली जायेगी ।

8. हाईस्कूल परीक्षा में अंकों की संनिरीक्षा के फलस्वरूप सफल घोषित छात्र के सम्बन्ध में प्रथम शैक्षिक वर्ष, संनिरीक्षा का परिणाम सूचित किये जाने के दस दिन पश्चात् प्रारम्भ हुआ समझा जायेगा ।

इसी प्रकार इस परिषद् अथवा अन्य किसी समकक्ष परीक्षा निकाय के रूके हुये परीक्षाफल के घोषित होने के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्था के कक्षा ।। में प्रवेश

पाने वाले छात्र की उपस्थिति की गणना भी परीक्षाफल घोषित होने के दशवें दिन से होगी ।

9. कोई छात्र जो भारत वर्ष के विधिवत् स्थापित विश्वविद्यालय अथवा भारत में ऐसे माध्यमिक शिक्षा परिषद् से सम्बद्ध विद्यालय जिसकी मैट्रीक्यूलेशन की परीक्षा या समकक्ष परीक्षा परिषद् द्वारा मान्य है, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, गौहाटी विश्वविद्यालय, तथा राजस्थान विश्वविद्यालय (जिसकी इण्टरमीडिएट परीक्षा परिषद् द्वारा मान्य है) में सत्र् के किसी भाग में रहा है, परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कालेज में प्रविष्ट हो सकता है और उस कालेज में उसकी उपस्थिति के व्याख्यान इण्टरमीडिएट परीक्षा में वांछित उपस्थिति के प्रतिशत के लिये परिगणित कर लिये जायेंगे ।

10. मान्यता प्राप्त संस्थानों के प्रधानों को नितांत असंतोषजनक कार्य करने वालों को छोड़कर परीक्षार्थियों को रोकने की अनुमति नहीं है, जिन्होंने परिषद् की किसी परीक्षा में प्रवेश की शर्तों को पूरा कर लिया है ।

प्रतिबन्ध यह है कि इसके अन्तर्गत कक्षा की पूरी संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक छात्र नहीं रोके जायेंगे। मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान छात्रों को रोकने के अधिकार का प्रयोग लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने से तीन सप्ताह पूर्व तक कर सकते हैं और उनके इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं हो सकेगी । मान्यताप्राप्त संस्थाओं के प्रधान, सचिव को एक बार स्थिति की सूचना देने के पश्चात् अपने निर्णय को संशोधित नहीं करेंगे ।

11. ऊपर के खण्ड (10) के सम्मिलित शर्तों के होते हुये भी मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान ऐसे छात्रों को परिषद् की होने वाली परीक्षा में बैठने से रोक सकते हैं, जो शरीर शिक्षा, एन0 सी0 सी0 अथवा पी0 एस0 डी0 के लिये दिये हुये समस्त सामान तथा वर्दियाँ नहीं लौटाते हैं अथवा उनके खो जाने पर परिषद् की परीक्षा से पूर्व 15 फरवरी तक उनका मूल्य नहीं दे देते हैं ।

12. न्यूनतम उपस्थिति के नियम का कड़ाई से पालन किया जायेगा, किसी मान्यता प्राप्त संस्था का प्रधान अधिकारी की कमी का मर्षण अधिकतम :-

(क) हाईस्कूल परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिये 10 दिन का और

(ख) इण्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिये प्रत्येक विषय में दिये गये 10 व्याख्यान

(क्रियात्मक कार्य के घंटों सहित, यदि हो) कर सकता है । ऐसे समस्त मामलों की सूचना जिसमें इस विशेषाधिकार का प्रयोग किया जाता है, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को परिषद् के सभापति के रूप में दी जायेगी ।

तथापि उन परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में जिनकी केवल एक वर्ष की उपस्थिति ही परिगणित होनी है, मर्षण की यह सीमा केवल आधी, अर्थात् पाँच दिन अथवा पाँच व्याख्यान जैसी स्थिति हो, रह जायेगी ।

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि 75 प्रतिशत दिन अथवा व्याख्यान, जिनमें एक परीक्षार्थी को उपस्थित रहना है। एक उसकी उपस्थिति में कमी परिगणित करने में एक दिन अथवा व्याख्यान की भिन्नता पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये ।

विषय परिवर्तन :-

मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान कक्षा 9 अथवा 11 में एक ही वर्ग में अथवा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में विषय परिवर्तन की अनुमति दे सकते हैं । हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट का पाठ्यक्रम प्रत्येक विषय में दो वर्ष का होने के कारण कक्षा 10 अथवा 12 में एक ही वर्ग में विषय अथवा विषयों के अथवा एक वर्ग से दूसरे वर्ग के परिवर्तन की साधारणतया अनुमति नहीं दी जाती हैं, परन्तु विशेष स्थितियों में, मुख्यरूप से अनुत्तीर्ण अथवा रोके गये परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में परिवर्तन की आज्ञा दी जा सकती है और इस प्रकार ऐसे मामलों की सूचना परिषद् को कारणों सहित दी जानी चाहिये । परीक्षार्थी के एक विषय की उपस्थिति, जिसे वह बाद में संस्था के प्रधान की अनुमति से परिवर्तित करता है नये विषय की उपस्थिति के साथ नये विषय में उसकी उपस्थिति का प्रतिशत परिगणित करने के लिये परिगणित की जायेगी । परीक्षा में बैठने का आवेदन-पत्र सचिव के पास अग्रसारित कर देने के पश्चात् विषय में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

छात्रों का प्रवेश एवं प्रोन्नति :-

कोई छात्र जिसने, कभी किसी मान्यताप्राप्त संस्था में शिक्षा नहीं पायी हैं अथवा जिसने कक्षा में प्रोन्नत होने से पूर्व मान्यता प्राप्त संस्था को छोड़ दिया है, परन्तु जिसे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में हाईस्कूल परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त हो गयी है और उसमें बैठ नहीं सका, कक्षा 10 में प्रवेश का पात्र नहीं होगा । इसी प्रकार कोई छात्र जिसने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण

करने के पश्चात् मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययन नहीं किया अथवा कक्षा 12 में प्रोन्नत होने से पूर्व जिसने मान्यता प्राप्त संस्था को छोड़ दिया, परन्तु जिसे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में इण्टरमीडिएट परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त हो गयी और उसमें बैठ नहीं सका, कक्षा 12 में प्रवेश का पात्र नहीं होगा ।

मान्यताप्राप्त संस्था के प्रधान का छात्र को कक्षा 9 से 10 में अथवा 11 से 12 में प्रोन्नत करने का निर्णय प्रत्येक वर्ष के जनवरी के अन्त तक अन्तिम रूप से हो जायेगा ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी प्रवेश के नियम :-

व्यक्तिगत परीक्षार्थी अर्थात् परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में निर्धारित और अपेक्षित उपस्थिति के बिना परीक्षा में प्रवेश वाले व्यक्ति निम्न लिखित शर्तों पर परिषद् की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे :-

1. कोई व्यक्ति जो व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में बैठना चाहता है, आगामी परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि से पूर्व 14 अगस्त तक एक आवेदन-पत्र परीक्षा के लिये निर्धारित शुल्क सहित उस संस्था के प्रधान द्वारा, जो परीक्षा का पंजीकरण केन्द्र है, सचिव के पास प्रेषित करेगा । आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर परीक्षार्थी द्वारा विधिवत् भरा जाना चाहिये, जिसमें उसके द्वारा लिये जाने वाले विषयों का स्पष्ट उल्लेख हो । आवेदन-पत्र निम्नलिखित के साथ सचिव को उनके द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से प्रेषित किया जायेगा ,

    (क) इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा या हाईस्कूल प्राविधिक परीक्षा या परिषद् द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा अथवा हाईस्कूल परीक्षा के लिये परिषद् द्वारा निर्धारित परीक्षा (जिसका वर्णन व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की पात्रता शीर्षक के अन्तर्गत किया जायेगा) में उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र की यथार्थ प्रतिलिपि ।

    (ख) परीक्षार्थी की अन्तिम संस्था, यदि कोई हो, द्वारा ली गयी छात्र पंजी की मूल प्रति ।

    (ग) जिस श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिये शिक्षा विभागीय पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित हो उनको पत्राचार पाठ्यक्रम के अनुसरण के सम्बन्ध में संस्थान द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र की यथार्थ प्रतिलिपि जो परीक्षा की तिथि पर वैध तथा मान्य हो ।

उन संस्थाओं के प्रधान जो परिषद् की परीक्षाओं के पंजीकरण केन्द्र हैं, ऐसे व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र जो पात्र हैं, जाँच करके तथा सचिव द्वारा विहित प्रपत्रों की पूर्ति करके उनके द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से अग्रसारित करेंगे । अपूर्ण अथवा अशुद्ध अथवा अनर्ह अभ्यार्थियों के आवेदन-पत्रों को अग्रसारण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा, तथा इसकी सूचना परिषद् को दी जायेगी, अग्रसारण अधिकारी परीक्षा में बैठने वाले पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र इस प्रकार अग्रसारित करेंगे कि परीक्षाओं की तिथि से पूर्व प्रत्येक दशा में अधिक से अधिक 14 सितम्बर तक पहुँच जायें । इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा । अपूर्ण एवं अशुद्ध, तथा विलम्ब से आवेदन-पत्र तथा अन्य निर्दिष्ट पत्रजात प्रेषित करने वाले, अग्रसारण अधिकारियों के विरूद्ध परिषद् को जैसा कि वह निर्णय करे, कार्यवाही (जिसमें अग्रसारण पारिश्रमिक में कटौती भी सम्मिलित है) करने का अधिकार होगा, अभिप्रेत, व्यक्तिगत परीक्षार्थी जो कहीं सेवा में हैं, अग्रसारित कराने से पूर्व अपने अधिकारियों से उन्हें प्रमाणित करायेंगे । तथ्यों को छिपाना अपराध होगा और इससे परीक्षाफल निरस्त किया जा सकता है ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये निर्धारित आवेदन-पत्र प्राप्त करने की विधि :

2. व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये परिषद् की किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति हेतु निर्धारित आवेदन-पत्रों की प्रतियाँ नियत मूल्य देकर सीधे उत्तर प्रदेश के उस जिले के जिला विधालय निरीक्षक से प्राप्त करनी चाहिये जिसमें परीक्षार्थी परीक्षा में बैठना चाहता है ।
3. विशेष दशाओं में अग्रसारण अधिकारी 25 रूपये विलम्ब शुल्क के रूप में लेकर 3 अगस्त तक आवेदन-पत्र ले सकते हैं परन्तु उनके द्वारा यथाविधि परीक्षित तथा हस्ताक्षरित होकर आवेदन-पत्र सचिव के पास अधिक से अधिक 14 सितम्बर तक अवश्य पहुँच जाने चाहिये
4. व्यक्तिगत परीक्षार्थी किसी भी दशा में आवेदन-पत्र सचिव को सीधे नहीं भेजेंगे । सचिव द्वारा सीधे प्राप्त समस्त आवेदन पत्र रद्द समझे जायेंगे ।

अग्रसारण अधिकारियों का पारिश्रमिक :-

ऐसी संस्था के प्रधान जो परिषद् की परीक्षा का पंजीकरण केन्द्र हैं अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति जो इस प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किये जायें, परिषद् द्वारा विहित विधि से आवेदन-पत्र की समय से प्राप्ति, विहित अर्हताओं तथा विनिर्दिष्ट प्रपत्र आदि की जाँच तथा समय से प्रेषण के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे । इस हेतु उन्हें चार रूपये प्रति परीक्षार्थी

की दर से पारिश्रमिक देय होगा । जिसमें से वे एक रूपये पचास पैसे प्रति परीक्षार्थी की दर से उपर्युक्त कार्य में अपनी सहायता करने वाले व्यक्ति को देंगे ।

अग्रसारण अधिकारी आवेदन – पत्र सचिव को भेजने के पश्चात् पारिश्रमिक पावना पत्र सचिव को भेजेंगे । ऊपर निर्दिष्ट कार्य में अशुद्धता अथवा विलम्ब आदि के लिये अग्रसारण अधिकारी के पारिश्रमिक में कटौती अथवा उनके विरूद्ध अन्य दण्डात्मक कार्यवाही परिषद् द्वारा की जा सकेगी ।

अग्रसारण अधिकारी परीक्षार्थी से किसी प्रकार का अग्रसारण शुल्क नगद नहीं लेंगे परीक्षार्थियों से परिषद् द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क चन्दा अथवा दान नहीं लिया जायेगा ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की पात्रता :-

1. (अ) किसी हाईस्कूल परीक्षा में केवल निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग के व्यक्तिगत परीक्षार्थी ही बैठ सकेंगे ,

(1) वे परीक्षार्थी, जिन्होंने निम्नलिखित में से कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो इस प्रतिबन्ध के साथ कि कथित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो शैक्षिक वर्ष बीत चुके हैं :-

(क) जूनियर हाईस्कूल परीक्षा अथवा उत्तर प्रदेश में संचालित वह परीक्षा जो पहले हिन्दुस्तानी मिडिल परीक्षा कहलाती थी अथवा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित अथवा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा ।

(ख) परिषद् अथवा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त उच्चतर विद्यालय की कक्षा 8 की परीक्षा अथवा उत्तर प्रदेश या उसके बाहर स्थित सामान्य विद्यालय की अनुरूप परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह स्कूल किसी ऐसी परीक्षा निकाय से सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त है, जिसकी परीक्षायें परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हैं ।

यह अनुरूपता छात्र द्वारा उस राज्य की बी0 ए0 परीक्षा के लिये आवश्यक बाद के अध्ययन की वर्षों की संख्या में अवधारित होंगी ।

(ग) रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित बालकों के लिये हिन्दुस्तानी फाइनल परीक्षा ।

(घ) रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित बालिकाओं के लिये अपर मिडिल परीक्षायें ।

(ङ) प्रयाग महिला विद्यापीठ, इलाहाबाद द्वारा दिसम्बर 1969 तक संचालित बिना उच्च अंग्रेजी के विद्याविनोदनी परीक्षा ।

इस सम्बन्ध में प्रयाग महिला विद्यापीठ के 559, दारागंज इलाहाबाद तथा 106 हीवेट रोड, इलाहाबाद के स्थित कार्यालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र स्वीकार किये जायेंगे ।

(च) राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी अथवा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की प्रथमा अथवा उच्चतर परीक्षा ।

(छ) उत्तर प्रदेश में आंग्ल भारतीय विद्यालय की 1956 और उसके बाद की स्तर आठ की परीक्षा अथवा उसके पहले के वर्ष की स्तर सात की परीक्षा अथवा किसी अन्य राज्य के, एक आंग्ल भारतीय विद्यालय की कोई समकक्ष परीक्षा ।

(ज) शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित अरबी में मौलवी/आलिम और फाजिल तथा फारसी में मुंशी और कामिल परीक्षा ।

(झ) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा संचालित अरबी, फारसी और संस्कृत में डिप्लोमा परीक्षा ।

( ) गुरूकुल कांगड़ी, वृन्दावन द्वारा संचालित संस्कृत में अधिकारी परीक्षा ।

(ट) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित मध्यमा परीक्षा ।

(ठ) भारतीय सेना की फर्स्ट क्लास आफ एजुकेशन परीक्षा ।

2. वे परीक्षार्थी जिन्होंने कक्षा 9 अथवा उत्तर प्रदेश अथवा बाहर की मान्यता प्राप्त संस्था की समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, इस प्रतिबन्ध के साथ कि उनके द्वारा कथित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् एक शैक्षिक वर्ष बीत गया हो ।

3. वे परीक्षार्थी, जो परिषद् द्वारा संचालित 1955 की अथवा उसके पूर्व की हाईस्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हों तथा इस सम्बन्ध का प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथी लिखी हो, उस संस्था के प्रधान को देते हैं, जिसमें उनकी परीक्षा का केन्द्र था । इस वर्ग में एक समकक्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी सम्मलित नहीं हैं ।

4. वे परीक्षार्थी जिन्होंने दिसम्बर में होने वाली हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद की प्रथमा अथवा कोई उच्चतर परीक्षा अथवा पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ अथवा 1948 से पूर्व लाहौर में, उसी विश्वविद्यालय की प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण की हो (ऐसे परीक्षार्थी को उस शैक्षिक वर्ष के बाद के वर्ष में हाईस्कूल परीक्षा में प्रवेश मिलेगा जिसमें वे पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं) ।

5[26] हाईस्कूल परीक्षा में प्रवेश हेतु जूनियर हाईस्कूल या कक्षा 8 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना उन व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये आवश्यक नहीं होगा, जिनकी आयु परीक्षा वर्ष की प्रथम जुलाई को बालकों के सम्बन्ध में बीस वर्ष तथा बालिकाओं के सम्बन्ध में अट्ठारह वर्ष या अधिक हो । यह सुविधा बालक एवं बालिका दोनों श्रेणी के परीक्षार्थियों को देय होगी ।

आयु के प्रमाण-पत्र हेतु पूर्व संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र यदि उसने पहले किसी संस्था में अध्ययन किया हो, या नगर पालिका आदि का जन्म प्रमाण-पत्र या शपथ-पत्र जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, स्वीकार किये जायेंगे । गत वर्षों में जो व्यक्तिगत परीक्षार्थी हाईस्कूल परीक्षा में सम्मलित हुये हों किन्तु अनुत्तीर्ण हो गये हों, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापक के द्वारा दिया गया आयु प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा ।

(ब) कोई विद्यार्थी जिसने किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययन किया है, (प्राथमिक पाठशाला को छोड़कर) हाईस्कूल परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश न पा सकेगा जब तक कि उसके विद्यालय छोड़ने और हाईस्कूल परीक्षा में व्यक्तिगत रूप में प्रवेश का मध्यावकाश कम से कम उस समय के बराबर नहीं है जो उस संस्था में रहते हुये परीक्षा में प्रवेश का पात्र होने में लगता । यह प्रतिबन्ध ऊपर के विनियम । (अ) में लागू प्रतिबन्धों के अतिक्ति होगा ।

---

26. राजाज्ञा संख्या मा0/5633/पन्द्रह-7-1 (35) -1980, दिनाँक 29 सितम्बर, 1980 द्वारा संशोधित कोटेड इन परिषद्, 'नियम-संग्रह' (1983-88) 'पूर्वोक्त' पृष्ठ-215

2-(अ) कोई परीक्षार्थी जिस वर्ष की परीक्षा में प्रवेश चाहता है यदि उससे पूर्व के अंग्रेजी वर्ष की 31 जुलाई के पश्चात् उसने परिषद् की मान्यता प्राप्त संस्था में अथवा एक परीक्षा निकाय से मान्यता प्राप्त सम्बद्ध संस्था में (आंग्ल भारतीय विद्यालयों) को छोड़कर) जिसकी परीक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है, अध्ययन किया हो, तो वह व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश का पात्र नहीं होगा ।

(ब) ऊपर के खण्ड 2 (अ) की शर्तों के होते हुये भी परिषद् निम्न लिखित वर्गों के परीक्षार्थियों को व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में प्राविष्ट कर सकता है :-

(क) कोई परीक्षार्थी, जो उस राज्य में अपने अभिभावक के स्थानान्तरण के कारण प्रवीजित हो आया है ।

(ख) कोई परीक्षार्थी जो संस्थागत छात्र के रूप में अपनी लम्बी बीमारी अथवा अभिभावक की मृत्यु अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों वश अपना अध्ययन आगे नहीं चला सकता है ।

प्रतिबन्ध यह है कि ऊपर वर्णित दोनों वर्गों में छात्र का नाम संस्था में नामावली से अन्तिम रूप से कटने तक उसकी उपस्थिति 75 प्रतिशत अथवा उससे ऊपर होना चाहिये । यह प्रतिबन्ध उन परीक्षार्थियों के लिये लागू नहीं होगा जिनकी उपस्थिति केवल एक वर्ष की परिगणित होगी ।

(स) व्यक्तिगत परीक्षार्थी विशेष विषय अथवा विषयों के अध्ययन के लिये किसी मान्यता प्राप्त संस्था में प्रवेश ले सकते हैं और उसमें अंशकालिक रूप से अध्ययन कर सकते हैं ।

3. आगामी होने वाली हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में प्रविष्टि होने की अनुमति उन परीक्षार्थियों को नहीं दी जावेगी, जिन्हें कक्षा 10 अथवा 12 के लिये प्रोन्नति प्राप्त होने में सफलता नहीं मिली है अथवा जिन्होंने 31 दिसम्बर से आगे कक्षा 9 अथवा 11 में अध्ययन किया है ।

आंग्ल भारतीय विद्यालय :-

इन विद्यालयों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान किया गया है :-

किसी आंग्ल भारतीय विद्यालय को छोड़ने वाला परीक्षार्थी हाईस्कूल परीक्षा में उस

शैक्षिक वर्ष के पूर्व तक प्रविष्ट न हो सकेगा, जिसमें कि वह क्रैम्ब्रिज स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में प्रवेश का पात्र होगा, यदि वह आंग्ल भारतीय विद्यालय में अध्ययन करता रहता। आंग्ल भारतीय विद्यालय में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययन करने वाले अथवा किसी ऐसे छात्र का आवेदन-पत्र जिसका अन्तिम विद्यालय आंग्ल भारतीय विद्यालय था, आंग्ल भारतीय विद्यालयों के निरीक्षक द्वारा उस संस्था के आचार्य के लिये अग्रसारित होना चाहिये, जिसे परीक्षार्थी अपने केन्द्र के रूप में चुनता है ।

राज्य से बाहर के परीक्षार्थियों के लिये प्रबन्ध :-

परिषद् के विनियमों के अधीन रहते हुये परिषद् के प्रादेशिक अधिक्षेत्रों के बाहर रहने वाले परीक्षार्थियों को परिषद् की परीक्षाओं में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में प्रविष्ट होने की अनुमति दी जा सकती है, प्रतिबन्ध यह है कि वे अब भी उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों तथा कुछ पर्याप्त कारणों से अन्य राज्यों में अस्थायी रूप से प्रव्रजित हो गये हों । ऐसे परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र उन सम्बन्धित राज्यों के मंडलीय विद्यालय निरीक्षकों द्वारा अग्रसारित होने चाहिये, जिन्हें परीक्षार्थियों के उत्तर प्रदेश में वास्तविक निवास को प्रमाणित करना चाहिये । पचास पैसे के निबन्धन शुल्क के साथ आवेदन-पत्र तथा परीक्षा का निर्धारित शुल्क एक सितम्बर तक सीधे सचिव के पास न भेजकर उस संस्था के प्रधान को अग्रसारित होना चाहिये जिसे परीक्षार्थी अपने केन्द्र के रूप में चुनता है ।

केन्द्र परिवर्तन तथा विषय परिवर्तन सम्बन्धी नियम :-

साधारणतः व्यक्तिगत परीक्षार्थी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् विषय अथवा केन्द्र परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

किसी समकक्ष परीक्षा में एक साथ बैठने सम्बन्धी नियम :-

किसी परीक्षार्थी को, जो व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परिषद् की किसी परीक्षा तथा अन्य निकाय द्वारा संचालित समकक्ष परीक्षा में बैठना चाहता है, परिषद् की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थियों द्वारा क्रियात्मक कार्य पूरा करने का प्रमाण-पत्र सम्बन्धी नियम :-

विनियमों की शर्तों के होते हुये भी कोई व्यक्तिगत परीक्षार्थी परिषद् की किसी

परीक्षा के लिये क्रियात्मक कार्य अथवा क्रियात्मक परीक्षा वाले विषय को ले सकता है । प्रतिबन्ध यह है कि यदि चुना हुआ विषय भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान अथवा जीव विज्ञान अथवा औद्योगिक रसायन अथवा कुलाल विज्ञान अथवा कृषि विज्ञान अथवा चित्रकला और मूर्तिकला और सैन्य विज्ञान अथवा भूगर्भ विज्ञान है तो उसे परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्था में परीक्षा के लिये उस विषय में निर्धारित समस्त क्रियात्मक अथवा लिखित कार्य उसी सत्र् में, जिसमें वह परीक्षा में बैठना चाहता है, पूरा करना चाहिये और इस सम्बन्ध में संस्था के प्रधान का एक प्रमाण-पत्र परीक्षा की तिथि से पूर्व की जनवरी के अंत तक प्रस्तुत करना चाहिये । किसी परीक्षार्थी को, जो एक बार परीक्षा में बैठ चुका है तथा अनुत्तीर्ण हो चुका है, उस विषय के क्रियात्मक कार्य अथवा क्रियात्मक परीक्षा के सम्बन्ध में, जिसमें वह पहले ही परीक्षा दे चुका है, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी समिति :-

अभिप्रेत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र जो अग्रसारण अधिकारियों से यथाविधि परीक्षित तथा हस्ताक्षरित होकर प्राप्त हुये हों परिषद् के विनियमों के तहत नियुक्त उपसमिति के पास संनिरीक्षा के लिये भेजे जायेंगे । संनिरीक्षा के पश्चात् उपसमिति द्वारा ये आवेदन-पत्र स्वीकृत या अस्वीकृत किये जायेंगे ।

अतिरिक्त विषयों में प्रवेश की पात्रता सम्बन्धी नियम :-

परिषद् के विनियमों की शर्तों के होते हुये भी निम्न लिखित श्रेणी के परीक्षार्थी भी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो सकते हैं :-

1. कोई परीक्षार्थी, जिसने हाईस्कूल परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है बाद की हाईस्कूल परीक्षा में एक अथवा अधिक विषयों में प्रविष्ट हो सकता है और ऐसे परीक्षार्थी यदि सफल हो जाये तो वह अतिरिक्त लिये गये विषय अथवा विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र पाने का अधिकारी होगा ।

    प्रतिबन्ध यह है कि विषय अथवा विषयों का चुनाव केवल एक ही वर्ग तक सीमित हो ।

    यह भी प्रतिबन्ध है कि वह उस वर्ष में पूर्व अथवा आंशिक, इण्टरमीडिएट परीक्षा में नहीं प्रविष्ट हो रहा है ।

यह भी प्रतिबन्ध है कि परीक्षार्थी उस विषय अथवा विषयों को नहीं लेगा जो उसके द्वारा पूर्व की हाईस्कूल परीक्षा में लिये गये थे, जिसमें वह उत्तीर्ण हुआ था ।

2. ऊपर के खण्ड (।) के होते हुये भी, कोई परीक्षार्थी जिसने हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, बाद की हाईस्कूल परीक्षा के वाणिज्य के प्रश्नपत्र तीन (केवल आशुलिपि तथा टंकण) में इस प्रतिबन्ध के साथ प्रविष्ट हो सकता है कि उसने यह विषय पूर्व हाईस्कूल परीक्षा में जिसमें वह उत्तीर्ण हुआ था, नहीं लिया था । ऐसा परीक्षार्थी सफल हो जाने पर केवल आशुलिपि तथा टंकण में हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र पाने का अधिकारी होगा ।

3. कोई परीक्षार्थी जिसने इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है बाद की इण्टरमीडिएट परीक्षा में एक अथवा अधिक विषयों में (कृषि विषयों को छोड़कर) बैठ सकता है और यह परीक्षार्थी यदि सफल हो जाता है तो वह उसके द्वारा लिये गये विषय अथवा विषयों में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र पाने का अधिकारी होगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि विषय अथवा विषयों का चुनाव केवल एक वर्ग तक ही सीमित हो ।

यह भी प्रतिबन्ध है कि परीक्षार्थी उस विषय अथवा विषयों को नहीं लेगा जो उसके द्वारा पूर्व इण्टरमीडिएट परीक्षा में, जिसमें वह उत्तीर्ण हुआ था, लिये गये थे ।

4. कोई परीक्षार्थी जिसने इण्टरमीडिएट परीक्षा एक विशेष वर्ग में उत्तीर्ण की है, बाद की इण्टरमीडिएट परीक्षा में (कृषि वर्ग छोड़कर) किसी एक अन्य वर्ग में बैठ सकता है । ऐसे परीक्षार्थियों को उन विषयों में पुनः प्रविष्ट होने की आवश्यकता न होगी, जो वर्गों में समान हैं और जिनका समान पाठ्यविवरण है, श्रेणी नहीं दी जायेगी ।

निम्नलिखित परीक्षाओं को परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त है :-

(क) विश्वविद्यालयों तथा भारत में विधिवत् स्थापित शिक्षा परिषदों की इण्टरमीडिएट परीक्षा ।

(ख) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा अथवा पुरानी खण्ड मध्यमा (पूरा चार वर्षीय पाठ्यक्रम) अथवा सम्पूर्ण मध्यमा परीक्षा

और अतिरिक्त विषयों में प्रवेश परीक्षा (जो पहले वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित थी ।)

(ग) एम0 एस0 विश्वविद्यालय बड़ौदा द्वारा संचालित एफ0 आई0 बी0 ए0, एफ0 आई0 बी0 काम0 तथा एफ0 आई0 बी0 एस-सी0 परीक्षायें ।

(घ) पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला द्वारा संचालित एक अतिरिक्त विषय के साथ उत्तीर्ण प्री-इंजीनियरिंग/ प्री-मेडिकल परीक्षा ।

(ड) काउन्सिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (12 वर्षीय पाठ्यक्रम) परीक्षा ।

(च) भारत में विधिवत् स्थापित विश्वविद्यालयों की प्रथम डिग्री से पूर्व सर्वाजनिक अथवा अनुरूप परीक्षा । यह अनुरूपता छात्र द्वारा उस विश्वविद्यालय को स्नातक परीक्षा के लिये आवश्यक बाद के अध्ययन के वर्षों की संख्या से अवधारित होगी ।

(छ) केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेंद्रम की प्री-डिग्री साहित्यिक तथा वैज्ञानिक वर्ग की परीक्षा ।

(ज) कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र हरियाणा की परीक्षाओं को उनके समक्ष अंकित विवरण के अनुसार :-

1. प्री-मेडिकल परीक्षा-विज्ञान समूह जीव विज्ञान के साथ
2. प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा-विज्ञान एवं गणित समूह के साथ
3. बी0 ए0, बी0 एस-सी0, बी0 काम भाग-1

परीक्षा क्रमशः साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग के समकक्ष ।

(झ) सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा ।

(ञ) बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, मणिपुर, इम्फाल द्वारा संचालित स्पेशल हायर सेकेण्डरी (बारह वर्षीय पाठ्यक्रम) परीक्षा ।

(ट) त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, अगरतला द्वारा संचालित हायर सेकेण्डरी (बारह वर्षीय) परीक्षा ।

परिषद् की परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के श्रेणी विभाजन सम्बन्धी नियम :-

परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों को तीन श्रेणियाँ प्रदान की जाती हैं । पूर्ण योग में 60 प्रतिशत या अधिक अंक पाने पर प्रथम श्रेणी, 45 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच द्वितीय श्रेणी तथा 45 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले को तृतीय श्रेणी दी जाती है । लेकिन जो छात्र सम्पूर्ण योग में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करता है, वह सम्मान सहित उत्तीर्ण घोषित किया जाता है ।

जो परीक्षार्थी एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, बाद की एक अथवा अधिक परीक्षाओं में संस्थागत अथवा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो सकता है, इस प्रतिबन्ध के साथ कि उसे प्रत्येक अवसर पर सचिव को आश्वस्त करना होगा कि उसने परिषद् की परक्षाओं में परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिये निर्धारित शर्तों की पूर्ति कर दी है ।

परिषद् की एक परीक्षा में प्रविष्ट परीक्षार्थी यदि केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण रहे और उस विषय में उसे पच्चीस प्रतिशत या अधिक अंक मिले हों, तो उसे अनुत्तीर्ण हुये विषय में तैंतीस प्रतिशत तक अंक पाने के लिये उसके सम्पूर्ण योग के आधार पर परीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक अंक अनुग्रहांक रूप में देकर उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा और उसे श्रेणी दी जायेगी ।

संनिरीक्षा तथा उसकी कार्यविधि सम्बन्धी नियम :-

परिषद् द्वारा ऐसे परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तकों, जो मुख्य परीक्षा में केवल एक विषय में उस विषय के लिये निर्धारित 5 प्रतिशत अंकों से अधिक से अनुत्तीर्ण नहीं है, बिना शुल्क अथवा आवेदन-पत्र के संनिरीक्षा की जायेगी । अन्य परीक्षार्थी, जो अपनी उत्तर पुस्तकें संनिरीक्षित कराना चाहते हैं, निम्न लिखित नियमों के अनुसार करा सकते हैं :-

1. कोई परीक्षार्थी, जो परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा में प्रविष्ट हुआ है, विषयों के अपने अंकों की संनिरीक्षा द्वारा पुनः जाँच कराने के लिये आवेदन-पत्र दे सकता है ।
2. ऐसे समस्त आवेदन-पत्रों के साथ कोष चालान की एक प्रतिलिपि यह दिखाते हुये कि 20 रूपये प्रति विषय की दर से (यह 1989 की परीक्षा से प्रभावी है इसके पहले 10 रू0 प्रति विषय थी) निर्धारित शुल्क दे दिया गया है, अवश्य होनी चाहिये । उत्तर प्रदेश के

बाहर के स्थान से आवेदन-पत्र भेजने वाले परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में यह शुल्क सचिव के कार्यालय में रेखित पोस्टल आर्डर अथवा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की इलाहाबाद शाखा पर देय रेखित बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजा जाना चाहिये ।

3. ऐसे समस्त आवेदन-पत्र परीक्षाफल घोषणा की तिथि से तीस दिनों की अविध के अन्दर अवश्य दिये जाने चाहिये ।

4. संनिरीक्षा के परीक्षार्थी द्वारा आवेदित समस्त मामलों का तथा स्वतः संनिरीक्षा के समस्त मामलों का परीक्षाफल, जहाँ उसका प्रभाव परीक्षाफल पर पड़ता है (अंक अथवा श्रेणी अथवा अनुत्तीर्ण अथवा उत्तीर्ण) संनिरीक्षा की समाप्ति पर परिक्षार्थी को तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्ति को सूचित कर दिया जायेगा । यह भी प्रतिबन्ध है कि संनिरीक्षा का परीक्षाफल जहाँ परीक्षार्थी द्वारा शुल्क दिया गया है, प्रत्येक दशा में सूचित किया जायेगा भले ही कोई परिवर्तन न हो ।

5. संनिरीक्षा के कार्य में साधारणतया परीक्षार्थियों की उत्तरपुस्तकों की पुनः जाँच सम्मलित नहीं है । उसमें यह देखा जाता है कि क्या अलग-अलग प्रश्नों में दिये गये अंकों का योग करने, उन्हें अग्रेनीत करने अथवा किसी प्रश्न अथवा उसके भाग पर अंक देना छूटने की कोई त्रुटि तो नहीं हुयी है ।

परिषद् की परीक्षाओं के लिये ली जाने वाली शुल्क का विवरण :-

परिषद् की स्थापना के समय से लेकर अब तक बीच की अवधि में परिषद् द्वारा परीक्षाओं के निमित्त ली जाने वाली शुल्क में कई बार संशोधन हुये हैं । परिषद् के कलेण्डर[27] (1923-24) के अनुसार परिषदीय परीक्षाओं के लिये जी जाने वाली शुल्क का विवरण इस प्रकार है :-

1.	हाईस्कूल परीक्षा	(क)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से 15 रूपये ।
		(ख)	प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 20 रूपये ।
2.	इण्टरमीडिएट परीक्षा	(क)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से 20 रू0 ।
		(ख)	प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 30 रूपये ।
3.	कॉमर्सियल डिप्लोमा परीक्षा	(क)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से 25 रू0
		(ख)	प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी के लिये 30 रूपये ।

27. कलैण्डर (1923-24)
बोर्ड ऑफ हाईस्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट परीक्षा, युनाइटेड प्राविन्सिस्, 1924

4.	एक विषय में परीक्षा	5 रूपये ।
5.	एक से अधिक विषय में परीक्षा	5 रूपये प्रति विषय ।
6.	अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के परीक्षाफल की जाँच के लिये (संनिरीक्षा शुल्क)	प्रति परीक्षार्थी 10 रूपये ।

अब हम वर्तमान[28] समय में परिषद् द्वारा ली जाने वाली शुल्क का विवरण आगे प्रस्तुत करेंगे । इसमें परिषद् द्वारा ली जाने वाली परीक्षा शुल्क परिषद् द्वारा आयोजित वर्ष 1993 की परीक्षाओं से प्रभावी होगी तथा अन्य शुल्क परिषद् की विज्ञप्ति दिनाँक 20.10.92 से प्रभावी मानी जायेगी:-

1.	हाईस्कूल परीक्षा	(क)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से 80 रू0
		(ख)	प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 100 रूपये ।
2.	इण्टरमीडिएट परीक्षा तथा इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा (प्रत्येक के लिये अलग-अलग)	(क)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से 90 रू0
		(ख)	प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 150 रूपये ।
3.(अ)	इण्टरमीडिएट कृषि (भाग -1) परीक्षा	(क)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से 80 रू0
		(ख)	प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 150 रूपये ।
(ब)	इण्टरमीडिएट कृषि (भाग-2) परीक्षा	(क)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रत्येक परीक्षार्थी से 80 रू0
		(ख)	प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 150 रूपये ।
4.(अ)	इण्टरमीडिएट परीक्षा (अंग्रेजी)		25 रूपये
(ब)	इण्टरमीडिएट परीक्षा (शेष विषय)		100 रूपये
5.	मार्च/अप्रैल की मुख्य परीक्षा में एक अथवा अधिक विषयों की परीक्षा		15 रूपये प्रतिविषय (वह परीक्षार्थी, जो दो विषयों के समकक्ष एक विषय में प्रविष्ट होगा उसे 30 रूपये परीक्षा शुल्क देना होगा) ।
6.	परीक्षार्थियों के परीक्षाफल की संनिरीक्षा का शुल्क		20 रूपये प्रति विषय ।
7.(अ)	किसी संस्थागत परीक्षार्थी द्वारा		1 रूपये (इस शुल्क का आधा संबन्धित संस्था के प्रधान द्वारा रख

---

28. (अ) माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 'नियम-संग्रह' (1983-88), पूर्वोक्त
(ब) दिनाँक 20.10.92 को प्रकाशित परिषद् की विज्ञप्ति संख्या, परिषद् 9/58, शासन के पत्रांक 3731/15-7-92-1(101)/1992 दिनांक 19 अगस्त 1992 द्वारा संशोधित, कोटेड इन 'शिक्षक' अक्टूबर, 1992 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ की ओर से प्रकाशित, सुल्तानपुर

	किसी परीक्षा में प्राप्त ब्योरेवार अंकों के प्रेषण का अनिवार्य शुल्क	लिया जायेगा, जो परिषद् से सुसंगत सूचना प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक परीक्षार्थी को उसके ब्योरेवार अंक ठीक ढंग से मुद्रित प्रपत्र में प्रेषित करेंगे)
(ब)	किसी संस्थागत परीक्षार्थी के अंक-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क	20 रूपये
8.(अ)	किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त ब्योरेवार अंकों के प्रेषण का अनिवार्य शुल्क	2 रूपये, इस शुल्क का आधा सम्बन्धित केन्द्र अधीक्षक द्वारा रख लिया जायेगा, जो परिषद् के सचिव से सुसंगत सूचना प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी को उसके ब्योरेवार अंक ठीक ढंग से मुद्रित पत्र में प्रेषित करेंगे ।
(ब)	किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के अंक-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क	10 रूपये

अंकपत्रों की द्वितीय प्रतिलिपि सचिव के कार्यालय से प्रेषित की जायेगी जिसके लिये आवेदन-पत्र दिया जाना चाहिये ।

(अंक शुल्क के लिये कृषि भाग 1 तथा भाग 2 परीक्षायें पृथक परीक्षायें समझीं जायेंगीं ।)

9.	विलम्ब शुल्क	25 रूपये (किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी द्वारा देय जो परिषद् की किसी परीक्षा मे प्रविष्ट होने की अनुमति का अपना आवेदन – पत्र विनियमों में निर्धारित तिथि के पश्चात् परन्तु अधिकतम् 31 अगस्त तक देता है) ।
10.	प्रवेश-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क	2 रूपये
11.	परिषद् द्वारा एक परीक्षा के लिये निर्गत प्रमाण-पत्र में नाम परिवर्तन कराने का शुल्क	10 रूपये

12.	विनियमों के अन्तर्गत निर्गत प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि का शुल्क	50 रूपये प्रत्येक परीक्षाके लिये
13.	जिस वर्ष परीक्षा हुयी थी उसकी 31 मार्च से 3 वर्ष के अन्दर न लिये गये प्रमाण-पत्र का शुल्क	20 रूपये ।
14.	किसी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के लिये प्रवजन प्रमाण-पत्र निर्गत होने का शुल्क ।	20 रूपये ।
15.	संस्था के प्रधानों को परीक्षाफल पत्रों की द्वितीय प्रतिलियाँ प्रेषित करने का शुल्क	10 रूपये प्रथम 100 परीक्षार्थियों अथवा उसके अंश के लिये और बाद के 100 परीक्षार्थियों अथवा उसके अंश के लिये 5 रूपये ।
16.	व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र अग्रसारण हेतु शुल्क	5 रूपये ।

उपरोक्त विवरण से परिषद् द्वारा ली जाने वाली शुल्क की स्थापना काल तथा वर्तमान की स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है ।

परिषद् द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में शुल्क की वापिसी के लिये भी नियम बनाये हैं, जो इस प्रकार हैं :-

शुल्क की वापिसी :-

किसी परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति के लिये एक बार दिया गया शुल्क निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर वापिस नहीं होगा :-

(अ) इसके अन्तर्गत उन दशाओं का वर्णन हैं जिनमें पूरे शुल्क की वापिसी हो जायेगी :-

(1) परीक्षा के पूर्व परीक्षार्थी की मृत्यु ।

(2) कोई परीक्षार्थी जो आगे होने वाली परीक्षा के लिये निर्धारित शुल्क देने के पश्चात् संनिरीक्षा के फलस्वरूप अथवा अपने रोके गये परीक्षाफल के मुक्त होने पर सफल घोषित कर दिया जाता है ।

(3) कोई परीक्षार्थी जो पूर्व परीक्षा के लिये दिये गये शुल्क जिसमें वह अस्वस्थता के कारण प्रविष्ट न हो सका, के रोके जाने की समय से सूचना प्राप्त न होने के कारण नया शुल्क जमा कर देता है ।

(ब) इसके अन्तर्गत उन दशाओं का वर्णन है जिनमें एक रूपया काट करके शुल्क की वापिसी का प्राविधान है :-

(1) जब कोई परीक्षार्थी भूल से शुल्क को "0202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, 01 सामान्य शिक्षा, 202 माध्यमिक शिक्षा, 02 बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्क" शीर्षक में जमा कर दे, यद्यपि वह किसी अन्य निकाय द्वारा संचालित परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहता है/चाहती है ।

(2) ऐसे परीक्षार्थी के सम्बन्ध में, जिनका आवेदन-पत्र परिषद् अथवा अग्रसारण प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो ।

(3) जब कोई परीक्षार्थी परिषद् की किसी परीक्षा के लिये विहित शुल्क से अधिक जमा कर दे ।

(4) जब परिषद् की किसी परीक्षा के लिये परीक्षार्थी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गलती से शुल्क जमा कर दियां जाय ।

यहाँ पर निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं :-

(क) 'शुल्क' का तात्पर्य केवल परीक्षा-शुल्क है और उसमें अंक-शुल्क अथवा विलम्ब शुल्क सम्मलित नहीं हैं ।

(ख) शुल्क की वापिसी का आवेदन-पत्र शुल्क को कोषागार में जमा करने के दो वर्ष के भीतर ही प्रस्तुत हो सकेगा ।

(ग) शुल्क की वापिसी के लिये उस परीक्षार्थी के सम्बन्ध में किसी आवेदन-पत्र की आवश्यकता नहीं है, जिसका आवेदन-पत्र परिषद् द्वारा रद्द कर दिया गया है ।

शुल्क स्थगन सम्बन्धी नियम :-

यदि परीक्षार्थी परीक्षा के समय भयंकर रूप से रूग्ण हो तथा इसका प्रमाण-पत्र समर्थ चिकित्साधिकारी यथाविधि प्रदान कर दें तो इस कारण यदि परीक्षार्थी परिषद् की किसी परीक्षा

में प्रविष्ट न हो पाये तो ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा आवेदन-पत्र देने पर परिषद् उसकी शुल्क को स्थगित रखकर उसे आगामी परीक्षा में सम्मलित होने की अनुमति प्रदान कर देती है, बशर्ते ऐसे आवेदन-पत्र संस्था के प्रधान अथवा सम्बन्धित केन्द्र अधीक्षक द्वारा परिषद् के सचिव के कार्यालय में परीक्षा वर्ष की एक मई तक पहुँच जाने चाहिये ।

इस सम्बन्ध में यह भी प्राविधान है कि एक बार स्थगित किया हुआ शुल्क पुनः स्थगित नहीं हो सकेगा तथा मुख्य परीक्षा के तुरन्त बाद में होने वाली पूरक परीक्षा का शुल्क स्थगित करने का आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 15 सितम्बर होगी । अधिक जमा किये गये शुल्क की वापिसी न होगी ।

प्रवेश-पत्र तथा उन्हें प्रदान करनें की विधि :-

सचिव जब इस बात से अपने को आश्वस्त कर लेगा कि परीक्षार्थी ने परिषद् की परीक्षा में प्रवेश हेतु समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है, उसे प्रवेश-पत्र प्रदान करेगा जिसे परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक को प्रस्तुत करके परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राप्त करेगा ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी अपने प्रवेश-पत्र परीक्षा केन्द्रों के अधीक्षकों से लिखित परीक्षा प्रारम्भ होने के प्रथम दिवस से 48 घण्टे पूर्व प्राप्त कर लेंगे, ऐसा न करने पर उन्हें प्रतिदिन अथवा उसके अंश पर एक रूपये अर्थदण्ड देना होगा ।

यदि किसी परीक्षार्थी का प्रवेश-पत्र खो जाये तो ऐसी स्थिति में यदि सचिव, आश्वस्त हो जाय कि वास्तव में परीक्षार्थी का प्रवेश-पत्र खो गया है तो वह निर्धारित शुल्क दिये जाने पर उसकी द्वितीय प्रति प्रदान कर सकते हैं ।

बहिस्करण एवं निष्कासन :-

इस सम्बन्ध में निम्न प्रावधान हैं :-

1. यदि किसी परीक्षार्थी को एक शैक्षिक वर्ष के भीतर किसी समय बहिष्कृत कर दिया गया है तो ऐसा परीक्षार्थी उस शैक्षिक वर्ष में होने वाली परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हो सकेगा ।
2. यदि किसी परीक्षार्थी को परिषद् की किसी परीक्षा में प्रवेश के लिये उसका प्रमाण-पत्र भेज दिये जाने के पश्चात् संस्था से निष्कासित कर दिया गया है तथा जिसका किसी मान्यता प्राप्त संस्था में प्रवेश नहीं हुआ है तो ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

इस सम्बन्ध में यह भी प्राविधान है कि

(क) यदि उपर्युक्त दण्ड उसे परीक्षाकाल में अथवा उसके पश्चात् परन्तु शैक्षिक वर्ष की समाप्ति से पूर्व दिया जाता है, जिसमें परीक्षा होती है तो उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी ।

(ख) किसी परीक्षार्थी को जो परिषद् द्वारा मान्य किसी परीक्षा निकाय से वारित है, किसी परीक्षा में उस अवधि की समाप्ति से पूर्व जिसके लिये वह दण्डित है, प्रवेश नहीं मिल सकेगा ।

प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति के सम्बन्ध में नियम :-

परिषद् आवेदन-पत्र देने पर तथा निर्धारित शुल्क देने पर किसी परीक्षार्थी को प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति निम्न लिखित दशाओं में दे सकती है :-

1. प्रमाण-पत्र खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की दशा में,
2. प्रमाण-पत्र के खराब होने, विरूपित होने अथवा कट-फट जाने की दशा में, जो परिषद् को अवरूद्ध किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है,
3. प्रमाण-पत्र की प्रविष्टियों धूमिल हो जाने की दशा में, जो अन्य प्रकार से मजबूत है और परिषद् को निरस्त किये जाने के लिये प्रस्तुत किया गया है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह प्रतिबन्ध है कि क्रम (1) तथा (2) के लिये परीक्षार्थी अपने आवेदन-पत्रों के साथ उचित शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेंगे । यदि परीक्षार्थी की आयु 20 वर्ष या इससे कम है तो शपथ-पत्र उसके पिता (यदि वह जीवित हैं) के द्वारा अथवा उसके अभिभावक द्वारा (यदि पिता जीवित नहीं है) निष्पादित किया जायेगा । दोनों ही दशाओं में परीक्षार्थी को शपथपत्र की यथाविधि अभिपुष्टि करनी होगी ।

यह भी प्रतिबन्ध है कि क्रम (1) के सम्बन्ध में परीक्षार्थियों के इस सत्य को इस राज्य के एक दैनिक समाचार पत्र के एक संस्करण में विज्ञापित कराना होगा और इस समाचार पत्र के संस्करण की प्रति जिसमें विज्ञप्ति निकली है, परिषद् के कार्यालय को पूर्व प्रतिबन्ध में अपेक्षित शपथ-पत्र के साथ प्रेषित करनी होगी ।

प्रव्रजन प्रमाण-पत्र :-

परिषद् व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को निर्धारित शुल्क देने पर परिषद् द्वारा निश्चित

किये गये प्रपत्र पर प्रविजन प्रमाण-पत्र प्रदान करती है ।

संस्थागत परीक्षार्थियों के रूप में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिये प्रविजन प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है बल्कि परीक्षार्थियों ने जिस संस्था में अध्ययन किया है, उसका जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रति हस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र ही प्रविजन प्रमाण-पत्र का कार्य करता है ।

इस सम्बन्ध में यह भी प्राविधान है कि परीक्षार्थी द्वारा प्रव्रजन प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये जमा किया गया शुल्क परिषद् के विनियमों के होते हुये भी वापिस नहीं किया जायेगा ।

प्रमाण-पत्रों का वितरण :-

इस सम्बन्ध में निम्न प्रावधान है :-

1. परिषद् की परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी का प्रमाण-पत्र परिषद् द्वारा आचार्य अथवा केन्द्र अधीक्षक जैसी स्थिति हो को भेजा जायेगा, जो परीक्षार्थियों को देंगे । जो परीक्षार्थी डाक से अपना प्रमाण-पत्र चाहते हैं वे आचार्य/केन्द्र अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक टिकट तथा लिफाफा भेजकर अथवा निर्धारित प्राविधानुसार प्राप्त कर सकते हैं ।
2. आवेदन-पत्र तथा विनियमों के तहत निर्धारित शुल्क देने पर परिषद् किसी परीक्षार्थी को, जिसने उस वर्ष 31 मार्च से, जिसमें कि परीक्षा हुयी थी, तीन वर्ष के भीतर न लिये मूल प्रमाण-पत्र को निर्गत कर सकती है । इसके लिये आवेदन सचिव के यहाँ से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र पर संस्थागत परीक्षार्थी के सम्बन्ध में संस्था के प्रधान द्वारा तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के सम्बन्ध में केन्द्र के अधीक्षक द्वारा, एक शपथ-पत्र सहित जिसमें यह उल्लेख हो, कि उसने प्रमाण-पत्र की मूल अथवा दूसरी प्रतिलिपि नहीं प्राप्त की है, दिया जाना चाहिये । यदि परीक्षार्थी 20 वर्ष या इससे कम आयु का है, तो शपथ-पत्र उसके पिता (यदि जीवित हों) के द्वारा अथवा उसके अभिभावक (यदि पिता जीवत न हों) के द्वारा निष्पादित किया जायेगा । दोनों दशाओं में परीक्षार्थी को शपथ-पत्र की यथाविधि अभिपुष्टि करनी होगी ।

न्यूनतम आयु :-

यदि किसी परीक्षार्थी की आयु उस वर्ष की प्रथम जुलाई को जिसमें वह परीक्षा में सम्मलित होना चाहे, 14 वर्ष अथवा उससे अधिक नहीं हो, तो वह परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा ।

पत्राचार :-

पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा माध्यमिक शिक्षा के स्तर के उन्नयन और परिषद् की परीक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से प्रवेश चाहने वाले व्यक्तियों को अध्ययन की सुविधा देने के लिये पत्राचार के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है ।

पत्राचार शिक्षा संस्थान के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नांकित हैं :-

1. पत्राचार शिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के पंजीकरण की व्यवस्था करना ।
2. पाठ-लेखन, परिमार्जन, मुद्रण एवं आवश्यकतानुसार आवृत्तियों में मुद्रित पाठों के प्रेषण की व्यवस्था करना ।
3. अभ्यर्थियों को निर्देशन प्रदान करने की व्यवस्था करना ।
4. पत्राचार पाठ्यक्रम का अनुसरण करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मलित होने केलिये आवश्यक उपयुक्तता प्रमाण-पत्र देना ।
5. समय-समय पर निदेशक/शासन द्वारा अधिसूचित अन्य कार्यों का सम्पादन करना ।

परिषद् परीक्षाओं की जिस परीक्षा के जिस वर्ग के, जिस श्रेणी के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये जिन विषयों में पत्राचार शिक्षा व्यवस्था किये जाने की अधिसूचना शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा की जाये उस परीक्षा के उस वर्ग के, उस श्रेणी के ऐसे व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये, जो पत्राचार शिक्षण की अनिवार्यता से मुक्त नहीं हैं, पत्राचार शिक्षा हेतु अपना पंजीकरण कराकर पत्राचार शिक्षा के अन्तर्गत किये गये पाठों का अनुसरण करना अनिवार्य होगा । उपर्युक्त श्रेणी के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये संस्थान द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु पंजीकरण की व्यवस्था की जायेगी । पत्राचार पाठ्यक्रम के अनुसरण की अवधि सामान्यत: दो शैक्षिक वर्ष होगी । अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार शिक्षा) आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन कर सकते हैं ।

पत्राचार शिक्षण की अनिवार्यता से निम्न लिखित श्रेणी के परीक्षार्थी मुक्त रहेंगे :-

(क) हाईस्कूल परीक्षा के सम्बन्ध में :-

1. विगत वर्षों की हाईस्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी ।
2. परिषद् की परीक्षा में सम्मलित अतिरिक्त विषय/विषयों के परीक्षार्थी अथवा आंशिक परीक्षार्थी ।

3. वे परीक्षार्थी जिन्होंने दिसम्बर में होने वाली हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद की प्रथमा अथवा कोई उच्चतर परीक्षाअथवा पंजाबी विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ अथवा 1948 से पूर्व लाहौर में उसी विश्वविद्यालय की प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण की हो
4. ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 9 तथा 10 में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया हो किन्तु परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा में सम्मलित होने के लिये आवेदन न किये हों (किन्तु संस्था की उपस्थिति पंजी में नाम हो) अथवा आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर देने के पश्चात् भी परीक्षा में न सम्मलित हुये हों ।
5. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 9 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी ।
6. हिन्दी से भिन्न किसी अन्य माध्यम से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी ।
7. नेत्रहीन (अन्धे) तथा चलने-फिरने में शारीरिक रूप से अक्षम परीक्षार्थी ।
8. भारतीय सेना में नियमित रूप से कार्यरत परीक्षार्थी ।

(ख) इण्टरमीडिएट परीक्षा के सम्बन्ध में :-

1. विगत वर्षों की इण्टमीडिएट परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी ।
2. परिषद् की परीक्षा में सम्मलित अतिरिक्त विषय/विषयों के परीक्षार्थी अथवा आंशिक परीक्षार्थी ।
3. ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने कैम्ब्रिज स्कूल सर्टीफिकेट (जो पहले सीनियर लोकल कहलाती था) परीक्षा अथवा इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा, नई दिल्ली की काउन्सिल द्वारा संचालित इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा (केवल दिसम्बर 1974 तक) अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा (एक वर्षीय अथवा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) अथवा बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, दिल्ली की हायर सेकेण्डरी स्कूल टेक्निकल सर्टीफिकेट परीक्षा (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) अथवा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, अजमेर, नई दिल्ली द्वारा संचालित अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा डिमास्ट्रेशन मल्टीपरपज हायर सेकेण्डरी परीक्षा अथवा भारत में विधिवत् स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा प्रवेश अथवा अर्हता अथवा पूर्व विश्वविद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है जिसके तुरन्त बाद

त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम होता है तथा ऐसे परीक्षार्थी जिन्होनें परिषद् की इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा अथवा एक समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है ।

4. ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा ।। तथा कक्षा ।2 में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन कर नियमित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया हो किन्तु परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मलित होने के लिये आवेदन न किये हों (किन्तु संस्था की उपस्थिति पंजी में नाम हो) अथवा आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद भी परीक्षा में सम्मलित न हुये हों ।
5. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा ।। अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।
6. हिन्दी से भिन्न किसी अन्य माध्यम से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी ।
7. नेत्रहीन (अंधे) तथा चलने-फिरने में शारीरिक रूप से अक्षम परीक्षार्थी ।
8. भारतीय सेना में नियमित रूप से कार्यरत परीक्षार्थी ।

प्रतिबन्ध यह है कि पत्राचार शिक्षण व्यवस्था की अनिवार्यता से मुक्ति प्राप्त उपर्युक्त (क) तथा (ख) के अभ्यर्थी यदि चाहें तो निर्दिष्ट विधि से निर्धारित शुल्क जमा करके पत्राचार के अन्तर्गत लिये गये विषयों में पाठ प्राप्त कर सकते हैं ।

पत्राचार शिक्षण हेतु शासन द्वारा स्वीकृत दरों पर पंजीकरण पत्राचार शिक्षण तथा अन्य शुल्क वसूल किया जाता है । पत्राचार शिक्षण संस्थान के विभिन्न पारिश्रमिक कार्यों के लिये मानदेय तथा पारिश्रमिक का भुगतान शासन द्वारा स्वीकृत दरों पर किया जाता है तथा पत्राचार शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना के अन्तर्गत राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पंजीकृत छात्रों को नियमित संस्थागत[29] छात्र के रूप में माना जायेगा ।

परीक्षा संचालन में सहायक विभिन्न क्षेत्रीय अधिकारी एवं परीक्षक :-

परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं का सुनियोजित ढंग से संचालन करने के लिये मण्डलीय स्तर पर उपशिक्षा निदेशक उत्तरदायी होता है, जो अपने मण्डल के सभी जिलों की परीक्षा व्यवस्था देखता है ।

जिला स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक इस उत्तरदायित्व का वहन करता है ।

---

29. दिनाँक ।। अक्टूबर, ।986 के राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सं0 परिषद् 9 /(231.)
दिनाँक जुलाई ।986 द्वारा सम्मलित् तथा ।988 की परीक्षा से प्रभावी ।
कोटेड इन परिषद् 'नियम-संग्रह' (।983-88) 'पूर्वोक्त' पृष्ठ 23।

परीक्षा केन्द्रों पर, परिषद् द्वारा केन्द्र व्यवस्थापक नियुक्त किये जाते हैं । केन्द्र व्यवस्थापक प्रायः उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य होते हैं। यह परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा संचालन का उत्तरदायित्व वहन करते हैं तथा परिषद् से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं

एक अन्य अधिकारी केन्द्रीय मूल्यांकन नियंत्रक होता है । यह मूल्यांकन कार्य के निमित्त आवश्यक सभी व्यवस्थायें करताहै और मूल्यांकन समाप्त होने के बाद सभी उत्तपुस्तकायें तथा आवश्यक प्रपत्र परिषद् को भेजता है ।

उपरोक्त अधिकारियों के अतिरिक्त परिषद् द्वारा परीक्षक परिनिरीक्षक और परिसीमनकर्ता आदि की नियुक्त की जाती है जो प्रश्न-पत्रों का निर्माण, मूल्यांकन तथा परीक्षाफल निर्माण के कुछ चरणों की पूर्ति करते हैं । इन सभी की नियुक्ति की पात्रता, उनकी नियुक्ति तथा हटाये जाने के नियम और उनके कर्तव्यों का वर्णन नीचे किया जा रहा है[30] :-

परीक्षक :-

परिषद् द्वारा हाईस्कूल परीक्षा तथा हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये अलग-अलग योग्यता वाले व्यक्ति परीक्षक नियुक्त किये जाते हैं ।

केवल हाईस्कूल परीक्षा के लिये परीक्षक की योग्यता सम्बन्धी नियम :-

इसके लिये निम्न प्राविधान किया गया है ।

1. हाईस्कूल परीक्षा के लिये परीक्षक के लिये निम्न श्रेणी के अध्यापक अर्ह माने जाते हैं :-
   (क) ऐसे अध्यापक जिनका मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सम्बन्धित विषय की हाईस्कूल या इण्टर अथवा दोनों मिलाकर पढ़ाने का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव हो,
   (ख) ऐसे अध्यापक जिनका विभाग द्वारा मान्य दीक्षा विद्यालयों या/तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की हाईस्कूल या इण्टर कक्षाओं को पढ़ाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो,
   (ग) अभीष्ट अनुभव प्राप्त विज्ञान व कृषि के अप्रशिक्षित प्रदर्शक प्रयोगात्मक परीक्षकत्व के लिये अर्ह होंगे ।
2. पाँच वर्ष की सेवा अवधि वाले प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के वे अध्यापक जो सम्बन्धित विषय की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं तथा प्रसार अध्यापक

---

30. माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0 प्र0 का नियम-संग्रह (1983-88) इलाहाबाद, निदेशक राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 1991 पृष्ठ 334-342

जो अपेक्षित अनुभव रखते हों और जो सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं।

3. विद्यालयों के निरीक्षक उप निरीक्षक तथा शिक्षा विभाग के इनके तुल्य अथवा उच्च अधिकारी जो सम्बन्धित विषय में योग्यता प्राप्त हों और जिसकी सेवा अवधि 5 वर्ष हो गयी हो ।

4. हाईस्कूल प्रयोगात्मक विषयों के परीक्षकों की रिक्तियों की पूर्ति सर्व प्रथम उन अर्ह प्रेक्टिकल डिमान्सट्रेटर्स से की जाय जो कभी परीक्षक नहीं बने हैं । तत्पश्चात् लिखित विषयों में कार्यरत परीक्षकों को स्थानांतरित करके किया जाय। ऐसा करने में पहले चौथे वर्ष में चलने वाले तत्पश्चात् तीसरे वर्ष तथा दूसरे वर्ष वाले व्यक्तियों से रिक्तयाँ पूर्ण की जायें । यदि फिर भी रिक्त दोष रह जाय तो उनकी पूर्ति उसी आधार पर की जाय जिस आधार पर लिखित

परीक्षकों की नियुक्तियाँ करके का प्रस्ताव है । इण्टरमीडिएट में भी लिखित परीक्षकों का प्रयोगात्मक में स्थानान्तरण इसी प्रक्रिया से कर के सूचियाँ पूर्ण की जायें ।

5. संगीत में उन नेत्रहीन व्यक्तियों को परिषद् की प्रयोगात्मक परीक्षाओं में परीक्षक नियुक्त किया जाय जो परीक्षक हेतु वांछित अर्हता पूरी करते हों ।

हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा के लिये परीक्षकों की योग्यता :-

इनके लिये निम्न योग्यतायें निर्धारित की गयीं हैं :-

1. प्रशिक्षण महाविद्यालय या तकनीकि विषयों की शिक्षण संस्था या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के पाँच वर्ष की सेवा अवधि वाले अध्यापक परीक्षक के लिये अर्ह माने जाते हैं ।

   विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के अध्यापकों को हाईस्कूल परीक्षा में परीक्षक/उप प्रधान परीक्षक का कार्य नहीं दिया जायेगा ।

2. इण्टरमीडिएट कालेजों के योग्यता प्राप्त वे अध्यापक जिन्हें सम्बन्धित विषय की 11 वीं तथा 12 वीं कक्षाओं को पढ़ाने का पाँच वर्ष का अनुभव हो ।

3. मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक जिनकी सेवा अवधि पाँच वर्ष हो और जो सम्बन्धित विषय में योग्यता प्राप्त हों ।

4. विद्यालय के निरीक्षक, उपनिरीक्षक तथा शिक्षा विभाग के इनके तुल्य अथवा उच्च अधिकारी, जिनकी सेवा अवधि पाँच वर्ष हो चुकी हों और जो सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हों ।

परीक्षकों और परिनिरीक्षकों आदि की नियुक्त के विचारार्थ विद्यालयों के प्रधान तथा शिक्षा विभाग के अन्यान्य अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सब प्रकार से पूर्ण सूचियों को प्रेषित करेंगे ।

परीक्षक की नियुक्ति के किये सामान्यतः मुख्य कसौटी सेवाकाल होगा अर्थात् दूसरी बातें समान होने पर अधिक सेवा काल वाले व्यक्ति को कम सेवाकाल वाले व्यक्ति पर वरीयता दी जायेगी, किन्तु यह तरीका नीचे दी गयी श्रेणियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा :-

(अ) प्रशासनिक और विद्यालयों का निरीक्षण करने वाले कर्मचारी।

(ब) विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के कार्यकर्ता ।

(स) अवकाश प्राप्त शिक्षा विभाग के कर्मचारी ।

(द) प्रख्यात शिक्षाविद ।

विद्यालयों के अध्यापकों तथा शिक्षा विभाग के कार्यालयों के अधिकारियों के सम्बन्ध में वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये परिषद् सचिव द्वारा विद्यालयों के प्रधानों तथा कार्यालयों के अध्यक्षों को कोरे प्रपत्र भेजे जायेंगे ।

तकनीकी तथा किसी विषय के प्रसंग में जिनमें योग्यता प्राप्त व्यक्ति पर्याप्त संस्था में नहीं मिलते, उक्त नियम शिथिल किये जा सकते हैं ।

परीक्षकों की नियुक्ति :-

परीक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में परिषद् द्वारा निम्न व्यवस्था की गयी है :-

1. मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टरकालेजों के अध्यापकों की परीक्षकों के रूप में नियुक्ति हेतु इन संस्थाओं से प्राप्त अध्यापक सूचियों को आधार मानकर विषयवार अध्यापन अनुभव के अनुसार ज्येष्ठता सूची बनाई जायेगी । जिन अध्यापकों के विवरण अध्यापक सूची में उपलब्ध न हो अथवा विवरण अस्पष्ट हों, संस्था के प्रधानों से स्पष्टीकरण माँगा जायेगा ।
2. हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट में विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को निम्न कोटे के अनुसार पारिश्रमिक कार्य दिया जायेगा :-

(अ) **हाईस्कूल :-**

(क) 95 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के कार्यरत/अवकाश प्राप्त अध्यापक

तथा प्रधानाचार्य एवं प्रसार अध्यापक, सी0 टी0 वेतनक्रम के स्नातकोत्तर उपाधिधारी अध्यापक तथा व्यायाम शिक्षक व शारीरिक शिक्षा अनुदेशक (स्नातकोत्तर उपाधिधारी)

(ख) 5 प्रतिशत शिक्षा विभाग के अधिकारी, एस0 डी0 आई0 (स्नातकोत्तर उपाधिधारी) श्रेणी के तथा अन्य श्रेणी के व्यक्ति ।

प्रसार अध्यापक, सी0 टी0 वेतनक्रम तथा व्यायाम शिक्षा आदि की ज्येष्ठता हेतु अनुभव की गणना उस वर्ष से की जायेगी जिस वर्ष उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है ।

(ब) इण्टरमीडिएट :-

(क) 80 प्रतिशत केवल माध्यमिक विद्यालयों के कार्यरत अध्यापक/अवकाश प्राप्त अध्यापक तथा प्रधानाचार्य आदि ।

(ख) 20 प्रतिशत शिक्षा विभाग के अधिकारी, विश्वविद्यालय/डिग्री कालेज के अध्यापक तथा अन्य श्रेणी के व्यक्ति ।

3. एम0 एस-सी0 (कृषि) उपाधिधारी व्यक्ति जिसने बी0 एस-सी0 (कृषि) में कृषि अभियंत्रण अनिवार्य विषय के रूप में लिया हो, आवश्यक अध्यापन अनुभव के साथ कृषि अभियंत्रण (इण्टर) में परीक्षक के लिये अर्ह होंगे ।

4. विज्ञान प्रदर्शक, जिन्होंने बी0 एस-सी0 रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान लेकर उत्तीर्ण किया है, प्रशिक्षण आदि की निर्धारित अन्य अर्हता रखने पर हाईस्कूल विज्ञान-2 द्वितीय प्रश्न पत्र में परीक्षक हेतु अर्ह माने जायेंगे ।

5. प्रयोगात्मक (हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट) विषयों में लिखित परीक्षकों को प्रयोगात्मक परीक्षा में स्थानान्तरण किया जा सकता है । प्रयास यह रहेगा कि इन विषयों में लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षक का कार्य प्रत्येक परीक्षक को दिया जा सके।

6. हायर सेकेण्डरी स्कूलों/माध्यमिक विद्यालयों के सी0 टी0 ग्रेड के उन अध्यापकों को जो स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं परन्तु हाईस्कूल कक्षाओं को 5 वर्ष से कम समय तक पढ़ाते रहे हैं उन्हें उन्हीं अध्यापकों की तरह परीक्षक हेतु अर्ह माना जाये जो स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष तक जूनियर कक्षाओं को पढ़ाते रहे हैं ।

7. किसी ग्रेड का कोई अध्यापक जो दो विषयों में एम0 ए0 है और इनमें से कोई एक ही विषय पढ़ा रहा है तो ऐसे अध्यापकों को दूसरेविषय में भी हाईस्कूल में परीक्षकत्व कार्य हेतु अर्ह माना जायेगा ।

8. जो अध्यापक परिषद् का पारिश्रमिक कार्य एक या दो वर्ष कर चुके हैं अर्थात् जिन्होंने अपना चार वर्ष कार्य पूरा नहीं किया है परन्तु अंक-त्रुटि अथवा सामूहिक नकल या अन्य परिस्थितियों में पारिश्रमिक कार्य से वंचित कर दिये गये हैं अथवा पारिश्रमिक कार्य नहीं कर सके हैं उन्हें उनके वंचित काल की समाप्ति के पश्चात् टर्म पूरा करने में जितने वर्ष बचे हों, उन्हें उतने ही वर्षों तक पारिश्रमिक कार्य दिया जायेगा ताकि उनका पारिश्रमिक कार्य करने का एक टर्म (वंचित अवधि से पहले तथा बाद का मिलाकर) पूरा हो जाय ।

9. ऐसे प्रसार तथा व्यायाम अध्यापकों एवं एन0 डी0 एम0 आई0 जी0 स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त नहीं है परन्तु प्रशिक्षित स्नातक हैं तथा हाईस्कूल कक्षाओं को पढ़ाने का वांछित अनुभव रखते हैं उन्हें अनुभव के आधार पर सामान्य श्रेणी में परीक्षकत्व प्रदान किया जायेगा ।

10. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के ऐसे अध्यापक जो केवल बी0 ए0, बी0 टी0 सी0 अथवा जे0 टी0 सी0 हैं, उन्हें बी0 ए0 उत्तीर्ण वर्ष के बाद के 5 वर्ष के अध्यापन अनुभव को जोड़कर सी0 टी0 ट्रेण्ड की श्रेणी में रखा जायेगा परन्तु अनट्रेण्ड अध्यापकों को किसी भी दशा में परीक्षक कार्य हेतु अर्ह नहीं माना जायेगा । अध्यापकों को उप प्रधान अधीक्षक पद पर नियुक्ति हेतु 12 वर्ष की सेवाकाल की गणना में उनके जूनियर हाईस्कूल कक्षाओं को पढ़ाने अथवा जूनियर संस्थाओं के सेवाकाल को सम्मलित नहीं किया जायेगा ।

11. एल0 टी0 ग्रेड में नियुक्त अध्यापकों का अनुभव उनके एल0 टी0 ग्रेड में नियुक्ति की तिथि से यदि आपेक्ष प्रमाणित हो कि उन्हें कक्षा 9, 10 पढ़ाने की नहीं दिया जा रहा है, जिन विषयों में वह अर्ह हों, माना जायेगा, चाहें उन्हें 9, 10 पढ़ाने को दिया गया हो या न दिया गया हो ।

12. हाईस्कूल गृह विज्ञान तथा गृह कला विषय में जीव विज्ञान अध्यापक को परीक्षक नहीं बनाया जायेगा ।

13. विज्ञान-1 की प्रयोगात्मक परीक्षा के लिये परीक्षकों की अर्हता केवल बी0 एस-सी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित अथवा जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा रसायन विज्ञान)

रखा जाय परन्तु ऐसे बी0 एस-सी0/एम0 एस-सी0 योग्यताधारक बाह्य परीक्षक नियुक्त किये जायेंगे जो जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बी0 एस-सी0/एम0 एस-सी0 हों ।

14. हाईस्कूल विज्ञान-1 विषय में परीक्षकों की नियुक्ति हेतु निम्न योग्यता होगी

(क) प्रथम प्रश्न पत्र :- बी0 एस-सी0 जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान ।

(ख) द्वितीय प्रश्न पत्र :- बी0 एस-सी0 भौतिक, रसायन तथा गणित ।

हाईस्कूल विज्ञान-2 विषय में परीक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्यता वही रहेगी जो परिषद् पंचांग में विज्ञान विषय हेतु निर्धारित है ।

15. हाईस्कूल समाजिक विज्ञान विषय में परीक्षकों की नियुक्ति हेतु निम्न योग्यता होगी :-

(क) प्रथम प्रश्न पत्र :- इतिहास अथवा नागरिक शास्त्र (किसी एक विशय में स्नातक)

(ख) द्वितीय प्रश्न पत्र :- भूगोल अथवा अर्थशास्त्र (किसी एक विषय में स्नातक)

16. मूल्यांकन केन्द्रों पर उपनियंत्रकों द्वारा जिन्हें सहायक परीक्षक से प्रोन्नति करके उप प्रधान नियुक्त कर दिया गया हो उन्हें अगले वर्ष पुनः सहायक परीक्षक के रूप में प्रत्यावर्तित किया जायेगा यदि उनके पारिश्रमिक कार्य की अवधि शेष है ।

परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें :-

परिषद् द्वारा परीक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्न शर्तें निर्धारित की गयी हैं :-

1. प्रत्येक परीक्षक को परीक्षा कार्य स्वीकार्य करने के साथ यह निशचित रूप सेलिखना होगा कि वह उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन के लिये निर्धारित समय के भीतर सभी स्त्रोतों से मिलाकर 1,000 उत्तर पुस्तकों से अधिक नहीं जाँचेगा, बाद में परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक परीक्षक यह प्रमाण-पत्र भी देगा कि उसने उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन के लिये निर्धारित समय के भीतर सब स्त्रोतों से मिलाकर कुल 1,000 से अधिक उत्तर पुस्तकें नहीं जाँची ।

2. पारिश्रमिक कार्यों हेतु विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिये निर्धारित प्रतिशत का आरक्षण विषयवार किया जायेगा । सहायक परीक्षकों की भाँति उपप्रधान परीक्षकों की नियुक्ति में भी यथा सम्भव आरक्षण की नीति अपनायी जाय ।

परीक्षक का हटाया जाना :-

तीन या तीन से अधिक गलतियाँ करने पर परीक्षक का नाम परीक्षक सूची से काट

दिया जायेगा और हटाने की तिथि से 3 वर्ष तक वह पुनर्नियुक्ति का अधिकारी नहीं होगा । यदि किसी परीक्षक की कोई गलती उन उत्तर पुस्तकों की जाँच में पायी जाती है, जिन्हें वह आदर्श उत्तर पुस्तकों के रूप में अथवा जिन अंक चिटों को वह प्रधान, संयुक्त प्रधान अथवा उप प्रधान परीक्षकों को भेजता है तो वह गल्ती प्रधान, संयुक्त प्रधान अथवा उप प्रधान परीक्षक की भी गलती मानी जायेगी और यह गलतियाँ सम्बन्धित परीक्षकों के खाते में चढ़ा दीं जायेंगीं ।

यदि कोई प्रयोगात्मक परीक्षक छः या उससे अधिक गलतियाँ करता है तो परीक्षक सूची से उसका नाम काट दिया जायेगा और हटाये जाने की तिथि से तीन वर्ष तक वह पुनर्नियुक्ति का अधिकारी न होगा । प्रधान या संयुक्त प्रधान परीक्षक अपने काम में तीन या उससे अधिक त्रुटियाँ होने पर तथा अपने सहायक परीक्षकों के जाँच कार्य को मिलाकर 10 से अधिक त्रुटियाँ होने पर तीन वर्ष तक पुनर्नियुक्ति के अधिकारी न होंगे ।

समितियों द्वारा संस्तुति :-

1. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार उच्चतर माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में प्राप्त अध्यापक सूचियों से परीक्षकों की नियुक्ति विषयवार वरिष्ठता क्रम से चक्रानुक्रम से की जायेगी । परीक्षक होने का मुख्य आधार सेवा कार्य होगा । ऐसे अध्यापक जो कभी भी परिषद् का पारिश्रमिक कार्य नहीं पाये हैं उन्हें नियुक्ति में वरीयता प्रदान की जाय ।
2. हाईस्कूल में 5 प्रतिशत तथा इण्टरमीडिएट में 20 प्रतिशत सहायक परीक्षकों की नियुक्ति हेतु विषय समितियों द्वारा योग्यता प्राप्त अध्यापकों तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के नामों की संस्तुतियाँ की जायेंगी । प्रधान, उपप्रधान, संयुक्त प्रधान तथा परिमार्जकों के नामों की संस्तुतियाँ विषय समितियों द्वारा की जायेंगी ।
3. कोई भी व्यक्ति, जो उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाहर चला गया है, परीक्षक नहीं हो सकता और यदि नियुक्त हो गया है तो उसकी नियुक्ति चलती नहीं रह सकती ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न बिन्दु उल्लेखनीय हैं :-

1. विश्वविद्यालयों तथा प्रशिक्षण महाविद्यालयों आदि के नियमित विद्यार्थी परीक्षक नियुक्त नहीं हो सकते ।
2. सेवाकालीन प्रशिक्षण पाने वाले अध्यापकों का परीक्षकत्व चालू रह सकता है ।

3. उन अध्यापकों को परिषद् का कोई भी पाश्रिमिक कार्य उस वर्ष नहीं दिया जायेगा जिस वर्ष वे स्वयं परिषद् की किसी परीक्षा में सम्मलित हो रहें हों ।

4. अध्यापन का अनुभव परीक्षा के विषय में वांछित होगा ।

5. परीक्षकों की नियुक्ति हेतु उनके अनुभव में जुलाई मास की किसी तिथि में मई की किसी तिथी तक काम करने का एक वर्ष का अनुभव माना जायेगा । इस अनुभव की गणना परीक्षा से पहले वर्ष 30 जून, तक की जायेगी ।

6. किसी व्यक्ति को एक साथ परिषद् के दो पारिश्रमिक कार्य नहीं दिये जायेगें, परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी लघु विषय में परीक्षक है अथवा उसे लघु पारिश्रमिक कार्य दिया गया है तो वह किसी दूसरे विषय में परीक्षक हो सकता है अथवा उसे कोई दूसरा पारिश्रमिक कार्यदिया जा सकता है ।

इस सम्बन्ध में निम्न दृष्टव्य है :-

(क) जिस विषय/कार्य का कुल पारिश्रमिक डाक व्यय को छोड़कर 400 रू0 से अधिक न हो, उसे लघु विषय/कार्य माना जायेगा ।

(ख) मार्जक उपर्युक्त नियम के बन्धन से मुक्त होंगे ।

7. एन0 सी0 सी0 की इकाइयों में नियुक्त पूर्ण कालिक अधिकारियों को परिषद् का कोई पारिश्रमिक कार्य नहीं दिया जायेगा ।

8. 6 वर्ष से अधिक कार्यरत अप्रशिक्षित बी0 एस-सी0 विज्ञान अथवा जीव विज्ञान अथवा कृषि अध्यापक अपने विषय में अर्ह माने जायेंगे ।

संयुक्त अथवा उप-प्रधान परीक्षकों की नियुक्ति :-

संयुक्त अथवा उप प्रधान परीक्षक बोर्ड की किसी परीक्षा में नियमतः उन लोगों में से नियुक्त करने चाहिये जिनकी सेवा अवधि 12 वर्ष हो चुकी हो, जिनको उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या और ऊँचे स्तर का या दीक्षा विद्यालयों या इन दोनों को मिलाकर आठ वर्ष का निरीक्षण या शिक्षण अनुभव हो और जिनको सम्बन्धित विषय में उस परीक्षा में या परिषद् की किसी और ऊँची परीक्षा के परीक्षण कार्य का चार वर्ष का अनुभव हो ।

सम्बन्धित विषय का तात्पर्य हाईस्कूल विज्ञान-। विषय में प्रथम प्रश्नपत्र में जीव विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान में सहायक परीक्षकत्व से तथा द्वितीय प्रश्नपत्र में भौतिक विज्ञान अथवा

रसायन विज्ञान में सहायक परीक्षकत्व से माना जाय ।

इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र में सम्बन्धित विषय का तात्पर्य इतिहास अथवा नागरिक शास्त्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में भूगोल अथवा अर्थ शास्त्र विषय में सहायक परीक्षकत्व से माना जाय ।

प्रधान परीक्षकों की नियुक्ति :-

प्रधान परीक्षक अथवा प्रश्न-पत्र निर्माता होने के लिये सेवा अवधि कम से कम 15 वर्ष होना अनिवार्य है साथ ही उस विषय में, जिसमें वह प्रधान परीक्षक नियुक्त होगा, उप प्रधान परीक्षक का अनुभव उस परीक्षा या परिषद् की किसी अन्य ऊँची परीक्षा का होना अनिवार्य है । लेकिन यह नियम विश्वविद्यालयों के प्रख्यात विद्वानों तथा अन्य लब्ध प्रतिष्ठत शिक्षाविदों के सम्बन्ध में शिथिल किया जा सकता है ।

(ब) परीनिरीक्षक :-

(क) तुलनात्मक परीनिरीक्षण के लिये :-

1. किसी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 10 वर्ष तक का शिक्षण अनुभव रखने वाले सी0 टी0 वेतन क्रम में नियुक्त शिक्षकों को परीक्षा समिति की संस्तुति पर परीनिरीक्षक बनाया जा सकता है ।
2. प्रधानाचार्यों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यदि उनका सेवाकाल 10 वर्ष पूरा हो गया है । सेवा काल की गणना उसी तिथि से की जायेगी जब कोई शिक्षक/किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त अथवा प्रशिक्षण मुक्ति पाने के पश्चात् सेवा प्रारम्भ की हो । इसमें सी0 पी0 एड0 और डी0 पी0 एड0 सम्मलित होंगे ।
3. परिनिरीक्षण कार्य परिषद् कार्यालय में होगा ।
4. ऐसे सारणींयक जिनका सारणीयन कार्य के अन्तिम वर्ष (टेक्निकल को छोड़कर) 1980 तक निरन्तर पिछले चार वर्षों तक पाँच या पाँच से कम त्रुटियाँ रही हों उन्हें पाँचवे वर्ष अर्थात् 1981 में पारितोषिक के रूप में कोई अन्य पारिश्रमिक कार्य जिसके लिये वह अर्ह हो दिया जा सकेगा जो केवल व्यवधान वर्षों की अवधि तक ही चलेगा । दो वर्षों के बाद ऐसे व्यक्तियों की परिनिरीक्षण कार्य हेतु अथवा जिस अन्य कार्य के लिये अर्ह हो उसमें वरीयता

से पुनः नियुक्ति की जा सकती है इस पुनर्नियुक्ति का कार्यकाल पूरे चार वर्ष होगा बावजूद इसके कि इसके पूर्व की दोनों वर्षों की व्यवधान अवधि में वह वही कार्य कर चुके हों ।

5. परिषद् के अथवा उसकी विभिन्न समितियों के सदस्य तथा शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे व्यक्ति विशेष रूप से योग्य समझे जाने पर परीनिरीक्षक बनाये जा सकते हैं ।

6. उत्तर पुस्तकों का अंकानुसंधान और तत्सम्बन्धी परिनिरीक्षण के लिये निम्न व्यक्ति योग्य समझे जाये बशर्ते वे परिनिरीक्षणकी जा रही उत्तर पुस्तकों के विषय के जानकार हों ।

(1) बारह वर्ष की सेवा अवधि वाले मान्यता प्राप्त विद्यालयों के योग्यता प्राप्त वास्तव में 9 से 12 तक की कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक, दीक्षा विद्यालयों के योग्यता प्राप्त अध्यापक तथा विभाग के नीचे की श्रेणी में दिये गये अधिकारियों से भिन्न अधिकारी ।

(2) शिक्षा क्षेत्र में आठ वर्ष की सेवा अवधि के विद्यालयों के प्रधान ।

(3) प्रशिक्षण महाविद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा तकनीकी संस्थाओं के योग्यता प्राप्त 10 वर्ष की सेवा अवधि वाले अध्यापक ।

(4) दस वर्ष की सेवा अवधि के विद्यालयों के निरीक्षक और उपनिरीक्षक तथा विभाग के इसके समकक्ष या इनसे ऊँचे अधिकारी तथा विश्वविद्यालयों के प्रस्तोता तथा उप एवं सहायक प्रस्तोता ।

जो परीक्षक अदक्षता अथवा परिनिरीक्षण की त्रुटियों के कारण परीक्षण कार्य से हटाया जाता है, हटाये जाने की अवधि में परिनिरीक्षक नहीं नियुक्त किया जा सकता है ।

परिनिरीक्षक का हटाया जाना :-

जो परीनिरीक्षक एक या उससे अधिक त्रुटियाँ करेगा उसे इस कार्य से हटा दिया जायेगा और पाँच वर्ष तक उसे इस हेतु पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता ।

(स) परिसीमन कर्ता :-

परिसीमन कर्ता से सम्बन्धित परिषद् के निम्न नियम हैं :-

1. साधारणतयः वही लोग परिसीमन कर्ता नियुक्त किये जा सकते हैं, जिनकी सेवा अवधि सम्बन्धित विषय के पढ़ाने के अनुभव सहित 15 वर्ष हो तथा जो परिषद् की उस विषय की उस या उससे अधिक ऊँची परीक्षा के उप प्रधान परीक्षक भी रह चुके हों ।

यह नियम उन विषयों में शिथिल किया जा सकता है, जिसके लिये आपेक्षित योग्यता वाले व्यक्ति सुलभ नहीं होते ।

2. विषय समितियाँ परिसीमन कर्ताओं की नियुक्ति के लिये आवश्यक से चार गुने अधिक व्यक्तियों की एक अनुपूरक सूची तैयार करेंगी ।

अवधि :-

परिषद् के उपरोक्त नियुक्तियों की अवधि से सम्बन्धित नियम निम्न लिखित हैं:-

(क) परिषद् के प्रत्येक पारिश्रमिक कार्य की अवधि चार वर्ष होगी जब तक कि कोई व्यक्ति असंतोषजनक कार्य, कर्तव्य के परित्याग अथवा परिनिरीक्षण की त्रुटियों के आधार पर न हटाया जाय ।

(ख) चार वर्ष की यह अवधि विभिन्न विषयों तथा परीक्षाओं में परीक्षक, परिनिरीक्षक आदि के रूप में किये जाने वाले सभी कार्यों को मिलाकर मानी जायेगी । इस अवधि की समाप्ति के बाद दो वर्ष का व्यवधान अनिवार्य होगा, इसके पश्चात् ही परीक्षक, परिनिरीक्षक आदि के रूप में नियुक्ति हो सकेगी ।

(ग) इस नियम में किसी लघु प्रश्न-पत्र के परीक्षकत्व का लेखा नहीं किया जायेगा । किसी लघु प्रश्नपत्र का कार्य बड़े प्रश्नपत्रों के साथ भी किया जा सकता है । लघु प्रश्नपत्र वह माना जायेगा, जिसका कुल पारिश्रमिक, डाक व्यय को निकालकर 400 रू0 से अधिक न हो । मार्जक इस नियम के बन्धन से मुक्त होंगे ।

(घ) ऐसे विषयों में, जिनमें अपेक्षित योग्यता के परीक्षक वांछित संख्या में सुलभ नहीं होते, लगे हुये परीक्षक 4 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद भी चलते रह सकते हैं । किन्तु प्रधान, संयुक्त प्रधान और उपप्रधान परीक्षक चार वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद किसी भी दशा में परीक्षक नहीं रह सकते ।

(ड) निलम्बित या सत्र के पूरे अथवा अधिकांश भाग में छुट्टी पर रहे अध्यापक को सामान्यतः परिषद् का कोई पारिश्रमिक कार्य नहीं दिया जायेगा ।

विशेष परिस्थिति में की गई तदर्थ नियुक्तियों में यह ध्यान रखा जायेगा कि :-

1. किसी वर्ष में पहली बार हुयी ऐसी नियुक्ति उसी वर्ष के बाद समाप्त कर दी जाय । किन्तु यदि सम्बन्धित परीक्षक पहले ही किसी अन्य पारिश्रमिक कार्य को करता आ रहा था या

विभिन्न समितियों की संस्तुति पर बाद में नियुक्त किया जाता है तो उस वर्ष की गणना चार वर्ष की निर्धारित अवधि में की जाय ।

2. अवधि के चार वर्ष पूरा होने पर भी यदि किसी परीक्षक की नियुक्ति उस वर्ष की विशेष परिस्थितियों के पाँचवें वर्ष करनी पड़े तो वह वर्ष व्यवधान का वर्ष नहीं माना जाय ।

परीक्षा व्यवस्था में संशोधन :-

परिषद् अपनी परीक्षाओं को वैध, विश्वसनीय तथा न्यायसंगत बनाने के लिये शुरू से ही प्रयासरत है और उसने इसके लिये परीक्षा प्रणाली तथा उसके विभिन्न पहलुओं में समय–समय पर अनेक संशोधन किये हैं । सन् 1959 में प्रो0 हबीबुल रहमान[31] अलीगढ़ विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में एक सुधार समिति नियुक्त की गयी । इसी वर्ष परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापकों को सीमित समय के लिये मजिस्ट्रेट के अधिकार दिये गये तथा उन्हें जनसेवक घोषित किया गया । इससे अनुशासन व्यवस्था बनाये रखने तथा परिषद् की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने में सहायता मिली ।

मई 1959[32] में परिषद् ने अपनी एक बैठक में यह प्रस्ताव किया कि परीक्षा पद्धति में सुधार करने के लिये एक एक्जामिनेशन युनिट की स्थापना की जाय । अतएव उक्त युनिट की स्थापनी की गयी जिसने केन्द्रीय शिक्षा विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद में विभागीय परीक्षा युनिट के सहयोग से कार्य प्रारम्भ किया । इसके विचार के लिये अंग्राकित विषय रखे गये :-

1. परीक्षाओं के शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करना ।
2. विभिन्न विषयों की परीक्षा के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम का औचित्य निर्धारित करना ।
3. निम्नांकित का मूल्यांकन करना :-
   (क) एक सत्र में छात्रों के लिये निर्धारित दैनिक उपस्थिति ।
   (ख) परीक्षार्थियों की योग्यता का अन्तिम रूप से मूल्यांकन करते समय उनकी त्रिमासिक परीक्षाओं को महत्व देना ।
4. ऐसी विधियों को अपनाना जिससे विभिन्न परीक्षकों द्वारा दिये हुये अंकों में किये गये कार्य के गुणों के संदर्भ में समानता रहे ।

परीक्षा की विश्वसनीयता, वैधता एवं प्रभावकारिता में सुधार करने के लिये 'एक्जामिनेशन युनिट' द्वारा निम्नांकित के सम्बन्ध में संस्तुतियाँ की गयी :-

---

31. 'शिक्षा की प्रगति' लखनऊ शिक्षा पत्रिका विभाग, शिक्षा संचालन कार्यालय, उ0 प्र0 1959 पृष्ठ–14
32. 'शिक्षा की प्रगति,' लखनऊ शिक्षा पत्रिका विभाग, शिक्षा संचालन कार्यालय उ0 प्र0 1960, पृष्ठ–21-22

(क) विद्यार्थी के दैनिक कार्यों का मूल्यांकन करना ।

(ख) अंग्रेजी व इतिहास के प्रश्न पत्रों का ढांचा व स्वरूप ।

इस प्रकार परिषद की परीक्षाओं में विषय के सैद्धांतिक पक्ष के साथ-साथ उसके व्यवहारिक पक्ष को भी स्थान दिया गया । एग्जामिनेशन युनिट स्थापित करने के पीछे सम्भवता यह भावना थी कि परीक्षाओं को अधिकाधिक विश्वसनीय और वैध बनाया जाय तथा छात्रों के सत्रीय कार्य का मूल्यांकन भी किया जाये ।

वर्ष 1961 में[33] हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा के अंग्रेजी तथा इतिहास के प्रशन पत्रों में महत्वपूर्ण परिर्वतन एवं सुधार किये गये और यह प्रयास किया गया कि प्रश्न पत्र इस प्रकार बनाये जायें जिससे सम्बंधित विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में उचित दिशा में वृद्धि हो तथा रहने की प्रवृत्ति का अंत हो

वर्ष 1968[34] की हाई स्कूल परीक्षा से विज्ञान विषय में प्रयोगात्मक परीक्षायें प्रारम्भ की गई और विज्ञान, जीव विज्ञान तथा नागरिक शास्त्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू किये गये इन प्रश्नों का समावेश निबंधात्मक परीक्षा के दोषों से बचने के लिये किया गया ।

वर्ष 1970[35] की परीक्षाओं से इण्टरमीडिएट स्तर पर चार के स्थान पर पांच विषय प्रारम्भ किये गये ।

परिषद् पर परीक्षार्थियों की संख्या में हो रही निरन्तर वृद्धि से परीक्षा भार बढ़ रहा था जिससे परिषद् के विकेन्द्रीकरण की बात उठी तथा सन् 1972 में परिषद के 'मेरठ' कार्यालय की स्थापना से परिषद के विकेन्द्रीकरण की शुरूआत हुयी इस कार्यालय ने आगरा तथा मेरठ जिले का कार्यभार देखना प्रारम्भ किया । जबकि वर्तमान समय में यह कार्यालय मेरठ, आगरा, तथा पौड़ीगढ़वाल मण्डलों का कार्यभार देख रहा है ।

वर्ष 1974-75 से[36] हाई स्कूल परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का केन्द्रीय मूल्यांकन कराया

---

33 तथा 34 - शिक्षा की प्रगति 'पूवोक्त' सन् 1961 पृष्ठ 13 तथा सन् 1966 - 67 पृष्ठ 2 क्रमशः
35. - 'शिक्षा की प्रगति' इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, 1971, पृष्ठ-24
36 -शिक्षा विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (आय-व्ययक) 1976-77, इलाहाबाद, अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 (भारत) 1976, पृष्ठ- 23

गया । केन्द्रीय मूल्यांकन से उत्तरपुस्तकों का निरीक्षण समय से हो जाता है तथा परीक्षाफल घोषित करने में अनावश्यक विलम्ब नहीं होता । परन्तु केन्द्रीय मूल्यांकन से निरीक्षण कार्य में कोई सुधार नहीं हुआ । परीक्षक को मशीन की तरह प्रतिदिन 40-50 उत्तर पुस्तकों का मूल्यांकन करना ही होता है चाहे उसकी मनः स्थिति कैसी भी हो । अधिकांश परीक्षक एक दो घंटे में ही काम पूरा करके चलते बनते हैं, अतएव इस व्यवस्था में मूल्यांकन की वैधता में कोई सुधार नहीं हुआ ।

सन् 1975 में[37] हिन्दी की पुस्तकों का राष्ट्रीकरण किया गया तथा हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की हिन्दी की राष्ट्रीय पुस्तकें जुलाई 1975 में छात्रों को उपलब्ध करा दीं गयीं। 1975 की परीक्षा से[38] हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को परिषद् द्वारा विशेष सुविधा की व्यवस्था की गयी ताकि छात्रों में इसमें स्थान पाने के लिये स्वच्छ प्रतियोगिता का विकास हो ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा[39] एक 'पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन इकाई' की स्थापना की गयी । यह इकाई मार्च, 1975 से कार्य कर रही है । इसके द्वारा भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित तथा रसायन विज्ञान के संशोधित आधुनिकृत एवं उच्चीकृत पाठ्यक्रमों में 1976 की हाईस्कूल तथाइण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिये आदर्श, प्रश्नपत्रों का निर्माण कराकर प्रधान एवं उपप्रधान परीक्षकों तथा प्रधानाध्यापकों के पास छात्रों के अभ्यास हेतु भेजे गये । इस इकाई ने सन् 1976-77 से विभिन्न विषयों के परीक्षाफलों के विश्लेषण का कार्य भी आरम्भ किया है । इस प्रकार शिक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिये यह इकाई निरन्तर प्रयास कर रही है ।

सन् 1978 में परिषद् द्वारा एक क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी संभाग का कार्यभार देखने के लिये वाराणसी में स्थापित किया तथा जो कि वर्तमान में वाराणसी, गोरखपुर तथा फैजाबाद मण्डलों का कार्यभार देख रहा है ।

परिषद् द्वारा परीक्षाफल तैयार करने में कम्प्युटर का प्रयोग[40] सर्वप्रथम 1978 में इलाहाबाद तथा मेरठ मण्डल के हाईस्कूल परीक्षाफल तैयार करने में किया गया जिसकी सफलता को देखकर 1979 की हाईस्कूल परीक्षा का इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ तथा गोरखपुर मण्डलों के 31 जिलों का परीक्षाफल कम्प्युटर से तैयार किया गया । वर्तमान समय में इसका प्रयोग विस्तार से किया जाने लगा है, जिस कारण समय की काफी बचत हो रही है ।

---

37 एवं 38 – शिक्षा की प्रगति, इलाहाबाद 'शिक्षा निदेशालय' –1977, पृष्ठ - 7
39. 'शिक्षा की प्रगति' भाग - 1 सामान्य शिक्षा, इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय, उ० प्र० - 1976, पृष्ठ 7
40. 'शिक्षा की प्रगति' इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, 1979 पृष्ठ - 8

सन् 1981 की परीक्षाओं में परिषद् द्वारा हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षायें व्यक्तिगत तथा संस्थागत अलग-अलग कराने का निर्णय लिया गया तथा 1981 से ही परिषद् द्वारा समस्त भाषाओं के प्रश्न पत्रों की संख्या तीन के स्थान पर दो करने का निर्णय लिया गया तथा हाईस्कूल की गणित तथा सामान्य गणित का प्रश्न-पत्र तीन घण्टे के स्थान पर ढाई घण्टे करने का निर्णय लिया गया ।

परिषद् की विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत परिषद् का तीसरा क्षेत्रीयकार्यालय 1981 में बरेली में स्थापित किया गया[41]। जिसका उद्देश्य बरेली, कुमायुँ तथा लखनऊ मण्डल के जनपदों का परीक्षा तथा मान्यता सम्बन्धी कार्यों को देखना था । यह कार्यालय वर्तमान में बरेली, नैनीताल तथा मुरादाबाद का मंडलों का कार्यभार देख रहे हैं ।

परिषद् द्वारा सन् 1984 की[42] की परीक्षाओं से हाईस्कूल स्तर पर पाँच की जगह सात विषय कर दिये गये हैं । सन् 1982 से सात विषयों का अध्ययन चालू किया जिसमें विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान अनिवार्य विषय के रूप में तथा नैतिक एवं शारीरिक शिक्षा को आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित परन्तु अनिवार्य रूप से शुरूकिया गया, यानि नैतिक शिक्षा का मूल्यांकन बाह्य परीक्षा द्वारा न होकर आंतरिक परीक्षा द्वारा किया जाता है तथा इसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है इस विषय के अंकों का परीक्षाफल की श्रेणी के लिये उपयोग नहीं किया जाता है ।

परीक्षा व्यवस्था में सुधार एवं छात्रों के स्तरोन्नति के लिये परिषद् द्वारा सन् 1980 से 'प्रतिभा-प्रसून' नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया है[43] । इसमें परिषदीय परीक्षाओं में प्रथम दस स्थान पर आने वाले छात्रों की उत्तर पुस्तकों से उत्तरों का चयन कर प्रकाशित किया जाता है । जिसे छात्रों को उपलब्ध कराने का उद्देश्य यह है कि छात्र/छात्रायें इन उत्तरों को पढ़कर ये आत्मविश्वास पैदा कर सकें कि किस प्रकार अपनी अभिव्यक्ति द्वारा अच्छे अंक पाये जा सकते हैं ।

परिषद् द्वारा सन् 1986 की परीक्षाओं से इण्टरमीडिएट संस्थागत तथा व्यक्तिगत साथ-साथ प्रथम चरण में तथा हाईस्कूल संस्थागत तथा व्यक्तिगत साथ-साथ द्वितीय चरण में परीक्षाओं के संचालन का आयोजन किया गया ।

परिषद् द्वारा सन् 1985-86 में[44] कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा में 'सपुस्तक परीक्षा

---

41. 'शिक्षा की प्रगति' इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, 1982, पृष्ठ - 9
42. 'शिक्षा की प्रगति' इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, 1985, पृष्ठ - 8 - 9
43. 'शिक्षा की प्रगति' इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, 1986 पृष्ठ - 9
44. 'शिक्षा की प्रगति' इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय, 1987 पृष्ठ - 8 - 9

प्रणाली' का नया प्रयोग किया गया लेकिन इससे वांछित सफलता न मिल पाने से इसे सत्र 1988-89 से समाप्त कर दिया गया । इसकी समाप्ति के सम्बन्ध में डॉ0 प्रणव पाण्ड्या ने[45] क्षेत्रीय सलाहकार (एन0 सी0 ई0 आर0 टी0) उ0 प्र0 द्वारा आयोजित मूल्यांकन एवं परीक्षा प्रणाली सुधार (उ0 प्र0) के परिप्रेक्ष्य में) विषयक कार्यगोष्ठी जो कि हरिद्वार में 16.10.89 से 20.10.89 तक सम्पन्न हुयी, में अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि 'सपुस्तक परीक्षा प्रणाली एक प्रयोग इस दिशा में किया गया था, कि नकल की समस्या का हल शायद मिल सके, परन्तु इसके क्रियान्वयन में शायद अपेक्षित सावधानियाँ नहीं बरतीं गयीं, जिससे इस विधा को समाप्त करना पड़ा ।"

परिषद् का चौथा क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद में 1986 में खोला गया है जो कि इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर तथा झांसी मण्डलों का कार्यभार देख रहा है । परिषद् द्वारा सन् 1985 की परीक्षाओं[46] से पूरक परीक्षाओं की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी तथा कुल योग 40 प्रतिशत होने पर एक विषय में 25 प्रतिशत अंक पाने वाले परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है तथा कुल योग के आधार पर श्रेणी भी प्रदान की जाती है ।

वर्तमान समय में परीक्षा व्यवस्था में नकल की बढ़ी प्रवृत्ति तथा उसकी गुणवत्ता पर लगे प्रश्नचिन्ह को समाप्त करने की दिशा में उ0 प्र0 शासन ने "उत्तर प्रदेश सार्वजनिक (अनुचित साधनों का निवारण) परीक्षा अध्यादेश, 1992" नामक अध्यादेश पारित कर परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है । परिषदकी सन् 1991-92 की परीक्षाओ में इसे लागू भी किया जा चुका है । इस अध्यादेश के सम्बन्ध में श्री नृसिंह तिवारी, अध्यक्ष उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ ने अपने लेख[47] 'शिक्षा एवं परीक्षा-सिक्के के दो पहलू' में निम्न तरह विचार प्रकट किये हैं :

"परीक्षा ही शिक्षा की आत्मा है शिक्षा को प्रभावी तथा उपयोगी तभी बनाया जा सकता है जबकि परीक्षा की पवित्रता तथा विश्वसनीयता बनी रहे । पिछले दशक में यह धारणा बलवती होती जा रही थी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् की उपयोगिता नगण्य हो गयी है क्योंकि इसके द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र अनुपयोगी एवं अविश्वसनीय हो गये हैं । यह एक गम्भीर चुनौती रही है, इसमें दो मत नहीं है कि वर्तमान राज्य सरकार ने इस चुनौती को गम्भीरता से लिया है और इसके परिणामस्वरूप नकल को संज्ञेय अपराध घोषित कर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है । सस्ती तथा अर्थहीन लोकप्रियता का त्याग कर जनता तथा राज्य की भावी पीढ़ी के व्यापक हित में अध्यादेश

---

45. रिपोर्ट ऑन दि वर्कशॉप, 'एक्जामिनेशन रिफॉर्म इन उत्तर प्रदेश" वर्कशाप ऑर्गनाइजेशन बाई दि फील्ड एडवाइजर, एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 इलाहाबाद, 1989, पृष्ठ-1.
46. 'शिक्षा की प्रगति' इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, 1987
47. 'शिक्षक' अक्टूबर 1992, (उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से प्रकाशित) सुल्तानपुर, विवेक प्रिन्टर्स, पृष्ठ, 4-5

के माध्यम से नकल को रोकने का एक साहसिक एवं सराहनीय कदम उठाया है । बिना परीक्षा की पवित्रता की रक्षा किये परीक्षा स्वयं में एक मखौल बन गयी थी । अतः वर्तमान सरकार ने मेरी दृष्टि में परीक्षापूरक शिक्षा का सूत्रपात कर यद्यपि एक प्रयोग ही किया है किन्तु यह प्रयोग सफल रहा । हो सकता है और इसकी प्रबल सम्भावना भी है कि परीक्षाफल आगामी वर्ष में भी अपेक्षा से काफी न्यून हो किन्तु इससे हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है । यह परिणाम निश्चय ही उज्जवल भविष्य का द्योतक होगा, यह पहला अवसर है कि परीक्षा के नाम पर शिक्षा को गर्त में ले जाने वाले लोग बेनकाब हो चुके हैं । इतना ही नहीं वरन् वर्तमान सरकार ने गेस पेपर तथा परीक्षा गाइडों पर भी प्रतिबन्ध लगाकर एक अत्यन्त ही सराहनीय कार्य किया है । इस अध्यादेश का वास्तविक परिणाम आगामी शिक्षा सत्र में देखने को मिलेगा । कक्षायें छोड़कर आतंक के बल पर परीक्षा में दूसरों के सहारे अच्छी श्रेणी पाने वाले भले ही निराश हों किन्तु प्रतिभावान एवं अध्यवसायी छात्र निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और इससे इस राज्य का बौद्धिक स्तर ऊपर उठेगा ।

हाँ इस अध्यादेश की दण्ड प्रक्रिया के सम्बन्ध में मुझे इतना अवश्यक कहना है कि दण्ड की दोहरी व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिये । एक ही ... ... किशोरों तथा किशोरियों को जेल भेजना तथा परिषद के अन्य नियमों के अन्तर्गत दण्ड देना सर्वथा अन्यायपूर्ण एवं अनुचित है । इतना ही नहीं वरन् शासन को 14-15 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं को सीधे जेल भेजने के प्रश्न पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये क्योंकि इससे यह आशंका है कि इस आयु के छात्र एवं छात्राओं को जेल भेजने मात्र से अपराध की प्रवृत्ति बढ़ेगी जो समाज केलिये हितकर नहीं है ।"

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि परिषद् की परीक्षाओं को विश्वसनीय, वैध तथा संगत बनाने के लिये परीक्षा व्यवस्था में लगातार संशोधन होते रहे हैं और हो रहे हैं।

परीक्षण तथा प्रश्न-पत्रों का विश्लेषण :-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् अपनी परीक्षाओं के लिये सभी विषयों के प्रश्नपत्र तैयार करवाती है तथा परीक्षकों को इसके प्रारूप के संदर्भ में निर्देशित करती है । गत दो दशकों में परिषद् द्वारा विज्ञान तथा गणित के प्रश्न पत्रों में विशेष परिवर्तन किये गये हैं अन्य विषयों के प्रश्नपत्रों में भी आंशिक परिवर्तन किये गये हैं । यहाँ पर हमारा उद्देश्य हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा

के कुछ प्रमुख विषयों के प्रश्नपत्रों का समीक्षात्मक विश्लेषण करना है ।

हाईस्कूल परीक्षा :-

हाईस्कूल स्तर की परीक्षा के गणित तथा विज्ञान विषय के प्रश्नपत्रों में विशेष रूप से परिवर्तन किये गये हैं तथा कुछ विषयों के प्रश्नपत्रों का ढंग पुराना ही है यहाँ पर कुछ प्रश्नपत्रों की रचना का विश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत है ।

गणित :-

परिषदीय परीक्षाओं में सन् 1968 तक गणित के दो प्रश्नपत्र होते थे । प्रथम प्रश्न पत्र अंक गणित तथा बीजगणित का तथा द्वितीय प्रश्न पत्र रेखा गणित का होता था । दोंनों प्रश्न पत्र 50-50 अंक के होते थे । प्रत्येक प्रश्न पत्र में 14 प्रश्न आते थे जिसमें से कोई 7 प्रश्नों का हल करना होता था । यह प्रश्न लम्बे तथा बाह्य विकल्प वाले होते थे कोई प्रशन अनिवार्य नहीं होता था ।

वर्ष 1969 की परीक्षा से प्रश्नपत्रों के प्रश्नों का ढंग बदल गया । प्रथम प्रश्न-पत्र में त्रिकोंणमिती एवं सांख्यिकी लागू की गयी । प्रश्न-पत्र तीन खण्डों अ, ब, तथा स में विभक्त होता था । कुल छः प्रश्न करना पड़ते थे जिनमें खण्ड अ से तीन, खण्ड ब से दो तथा खण्ड स से एक प्रश्न चुनना पड़ता था जबकि पूरे प्रश्न-पत्र में 14 प्रश्न होते थे । द्वितीय प्रश्न-पत्र में निर्देशांक ज्यामिती तथा ठोस ज्यामिती जोड़ दी गयी । इसकी रचना भी प्रथम प्रश्न-पत्र की ही तरह होती थी । इस तरह के प्रश्नों में प्रश्न लम्बे तथा बाह्य विकल्प वाले होते थे ।

सन् 1975-76 की परीक्षाओं से गणित के प्रश्नपत्रों में पुनः परिवर्तन किया गया इस वर्ष से दो प्रकार की गणित प्रारम्भ की गयी :-

(अ) सामान्य गणित :- सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों केलिए।

(ब) उच्च गणित :- विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिये ।

इस वर्ष से प्रश्नपत्रों के हल करने का समय तीन घंटे के स्थान पर ढाई घंटे कर दिया गया ।

सामान्य गणित के प्रथम प्रश्नपत्र में अंक गणित एवं बीज गणित तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में रेखागणित, ग्राफ तथा मेन्सुरेशन रखा गया । जबकि उच्चगणित के प्रथम प्रश्न-पत्र में बीजगणित,

त्रिकोणमिती, सांख्यिकी एवं समुच्च सिद्धांत (सेट थ्योरी) तथा द्वितीय प्रश्नपत्र में ज्यामिती (प्लेन ज्योमेट्री), ठोस ज्यामिती (सॉलिड ज्योमेट्री) तथा निर्देशांक ज्यामिती (कोऑर्डीनेट ज्योमेट्री) रखी गयी ।

दोनों प्रकार की गणित में प्रत्येक प्रश्न-पत्र 50-50 अंक का होता था । प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कुल 22 प्रश्न होते थे और इनमें से 19 प्रश्न दिये गये निर्देशानुसार हल करे होते थे ।

दोनों प्रकार की गणितों में प्रश्नपत्रों का प्रारूप निम्न तरह का था -

प्रश्न-पत्र में 1 से 5 तक क्रमांक तक के प्रश्न क, ख, ग तथा घ खण्डों में विभक्त होते थे । ये अति लघुउत्तरीय प्रकार के प्रश्न होते थे इनमें सिर्फ उत्तर लिखना पड़ता था, हल करने की क्रिया नहीं लिखनी पड़ती थी । प्रत्येक खण्ड आधे अंक का होता था ।

प्रश्न संख्या 6 से 8 तक के प्रश्न क, ख, ग, तथा घ खण्डों में विभक्त होते थे । ये लघुउत्तीय प्रकार के प्रश्न होते थे प्रत्येक खण्ड दो अंक का होता था ।

प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के प्रश्न दीर्घ उत्तीय प्रकार के होते थे इनमें आंतरिक विकल्प होता था तथा प्रत्येक प्रश्न के लिये 4 अंक निर्धारित होते थे ।

वर्तमान समय में हाईस्कूल स्तर पर गणित की दोनों वर्गो के लिये राष्ट्रीय पुस्तकें उपलब्ध हैं । सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिये गणित-एक तथा विज्ञान वर्ग के लिये गणित-दो निर्धारित हैं । वर्तमान समय में दोनों प्रकार की गणितों के प्रश्नपत्रों का प्रारूप इस तरह का है-

प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कुल आठ प्रश्न होते हैं तथा सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं । प्रश्न संख्या 1 से 3 तक प्रत्येक प्रश्न में चार-चार वस्तुनिष्ठ प्रकार के अतिलघुउत्तरीय प्रश्न होते हैं, ये सभी अनिवार्य तथा प्रत्येक एक-एक अंक का होता है । प्रश्न संख्या 4 और 5 में पाँच-पाँच खण्ड होते हैं जिनमें से चार चार खण्डों का उत्तर देना होता है, इसमें अतिलघुउत्तरीय प्रश्न होते हैं, प्रत्येक खण्ड दो-दो अंक का होता है । प्रश्न संख्या 8 में दो खण्ड होते हैं, इसमें कोई एक खण्ड का उत्तर देना पड़ता है । इस खण्ड में दीर्घ उत्तीय प्रकार का प्रश्न होता है । इसमें प्रत्येक खण्ड 6 अंक का होता है । इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न-पत्र 50-50 अंको का होता है तथा प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए ढ़ाई घंटे का समय निर्धारित है ।

इस प्रकार अब प्रश्नों की रचना जिस प्रकार से की जाती है उसके लिये परीक्षार्थियों को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है अन्यथा वह पूरा प्रश्नपत्र हल नहीं कर सकता है । इसमें प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया गया है । दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बजाय लघु उत्तरीय, अतिलघुउत्तरीयतथा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गयी है । सभी प्रश्न अनिवार्य कर दिये गये हैं तथा बाह्य विकल्प के स्थान पर आंतिरिक विकल्प दिया जाने लगा है । अब अध्यापकों को भी पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाना अनिवार्य हो गया है । कुछ निश्चित प्रश्न तैयार करने की प्रथा समाप्त हो गयी है । इस व्यवस्था से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बढ़ गया है तथा अच्छे छात्रों के प्रतिशत में भी बढ़ोत्तरी हुयी है ।

परन्तु इस प्रकार की प्रश्न रचना में कुछ दोष भी हैं, जैसे-नकल करने की सम्भावनायें बढ़ गयी हैं क्योकि जिन प्रश्नों के मात्र उत्तर लिखने होते हैं उन्हे परीक्षार्थी नकल द्वारा जल्दी कर सकता है और उसकी नकल की जाँच सम्भव नहीं रह गयी है । साथ ही छात्रों ने लम्बे प्रश्नोंका अभ्यास करना बंद कर दिया है । फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से यही कहा जा सकता है कि प्रश्नपत्रों के वर्तमान स्वरूप से गणित विषय के ज्ञान की जाँच अपेक्षाकृत अच्छी तरह से की जा सकती है।

विज्ञान एवं जीव विज्ञानः-

हाईस्कूल में विज्ञान एवं जीवविज्ञान के प्रश्नपत्र सन् 1967 तक पुराने ढंग से ही आते रहे । कुल 10 प्रश्नों में से कोई पाँच प्रश्न हल करने होते थे ।

सन् 1968 की परीक्षा में प्रश्नपत्र में एक मात्र परिवर्तन यह किया गया कि 10 अंक का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र आने लगा । इस प्रश्नपत्र में कुल 20 प्रश्न होते थे । प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का होता था । यह प्रश्न-पत्र मुख्य प्रश्नपत्र से अलग होता था जो ढ़ाई घंटे के बाद दिया जाता है तथा 30 मिनट में हल करना होता था यह प्रश्न-पत्र परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तकों में अलग से जोड़ दिया जाता था । शेष प्रश्न निबधात्मक प्रकार के होते थे और प्रश्नों के चयन में बाह्य विकल्प होता था । सन् 1968 से ही विज्ञान में प्रयोगात्मक परीक्षायें प्रारम्भ की गयी । यह व्यवस्था 1974-75 तक चलती रही ।

पुनः सन् 1975-76 से प्रश्नपत्रों की रचना में अमूल परिवर्तन किया गया और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र आता था वह समाप्त कर दिया गया । इस व्यवस्था में प्रश्नपत्र दो खण्डों 'अ'

तथा 'ब' में विभक्त किया गया । 'अ' खण्ड में भी दो भाग होते थे, पहले भाग से तीन प्रश्न हल करने होते थे । प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता था । कुल प्रश्नों की संख्या 6 होती थी, जिनमें आंतरिक विकल्प के लिये तीन प्रश्न होते थे । यह सभी प्रश्न निबन्धात्मक प्रकार के होते थे । 'अ' खण्ड का जो दूसरा भाग होता था, उसमें कुल 9 प्रश्न होते थे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता था तथा यह सभी प्रश्न अनिवार्य होते थे इनमें कोई विकल्प नहीं होता था ये प्रश्न लघुउत्तरीय या अतिलघुउत्तरीय प्रकार के होते थे ।

प्रश्न–पत्र के खण्ड 'ब' में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते थे, जिनकी संख्या 20 होती थी। प्रत्येक प्रश्न आधा अंक का होता था तथा सभी प्रश्न अनिवार्य होते थे । प्रत्येक प्रश्नपत्र 40-40 अंक का होता था तथा 20 अंक की प्रयोगात्मक परीक्षा होती थी ।

वर्तमान समय में विज्ञान तथा जीव विज्ञान के प्रत्येक प्रश्नपत्र में सामान्यता कुल 9 प्रश्न आते हैं । इनमें सभी अनिवार्य होते हैं । प्रत्येक प्रश्न-पत्र में चार प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं इनमें चार-चार खण्ड होते हैं, जो प्रत्येक एक-एक अंक का होता है । इसके बाद के दो प्रश्नों में तीन–तीन खण्ड होते हैं । इनमें दो–दो अंकों के अतिलघुउत्तरीय प्रकार के पूछे जाते हैं । अंत में तीन प्रश्न चार-चार अंक के होते हैं, जिनमें लघुउत्तरीय या खण्डों में कभी-कभी अतिलघुउत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं । प्रत्येक प्रश्नपत्र 40–40 अंक का होता है । प्रत्येक विषय (विज्ञान एवं जीव विज्ञान) में 20– 20 अंक की प्रयोगात्मक परीक्षा होती है । प्रत्येक प्रश्नपत्र को हल करने का समय तीन घंटे निर्धारित है ।

इस व्यवस्था के लागू होने से सम्पूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं । इससे कुछ चुने हुये प्रश्न तैयार करने तथा रटने की प्रवृत्ति काफी कुछ समाप्त हो गयी है । परीक्षार्थी को पूरा पाठ्यक्रम तैयार करना पड़ता है । उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के प्रतिशत में भी कुछ वृद्धि हुयी है । नकल करने की प्रवृत्ति में कुछ कमी हुयी है तथा मूल्यांकन में अंशतः विश्वसनीयता आयी है ।

अंग्रेजी :-

हाईस्कूल परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्नपत्र में वर्ष 1977-78 तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया । प्रश्न पत्र पुराने ढंग से पूंछे जाते रहें । 50-50 अंकों के दो प्रश्न पत्र होते थे ।

प्रथम प्रश्नपत्र में गद्य तथा पद्य का अर्थ लिखना होता था, पाठ्य पुस्तकों से पूछे गये

प्रश्नों के उत्तर लिखने होते थे तथा कठिन शब्दों के अर्थ लिखने होते थे ।

द्वितीय प्रश्नपत्र में निबन्ध, अनुवाद तथा व्याकरण आती थी प्रश्नों के चयन में ज्यादातर बाह्य विकल्प होता था । रटने की प्रवृत्ति थी तथा कुछ निश्चित पाठ तैयार करने पर सफलता मिल जाती थी ।

सत्र् 1977-78 की परीक्षाओं से प्रश्नपत्रों की रचना का ढंग बदल दिया गया । अब गद्य या पद्य खण्ड का अर्थ लिखने के लिये नहीं आता है । वर्तमान समय में अंग्रेजी के दो प्रश्न-पत्र होते हैं । प्रत्येक प्रश्नपत्र 50-50 अंक का होता है । इसके हल के लिये तीन घण्टे का समय निर्धारित है । प्रश्नपत्र का प्रारूप निम्नवत् होता है ।

प्रथम प्रश्न-पत्र में कुल पाँच प्रश्न होते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, इन प्रश्नों में आंतरिक चयन की व्यवस्था होती हैं । प्रथम प्रश्न में चार खण्ड होते हैं, चारों खण्ड अनिवार्य होते हैं। प्रथम खण्ड में दो गद्य दिये रहते हैं, इनमें से किसी एक गद्य से उनके नीचे दिये चार अतिलघुउत्तरीय प्रश्नों का उत्तर हिन्दी में देना होता है। ये चार प्रश्न पाँच अंक के होते हैं । द्वितीय खण्ड में तीन पैसेस दिये रहते हैं इनमें से किसी दो पैसेज से पूछे गये तीन अति लघुउत्तरीय प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में देना पड़ा है । यह खण्ड पाँच अंक का होता है । तीसरे खण्ड में तीन कथनों को, दिये गये चुनाव से उपयुक्त चुनाव कर पूरा करना पड़ता है, यह तीन अंक का होता है । चौथे खण्ड में चार प्रश्न सत्य/असत्य प्रकृति के होते हैं, इनके दो अंक होते हैं । दूसरा प्रश्न भी चार खण्डों में बंटा होता है । इसमें प्रथम खण्ड चार अंक का होता है तथा इसमें वाक्यपूर्ति के प्रश्न होते हैं, द्वितीय खण्ड दो अंक का होता हैं, इसमें रिक्त स्थान भरना पड़ता है । तीसरा खण्ड दो अंक का होता है तथा इसमें दिये गये शब्दों का वाक्य प्रयोग करना पड़ता है । चौथे खण्ड में रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न होते हैं यह खण्ड दो अंक का होता है । तीसरे प्रश्न में तीन पद्य दिये रहते हैं जिनमें से किसी दो पद्य में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में देना होता है तथा इसके लिये 6 अंक निर्धारित हैं । चौथे प्रश्न में अपनी पुस्तक की मनपसंद पोयम् की आठ पंक्तियाँ लिखना पड़ती हैं, जिसके लिये 4 अंक निर्धारित हैं । पाँचवा प्रश्न दो खण्डों में होता है प्रथम खण्ड में सपलीमेन्ट्ररी रीडर से पूछे गये प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में देना होता है इसमें छैः प्रश्न होते हैं जिसके लिये 12 अंक निर्धारित हैं तथा खण्ड 'ब' में सपलीमेन्ट्ररी रीडर के अधूरे प्रश्नों की पूर्ति करनी पड़ती है इसमें

तीन प्रश्न होतें हैं जो कि तीन अंकों के होते हैं ।

द्वितीय प्रश्नपत्र में कुल सात प्रश्न होते हैं जो कि सभी अनिवार्य होते हैं । प्रथम प्रश्न में पाँच खण्ड होते हैं, प्रत्येक खण्ड 2 अंकों का होता हैं तथा प्रत्येक खण्ड में पाँच-पाँच प्रश्नों से चार-चार प्रश्न हल करने पड़ते हैं। इन खण्डों में खाली स्थान की पूर्ति, वाक्य को सही क्रम में बनाना, शब्द से संज्ञा, या सर्वनाम या अन्य बनाना, एक्टिव से पैसेव या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट शब्द बनाना इत्यादि प्रकार के प्रश्न होते हैं । दूसरे प्रश्न में चार खण्ड होते हैं, प्रत्येक खण्ड दो-दो अंक का होता है । प्रत्येक खण्ड में आंतरिक चयन होता है । इसमें वाक्य शुद्ध करना, प्रीपोजीशन, कंजक्शन, साधारण वाक्यों को मिश्रित वाक्य बनाना इत्यादि प्रकार के प्रश्न होते हैं । तीसरे प्रश्न में दो खण्ड होते हैं । प्रथम खण्ड में दिये गये अंग्रेजी गद्य का हिन्दी अनुवाद करना होता हैं, जिसके लिये 4 अंक होते हैं तथाद्वितीय खण्ड में दिये गये हिन्दी गद्य का अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है जिसके लिये 6 अंक निर्धारित हैं। चौथे प्रश्न में एक पत्र या प्रार्थनापत्र लिखना पड़ता है जिसके लिये चार अंक निर्धारित हैं । पाँचवे प्रश्न में एक स्टोरी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके पूरा करना पड़ता है, इसके लिये चार अंक निर्धारित हैं । छठवें प्रश्न में दिये गये विषयों में से दिये गये हिन्ट्स के आधार पर किसी एक पर निबन्ध लिखना होता हैं, इसके लिये आठ अंक निर्धारित हैं । सातवें प्रश्न में दिये गये अपठित गद्य/पद्य से पूछे गये अतिलघुउत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देना पड़ते हैं, जिसके लिये छैः अंक निर्धारित हैं ।

वर्तमान प्रश्नपत्रों को हल करने के लिये छात्रों को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करनी पड़ती है । जब तक वह सम्पूर्ण पाठ्यक्रम तैयार नहीं करता जब तक वह पूछे गये गद्य या पद्य के प्रश्नों के उत्तर देने में लगभग असमर्थ रहता है । अध्यापकों को भी अधिक परिश्रम करना पड़ता है । कुछ निश्चित पाठों को तैयार करने की प्रवृत्ति समाप्त हो गयी है । प्रश्नों का ढंग स्टक्चरल एप्रोच पर निर्भर रहता है । परीक्षार्थी के वास्तविक ज्ञान का परीक्षण सम्भव होने लगा है । इसके साथ ही इस व्यवस्था से नकल की सम्भावना कुछ बढ़ गयी है । लेकिन निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि वर्तमान प्रश्नपत्र के प्रारूप से परीक्षार्थियों को पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ता है जिससे उन्हें अपने स्तर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है ।

इतिहास :-

इतिहास के प्रश्नपत्र में कोई विशेष परितर्वन नहीं हुआ है । कुल 10 प्रश्नों में

से कोई 5 प्रश्न हल करने होते हैं एक प्रश्न लघुउत्तरीय तथा एक प्रश्न अतिलघुउत्तरीय प्रकार का भी होता है ।

सन् 1969 की परीक्षा से एक परितर्वन यह हुआ कि प्रथम प्रश्न-पत्र में भी मानचित्र भरने को आने लगा इसके पहले यह केवल द्वितीय प्रश्नपत्र में ही आया करता था । प्रश्न निबन्धात्मक प्रकार के होते हैं तथा इनमें बाध्य विकल्प ही होता हैं । प्रत्येक प्रश्नपत्र 50-50 अंकों का होता है तथा हल करने का समय तीन घण्टे प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिये निर्धारित है ।

नागरिक शास्त्र :-

सन् 1968 की परीक्षा के पहले नागरिक शास्त्र प्रश्नपत्रों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ । सन् 1968 की परीक्षा से नागरिक शास्त्र में दोंनों प्रश्नपत्रों में एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का आने लगा शेष प्रश्न निबन्धात्मक प्रकार के ही होते थे ।

सन् 1974 की परीक्षाओं से पुनः प्रश्नपत्रों में परिवर्तन किया गया । अब दोनों प्रश्नपत्रों में चार प्रकार के प्रश्न आने लगे जैसे निबन्धात्मक, लघुउत्तरीय, अतिलघुउत्तरीय तथा वस्तुनिष्ठ । प्रत्येक प्रश्न-पत्र 50-50 अंक का होता है तथा प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिये समय तीन घंटे निर्धारित हैं ।

इस परिवर्तन से छात्रों को अधिक अंक मिलने लगे तथा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रवृत्ति बढ़ी है । केवल कुछ पाठों को पढ़कर परीक्षा पास करने की प्रवृत्ति कमजोर हुयी है। परीक्षाफल का प्रतिशत भी बढ़ गयाहै । साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सम्मलित होने से नकल की सम्भावना में वृद्धि हुयी है ।

गृहविज्ञान :-

गृह विज्ञान के प्रश्नपत्र में वर्ष 1974-75 तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ । सत्र् 1975-76 की परीक्षा में गृह विज्ञान का प्रथम प्रश्न-पत्र दो खण्डों में विभक्त कर दिया गया । प्रश्नपत्र में निबन्धात्मक प्रश्नों के साथ-साथ लघुउत्तरीय प्रश्न भी सम्मलित किये गये हैं तथा प्रश्नों के चयन में आंतरिक विकल्प कर दिया गया है ।

द्वितीय प्रश्नपत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दोनों प्रश्नपत्र 30-30 अंक के होते हैं तथा 40 अंक की प्रयोगात्मक परीक्षा होती है । प्रयोगात्मक परीक्षा में वार्षिक कार्य,

प्राकृतिक चिकित्सा, गृह परिचर्या, धुलाई, सिलाई तथा पाक शास्त्र की परीक्षा होती है, साथ ही मौखिक परीक्षा भी होती है ।

गृह विज्ञान में बालिकायें अब भी कुछ घिसे पिटे पाठ तैयार करके उत्तीर्ण हो जाती हैं क्योंकि प्रश्न-पत्र में प्रायः कुछ निश्चित पाठों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों के चयन में बाह्य विकल्प अभी भी रहता है । प्रयोगात्मक परीक्षा में अच्छे अंक मिल जाने से परीक्षा परिणाम अच्छा हो जाता है ।

हाईस्कूल स्तर के अन्य विषय जैसे हिन्दी, भूगोल, अर्थशास्त्र, संस्कृत एवं वाणिज्य आदि के प्रश्नपत्रों में भी इसी प्रकार परिवर्तन किये गयें है ।

इण्टरमीडिएट :-

इण्टरमीडिएट की परीक्षा में प्रमुख रूप से विज्ञान एवं गणित विषय के प्रश्नपत्रों की रचना में विशेष परिवर्तन किये गयेहैं तथा अन्य विषयों के प्रश्नपत्रों में आंशिक परिवर्तन ही किये गये हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है :-

गणित :-

सन् 1976 तक इण्टरमीडिएट की गणित के प्रश्नपत्रों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किये गये । गणित के तीन प्रश्नपत्र होते थे । प्रथम प्रश्नपत्र 33 अंक का, द्वितीय प्रश्नपत्र 33 अंक का तथा तृतीय प्रश्न पत्र 34 अंक का होता था। इस प्रकार तीनों प्रश्नपत्र मिलाकर 100 अंक के होते थे । प्रत्येक प्रश्न-पत्र में 14 प्रश्न होते थे । प्रश्नपत्र 'अ' 'ब' तथा 'स' तीन खण्डों में विभक्त होते थे । खण्ड 'अ' में कुल छः प्रश्न होते थे, जिनमें से कोई तीन प्रश्न हल करना होते थे। खण्ड 'ब' में कुल चार प्रश्न होते थे और इनमें से कोई दो प्रश्न हल करना होते थे । खण्ड 'स' में भी चार प्रश्न होते थे तथा इनमें से कोई दो प्रश्न हल करना होते थे । प्रश्नों का प्रकार दीर्घउत्तरीय था, जिन्हें हल करने में परीक्षार्थियों को काफी समय तथा श्रम लगता था ।

सन् 1977 की परीक्षाओं से प्रश्न-पत्र के प्रारूप में परिवर्तन किया गया । वर्तमान में प्रथम व तृतीय प्रश्न-पत्र के लिये 35-35 अंक तथा द्वितीय प्रश्न पत्र के लिये 30 अंक निर्धारित हैं ।

प्रथम तथा तृतीय प्रश्न पत्र में कुल सात-सात प्रश्न होते हैं तथा सभी प्रश्न अनिवार्य एवं आंतरिक विकल्प वाले होते हैं । प्रश्न लघुउत्तरीय एवं वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं । प्रथम

दो प्रश्न पाँच पाँच खण्डों में विभक्त रहते हैं, जिनमें से कोई चार-चार खण्ड हल करने पड़ते हैं। प्रत्येक खण्ड के लिये । अंक निर्धारित है । प्रश्न संख्या 3 एवं 4 में चार-चार खण्ड होते हैं, जिनमें से तीन-तीन खण्डों के उत्तर देना पड़ता है। प्रत्येक खण्ड के लिये 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 5 एवं 6 में 3-3 अंक के तीन-तीन खण्ड होते हैं, जिनमें से किन्हीं दो-दो खण्डों को हल करना पड़ता है । प्रश्न संख्या 7 में दो खण्ड होते हैं, जिनमें से किसी एक खण्ड का हल देना पड़ता है, इसका प्रत्येक खण्ड 3 अंक का होता है । इस प्रकार कुल 27 आंतरिक प्रश्नों में से कुल 19 प्रश्न हल करना होते हैं ।

द्वितीय प्रश्न-पत्र का प्रारूप भी लगभग प्रथम व तृतीय प्रश्न-पत्र की ही तरह होता है । अन्तर इतना है कि इस प्रश्न-पत्र में प्रश्न संख्या 7 नहीं होती है। कुल प्रश्नों की संख्या 6 होती है तथा दूसरा अन्तर यह है कि प्रथम व तृतीय के जिन प्रथम व द्वितीय प्रश्न में पाँच-पाँच खण्डों से कोई चार-चार खण्ड करना पड़ते हैं, वही इस प्रश्न-पत्र में प्रथम दो प्रश्नों में कुल चार-चार खण्ड होते हैं और इनमें से किन्हीं तीन-तीन खण्डों का उत्तर देना होता हैं । इस प्रकार 5 अंक के प्रश्न कम कर दिये जाते हैं । इस प्रश्न-पत्र में कुल आंतरिक प्रश्नों की संख्या 23 होती है, जिनमें से 16 प्रश्नों का हल देना होता है ।

प्रश्नपत्र रचना के उपरोक्त प्रारूप से परीक्षार्थियों को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है तभी वे प्रश्नपत्रों का सही हल देने में समर्थ बन पाते हैं । इस व्यवस्था से उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बढ़ा है तथा अधिकांश छात्रों को विशेष योग्यता का अवसर प्राप्त हो जाता है। लेकिन चूँकि अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुयी है । इससे नकल की संभावना बढ़ी है और लम्बे हल वाले प्रश्नों के न पूंछे जाने के कारण इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास बंद सा होता जा रहा है । क्योंकि आज अधिकांश व्यक्ति शिक्षा को परीक्षा उत्तीर्ण करना मात्र समझने लगे हैं ।

भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान :-

सन् 1975 तक परिषद् की भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान की परीक्षा में दो-दो लिखित प्रश्नपत्र तथा एक-एक प्रयोगिक परीक्षा होती थी । प्रत्येक लिखित प्रश्न-पत्र के लिये 35 अंक तथा प्रयोगिक परीक्षा के लिये 30 अंक निर्धारित थे । प्रत्येक प्रश्नपत्र में कुल 9 या 10 निबन्धात्मक प्रकार के प्रश्न आते थे, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना पड़ता था । चूंकि

9 या 10 प्रश्नों में पूरा पाठ्यक्रम कवर नहीं होता था और यदि हो भी जाये तो ये सभी अनिवार्य नहीं होते थे । इसलिये परीक्षार्थी प्रमुख पाठों को तैयार करके भी अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाते थे ।

सन् 1976 की परीक्षाओं से प्रश्नपत्रों के प्रारूप में परिवर्तन किया गया है । वर्तमान समय में प्रश्नपत्रों की संख्या या उनके लिये निर्धारित अंक वही हैं, लेकिन प्रश्न रचना में परिवर्तन हो गया है । प्रत्येक प्रश्नपत्र में छोटे-छोटे कई तरह के प्रश्न आने लगे हैं जैसे, वस्तुनिष्ठ, अतिलघुउत्तरीय, लघुउत्तरीय, सत्य/असत्य, रिक्त स्थान पूर्ति तथा निबन्धात्मक प्रश्न । इस व्यवस्था में प्रश्न-पत्र की रचना सम्पूर्ण पाठ्यक्रम से की जाती है । प्रश्नों के चयन में बाह्य विकल्प के स्थान पर आंतरिक विकल्प होता है । इस व्यवस्था में छात्रों को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है अन्यथा पूरा प्रश्नपत्र हल करना कठिन होता है ।

जीव विज्ञान :-

सन् 1975 तक जीव विज्ञान के प्रश्नपत्रों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कुल 8 या 9 निबन्धात्मक प्रश्न आते थे, जिनमें कोई 5 प्रश्नों के उत्तर देना होता था । कोई प्रश्न अनिवार्य नहीं होता था प्रश्नों में बाह्य विकल्प होता था। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को कवर नहीं कर पाते थे, बल्कि चुने हुये पाठों से ही प्रश्न प्रश्नपत्रों में आते थे, जिससे छात्र विषय का चयनात्मक अध्ययन करता था तथा कुछ प्रश्नों को रटकर परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफल हो जाता था ।

सन् 1976 की परीक्षाओं से दोनों प्रश्नपत्रों के प्रारूप में परिवर्तन किया गया । सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को तेरह वर्गों में विभक्त कर दिया गया है । प्रश्नपत्र में प्रत्येक वर्ग से एक प्रश्न पूछा जाने लगा है । प्रश्न में कुल 13 प्रश्न होते हैं जो सभी अनिवार्य तथा आंतरिक विकल्प वाले होते हैं । प्रश्न-पत्र में निबन्धात्मक, वस्तुनिष्ठ, लघुउत्तरीय, अतिलघुउत्तरीय प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिनमें कौशल तथा अनुप्रयोगात्मक टाइप के प्रश्न भी सम्मलित रहते हैं । ये सभी प्रश्न 1-1 या 2-2 और अधिकतम 5-5 अंक के होते हैं ।

इस व्यवस्था से छात्रों/छात्राओं को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिये सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है । क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक होने से वे सम्पूर्ण पाठ्यक्रम

को कवर करते हैं । इस व्यवस्था के कारण वर्तमान में चुने हुये प्रश्नों को रटकर परीक्षा उत्तीर्ण करनें की प्रवृत्ति कम हुयी है । इस व्यवस्था से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के प्रतिशत में वृद्धि हुयी है, लेकिन साथ ही नकल की सम्भावनायें कुछ बढ़ गयी हैं ।

भूगोल :-

इण्टरमीडिएट स्तर पर परिषद् द्वारा भूगोल की परीक्षा में सन् 1976 तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं किये गये परन्तु सन् 1977 की परीक्षाओं से तृतीय प्रश्नपत्र में प्रयोगात्मक परीक्षा के साथ-साथ मौखिक परीक्षा भी होने लगी । प्रश्नपत्रों में अतिलघुउत्तरीय तथा लघुउत्तरीय प्रकार के प्रश्नों की संख्या में वृद्धि की गयी । प्रथम प्रश्नपत्र तीन खण्डों में तथा द्वितीय प्रश्नपत्र दो खण्डों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक खण्ड से प्रश्न हल करना अनिवार्य किया गया ।

लघुउत्तरीय तथा अतिलघुउत्तरीय प्रश्नों के समावेश से सम्पूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाने की सम्भावना में वृद्धि हुयी । मौखिकी के प्रारम्भ होने से छात्र को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी तथा रटकर चुने हुये प्रश्नों के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने की प्रवृत्ति में कमी आयी ।

समाजशास्त्र :-

परिषद् की इण्टरमीडिएट स्तर पर समाजशास्त्र की परीक्षा सन् 1976 तक लगभग पुराने ढंग से ही चलती रही । प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कुल दस प्रश्न होते थे जिनमें से किन्हीं पाँच प्रश्नों का उत्तर लिखना होता था । प्रश्न निबन्धात्मक प्रकार के होते थे तथा प्रश्नों में मात्र बाह्य विकल्प होता था ।

सन् 1977 की परीक्षा से प्रश्नपत्रों के प्रारूप में परिवर्तन किया गया । प्रथम परिवर्तन यह हुआ कि प्रत्येक प्रश्नपत्र में प्रश्नसंख्या दस अनिवार्य कर दिया गया । इस प्रश्न में सत्य/असत्य, अतिलघुउत्तरीय, रिक्त स्थान पूर्ति आदि प्रकार के प्रश्न आने लगे, ये प्रश्न एक अंक से तीन अंक तक के रखे गये । प्रश्न-पत्र में एक या दो प्रश्न लघुउत्तरीय प्रकार के रखे जाने लगे तथा अधिकांश प्रश्नों में आंतरिक विकल्प की व्यवस्था की गयी ।

उपरोक्त व्यवस्था से छात्र/छात्राओं में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रवृत्ति बढ़ी तथा परीक्षार्थियों के अंकों के प्रतिशत में भी सराहनीय वृद्धि हुयी ।

कृषि :-

कृषि के प्रश्नपत्रों में सन् 1976-77 तक कोई विशेष उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुये । प्रश्नपत्र में कुल नौ या दस निबन्धात्मक प्रकार के प्रश्न आते थे, जिनमें से कोई पाँच प्रश्न हल करने का निर्देश रहता था । कुछ लगभग निश्चित पाठों से प्रश्न पूछे जाते थे, जिससे छात्र मात्र उन्हीं पाठों को तैयार कर लेता था तथा शेष पाठ्यक्रम पर ध्यान ही नहीं देता था ।

सन् 1977 की परीक्षाओं से प्रश्नपत्र रचना में परिवर्तन कर दिया गया । सम्पूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न सम्मलित किये जाने लगे । प्रश्नपत्रों को तीन खण्डों में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक खण्ड से प्रश्न करना अनिवार्य कर दिया गया । प्रश्नों के चयन में आंतरिक विकल्प को स्थान दिया गया । लगभग पचास प्रतिशत प्रश्न लघुउत्तरीय तथा अतिलघुउत्तरीय प्रकार के होते हैं । निबन्धात्मक प्रश्नों की संख्या कम कर दी गयी है । कुछ प्रश्न सामान्य जानकारी के रखे जाने लगे है, जिससे छात्रों को पत्र पत्रिकाओं को भी पढ़ना पड़ताहै । इस प्रकार की व्यवस्था की कमी मात्र यह है कि इसमें अब प्रश्नों के उत्तरों की पुष्टि के लिये रेखाचित्रों का महत्व अपेक्षाकृत कम हो गया है । अंग्रेजी, नागरिक शास्त्र तथा समाज शास्त्र के प्रश्नपत्रों में भी लघु उत्तरीय, अतिलघुउत्तरीय तथा वस्तुनिष्ठ- जिसके अन्तर्गत सत्य/असत्य, रिक्त स्थान पूर्ति, प्रत्यास्मरण, बहुविकल्प जाँच सम्बन्धी प्रश्न सम्मलित रहते हैं, प्रश्नों का समावेश किया गया है । चूंकि सभी प्रकार के प्रश्नों के अपने गुण दोष हैं। इसलिये किसी भी एक प्रकार के प्रश्न प्रश्नपत्र में रखना उचित नहीं जान पड़ता है । अतः सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश ही उत्तम है ।

संक्षेप में आजकल[48] हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा में ब्लूम की टैक्सोनोमी ऑफ एजूकेशनल ऑब्जेक्टिवस् के शैक्षिणिक उद्देश्यों - ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल आदि के आधार पर उत्तर के विस्तार की दृष्टि से तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं :-

(क) अति लघुउत्तरीय (वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित),

(ख) लघु उत्तरीय, तथा

(ग) निबन्धात्मक ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश का परीक्षाफल तथा उसका विवेचन :-

हमारे देश में प्रचलित वर्तमान शिक्षा पद्धति ब्रिटिश काल में सन् 1854 के वुड

---

48. आदित्य नारायण तिवारी, "माध्यमिक स्तर पर परीक्षा में सुधार" (लेख) एक्जामिनेशन रिफार्म इन उत्तर प्रदेश, आरगनाईजड् बाई सुपरवाईजर एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 इलाहाबाद, 1989, पृष्ठ 3

के घोषणापत्र (अधिपत्र) के आधार पर प्रारूपित हुयी थी । सन् 1854 के अधिपत्र के आधार पर भारत में सन् 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी थी ।

वर्तमान उत्तर प्रदेश की शिक्षा का उत्तरदायित्व कलकत्ता विश्वविद्यालय पर था । कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम इन्ट्रन्स एक्जामिनेशन मार्च 1857 में प्रारम्भ किया गया । इस समय इस विश्वविद्यालय में इन्ट्रेन्स इक्जामिनेशन, फर्स्ट एक्जामिनेशन इन आर्ट्स, बेचलर ऑफ आर्ट्स तथा मास्टर ऑफ आर्ट्स की परीक्षायें ली जाती थीं ।

सन् 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुयी और उत्तर प्रदेश की शिक्षा का भार इस विश्वविद्यालय पर आ गया । इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इण्टरमीडिएट आर्ट्स, इण्टरमीडिएट बी-कोर्स तथा इन्ट्रेन्स एक्जामिनेशन सर्वप्रथम सन् 1889 में लिया । सन् 1894 से स्कूल फाइनल एक्जामिनेशन का भी आयोजन किया जो सन् 1907 तक चलता रहा । सन् 1908 से स्कूल फाइनल एक्जामिनेशन समाप्त कर दिया गया तथा मेट्रीक्युलेशन प्रारम्भ किया गया । इलाहाबाद विश्वविद्यालय सन् 1923 तक मैट्रीक्युलेशन, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा का आयोजन करता रहा ।

सन् 1921 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम--1921 पारित किया, जो 1 अप्रैल सन् 1922 से लागू किया गया । इसके तहत माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की स्थापना की गयी । परिषद् ने सर्वप्रथम सन् 1924 में मेट्रीक्युलेशन तथा स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा का आयोजन किया । इस वर्ष मेट्रीक्युलेशन एक्जामिनशन में 1172 परीक्षार्थी पंजीकृत हुये तथा स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा में 5,600 परीक्षार्थी पंजीकृत हुये तथा इनका परीक्षाफल क्रमशः 44.6 प्रतिशत तथा 55.2 प्रतिशत रहा । परिषद् ने सन् 1925 से मेट्रीक्युलेशन तथा स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के स्थान पर हाईस्कूल परीक्षा की शुरूआत की । परिषद् की इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सन् 1924 में 1702 परीक्षार्थी सम्मलित हुये जिनका परीक्षाफल 53.9 प्रतिशत रहा ।

सन् 1924 से लेकर सन् 1992 तक परिषद् की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुयी है । अब हम परिषद् की परीक्षाओं में सम्मलित परीक्षार्थियों तथा उनके परीक्षाफल का वर्णन एवं विवेचन स्वतन्त्रता के पूर्व (सन् 1924 से लेकर सन् 1946) तक स्वतन्त्रता के पश्चात् (सन् 1947 से लेकर सन् 1992 तक) अलग-अलग प्रस्तुत करेंगे ।

सारणी 6.1

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की परीक्षाओं में सम्मलित परीक्षार्थी

स्वतन्त्रता के पूर्व (सन् 1925 से 1946 तक)

क्रमांक	वर्ष	परीक्षार्थी			गुणा-वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर (प्रतिशत में)	वृद्धि-सूचकांक
		हाईस्कूल	इण्टरमीडिएट	योग			
1.	1925	6,368 (75.85)	2,028 (24.15)	8,396 (100)	1	-	100
2.	1930	8,337 (75.98)	2635 (24.02)	10,972 (100)	1.31	6.14	131
3.	1935	12637 (75.59)	4081 (24.41)	16718 (100)	1.99	10.47	199
4.	1940	16580 (76.29)	5152 (23.71)	21732 (100)	2.59	6.00	259
5.	1945	24662 (73.60)	8846 (26.40)	33,508 (100)	3.99	10.84	399
6.	1946	27272 (72.41)	10392 (27.59)	37664 (100)	4.48	16.03*	448

नोट : 1. *=यह 1925 से 1946 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर हैं।

2. कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित संख्या का योग में प्रतिशत दर्शाया गया हैं ।

स्त्रोत :-"शिक्षा," लखनऊ, शिक्षा विभाग,

अक्टूबर 1953, पृष्ठ 46-47

सारणी से स्पष्ट है कि परिषद् की सन् 1925 की परीक्षाओं में कुल सम्मलित परीक्षार्थी संख्या 8,396 थी, जो 1946 में 37,664 हो गयी । इस प्रकार 21 वर्षों में परीक्षार्थियों की संख्या बढ़कर 4.48 गुना हो गयी सन् 1925 से 1930 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर 6.14 प्रतिशत रही । इसी प्रकार परीक्षार्थियों की संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि दर सन् 1930 से 1935 के मध्य 10.47 प्रतिशत, 1935 से 1940 के मध्य 6.00 प्रतिशत, 1940 से 1945 के मध्य 10.84 प्रतिशत

परिषद की परीक्षाओं में सम्मिलित परीक्षार्थी

(स्वतंत्रता के पूर्व)

हाईस्कूल

इण्टरमीडिएट

42

36

30

24

18

12

6

0

परीक्षार्थी (हजारों में)

1925

1930

1935

1940

1945

1946

वर्ष

चित्र 6.1

रही । सारणी से यह भी स्पष्ट है कि सन् 1925 से 1946 के मध्य परीक्षार्थियों की संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि-दर 16.03 प्रतिशत रही । सन् 1925 में वृद्धि सूचकांक 100 था जो 1946 में बढ़कर 448 हो गया । सारणी से यह भी स्पष्ट है कि परिषद् की परीक्षाओं में 70 प्रतिशत से अधिक परीक्षार्थी हाईस्कूल परीक्षा में तथा 30 प्रतिशत से कम परीक्षार्थी इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मलितहोते रहे हैं ।

सारणी 6.2

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की हाईस्कूल परीक्षा में सम्मलित परीक्षार्थी

स्वतन्त्रता के पूर्व (सन् 1925 से 1946 तक)

क्रमांक	वर्ष	परीक्षार्थी			गुणा-वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर (प्रतिशत में)	वृद्धि-सूचकांक
		संस्थागत	व्यक्तिगत	योग			
1.	1925	6,126 (96.20)	242 (3.80)	6,368 (100)	1	-	100
2.	1930	7,309 (87.67)	1,028 (12.33)	8,337 (100)	1.31	6.18	131
3.	1935	10,774 (85.02)	1,893 (14.98)	12,637 (100)	1.98	10.32	198
4.	1940	13,177 (79.48)	3,403 (20.52)	16,580 (100)	2.45	6.24	245
5.	1945	16,869 (68.40)	7,793 (31.60)	24,662 (100)	3.87	9.75	387
6.	1946	18,695 (68.55)	8,577 (31.45)	27,272 (100)	4.28	15.63*	428

नोट-1. कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित संख्या का कुल योग में प्रतिशत दर्शाया गया है ।

2. *=यह सन् 1925 से 1946 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर है ।

स्त्रोत- 'शिक्षा'

लखनऊ, शिक्षा विभाग

अक्टूबर, 1953 पृष्ठ 46-47

सारणी से स्पष्ट है कि परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या में सन् 1925 से 1946 तक लगातार वृद्धि हुयी है । सन् 1925 में परीक्षार्थियों की संख्या

हाईस्कूल
परिषद की परीक्षाओं में सम्मिलित परीक्षार्थी

(स्वतंत्रता के पूर्व)

चित्र 6.2

6386 थी जो सन् 1946 में बढ़कर 27,272 हो गयी, यह वृद्धि 1925 की तुलना में 4.28 गुना है । सन् 1925 से 1930 के मध्य परीक्षार्थियों की संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि-दर 6.18 प्रतिशत रही । इसी प्रकार यह औसत वार्षिक वृद्धि-दर सन् 1930 से 1935 के मध्य 10.32 प्रतिशत, सन् 1935 से 1940 के मध्य 6.24 प्रतिशत तथा सन् 1940 से 1945 के मध्य 9.75 प्रतिशत रही । सारणी से यह भी स्पष्ट है कि सन् 1925 से 1946 के मध्य परीक्षार्थियों की संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि-दर 15.63 प्रतिशत रही । सन् 1925 में वृद्धि सूचकांक 100 था जो 1946 में बढ़कर 428 तक पहुँच गया ।

सारणी से यह भी ज्ञात होता है कि परिषद् की हाईस्कूल की परीक्षा में स्थापना काल में संस्थागत परीक्षार्थियों का प्रतिशत अधिक था लेकिन धीरे-धीरे यह प्रतिशत कम होता गया। सन् 1925 में कुल सम्मलित परीक्षार्थियों में 96.20 प्रतिशत संस्थागत तथा 3.80 प्रतिशत व्यक्तिगत परीक्षार्थी थे जबकि 1930, 1935, 1940, 1945 एवं 1946 में यह प्रतिशत क्रमशः 87.67 और 12.33, 85.02 और 14.98, 79.48 और 20.52, 68.40 और 31.60 एवं 68.55 और 31.45 हो गया । इसका एक कारण छात्र संख्या में वृद्धि के अनुपात में विद्यालयों की संख्या में वृद्धि न होना हो सकता है ।

सारणी 6.3

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मलित परीक्षार्थी

स्वतन्त्रता के पूर्व (सन् 1924 से 1946 तक)

क्रमांक	वर्ष	परीक्षार्थी			गुणा-वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर (प्रतिशत में)	वृद्धि-सूचकांक
		संस्थागत	व्यक्तिगत	योग			
1.	1924	1,702 (100)	...	1,702 (100)	1	-	100
2.	1925	2,028 (100)	...	2,028 (100)	1.19	19.15	119
3.	1930	2,224 (84.40)	411 (15.60)	2,635 (100)	1.55	5.99	155
4.	1935	3,218 (78.85)	863 (21.15)	4,081 (100)	2.40	10.97	240
5.	1940	3,748 (72.75)	1,404 (27.25)	5,152 (100)	3.03	5.25	303

परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थी

(स्वतंत्रता के पूर्व)

चित्र 6.3

क्रमशः सारणी 6.3

6.	1945	5,583 (63.11)	3,263 (36.89)	8,846 (100)	5.20	14.34	520
7.	1946	6,125 (58.94)	4,267 (41.06)	10,392 (100)	6.11	24.31*	611

नोट :- 1. कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित संख्या का कुल योग में प्रतिशत दर्शाया गया है ।
2. *=यह सन् 1924 से 1946 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि दर हैं ।

स्त्रोत :- 'शिक्षा'

लखनऊ, शिक्षा विभाग,

अक्टूबर, 1953, पृष्ठ 46-47

सारणी से स्पष्ट है कि परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सन् 1924 से लेकर 1946 तक लगातार वृद्धि हुयी है । सन् 1924 में परीक्षा में सम्मलित परीक्षार्थियों की संख्या 1,702 थी जो सन् 1946 में बढ़कर 10,392 हो गयी । इस प्रकार 22 वर्षों में यह छः गुना से भी अधिक हो गयी । सन् 1925 से 1930 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 5.99 प्रतिशत रही । इसी प्रकार औसत वार्षिक वृद्धि-दर सन् 1930 से 1935, सन् 1935 से 1940 और सन् 1940 से 1945 के मध्य क्रमशः 10.97 प्रतिशत 5.25 प्रतिशत और 14.34 प्रतिशत रही । अतः स्पष्ट है कि सन् 1935 से 1940 के बीच औसत वार्षिक वृद्धि-दर सर्वाधिक रही । इसी प्रकार सारणी से यह भी स्पष्ट है कि सन् 1924 से 1946 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर 24.31 प्रतिशत रही ।

सारणी से ज्ञात होता है कि सन् 1924 एवं 1925 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सभी परीक्षार्थी संस्थागत थे । लेकिन सन् 1930 से 1946 तक सारणी से स्पष्ट है कि लगातार संस्थागत परीक्षार्थियों की संख्यामें कमी आयी है । सन् 1930 की परीक्षा में 84.40 प्रतिशत छात्र संस्थागत एवं 15.60 प्रतिशत छात्र व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मलित हुये । इसी प्रकार सन् 1935, सन् 1940, सन् 1945 एवं सन् 1946 में यह प्रतिशत क्रमशः 78.85 और 21.15, 72.75 और 27.25, 63.11 और 36.89 एवं 58.94 और 41.06 रहा । संस्थागत परीक्षार्थियों की संख्या में कमी शिक्षण संस्थाओं की कमी की ओर संकेत करती है ।

अब हम स्वतन्त्रता के पूर्व परिषद् की परीक्षाओं में सम्मलित परीक्षार्थियों के परीक्षाफल का विवेचन प्रस्तुत करेंगे ।

सारणी 6.4

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की हाईस्कूल परीक्षा में सम्मलित परीक्षार्थी तथा उनका परीक्षाफल

स्वतन्त्रता के पूर्व (सन् 1925 से 1946 तक)

क्रमांक	वर्ष	सम्मलित परीक्षार्थी			उत्तीर्ण प्रतिशत			कृपांक से उत्तीर्ण
		संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	परीक्षार्थी
1.	1925	6,126	242	6,368	...	...	61.27	...
2.	1930	7,309	1,028	8,337	59.7	21.5	56.75	...
3.	1935	10,744	1,893	12,637	63.6	29.1	58.7	...
4.	1940	13,177	3,408	16,580	78.4	45.4	72.0	...
5.	1945	16,869	7,793	24,662	71.4	39.8	62.8	2,282
6.	1946	18,695	8,577	27,272	71.6	38.3	62.8	2,632

स्त्रोत :- आई0 बी0 स्टेटमेन्टस ऑफ पास परसन्ट्रेज

कोटेड इन डा0 मोती लाल भार्गव हिस्ट्री ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन इन उ0 प्र0

लखनऊ - सुपिरिन्टेन्डेन्ट प्रिटिंग एण्ड स्टेशनरी उ0 प्र0 (इण्डिया) 1958 पृष्ठ - 395

सारणी से स्पष्ट है कि परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा में सन् 1925 में कुल 6,368 परीक्षार्थी सम्मलित हुये जिनका परीक्षाफल 61.27 प्रतिशत रहा । सन् 1925 से 1946 तक परीक्षार्थियों की संख्या निरन्तर बढ़ती रही है । सन् 1930 में संस्थागत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल 59.7 प्रतिशत रहा, जबकि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल 21.5 प्रतिशत रहा । सन् 1935 में परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा का परीक्षाफल 58.7 प्रतिशत रहा, जिसमें 63.6 प्रतिशत संस्थागत परीक्षार्थियों का तथा 29.1 प्रतिशत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का था । सन् 1940 की परीक्षा का परीक्षाफल 72.0 प्रतिशत रहा जो, सारिणी के अनुसार 1925 से 1946 के मध्य सबसे अच्छा परीक्षाफल है । इसमें संस्थागत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल 78.4 प्रतिशत तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल 45.4 प्रतिशत था । इस प्रकार इस वर्ष व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल भी अच्छा रहा । सन् 1945 तथा 1946 में हाईस्कूल परीक्षा का परीक्षाफल 62.8 प्रतिशत रहा तथा इन वर्षों में क्रमशः 2282 तथा 2632 परीक्षार्थी कृपांक से उत्तीर्ण हुये ।

सारणी से यह भी स्पष्ट है कि परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल कभी भी 50 प्रतिशत तक नहीं पहुँच पाया । व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का सर्वोत्तम परीक्षाफल 45.4 प्रतिशत सन् 1940 में तथा सबसे खराब परीक्षाफल सारणीनुसार 21.5 प्रतिशित सन् 1930 में रहा । इसी प्रकार संस्थागत परीक्षार्थियों का सर्वोत्तम परीक्षाफल 78.4 प्रतिशत सन् 1940 में तथा सबसे खराब परीक्षाफल 59.7 प्रतिशत सन् 1930 में रहा ।

सारणी 6.5

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मलित परीक्षार्थी तथा उनका परीक्षाफल

स्वतन्त्रता के पूर्व (सन् 1924 से 1946 तक)

क्रमांक	वर्ष	सम्मलित परीक्षार्थी			उत्तीर्ण प्रतिशत			कृपांक से उत्तीर्ण
		संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	परीक्षार्थी
1.	1924	1,702	...	1,702	53.9	...	53.9	...
2.	1925	2, 028	...	2,028	47.3	...	47.3	...
3.	1930	2,224	411	2,635	54.5	25.3	56.3	...
4.	1935	3,218	863	4,081	63.6	32.5	56.9	437
5.	1940	3,748	1,404	5,152	62.0	31.4	58.8	511
6.	1945	5,583	3,263	8,846	72.4	53.7	66.1	793
7.	1946	6,125	4,267	10,392	70.0	51.9	65.4	789

स्रोत : डॉ0 मोती लाल भार्गव 'हिस्ट्री ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश'.

लखनऊ, सुपिरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी उत्तर प्रदेश (इण्डिया) -1958, पृष्ठ-398

सारणी क्रमांक 6.5 से स्पष्ट है कि परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सन् 1924 से 1946 तक परीक्षार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुयी है । सन् 1924 तथा 1925 की परीक्षाओं में सभी परीक्षार्थी संस्थागत थे । सन् 1924 में इण्टर का परीक्षाफल 53.9 प्रतिशत तथा सन् 1925 की परीक्षा में 47.3 प्रतिशत रहा । सन् 1930 में संस्थागत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल 54.5 प्रतिशत तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल 25.3 प्रतिशत रहा । सन् 1935 की इण्टरमीडिएट की परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल 32.5 प्रतिशत तथा संस्थागत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल

63.6 प्रतिशत रहा । इस वर्ष औसत परीक्षाफल 56.9 प्रतिशत रहा तथा 437 परीक्षार्थियों को कृपांक के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया गया । सन् 1940, 1945 तथा 1946 में इण्टरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल क्रमशः 58.8 प्रतिशत, 66.1 प्रतिशत तथा 65.4 प्रतिशत रहा तथा इन वर्षों में क्रमशः 511, 793 तथा 789 परीक्षार्थियों को कृपांक देकर उत्तीर्ण घोषित किया गया ।

उपरोक्त सारणी से यह भी स्पष्ट है कि परिषद् की स्वतंत्रता के पूर्व की इण्टरमीडिएट परीक्षा का सबसे उत्तम परीक्षाफल 66.1 प्रतिशत सन् 1945 में तथा सबसे कम प्रतिशत 47.3 सन् 1925 में रहा । सन् 1945 में व्यक्तिगत तथा संस्थागत दोनों प्रकार के परीक्षार्थियों का परीक्षाफल अपेक्षाकृत अन्य वर्षों के सबसे उत्तम रहा ।

सारणी 6.6

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चरल डिप्लोमा एक्जामिनेशन तथा इण्टरमीडिएट एक्जामिनेशन इन एग्रीकल्चरल में सम्मलित परीक्षार्थी तथा उनका परीक्षाफल

स्वतन्त्रता के पूर्व (सन् 1926 से 1946 तक)

क्रमांक	वर्ष	सम्मलित परीक्षार्थी	उत्तीर्ण प्रतिशत	कृपांक से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
1.	1926	2	100.0	..
2.	1930	50	90.0	..
3.	1935	81	91.3	21
4.	1940	192	83.0	35
5.	1945	342	63.2	101
6.	1946	356	46.3	40

स्त्रोत : डॉ0 मोती लाल भार्गव 'हिस्ट्री ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश' लखनऊ, सुपिरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश (इण्डिया), 1958 पृष्ठ 396

सारणी से स्पष्ट है कि परिषद् की इण्टर कृषि परीक्षा में सन् 1926 में मात्र 2 परीक्षार्थी सम्मलित हुये। यह संख्या 20 वर्षों बाद सन् 1946 में 356 हो गयी जो 1926 की तुलना में 178 गुना है । सारणी देखने से पता चलता है, कि सन् 1935 को छोड़कर यदि देखा जाये तो 1926 से 1946 तक परीक्षाफल क्रमशः खराब ही होता गया है । सन् 1926 में परीक्षाफल शत प्रतिशत रहा जबकि 1930 में 90 प्रतिशत, 1935 में 91.3 प्रतिशत, 1940 में 83.0 प्रतिशत,

1945 में 63.2 प्रतिशत तथा 1946 में 46.3 प्रतिशत रहा ।

सारणी से यह भी स्पष्ट है कि सन् 1935 में 21 परीक्षार्थियों को कृपांक देकर उत्तीर्ण घोषित किया गया । इसी प्रकार 1940 में 35 परीक्षार्थियों को, 1945 में 101 परीक्षार्थियों को तथा 1946 में 40 परीक्षार्थियों को कृपांक देकर उत्तीर्ण घोषित किया गया ।

सारणी 6.7

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की कॉमर्सियल डिप्लोमा एक्जामिनेशन तथा इण्टर एक्जामिनेशन इन कॉमर्स में सम्मलित परीक्षार्थी तथा उनका परीक्षाफल

स्वतन्त्रता के पूर्व (सन् 1925 से 1946 तक)

क्रमांक	वर्ष	सम्मिलित परीक्षार्थी			उत्तीर्ण प्रतिशत			कृपांक से उत्तीर्ण
		संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	परीक्षार्थी
1.	1925	249	..	249	66.2	...	66.2	..
2.	1930	243	21	264	59.8	30.0	58.0	..
3.	1935	341	37	378	52.4	43.2	57.8	43
4.	1940	681	75	756	63.5	35.3	68.0	88
5.	1945	981	183	1164	57.7	43.7	56.2	139
6.	1946	1207	195	1402	71.4	58.7	70.3	148

स्त्रोत :- डॉ0 मोती लाल भार्गव 'हिस्ट्री ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश'

लखनऊ, सुपिरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी,उत्तर प्रदेश (इण्डिया), 1958,पृष्ठ-397

सारणी क्रमांक 6.7 से स्पष्ट है कि कॉमर्सियल डिप्लोमा तथा इण्टर कॉमर्स एक्जामिनेशन में सन् 1925 में कुल 249 परीक्षार्थी सम्मलित हुये, जो सभी संस्थागत थे, जबकि सन् 1946 में इस परीक्षा में कुल 1402 परीक्षार्थी सम्मलित हुये जो 1925 की तुलना में 5.6 गुना हैं ।

सन् 1925 में इस परीक्षा का परीक्षाफल 66.2 प्रतिशत रहा, जो घटते-बढ़ते सन् 1946 में 70.3 प्रतिशत हो गया, जो स्वन्त्रता पूर्व का इस परीक्षा का सबसे अच्छा परीक्षाफल था। सन् 1930 में कॉमर्सियल डिप्लोमा तथा इण्टर कॉमर्स की परीक्षा में 58 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण

हुये जिनमें 59.8 प्रतिशत संस्थागत तथा 30.0 प्रतिशत व्यक्तिगत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुये । इसी प्रकार सन् 1935, 1940, 1945 एवं 1946 में इस परीक्षा में क्रमशः 57.8, 68.0, 56.2 एवं 70.3 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुये ।

सारणी से यह भी स्पष्ट है कि संस्थागत तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी सबसे अधिक सन् 1946 में सफल रहे, जबकि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का सबसे निम्न प्रतिशत 30 सन् 1930 में उत्तीर्ण हुआ जबकि संस्थागत परीक्षा में सबसे कम 52.4 प्रतिशत परीक्षार्थी सन् 1935 में उत्तीर्ण हुये । सन् 1935 में 43 परीक्षार्थियों को कृपांक देकर उत्तीर्ण घोषित किया गया । इसी प्रकार, 1940, 1945 एवं 1946 में क्रमशः 88, 139 तथा 148 परीक्षार्थी कृपांक के माध्यम से परीक्षा में सफल घोषित किये गये ।

अब हम स्वतन्त्रता के पश्चात् परिषद् की परीक्षाओं में सम्मलित परीक्षार्थी तथा उनके परीक्षाफल का वर्णन एवं विवेचन प्रस्तुत करेंगे ।

सारणी 6.8

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की परीक्षाओं में सम्मलित परीक्षार्थी

स्वतन्त्रता के पश्चात् (सन् 1947 से 1992 तक)

क्रमांक	वर्ष	परीक्षार्थी			गुणा-वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर (प्रतिशत में)	वृद्धि-सूचकांक
		हाईस्कूल	इण्टरमीडिएट	योग			
1.	1947	31,506 (69.04)	14,126 (30.96)	45,632 (100)	1	—	100
2.	1950	64,600 (72.86)	24,065 (27.14)	88,665 (100)	1.94	31.43	194
3.	1955	2,00,547 (72.26)	77,000 (27.74)	2,77,547 (100)	6.08	42.61	608
4.	1960	2,13,868 (68.57)	98,045 (31.43)	3,11,913 (100)	6.84	2.48	684
5.	1965	2,91,686 (68.21)	1,35,948 (31.79)	4,27,634 (100)	9.37	7.42	937
6.	1970	5,02,557 (66.93)	2,48,366 (33.07)	7,50,923 (100)	16.46	15.12	1646

परिषद की परीक्षाओं में सम्मिलित परीक्षार्थी
(स्वतंत्रता के पश्चात)
इण्टरमीडिएट
हाईस्कूल
परीक्षार्थी (लाखों में)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
1947
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1992
वर्ष

क्रमशः सारणी 6.8

7.	1975	6,38,882 (64.26)	3,55,314 (35.74)	9,94,196 (100)	21.79	6.48	2179
8.	1980	8,54,873 (63.30)	4,95,623 (36.70)	13,50,496 (100)	29.60	7.17	2960
9.	1985	11,13,825 (68.07)	5,22,447 (31.93)	16,36,272 (100)	35.86	4.23	3586
10.	1990	16,05,384 (68.18)	7,49,233 (31.82)	23,54,617 (100)	51.60	8.78	5160
11.	1992	15,69,928 (69.27)	6,96,487 (30.73)	22,66,415 (100)	49.67	108.15*	4967

नोट :- 1. कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित संख्या का योग में प्रतिशत दर्शाया गया है ।

2. *=यह सन् 1947 से 1992 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर है ।

स्त्रोत :- "शिक्षा की प्रगति" (सम्बन्धित वर्षों की) इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उ0 प्र0 तथा दैनिक "आज" कानपुर 10.7.92 एवं 15.7.92

सारणी से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता के बाद भी परिषद् की परीक्षाओं में सम्मलित परीक्षार्थियों की संख्या में 1990 तक लगातार वृद्धि हुयी है । सन् 1947 की परीक्षा में कुल 45,632 परीक्षार्थी सम्मलित हुये जब कि सन् 1990 की परीक्षा में यह संख्या 23,54,617 हो गयी । इस प्रकार सन् 1947 से सन् 1990 के मध्य के 43 वर्षों में परीक्षार्थियों की संख्या 51.6 गुना हो गयी सन् 1992 में राज्य सरकार द्वारा नकल विरोधी अध्यादेश पारित कर देने से परीक्षार्थियों की संख्या में कुछ कमी आयी । सन् 1947 से सन् 1950 के मध्य परीक्षार्थियों की संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि-दर 31.43 प्रतिशत रही तथा सन् 1950 से 1955 के मध्य यह दर 42.61 प्रतिशत हो गयी । इससे स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता के पश्चात् शुरू के 7 वर्षों तक परिषद् की परीक्षाओं में सम्मलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष औसत वार्षिक वृद्धि-दर काफी अधिक रही । सन् 1955 से 1960 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर सन् 1947 से 1992 के कालांश में सबसे कम 2.48 प्रतिशत रही। सन् 1960 से 1965, 1965 से 1970, 1970 से 1975, 1975 से 1980, 1980 से 1985 तथा 1985 से 1990 के मध्य परीक्षार्थियों की संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि-दर क्रमशः 7.42 प्रतिशत, 15.12 प्रतिशत, 6.48 प्रतिशत, 7.17 प्रतिशत 4.23 प्रतिशत तथा 8.78 प्रतिशत रही

सारणी से यह भी स्पष्ट है कि सन् 1947 से 1992 के मध्य परीक्षा में सम्मलित परीक्षार्थियों की संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि-दर 108.15 प्रतिशत रही । सन् 1947 में परीक्षा में सम्मलित परीक्षार्थियों का सूचकांक 100 था जो 1992 में बढ़कर 4967 हो गया ।

सारणी से ज्ञात होता है कि परिषद् की परीक्षाओं में हाईस्कूल के परीक्षार्थी लगभग 70 प्रतिशत तथा इण्टरमीडिएट के परीक्षार्थी लगभग 30 प्रतिशत होते हैं । स्वतन्त्रता के बाद से सन् 1992 तक की समयावधि में हाईस्कूल परीक्षा के परीक्षार्थियों का परिषद् की परीक्षाओं में सम्मलित कुल परीक्षार्थियों में प्रतिशत सब से कम सन् 1980 में 63.3 प्रतिशत रहा है जबकि सबसे अधिक सन् 1950 में 72.86 प्रतिशत रहा है । सारणी से यह भी स्पष्ट होता हैं कि हाईस्कूल की परीक्षा में सम्मलित परीक्षार्थियों का कुल परीक्षार्थियों की संख्या में प्रतिशत 60 प्रतिशत से कम कभी नहीं रहा है । इसी प्रकार इण्टरमीडिएट के परीक्षार्थियों का प्रतिशत 40 प्रतिशत तक कभी नहीं पहुँच पाया है ।

सारणी 6.9

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की परीक्षाओं में पंजीकृत, सम्मलित तथा उत्तीर्ण परीक्षार्थी

स्वतन्त्रता के पश्चात् (1947 से 1992 तक)

क्रमांक	वर्ष	पंजीकृत	सम्मलित		उत्तीर्ण	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	1947	48,521	45,632	94.05	28,558	62.58
2.	1950	99,773	88,665	88.87	49,107	55.38
3.	1955	3,05,821	2,77,547	90.75	1,36,751	49.27
4.	1960	3,35,816	3,11,913	92.88	1,28,876	41.32
5.	1965	4,63,145	4,27,634	92.33	2,12,225	49.63
6.	1970	8,04,115	7,50,923	93.38	3,42,945	45.67
7.	1975	10,70,370	9,94,196	92.88	4,78,949	48.17
8.	1980	14,26,380	13,50,496	94.68	7,07,398	52.38
9.	1985	17,68,214	16,36,272	92.54	6,88,193	42.06
10.	1990	25,01,951	23,54,617	94.11	11,89,955	50.54
11.	1992	24,28,555	22,66,415	93.32	4,42,459	19.52

स्त्रोत :- 'शिक्षा की प्रगति' (सम्बन्धित वर्षों की), इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश तथा दैनिक 'आज' कानपुर 10.7.92 एवं 15.7.92

परिषद की परिक्षाओं में पंजीकृत, सम्मिलित
तथा उत्तीर्ण परीक्षार्थी
(स्वतंत्रता के पश्चात)
पंजीकृत
सम्मिलित
उत्तीर्ण
परीक्षार्थी (लाखों में)
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
1947
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1992
वर्ष

चित्र 6.4

सारणी से स्पष्ट है कि स्वन्त्रता के बाद से अब तक जितने परीक्षार्थी परिषद् की परीक्षाओं के लिये पंजीकृत हुये हैं, उनमें से सन् 1950 को छोड़कर 90 प्रतिशत या उससे अधिक परीक्षार्थी परीक्षाओं में सम्मलित हुये हैं । सन् 1950 में 88.87 प्रतिशत परीक्षार्थी परीक्षाओं में सम्मलित हुये । इससे यह स्पष्ट है कि परिषद की परीक्षाओं में स्वतन्त्रता के बाद से अब तक अधिकतम 10 प्रतिशत परीक्षार्थी ऐसे रहे हैं, जो परिषद् की परीक्षाओं के लिये पंजीकृत तो हुये, लेकिन वे विभिन्न कारणों से परीक्षाओं में सम्मलित नहीं हो पाये। पंजीकृत परीक्षार्थियों में सबसे अधिक सम्मलित होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत सन् 1980 में रहा इस वर्ष पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 94.68 प्रतिशत परीक्षार्थी परीक्षाओं में सम्मलित हुये । सारणी से यह भी स्पष्ट है कि परिषद् की विभिन्न परीक्षाओं के लिये जितने परीक्षार्थी पंजीकृत होते हैं उनमें से कम से कम 5% प्रति वर्ष परीक्षाओं में सम्मलित नहीं होते हैं ।

सारणी से ज्ञात होता है कि स्वतन्त्रता के बाद से सन् 1992 तक की समयावधि में सन् 1949 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है इस वर्ष परिषद् की परीक्षाओं में सम्मलित परीक्षार्थियों में से 67.56 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किये गये । सन् 1950 में उत्तीर्ण प्रतिशत घटकर 55.38 प्रतिशत रह गया । इसके बाद परिषद् की परीक्षाओं का परीक्षाफल सन् 1990 तक 40 प्रतिशत से 55 प्रतिशत के मध्य घटता-बढ़ता रहा है ।

सन् 1992 में परिषद् का परीक्षाफल घटकर मात्र 19.52 प्रतिशत रह गया, जो कि अब तक का सबसे कम प्रतिशत है । इस परिणाम के लिये मात्र यह कहना पर्याप्त है कि इसका कारण उ0 प्र0 सरकार द्वारा सन् 1992 में लाया गया नकल विरोधी अध्यादेश है । सन् 1992 में परीक्षाफल को देखने से यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि परिषद् की परीक्षाओं में नकल का प्रभाव काफी बढ़ गया था। हालांकि इस परीक्षाफल के जिम्मेदार इस अध्यादेश के साथ ही साथ अन्य और कारण भी हैं लेकिन चूंकि इन अन्य कारणों में से अधिकांश कारण पिछले कई वर्षों से विद्यमान हैं, जैसे विद्यालयों में शिक्षण की उचित व्यवस्था का अभाव, शिक्षकों की कमी, अयोग्य शिक्षक,

विद्यालयीय वातावरण का दूषित होना, परीक्षा पद्धति उचित न होना आदि, लेकिन चूंकि इन कारणों के रहते हुये भी परीक्षाफल का प्रतिशत लगभग 50 प्रतिशत रहता था । इससे स्पष्ट है कि परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति वास्तव में बढ़ गयी थी ।

सारणी 6.10

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की हाईस्कूल परीक्षा में पंजीकृत, सम्मलित तथा उत्तीर्ण परीक्षार्थी

स्वतन्त्रता के पश्चात् (1947 से 1992 तक)

क्रमांक	वर्ष	पंजीकृत	सम्मलित		उत्तीर्ण	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	1947	33,923	31,506	92.88	19,937	63.28
2.	1950	71,568	64,600	90.26	34,936	54.08
3.	1955	2,18,893	2,00,547	91.62	94,192	46.97
4.	1960	2,26,370	2,13,868	94.48	86,123	40.27
5.	1965	3,10,432	2,91,686	93.96	1,45,200	49.78
6.	1970	5,27,529	5,02,557	95.27	2,26,286	45.03
7.	1975	6,82,999	6,38,882	93.54	2,81,041	43.99
8.	1980	8,97,872	8,54,873	95.21	3,85,988	45.15
9.	1985	11,99,831	11,13,825	92.83	3,96,461	35.59
10.	1990	17,03,084	16,05,384	94.26	7,09,691	44.21
11.	1992	16,63,826	15,69,928	94.36	2,30,85	14.70

स्त्रोत :- "शिक्षा की प्रगति" (सम्बन्धित वर्षों की) इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश तथा दैनिक " आज " कानपुर 15.7.1992

सारणी से ज्ञात होता है कि स्वतन्त्रता के बाद से वर्तमान समय तक के बीच परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा का परीक्षाफल सन् 1947 में सबसे अधिक 63.28 प्रतिशत रहा है । इसके बाद के वर्षों में यह घटता-बढ़ता रहा है लेकिन 55 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ पाया । इसके पीछे कई कारण रहे हैं । सन् 1950 के परीक्षाफल में जो गिरावट हुयी उसके पीछे यह धारणा रही कि चूंकि स्वतन्त्रता के बाद के इन वर्षों में समाज की स्थिति अस्त व्यस्त थी तथा स्वतन्त्रता

परिषद की हाईस्कूल परीक्षा में पंजीकृत,
सम्मिलित तथा उत्तीर्ण परीक्षार्थी
(स्वतंत्रता के पश्चात्)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
पंजीकृत
सम्मिलित
उत्तीर्ण
परीक्षार्थी (लाखों में)
1947
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1992
वर्ष

चित्र 6.5

के बाद छात्रों को नीचे की कक्षाओं में आसान प्रोन्नति एवं विशेष छूट प्रदान की गयी जिससे कमजोर छात्र हाईस्कूल की परीक्षा में सम्मलित हुये । बहुत से प्रधानाध्यापकों का मत था कि "परीक्षाफल गिरने की बहुत कुछ जिम्मेदारी नये प्रोन्नति के नियमों को जाती है ।"

सन् 1955 का परीक्षाफल सन् 1950 की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत कम रहा सन् 1960 का परीक्षाफल 1955 की तुलना में 6 प्रतिशत के लगभग नीचे रहा । इसका कारण यह हो सकता है कि इस वर्ष सन् 1955 की तुलना में लगभग डेढ़लाख परीक्षार्थी बढ़ गये थे। दूसरा कारण चूंकि परिषद् द्वारा अंग्रेजी तथा इतिहास के प्रश्नपत्रों के प्रारूप बदल दिये गये इसका भी प्रभाव परीक्षाफल पर पड़ा । सन् 1965 का परीक्षाफल सन् 1960 की तुलना में अच्छा रहा इस वर्ष लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुयी । सन् 1970, 1975 तथा 1980 में परीक्षाफल का प्रतिशत क्रमशः 45.03, 43.99तथा 45.15 रहा । लेकिन सन् 1985 में यह घटकर केलव 35.59% रह गया इसका कारण सन् 1984 के राजनीतिक दंगे हो सकते हैं, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश पर सर्वाधिक पड़ा था । सन् 1990 में परीक्षाफल के प्रतिशत में काफी सुधार हुआ और यह बढ़कर 44.21 प्रतिशत हो गया । लेकिन सन् 1992 की हाईस्कूल परीक्षा के परीक्षाफल ने अपना इतिहास रच डाला इस वर्ष यह मात्र 14.70 प्रतिशत रहा, जो कि अब तक का सबसे कम प्रतिशत है । इस परीक्षाफल पर सीधा प्रभाव नकल विरोधी अध्यादेश 1992 का पड़ा । चूंकि इस वर्ष प्रशासन ने नकल रोकने का उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले लिया, इससे नकल रूपी अभिशाप से छात्रों को विरत रखा गया। परिणाम ये हुआ कि परीक्षाफल बहुत ही नीचे गिर गया, लेकिन साथ में परिषदीय परीक्षाओं में नकल की भूमिका भी स्पष्ट हो गयी ।

सारणी 6.11

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में पंजीकृत, सम्मलित तथा उत्तीर्ण परीक्षार्थी

स्वतन्त्रता के पश्चात् (सन् 1947 से 1992 तक)

क्रमांक	वर्ष	पंजीकृत	सम्मलित		उत्तीर्ण	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	1947	14,598	14,126	96.76	8,621	61.03
2.	1950	28,205	24,065	85.32	14,171	58.89
3.	1955	86,928	77,000	88.58	42,559	55.27

परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा में पंजीकृत,
सम्मिलित तथा उत्तीर्ण परीक्षार्थी
(स्वतंत्रता के पश्चात)
पंजीकृत
सम्मिलित
उत्तीर्ण
परीक्षार्थी (लाखों में)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1947
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1992
वर्ष

चित्र 6.6

क्रमशः सारणी - 6.11

4.	1960	1,09,446	98,045	89.58	42,753	43.60
5.	1965	1,52,713	1,35,948	89.02	67,025	49.30
6.	1970	2,76,586	2,48,366	89.80	1,16,659	46.97
7.	1975	3,87,371	3,55,314	91.72	1,97,908	55.70
8.	1980	5,28,508	4,95,623	93.78	3,21,410	64.85
9.	1985	5,68,383	5,22,447	91.92	2,91,732	55.84
10.	1990	7,98,867	7,49,233	93.79	4,80,264	64.10
11.	1992	7,64,729	6,96,487	91.08	2,11,608	30.38

स्त्रोत :- "शिक्षा की प्रगति" (सम्बन्धित वर्षों कीं) इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश तथा दैनिक "आज" कानपुर 10.7.1992

सारणी देखने से ज्ञात होता है कि स्वतन्त्रता के पश्चात् से वर्तमान के बीच परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये पंजीकृत छात्रों में परीक्षा में सम्मलित होने वाले छात्रों का सबसे कम प्रतिशत 85.32 सन् 1950 तथा सबसे अधिक प्रतिशत 96.76 सन् 1947 में रहा है । अन्य वर्षों में यह प्रतिशत 90 के आस पास रहा है ।

सारणी से स्पष्ट है कि इण्टरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल स्वतन्त्रता के बाद सन् 1947 से 1992 की मध्यावधि में सबसे अधिक 64.85 प्रतिशत सन् 1980 में रहा है । सन् 1990 तथा सन् 1947 में भी क्रमशः 64.10 प्रतिशत तथा 61.03 प्रतिशत परीक्षाफल काफी अच्छा कहा जा सकता है । इण्टरमीडिएट की परीक्षा का इस अवधि में परीक्षाफल का सबसे न्यून प्रतिशत 30.38 सन् 1992 में ही रहा है । इसका कारण इस वर्ष परिषदीय परीक्षाओं में नकल विरोधी अध्यादेश लागू करना रहा है। हालांकि इस अध्यादेश का प्रभाव अधिक रहा, लेकिन फिर भी परीक्षाफल में गिरावट के लिये अन्य तथ्य, जैसे-विद्यालयों में बढ़ती छात्रसंख्या, शिक्षण में कमी, अध्यापकों की कमी, गिरता शिक्षा स्तर तथा संसाधनों की कमी आदि भी जिम्मेदार हैं। ये बात अलग है कि ये सारी कमियाँ परीक्षाओं में नकल हो जाने से परीक्षाफलों के प्रतिशत में नहीं दिखाई देती थीं, लेकिन इनका आभास कहीं न होता हो ऐसी बात नहीं है। इसका सीधा प्रभाव शिक्षा के गिरते स्तर से लगाया जा सकता है। आज का हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र जब अपनी उत्तर पुस्तकों में अपना रोल नम्बर सही नहीं लिख पाता तब शिक्षा के गिरते स्तर की तरफ ध्यान स्वाभाविकतया चला जाता है ।

अब हम माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की विगत तीन वर्षों की हाईस्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का श्रेणीवार विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं ।

सारणी 6.12

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा के विगत तीन वर्षों में श्रेणीवार उत्तीर्ण परीक्षार्थी

(सन् 1990 से 1992 तक)

क्रमांक	वर्ष	सम्मलित परीक्षार्थी	प्रथम श्रेणी सम्मान सहित		प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		पास		योग	
			उत्तीर्ण	प्रतिशत	उत्तीर्ण	प्रतिशत	उत्तीर्ण	प्रतिशत	उत्तीर्ण	प्रतिशत	उत्तीर्ण	प्रतिशत	उत्तीर्ण	प्रतिशत
1.	1990	16,05,384	1897	0.11	74,330	4.63	4,32,661	26.96	1,81,969	11.33	18,834	1.17	7,09,691	44.21
2.	1991	16,90,597	2,197	0.12	1,35,860	8.04	6,72,327	39.77	1,52,230	9.00	18,605	1.10	9,81,219	58.03
3.	1992	15,69,928	1,185	0.07	27,426	1.75	1,49,305	9.51	46,138	2.94	6,797	0.43	2,30,851	14.70

स्त्रोत :- दैनिक "आज"

कानपुर, दिनाँक 15.7.1992

सारणी से ज्ञात होता है कि सन् 1990 में कुल 16,05,384 परीक्षार्थी हाईस्कूल परीक्षा में सम्मलित हुये इनमें से 1,897 परीक्षार्थी सम्मान सहित प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुये इनका प्रतिशत 0.11 रहा । प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या इस वर्ष 74,330 थी तथा इसका प्रतिशत सम्मलित परीक्षार्थियों की संख्या में 4.63 प्रतिशत था । इस वर्ष द्वितीय श्रेणी में कुल 4,32,661 परीक्षार्थी उत्तीण हुये, जिसका प्रतिशत कुल सम्मलित परीक्षार्थियों में 26.96 प्रतिशत रहा । तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 1,81,969 तथा प्रतिशत 11.33 रहा । 18,834 परीक्षार्थियों को इस वर्ष उत्तीर्ण घोषित किया गया, लेकिन इन्हें कोई श्रेणी प्रदान नहीं की गयी, इनका प्रतिशत 1.17 रहा । इस प्रकार सन् 1990 की परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा में कुल 7,09,601 परीक्षार्थी सफल घोषित हुये तथा परीक्षाफल का प्रतिशत 44.21 रहा ।

इसी प्रकार सन् 1991 की हाईस्कूल की परीक्षामें कुल 16,90,597 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मलित हुये, जिनमें से 0.12 प्रतिशत परीक्षार्थी सम्मान सहित, 8.04 प्रतिशत प्रथम श्रेणी में, 39.77 प्रतिशत द्वितीय श्रेणी में, 9.00 प्रतिशत तृतीय श्रेणी में तथा 1.10 प्रतिशत परीक्षार्थी बिना कोई श्रेणी प्राप्त उत्तीर्ण घोषित किये गये। इस प्रकार इस वर्ष कुल 58.03 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुये ।

सन् 1992 में कुल 15,69,928 परीक्षार्थी हाईस्कूल की परीक्षा में सम्मलित हुये। इनमें से 0.07 प्रतिशत परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी सम्मान सहित, 1.75 प्रतिशत प्रथम श्रेणी में, 9.51 प्रतिशत द्वितीय श्रेणी में, 2.94 प्रतिशत तृतीय श्रेणी में तथा 0.43 प्रतिशत परीक्षार्थी बिना कोई श्रेणी प्राप्त किये उत्तीर्ण हुये । इस प्रकार इस वर्ष कुल 14.70 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुये ।

सारणी से यह भी स्पष्ट है कि प्रथम श्रेणी सम्मान सहित उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत सन् 1990 तथा 1991 में लगभग एक जैसा रहा, वहीं सन् 1992 में यह प्रतिशत काफी कम गया । प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत सन् 1991 में सर्वाधिक रहा। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत भी 1991 में अधिक रहा, वहीं सन् 1990 में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत सन् 1991 तथा 1992 की तुलना में अधिक रहा । सम्पूर्ण परीक्षाफल को देखा जाये तो सन् 1991 का परीक्षाफल तीनों वर्षों की तुलना में सबसे अधिक 58.03 प्रतिशत रहा ।

सन् 1992 की परिषद् की परीक्षाओं का परीक्षाफल नकल विरोधी अध्यादेश लागू

किये जाने से बुरी तरह प्रभावित हुआ है । परिषद् की परीक्षाओं के गतवर्ष के परीक्षाफल से इसकी तुलना करने पर इसका और स्पष्टीकरण हो जायेगा ।

सारणी 6.13

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा सन् 1991 तथा 1992 के परीक्षाफल का तुलनात्मक विवरण

परीक्षार्थी	सम्मलित परीक्षार्थी		उत्तीर्ण परीक्षार्थी संख्या		उत्तीर्ण परीक्षार्थी प्रतिशत	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992
संस्थागत						
बालक	8,66,586	8,44,452	4,83,162	83,944	55.75	9.94
बालिका	2,26,989	2,36,021	1,86,502	1,02,798	82.16	43.55
योग	10,93,575	10,80,473	6,69,664	1,86,742	61.23	17.28
व्यक्तिगत						
बालक	4,66,031	3,75,820	2,19,072	19,475	47.00	5.18
बालिका	1,30,991	1,13,635	92,483	24,634	70.63	21.68
योग	5,97,002	4,89,455	3,11,555	44,109	52.18	9.01
सम्पूर्णयोग	16,90,597	15,69,928	9,81,219	2,30,851	58.03	14.70

स्त्रोत:- दैनिक "आज"

कानुपर, दिनाँक 15.7.1992

सारणी देखने से स्पष्ट है कि वर्ष 1991 की हाईस्कूल परीक्षा का परीक्षाफल 58.03 प्रतिशत था । इस वर्ष संस्थागत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल 61.23 प्रतिशत था तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल 52.18 प्रतिशत था । सन् 1992 में कुल परीक्षाफल का प्रतिशत मात्र 14.70 प्रतिशत रह गया । इस वर्ष संस्थागत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल 17.28 प्रतिशत तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल 9.01 प्रतिशत रह गया । सन् 1991 में संस्थागत बालकों के परीक्षाफल का प्रतिशत 55.75 था, जो सन् 1992 में मात्र 9.94 प्रतिशत रह गया। इसी प्रकार सन् 1991 में संस्थागत लड़कियों का परीक्षाफल 82.16 प्रतिशत था जो सन् 1992 में 43.55 प्रतिशत रह गया ।

इसी तरह व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षाफल में दृष्टि डालने से ज्ञात होताहै कि सन् 1991 में व्यक्तिगत बालकों का परीक्षाफल 47.00 प्रतिशत था जो सन् 1992 में 5.18 प्रतिशत रह गया और व्यक्तिगत बालिकाओं का परीक्षाफल जो सन् 1991 में 70.63 प्रतिशत था वह 1992 में मात्र 21.68 प्रतिशत रह गया ।

यदि हम सन् 1992 के संस्थागत एवं व्यक्तिगत बालकों के परीक्षाफल को देखें तो ज्ञात होता है कि ये क्रमशः 9.94 प्रतिशत तथा 5.18 प्रतिशत हैं। यानी यदि इस वर्ष बालिकाओं का परीक्षाफल तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर न होता तो कुल परीक्षाफल का प्रतिशत और घट जाता। हालांकि प्रत्येक वर्ष बालिकाओं का परीक्षाफल बालकों की तुलना में अच्छा रहा है और इस वर्ष भी वैसा ही रहा । ऐसा नहीं है कि बालिकाओं का परीक्षाफल नहीं गिरा है वह भी गिरा है क्योंकि सन् 1991 में संस्थागत बालिकाओं का परीक्षाफल 82.16 प्रतिशत था और 1992 में यह लगभग आधा 43.55 प्रतिशत ही रह गया। इसी प्रकार व्यक्तिगत बालिकाओं का परीक्षाफल जो सन् 1991 में 70.63 प्रतिशत था वह 1992 में मात्र 21.68 प्रतिशत रह गया । इस प्रकार देखा जाये तो व्यक्तिगत बालिकाओं का परीक्षाफल इस बार काफी नीचे गिरा है ।

सारणी 6.14

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की इण्टरमीडिएट परीक्षा सन् 1991 एवं 1992 के परीक्षाफल का तुलनात्मक विवरण

परीक्षार्थी	सम्मलित परीक्षार्थी		उत्तीर्ण परीक्षार्थी		उत्तीर्ण परीक्षार्थी प्रतिशत	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992
संस्थागत						
बालक	4,17,084	3,82,102	3,44,435	96,028	82.58	25.13
बालिका	1,41,201	1,43,040	1,28,382	80,544	90.92	56.30
योग	5,58,285	5,25,142	4,72,817	1,76,572	84.69	33.62
व्यक्तिगत						
बालक	1,78,428	1,20,687	1,24,068	18,586	69.53	15.40
बालिका	60,391	50,658	45,178	16,450	74.80	32.47
योग	2,38,819	1,71,345	1,69,246	35,036	70.86	20.44
संपूर्ण योग	7,97,104	6,96,487	6,42,063	2,11,608	80.54	30.38

स्त्रोत :- दैनिक "आज" कानपुर, दिनाँक 10.7.1992

सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 1991 में इण्टरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल 80.54 प्रतिशत था तथा 1992 में यह मात्र 30.38 प्रतिशत रह गया । सन् 1991 में संस्थागत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल 84.69 प्रतिशत था, जो 1992 में घटकर 33.62 प्रतिशत रह गया । सन् 1991 में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल 70.86 प्रतिशत था जो 1992 में घटकर 20.44 प्रतिशत रह गया ।

संस्थागत बालकों के परीक्षाफल का प्रतिशत 1991 में 82.58 प्रतिशत था, जो 1992 में घटकर एक तिहाई से भी कम मात्र 25.13 प्रतिशत रह गया । संस्थागत बालिकाओं का प्रतिशत सन् 1992 में 90.92 प्रतिशत था, जो सन् 1992 में आधे से थोड़ा अधिक 56.30 प्रतिशत रह गया । इस प्रकार देखा जाये तो संस्थागत बालकों का परीक्षाफल बालिकाओं की तुलना में अधिक नीचे गिरा है ।

व्यक्तिगत बालकों के परीक्षाफल का प्रतिशत सन् 1991 में 69.53 प्रतिशत था, जो सन् 1992 में एक चौथाई से भी कम मात्र 15.40 प्रतिशत रह गया तथा व्यक्तिगत बालिकाओं का परीक्षाफल सन् 1991 में 74.80 प्रतिशत था, जो सन् 1992 में आधे से भी कम मात्र 32.47 प्रतिशत रह गया ।

इस प्रकार देखा जाये तो गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष सबसे खराब परीक्षाफल व्यक्तिगत बालकों का रहा है तथा इस वर्ष के परीक्षाफल में सबसे अच्छा योगदान संस्थागत बालिकाओं का रहा है ।

अब हम परिषद् की परीक्षाओं के पिछले पाँच वर्षों के परीक्षाफल का अलग-अलग विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे ।

सारणी 6.15

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा के विगत पाँच वर्षों के परीक्षाफल का विवरण

(सन् 1988 से 1992 तक)

वर्ष	संस्थागत परीक्षार्थी			व्यक्तिगत परीक्षार्थी			कुल परीक्षार्थी (संस्थागत एवं व्यक्तिगत)		
	सम्मलित	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत	सम्मलित	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत	सम्मलित	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
1988									
बालक	7,88,018	3,43,110	43.54	3,82,980	1,38,606	36.19	11,70,998	4,81,716	41.13
बालिका	1,77,356	1,35,373	76.32	90,237	53,407	59.18	2,67,593	1,88,780	70.54
योग	9,65,374	4,78,483	49.56	4,73,217	1,92,013	40.59	14,38,591	6,70,496	46.60
1989									
बालक	8,17,503	3,34,230	40.88	4,11,340	1,40,662	34.19	12,28,843	4,74,892	38.64
बालिका	1,90,298	1,45,560	76.49	1,02,631	61,643	60.06	2,92,929	2,07,203	70.73
योग	10,07,801	4,79,790	47.60	5,13,971	2,02,305	39.36	15,21,772	6,82,095	44.82
1990									
बालक	8,23,199	3,21,535	39.05	4,51,418	1,53,516	34.01	12,74,617	4,75,051	37.27
बालिका	2,00,874	1,53,456	76.39	1,29,893	81,184	62.50	3,30,767	2,34,640	70.94
योग	10,24,073	4,74,991	46.38	5,81,311	2,34,700	40.37	16,05,384	7,09,691	44.21
1991									
बालक	8,66,586	4,83,162	55.75	4,66,031	2,19,072	47.00	13,32,617	7,02,234	52.69
बालिका	2,26,989	1,86,502	82.16	1,30,991	92,483	70.63	3,57,980	2,78,985	77.93
योग	10,93,575	6,69,664	61.23	5,97,002	3,11,555	52.18	16,90,597	9,81,219	58.03
1992									
बालक	8,44,452	83,994	9.94	3,75,820	19,475	5.18	12,20,272	1,03,419	8.47
बालिका	2,36,021	1,02,798	43.55	1,13,635	24,634	21.68	3,49,656	1,27,432	36.44
योग	10,80,473	1,86,742	17.28	4,89,445	44,109	9.01	15,69,928	2,30,851	14.70

स्त्रोतः-दैनिक "आज" कानपुर, 15 जुलाई, 1992

सारणी से स्पष्ट है कि सन् 1988 से लेकर 1992 तक लगातार वर्षों में हाईस्कूल की परीक्षा में लड़कियों का परीक्षाफल लड़कों की अपेक्षा काफी अच्छा रहा है । सन् 1988 से 1991 तक लड़कियों के परीक्षाफल का योग 70 प्रतिशत से अधिक रहा है । इसी प्रकार इस अवधि में संस्थागत लड़कियों का परीक्षाफल प्रतिवर्ष 75 प्रतिशत से अधिक रहा है तथा व्यक्तिगत लड़कियों का परीक्षाफल प्रतिवर्ष 60 प्रतिशत के आस पास रहा है । सन् 1992 के परीक्षाफल में भी लड़कियों का परीक्षाफल लड़को की तुलना में काफी अच्छा रहा है । इस वर्ष लड़कों का परीक्षाफल मात्र 8.47 प्रतिशत रहा जबकि लड़कियों का परीक्षाफल 36.44 प्रतिशत रहा । इन पाँच वर्षों में लड़कियों का सबसे अच्छा परीक्षाफल सन् 1991 में संस्थागत लड़कियों का रहा । यह 82.16 प्रतिशत था । इसी प्रकार इन वर्षों में लड़को का सबसे अच्छा परीक्षाफल सन् 1991 में ही संस्थागत लड़कों का रहा, यह 55.75 प्रतिशत था व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का सबसे अच्छा परीक्षाफल सन् 1991 में 52.18 प्रतिशत रहा तथा सबसे खराब परीक्षाफल सन् 1992 का रहा । इन पाँच वर्षो लड़को की अपेक्षा लड़कियों का परीक्षाफल सबसे अच्छा सन् 1992 में रहा । इस वर्ष लड़को के परीक्षाफल का प्रतिशत 8.47 रहा, जबकि लड़कियों के परीक्षाफल का प्रतिशत 36.44 रहा, जो कि लड़कों के परीक्षाफल से चार गुना से भी अधिक है, जबकि अन्य चार वर्षो में यह कभी दो गुना भी नहीं रहा है ।

सारणी 6.16

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा के विगत पाँच वर्षों के परीक्षाफल का विवरण

सन् 1988 से 1992 तक

वर्ष	संस्थागत परीक्षार्थी			व्यक्तिगत परीक्षार्थी			कुल परीक्षार्थी (संस्थागत एवं व्यक्तिगत)		
	सम्मलित	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत	सम्मलित	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत	सम्मलित	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
1988									
बालक	3,50,936	2,44,825	69.76	1,14,162	59,479	52.10	4,65,098	3,04,304	65.42
बालिका	94,704	83,159	87.80	39,135	26,346	67.32	1,33,839	1,09,505	81.81
योग	4,45,640	3,27,984	73.59	1,53,297	85,825	55.98	5,98,937	4,13,809	69.09
1989									
बालक	3,83,211	2,39,669	62.54	1,45,838	68,732	47.12	5,29,049	3,08,401	58.29
बालिका	1,09,336	95,662	87.49	45,976	30,102	65.47	1,55,312	1,25,764	80.97
योग	4,92,547	3,35,334	68.08	1,91,814	98,834	51.52	6,84,361	4,34,168	63.44
1990									
बालक	4,09,233	2,49,894	61.06	1,58,367	83,050	52.44	5,67,600	3,32,944	58.66
बालिका	1,25,244	1,08,308	86.48	56,389	39,012	69.18	1,81,633	1,47,320	81.11
योग	5,34,477	3,58,202	67.02	2,14,756	1,22,062	56.84	7,49,233	4,80,264	64.10
1991									
बालक	4,17,084	3,44,435	82.58	1,78,428	1,24,068	69.53	5,95,512	4,68,503	78.67
बालिका	1,41,201	1,28,382	90.92	60,391	45,178	74.80	2,01,592	1,73,560	86.09
योग	5,58,285	4,72,817	84.69	2,38,819	1,69,246	70.86	7,97,104	6,42,063	80.54
1992									
बालक	3,82,102	96,028	25.13	1,20,687	18,586	15.40	5,02,798	1,14,614	22.79
बालिका	1,93,040	80,544	56.30	50,658	16,450	32.47	1,93,698	96,994	50.07
योग	5,25,142	1,76,572	33.62	1,71,345	35,036	20.44	6,96,487	2,11,608	30.38

स्त्रोत :- दैनिक "आज" कानपुर, दिनाँक 10.7.1992

सारणी से स्पष्ट है कि सन् 1988 से सन् 1992 तक की इण्टरमीडिएट परीक्षा में बालिकाओं का परीक्षाफल बालकों की अपेक्षा अच्छा रहा है । इसके कारण बालिकाओं का शिक्षा के प्रति बालकों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लगाव, बालिकाओं के विषय चयन में सुविधा, अध्यापिकाओं का बालिकाओं के प्रति नरम स्वभाव,(जिससे वे प्रयोगात्मक परीक्षा में, जो कि उनके अधिकांश विषयों में होती है, अच्छे अंक प्राप्त कर लेतीं हैं), अध्यापिकाओं का राजनीति से कम लगाव होता है, इससे वे शिक्षण पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देतीं हैं, छात्राओं का अनुशासित होना इत्यादि हैं । सन् 1988 से 1991 तक की अवधि में बालिकाओं का परीक्षाफल 80 प्रतिशत से अधिक रहा है । इस अवधि में संस्थागत बालिकाओं के परीक्षाफलों का प्रतिशत प्रतिवर्ष 85 प्रतिशत से अधिक रहा है तथा व्यक्तिगत बालिकाओं के परीक्षाफल का प्रतिशत प्रतिवर्ष 65 प्रतिशित से अधिक रहा है । सन् 1992 में भी बालिकाओं का परीक्षाफल बालकों की तुलना में अच्छा रहा है । इन पाँच वर्षों में बालिकाओं का परीक्षाफल सबसे अच्छा सन् 1991 की संस्थागत बालिकाओं का रहा है, यह 90.92 प्रतिशत था । इसी प्रकार बालकों में भी सबसे अच्छा परीक्षाफल भी सन् 1991 में संस्थागत बालकों का रहा है, यह 82.58 प्रतिशत था । बालिकाओं का इन पाँच वर्षों में सबसे कम उत्तीर्ण प्रतिशत 32.47. सन् 1992 की परीक्षा में रहा है । बालिकाओं का बालकों की तुलना में सबसे अच्छा परीक्षाफल सन् 1992 में रहा है । इस वर्ष बालकों का परीक्षाफल 22.79 प्रतिशत रहा, जबकि बालिकाओं का परीक्षाफल 50.07 प्रतिशत रहा, जो कि बालकों के परीक्षाफल से दो गुना से अधिक है । इसके पहले के चार वर्षों में यह कभी डेढ़ गुना भी नहीं रहा है ।

परिषद् की परीक्षाओं के परीक्षाफल का विश्लेषण करने के बाद अब हम वर्तमान परीक्षा की प्रवृत्तियों का वर्णन करेंगे ।

वर्तमान परीक्षा की प्रवृत्तियाँ एवं उनका मूल्यांकन :-

वर्तमान में प्रचलित परीक्षा प्रणाली अपने दोषों के कारण आलोचना का विषय बन गयी है । आज परीक्षा पूर्व, परीक्षा काल तथा परीक्षा उपरान्त सभी स्तरों पर व्यापक अनियमितताओं से परीक्षा ग्रस्त है । आज परिषद् द्वारा संचालित बाह्य परीक्षायें प्रभावी शिक्षण-अधिनियम के सन्दर्भों में अपनी उपयोगिता खो चुकीं हैं ।

सर्व साधारण की धारणा है कि हमारे देश की शिक्षा पद्धति में परीक्षाओं को अनावश्यक महत्व दिया जा रहा है । आज शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य परीक्षा उत्तीर्ण करना और नौकरी प्राप्त करना हो गया है । वर्तमान प्रचलित परीक्षा-प्रणाली के संदर्भ में पिछले पाँच दशकों में काफी कुछ कहा गया है । यहाँ पर परीक्षा के संदर्भ में कहे गये कुछ वक्तव्यों का उल्लेख किया जा रहा है-

डा0 जाकिर हुसैन के शब्दों में -

"हमारे देश में आज जो परीक्षा-प्रणाली प्रचलितहै, वह शिक्षा के लिये अभिशाप सिद्ध हुई है । एक तो हमारी शिक्षा-प्रणाली ही दोष पूर्ण है, उसमें भी हमारी परीक्षा प्रणाली ऐसी है, जिसने उसको और अधिक दोषपूर्ण बना दिया है क्यों कि उसको शिक्षा में आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है । जहाँ तक बालकों के कार्य के मूल्यांकन का सम्बंध है, यह सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है कि आधुनिक परीक्षा प्रणाली उस द्रष्टि से पूर्ण रूप से अपर्याप्त और अविश्वसनीय है ।[49]

वर्तमान परीक्षा के सम्बंध में मुदालियर आयोग ने अपनी रिर्पोट में कहा है -[50]

वर्तमान परीक्षा - प्रणाली में अच्छी परीक्षा प्रणाली का एक भी गुण नहीं है । वह न विश्वसनीय है, न प्रमाणिक । वैयक्तिता का तत्व उस पर बहुत हावी है । यदि एक उत्तर पुस्तिका भिन्न-भिन्न परीक्षकों को दी जाती है तो सबके अंक अलग-अलग होते हैं । एक ही परीक्षक एक ही उत्तर पुस्तिका को तीन बार देखने पर भिन्न-भिन्न अंक प्रदान करता है ।"

इससे स्पष्ट है कि मुदालियर आयोग ने वर्तमान परीक्षा में वैंयक्तिकता को अधिक प्रभावी माना है। लगभग इसी ओर संकेत करते हुये "एशबर्न"[51] महोदय ने भी अपने विचार प्रकट किये हैं । उनके शब्दों में -

"चालीस प्रतिशत विद्यार्थियों का उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होना इस बात पर निर्भर करता है कि उत्तर पुस्तिकायें कौन पढ़ता है और दस प्रतिशत परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि उत्तर पुस्तकायें कब पढ़ीं जातीं हैं ।"

49- गौड़ एवं शर्मा "शक्षिक और माध्यमिक विद्यालय व्यवस्था "
50एवं51 - रवीन्द्र अग्निहोत्री, "आधुनिक भारतीय शिक्षा"
जयपुर: राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1987, पृष्ठ-100

उक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि आज की परीक्षा सिर्फ परीक्षकों की मनोदशा, उनके दर्शन, उनकी अपनी रूचि, उनकी योग्यता, उनकी मानसिकता आदि पर निर्भर हो गयी है । परीक्षा में आये प्रश्न ऐसे नहीं होते कि उनका सिर्फ एक या लगभग एक उत्तर हो जिससे परीक्षकों की व्यैक्तिकताकी छाया उत्तर पुस्तकों पर न पड़ने पाये ।

डा0 राधाकृष्णन आयोग ने भी वर्तमान परीक्षा प्रणाली को भारतीय शिक्षा का सबसे अनुपयुक्त लक्षण कहा है । उनके शब्दों में-

"यदि शिक्षा में एक ही सुधार करना हो तो परीक्षा पद्धति में किया जाना चाहिये ।"

डा0 एफ0 डब्लू0 नौरवुड ने इसी दिशा में और एक कदम आगे अपने विचार प्रकट किये हैं । उनके अनुसार -

"आधुनिक परीक्षा प्रणाली ऐसी है कि इसमें सुधार नही हो सकता , इसे तो समाप्त ही कर देना चाहिये ।"

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षायें भी अपने दोषों के कारण इसी तरह आलोचना का केन्द्र बन गयीं हैं । इसकी परीक्षाओं में छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अधिकतर लिखित परीक्षाओं द्वारा किया जाता है । प्रश्नपत्रों की रचना, प्रश्नों के प्रकार, परीक्षा का समय, मूल्यांकन पद्धति एवं नकल की दोष पूर्ण परम्परा से इन परीक्षाओं की विश्वसनीयता एवं वैधता कम होती जा रही है ।

आजकल परिषद् की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडियेट की परीक्षा में ब्लूम की टैम्सोनोमी ऑफ एजूकेशनल आब्जेक्टिब्स के शैक्षिणिक उद्देश्यों - ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल आदि के आधार पर उत्तर के विस्तार की दृष्टि से तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं -

1. अति लघुउत्तरीय (बस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित)

2. लघु उत्तरीय

3. विस्तृत उत्तरीय

मूल्यांकन के इस प्रकार के ब्लू प्रिंट को स्वीकार करने में निम्नांकित कल्पना की गयी थी -

(1) संज्ञात्मक एवं कौशल के क्षेत्र में सभी उद्देश्यों का मूल्यांकन सम्भव हो सकेगा ।

(2) प्रश्नों की संख्या पर्याप्त होने पर लगभग पूरे पाठ का मूल्यांकन हो सकेगा । छात्र सेलेक्टिव स्टडी की प्रवृत्ति का परित्याग कर देंगे ।

(3) मूल्यांकन में भी अपेक्षाकृत विश्वस्नीयता बढ़ेगी ।

(4) सभी शैक्षणिक उद्देश्यों को अनुपातिक स्थान देने में मूल्यांकन में वैधता की वृद्धि होगी ।

(5) प्रश्न-पत्र निर्माण में ज्ञान (सूचनात्मक स्तर) परक प्रश्नों को 35 प्रतिशत स्थान देने से उत्तीर्ण प्रतिशतता में वृद्धि होगी ।

(6) बोध प्रश्नों के कारण छात्रों में गहन अध्ययन की प्रवृत्ति बढ़ेगी ।

(7) अनुप्रयोग के प्रश्नों से अधिगम एवं प्रशिक्षण को स्थानान्तरित करने का उद्देश्य पूरा होगा।

किन्तु मूल्यांकन प्रणाली में उपर्युक्त सुधार लाने का परिणाम कुछ और ही हुआ। अति लघुउत्तरीय एवं बस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अनुचित साधन प्रयोग करने की प्रथा को बल मिला । एक दूसरे से पूँछ कर कक्ष-निरीक्षकों से संकेत पाकर, बाहरी चित्रों की सहायता आदि विधाओं से प्रायः सभी छात्र इनका ठीक उत्तर लिखने लगे । इन प्रश्नों को अपनाने में सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि शिकायत के अधार पर अथवा फ्लांइग स्कैवड् की रिपोर्ट के आधार पर जब केन्द्र की उत्तर पुस्तकों की स्क्रीनिंग की जाती है तो इन प्रश्नों में अनुचित साधन का प्रयोग पकड़ में नहीं आता है ।

श्री आदित्य नारायण तिवारी पूर्व प्राचार्य, राजकीय सेन्ट्रल पेडार्गाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद ने अपने लेख "माध्यमिक स्तर पर परीक्षा में सुधार" जो कि "एग्जाभिनेशन रिफॉर्म इन उत्तर प्रदेश" एन0 सी0 ई0 आर0 टी0, इलाहबाद 1989 में प्रकाशित है, में परिषद् की परीक्षाओं के सम्बंध में कहा है -

"हम गर्व के साथ कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0, विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है । उतनी ही लज्जा के साथ हमें यह भी सुनना पड़ता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 सबसे अधिक भ्रष्ट तरीके से परीक्षा ले रही है ।"

सन् 1992 में नकल विरोधी अध्यादेश के लागू किये जाने से परीक्षा में नकल की प्रवृत्ति में रोक लगी है , हालांकि इससे परिषद् का परीक्षाफल बुरी तरह प्रभावित हुआ है लेकिन साथ ही वर्तमान परीक्षा की एक भयानक रूप ले चुकी बुराई से राहत मिली है । यदि यह अध्यादेश

आगे भी जारी रहा तो हो सकता है अभी एक दो वर्ष के परीक्षाफल आशा से अधिक खराब रहें लेकिन इससे दूरगामी अच्छे परिणाम आयेंगे ।

वर्तमान परीक्षा की प्रवृत्तियों के मूल्यांकन के बाद अब हम परीक्षा में सुधार के लिये किये गये प्रयासों का वर्णन करेंगे ।

परीक्षाओं में सम्भावित सुधार :-

परीक्षा में सुधार का विषय नया नहीं है। इस पर पिछली कुछ दशाब्दियों के दौरान समय-समय पर विचार विमर्श किया जाता रहा है । परीक्षाओं में सुधार के लिये जो भी कार्यक्रम बनाया जाय, पहले उसके उद्देश्य निश्चित करना उचित होगा । ये उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं :-

1. परीक्षाओं को अधिक प्रमाणिक तथा विश्वसनीय बनाना ।
2. बाध्य परीक्षाओं में सुधार तथा उनकी मूल्यांकन पद्धति को ठीक करना ।
3. आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली को अधिकाधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान करना ।
4. परीक्षाओं को उपलब्धि-जाँच के स्थान पर उपलब्धि में सुधार करने के लिये प्रयोग करना।
5. परीक्षाओं को शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने का शक्तिशाली साधन बनाना ।
6. मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता तथा विभेदकारिता लाना ।
7. परीक्षा एवं मूल्यांकन को अनवरत विस्तृत रूप देना ।
8. परीक्षाओं को निष्पक्ष और उद्देश्य पूर्ण बनाना ।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये परीक्षाओं में अंग्राकित सुधार सम्भव हो सकते हैं :-

परीक्षा सुधार कार्यक्रम निम्न तीन स्तरों पर किया जा सकता है :-

(अ) प्रश्नों की रचना में सुधार

(ब) अंक देने की विधि में सुधार एवं

(स) परीक्षाओं के संगठन में सुधार ।

प्रश्नरचना में सुधार का तात्पर्य प्रश्नों की भाषा से है । प्रश्नों की भाषा स्पष्ट तथा निश्चित होनी चाहिये। प्रश्न के अर्थ के सम्बन्ध में परीक्षार्थी के अन्दर कोई भ्रांति, दुविधा व शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिये प्रश्न पढ़ने पर उसे स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिये कि उसमें

क्या पूछा गया है । प्रश्न केवल स्मृति पर ही आधारित नहीं होना चाहिएवरन् उनके द्वारा परीक्षार्थी के गहन अध्ययन, मौलिक चिन्तन, विश्लेषण शक्ति, अनुप्रयोग एवं अलोचनात्मक शक्ति का मूल्यांकन होना चाहिये ।

दूसरा पक्ष अंक देने की विधि है । अंक देने की विधि को व्यक्तिपरक और विषयीगत बनाना होगा । जाँचकर्ता को यह स्पष्ट ज्ञात होना चाहिये कि उन्हें किन तथ्यों एवं किन योग्यताओं के लिये कितने अंक देना है और अंकों का आवंटन किस प्रकार किया जाना है । इसके लिये अच्छा तो यह है कि प्रश्न-पत्र निर्माण कर्ता प्रश्न-पत्र के जाँचने के लिये एक संक्षिप्त उत्तर-कुँजी भी तैयार करें जिससे वे प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक भाग से सम्बंधित तथ्यों, सूचनाओं, ज्ञान, विषयी की योग्यताओं आदि के लिये अलग-अलग निश्चित अंक निर्धारित कर दें और ये उत्तर कुंजी प्रत्येक उस परीक्षक को उपलब्ध करायी जाये, जो कि सम्बंधित उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करें ।

तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष परीक्षाओं का संगठन है । परीक्षाओं में सुधार लाने के लिये कुछ प्रशासनिक सुधार भी करने होंगे । यह सम्भव बनाने के लिए कि छात्र केवल परीक्षा काल में अध्ययन न करें बल्कि अनवरत अध्ययन करें इसके लिये आकस्मिक परीक्षा की योजना अपनाई जाये । सत्र भर के कार्य के आंतरिक मूल्यांकन और सार्वजनिक परीक्षाफल में यदि बहुत अधिक अन्तर हो तो पुर्न मूल्यांकन की व्यावस्था की जाय ।

प्रश्न-पत्र में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न रखे जाय ताकि निश्चित पाठों को तैयार करने की प्रथा समाप्त हो । प्रश्न-पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य कर दिये जाये और प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प की सुविधा दी जाय । बाहूय विकल्प की प्रणाली को समाप्त किया जाय ।

प्रश्न-पत्रों में निबंधात्मक, लघुउत्तरीय, अतिलघुउत्तरीय तथा वस्तुनिष्ठ सभी प्रकार के प्रश्न रखे जाना उचित है । प्रश्नों की संख्या में वृद्धि की जाय तथा लघु उत्तरीय तथा अतिलघुउत्तरीय प्रश्न अधिक संख्या में पूंछे जायें ।

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से परीक्षा में नकल की सम्भावना अधिक है लेकिन ऐसे प्रश्नों की सहायता से छात्रों की स्मरण शक्ति, विश्वास, तथा ज्ञान का परीक्षण होता है। इसलिए ऐसे प्रश्न प्रश्नपत्र में रखना उचित है । नकल की सम्भावना को दूर करने के लिये एक तरीका यह हो सकता है

कि प्रश्न-पत्र अलग-अलग दो खण्डों में विभक्त किया जाय । प्रथम खण्ड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे जाय और इनके हल का निश्चित समय हो तथा यह प्रश्न-पत्र हल कर लेने के बाद एकत्र कर लिया जाय । द्वितीय खण्ड इसके बाद दिया जाये जिसमें निबंधात्मक तथा लघुउत्तरीय प्रश्न रहें और इस खण्ड की उत्तर पुस्तकें समय पूरा होने के बाद एकत्र कीं जायें ।

बाह्य परीक्षाओं की संख्या कम की जाय तथा आंतरिक मूल्यांकन पद्धति को अधिक सक्रिय एवं सुव्यवस्थित किया जाय । आंतरिक मूल्यांकन का कार्य किसी एक अध्यापक को न सौंप कर कई अध्यापकों के एक बोर्ड को सौंपा जाय । सम्भव हो. तो उत्तर पुस्तकों का मूल्यांकन दो परीक्षकों से अलग-अलग कराया जाय तथा उन दोनों के अंकों का औसत परीक्षार्थी को प्रदान किया जाय ।

प्रायः सभी परीक्षाओं में कृपांक देने का विधान है । कृपांक ऐसे परीक्षार्थी को दिये जाये जो परीक्षा में थोड़े अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा हो । कृपांक के नियम अधिकतर प्रत्येक वर्ष बदलते रहते है । जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ है, ये अंक कृपा के रूप में दिये जाते है । जबकि परीक्षा में बहुत से छात्र कम अंक अपनी कमी के कारण न पाकर परीक्षा की अविश्वसनीयता के कारण पाते है । अतः कृपांक देने का निर्णय ऐसा हो कि परीक्षा के दोष के कारण कम अंक पाने वाले छात्र अनुत्तीर्ण न होने पायें । कृपांक का निर्धारण वैज्ञानिक विधियाँ अपनाकर किया जाये ।

परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिये विभिन्न आयोगों, परिषदों, सेमिनारों आदि में जो सुझाव प्रस्तुत किये हैं, उनका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है ।

(क) माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित सुधार[52]:-

माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति 23 सितम्बर 1952 को भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर की गयी थी । आयोग के अध्यक्ष डा0 लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे । इसलिये इस आयोग को "मुदालियर आयोग" के नाम से भी जाना जाता है । इस आयोग द्वारा परीक्षाओं में सुधार के लिये निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत किये गये -

1. बाह्य परीक्षाओं की संख्या कम कर दी जाय ।

52- रिपोर्ट ऑफ दि सेकेन्डरी एजूकेशन कमीशन (1952-53)
(मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन)
गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, पृष्ठ-162

2. परीक्षाओं में परीक्षक के व्यक्तिगत मत को स्थान नहीं होना चाहिये । इस प्रयोजन के लिये निबंध परीक्षाओं के साथ वैषयिक (वस्तुनिष्ठ) परीक्षाओं का प्रयोग किया जाय तथा निबन्ध परीक्षाओं के प्रारूप में इस प्रकार परिर्वतन किया जाये कि वे छात्रों में कंठस्थ करने की प्रवृत्ति को निरूत्साहित करें तथा उनमें बुद्धि पूर्ण समझ को प्रात्साहन दें ।

3. छात्रों का अन्तिम परिणाम पूर्णतया बाहृय परीक्षाओं के परिणामों पर ही आधारित न हो । इसमें आंतरिक परीक्षाओं तथा पाठशाला के कार्य को भी सम्मिलित किया जाय ।

4. माध्यमिक विद्यालय का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त होने पर ही केवल एक सार्वजनिक परीक्षा ली जाये ।

5. छात्रों की सर्वोन्मुखी प्रगति का पूर्ण चित्र प्राप्त करने के लिये संचयी अभिलेख रखने की व्यवस्था हो ।

6. छात्रों के मूल्यांकन के लिये प्रतीकात्मक प्रणाली अपनाई जाय । मूल्यांकन प्रतिशत में न होकर पँच-पद श्रेणी में किया जाये ।

7. सार्वजनिक परीक्षा में जो छात्र एक या अधिक विषय में अनुत्तीर्ण हो उनके लिये संविभागीय (कम्पार्टमेंटल) परीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये ।

(ख) अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित सुधारः-[53]

सन् 1956 में इस परिषद् द्वारा भोपाल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु अग्रांकित सुझाव प्रस्तुत किये गये -

1. परीक्षाओं में व्यक्तिनिष्ठता के तत्व को कम करने के लिये प्रश्न-पत्रों में निम्नलिखित तीन प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किये जायें -

अ. निबंधात्मक

ब. लघुउत्तरीय और

स. शुद्ध वस्तुनिष्ठ ।

53- एस0 पी0 सुखिया " विद्यालय प्रशासन एवं संगठन"
आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर, 1967, पृष्ठ-232

2. बाह्य परीक्षाओं में मूल्यांकन की व्यक्तिनिष्ठता को कम करने के लिये निम्न लिखित उपाय किये जाये -

(अ) विभिन्न विषयों में प्रधानाध्यापकों व अनुभवी अध्यापकों द्वारा उपयुक्त प्रश्नों की सूची तैयार की जाय ।

(ब) परीक्षा लेने वाले अधिकारी विषय विशेषज्ञों की एक समिति बनावें, जिसमें तीन सदस्य रहें । यह समिति शिक्षकों द्वारा निर्मित प्रश्नों की सूची का अवलोकन करे तदुपरान्त प्रश्नपत्रों का निमार्ण करे ।

(स) उत्तर पुस्तके जाँचने के पूर्व प्रधान तथा उप प्रधान परीक्षकों का सम्मेलन हो, जिसमें अंकन हेतु निर्देशों का निर्धारण हो ।

3. जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा आवश्यक हो उस सम्बंध में परिषद् द्वारा निम्न सुझाव प्रस्तुत किये गये ।

(अ) सत्रीय कार्य को महत्व दिया जाय और 50 प्रतिशत अंक सत्रीय कार्य के लिये निधारित किये जाये ।

(ब) विधालय अभिलेख तथा बाहय परीक्षकों के निर्णय में यदि पर्याप्त अन्तर हो तो ऐसे मामले परीक्षा अधिकारियों के समक्ष रखे जायें ।

4. प्रश्न-पत्रों को हल करने की अवधि तीन घंटे से घटाकर ढ़ाई घंटे कर दी जाये ।

(ग) शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित सुधार -[54]

शिक्षा आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई 1964के एक प्रस्ताव के द्वारा की गयी । इस आयोग के अध्यक्ष डा0 दौलत सिंह कुठारी थे । इस आयोग ने परीक्षा पद्धति में सुधार के लिये निम्न सुझाव प्रस्तुत किये -

1. लिखित परीक्षा को अधिक विश्वसनीय एवं प्रमाणिक बनाने की दिशा में सुधार किया जाये ।

2. निम्नतर प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन छात्रों के आधारभूत कौशलों में प्राप्ति एवं उचित प्रवृत्तियों एवं आदतों के विकास में सहायक होना चाहिये ।

3. कक्षा 1 से 4 तक अभेद इकाई मानी जाय ताकि बालक अपनी गति से विकास करने के लिये स्वतंत्र हों ।

54- 'रिपोर्ट ऑफ दि एजूकेशन कमीशन' 1964-66
एजु[illegible] एण्ड नेशनल डिवलपमेंट (मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन)
गवर्न[illegible] पृष्ठ-243-48

4. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लिखित परीक्षा के अतिरिक्त मौखिक परीक्षा को भी स्थान दिया जाये तथा आंतरिक मूल्यांकन के लिये सरल संचयी अभिलेख भी प्रयोग में लाये जायें ।

5. बाह्य् परीक्षा में सुधार करने के लिये परीक्षा प्रश्न-पत्र निर्माताओं की तकनीकी योग्यता में वृद्धि, तथ्यों की जानकारी के अतिरिक्त अन्य शिक्षा उद्देश्यों का भी परीक्षा प्रश्न-पत्र द्वारा मूल्यांकन तथा प्रश्नों के रूप एवं अंक देने की विधि में सुधार करने पर ध्यान दिया जाये ।

6. विद्यालयों में मूल्यांकन के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाये तथा छात्रों के विकास के सभी अवयवों का मूल्यांकन किया जाये ।

7. आन्तरिक तथा बाह्य् परीक्षा के अंक प्रथक-प्रथक दिखाये जायें तथा प्रमाण-पत्र में विषयों में प्राप्त अंकों का विवरण हो, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का नहीं ।

(घ) राष्ट्रीय शिक्षानीति द्वारा प्रस्तावित सुधार -

राष्ट्रीय शिक्षानीति 1986 में परीक्षा के सम्बंध में कहा गया है कि परीक्षा सुधारों का प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिये कि परीक्षाओं की विश्वसनीयता और उनकी मान्यता में सुधार हो सके और मूल्यांकन ऐसी निरंतर प्रक्रिया होना चाहिये जिसका लक्ष्य छात्र को उपलब्धि का स्तर उन्नत करने में सहायता देना हो न कि समय विशेष में उसके कार्य की गुणता को देखकर उसे प्रमाण-पत्र दे देना ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के दस्तावेज के भाग आठ के अन्तर्गत शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया को नया मोड़ देने सम्बंधी बातें बताई गयीं हैं । इसके अन्तर्गत मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा में सुधार के बारे में निम्न प्रकार दर्शाया गया है ।[55]

(1). विद्यार्थियों के कार्य का मूल्यांकन सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है । एक अच्छी शैक्षिक नीति के अंग के रूप में शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिये परीक्षाओं का उपयोग होना चाहिये ।

(2). परीक्षा में इस प्रकार सुधार किया जायेगा जिससे कि मूल्यांकन की एक वैध एवं विश्वसनीय प्रक्रिया उभर सके और वह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में एक सशक्त साधन के रूप में काम आ सके । क्रियात्मक रूप में इसका अर्थ होगा -

---

55- "माध्यम" (तृतीय अंक)
शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0 1987, पृष्ठ-20

1. अत्याधिक संयोग (चान्स) और आत्मगतता (सब्जेक्टिविटी) के अंश को समाप्त करना,
2. रटाई पर जोर को हटाना,
3. ऐसी सतत और सम्पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास करना जिसमें शिक्षा के शास्त्रीय और शास्त्रेत्तर पहलू समविष्ट हो जायें और जो शिक्षण की पूरी अवधि में व्याप्त रहें ।
4. अध्यापकों, विद्यार्थियों और माता-पिता के द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रभावी उपयोग ।
5. परीक्षा के आयोजन में सुधार ।
6. परीक्षा में सुधार के साथ-साथ शिक्षण सामग्री और शिक्षण-विधि में सुधार ।
7. माध्यमिक स्तर से क्रमबद्ध रूप में सत्र-प्रणाली का प्रारम्भ ।
8. अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग ।

(3). ये उद्देश्य बाह्य् परीक्षाओं और शिक्षा संस्थाओं के अन्दर के मूल्यांकन दोनों के लिये प्रासंगिक हैं । संस्थागत मूल्यांकन की प्रणाली को सरल बनाया जायेगा और बाहरी परीक्षाओं की प्रचुरता को कम किया जायेगा ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में उल्लखित बिन्दुओं को ध्यान में रखकर क्रियान्वयन की निम्नांकित व्यूह रचना प्रस्तुत की गयी है ।[56]

मूल्यांकन प्रक्रिया को विश्वसनीय तथा वैध बनाने की दृष्टि से निम्नांकित अल्पकालीन युक्तियाँ प्रस्तावित की गयी है -

अ. विद्यालय स्तर पर :-

10 वीं एवं 12 वीं कक्षा स्तर पर ही सार्वजनिक परीक्षा होगी । परीक्षा संचालन का विकेन्द्रीकरण किया जायेगा । इस हेतु राज्य में कई उपकेन्द्र के कार्य का यादिच्छिक तरीके से मूल्यांकन किया जायेगा ।

56- डा0 के0 के0 वशिष्ठ एवं डा0 डी0 एल0 शर्मा "भारतीय शिक्षा की नयी दिशा" (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम) मेरठ-लॉयल बुक डिपो, 1987 पृष्ठ -88-90

ब. विश्वविद्यालय स्तर पर :-

प्रारम्भ में ऑटोनोमस कालेजों, डीम्ड विश्वविद्यालयों में अधिस्नातक स्तर पर संस्थागत सतत् मूल्यांकन को लागू किया जायेगा तथा सम्पूर्ण निष्पत्ति को संचयी ग्रेडस् अंक प्रतिशत के आधार पर व्यक्त किया जायेगा । छात्रों को अपनी निष्पत्ति सुधार का अवशर दिया जायेगा । विश्वविद्यालय बाहय् परीक्षायें लेते रहेंगे ।

परीक्षा संचालनः-

परीक्षा में अपनाये जाने वाले अनुचित साधनों को दण्डनीय अपराध बनाने की दृष्टि से कानून बनाने पर विचार किया जायेगा । अनुचित साधनों के प्रयोग को कम करने की दृष्टि से परीक्षा संचालन सम्बंधी नवाचार एवं प्रयोग (यथा- विभिन्न क्रमों में प्रश्नों का वितरण एवं मुद्रण) किये जायेंगे ।

शिक्षण- अधिगम प्रक्रिया के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया के संयोजन की दृष्टि से दीर्घ कालीन सुधार भी आवश्यक है । इस उद्देश्य से निम्नांकित कार्यक्रमों पर विचार किया जायेगा ।

अ. विधालय स्तर :-

1. राज्य शिक्षा बोर्ड 5,8,10, तथा 12 वी कक्षा के सम्प्राप्ति स्तर निर्धारित करेंगे
2. ये बोर्ड्स् ज्ञान, अवबोध, सम्प्रेषण, कौशल एवं ज्ञानोपयोग के अधिगम लक्ष्यों का निर्धारण विभिन्न स्तरों पर स्पष्ट रूप से करेंगे ।
3. मूल्यांकन प्रक्रियाओं में अनुसंधान की दृष्टि से संघ बनाये जायेंगे ।
4. संघ पहले कुछ विद्यालयों को इसके लिये चुनेंगे ।
5. इकाई वार भार इत्यादि को तय करने के बाद ही प्रश्न-पत्र बनाये जायेंगे ।

ब. विश्वविद्यालय स्तर पर :-

1. बाहय परीक्षाओं के स्थान पर उनका विकल्प ढूढ़ा जायेगा ।
2. पाठय बस्तु, संरचना, अंकन-प्रक्रिया आदि के पुर्नगठन से मूल्यांकन प्रक्रिया ठीक हो जायेगी
3. मूलयांकन प्रक्रिया के क्षेत्र में अनुसंधान किया जायेगा ।

स. अन्य सामान्य कार्यक्रम :-

1. बार-बार प्रयास कर अपना परीक्षा परिणाम सुधारने के अवसर दिये जायें ।
2. मॉड्यूलर पेटर्न् ऑफ कोर्सेज का प्रविधान किया जाये ।
3. प्रश्न-पत्र निर्माताओं को सघन प्रशिक्षण दिया जाये ।

4. प्रश्न बैंक विकसित किये जायें ।

5. परीक्षाओं में बस्तुनिष्ठता को बढ़ावा दिया जाये ।

6. निदानात्मक मूल्यांकन, ओपिन बुक एक्जामिनेशन जैसे नवाचारों का प्रयोग किया जाये । उपचारात्मक शिक्षण भी शुरू किया जाये ।

7. विधालयी एवं विधालयेत्तर निष्पत्तियों का मूल्यांकन किया जाये ।

8. नेशनल टेस्टिंग सर्विस प्रारम्भ की जाये ।

नवम्बर, 1985 में लखनऊ में आयोजित नई शिक्षा नीति के सम्बन्ध में "राज्यस्तरीय विचार गोष्ठी" में परीक्षा पद्धति के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये गये उनका वर्णन निम्नवत् है[57] :-

1. परीक्षा पद्धति में आवश्यक सुधार किया जाये तथा इसे सतत् मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित किया जाये ।

2. सपुस्तक परीक्षा पद्धति को ग्रह परीक्षा से आरम्भ कर विभिन्न चरणों में सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित किया जाये ।

उपरोक्त के कार्यान्वयन के सम्बंध में निम्न बातें कही गयीं -

1. पाठ की प्रत्येक इकाई के विभिन्न अंशों एवं स्तरों पर छात्र का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया अपनाई जाय । कक्षा एक व दो में कोई औपचारिक परीक्षा न रखकर निरीक्षण और मौखिक परीक्षण के आधार पर कक्षोन्नति दी जाये । कक्षा 3,4,और 5 में औपचारिक परीक्षालिखित एवं मौखिक रूप में ली जाये । कक्षा 6,7,9,तथा 11 में त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक तीन ग्रह परीक्षायें कराई जाये । कक्षा 8, 10,तथा 12 की अर्धवार्षिक परीक्षा में सार्वजनिक परीक्षा की भांति ही प्रश्न-पत्र रखे जायें ।

2. प्रश्न-बैंकों का निर्माण अत्यंत उपयोगी है । प्रश्न-पत्रों के निर्माण में प्रश्न-बैंकों के अधिकाधिक प्रयोग की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

3. प्रश्न-पत्रों की बस्तुनिष्ठता, वैधता, तथा विश्वसनीयता को व्यवहारिकता की दृष्टि से संतुलित किया जाये ।

57- "नई शिक्षा नीति " (राज्य स्तरीय विचार गोष्ठी)
सुझाव एवं संस्तुतियाँ, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
नवम्बर 1-3, 1985, पृष्ठ-53-54

इसका निर्माण विभेद क्षमता का दृष्टिगत रखते हुये किया जाये जिससे छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष की सही पहचान हो सके ।

4. प्राईमरी स्तर पर क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में एक परीक्षा समिति गठित कर परीक्षा का आयोजन किया जाये । प्रश्न-पत्रों में 40% बस्तुनिष्ठ तथा लघुउत्तरीय प्रश्न रखे जायें । जूनियर हाईस्तर पर सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन जनपद स्तर पर किया जाये। प्रश्न पत्रों में लघुत्तरीय तथा कुछ बस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश किया जाये । एक प्रश्न-पत्र की परीक्षा का समय 3 घंटे रखा जाये । माध्यमिक परीक्षाओं का संचालन एक केन्द्रीय कार्यालय से होना सम्भव नहीं हो पा रहा है अतः माध्यमिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय बनाये जायें ।

5. हाई स्कूल स्तर पर प्रयोगात्मक परीक्षाओं में प्रमाणीकृत (स्टेण्डडाइज) प्रश्न-पत्रों के कई सेट्स बनायें जायें । उनमें से छात्र किसी एक प्रश्न-पत्र का चयन कर प्रयोगात्मक परीक्षा दें ।

6. सार्वजनिक परीक्षा में उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन हेतु ऐसे अध्यापकों को परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाय जो सम्बंधित कक्षाओं में शिक्षण करते हैं । नीचे के स्तर में शिक्षण करने वाले अध्यापकों को उच्चस्तर की कक्षाओं की उत्तर-पुस्तकों के मूल्यांकन का दायित्व न दिया जाय ।

7. पाठ्येत्तर क्रिया कलाप जैसे नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, समाजोपयोगी कार्य, व्यवसायिक शिक्षा एवं विद्यालय में रखे गये विवरण-पत्र (क्यूमूलोटिव रेकर्ड कार्ड) में किया जाय । क्यूमूलेटिव कार्ड का प्राविधान किया जाना अपेक्षित है ।

8. कक्षा 10 की सार्वजनिक परीक्षा को समाप्त करने पर विचार किया जाय। प्रश्न पत्रों के स्तर को सामान्य बनाये रखने हेतु इनका निर्माण केन्द्रीय स्तर पर हो । परीक्षायें विद्यालय द्वारा स्वयं की जाये । मूल्यांकन भी विद्यालय स्तर पर हो । ऐसा होने पर कक्षा 11 में प्रवेश के पूर्व प्रत्येक विद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्राविधान किया जाये ।

9. सपुस्तक परीक्षा प्रणाली गृह परीक्षाओं में प्रयोग के रूप में आरम्भ की जाय । प्रश्न-पत्रों में ज्ञानात्मक प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाये । ज्ञानात्मक, बोधात्मक, एवं कौशन के ऐसे प्रश्न रखे जाये जिनमें से 35% का उत्तर पाठ्य पुस्तकों से स्पष्टतः मिल सके शेष 65% अंकों से सम्बंधित प्रश्न चिंतन पर आधारित हों । इस प्रकार के प्रश्न-पत्रों के निर्माण के लिये प्रश्न-पत्र निर्माताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये ।

10. नकल करने तथा कराने की प्रक्रिया को संज्ञेय अपराध घोषित किया जाय । केन्द्र निरीक्षण व्यवस्था सम्बंधी परीक्षा कार्यों को अनिवार्य सेवा घोषित किया जाये ।

(ड़) एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 इलाहाबाद द्वारा माध्यमिक स्तर पर परीक्षाओं के सम्बन्ध में प्रस्तावित सुधार :-

दिनांक 16.10.1989 से 20.10.1989 तक "शांतिकुंज हरिद्वार' में क्षेत्रीय सलाहकार (एन0 सी0 ई0 आर0 टी0), इलाहाबाद द्वारा "उत्तर प्रदेश में परीक्षा सुधार" पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया । इसमें तेरह सदस्यों के समूह ने माध्यमिक स्तर पर परीक्षा सुधार के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये उनका वर्णन नीचे किया जा रहा है ।

समूह ने यह निर्णय लिया कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर परीक्षा सुधार की समस्याओं को निम्नलिखित तीन दृष्टिकोणों से लिया जाये -

(क) शैक्षिक

(ख) तकनीकी और

(ग) प्रबन्धकीय

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त तीनों संदर्भों की व्याख्या तात्कालिक सुधार एवं दीर्घकालिक सुधार व्यवस्था को दृष्टिगत करते हुये की जाय ।

शैक्षिक सुधार :-

समूह द्वारा प्रस्तावित शैक्षिक सुधार निम्नवत् हैं :-

1. समूह का मत था कि परीक्षा सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक भाग है तथा परीक्षा में सुधार लाने के दायित्व को शिक्षा प्रक्रिया से विलग नहीं किया जा सकता । अतः शिक्षा के उद्देश्य, विभिन्न स्तरों पर शिक्षण के लक्ष्य, शिक्षण एवं सीखनें की विधि तथा मूल्यांकन को दृष्टिगत रखा जाय । दल का मत था कि वर्तमान परीक्षा व्यवस्था ही नहीं अपितु देश की किसी भी प्रकार की परीक्षा व्यवस्था की वैधता कभी भी विचारणीय विषय का बिन्दु नहीं रही है और ऐसा केवल इसलिये हुआ क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य तथा शिक्षण के लक्ष्य कभी भी व्यवहारिक परिवर्तनों के संदर्भ में परिभाषित नहीं किये गये । अतः परीक्षा व्यवस्था की वैधता अथवा विश्वसनीयता प्राप्त करने तथा बढ़ाने के लिये शिक्षा के उद्देश्यों तथा शिक्षण के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाय, उन्हें प्रकाशित किया जाय तथा उन सभी व्यक्तियों को, जो शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारण, पुस्तक लेखन, प्रश्नपत्र निर्माण, मूल्यांकन अथवा शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या परोक्ष (अप्रत्यक्ष) रूप से सम्बन्धित हैं, अवगत कराया जाय ।

2. पाठ्यक्रम निर्धारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की भावनानुसार किया जाना चाहिये । पाठ्यक्रम बालक का विकास तथा अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के दोहरे उद्देश्य से प्रेरित होना चाहिये । इस भावना को पोषित न करने वाले तथ्यों को अनावश्यक माना जाना चाहिये।
3. प्रशिक्षु के लिये शिक्षण-अधिगम-प्रक्रिया एक आनन्द का स्तोत होना चाहिये तथा यह प्रशिक्षु की गति एवं क्षमता के अनुरूप ही होना चाहिये । परीक्षा व्यवस्था की वे अतिवादी विषमतायें जो छात्रों को अपरिवर्तनीय वर्गों में विभाजित करने का दुष्प्रयास करती हैं, धीरे-धीरे कम की जाय । अतः यह परामर्श दिया जाता है कि -
4. शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का सतत् मूल्यांकन होना चाहिये तथा यह प्रस्तावित संचयी अभिलेख तथा अंतिम परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के रूप में परिलक्षित होना चाहिये ।
5. स्वयं सीखना तथा स्वयं परीक्षण की तकनीकी को सम्पूर्ण शिक्षण व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिये ।
6. सी0 टी0 ई0 तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से शिक्षकों को समुचित शिक्षण तकनीकियों एवं विधियों से अवगत कराने हेतु कदम उठाये जाय ।
7. अध्यापकों के ट्रेनिंग कार्यक्रम और उनके रोजगार के सम्बन्ध में उपभोक्ता-उत्पादक सम्बन्धों को कठोरता से लागू किया जाय । इस प्रकार शिक्षक की तैयारी गतिशील होगी तथा वह उभरती हुयी आवश्यकताओं और चुनौतियों का सामना कर सकेगा ।
8. समूह का यह मत था कि परीक्षाओं में भ्रष्ट आचरण के बहुत से कारणों में से एक कारण परीक्षा व्यवस्था एवं संचालन में गोपनीयता का बोझिल वातावरण भी है । तथा इसे कम करने के बहुत से सुझावों में एक सुझाव परीक्षा में खुलापन लाने का भी है जहाँ तक वर्तमान परिस्थितियाँ इसकी अनुमति देती हों ।
9. सार्वजनिक परीक्षायें पूर्ववत् कक्षा 5, 8, 10 तथा 12 में जारी रखी जायें ।
10. नयी शिक्षा नीति 1986 द्वारा प्रस्तावित है कि छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तकाओं की संन्निरीक्षा तथा अन्य छात्रों की उत्तर पुस्तकाओं से तुलना का शाश्वत् अधिकार हैं । यह उन्हीं परिस्थितियों में व्यवहारिक होगा जब माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश को समुचित सीमा तक इस प्रकार विकेन्द्रीकृत किया जाय कि सभी कार्य व्यवस्थित रूप से हो सकें ।

11. यदि कोई छात्र पाँच-छः विषयों में से किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे अगली परीक्षा में एक विषय में सम्मलित होने का अवसर दिया जाना चाहिये तथा इस परीक्षा के प्राप्तांकों को श्रेणी निर्धारण हेतु पूर्व परीक्षा के प्राप्तांकों के साथ जोड़ना चाहिये । किसी छात्र को एक परीक्षा में केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होने के कारण नहीं रोकना चाहिये ।
12. समूह का यह भी मत था कि यथाशक्ति तैयारी के साथ +2 स्तर पर विषयों के चुने हुये क्षेत्र में सपुस्तकीय परीक्षा व्यवस्था का प्रयोग करना चाहिये । यदि यह प्रयोग उचित हो और विश्वसनीय पाया जाय तो यह व्यवस्था और बढ़ाई जाय ।

तकनीकी सुधार :-

समूह द्वारा प्रस्तावित तकनीकी सुधार निम्नलिखित हैं :-

1. यह समूह प्रस्तावित करता है कि परिषद् द्वारा विषय विशेषज्ञों तथा परीक्षकों को वस्तुनिष्ठ, लघुउत्तरीय, अति लघुउत्तरीय तथा निबन्धात्मक प्रश्नों की तैयारी के सम्बन्ध में गहन प्रशिक्षण दिया जाय ताकि इस लक्ष्य को द्रुत गति से प्राप्त किया जा सके ।
2. परिमार्जित निबन्धात्मक प्रश्नों को समुचित महत्व दिया जाय ताकि छात्रों में अभिव्यक्ति की दक्षमा सुचारूरूप से विकसित हो सके, निबन्धात्मक प्रश्नों के उत्तरों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हेतु नयी तकनीकी खोजी जाय ।
3. समूह ने यह भी अनुभव किया कि टेक्सोग्रनाइज प्रश्न जहाँ तक सम्भव हों अधिक से अधिक निर्मित किये जायें । इस बिन्दु पर सामान्य सभा में विचार विमर्श किया गया तथा भावनात्मक रूप से यह निर्णय लिया गया कि इसके लक्ष्य तीन क्षेत्रों में परिभाषित किये जायें ।
4. यह समूह यह प्रस्तावित करता है कि परीक्षा की विश्वसनीयता में वृद्धि हेतु सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को समहित करना अनिवार्य है । अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि एक प्रश्नपत्र का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम चार भागों में विभाजित किया जाये । वर्तमान में अपनायी जा रही तीन भागों में विभाजन की व्यवस्था के स्थान पर इसे लागू किया जाय । इसमें एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक क्षेत्र से हो और 5 अंक का हो और तीन से चार प्रश्न छोटे उत्तरों वाले 2-2 अंकों के हों । इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र से एवं विविध प्रकारों के जैसे-ज्ञान, समझ, प्रयोग एवं दक्षता से सम्बन्धित चार-पाँच प्रश्न हों ।
5. समूह यह भी अनुभव करता है कि सम्पूर्ण परीक्षा व्यवस्था में मौखिक परीक्षाओं को भी यथेष्ट

स्थान दिया जाय । इस हेतु प्रसिद्ध अध्यापकों की नामिका और की जाय तथा इस संस्तुति में अन्तर्निहित प्रशासकीय पक्षों को अलग से मूल्यांकित किया जाय ।

6. प्रत्येक विषय में प्रश्नकोश निर्मित किये जाये तथा इस हेतु विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाय । प्रश्नकोश के प्रश्न परीक्षकों को उपलब्ध करायें जायें ।

7. परिषद् पाल्य व्यवहार के एफेक्टिव और कानेटिव पक्षों के मूल्यांकन हेतु सतत् रूप से प्रयत्नशील रहे । इसके लिये आवश्यक प्रत्यक्षीकरण विधि और तकनीकें विकसित की जायें । इस दिशा में कम से कम कुछ शुरुआत करना आवश्यक हैं ।

8. शिक्षण तथा मूल्यांकन कार्यक्रमों में पाठ्यसहगामी क्रियाओं को समुचित महत्व दिया जाय छात्रों की योग्यता सम्बन्धी उपलब्धियों को इस परिप्रेक्ष्य में सावधानीपूर्वक निर्मित प्रयोगों के आधार पर इस तरह निर्धारित किया जाय कि छात्र की उपलब्धि स्पष्ट हो सके ।

9. विद्यालयों में संचयी अभिलेख अनिवार्य रूप से प्रारम्भ किये जायें । इस उद्देश्य हेतु परिषद् कार्यशालायें आयोजित कर कम्युलेटिव कार्डस की तैयारी, पूर्ण करने की क्रिया, रख रखाव एवं प्रयोग हेतु समुचित प्रशिक्षण दे ।

10. वर्तमान परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता एवं वैधता में वृद्धि के लिये एक ओर मुख्य परीक्षक एवं उपमुख्य परीक्षक के मध्य तथा दूसरी ओर उपमुख्य परीक्षक एवं सहायक परीक्षकों के मध्य परस्पर सम्पर्क स्थापित होना चाहिये । यह मूल्यांकन कार्यक्रम से पहले मूल्यांकन के संदर्भ में विचारों में एक रसता स्थापित करने में सहायक होगा ।

प्रबन्धकीय दक्षता :-

समूह द्वारा प्रबन्धकीय दक्षता के सम्बन्ध में निम्न सुधार प्रस्तावित किये :-

1. यह समूह प्रस्तावित करता है कि आंतरिक मूल्यांकन, चाहे वह प्रारम्भिक रूप से सीमित क्षेत्र में ही क्यों न हो, परिषद् द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का एकीकृत भाग हो । प्रमाण-पत्रों में लिखित कार्य में, उपस्थिति और उपलब्धि का स्तर इस दृष्टिकोण से देना चाहिये कि छात्रों में निरन्तरता की आदत और अभिव्यक्तिकरण की क्षमता पर जोर दिया जा सके । आंतरिक तथा बाह्य श्रेणीकरण / अंक प्रमाण-पत्र पर अलग-अलग प्रदर्शित किये जाना चाहिये ।

2. जिन विषयों में बाह्य स्तर पर प्रायोगिक परीक्षायें हों, उन विषयों के प्राध्यापक सुपरिभाषित मॉडलिटीज् के साथ आंतरिक परीक्षक के रूप में सम्बद्ध किये जायें ।

3. समूह ने यह भी अनुभव किया कि हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट के परीक्षार्थियों को बाह्य परीक्षा की तैयारी के लिये असहनीय कार्य-भार झेलना पड़ता है । वे परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिये बाध्य होते हैं । अत्यधिक बोझिल कार्यभार के कारण परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण प्रतिशत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । अतः यह समूह प्रस्तावित करता है कि विषय पाठ्यक्रम पर आधारित तथा विषय के भार पर आधारित सेमिस्टर व्यवस्था द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया जाय । इस संदर्भ में केन्द्रीय विद्यालयों के कक्षा नौ तथा कक्षा ग्यारह के कुछ विषयों में आंतरिक मूल्यांकन का अध्ययन किया जाय तथा उसे उपयोगितानुसार स्वीकार किया जाय ।

4. यह दृढ़ता से अनुभव किया गया कि वर्तमान में न सहीं पर दूरगामी भविष्य में हाईस्कूल परीक्षापूर्णतया संस्थाओं के विशेष अधिकार क्षेत्र (परीक्षा कराने और प्रमाण-पत्र निर्गत करने के दृष्टिकोण से) में हो । समूह अनुशंसा करता है कि कुछ प्रगतिशील एवं विश्वसनीय इण्टरमीडिएट स्तर के विद्यालयों में कुछ पायलेट प्राजेक्ट्स प्रारम्भ किये जायें तथा प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन और अध्ययन कर इसे अंगीकृत किया जाय ।

5. परिषद् की परीक्षाओं के लिये एक संस्था के अध्यापकों को धारा से अलग कर दूसरी संस्थाओं में भेजने के परिणामस्वरूप परीक्षार्थियों के प्रदर्शन पर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है तथा उन्हें अनुचित साधनों के प्रयोग की दिशा में ले जाता है । कई बार अपरिचित होने के कारण वे परीक्षा केन्द्रों पर दृष्टिगत भी नहीं होते हैं । यह व्यवस्था असुविधाजनक तथा बोझिल है । अतः यह व्यवस्था पहले की ही भाँति उलटना आवश्यक है और इसकी शुरूआत कन्या विद्यालयों को स्वकेन्द्र बनाकर आगामी परिषद्रीय परीक्षा से होना चाहिये ।

6. परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार ने वर्तमान शैक्षिक प्रयत्नों की आधार शिला को ही भ्रष्ट कर दिया है । अतः यह व्याधि कठोरतापूर्वक एवं तत्परतापूर्वक दबाई जानी चाहिये । यह संस्तुत किया जाता है कि परीक्षा संचालन के संदर्भ में ऐसे कार्यों में भाग लेना अथवा षड्यंत्र करना ऐसा संज्ञेय अपराध घोषित किया जाय जिसके लिये कठोर दण्ड का विधान हो । क्रमीनल प्रोसीजर कोड में तदानुसार संशोधन किया जाय । यह भी सबल संस्तुति की जाती है कि उपरोक्त के साथ-साथ परिषद् तथा अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा परीक्षार्थियों/कक्षनिरीक्षकों/परीक्षा अधीक्षकों के दुराचरण की विभागीय जाँच की जाये तथा अधिकतम् तीन माह के अन्दर यह जाँच पूरी कर दी जाय ।

7. केन्द्राध्यक्षों को प्रदत्त की गई न्यायिक शक्तियाँ व्यवहार में अपूर्ण और प्रभावहीन पायी गयी हैं । इन शक्तियों का प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की शक्तियों तक विस्तार किया जाय तथा ये शक्तियाँ तब तक प्रभावी रहें, जब तक केन्द्र की अनुचित साधनों से सम्बन्धित सम्पूर्ण जाँच समाप्त न हो जाय ।
8. केन्द्राध्यक्ष तथा कक्षनिरीक्षकों की सुरक्षा हेतु उन्हें क्रमशः एक लाख रूपये तथा पचास हजार रूपये की बीमा सुरक्षा प्रदान की जाय (उपरोक्त अवधि परीक्षा प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व से लेकर परीक्षा समाप्त होने के तीन माह बाद तक मानी जाय) ।
9. प्रत्येक मूल्यांकन केन्द्र पर इण्टरमीडिएट तथा हाईस्कूल की उत्तरपुस्तकाओं के मूल्यांकन हेतु क्रमशः पचीस तथा तीस उत्तर पुस्तिका प्रति परीक्षक प्रति दिन समुचित पारिश्रमिक के साथ रखें जायें ।
10. उत्तर पुस्तकाओं के अवैध विनियम को रोकने के लिये उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर एक गोपनीय संस्थागत मोहर प्रमुख रूप से लगाई जाय । कक्ष निरीक्षक छात्रों की उत्तर पुस्तिका जमा करने के पश्चात् उन्हें एक रसीद दें । उत्तर पुस्तिका गुम होने की दशा में यदि कोई परीक्षार्थी उपरोक्त रसीद प्रस्तुत नहीं कर पाता तो यह माना जायेगा कि उसने केन्द्राध्यक्ष के पास उत्तर पुस्तिका जमा नहीं की है ।
11. समूह का यह भी मत है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सर्वाधिक अनिष्ट विद्यालय निरीक्षक का उपहासात्मक सीमा तक प्रभाव शून्य हो जाने के कारण हुआ है । समूह का मत है कि विद्यालयों की नामिका निरीक्षण व्यवस्था में मूल-चूल परिंतर्वन किया जाय । शैक्षिक निरीक्षक का एक पद सृजित किया जाय, जो संस्थाओं के शैक्षिक कार्यकलापों को क्रियाशील करें । प्रत्येक शैक्षिक निरीक्षक 10 से 15 संस्थाओं का भार सम्भालें । नामिका निरीक्षण की रिपोर्ट का सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय ।
12. परिषदीय परीक्षायें केन्द्राध्यक्षों तथा अन्य के लिये तनावपूर्ण परिस्थितियों उत्पन्न करती हैं ।

समूह यह अनुभव करता है कि परीक्षा संस्थाओं, विश्वविद्यालयीय शिक्षा विभागों तथा राज्य की शिक्षा विभाग की शीर्षस्थ अनुसंधान संस्थाओं के बीच समुचित सम्पर्क स्थापित नहीं हो सके हैं । इस समन्वयन के अभाव के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयीय विभागों में ऐसे उपयोगी अनुसंधान नहीं हो रहें हैं, जिससे विद्यालय स्तर पर शैक्षिक विधि में सुधार हो, जिस कारण परीक्षा संस्थायें दैनिक कार्यक्रमों हेतु नवीनतम / प्रयोगात्मक विधियों को अपनाने से वंचित

रह जाते हैं । समूह का मत है कि ऐसे सम्पर्क तत्काल स्थापित किये जायें तथा नवीन अनुसंधानों पर आधारित परीक्षा संस्थाओं के कार्यकलापों का नया युग आरम्भ हो । इसके लिये जाने माने अनुसंधानकर्ताओं तथा परीक्षा संस्थाओं के अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय समिति अनुसंधान योजना, समन्वय तथा अनुसंधान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु गठित की जाय । तात्कालिक महत्व के विषयों में, आन्तरिक मूल्यांकन की समस्या तथा सम्पूर्ण मूल्यांकन कार्यक्रम में इसकी सापेक्ष महत्ता (बाह्य मूल्यांकन सहित), खुलेपन का प्रभाव, परीक्षाओं की विश्वसनीयता तथा वैधता सुनिश्चित करना, अंकों का वर्गीकरण (स्केलिंग), समुचित ग्रेडिंग पद्धति अपनाना, निबन्धात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में निष्पक्षता, निष्पादित करने की विधियाँ तथा विभिन्न स्तरों पर सपुस्तकीय परीक्षा पद्धति की प्रभावशीलता आदि अनुसंधान विभागों/संस्थाओं द्वारा आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों के रूप में लिये जा सकते हैं ।

समूह का मत है कि वर्तमान परीक्षा व्यवस्था में सुधार इतने आवश्यक हो गये हैं कि टुकड़ों–टुकड़ों में अथवा आधे अधूरे मन से किये गये प्रयत्न प्रभावी न होंगे और अंततः इस व्यवस्था को ही ध्वस्थ कर देंगे । अतः यह समूह प्रेरित करता है कि आवश्यकता व तीव्रता से परिपूर्ण रूपरेखा बनाकर प्रदेश की परीक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु आन्दोलनात्मक कार्य हो ।

..————————..

सप्तम् अध्याय

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत शोध की समस्या माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के संगठन, प्रशासन तथा वित्त-व्यवस्था का अध्ययन करना है । इस शोध का उद्देश्य परिषद् की संगठनात्मक संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था तथा इसकी आय के विभिन्न स्त्रोतों तथा व्यय के विभिन्न मदों का विवेचन करने के साथ ही साथ परिषद् द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं पर प्रकाश डालना है । इसमें परिषद् की स्थापना से लेकर अद्यावधि तक का अध्ययन है । परिषद् के संगठन, प्रशासन, वित्त तथा परीक्षा सम्बन्धी आंकड़े जो यत्र-तत्र बिखरे हुये थे, उन्हें खोजकर एकत्र किया गया है तथा उनका वर्गीकरण, विश्लेषण तथा सारणीयन करके उनकी व्याख्या की गयी है और तार्किक विवेचन के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाले गये हैं ।

इस शोध में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया गया है तथा प्रदत्तों का संकलन प्राथमिक स्त्रोतों, जैसे - राज्य सरकार, शिक्षा विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनों, परिषद् के नियम संग्रहों तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित शैक्षिक रिपोर्टों के आधार पर किया गया है । इस संकलित सामग्री को सात अध्यायों में सन्निहित किया गया है । सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस परिषद् के संगठन, प्रशासन तथा वित्त-व्यवस्था पर अभी तक कोई भी अध्ययन नहीं हुआ है, अतएव अनुसंधानकर्ता का यह प्रथम प्रयास है ।

इस अध्ययन से जो निष्कर्ष निकले हैं, उन्हें अध्यायों के क्रमानुसार संक्षेप में प्रस्तुत करते हुये उनके आधार पर आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिससे परिषद् के संगठन, प्रशासन तथा वित्त-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं युक्तियुक्त बनाया जा सके । अंत में इस अनुसंधान से सम्बन्धित अग्रिम शोध हेतु कुछ संकेत भी प्रस्तुत किये गये हैं ।

-: निष्कर्ष :-

-: माध्यमिक शिक्षा परिषद् का संगठन :-

संगठन एक ढाँचा है, जिसके माध्यम से सुव्यवस्थित प्रशासन, प्रबन्धन तथा बौधिक उद्देश्य पूरे किये जाते हैं । प्रबन्धन, प्रशासन तथा संगठन परस्पर अन्तरबद्ध होते हैं ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की स्थापना :-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण वैधानिक निकाय है । इसकी स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की अनुशंसा के आधार पर

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा इस उद्देश्य से की गयी थी कि इस परिषद् द्वारा माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर ऐसी शैक्षिक व्यवस्था का गठन किया जाय जिससे एक ओर तो ऐसे छात्रों को तैयार किया जा सके जो विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सकें तथा दूसरीओर यदि वे आगे अध्ययन न करना चाहें तो उन्हें नौकरियों एवं व्यवसायों में लगाया जा सके । यह अधिनियम 1 अप्रैल 1922 से लागू हुआ तथा अब तक इसमें समय समय पर 12 संशोधन किये जा चुके हैं ।

परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति :-

सन् 1921 में परिषद् के अध्यक्ष श्री ए0 एच0 मैकेन्जी (डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, युनाइटेड प्राविन्सिस्) तथा सचिव श्री राय बहादुर ए0 सी0 मुखर्जी थे । इन दो सदस्यों के अतिरिक्त 34 अन्य सदस्य थे ।

सन् 1977 के माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम के लागू होने से परिषद् में प्रधानाध्यापकों तथा अध्यापकों का भी प्रतिनिधित्व होने लगा है ।

वर्तमान में परिषद् में कुल 73 सदस्य हैं, जिनमें श्री बी0 पी0 खंडेलवाल (माध्यमिक शिक्षा निदेशक) अध्यक्ष तथा श्री प्रकाशचन्द्र श्रीवास्तव सचिव हैं ।

राज्य सरकार परिषद् से किसी भी सदस्य को पद के घोर दुरूपयोग के कारण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर हटा सकती है तथा वह हटाये जाने के कारणों को अभिलिखित करेगी । राज्य सरकार के सदस्यों की पदावधि 3 वर्ष की होती है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की समितियाँ :-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् में इस समय निम्न समितियां कार्यरत हैं :-

(क) पाठ्यक्रम समिति

(ख) परीक्षा समिति

(ग) परीक्षाफल समिति

(घ) मान्यता समिति

(ड़) वित्त समिति

अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) तथा (4) के अनुसार परिषद् उपरोक्त समितियों के अतिरिक्त अन्य समितियां भी नियुक्त कर सकती है ।

पाठ्यक्रम समिति :-

सामान्यतः परिषद् प्रत्येक विषय के लिये अलग-अलग पाठ्यक्रम समितियां गठित

करती है । पाठ्यक्रम समितियों में कम से कम 3 तथा अधिक से अधिक 7 सदस्य होते हैं, लेकिन कृषि विषय की पाठ्यक्रम समिति में कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक 9 सदस्य, प्राविधिक विषय की समिति में न्यूनतम 9 तथा अधिकतम 11 सदस्य तथा रचनात्मक विषय की समिति में 11 सदस्य होते हैं ।

परिषद् के गठन के समय 21 पाठ्यक्रम समितियां थी तथा वर्तमान में 39 पाठ्यक्रम समितियां हैं ।

परीक्षा समिति :-

परिषद् द्वारा हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं के क्रियान्वयन एवं सफल संचालन के लिये एक या अधिक परीक्षा समितियों का गठन किया जाता है । परीक्षा समिति का संयोजक परिषद् का सचिव होता है तथा इसके अतिरिक्त छैः अन्य सदस्य होते हैं । इस समय पूरे प्रदेश में 4 परीक्षा समितियां कार्यरत हैं ।

परीक्षाफल समिति :-

परिषद् की विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षाफल तैयार करने तथा सम्बन्धित नियमों के निर्धारत हेतु परिषद् द्वारा परीक्षाफल समिति का गठन किया जाता है । इस समिति का अध्यक्ष राज्य का शिक्षा निदेशक तथा सचिव परिषद् का पदेन सचिव होता है । इनके अतिरिक्त छैः अन्य सदस्य होते हैं । इस समय पूरे प्रदेश में एक परीक्षाफल समिति है ।

मान्यता समिति :-

विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने तथा मान्यता के लिये समुचित मानक या नियम आदि निर्धारित करने के लिये परिषद् द्वारा मान्यता समिति या मान्यता समितियां गठित की जाती हैं । मान्यता समिति में परिषद् का सचिव अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट क्षेत्रीय सचिव समिति का पेदन सचिव होता है, तथा छैः अन्य सदस्य होते हैं । वर्तमान में पूरे प्रदेश में 4 मान्यता समितियां कार्यरत हैं ।

वित्त समिति :-

वित्त समिति परिषद् के वित्त सम्बन्धी समस्त मामलों में परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करती है । समिति का संयोजक परिषद् का एक ऐसा सदस्य होता है जो राज्य विधान सभा का भी सदस्य हो । परिषद् का सचिव इस समिति का पदेन सचिव होता है तथा छैः अन्य सदस्य होते हैं ।

परिषद् द्वारा उपरोक्त समितियों के अतिरिक्त 3 अन्य समितियों का गठन भी किया गया है -

(1) महिला शिक्षा समिति

(2) पाठ्यचर्या समिति

(3) अनुचित साधनों के निस्तारण के लिये समिति ।

ये समितियां जैसा कि नाम से स्पष्ट है विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिये गठित की गयी हैं ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कार्यालय का गठन :-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् का मुख्य कार्यालय इलाहाबाद में स्थित है । यह कार्यालय विभिन्न अनुभागों में बटा हुआ है । माध्यमिक शिक्षा परिषद् कार्यालय में इस समय 42 अनुभाग हैं ।

परिषद् की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की निरन्तर वृद्धि के कारण परिषद् को अनेक प्रशासनिक एवं व्यवहारिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था, अतएव सन् 1964 में श्री राधाकृष्ण समिति ने इसके ढाँचे में परिवर्तन हेतु सुझाव दिये, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन ने उन्हें अमान्य कर दिया । सन् 1969 में पुनः श्री हरीप्रसाद समिति ने परिषद् के ढांचे में परितर्वन हेतु सुझाव दिये, जिसकी अनुशंसा के आधार पर सन् 1972 से परिषद् के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुयी । अब तक परिषद् के चार क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जा चुके हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्थापना वर्ष	सम्मिलित मण्डल संख्या	सम्मिलित जनपद सं0
1.	मेरठ	1972	03	17
2.	वाराणसी	1978	03	18
3.	बरेली	1981	03	10
4.	इलाहाबाद	1986	04	18

परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालयों में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी अपर सचिव होता है । जिसकी सहायता के लिये उपसचिव, सहायक सचिव, लेखाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी होते हैं ।

-: माध्यमिक शिक्षा परिषद् का प्रशासन :-

प्रशासन से तात्पर्य ऐसे वातावरण तैयार करने से है, जिसमें व्यक्ति, समाज, संस्था एवं राष्ट्र अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर सके । प्रशासन का सम्बन्ध जहाँ एक ओर विभिन्न संस्थाओं से होता है वहीं दूसरी ओर इसका सम्बन्ध मानवीय समूहों से भी होता है और सरकारी क्रिया के रूप में यह सरकार की शिक्षा नीतियों पर आधारित होता है, जो कि समयानुसार परिवर्तित होती रहती हैं । माध्यमिक शिक्षा परिषद् का प्रशासन भी शासन की नीतियों, एक्ट में विहित प्राविधानों तथा विनियमों के अनुसार संचालित होता है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद् को इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन 12 अधिकार प्राप्त हैं ।
2. इन अधिकारों के साथ ही परिषद् को विनियम बनाने का अधिकार है ।
3. परिषद् को विभिन्न समितियां तथा उपसमितियां गठित करने का अधिकार है ।
4. परिषद् के प्रमुख कर्तव्य उच्च माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना, उच्च माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम निर्धारित करना, इसी स्तर की परीक्षाओं का संचालन करना तथा इसी स्तर की शिक्षा संस्थाओं की उन्नति के लिये प्रयास करना हैं ।

परिषद् के प्रमुख अधिकारी सभापति, सचिव तथा विनियमों द्वारा समय-समय पर घोषित पदाधिकारी होते हैं ।

परिषद् का सभापति माध्यमिक शिक्षा निदेशक 'पदेन' होता है । इसके प्रमुख कार्य अधिनियम एवं विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन कराना, परिषद् की बैठक बुलाना तथा प्रशासनिक कार्य में पैदा होने वाली आपातिक स्थिति में अपेक्षित कार्यवाही करना आदि हैं ।

सचिव परिषद् का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है । वह परिषद् के कुशल संचालन के लिये उत्तरदायी होता है । वह वार्षिक अनुमान एवं लेखा विवरण प्रस्तुत करने, समस्त धनराशि का उचित प्रयोजन हेतु व्यय, परीक्षाओं के संचालन, सरकारी पत्राचार, परीक्षाफल प्रकाशित करने, प्रमाण-पत्र प्रदान करने, लिपिकीय त्रुटि को अभिलेख में सुधार करने, परिषद् के पुस्तकालय की देखरेख करने तथा पाठ्यपुस्तकों की स्वीकृति आदि के लिये प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है ।

राज्य सरकार को अधिनियम के संगत परिषद् को अपेक्षित निर्देश देने का अधिकार है तथा उन निर्देशों का परिपालन वह जैसा कि आवश्यक समझे करवा सकती है ।

परिषद् की स्थापना काल से लेकर अद्यावधि तक समय-समय पर आवश्यकतानुसार अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या में लगातार वृद्धि होती आ रही है । सन् 1923-24 में परिषद् में एक सचिव, एक सहायक सचिव, ग्यारह लिपिक तथा छः सेवकगण थे । सन् 1948-49 में एक सचिव, एक उपसचिव, सहायक सचिव एवं लिपिक की संख्या 48 तथा सेवकगणों की संख्या 43 थी । परिषद् के बढ़ते कार्यभार के कारण परिषद् के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया सन् 1972 से प्रारम्भ हुयी । वर्तमान में परिषद् के चार क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हो चुके हैं । सन् 1988-89 में परिषद् में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या 1540 थी तथा सन् 1991-92 में यह संख्या 1700थी । क्षेत्रीय कार्यालयों की अपेक्षा परिषद् के मुख्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या अधिक है, जो स्वाभाविक रूप से कार्य की अधिकता को देखते हुये उचित ही है ।

वर्तमान समय में परिषद् में एक सचिव, 7 अपर सचिव (3 मुख्यालय में तथा 1-1 प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में), 1 वरिष्ठ एवं वित्त लेखाधिकारी (मुख्यालय), 3 लेखाधिकारी (1 मुख्यालय में तथा 1-1 मेरठ एवं वाराणसी के क्षेत्रीय कार्यालयों में), 20 उपसचिव (12 मुख्यालय में, 2 मेरठ, 2 वाराणसी, 1 बेरली तथा 3 इलाहाबाद के क्षेत्रीय कार्यालय में), 23 सहायक सचिव (6 मुख्यालय में, 6 मेरठ, 5 वाराणसी, 2 बरेली एवं 4 इलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालयों में) हैं । परिषद् में लिपिकीय वर्ग कर्मचारियों की कुल संख्या 1171 है,जिसमें 240 मुख्यालय में, 219 मेरठ, 270 वाराणसी, 177 बेरली तथा 265 इलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालयों में हैं ।

परिषद् द्वारा माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु दो दशकों में निम्न महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किये गये हैं :-

1. सन् 1970 की परीक्षाओं से इण्टरमीडिएट स्तर पर 4 विषय के स्थान पर 5 विषय कर दिये गये ।
2. मार्च 1975 में "शोध एवं मूल्यांकन इकाई" की स्थापना की गयी ।
3. सन् 1975 की परीक्षा से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को विशेष सुविधा की योजना प्रारम्भ की गयी ।
4. सन् 1976 से परिषद् का परीक्षाफल कम्प्युटर द्वारा तैयार किया जाने लगा ।

5. सन् 1980-81 में परिषद् की परीक्षाओं के महत्वपूर्ण अभिलेखों तथा सारणीयन पंजिका एवं प्रमाण-पत्रों के प्रतिपर्णों को सुरक्षित रखने हेतु तथा स्थानाभाव की समस्या के हल हेतु एक "माइक्रोफिलिंग इकाई" स्थापित की गयी ।
6. सन् 1980-81 में "नियोजन एवं सांख्यिकी विभाग" की स्थापना की गयी ।
7. सन् 1982-83 में कक्ष-निरीक्षकों एवं अतिरिक्त केन्द्र-व्यवस्थापकों के पारिश्रमिक देयकों के भुगतान हेतु जिला विद्यालय निरीक्षकों को शासन द्वारा अधिकार प्रतिनिहित कर दिया गया, जिससे जनपद स्तर पर त्वरित कार्यवाही की सुविधा सम्पन्न हुयी ।
8. सन् 1984 की परीक्षाओं से प्रथम बार हाईस्कूल परीक्षाओं का संचालन/ आयोजन "दस वर्षीय अनिवार्य पाठ्यक्रम पद्धति" से किया गया । इस वर्ष से हाईस्कूल स्तर पर 5 विषय के स्थान पर 7 विषय हो गये ।
9. वर्ष 1985 की परीक्षाओं से पूरक परीक्षा समाप्त कर दी गयी ।
10. सन् 1985 से परिषद् की परीक्षाओं में श्रेष्ठताक्रम में प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं से उत्तरों का चयन कर उन्हें "प्रेरणा पुष्प में प्रकाशित किया गया।
11. सन् 1985 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के विकेन्द्रीकरण एवं पुर्नगठन हेतु "टास्क फोर्स" का गठन किया गया ।
12. सन् 1987-88 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट स्तर पर व्यवसायीकरण की दिशा में पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया ।
13. सन् 1987-88 में अध्यापक-अभिभावक संघ का गठन किया गया ।
14. सन् 1988-89 से सपुस्तक परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गयी ।
15. सन् 1988-89 में विगत दस वर्षों के 36 लाख प्रमाण-पत्रों में से 32 लाख प्रमाण-पत्रों का प्रेषण युद्ध-स्तर पर किया गया ।
16. शासन द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 1992 द्वारा नकल आदि को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया ।

स्वतंत्रता के पूर्व भारत वर्ष में कुछ 6 माध्यमिक शिक्षा परिषदें थीं जो सन् 1967 में बढ़कर 17 हो गयीं । सन् 1979-80 में इनकी संख्या 31 थी ।

-: माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वित्त-व्यवस्था :-

आय :-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की सन् 1926-27 में कुल आय 1,96,929 रूपये थी, जो सन् 1946-47 में बढ़कर 8,62,881 रूपये हो गयी, यह सन् 1926-27 की तुलना में 4.3 गुना थी । स्थापना काल से स्वतंत्रता के पूर्व तक परिषद् की आय की औसत वार्षिक वृद्धिदर सबसे कम 4.36% सन् 1926-27 से सन् 1931-32 के मध्य तथा सबसे अधिक 18.34% सन् 1941-42 से 1946-47 के मध्य रही । सन् 1926-27 से लेकर सन् 1946-47 के मध्य आय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 16.91 प्रतिशत रही ।

स्वतंत्रता के पश्चात् परिषद् की आय सन् 1947-48 में कुल 10,43,916 रूपये थी जो सन् 1985-86 में बढ़कर 8,31,68,267 रूपये हो गयी, यह सन् 1947-48 की तुलना में लगभग 80 गुना है । सन् 1947-48 में आय का सूचकांक 100 था जो सन् 1985-86 में बढ़कर 7967 हो गया । स्वतंत्रता के पश्चात् परिषद् की आय में सबसे कम औसत वार्षिक वृद्धिदर सन् 1980-81 से 1985-86 के मध्य तथा सबसे अधिक औसत वार्षिक वृद्धि दर सन् 1947-48 से 1950-51 के मध्य रही । सन् 1947-48 से सन् 1985-86 के मध्य अर्थात् 38 वर्षों में आय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 207.02 प्रतिशत रही ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की आय के स्त्रोत शुल्क, राज्य सरकार, अक्षयनिधि तथा अन्य स्त्रोत हैं, लेकिन इनमें मुख्य स्त्रोत शुल्क ही है, जो प्रायः कुल आय का 3/4 भाग होती है । सन् 1953-54 में परिषद् की आय शत-प्रतिशत शुल्क से ही हुयी । सन् 1985-86 में इस स्त्रोत का कुल आय में योगदान 66.13 प्रतिशत था । परिषद् की आय में दूसरा प्रमुख योगदान राज्य सरकार का रहा है । राज्य सरकार का परिषद् की कुल आय में योगदान न्यूनतम 2.1% सन् 1959-60 में तथा अधिकतम 20.37% सन् 1976-77 में रहा है । जहाँ तक अक्षयनिधि एवं अन्य स्त्रोतों से आय का प्रश्न है, वह प्रारम्भिक काल से लेकर सन् 1953-54 तक नगण्य ही थी । इसके बाद के वर्षों में इस स्त्रोत से आय का कुछ भाग प्राप्त होना प्रारम्भ हुआ । सन् 1982-83 में इस स्त्रोत से कुल आय का 24.53% भाग प्राप्त हुआ । इससे स्पष्ट हो रहा है कि अब इस स्त्रोत से परिषद् को होने वाली आय में तुलनात्मक दृष्टि से काफी वृद्धि हो रही है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् को सन् 1976-77 में राज्य सरकार द्वारा 1,07,38,563 रूपये, शुल्क द्वारा 4,03,95,792 रूपये तथा अक्षयनिधि एवं अन्य स्त्रोतों द्वारा 15,94,073 रूपये

आय के रूप में प्राप्त हुये, जिनका कुल आय में योगदान क्रमशः 20.37%, 76.61% तथा 3.02% रहा । इसी प्रकार सन् 1985-86 में राज्य सरकार द्वारा 80,06,778 रूपये, शुल्क द्वारा 5,49,97,878 रूपये तथा अक्षयनिधि एवं अन्य स्त्रोतों द्वारा 2,01,63,611 रूपये आय के रूप में प्राप्त हुये, जिनका कुल आय में योगदान क्रमशः 9.63%, 66.13% तथा 24.24.% था । सन् 1976-77 में परिषद् की कुल आय, 5,27,28,428 रूपये थी और सन् 1985-86, में यह बढ़कर 8,31,68,267 रूपये हो गयी जो सन् 1976-77 की तुलना में लगभग डेढ़गुनी है ।

व्यय :-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् पर उसके स्थापना वर्ष सन् 1922-23 में कुल 41,136 रूपये व्यय किये गये । यह व्यय सन् 1946-47 में बढ़कर 6,96,209 रूपये हो गया जो सन् 1922-23 की तुलना में 16.9 गुना है । सन् 1922-23 से सन् 1946-47 के मध्य व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 66.35% रही । व्यय में सबसे अधिक औसत वृद्धि स्थापना के बाद के प्रथम पाँच वर्षों में रही इस अवधि में व्यय की औसत वार्षिक वृद्धिदर 74.58% थी । सन् 1922-23 में व्यय का सूचकांक 100 था जो सन् 1946-47 में 1692 हो गया । सन् 1927-28 से 1932-33 के मध्य पाँच वर्षों के अन्तराल में व्यय की औसत वार्षिक वृद्धिदर सबसे कम 2.7% रही । इसका कारण सन् 1931 की विश्वव्यापी मंदी भी हो सकती है । सन् 1922-23 में परिषद् के व्यय का 46.12% अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन पर, 16.33% भत्ते एवं मानदेयों पर तथा 37.55% अन्य मदों पर व्यय किया गया । सन् 1946-47 में उपरोक्त मदों पर किया गया व्यय कुल व्यय का क्रमशः 8.07%, 7.06% तथा 84.87% था । जिसमें यह बात स्पष्ट होती है कि परिषद् के व्यय का एक बड़ा भाग अन्य मदों नामक मद पर खर्च किया गया ।

स्वतंत्रता के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा परिषद् पर सन् 1947-48 में कुल व्यय लगभग साढ़े नौ लाख रूपये था, यह सन् 1990-91 में बढ़कर लगभग सत्रह करोड़ रूपये हो गया, जो सन् 1947-48 की तुलना में लगभग 175 गुना है । इस अवधि में परिषद् के व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि दर सन् 1970-71 से 1975-76 के बीच सर्वाधिक 46.55% थी । सन् 1947-48 से 1990-91 के मध्य के 43 वर्षों में व्यय की औसत वार्षिक वृद्धिदर 404.31% रही । इसी प्रकार परिषद् के व्यय का सूचकांक जो सन् 1947-48 में 100 था । वह सन् 1990-91 में बढ़कर 17485 हो गया । परिषद् के व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है क्योंकि स्वतंत्रता के पूर्व

भी व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि दर सन् 1922-23 से सन् 1946-47 के मध्य के 24 वर्षों में 66.35% थी ।

स्वतंत्रता के पश्चात् परिषद् द्वारा मुख्य व्यय वेतन, भत्ते एवं मानदेय तथा अन्य मदों पर किया गया । सन् 1947-48 में परिषद् द्वारा वेतन पर 67,472 रूपये, भत्ते एवं मानदेयों पर 71,755 रूपये तथा अन्य मदों पर 8,28,,539 रूपये व्यय किया गया, जो क्रमशः कुल व्यय का 6.98%, 7.41% तथा 85.61% था । सन् 1990-91 में परिषद् द्वारा वेतन पर 1,79,90,000 रूपये, भत्ते एवं मानदेयों पर 1,79,75,000 रूपये तथा अन्य मदों पर 13,32,52,000 रूपये व्यय किया गया, जो कुल व्यय का क्रमशः 10.63% 10.62% तथा 78.75% था । इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि परिषद् द्वारा अन्य मदों पर सर्वाधिक व्यय किया जाता है ।

परिषद् के व्यय का मदवार विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि सन् 1976-77 में वेतन एवं भत्ते पर कुल व्यय का 13.44% व्यय किया गया । सन् 1977-78 से 1990-91 के बीच इस मद पर कुल व्यय का 15% से 25% तक व्यय किया गया । डेढ़ दशक में इस मद पर सर्वाधिक व्यय 25.03% सन् 1989-90 में किया गया । सन् 1976-77 में वेतन एवं भत्तों पर कुल 70,86,873 रूपये व्यय किये गये तथा सन् 1990-91 में यह बढ़कर, 3,59,65,000 रूपये हो गये, जो सन् 1976-77 की तुलना में लगभग 5 गुना है ।

भवनों के अनुरक्षण पर सन् 1976-77 से 1983-84 तक नाम मात्र व्यय किया गया । इसका कुल व्यय में प्रतिशत मात्र 0.03% से 0.05% के मध्य रहा । इसके बाद इस मद को अन्य मदों के साथ मिला दिया गया ।

अन्य मदों पर हमेशा कुल व्यय का सर्वाधिक भाग व्यय होता रहा है । सन् 1976-77 से लेकर सन् 1988-89 तक इस मद पर कुल व्यय का 80% से अधिक व्यय किया गया । सन् 1989-90 में इस मद पर कुल व्यय का 74.97% तथा सन् 1990-91 में 78.75% व्यय किया गया । इस मद पर कुल व्यय का सर्वाधिक प्रतिशत 86.53 सन् 1976-77 में व्यय किया गया तथा कुल व्यय का सबसे कम प्रतिशत 74.97 सन् 1989-90 में किया गया । सन् 1976-77 में इस मद पर कुल 4,56,23,766 रूपये व्यय हुये यह सन् 1990-91 में बढ़कर 13,32,52,000 रूपये हो गये जो सन् 1976-77 की तुलना में लगभग 3 गुना है ।

परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालयों पर व्यय :-

निरन्तर परीक्षार्थियों की बढ़ती हुयी संख्या के कारण सन् 1972 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् का एक क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ में खोला गया । तत्पश्चात् वाराणसी, बेरली तथा इलाहाबाद में क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये । इन कार्यालयों पर होने वाले व्यय को राजकीय बजट में अलग दर्शाया गया है । सन् 1978-79 में क्षेत्रीय कार्यालयों पर 5,53,000 रूपये व्यय किये गये, जो आयोजनागत व्यय के अन्तर्गत थे । इसी प्रकार सन् 1990-91 में इस पर कुल 1,71,05,000 रूपये व्यय किये गये, जो आयोजनेत्तर व्यय के अन्तर्गत थे । सन् 1990-91 में किया गया व्यय सन् 1978-79 में किये गये व्यय की तुलना में लगभग 31 गुना है ।

इन क्षेत्रीय कार्यालयों के मदवार व्यय के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल व्यय का लगभग 50% व्यय वेतन एवं भत्तों पर किया जाता है । कार्यालय पर होने वाला व्यय सन् 1985-86 मे कुल व्यय का 7% था जो 1987-88 में बढ़कर 9.68% हो गया । तत्पश्चात् इसमें घटी-बढ़ोत्तरी होती रही और सन् 1990-91 में यह कुल व्यय का 5.93 रह गया ।

परिषद् के सुदृढ़ीकरण पर व्यय :-

परिषद् के सुदृढ़ीकरण पर सन् 1975-76 में कुल 19,69,089 रूपये व्यय किये गये तथा 1983-84 में मात्र 4,15,000 रूपये व्यय किये गये । यह धनराशि आयोजनागत व्यय के रूप में व्यय की गयी ।

परिषद् का इकाई व्यय :-

परिषद् का सन् 1925-26 में प्रति परीक्षार्थी औसत व्यय 20 रूपये था । सन् 1941-42 में यह घटकर 14 रूपये हो गया । पुनः बढ़कर सन् 1946-47 में यह 18 रूपये हो गया । सन् 1925-26 में से 1946-47 के बीच की अवधि में परिषद् के व्यय की औसत वार्षिक वृद्धिदर 14.87% तथा परीक्षार्थियों की संख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 16.6% रही लेकिन इस अवधि में प्रति परीक्षार्थी औसत व्यय बढ़ने की बजाय 0.39% की वार्षिक दर से कम होता गया ।

स्वतन्त्रता के बाद सन् 1947-48 मे परिषद् का प्रति परीक्षार्थी औसत व्यय 21 रूपये 21 पैसे था । यह सन् 1990-91 में बढ़कर 71 रूपये 87 पैसे हो गया जो सन् 1947-48 की तुलना मे 3.39 गुना है । इस अवधि में इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.55% रही ।

परिषद् के व्यय की उ0 प्र0 में शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा व्यय से तुलना :-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश पर सन् 1947-48 से सन् 1985-86 तक जो व्यय किया गया, वह इस अवधि में प्रदेश की शिक्षा पर किये गये कुल व्यय का 1% से 2% के मध्य तथा प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा पर किये गये कुल व्यय का 4% से 9% के मध्य रहा।

आय-व्यय का विवेचन :-

परिषद् की आय एव परिषद् के व्यय पर विहंगम दृष्टि डालने, सम्यक रूप से अध्ययन करने तथा उसका विश्लेषण करने पर विदित होता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् की आय स्वतन्त्रता के पश्चात् तीव्र गति से बढ़ी है । सन् 1947-48 की तुलना में सन् 1985-86 में परिषद् की आय लगभग 80 गुना थी । जबकि स्वतन्त्रता के पूर्व परिषद् की आय सन् 1926-27 की तुलना में सन् 1946-47 में मात्र 4.3 गुना थी । स्थापना काल से स्वतंत्रता के पूर्व तक परिषद् की आय की औसत वार्षिक वृद्धि दर मात्र 16.91% थी जबकि स्वतन्त्रता के बाद से सन् 1985-86 के मध्य यह दर 207.02% रही ।

सन् 1922-23 की तुलना मे परिषद् पर व्यय सन् 1946-47 में 16.9 गुना था तथा इस अवधि में व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 66.35% थी । स्वतन्त्रता के पश्चात् व्यय में भी तीव्र गति से बढ़ोत्तरी हुयी है । सन् 1947-48 में परिषद् पर व्यय की धनराशि की तुलना में सन् 1990-91 में परिषद् पर व्यय धनराशि लगभग 175 गुना थी तथा इस बीच व्यय की औसत वार्षिक वृद्धिदर 404.31% रही ।

सम्यक रूप से अध्ययन करने पर यह स्वतः स्पष्ट हो रहा है कि स्थापनाकाल की तुलना में परिषद् की कुल आय सन् 1985-86 में 422.3 गुना थी तथा स्थापना काल की तुलना मे परिषद् का व्यय सन् 1990-91 में 4113.6 गुना है ।

-: परीक्षा :-

शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा महत्वपूर्ण स्थान रखती है । स्वस्थ मूल्यांकन एवं परीक्षण शिक्षण व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि परीक्षा द्वारा अधिगम स्तर की गुणवत्ता में वृद्धि करने तथा उसके स्तर को बनाये रखने में अपेक्षित सहायता मिलती है । अतएव परीक्षा शिक्षार्थी, शिक्षक तथा पाठ्यवस्तु की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परीक्षा परिणाम या उपलब्ध अंकों का प्रतिशत सामाजिक सम्मान प्राप्त करने का एक प्रबल साधन बन गया है । परीक्षा प्रमाण-पत्रों के आधार पर ही उच्च कक्षा में प्रवेश व्यवसायिक पद की प्राप्ति तथा समाज में आदर प्राप्त होने

लगा है । परन्तु आज वर्तमान परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण हो गयी है । उसकी वैधता तथा विश्वसनीयता पर संदेह होने लगा है तथा उसमें व्यापकता एव्रं विभेदकारिता का अभाव दिखाई पड़ने लगा है । वैयक्तिकता का तत्व परीक्षाओं पर हावी है । सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था परीक्षकों के हाथ की कठपुतली बन गयी है ।

परीक्षायें प्रायः तीन प्रकार की होती हैं :-

(1) मौखिक,

(2) लिखित तथा

(3) प्रायोगिक

मौखिक परीक्षा का प्रवर्तक ग्लेडाइट्स को माना जाता है । इन परीक्षाओं का उद्देश्य बालकों की तुरंत अभिव्यक्ति तथा क्रियाशीलता की जाँच करना होता है । इसमें प्रत्युत्पन्न मति, तीव्र स्मरणशक्ति और ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग की परख होती है ।

लिखित परीक्षाओं का जन्म चीन में हुआ । सर्वप्रथम ईसा से 2200 वर्ष पूर्व चीन में राज्य के अफसरों का चयन करने के लिये लिखित परीक्षाओं की व्यवस्था की गयी । रचना के आधार पर यह परीक्षायें तीन प्रकार की होती हैं :-

(अ) निबन्धात्मक,

(ब) लघुउत्तरीय तथा

(स) वस्तुनिष्ठ ।

प्रयोगिक परीक्षा में ज्ञान के प्रयोगात्मक पक्ष, कौशल, हस्तादि प्रयोग तथा कार्यचातुर्य का परीक्षण किया जाता है ।

भारत वर्ष में लिखित परीक्षाओं का वृहत प्रयोग सन् 1857 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के चयन के लिये किया गया । पश्चिमोत्तर प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में माध्यमिक स्तर पर परीक्षाओं की शुरुआत कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा सन् 1857 में 'इन्ट्रेन्स एक्जामिनेशन' के रूप में की गयी । सन् 1883 में हंटर कमीशन की संस्तुतियों के आने के पश्चात् "इन्ट्रेन्स परीक्षा" के स्थान पर 'स्कूल फाइनल परीक्षा" का सुझाव दिया गया। सन् 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुयी, जिससे उ0 प्र0 की शिक्षा का भार अब इस विश्वविद्यालय पर आ गया । इस विश्वविद्यालय द्वारा सर्वप्रथम 'इन्ट्रेन्स परीक्षा" सन् 1889 में ली गयी तथा सन् 1894 में 'स्कू ल परीक्षा' का भी आयोजन किया गया जो सन् 1907 तक

चलता रहा सन् 1908 से स्कूल फाइनल परीक्षा समाप्त कर "मैट्रीकुलेशन परीक्षा" प्रारम्भ की गयी । इलाहाबाद विश्वविद्यालय सन् 1923 तक मैट्रीकुलेशन, स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट परीक्षा तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा का आयोजन करता रहा । सन् 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर कमीशन) की अनुशंसाओं के आधार पर सन् 1921 में इस प्रदेश में "बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन एक्ट" पास किया गया तदुपरान्त इलाहाबाद बोर्ड ऑफ हाईस्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन की स्थापना की गयी ।

उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्तर पर परीक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व अब माध्यमिक शिक्षा परिषद् का है परिषद् माध्यमिक स्तर के लिये पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है, विद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है, परिषद् की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिये मानक निर्धारित करती है तथा संस्थागत एक व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये शुल्क का निर्धारण करती है । परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय अपने-अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले संभागों में परीक्षा संचालित करते हैं । परीक्षा के सम्बन्ध में में निर्णय लेने तथा नियम इत्यादि बनाने के लिये परीक्षा समिति उत्तरदायी होती है ।

परीक्षा समिति तथा उसके कर्तव्य :-

इस समिति में परिषद् के छैः सदसयों का निर्वाचन ऐसी रीति से किया जाता है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 13 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट छैः श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व अवश्य हो जाय । परिषद् का सचिव इसका संयोजक होता है ।

परीक्षा समिति के मुख्य कर्तव्य निम्नांकित हैं :-

1. परीक्षा आयोजन हेतु तिथियाँ सुनिश्चित करना
2. परीक्षकों और परिमार्जकमों की सूची तैयार करना ।
3. सारणीयकों और परितुलनकर्ताओं के नामों की संस्तुति करना ।
4. अनुचित साधानों का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं के मार्जन के लिये मार्जक नियुक्त करना ।
5. आवेदन-पत्रों का प्रपत्र विहित करना ।
6. प्रमाण-पत्रों का प्रपत्र विहित करना ।
7. मौखिक और क्रियात्मकय परीक्षाओं के सम्पादन का ढंग निर्धारित करना ।

8. परीक्षाकेन्द्रों मूल्यांकन केन्द्रों और संचालन केन्द्रो को सुनिश्चित करने तथा उनको तोड़ने की नीति निर्धारित करना ।
9. अनुग्रहांक हेतु नियम बनाना ।
10. श्रुतिलेखन हेतु नियम बनाना ।
11. परीक्षाफल प्रकाशन व्यवस्था ।
12. दुराचरण अथवा उपेक्षा के लिये दोषी पाये जाने वाले परीक्षकों, परिमार्जकों, परितुलनकर्ताओं तथा सारणीयकों हेतु दण्ड निर्धारित करना ।
13. परीक्षा से सम्बन्धित अन्य प्रत्येक मामले पर विचार करना ।

वर्तमान में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में चार परीक्षा समितिया गठित हैं, जो विभिन्न संभागों का कार्यभार देख रही हैं । एक परीक्षा समिति का गठन इलाहाबाद तथा झांसी के लिये, दूसरी का वाराणसी, गोरखपुर तथा फैजाबाद के लिये, तीसरी का बरेली, नैनीताल तथा लखनऊ के लिये तथा चौथी समिति का गठन मेरठ, आगरा एवं पौढ़ीगढ़वाल शिक्षा संभागों के लिये किया गया है । सभी परीक्षा समितियों का संयोजक सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् का सचिव है । सचिव के अतिरिक्त प्रत्येक समिति में छै: - छै: अन्य सदस्य हैं ।

परिषद् द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षायें :-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना के समय निम्नांकित परीक्षायें आयोजित करती (क) हाईस्कूल (ख) इण्टरमीडिएट तथा (ग) कामर्सियल डिप्लोमा । हाईस्कूल की परीक्षा पॉच विषयों में ली जाती थी, इसमें चार अनिवार्य तथा एक वैकल्पिक विषय होता था ।

इण्टरमीडिएट की परीक्षा चार विषयों में ली जाती थी तथा कामर्सियल डिप्लोमा परीक्षा सात विकल्प समूहों में आयोजित करायी जाती थी ।

परिषद् के स्थापनाकाल से लेकर वर्तमान के मध्य के सात दशकों में परीक्षा व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुआ है । सन् 1970 की परीक्षा से इण्टरमीडिएट स्तर पर चार के स्थान पर पॉच विषयों में परीक्षा ली जाने लगी । इसी प्रकार सन् 1984 की परीक्षाओं से हाईस्कूल स्तर पर पॉच के स्थान पर सात विषयों में परीक्षा ली जाने लगी । जिसमे एक विषय का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होता है ।

वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निम्नलिखित परीक्षाओं का संचालन किया जाता है :-

(क) हाईस्कूल परीक्षा,

(ख) इण्टरमीडिएट परीक्षा,

(ग) हाईस्कूल प्राविधिक परीक्षा एवं

(घ) इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा ।

इन परीक्षाओं के परीक्षण अंशतः लिखित, अंशतः मौखिक तथा अंशतः क्रियात्मक होते हैं । मौखिक तथा क्रियात्मक परीक्षण परीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित ढंग से परिषद् द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा संचालित किये जाते हैं, जबकि लिखित परीक्षण प्रश्नपत्रों द्वारा होते हैं ।

हाईस्कूल परीक्षा :-

हाईस्कूल परीक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेने के पश्चात् ली जाती है । इसमें 8 वर्गों के परीक्षार्थी सम्मलित होते हैं । हाईस्कूल की परीक्षा के लिये प्रत्येक वर्ग के परीक्षार्थियों को सात विषयों में परीक्षा देनी होती है ।

इण्टरमीडिएट परीक्षा :-

इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा इण्टरमीडिएट कक्षाओं में प्रवेश हेतु परिषद् द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा अथवा हाईस्कूल प्राविधिक परीक्षा अथवा परिषद् द्वारा इसके समकक्ष घोषित परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है । परिषद् द्वारा हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष 69 परीक्षायें घोषित की गयी हैं । इण्टरमीडिएट परीक्षा में 7 वर्गों के परीक्षार्थी सम्मलित होते हैं ।

हाईस्कूल प्राविधिक परीक्षा :-

परिषद् नियम संग्रह (1983-88) के अनुसार दिनांक 14 नवम्बर, 1981 के अनुसार राजपत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद् 9/527 दिनांक 29 अक्टूबर, 1981 द्वारा यह अध्याय विखण्डित कर दिया गया है । अब हाईस्कूल परीक्षा में एक वर्ग "प्राविधिक वर्ग" कर दिया गया है ।

परिषद् नियम संग्रह (1972-78) के अनुसार हाईस्कूल प्राविधिक परीक्षा में प्रत्येक परीक्षार्थी को 6 विषयों का चयन करना पड़ता था ।

इण्टरमीडिएट प्राविधिक परीक्षा :-

इस परीक्षा में केवल संस्थागत परीक्षार्थी ही पात्र होते हैं । लेकिन अनुत्तीर्ण

परीक्षार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मलित हो सकते हैं, बशर्ते उन्हें संस्था के प्रधान का, जहाँ से वे व्यक्तिगत परीक्षार्थी हैं, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने मुख्य प्राविधिक विषय में तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है । इस परीक्षा में पाँच विषयों का चयन करना होता है, साथ ही शारीरिक व्यायाम एवं नैतिक शिक्षा का शिक्षण अनिवार्य है ।

इण्टरमीडिएट व्यवसायिक शिक्षा की परीक्षा :-

इण्टरमीडिएट व्यवसायिक परीक्षा में प्रत्येक परीक्षार्थी की निम्नलिखित विषयों तथा ट्रे-ड्स में परीक्षा ली जाती है -

(अ) सामान्य हिन्दी 100 अंक

(ब) 48 विषयों में कोई एक विषय 100 अंक

(स) सामान्य अवधारित विषय (50-50 अंकों के दो प्रश्न-पत्र)

(द) व्यवसायिक धाराओं में से कोई एक

(1) सैद्धांतिक (5×60) पाँच प्रश्न-पत्र कुल 300 अंक

(2) प्रयोगात्मक

(क) आंतरिक 200 } कुल 400 अंक
(ख) बाह्य 200

प्रयोगात्मक परीक्षा 37 धाराओं में ही चयनित की जा सकेगी ।

परिषद् की परीक्षाओं सम्बन्धी सामान्य विनियम :-

संस्थागत परीक्षार्थियों के लिये प्रवेश के नियम :-

संस्थागत परीक्षार्थी संस्था के प्रधान को 31 जुलाई तक निर्धारित शुल्क देंगे तथा विषय एवं विषयों को, जो वह परीक्षा के लिये ले रहें हैं, व्यक्त करते हुये सचिव द्वारा विहित प्रपत्र पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा का आवेदन-पत्र भरेंगे । निर्धारित अवधि में शुल्क जमा न करने पर संस्था के प्रधान को संस्था से नाम काटने का अधिकार होगा ।

संस्था का प्रधान परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र शुल्क के ट्रेजरी चालान के साथ अधिक से अधिक 14 अगस्त तक सचिव को भेजेगा । तत्पश्चात् 20 रूपये प्रति आवेदन-पत्र की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा । विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन-पत्र भेजने की अन्तिम तिथी 31 अगस्त होगी ।

संस्था का प्रधान आवेदन-पत्रों के साथ परिषद् के नियमों के अनुसार छात्र की परीक्षा में सम्मलित होने की वैधता का प्रमाण-पत्र देगा ।

उपस्थिति :-

1. मान्यता प्राप्त संस्था प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में कम से कम 200 कार्य दिवसों में खुली रहेगी, जिनमें परीक्षाओं एवं पाठ्यानुवर्ती कार्यकलाप के दिवस भी सम्मलित हैं ।
2. प्रत्येक परीक्षार्थी की 75% उपस्थिति आवश्यक है । कृषि वर्ग इण्टरमीडिएट परीक्षार्थियों की उपस्थिति की गणना प्रत्येक शैक्षिक वर्ष की अलग-अलग होगी । कौंसिल फॉर दी इण्डियन सर्टीफिकेट ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों की उपस्थिति की गणना परीक्षा के पूर्व के वर्ष की पहली जनवरी से की जायेगी । शैक्षिक वर्षों का क्रमिक होना आवश्यक नहीं है । अनुत्तीर्ण एवं निरूद्ध छात्रों हेतु केवल एक शैक्षिक वर्ष का प्रतिशत परिगणित किया जायेगा ।
3. संस्था का प्रधान नितांत असंतोषजनक कार्यकरने वाले छात्र को ही परीक्षा देने से रोक सकता है ।
4. संस्था का प्रधान किसी छात्र को एन0 सी0सी0 अथवा पी0 एस0 डी0 के लिये दिये गये सामान अथवा वर्दियाँ न लौटाने पर अथवा उनका मूल्य न जमा करने पर परीक्षा में सम्मलित होने से रोक सकता है ।
5. हाईस्कूल परीक्षा में सम्मलित होने वाले परीक्षार्थी को अधिकतम 10 दिन और इण्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थी को अधिकतम 10 व्याख्यान (क्रियात्मक कार्य के घंटे सहित) का मर्षण संस्था का प्रधान कर सकता है । जिन कक्षाओं में केवल एक वर्ष की उपस्थिति परिगणित होगी, वहाँ मर्षण की यह सीमा केवल आधी होगी ।

विषय परिवर्तन :-

कक्षा 9 तथा 11 में संस्था को विषय परिवर्तन का अधिकार है । अनुत्तीर्ण अथवा रोके गये परीक्षार्थियों के विषय परिवर्तन विशेष परिस्थिति में परिषद् मुख्यालय से किये जा सकते हैं । परीक्षा आवेदन-पत्र सचिव के पास अग्रसारित कर देने के पश्चात् विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं है ।

छात्रों का प्रवेश एवं प्रोन्नति :-

कोई छात्र जिसने मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षा नहीं पायी अथवा अगली कक्षा में प्रोन्नत होने के पूर्व संस्था छोड़ दी अथवा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा की अनुमति के बाद भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सका, वह कक्षा 10 अथवा 12 में प्रवेश प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा । संस्था के प्रधान द्वारा प्रोन्नत करने का प्रत्येक निर्णय जनवरी के अंत तक अन्तिम रूप से कर लिया जायेगा ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी के प्रवेश के लिये नियम :-

1. व्यक्तिगत परीक्षार्थी पंजीकरण केन्द्र के माध्यम से 14 अगस्त तक शुल्क सहित आवेदन-पत्र सचिव के पास प्रेषित करेगा
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा या हाईस्कूल प्राविधिक परीक्षा या परिषद् द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र, तथा

    (क) परीक्षार्थी की अंतिम संस्था की छात्र-पंजी तथा

    (ख) पत्राचार पाठ्यक्रम में अनुसरण सम्बन्धी संस्था का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

अशुद्ध तथा अपूर्ण आवेदन-पत्र को अग्रसारण न करने का अधिकार अग्रसारण अधिकारी को होगा । व्यक्तिगत परीक्षार्थी यदि कहीं कार्यरत हैं तो अपने अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा । अग्रसारण अधिकारी का पारिश्रमिक प्रत्येक छात्र की दर से 4 रूपये होगा, जिसमें से एक रूपये पचास पैसे सहायता करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जायेगा ।

परिषद् की परीक्षाओं के लिये ली जाने वाली शुल्क का विवरण :-

परिषद् की स्थापना काल से लेकर अद्यावधि तक परिषद् की परीक्षाओं हेतु निमित्त शुल्क में कई बार संशोधन किये गये । अंग्रांकित तालिका में 'सन् 1923-24 में निर्धारित परीक्षा शुल्क की दरों की तुलना सन् 1992-93 की परीक्षा शुल्क की दरों से की जा रही है -

क्रमांक	परीक्षा/ विषय	परीक्षा शुल्क (रू0) सन् 1923-24	परीक्षा शुल्क(रू0) सन् 1992-93
1.	हाईस्कूल परीक्षा		
	(क) संस्थागत परीक्षार्थी	15.00	80.00
	(ख) व्यक्तिगत परीक्षार्थी	20.00	100.00

क्रमांक	परीक्षा / विषय	परीक्षा शुल्क (रू0) सन् 1923-24	परीक्षा शुल्क(रू0) सन् 92-93
2.	इण्टरमीडिएट परीक्षा		
	(क) संस्थागत परीक्षार्थी	25.00	90.00
	(ख) व्यक्तिगत परीक्षार्थी	30.00	150.00
3.	कॉमर्सियल डिप्लोमा		
	(क) संस्थागत परीक्षार्थी	25.00	-
	(ख) व्यक्तिगत परीक्षार्थी	30.00	-
4.	एक विषय परीक्षा	05.00	15.00
5.	एक से अधिक विषय में परीक्षा	05.00 प्रति विषय	15.00 प्रति विषय
6.	संनिरीक्षा शुल्क	10.00 प्रति विषय	20.00 प्रति विषय
7.	(अ) इण्टरमीडिएट कृषि भाग-1		
	(क) संस्थागत		80.00
	(ख) व्यक्तिगत		150.00
	(ब) इण्टरमीडिएट कृषि भाग - 2		
	(क) संस्थागत		80.00
	(ख) व्यक्तिगत		150.00
8.	(अ) इण्टरमीडिएट परीक्षा अंग्रेजी		25.00
	(ब) इण्टरमीडिएट परीक्षा शेष विषय		100.00

न्यूनतम आयु :-

14 वर्ष की आयु के बाद ही कोई अभ्यर्थी हाईस्कूल की परीक्षा के लिये पात्र होगा ।

परीक्षक की योग्यता :-

(अ) **हाईस्कूल परीक्षा के लिये :-**

1. कम से कम पाँच वर्ष का शिक्षण/प्रशासनिक/निरीक्षण अनुभव आदि।
2. प्रायोगिक परीक्षकों की कमी की पूर्ति अर्ह प्रक्टिकल डिमांस्ट्रेटर से की जाय ।
3. संगीत में नेत्रहीन अर्ह व्यक्ति को परीक्षक बनाया जाय ।

(ब) **इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये :-**

कम से कम 5 वर्ष की सेवा अवधि वाले प्रशिक्षण/तकनीकी/विश्वविद्यालय/इण्टरकालेज के प्राध्यापक/प्रधानाचार्य (अथवा) शिक्षा विभाग के निरीक्षक/उपनिरीक्षक अथवा विभाग के अन्य अधिकारी जो इनके तुल्य हों तथा जिनकी सेवा अवधि कम से कम पाँच वर्ष हो ।

परीक्षा व्यवस्था में संशोधन :-

परिषद् अपनी परीक्षाओं को वैध, विश्वसनीय तथा न्यायसंगत बनाने के लिये शुरू से ही प्रयासरत रही है । इसके लिये इसके विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर जो संशोधन किये गये हैं, वो निम्नवत् हैं :-

1. सन् 1959 में प्रो0 हबीबुल रहमान की अध्यक्षता में एक सुधार समिति का गठन किया गया। इसी वर्ष केन्द्र व्यवस्थापकों को जन सेवक घोषित कर सीमित समय के लिये मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किये गये ।
2. मई 1959 में परिषद् में एक "एक्जामिनेशन यूनिट" की स्थापना की गयी ।
3. सन् 1961 में हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा के अंग्रेजी तथा इतिहास के प्रश्नपत्रों में महत्वपूर्ण परितर्वन एवं सुधार किये गये ।
4. सन् 1968 से हाईस्कूल परीक्षा में विज्ञान विषय में प्रयोगात्मक परीक्षा प्रारम्भ की गयी तथा वस्तु निष्ठ प्रश्नों का समावेश किया गया ।
5. सन् 1970 की परीक्षाओं से इण्टरमीडिएटस्तर पर चार विषय के स्थान पर पाँच विषय में परीक्षा ली जाने लगी ।
6. सन् 1972 में परिषद् के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुयी ।
7. सन् 1974-75 से केन्द्रीय मूल्यांकन प्रारम्भ किया गया ।
8. सन् 1975 में पुस्तकों का राष्ट्रीकरण प्रारम्भ किया गया ।

9. सन् 1975 की परीक्षा से प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को परिषद् द्वारा विशेष सुविधा की व्यवस्था की गयी ।
10. सन् 1976 में "पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन इकाई" की स्थापना की गयी ।
11. सन् 1976 में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिये आदर्श प्रश्नपत्रों का निर्माण कराया गया ।
12. सन् 1977 में विभिन्न विषयों के परीक्षाफलों के विश्लेषण का कार्य प्रारम्भ किया गया ।
13. सन् 1978 से परीक्षाफल कम्प्यूटर द्वरा तैयार कराया गया ।
14. सन् 1981 में हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षायें संस्थागत तथा व्यक्तिगत अलग-अलग सम्पन्न कराई गयीं ।
15. सन् 1984 में "प्रतिभा प्रसून" नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया ।
16. सन् 1984 की परीक्षाओं से हाईस्कूल स्तर पर पाँच विषय के स्थान पर सात विषय कर दिये गये ।
17. सन् 1985 से पूरक परीक्षा समाप्त कर दी गयी ।
18. सन् 1986 से हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षायें पुनः साथ-साथ आरम्भ की गयीं ।
19. सन् 1988-89 से सन् 1985-86 से प्रारम्भ की गयी कक्षा 9 की गृह परीक्षाओं की सपुस्तक परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गयी ।
20. सन् 1992 में उत्तर प्रदेश सावर्जनिक परीक्षा (अनुसूचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 1992 जारी किया गया ।

परीक्षण तथा प्रश्नपत्रों का विश्लेषण :-

परिषद् द्वारा हाल ही के दो दशकों में विज्ञान तथा गणित के प्रश्नपत्रों में विशेष परितर्वन किये गये । हाईस्कूल स्तर पर अंग्रेजी, इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं गृह विज्ञान के प्रश्नपत्रों में विशेष परिवर्तन एवं सुधार किये गये । इसी प्रकार इण्टरमीडिएट स्तर में समाजशास्त्र, कृषि तथा भूगोल के प्रश्न-पत्र में परिष्करण तथा परिवर्तन किया गया । प्रारम्भ में परिषद् की परीक्षाओं में सभी विषयों के प्रश्नपत्रों में निबन्धात्मक प्रश्नों का बोल बाला था लेकिन वर्तमान में परिषद् की परीक्षाओं के प्रश्नपत्र ब्लूम की टेक्सोनॉमी पर आधारित होते हैं, जिससे प्रत्येक प्रश्नपत्र में निबन्धात्मक, लघुउत्तरीय एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समुचित समावेश रहता है ।

परीक्षाफल :-

परिषद् की स्थापना से लेकर अद्यावधि तक के सात दशकों में परिषद् की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुयी है । संस्थागत एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार के परीक्षार्थियों की औसत वार्षिक वृद्धि दर हमेशा बढ़ती ही रही है । परीक्षार्थियों के परीक्षाफल का प्रतिशत घटता बढ़ता रहा है ।

सन् 1925 में परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा में कुल 6368 परीक्षार्थी सम्मलित हुये, जिनमें 61.27% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुये तथा सन् 1946 में इस परीक्षा में कुल 27,272 परीक्षार्थी सम्मलित हुये, जो 1925 की तुलना में 4.28 गुना है, इनका परीक्षाफल 62.8% रहा ।

सन् 1924 में परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा में 1,702 परीक्षार्थी बैठे, जिनका परीक्षाफल 53.9% रहा तथा सन् 1946-47 की परीक्षा में 10,392 परीक्षार्थी बैठे, जो 1924 की तुलना में 6.11 गुना थे, इनमें से 65.4% परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किये गये ।

परिषद् की एग्रीकल्चरल डिप्लोमा तथा इण्टर एक्जॉमिनेशन इन एग्रीकल्चर में सन् 1926 में मात्र 2 परीक्षार्थी बैठे और दोनों ही उत्तीर्ण हुये तथा सन् 1946 में इस परीक्षा में 356 यानी 1926 की तुलना में 178 गुना परीक्षार्थी बैठे तथा इनका परीक्षाफल 46.3% रहा ।

कॉमर्सियल डिप्लोमा एक्जॉमिनेशन तथा इण्टर एक्जॉमिनेशन इन कॉमर्स में सन् 1925 में 249 परीक्षार्थी सम्मलित हुये जिनका परीक्षाफल 66.2% रहा तथा इस परीक्षा में सन् 1946 में कुल 1402 परीक्षार्थी बैठे जो 1925 की तुलना में 5.63 गुना थे, इनका परीक्षाफल 70.3% रहा ।

सन् 1947 में परिषद् की परीक्षाओं में कुल 45,632 परीक्षार्थी सम्मलित हुये, जिनमें 62.58 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुये, जबकि 1990 की परीक्षाओं में कुल 23,54,617 परीक्षार्थी सम्मलित हुये जो 1947 की तुलना में 51.6 गुना हैं, इनका परीक्षाफल 50.54 प्रतिशत रहा । सन् 1992 की परीक्षा में इस वर्ष नकल विरोधी अध्यादेश पारित हो जाने के कारण परीक्षार्थियों की संख्या में कुछ कमी आयी । इस वर्ष परिषदीय परीक्षाओं में कुल 22,66,415 परीक्षार्थी ही सम्मलित हुये ।

सन् 1947 में परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा में कुल 31,506 परीक्षार्थी बैठे, जिसमें 63.28 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुये तथा सन् 1990 की परीक्षा में कुल 16,05,384 परीक्षार्थी

सम्मलित हुये जो 1947 की तुलना में 50.9 गुना हैं, इनका परीक्षाफल 44.21 प्रतिशत रहा । सन् 1992 में इस परीक्षा में सम्मलित परीक्षार्थियों की संख्या में कुछ कमी आयी । इस वर्ष कुल 15,09,928 परीक्षार्थी ही परीक्षा में सम्मलित हुये तथा केवल 14.7 प्रतिशत ने ही परीक्षा उत्तीर्ण की ।

परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सन् 1947 में कुल 14,126 परीक्षार्थी सम्मलित हुये जिनमें से 61.03% परीक्षार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुये जबकि सन् 1990 की इण्टरमीडिएट की परीक्षा में कुल 7,49,233 परीक्षार्थी सम्मलित हुये जो सन् 1947 की तुलना में 53.04 गुना थे । इस वर्ष इस परीक्षा में 64.10 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किये गये । इस परीक्षा में सन् 1992 में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या में कुछ कमी आयी है जिसका कारण इस वर्ष पारित नकल विरोधी अध्यादेश रहा है । इस वर्ष इण्टरमीडिएट की परीक्षा में कुल 6,96,487 परीक्षार्थी बैठे जिनमें से मात्र 30.38 प्रतिशत परीक्षार्थी ही उत्तीर्ण हो पाये ।

परिषदीय परीक्षाओं में स्वतंत्रता के पश्चात् सन् 1947 से सन् 1992 तक की समयावधि में सन् 1949 की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत सबसे अधिक रहा । इस वर्ष 67.56% परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किये गये । सन् 1950 में उत्तीर्ण प्रतिशत घटकर 53.38% रह गया । इसके बाद परिषद् की परीक्षाओं का परीक्षाफल सन् 1990 तक 40% से 55% के मध्य घटता-बढ़ता रहा है । सन् 1992 का परिषद् का परीक्षाफल अभी तक का सबसे गिरा हुआ परीक्षाफल रहा है । इस वर्ष मात्र 19.52% परीक्षार्थी ही उत्तीर्ण हो पाये हैं । इतने गिरे हुये परीक्षाफल का कारण इस वर्ष नकल विरोधी अध्यादेश लागू हो जाना रहा है । सन् 1992 के परीक्षाफल से साफ जाहिर हो रहा है कि परिषद् की परीक्षाओं में नकल का प्रभाव बहुत बढ़ गया है । यद्यपि परीक्षाफल गिरने के अन्य कारण भी हैं, जैसे - उचित शिक्षा व्यवस्था का अभाव, अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों की कमी, विद्यालयीय वातावरण का दूषित होना, परीक्षा पद्धति का उचित न होना आदि आदि । लेकिन इन कारणों एवं कारकों की उपस्थिति के बावजूद भी परीक्षाफल 50% के आस-पास रहता था, अतएव इतने गिरे हुये परीक्षाफल के लिये नकल की प्रवृत्ति ही प्रमुख कारण कही जा सकती है ।

प्रस्तुत शोध का योगदान :-

नीति निर्धारण, प्रशासन, वित्तीय व्यवस्था, सुनियोजन तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आवश्यक आंकड़ों एवं आधार सामग्री का अपना विशिष्ट स्थान एवं महत्व हैं ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के तथ्य और प्रदत्त यत्र-तत्र बिखरे पड़े थे । कुछ तथ्यों का कहीं भी उल्लेख नहीं हो पाया था और वह विस्मरण के गर्त में जा रहे थे । इस शोध में बिखरे तथ्यों एवं प्रदत्तों को एकत्रकर उनको क्रमबद्ध वर्गीकृत करके सारणीबद्ध किया गया है तथा अर्थपूर्ण तार्किक विवेचन एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गये हैं । और उन निष्कर्षों के आधार पर उपयुक्त सुझाव सुझाये गये हैं । सात दशकों के तथ्यों तथा प्रदत्तों का यह एक महत्वपूर्ण लॉगीट्यूडिनल अध्ययन है, जिसमें संगठन, प्रशासन तथा वित्तीय-व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डालकर माध्यमिक शिक्षा परिषद् का समवेत एवं आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है । यह अध्ययन माध्यमिक शिक्षा परिषद् सम्बन्धी नीति नियमन, उसकी परीक्षा संचालन, कुशल प्रशासन तथा सुदृढ़ वित्तीय-व्यवस्था हेतु उपयोगी सिद्ध होगा ।

-: सुझाव :-

इस अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त हुये हैं, उनके आधार पर कुछ सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं । इनके क्रियान्वयन से माध्यमिक शिक्षा परिषद् का संगठन एवं प्रशासन प्रभावशाली तथा इसकी वित्तीय-व्यवस्था सुदृढ़ और संतुलित हो सकेगी ।

परिषद् के सुसंगठन के लिये सुझाव :-

1. परिषद् में 'पहाड़ी क्षेत्र' में स्थित माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के लिये स्थान आरक्षित किये जायें ।
2. परिषद् के संगठन में सरकारी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व अधिक परिलक्षित हो रहा है अतः अर्ध सरकारी संस्थाओं के संस्थापकों एवं प्रशिक्षण महाविद्यालयों को महत्व देते हुये उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये ताकि परिषद् का सरकारीकरण समाप्त हो सके ।
3. परिषद् का गठन प्रजातांत्रिक तरीके से किया जाय ।
4. परिषद् में उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व अधिक है, जिनका सम्बन्ध माध्यमिक शिक्षा से नहीं है अतः माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाय ।
5. देश की मौजूदा परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये परिषद् के गठन में पिछड़ी जाति के प्रतिनिधियों के लिये स्थान आरक्षित किये जायें ।
6. परिषद् के सदस्यों की पदावधि पाँच वर्ष कर दी जाय ।

परिषद् के प्रशासन को कुशल एवं प्रभावी बनाने हेतु सुझाव :-

1. सुविधा एवं कुशल संचालन हेतु परिषद् का और विकेन्द्रीकरण किया जाय । एक क्षेत्रीय कार्यालय 'पहाड़ी क्षेत्र' (हिल एरिया) में अवश्य स्थापित किया ।
2. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक अपर सचिव प्रशासन का पद अलग से सुनिश्चित किया जाय, जो सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था के लिये उत्तरदायी हो ।
3. क्षेत्रीय कार्यालयों के भवन स्वतन्त्ररूप से निर्मित किये जायें ताकि स्थानाभाव न रहे ।
4. परिषद् के पुस्तकालय को इस तरह सुसज्जित किया जाय ताकि परिषद् से सम्बन्धित सभी आवश्यक साहित्य वहाँ उपलब्ध हो सके ।
5. जिन विद्यालयों का समुचित परीक्षण करके परिषद् मान्यता के अनुपयुक्त घोषित कर दे, उन विद्यालयों को सरकार द्वारा अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर मान्यता प्रदान नहीं करना चाहिये।
6. परिषद् द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये ठोस प्रयास किये जायें तथा मानकों को उन्नत बनाया जाय । इसके लिये परिषद् द्वारा विद्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करवाया जाय।
7. माध्यमिक शिक्षा परिषद् को एक स्वायत्तशासी संस्था निर्मित करने पर शासन विचार करे ।

परिषद् की आय बढ़ाने सम्बन्धी सुझाव :-

1. प्रदेश के शिक्षा बजट में माध्यमिक शिक्षा परिषद् के लिये एक निश्चित अनुपात निर्धारित कर दिया जाय ।
2. केन्द्र द्वारा परिषद् को अनुदान दिया जाना चाहिये ।
3. परिषद् की अक्षय निधि बढ़ाई जाय ।
4. परीक्षा शुल्क में पाँच वर्षो के अन्तराल में वृद्धि का अनुपात निश्चित कर दिया जाय, जो स्वंमेव बढ़ जाय ।
5. राज्य सरकार द्वारा परिषद् को अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जाय ।
6. शिक्षक-अभिभावक संघ से प्राप्त होने वाली धनराशि का एक प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा परिषद् को उपलब्ध कराया जाय ।

परिषद् के व्यय को अधिक सार्थक बनाने हेतु सुझाव :-

1. आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय में एक निश्चित अनुपात होना चाहिये ।
2. कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करके परिषद् के कुल व्यय में वेतन पर व्यय का प्रतिशत कम से कम 10% अवश्यक कायम रखा जाय ।'

3. कुल बजट में विकासात्मक व्यय (डेवलपमेंट एक्सपेंन्डीचर) का अनुपात बढ़ाया जाय ।
4. परीक्षकों, केन्द्र व्यवस्थापकों, पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक एवं मँहगाई भत्ते में वृद्धि की जायेताकि मूल्यांकन व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके ।
5. आयोजनेत्तर व्यय में वृद्धि की जाय ।

परिषदीय परीक्षाओं को वैध, विश्वसनीय एवं सार्थक बनाने हेतु सुझाव :-

1. परिषदीय परीक्षाओं के प्रश्नपत्र निर्माताओं तथा परिमार्जकों की बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाय ।
2. मूल्यांकन में सुधार के लिये शिक्षणस्तर में सुधार करना आवश्यक है, इसलिये शिक्षण-स्तर में सुधार हेतु प्रत्येक जनपद में एकेडमिक निरीक्षकों एवं सहनिरीक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था की जाय ।
3. परीक्षा शुल्क में वृद्धि के साथ-साथ परीक्षकों के पारिश्रमिक में भी उसी अनुपात में वृद्धि सुनिश्चित की जाय ।
4. चूंकि आज ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यकी का प्रयोग बढ़ रहा है अतः यह आवश्यक है कि लड़कियों को भी हाईस्कूल स्तर पर गणित शिक्षण अनिवार्य कर दिया जाय ।
5. हाईस्कूल स्तर पर इस समय 69 वैकल्पिक विषय हैं । इसलिये इनकी संख्या या तो कम कर दी जाय या फिर इण्टरमीडिएट स्तर पर भी प्रत्येक वैकल्पिक विषय के शिक्षण की व्यवस्था की जाय ।
6. हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर पर विभिन्न नवाचारों सहित सतत् एवं अन्तरव्यापक आंतरिक मूल्यांकन लागू किया जाय ।
7. कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 में सत्र के अंत में परिषद् द्वारा परीक्षायें सम्पादित की जायें, जिस हेतु कक्षानुसार पाठ्यक्रम विभाजित कर दिया जाये और यदि आवश्यक हो तो पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाय ।
8. विषयवार परीक्षाफल घोषित किया जाय तथा अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग व्यवस्था प्रारम्भ की जाय, इसके लिये शिक्षकों एवं परीक्षकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाये । यही व्यवस्था देश की सभी शिक्षा परिषदें अपनायें, ऐसा प्रयास किया जाय ।
9. परिषदीय परीक्षाओं में परिमार्जित निबन्धात्मक प्रश्नों को समुचित महत्व दिया जाय ताकि

छात्रों में अभिव्यक्ति की दक्षता सुचारूरूप से विकसित हो सके, तथा इन प्रश्नों के उत्तरों के मूल्यांकन के लिये वस्तुनिष्ठ तकनीकी खोजी जाय ।

10. परीक्षाओं को ठीक ढंग से सम्पादित करने में जिन विद्यालयों ने समाज में प्रतिष्ठा तथा ख्याति अर्जित की हो उन विद्यालयों की आर्थिक सहायता में वृद्धि की जाय और जो विद्यालय परीक्षा संचालन में अनियमितता बरतने तथा नकल अध्यादेश, 1992 के प्राविधानों के विपरीत कार्य करने के लिये दोष पाये जायें उनकी आर्थिक सहायता में कटौती की जाय एवं विषम परिस्थितियों में ऐसे विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी जाय ।

11. समाज में व्याप्त धारणा के आधार पर कम्प्यूटर में पायी जाने वाली लिपकीय अशुद्धियों को दूर करने के उद्देश्य से कम्प्यूटर द्वारा परीक्षाफल तैयार करते समय अत्यधिक सतर्कता बरती जाय ।

12. सामूहिक नकल के लिये बदनाम केन्द्रों को किसी भी दशा में परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

13. मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार किया जाय इसके लिये केन्द्रीय मूल्यांकन के लिये सिर्फ माध्यमिक स्तर के अध्यापकों को ही बुलाया जाय तथा उनकी संख्या में वृद्धि की जाये ताकि उन पर अनावश्यक भार न पड़े और वे मूल्यांकन सामान्य मानसिक स्थिति में रहकर कर सकें ।

14. शासन द्वारा प्राख्यापित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 1992 को प्रभावी बनाये रखा जाय । इसके लिये सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की सुविधा प्रदान कर उनकी निष्ठा को कायम रखा जाय, क्योंकि इसे सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्णस्थान शिक्षक-वर्ग का ही है ।

भावी शोध हेतु सुझाव :-

इस अनुसंधान से कुछ ऐसे विषयों का संकेत मिलता है, जिन पर विस्तृत शोध की जा सकती है -

1. देश की विभिन्न माध्यमिक शिक्षा परिषदों की वित्तीय-व्यवस्था का अध्ययन ।
2. देश की विभिन्न माध्यमिक शिक्षा परिषदों की वित्तीय-व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन ।
3. प्रत्येक राज्य की माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वित्तीय-व्यवस्था का अलग-अलग अध्ययन ।
4. देश की विभिन्न माध्यमिक शिक्षा परिषदों के संगठन का अध्ययन ।
5. देश की विभिन्न माध्यमिक शिक्षा परिषदों के संगठन का तुलनात्मक अध्ययन ।

6. प्रत्येक राज्य की माध्यमिक शिक्षा परिषद् के संगठन का अलग-अलग अध्ययन ।
7. देश की विभिन्न माध्यमिक शिक्षा परिषदों के प्रशासन का अध्ययन ।
8. देश की विभिन्न माध्यमिक शिक्षा परिषदों के प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन ।
9. प्रत्येक प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद् के प्रशासन का अध्ययन ।
10. बेसिक शिक्षा परिषद्,उत्तर प्रदेश का प्रशासन एवं वित्तीय व्यवस्था ।

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची तथा परिशिष्ट

संदर्भ-ग्रन्थ - सूची

अग्निहोत्री, रवीन्द्र	आधुनिक भारतीय शिक्षा - समस्यायें और समाधान जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1987
अग्रवाल, जे0 सी0	नयी शिक्षा नीति दिल्ली : प्रभात प्रकाशन, 1986
कुदेशिया, उमेशचन्द्र	शिक्षा प्रशासन आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर, 1986
जैन, किशनचन्द्र	शैक्षिक संगठन, प्रशासन तथा पर्यवेक्षण जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1976
मलैया, के0 सी0 और मलैया विद्यावती	शिक्षा प्रशासन एवं पर्यवेक्षण भोपाल : मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1974
मिश्र, आत्मानन्द (अनुवादक - अग्निहोत्री)	शिक्षा की वित्तीय-व्यवस्था भोपाल : मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1974
मिश्र, आत्मानन्द	शिक्षा का वित्त-प्रबन्धन कानपुर : ग्रन्थम प्रकाशन, 1976
मिश्र, आत्मानन्द	शिक्षा की समस्यायें, भोपाल : मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1978
मिश्र, माधवी	उत्तर प्रदेश में शिक्षा (1858-1900) लखनऊ : मनोहर प्रकाशन, 1972
मुखोपाध्याय, श्रीधरनाथ	भारतीय शिक्षा का इतिहास बड़ौदा : आचार्य बुक डिपो, 1961
शर्मा, आर0 ए0	शिक्षा अनुसंधान मेरठ : लायल बुक डिपो, 1985-86
सिन्हा, एच0 सी0	शैक्षिक अनुसंधान नयी दिल्ली : विकास पब्लिशिंग हाउस, 1979
सुखिया, एस0 पी0	विद्यालय प्रशासन एवं संगठन आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर, 1976
वशिष्ठ के0 के0 और शर्मा डी0 एल0	भारतीय शिक्षा की नयी दिशा मेरठ : लायल बुक डिपो, 1987

शिक्षा - कोश

गाबा, ओम प्रकाश — सामाजिक विज्ञान-कोश
दिल्ली : आर0 बी0 पब्लिशिंग हाउस, 1984

जायसवाल, सीताराम — शिक्षा विज्ञान-कोश
दिल्ली : राजकमल प्रकाशन

मिश्र, आत्मानन्द — शिक्षा - कोश
कानपुर : ग्रन्थम प्रकाशन, 1977

बुल्के, फादरकामिल — अंग्रेजी-हिन्दी-कोश
नयी दिल्ली : एस0 चाँद एण्ड सन्स, 1986

शिक्षा-परिभाषा-कोश
नयी दिल्ली : शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, 1977

शासकीय प्रतिवेदन :-

(अ) **केन्द्रीय**

शिक्षा की चुनौती - नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य
नयी दिल्ली : शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 1985

भारत में शिक्षा (1979-80)
नयी दिल्ली : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 1987

(ब) **राज्य**

राज्य में शिक्षा के आँकड़े (1975-76 से 1985-86)
इलाहाबाद : शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश

शिक्षा विभाग का कार्य-पूर्ति दिग्दर्शक (आय-व्ययक) (1975-76 से 1992-93)
लखनऊ : उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

'माध्यम' अंक - 3
इलाहाबाद:शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 1987

उत्तर प्रदेश-1976
लखनऊ : सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा (1986-87)
लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य नियोजन संस्थान

शिक्षा की प्रगति, 1955
इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग

शिक्षा की प्रगति, 1960 और 1961
उत्तर प्रदेश : शिक्षा पत्रिका विभाग, शिक्षा संचालक कार्यालय

शिक्षा की प्रगति, 1965 से 1991-92
इलाहाबाद : शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश आय-व्यय की रूपरेखा
(1950-51 से 1990-91)
लखनऊ : उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग

'परीक्षाफल एक दृष्टि में'
(1988 हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा)
इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, 1988

हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश का कैलेंडर (1966-69)
इलाहाबाद : अधीक्षक राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत), 1968

उत्तर प्रदेश में परीक्षा - सुधार (माध्यमिक स्तर पर)
इलाहाबाद, एन0 सी0 ई0 आर0 टी0, 1989

नयी शिक्षा नीति (राज्य स्तरीय विचार गोष्ठी)
'सुझाव एवं संस्तुतियाँ'
लखनऊ : शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 1985

उत्तर प्रदेश 'वार्षिकी' (1986-87)
लखनऊ : सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, 1988

उत्तर प्रदेश शासन के आय-व्यय (बजट) के ब्योरेवार अनुमान
(1950-51 से 1992-93)
इलाहाबाद: अधीक्षक राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश 'नियम-संग्रह'
(1972-78)
इलाहाबाद : अधीक्षक राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उत्तर प्रदेश (भारत), 1980

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश 'नियम संग्रह'
(1983-88)
इलाहाबाद : निदेशक राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उत्तर प्रदेश (भारत), 1991

संयुक्त प्रान्तीय सरकार के सन् 1948-49 के आय-व्ययक
(बजट) के अनुमानों पर स्मृति-पत्र
इलाहाबाद : सुपिरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग व स्टेशनरी, संयुक्त प्रान्त
(इण्डिया), 1948

संयुक्त प्रान्तीय सरकार के 1949-50 के बजट के तखमीनों
पर स्मृति-पत्र
इलाहाबादः सुपरिन्टेन्डेन्टप्रिंटिंग व स्टेशनरी, संयुक्त प्रान्त
(इण्डिया), 1949

पत्र - पत्रिकायें -

शिक्षा विवेचन (हेमन्त, 1987 अंक)
नयी दिल्ली : भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय

शिक्षक (अक्टूबर, 1992)
सुल्तानपुर : विवेक प्रिंटर्स 1992

कल्याण (शिक्षांक) संख्या-1, वर्ष-62
गोरखपुर : गीता प्रेस, 1988

शिक्षा (1950-58)
लखनऊ : सरस्वती प्रकाशन, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

आज (दैनिक) कानपुर

दैनिक जागरण (दैनिक) कानपुर

BIBLIOGRAPHY

Adaval, S.B. — The Third Indian Year Book of Education, New Delhi : N.C.E.R.T., 1968.

Aggarwal, J.C. — Educational Administration, Inspection, Planning and Financing in India. New Delhi Arya Book Depot, 1972.

Barnard, Chester I. — The Function of the exicutive Cambrise : Mass Harward University Press, 1938.

Best, John W. — Research in Education New Delhi : Printice Hall of India Pvt. Ltd., 1977.

Bhargava, M.L. — History of Secondary Education in Uttar Pradesh. Lucknow : Superintendent Printing and Stationary, Uttar Pradesh (India), 1958

Bhatnagar, R.P. & Agrawal Vaidya — Educational Administration Meerut : Loyal Book Depot, 1986.

Butlar, Lord — Survival depends on higher Education. New Delhi : Vikas Publication, 1971.

Buch, M.B. — A Survey of Research in Education. Baroda Centre of Advanced Study in Psychology and Education, 1974.

Buch, M.B. — Second Survey of Research in Education (1972-78). Baroda : Society for Education. Research and Development, 1979.

Buch, M.B. — Third Survey of Research in Education (1978 -83). New Delhi : N.C.E.R.T., 1987.

Buch, M.B. — Fourth Survey of Research in Education (1983-88). Volume I and Volume II. New Delhi : N.C.E.R.T., 1991.

Compbell, Ronald, Corabally J.E. and Sair J. Ram — Introduction to Educational Administration. Alen and Beken, 1959.

Dave, R.H. — Minimum level of learning. New Delhi : Ministry of Human Resources Development (India), 1991.

Douglas, H.R. — Organization and Administration of the Secondary School. New York : Guin & Company, 1945.

Dutta, U.C. — Educational Survey of Uttar Pradesh. Allahabad : The Indian Press Pvt. Ltd., 1957.

Galfo, J. Armond — Interpreting Educational Research. Dubuque: Lowa Wm.C. Brown Company Publisher, 1978.

Good, Carter V., Bar, A.S. and Scates, D.E. — Methodology of Educational Reasearch. New York : Apilton Centuary Crafts, 1935.

Gupta, L.D. — Educational Administration, New Delhi, Bombay and Calcutta : Oxford & IBH Publishing Company Pvt. Ltd., 1987.

Kaul, Lokesh — Methodology of Educational Research. New Delhi Vani Educational Books, 1984.

Kerlinger, F.N. — Foundation of Behavioural Research. Delhi: Surjeet Publication, 1978.

Khan Sarif and Khan Saleem — Educational Administration. New Delhi : Ashish Publishing House, 1980.

Khanna, S.D., Saxena V.K., Lamba, T.D. and Murthy, V. — Educational Administration, Planning, Supervision and Financing . New Delhi : DOBA House, 1989.

Kumar, Grija and Others — Bibliography. New Delhi : Vikas Publishing House, 1981.

Kurk, William — The North Western Provinces of India - Their History, Athology and Administration. London, 1897.

Marphet, Adgar, L. and Others. — Educational Organization and Administration. Newjursey : Prentice Hall, 1967.

Mishra, Atmanand — Financing Education in India. Allahabad : Garg Brothers, 1959.

Mishra, Atmanand — Educational Financing in India. Bombay : Asia Publishing House, 1962.

Mishra, Atmanand — The Financing of Indian Education. Bombay : Asia Publishing House, 1967.

Mishra, Atmanand — Education and Finance. Gwalior : Kailash Pustak Sadan, 1979.

Mukherjee, S.N. — History of Education in India. Baroda : Acharya Book Depot, 1974.

Mukherjee, S.N. — Administration of Education in India. Baroda : Acharya Book Depot, 1964.

Pal, S.K. and Saxena, P.C. — Quality Control in Educational Research. New Delhi : Metropolian book Company, 1985.

Sears, J.B. — The Nature of Administrative Process with special reference to school administration. New York : London McGraw Hill Company, 1956.

Shah, A.B. — Educational Finance. Bombay : Indian Committee for Cultural and Freedom, 1966.

Sharma, M.L. — Educational Reconstruction in Uttar Pradesh. Agra : Aranchalson and Company.

Shukla, P.D. — Administration of Education in India. New Delhi : Vikas Publishing House, 1983.

Sial, B.S. — Education in Uttar Pradesh. Lucknow : Maya Prakashan, 1981.

Tead, Ordway — The Art of Administration. London : McGraw Hill Company, 1951.

Vatwardhan, C.N. — An Introduction to the Study of Educational Administration in India. Poona : Arya Sanskrit Mudralaya.

Verma, M. — An Introduction to Educational and Psychological Research. Bombay : Asia Publishing House, 1965.

Yadav, M.S. and Mitra Shib, K. — Educational Research. (Methodology Perspectives) Baroda : Centre of Advanced study in Education M.S. University.

DICTIONARIES

Bannock, Graham — The Penguin Dictionary of Education. England : Middlesex, 1981.

Daintith, John — Dictionary of Economics. New Delhi : Arnold Heinemann.

Good, Carter. V. — Dictionary of Education. New York : McGraw Hill Book Company, Third Edition, 1973.

Hills, P.J. — A Dictionary of Education. London : Routledge and Kegam Pane, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT COMMISSION, POLICIES AND OTHER PUBLICATION

COMMISSIONS

Report of the Calcutta University Commission (Sadler Commission - 1917).
Delhi : Manager of Publication, Govt. of India, 1919.

Report of the University Education Commission.
New Delhi : Government of India, 1950.

Report of the Secondary Education Commission (1952-53).
New Delhi : Ministry of Education, Government of India, 1953.

Report of the Education Commission (1964-66).
New Delhi : Ministry of Education, Government of India, 1966.

POLICIES

National Policy on Education, 1986.
New Delhi : Ministry of Human Resource Development, 1986.

Programme of Action : National Policy on Education, 1986.
New Delhi : Ministry of Human Resource Development, 1986

OTHER PUBLICATIONS

Education Quarterly
New Delhi : Ministry of Education and Social Welfare.

CEBI Sterling and the Educational Administrators
Peris : UNESCO, 1967

UTTAR PRADESH GOVERNMENT REPORTS, COMMITTEES AND OTHER OFFICIAL PUBLICATION

Annual Report on the Progress of Education in Uttar Pradesh (Part I & II, 1950-51 to 1962-63)

Allahabad : Superintendent, Printing and Stationery, Uttar Pradesh (INDIA).

Report on the Reorganization of Secondary Education in the United Provinces (R.S. Weir Report).

Allahabad : Government Printing and Stationery, United Provinces (INDIA) 1936.

General Report on Public Instruction in the United Provinces (1884 to 1922)

Allahabad : Superintendent, Govt. Printing and Stationery, United Provinces (INDIA).

General Report on Education in United Provinces (1923 to 1950)

Allahabad : Superintendent, Govt. Printing and Stationery, United Provinces (INDIA).

Finance Committee - Statement II

Allahabad : Intermediate Education Board, U.P.

The Educational Code of the United Provinces 1936

Allahabad : Superintendent, Printing and Stationery, United Provinces (INDIA) 1946.

The Education Code of Uttar Pradesh, 1958.

Allahabad : Superintendent, Printing and Sationery, Uttar Pradesh (INDIA), 1963.

Board of High School and Intermediate 'Calender' for the Year 1923-24, 1934-35 and 1949-50.

Allahabad : Under the athourity of the board of High School and Intermediate Education, United Provinces (INDIA).

Government of the United Provinces of Agra and Oudh, Memorandum on the Budget for the Year 1923-24 to 1927-28.

Lucknow : Printed at the Government Branch Press.

Government of the United Provinces of Agra and Oudh, Memorandam on the Budget (1929-30 to 1937-38).

Lucknow : Printed at the Government Branch Press.

Government of the United Provinces, Memorandum on the Budget for the year 1939-40.

Allahabad : Superintendent Printing and stationery, United Provinces (INDIA) 1939.

Government of the United Provinces, Memorandam on the Budget for the year 1946-47 and 1947-48.

Lucknow : Assistant Superintendent Government Branch Press.

RESEARCH PAPERS

Crase, P.F. — Influence of the littary examination system on the development of the Chinies Civilization.
American Journal of Sociology : 35, 1929.

Gray, Rasel, T. — 'Administration'
Article in incyclopedia of Education Research. New York : Chester W. Herrie Mc Million, 1960.

Mishra, A.N. — 'Financial Policy in Education. Published in 'Shiksha', U.P. Government Journal, 1960 Page 73 to 78.

वित्तीय सारणी-1

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की आय-व्यय के आँकड़े

(सन् 1926-27 से 1952-53)(रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	वास्तविक प्राप्ति	वास्तविक व्यय	बचत
1.	1926-27	1,96,929	1,69,324	27,605
2.	1927-28	2,21,103	1,94,577	26,526
3.	1928-29	2,42,409	2,12,679	29,730
4.	1929-30	2,06,218	2,38,593	......
5.	1930-31	2,22,020	2,16,350	6,670
6.	1931-32	2,39,818	2,11,904	27,914
7.	1932-33	2,62,805	2,24,095	38,710
8.	1933-34	2,95,978	2,40,144	55,834
9.	1934-35	3,02,391	2,51,593	50,798
10.	1935-36	3,12,273	2,67,367	44,906
11.	1936-37	3,27,066	2,83,754	43,312
12.	1937-38	3,44,337	2,69,194	75,143
13.	1938-39	3,49,687	2,76,666	70,021
14.	1939-40	3,76,166	2,65,568	1,10,598
15.	1940-41	4,15,338	2,97,833	1,17,505
16	1941-42	4,50,061	3,32,728	1,17,333
17.	1942-43	4,37,787	3,48,879	88,908
18.	1943-44	5,26,500	3,77,336	1,49,163
19.	1944-45	5,91,054	4,66,747	1,24,307
20.	1945-46	6,35,111	6,19,242	65,869
21.	1946-47	8,62,881	6,81,640	1,81,241
22.	1947-48	10,43,916	9,72,368	71,548

23.	1948-49	13,18,728	11,83,054	1,35,674
24.	1949-50	18,56,001	19,36,456	. . . . .
25.	1950-51	28,45,098	21,63,269	6,81,829
26.	1951-52	32,47,754	31,81,157	66,597
27.	1952-53	44,41,499	35,01,006	9,40,493

स्त्रोत :- स्टेटमेंट द्वितीय फाइनेंस कमेटी, इण्टरमीडिएट बोर्ड, यू0 पी0 इलाहाबाद.

वित्तीय सारणी-2

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश का व्यय

(सन् 1936 से 1949)

क्रमांक	वर्ष	कुल व्यय (रूपये)	वृद्धि या कमी (रूपये)	राजकीय फण्ड से	बोर्ड फण्ड से (रूपये)	शुल्क से (रू0)	अन्य स्त्रोत से (रू0)
1.	1936	2,67,367	...	..	..		
2.	1937	2,83,752	+ 16,385	..	..	2,82,574 (99.6)	1,178 (0.4)
3.	1938	2,69,192	- 14,560	..	..	2,68,015 (99.6)	1,177 (0.4)
4.	1939	2,76,667	+ 7,475	..	..	2,76,220 (99.8)	447 (0.2)
5.	1940	2,65,566	- 11,101	..	..	2,64,295 (99.5)	1,271 (0.5)
6.	1941	2,97,833	+ 32,267	..	..	2,97,352 (99.8)	481 (0.2)
7.	1942	3,32,728	+ 34,895	..	..	2,97,352 (99.8)	481 (0.2)
8.	1943	3,48,879	+ 16,151	..	..	3,43,731 (98.5)	5,148 (1.5)
9.	1944	3,77,337	+ 28,458	..	..	3,74,049 (99.1)	3,288 (0.9)
10.	1945	4,66,160	+ 88,823	..	..	4,65,880 (99.94)	280 (0.06)
11.	1946	...	...	..	..	..	..
12.	1947	6,81,640	...	..	..	..	..
13.	1948	9,72,368	+ 2,90,728	..	..	9,72,368(100.0)	..
14.	1949	11,83,054	+ 2,10,686	..	..	11,83,054(100.0)	..

नोट :- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित राशि का कुल योग में प्रतिशत दर्शाया गया है ।

स्त्रोत :- जनरल रिपोर्ट ऑन पब्लिक इन्सट्रक्शन इन दि युनाईटेड प्राविन्सिस् (सम्बन्धित वर्षों की)

वित्तीय सारणी-3

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की स्त्रोतवार आय

(सन् 1953-54 से 1962-63 तक)

(रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	राज्यसरकार	शुल्क	अन्यस्त्रोत	योग
1.	1953-54	...	48,01,299 (100)	...	48,01,299 (100)
2.	1954-55	...	48,99,684 (100)	...	48,99,684 (100)
3.	1955-56	...	56,72,700 (100)	...	56,72,700 (100)
4.	1956-57	6,39,156 (10.6)	53,51,571 (88.5)	52,286 (0.9)	60,43,013 (100)
5.	1957-58	6,00,810 (9.7)	54,81,243 (89.3)	49,912 (1.0)	61,31,965 (100)
6.	1958-59	2,19,975 (3.6)	58,43,660 (95.5)	52,396 (0.9)	61,16,031 (100)
7.	1959-60	1,49,720 (2.1)	67,42,328 (96.2)	1,15,941 (1.7)	70,07,989 (100)
8.	1960-61	...	71,01,805 (98.7)	93,320 (1.3)	71,95,125 (100)
9.	1961-62	...	...	...	86,62,199 (100)
10.	1962-63	10,51,418 (11.36)	82,02,082 (88.64)	....	92,53,500 (100)

नोट :- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित राशि का कुल योग में प्रतिशत दर्शाया गया है ।

स्त्रोत :- एनुअल रिपोर्ट ऑन दि प्रोग्रेस ऑफ इजूकेशन इन उत्तर प्रदेश (सम्बन्धित वर्षों की) इलाहाबाद, सुपिरिन्टेन्डेंट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, उ0 प्र0

वित्तीय सारणी-4

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की स्त्रोतवार आय

(सन् 1976-77 से 1985-86 तक)

(रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	राज्य सरकार	शुल्क	अक्षय निधि तथा अन्य	योग
1.	1976-77	1,07,38,563	4,03,95,792	15,94,073	5,27,28,428
		(20.37)	(76.61)	(3.02)	(100)
2.	1977-78	97,94,215	4,05,74,075	31,48,652	5,35,16,942
		(18.30)	(75.82)	(5.88)	(100)
3.	1978-79	54,51,481	3,53,82,298	1,25,69,249	5,34,03,028
		(10.21)	(66.26)	(23.53)	(100)
4.	1979-80	83,90,793	3,89,11,000	1,28,62,120	6,01,63,913
		(13.95)	(64.67)	(21.38)	(100)
5.	1980-81	96,88,600	4,14,31,000	1,55,12,235	6,66,31,835
		(14.54)	(62.18)	(23.80)	(100)
6.	1981-82	58,36,176	4,24,11,800	1,61,10,000	6,43,57,971
		(9.07)	(65.90)	(25.03)	(100)
7.	1982-83	61,19,788	4,37,85,527	1,62,21,000	6,61,26,315
		(9.26)	(66.21)	(24.53)	(100)
8.	1983-84	67,31,766	4,81,64,080	1,78,43,100	7,27,38,946
		(9.25)	(66.22)	(24.53)	(100)
9.	1984-85	74,04,942	5,29,80,480	1,96,27,410	8,00,12,832
		(9.25)	(66.22)	(24.53)	(100)
10.	1985-86	80,06,778	5,49,97,878	2,01,63,611	8,31,68,267
		(9.63)	(66.13)	(24.24)	(100)

नोट :- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित राशि का कुल आय में प्रतिशत दर्शाया गयाहै ।

स्त्रोत :- 1. एजूकेशन इन इण्डिया (सम्बन्धित वर्षों की) नई दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत

2. राज्य में शिक्षा के आंकड़े (वित्तीय आंकड़े)

3. "इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश

वित्तीय सारणी-5

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश पर मदवार वास्तविक व्यय

(सन् 1922-23 से 1950-51 तक)

(रूपयों में)

	वर्ष	वेतन पर व्यय			भत्ते एवं मानदये पर व्यय	अन्य व्यय	परिषद् पर कुल व्यय
		अधिकारियों के वेतन	कर्मचारियों के वेतन	योग			
1.	1922-23	10,493	8,479	18,972	6,716	15,448	41,136
2.	1923-24	13,577	16,748	30,325	19,403	56,494	1,06,222
3.	1924-25	13,710	20,839	34,549	92,599	47,656	1,74,804
4.	1925-26	17,303	23,414	40,717	12,588	1,15,527	1,68,832
5.	1926-27	...	...	...	...	...	...
6.	1927-28	14,910	27,043	41,953	18,068	1,34,502	1,94,523
7.	1928-29	15,510	29,897	45,407	17,657	1,50,010	2,13,074
8.	1929-30	25,570	30,005	55,575	19,702	1,57,234	2,32,511
9.	1930-31	19,710	31,867	51,577	23,636	1,41,833	2,17,046
10.	1931-32	19,827	30,685	50,512	12,418	1,46,761	2,09,691
11.	1932-33	18,440	29,560	48,000	15,009	1,57,759	2,20,768
12.	1933-34	19,249	30,925	50,174	16,185	1,70,558	2,36,917
13.	1934-35	12,270	29,019	41,289	17,152	1,90,312	2,48,753
14.	1935-36	8,881	34,150	43,031	23,089	2,05,955	2,72,075
15.	1936-37	10,111	35,424	45,535	23,190	2,19,390	2,88,115
16.	1937-38	3,717	30,472	34,189	16,064	2,17,263	2,67,516
17.	1944-45	10,166	41,059	51,225	40,506	3,69,251	4,60,982
18.	1945-46	11,281	43,490	54,771	61,627	4,98,575	6,14,973

19.	1946-47	11,107	45,065	56,172	49,183	5,90,854	6,96,209
20.	1947-48	19,012	48,460	67,472	71,755	8,28,539	9,67,766
21.	1948-49	17,412	72,110	89,522	83,329	10,32,743	12,05,594
22.	1949-50	20,306	94,853	1,15,159	99,949	17,43,789	19,58,897
23.	1950-51	21,027	1,23,596	1,44,623	1,25,600	18,92,834	21,63,057

स्त्रोत :- 1. युनाईटेड प्राविन्सिस् ऑफ आगरा एण्ड अवध के शिक्षा विभाग के बजट (सम्बन्धित वर्षों कें)

लखनऊ, प्रिंटिड एट दि गर्वनमेंट ब्रांच प्रेस

2. युनाईटेड प्राविन्सिस् के शिक्षा विभाग केबजट (सम्बन्धित वर्षों कें)

लखनऊ, प्रिंटिंड एट दि गर्वनमेंट ब्रांच प्रेस

एवं

इलाहाबाद सुपिरिन्टेन्डेन्ट प्रिटिंग एण्ड स्टेशनरीयुनाईटेड प्राविन्सिस् (इण्डिया)

3. उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के बजट (सम्बन्धित वर्षों के)

इलाहाबाद, सुपिरिन्टेन्डेंट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश (भारत)

वित्तीय सारिणी -6

माध्यमिक षिक्षा परिषद् उ0 प्र0 पर कुल व्यय स्वतंत्रता के पश्चात् (रूपयों में)

(सन् 1947-48 से 1990-91 तक)

वर्ष	कुल व्यय
1947-48	9,72,368
1948-49	11,83,054
1949-50	19,36,456
1950-51	21,63,269
1951-52	31,81,157
1952-53	35,01,006
1953-54	48,01,299
1954-55	48,99,684
1955-56	56,72,700
1956-57	60,43,013
1957-58	61,31,965
1958-59	61,16,031
1959-60	70,07,989
1960-61	71,95,125
1961-62	86,62,199
1962-63	92,53,500
1965-66	1,04,48,470
1970-71	1,32,28,500
1975-76	4,48,86,722
1976-77	5,27,28,428

वर्ष	कुल व्यय
1977-78	5,35,16,942
1978-79	5,34,03,028
1979-80	6,01,63,913
1980-81	6,66,31,835
1981-82	6,43,57,971
1982-83	6,61,26,315
1983-84	7,27,38,946
1984-85	8,00,12,832
1985-86	8,31,68,267
1986-87	10,90,85,000
1987-88	10,31,86,000
1988-89	15,03,60,000
1989-90	13,97,50,000
1990-91	16,92,17,000

स्रोत :- 1. ऐजूकेशन इन इण्डिया (सम्बंधित वर्षों कीं)
नई दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

2. उत्तर प्रदेश शासन के व्यय के व्योरेवार अनुमान
(शिक्षा विभाग) (सम्बंधित वर्षों कें)
इलाहबाद, निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

संख्यात्मक सारिणी - 1

बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्य शिक्षा संस्थायें

वर्ष	हाईस्कूल	इण्टरमीडिएट	योग
1922-23	178	28	206
1924-25	186	32	218
1925-26	189	32	221
1926-27	190	32	222
1927-28	188	33	220
1928-29	191	34	225
1929-30	197	34	231
1930-31	205	35	240
1931-32	212	36	248
1932-33	216	36	252
1933-34	227	37	264
1934-35	235	38	273
1935-36	251	40	291
1936-37	254	40	294
1941-42	328	66	394
1949-50	570	167	737
1951-52	1085	520	1605
1952-53	1098	534	1632
गुणावृद्धि	6.17	19.07	7.92

स्रोत :- राधव प्रसाद सिंह "भारत वर्ष तथा उत्तर प्रदेश मेंप्रजातांत्रिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की ऐतिहासिक भूमिका" लखनऊ, हिन्दी साहित्य भंडार ।

संख्यात्मक सारिणी -2

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

(सन् 1947-48 से 1987-88)

क्रमांक	वर्ष	हाईस्कूल			इण्टरमीडिएट			कुल विद्यालय
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	संख्या
1.	1947-48	428	73	501	168	15	183	684
2.	1948-49	477	69	546	226	20	246	792
3.	1949-50	647	124	771	302	30	332	1103
4.	1950-51	749	130	879	344	41	385	1264
5.	1951-52	841	134	975	354	54	408	1383
6.	1952-53	924	167	1091	455	75	530	1621
7.	1953-54	1046	178	1224	509	89	598	1822
8.	1954-55	1108	187	1295	600	101	701	1996
9.	1955-56	1175	197	1372	652	111	763	2135
10.	1956-57	1228	206	1434	701	117	818	2252
11.	1957-58	1277	218	1495	733	125	858	2352
12.	1958-59	1321	226	1547	753	130	883	2430
13.	1959-60	1358	242	1600	765	140	905	2505
14.	1960-61	1404	257	1661	786	148	934	2595
15.	1961-62	1465	268	1733	819	155	974	2707
16.	1962-63	1565	303	1868	852	182	1034	2902
17.	1963-64	1652	319	1971	895	191	1086	3057
18.	1964-65	1709	336	2045	937	201	1138	3183
19.	1965-66	1837	354	2191	1002	214	1216	3407

क्रमांक	वर्ष	हाईस्कूल			इण्टरमीडिएट			कुल विद्यालय
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	संख्या
20.	1966-67	2042	403	2445	1097	237	1334	3779
21.	1967-68	2281	453	2734	1215	260	1475	4209
22.	1968-69	2351	473	2824	1262	270	1532	4356
23.	1969-70	2457	510	2967	1322	284	1606	4573
24.	1970-71	2625	539	3164	1460	303	1763	4927
25.	1971-72	2836	560	3396	1567	314	1881	5277
26.	1972-73	3048	587	3635	1631	316	1947	5582
27.	1973-74	3217	601	3818	1753	328	2081	5899
28.	1974-75	3459	608	4067	1869	360	2229	6296
29.	1975-76	3636	625	4261	1920	363	2283	6544
30	1976-77	3716	630	4346	2001	367	2368	6714
31.	1977-78	3717	632	4349	2002	368	2370	6719
32.	1978-79	4090	685	4775	2183	393	2576	7351
33.	1979-80	3921	666	4587	2172	388	2560	2147
34.	1980-81	4150	692	4842	2386	416	2802	7644
35.	1981-82	4213	695	4908	2459	419	2878	7786
36.	1982-83	4297	698	4995	2492	418	2910	7905
37.	1983-84	4350	720	5070	2539	430	2969	8039
38.	1984-85	4419	720	5139	2571	430	3001	8140
39.	1985-86	4499	739	5238	2610	445	3055	8293
40.	1986-87	4519	720	5239	2591	424	3015	8254
41.	1987-88	4588	729	5317	2680	444	3124	8441

क्रमांक	वर्ष	हाईस्कूल			इण्टरमीडिएट			कुल विद्यालय
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	संख्या
42.	1988-89	4661	742	5403	2734	458	3192	8595
43.	1989-90	4795	759	5554	2830	464	3294	8848
44.	1990-91	4827	762	5589	2912	490	3402	8991
	गुणावृद्धि	11.28	10.44	11.16	17.33	32.67	18.59	13.14

स्रोत :- "शिक्षा की प्रगति " (सम्बंधित वर्षों की) इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश

संख्यात्मक सारिणी -3

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,उ0 प्र0 की हाईस्कूल परीक्षा में सम्मलित परीक्षार्थी तथा उनका परीक्षाफल

(सन् 1925 से 1946 तक)

क्रमांक	वर्ष	सम्मलित परीक्षार्थी			उत्तीर्ण (प्रतिशत)			कृपांक से उत्तीर्ण परीक्षार्थी संख्या
		संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	
1.	1925	6126	242	6368			61.27	
2.	1926	6117	230	6347			53.76	
3.	1927	7062	476	7538			54.87	
4.	1928	7836	920	8756	-	-	54.48	
5.	1929	8353	1232	9585	62.5	26.2	58.10	
6.	1930	7309	1028	8337	59.7	21.5	56.75	
7.	1931	8105	1148	9253	62.0	21.0	56.78	
8.	1932	8876	1229	10105	65.0	27.0	60.90	
9.	1933	9302	1353	10655	57.8	23.5	54.1	
10.	1934	10185	1452	11637	66.6	35.5	63.4	
11.	1935	10744	1893	12637	63.6	29.1	58.7	
12.	1936	11327	2095	13442	55.7	24.0	53.24	
13.	1937	11983	2400	14383	63.32	33.0	58.28	
14.	1938	12133	2745	14878	66.9	31.04	60.3	
15.	1939	12462	2983	15445	70.0	33.4	62.9	
16.	1940	13177	3408	15580	78.4	45.4	72.0	
17.	1941	14010	3600	17610	66.8	35.2	61.4	1,886
18.	1942	14956	4296	19252	69.05	39.27	63.25	1,964

क्रमांक	वर्ष	सम्मलित परीक्षार्थी			उत्तीर्ण (प्रतिशत)			कृपांक से उत्तीर्ण परीक्षार्थी संख्या
		संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	
19.	1943	14556	3956	18512	70.6	41.4	65.4	1858
20.	1944	15620	6636	22256	72.2	41.2	64.2	2160
21.	1945	16869	7793	24662	71.4	39.8	62.8	2282
22.	1946	18695	8577	27292	71.6	38.3	62.8	2632

स्रोत :- "आई0 बी0 स्टेटमेंट्स ऑफ परसेंटेज" कोटेड इन डा0 मोती लाल भार्गव "हिस्ट्री इन एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश" लखनऊ, सुपिरिन्टेंडेंट प्रिंट्रिंग एण्ड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश (इण्डिया), 1958 पृष्ठ -395

संख्यात्मक सारिणी -4

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की हाईस्कूल परीक्षा में सम्मलित परीक्षार्थी तथा उनका परीक्षाफल

(सन् 1947 से 1992 तक)

क्रमांक	वर्ष	पंजीकृत छात्र	परीक्षा में सम्मलित छात्र	परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र	
				संख्या	प्रतिशत
1.	1947	33923	31506	19937	63.28
2.	1948	40299	37126	23204	62.50
3.	1949	52174	48595	33616	69.18
4.	1950	71568	64600	34936	54.08
5.	1951	110581	98534	58234	59.10
6.	1952	124843	111847	57778	51.66
7.	1953	196808	178061	91107	51.17
8.	1954	204357	185910	94361	50.76
9.	1955	218893	200547	94192	46.97
10.	1956	184037	169586	77117	45.47
11.	1957	186828	176202	74423	42.24
12.	1958	197220	186450	98693	52.93
13.	1959	203134	192492	87285	45.34
14.	1960	226370	213868	86123	40.27
15.	1961	237872	225841	103740	45.93
16.	1962	251374	237613	107803	45.37
17.	1963	274841	258570	117983	45.63
18.	1964	298430	281280	148353	52.74
19.	1965	310432	291686	145200	49.78
20.	1966	356404	333641	155464	46.60

क्रमांक	वर्ष	पंजीकृत छात्र	परीक्षा में सम्मलित छात्र	परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र	
				संख्या	प्रतिशत
21.	1967	4,04,930	3,85,882	1,76,945	45.85
22.	1968	4,19,831	4,00,886	1,90,179	47.44
23.	1969	4,74,026	4,50,373	2,13,302	47.36
24.	1970	5,27,529	5,02,557	2,26,286	45.03
25.	1971	5,64,638	5,22,773	2,18,645	41.82
26.	1972	6,24,392	5,86,053	2,73,523	46.67
27.	1973	6,50,939	6,22,534	2,71,383	43.59
28.	1974	6,82,201	6,41,651	2,46,728	38.45
29.	1975	6,82,999	6,38,882	2,81,041	43.99
30.	1976	7,42,089	6,92,452	2,77,573	40.08
31.	1977	7,40,512	7,02,423	3,83,032	54.53
32.	1978	8,26,114	7,50,954	3,90,137	51.95
33.	1979	9,44,619	7,95,818	3,25,698	40.93
34.	1980	8,97,872	8,54,873	3,85,988	45.15
35.	1981	8,43,971	7,93,464	3,04,511	38.38
36.	1982	8,74,584	8,21,306	3,75,844	45.76
37.	1983	11,53,990	10,80,431	4,14,339	38.35
38.	1984	11,28,076	10,32,445	3,00,328	29.09
39.	1985	11,99,831	11,13,825	3,96,461	35.59
40.	1986	13,12,391	12,47,122	5,45,037	43.70
41.	1987	13,95,371	13,19,785	6,22,068	47.13
42.	1988	15,21,083	14,38,591	6,70,496	46.61

क्रमांक	वर्ष	पंजीकृत छात्र	परीक्षा में सम्मलित छात्र	परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र	
				संख्या	प्रतिशत
43.	1989	16,11,499	15,21,772	6,82,095	44.82
44.	1990	17,03,084	16,05,384	7,09,691	44.21
45.	1991	17,75,602	16,90,597	9,81,219	58.04
46.	1992	16,63,826	15,69,928	2,30,851	14.70

स्रोत :- 1." शिक्षा की प्रगति " (सम्बंधित वर्षों कीं) इलाहाबाद,, शिक्षा निदेशालय

2. दैनिक " आज " कानपुर, दिनाँक 15.7.92

संख्यात्मक सारिणी - 5

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मलित परीक्षार्थी तथा उनका परीक्षाफल

(सन् 1924 से 1957 तक)

क्रमांक	वर्ष	सम्मलित परीक्षार्थी			उत्तीर्ण परीक्षार्थी प्रतिशत			कृपांक से उत्तीर्ण परीक्षार्थी संख्या
		संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	
1.	1924	1,708	...	...	53.9	...	...	...
2.	1925	2,028	...	...	47.3	...	...	...
3.	1926	2,480	...	...	50.0	...	...	...
4.	1927	2,480	414	2,894	58.3	38.0	53.6	...
5.	1928	2,441	564	3,005	58.0	34.7	55.8	...
6.	1929	2,587	583	3,170	63.0	29.3	49.3	...
7.	1930	2,224	411	2,635	54.5	25.3	...	...
8.	1931	2,433	493	2,926	60.2	31.2	57.0	227
9.	1932	2,507	572	3,079	62.4	34.0	56.4	308
10.	1933	2,859	724	3,583	58.1	32.4	56.1	377
11.	1934	3,339	801	4,140	59.3	45.1	...	439
12.	1935	3,218	863	4,081	63.6	32.5	56.9	437
13.	1936	3,300	873	4,173	62.2	32.6	59.2	436
14.	1937	3,862	846	4,708	64.4	38.7	60.4	401
15.	1938	3,432	1,155	4,587	69.2	38.0	61.6	480
16.	1939	3,545	1,222	4,767	69.6	37.3	66.2	497
17.	1940	3,748	1,404	5,152	62.0	31.4	58.8	511
18.	1941	4,198	1,815	6,013	67.0	48.6	61.3	543
19.	1942	4,503	1,979	6,482	68.6	38.2	64.5	500

क्रमांक	वर्ष	सम्मलित परीक्षार्थी			उत्तीर्ण परीक्षार्थी प्रतिशत			कृपांक से उत्तीर्ण परीक्षार्थी
		संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	
20.	1943	4,537	1,674	6,211	67.0	46.9	62.6	575
21.	1944	5,049	2,752	7,801	66.4	46.9	61.0	973
22.	1945	5,586	3,263	8,849	72.4	53.7	66.1	793
23.	1946	6,125	4,267	10,392	70.0	51.9	65.4	789
24.	1947	9,254	5,344	14,598	73.5	54.7	67.3	1635
25.	1948	8,138	5,589	13,727	62.6	47.1	57.6	1,014
26.	1949	10,384	8,186	18,570	68.5	55.7	63.8	1,529
27.	1950	12,169	12,379	24,548	62.7	54.3	59.2	2,093
28.	1951	16,790	19,362	36,152	65.2	52.8		
29.	1952	23,390	24,013	47,403	63.4	33.4	48.2	
30.	1953	35,251	27,385	62,636				
31.	1956	41,434					53.06	87,801 कुल पंजीकृत
32.	1957	36,167					47.71	84,690

स्रोत :- मोती भार्गव, " हिस्ट्री ऑफ सेकेन्डरी एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश " लखनऊ,

सुपिरिन्टेन्डेंट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश (इण्डिया) - 1958, पृष्ठ- 398

संख्यात्मक सारिणी - 6

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मलित परीक्षार्थी तथा उनका परीक्षाफल

(सन् 1947 से 1992 तक)

क्रमांक	वर्ष	पंजीकृत छात्र	परीक्षा में सम्मलित परीक्षार्थी	परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी	
				संख्या	प्रतिशत
1.	1947	14,598	14,126	8,621	61.03
2.	1948	16,611	14,340	8,282	57.75
3.	1949	21,690	18,939	12,007	63.40
4.	1950	28,205	24,065	14,171	58.89
5.	1951	41,009	34,464	20,523	59.55
6.	1952	47,403	39,444	22,865	57.97
7.	1953	62,635	54,068	30,279	56.00
8.	1954	64,039	55,099	27,672	50.22
9.	1955	86,928	77,000	42,559	55.27
10.	1956	87,801	78,077	41,434	53.07
11.	1957	84,690	75,804	36,167	47.71
12.	1958	82,627	74,041	35,622	48.11
13.	1959	89,871	81,088	37,353	46.06
14.	1960	1,09,446	98,045	42,753	43.60
15.	1961	1,13,345	1,01,824	42,202	41.45
16.	1962	1,18,461	1,05,313	48,097	45.67
17.	1963	1,30,027	1,14,300	52,773	46.17
18.	1964	1,40,489	136,429	55,635	40.78
19.	1965	1,52,713	1,35,948	67,025	49.30

क्रमांक	वर्ष	पंजीकृत छात्र	परीक्षा में सम्मलित परीक्षार्थी	परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी	
				संख्या	प्रतिशत
20.	1966	1,76,697	1,53,420	67,680	44.11
21.	1967	1,96,874	1,74,151	79,943	45.90
22.	1968	2,29,247	2,05,623	1,19,508	58.12
23.	1969	2,69,866	2,45,666	1,27,750	52.00
24.	1970	2,76,586	2,48,366	1,16,659	46.97
25.	1971	3,00,904	2,70,207	1,33,946	49.57
26.	1972	3,24,756	2,93,587	1,58,649	54.04
27.	1973	3,41,500	3,08,811	1,64,824	53.37
28.	1974	3,78,182	3,42,391	1,86,963	54.60
29.	1975	3,87,371	3,55,314	1,97,908	55.70
30.	1976	4,26,330	3,86,419	1,85,278	47.95
31.	1977	4,30,381	3,96,645	2,48,854	62.74
32.	1978	4,26,122	3,90,233	2,52,058	64.59
33.	1979	5,16,047	4,77,769	2,93,971	61.53
34.	1980	5,28,508	4,95,623	3,21,410	64.85
35.	1981	4,73,724	4,34,110	2,12,868	49.03
36.	1982	5,26,731	4,81,591	2,67,878	55.62
37.	1983	5,19,298	4,71,924	2,73,361	57.92
38.	1984	5,08,437	4,64,698	2,20,354	47.42
39.	1985	5,68,383	5,22,447	2,91,732	55.84
40.	1986	5,27,287	4,88,937	3,04,418	62.26
41.	1987	5,23,298	4,90,717	3,41,180	69.53

क्रमांक	वर्ष	पंजीकृत छात्र	परीक्षा में सम्मलित परीक्षार्थी	परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी	
				संख्या	प्रतिशत
42.	1988	6,41,736	5,98,937	4,13,809	69.09
43.	1989	7,35,824	6,84,361	4,34,165	63.44
44.	1990	7,98,867	7,49,233	4,80,264	64.10
45.	1991	8,46,858	7,97,104	6,42,063	80.55
46.	1992	7,64,729	6,96,487	2,11,608	30.38

स्त्रोत :- 1. "शिक्षा की प्रगति (सम्बन्धित वर्षों की)
इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय

2. दैनिक "आज" कानपुर
दिनाँक 10.7.1992

संख्यात्मक सारिणी - 7

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 की एग्रीकल्चरल डिप्लोमा एक्जामिनेशन तथा इण्टरमीडिएट कृषि एक्जामिनेशन

में मंजीकृत छात्र तथा उनका परीक्षाफल

(सन् 1926 से 1951 तक)

क्रमांक	वर्ष	कुल पंजीकृत छात्र	उत्तीर्ण प्रतिशत	कृपांक से उत्तीर्ण परीक्षार्थी संख्या
1.	1926	2	100	..
2.	1927	34	52.9	..
3.	1928	55	78.1	..
4.	1929	70	66.2	..
5.	1930	50	90.0	
6.	1931	58	93.1	11
7.	1932	64	90.0	9
8.	1933	70	85.7	15
9.	1934	76	84.0	24
10.	1935	81	91.3	21
11.	1936	77	88.3	21
12.	1937	89	96.6	14
13.	1938	90	86.7	16
14.	1939	100	51.7	18
15.	1940	192	83.0	35
16.	1941	272	84.8	49
17.	1942	315	80.0	75
18.	1943	277	78.2	63

क्रमांक	वर्ष	कुल पंजीकृत छात्र		उत्तीर्ण प्रतिशत	कृपांक से उत्तीर्ण परीक्षार्थी संख्या
19.	1944		275	72.4	61
20.	1945		342	63.2	101
21.	1946		356	46.3	40
22.	1947	स्पेशल	80	50.0	14
		व्यक्तिगत 1 संस्थागत 546	547	64.5	122
23.	1948	व्यक्तिगत 9 संस्थागत 731	740	53.5	90.
24.	1949	व्यक्तिगत 37 संस्थागत 693	730	54.9	90
25.	1950	व्यक्तिगत 54 संस्थागत 659	713	54.1	94
26.	1951	व्यक्तिगत 57 संस्थागत 601	658	61.8	...

स्रोत :- मोती लाल भार्गव, " हिस्ट्री ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश " लखनऊ, सुपिरिन्टेन्डेंट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश (इण्डिया) -1958, पृष्ठ -316

संख्यात्मक सारिणी -8

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की कॉमर्सियल डिप्लोमा परीक्षा एवं इण्टरमीडिएट कॉमर्स परीक्षा में पंजीकृत परीक्षार्थी तथा उनका परीक्षाफल

(सन् 1925 से 1951 तक)

क्रमांक	वर्ष	पंजीकृत छात्र संख्या			उत्तीर्ण प्रतिशत			कृपांक से उत्तीर्ण परीक्षार्थी संख्या
		संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	
1.	1925	249	..	..	66.2	..	..	
2.	1926	241	..	..	65.4	..	..	
3.	1927	271	23	294	66.4	60.8	..	
4.	1928	245	29	274	60.0	45.0	59.4	
5.	1929	241	35	276	67.2	40.0	65.9	
6.	1930	243	21	264	59.8	30.0	58.0	
7.	1931	170	1	171	57.0	100.0	59.1	18
8.	1932	224	19	243	53.2	31.5	52.9	27
9.	1933	304	21	325	55.3	45.0	54.9	31
10.	1934	338	34	372	52.5	30.0	50.0	49
11.	1935	341	37	378	52.4	43.2	57.8	43
12.	1936	391	46	437	58.3	43.4	57.4	46
13.	1937	442	35	477	60.7	65.7	66.6	56
14.	1938	452	45	497	69.0	48.9	69.01	63
15.	1939	530	49	579	66.2	44.6	63.0	54
16.	1940	681	75	756	63.5	35.3	68.0	88
17.	1941	820	77	897	60.0	55.7	59.8	86
18.	1942	935	98	1,033	64.2	45.0	62.9	145

क्रमांक	वर्ष	पंजीकृत छात्र संख्या			उत्तीर्ण प्रतिशत			कृपांक से उत्तीर्ण परीक्षार्थी संख्या
		संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	
19.	1943	812	106	918	58.6	52.7	58.1	123
20.	1944	813	157	970	62.7	59.2	62.4	124
21.	1945	981	183	1,164	57.7	43.7	56.2	139
22.	1946	1,207	195	1,402	71.4	58.7	70.3	148
23.	1947	1,525	182	1,707	72,4	57.9	71.5	361
24.	1948	1,896	248	2,144	61.1	53.7	59.7	212
25.	1949	1,960	430	2,390	63.8	43.8	62.6	329
26.	1950	2,099	854	2,953	60.7	47.0	57.6	290
27.	1951	2,960	1,257	4,217	62.5	41.9	...	...

स्रोत :- मोती लाल भार्गव, " हिस्ट्री ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश "

लखनऊ, सुपिरिन्टेन्डेंट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश (इण्डिया) -1958
पृष्ठ-397

संख्यात्मक सारिणी-9

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 की हाईस्कूल परीक्षा में सम्मलित परीक्षा तथा उनके परीक्षाफल की सूची

(सन् 1946 से 1957 तक)

क्रमांक	वर्ष	कुल पंजीकृत	परीक्षा में सम्मलित	परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र				कुल	उत्तीर्ण प्रतिशत			कृपांक से उत्तीर्ण
				प्रथम	द्वितीय	तृतीय	अन्डर रेगुलेशन	उत्तीर्ण	योग	संस्थागत	व्यक्तिगत	परीक्षार्थी संख्या
1.	1946	27,272	25,153	1,862 (7.4)	7,997 (31.79)	5,093 (20.24)	848	15,800	62.8	71.6	38.3	..
2.	1947	33,923	31,506	4,167 (13.22)	10,093 (32.03)	4619 (14.66)	1,058	19,937	63.2	73.5	40.03	5,089
3.	1948	40,299	37,126	4,387 (11.81)	10,340 (27.85)	3,539 (9.53)	731	18,997	63.1	71.9	42.3	3,156
4.	1949	52,174	48,595	13,495 (27.97)	16,116 (33.16)	2,471 (5.08)	1,533	33,615	64.4	76.8	42.2	5,986
5.	1950	71,568	64,600	2,225 (3.44)	16,924 (26.19)	14,009 (21.68)	1,778	34,936	54.1	64.5	37.1	6,321
6.	1951	1,10,581	86,534	2,382 (2.75)	28,017 (32.37)	25,197 (29.11)	2,638	58,234	59.06	68.14	42.6	9,787
7.	1952	1,24,843	1,11,847	2,326 (2.07)	26,769 (23.94)	25,161 (22.4)	3,522	57,778	52.54	63.54	35.02	..
8.	1953	1,96,808	1,78,061	4,378	45,838	37,847	2,994	91,107	51.16	59.21	35.05	..
9.	1954	2,04,357	1,85,910	2,533	38,038	50,204	3,586	94,361	50.75	57.4	38.7	..
10.	1955	2,18,654 (39)	2,00,599 (39)	1,848 (7)	32,139 (16)	41,987 ...	2,817 ...	78,361 (17)	39.27 (43.59)	45.02	31.12	.. **
11.	1956	1,84,037	1,69,586	1,870	28,008	42,846	2,978	75,702	45.4	..	..	..
12.	1957	1,86,828	1,76,202	3,001	33,375	33,512	2,174	72,062	42.2	..	..	..

नोट- ** = यह हाईस्कूल टेक्नीकल के आँकड़े हैं ।

स्त्रोत :- स्टेटिस्टिक इन्डेक्स टू कन्डीड्टस एपीयरिंग इन बोर्ड्स एक्जामिनेशन (1946-47) कोटेड इन 'मोतीलाल भार्गव' "हिस्ट्री ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन इन उत्तरप्रदेश लखनऊ, सुपिरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश (इण्डिया), 1958, पृष्ठ-399

संख्यात्मक सारिणी -10

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,उ0 प्र0 की परीक्षाओं (हाईस्कूल+इण्टरमीडिएट) में सम्मलित परीक्षार्थी तथा उनका परीक्षाफल

(सन् 1947 से 1992 तक)

क्रमांक	वर्ष	पंजीकृत छात्र संख्या	परीक्षा में सम्मलित परीक्षार्थी		परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	1947	48,521	45,632	94.05	28,558	62.58
2.	1948	56,910	51,466	90.43	31,486	61.18
3.	1949	73,864	67,534	91.43	45,623	67.56
4.	1950	99,773	88,665	88.87	49,107	55.38
5.	1951	1,51,590	1,32,998	87.73	78,757	59.22
6.	1952	1,72,246	1,51,291	87.83	80,643	53.30
7.	1953	2,59,443	2,32,129	89.47	1,21,386	52.29
8.	1954	2,68,396	2,41,009	89.79	1,22,033	50.63
9.	1955	3,05,821	2,77,547	90.75	1,36,751	49.27
10.	1956	2,71,838	2,47,663	91.11	1,18,551	47.87
11.	1957	2,71,518	2,52,006	92.82	1,10,590	43.88
12.	1958	2,79,847	2,60,491	93.08	1,34,315	51.56
13.	1959	2,93,005	2,73,580	93.37	1,24,638	45.56
14.	1960	3,35,816	3,11,913	92.88	1,28,876	41.32
15.	1961	3,51,217	3,27,665	93.29	1,45,942	44.54
16.	1962	3,69,835	3,42,926	92.72	1,55,900	45.46
17.	1963	4,04,868	3,72,870	92.10	1,70,756	45.79
18.	1964	4,38,919	4,17,709	95.17	2,03,988	48.83
19.	1965	4,63,145	4,27,634	92.33	2,12,225	49.63

क्रमांक	वर्ष	पंजीकृत छात्र संख्या	परीक्षा में सम्मलित परीक्षार्थी		परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
20.	1966	5,33,101	4,87,061	91.36	2,23,144	45.81
21.	1967	6,01,804	5,60,033	93.06	2,56,888	45.87
22.	1968	6,49,078	6,06,509	93.44	3,09,687	51.06
23.	1969	7,43,892	6,96,039	93.57	3,41,052	49.00
24.	1970	8,04,115	7,50,923	93.38	3,42,945	45.67
25.	1971	8,65,542	7,92,980	91.62	3,52,591	44.46
26.	1972	9,49,148	8,79,640	92.68	4,32,172	49.13
27.	1973	9,92,439	9,31,345	93.84	4,36,207	46.84
28.	1974	10,60,383	9,84,042	92.80	4,33,691	44.07
29.	1975	10,70,370	9,94,196	92.88	4,78,949	48.17
30.	1976	11,68,419	10,78,871	92.33	4,62,851	42.90
31.	1977	11,70,893	10,99,068	93.87	6,31,886	57.49
32.	1978	12,52,236	11,41,187	91.13	6,42,195	56.27
33.	1979	14,60,666	12,73,587	87.19	6,19,669	48.66
34.	1980	14,26,380	13,50,496	94.68	7,07,398	52.38
35.	1981	13,17,695	12,27,574	93.16	5,17,379	42.15
36.	1982	14,01,315	13,02,897	92.98	6,43,722	49.41
37.	1983	16,73,288	15,52,355	92.77	6,87,700	44.30
38.	1984	16,36,513	14,97,143	91.48	5,20,682	34.78
39.	1985	17,68,214	16,36,272	92.54	6,88,193	42.06
40.	1986	18,39,678	17,36,059	94.37	8,49,455	48.93
41.	1987	19,18,669	18,10,502	94.36	9,63,248	53.20

क्रमांक	वर्ष	मंजीकृत छात्र संख्या	परीक्षा में सम्मलित परीक्षार्थी		परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
42.	1988	21,62,819	20,37,528	94.21	10,84,305	53.22
43.	1989	23,47,323	22,06,133	93.98	11,16,260	50.60
44.	1990	25,01,951	23,54,617	94.11	11,89,955	50.54
45.	1991	26,22,460	24,87,701	94.68	16,23,282	65.25
46.	1992	24,28,555	22,66,415	93.32	4,42,459	19.52

स्रोत :- (1) "शिक्षा की प्रगति" (सम्बंधित वर्षों कीं) इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय

(2) दैनिक "आज" कानपुर दिनाँक 10.7.92, एवं 15.7.92

संख्यात्मक सारणी-11

कलकत्ता विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मलित परीक्षार्थी तथा उनका परीक्षाफल

क्रमांक	वर्ष	इन्ट्रेन्स एक्जामिनेशन		फर्स्ट एक्जामिनेशन इन आर्ट्स		बेचलर ऑफ आर्ट्स		मास्टर ऑफ आर्ट्स	
		परीक्षार्थी संख्या	उत्तीर्ण संख्या	परीक्षार्थी संख्या	उत्तीर्ण संख्या	परीक्षार्थी संख्या	उत्तीण संख्या	परीक्षार्थी संख्या	उत्तीर्ण संख्या
1.	1857	244	162	..	..	..	..	..	..
2.	1958	464	111	..	..	13	2	..	..
3.	1859×	1,411	583	..	..	20	10	..	..
4.	1860	808	415	..	..	65	13	..	..
5.	1861	1,058	477	163	97	39	15	1	..
6.	1862	1,114	417	230	99	34	24	3	..
7.	1863	1,307	690	272	149	35	25	7	6
8.	1864	1,396	702	321	151	66	30	8	3
9.	1865	1,500	510	446	202	82	45	15	11
10.	1866	1,350	638	426	131	122	79	18	15
11.	1867	1,507	814	388	188	141	60	39	22
12.	1868	1,734	892	423	196	212	99	25	15
13.	1869	1,730	817	520	225	174	77	29	18
14.	1870	1,905	1,099	540	233	210	98	32	24
15.	1871	1902	767	507	204	212	84	39	35
16.	1872	2,144	938	560	220	232	100	32	24
17.	1873	2,544	848	539	305	242	126	30	20
18.	1874	2,254,	966	533	193	212	92	57	32
19.	1875	2,373	838	575	182	217	90	38	18
20.	1876	2,425	1,335	756	344	281	73	38	24
21.	1877	2,720	1,166	791	253	287	144	49	31
22.	1878	2,617	1,098	923	267	228	68	62	28
23.	1879	2,697	1,069	1,040	220	323	91	48	28

क्रमशः सारणी -11

22.	1878	2,617	1,098	923	267	228	68	62	28
23.	1879	2,697	1,069	1,040	220	323	91	48	28
24.	1880	2,793	1,666	983	398	319	112	52	31
25.	1881	2,937	1,409	968	364	352	155	56	37
26.	1882	3,111	1,458	1,300	446	358	105	79	32
27.	1883	3591	1,785	1,495	698	480	197	83	44
28.	1884	...	...	673xx	334	501/249xx	229/127	86	64
29.	1885	4,317	1,463	906	437	428	307	61	34
30.	1886	4,393	1,337	1,466	762	869	452	101	70
31.	1887	4,974	3,298	1,577	855	803	449	99	56
32.	1888	6,134	2,720	1,514	581	928	378	129	69
33.	1889	5,930xxx	1,475	2,481	715	1,165	409	128	64
34.	1890	5,308	2,642	2,872	1,089	1,049	435	131	58
35.	1891	5,032	2,151	2,058	762	860	240	134	52

नोट :- 1. × = सन् 1959 में दो इन्ट्रेन्स एक्जामिनेशन हुये ।

2. xx = सपलीमेन्ट्री एक्जामिनेशन ।

3. xxx = इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रथम इन्ट्रेन्स एक्जामिनेशन ।

स्त्रोत :- मोतीलाल भार्गव, "हिस्ट्री ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश" लखनऊ, सुपिरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश (इण्डिया) 1958, पृष्ठ-390

संख्यात्मक सारणी-12

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इन्ट्रेन्स, स्कूल फाइनल, मेट्रीकुलेशन तथा स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षाओं में पंजीकृत छात्र तथा उनका परीक्षाफल

(सन् 1887 से 1925 तक)

क्रमांक	वर्ष	इन्ट्रेन्स एक्जामिनेशन			स्कूल फाइनल एक्जामिनेशन			टिप्पणी
		मंजीकृत छात्र	उत्तीर्ण छात्र	उत्तीर्ण प्रतिशत	मंजीकृत छात्र	उत्तीर्ण छात्र	उत्तीर्ण प्रतिशत	
1.	1887	...	...	इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना			...	
2.	1888	...	...	...	...	...	...	
3.	1889	1,260	705	55.9	...	...	...	फर्स्ट इन्ट्रेन्स एक्जामिनेशन
4.	1890	1,279	583	45.5	...	...	...	
5.	1891	1,486	553	37.6	...	...	...	
6.	1892	1,785	697	38.9	...	...	...	
7.	1893	1,648	688	41.7	...	...	...	
8.	1894	1,628	600	36.8	84	50	59.5	
9.	1895	1,669	503	30.1	204	106	51.9	
10.	1896	1,845	537	29.1	220	110	50.0	
11.	1897	1,585	650	41.0	242	144	59.5	
12.	1898	1,449	412	28.4	242	127	52.4	
13.	1899	1,339	594	44.0	286	166	58.0	
14.	1900	1,310	421	32.0	301	165	55.0	
15.	1901	1,162	592	50.9	343	177	52.0	
16.	1902	11,74	600	52.0	346	181	53.0	
17.	1903	1,069	534	50.0	370	226	65.0	
18.	1904	1,178	595	58.0	338	211	62.0	
19.	1905	1,484	869	60.0	540	387	73.0	

20.	1906	1,367	454	33.0	580	318	55.0	
21.	1907	1,766	1069	62.0	868	573	67.0	
	मेट्रीकुलेशन परीक्षा							
22.	1908	1,975	889	45.0	...	...	...	स्कूल फाइनल एक्जामिनेशन स्टॉपट्ड, मेट्रीकुलेशन कोर्स ड्राफ्ट्रेड
23.	1909	2,169	731	34.0	...	...	...	
24.	1910	2,420	685	30.0	325	...	...	
25.	1911	2,206	957	44.0	946	317	33.5	
26.	1912	2,016	702	36.0	1,189	539	45.3	
27.	1913	2,084	773	37.0	1,390	608	43.7	
28.	1914	2,040	909	36.0	1,631	722	44.3	
29.	1915	2,302	808	36.0	1,916	969	50.6	
30.	1916	2,446	709	29.0	2,181	996	47.0	
31.	1917	2,490	720	28.0	2,655	1,288	48.5	
32.	1918	2,173	494	23.0	...	...	51.0	
33.	1919	1,223	439	36.0	...	...	69.0	
34.	1920	773	282	38.0	...	...	50.0	
35.	1921	556	160	31.0	...	...	63.0	
36.	1922	858	326	38.0	5,294	2614	63.0	
37.	1923	497	174	43.0	...	...	...	
38.	1924	1,72	...	44.6	5,600	...	55.2	मेट्रीकुलेशन एण्ड एस सी. एक्जामिनेशन कन्डक्टेड बाई दी यू०पी०
39.	1925	6,262	...	61.3	...	...	...	हाईस्कूल एक्जामिनेश स्टार्टेड

स्त्रोत :- 1. इलाहाबाद युनिवर्सिटी मिनट्स (1889-1910)

2. मिनट्स ऑफ दि इलाहाबाद युनीवर्सिटी (1910-23)

3. एनुअल रिपोर्टऑन पब्लिक इन्सट्रक्शन यू0 पी0

कोटेड इन, मोतीलाल भार्गव, "हिस्ट्री ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश"

पूर्वोक्त, पृष्ठ - 393 - 94

संख्यात्मक सारिणी-13

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इण्टरमीडिएट परीक्षा में मंजीकृत छात्र तथा उनका परीक्षाफल

(सन् 1887 से 1923 तक)

क्रमांक	वर्ष	मंजीकृत छात्र	उत्तीर्ण छात्र	उत्तीर्ण प्रतिशत	टिप्पणी
1.	1887-88	इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना			
2.	1989	317	142	44.7	
3.	1890	385	218	56.62	
4.	1891	472	203	43.6	
5.	1892	552	157	30.0	
6.	1893	601	304	49.4	यह सभी आँकड़े इण्टरमीडिएट
7.	1894	523	217	42.3	परीक्षा तथा इण्टरमीडिएट 'बी'
8.	1895	617	211	35.0	परीक्षा के योग के हैं ।
9.	1896	581	215	42.0	
10.	1897	564	292	42.5	
11.	1898	499	154	30.0	
12.	1899	...	546/266	49.0	
13.	1900	472	143	30.0	
14.	1901	526	197	37.0	
15.	1902	530	273	52.0	इण्टरमीडिएट तथा इण्टरमीडिएट
16.	1903	558	227	41.0	'बी' कोर्स को एक साथ मिला
17.	1904	586	364	63.0	दिया गया था
18.	1905	612	272	46.0	तथा
19.	1906	641	299	47.0	
20.	1907	839	329	40.0	विषय समूह बना दिये गये ।
21.	1908	976	473	49.0	
22.	1909	1,115	397	36.0	

23.	1910	1,148	494	44.0
24.	1911	1,042	514	50.0
25.	1912	1,052	469	45.0
26.	1913	1,270	600	50.0
27.	1914	1,361	594	44.0
28.	1915	1,536	697	45.0
29.	1916	1,715	700	40.0
30.	1917	1,725	760	44.0
31.	1918	1586	783	49.0
32.	1919	1,516	683	45.0
33.	1920	1,396	583	43.0
34.	1921	1,687	731	43.0
36.	1922	1,266	554	43.0
37.	1923	1,265	660	53.0

स्त्रोत :- मोतीलाल भार्गव "हिस्ट्री ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन इन उत्तर प्रदेश" लखनऊ, सुपिरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश (इण्डिया), 1958 पृष्ठ - 39।